Hkkjr ds fu;U=d&egkys[kkijh{kd

dk izfrosnu

lkekU; ,oa lkekftd {ks=
¼xSj&lkoZtfud {ks= miØe½
31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ

e/; izns'k ljdkj
o"kZ 2016 dk izfrosnu la[;k&1

fo"k; lph		
	dfMdk Øekd	lk"B Øekd
प्राक्कथन		ix
विहंगावलोकन		xi
igyk v/;k;		
iLrkouk		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
सतत बचतें	1.3	2
भारत सरकार से सहायतानुदान	1.4	3
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.5	3
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की उत्तरदायित्वता का अभाव	1.6	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.7	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्रवाई	1.8	5
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति	1.9	5
nlljk v/;k;		
fu"iknu ys[kkijh{kk		
ipk;r ,o xkeh.k fodkl foHkkx		
मध्यान्ह भोजन योजना	2.1	7
ykd LokLF; ,o ifjokj dY;k.k foHkkx		
एच.आई.वी./एड्स प्रतिरोध कार्यक्रम का क्रियान्वयन	2.2	29
mPp f'k{kk foHkkx		
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ढाँचा	2.3	53
lkekftd U;k; foHkkx		
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन	2.4	68
mPp f'k{kk foHkkx		
विश्वविद्यालय में वित्तीय प्रबंधन तथा निजी महाविद्यालयों की सम्बद्धता	2.5	90

fo"k; lwph		
	dafMdk Øekad	i`"B Øekad
vuqlwfpr tkfr dY;k.k foHkkx ,oa vkfne tkfr dY;k.k foHkkx		
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रबंधन	2.6	116
yksd lsok izca/ku foHkkx		
राज्य में लोक सेवा का अधिकार कानून का क्रियान्वयन	2.7	128
vkfne tkfr dY;k.k foHkkx		
मध्यप्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिये कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	2.8	141
tsy foHkkx		
जेल प्रबंधन प्रणाली एवं मुलाकात प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी निष्पादन लेखापरीक्षा	2.9	151
;kstuk] vkfFkZd ,oa lkaf[;dh foHkkx		
"मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना" पर निष्पादन समीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	2.10	167
rhljk v/;k;		
ysunsu ys[kkijh{kk		
fu;eksa] vkns'kksa] izfØ;kvksa bR;kfn dk vuqikyu u fd;k tkuk	**3.1**	
Ldwy f'k{kk foHkkx		
वेतन और भत्तों का संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण एवं संवितरण	3.1.1	175
₹ 0.24 लाख का संदिग्ध गबन	3.1.2	176
fpfdRlk f'k{kk foHkkx		
औषधियों की खरीदी पर अधिक भुगतान	3.1.3	178
yksd LokLF; ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx		
अधिक लागत की वसूली न होना	3.1.4	180
अपात्र हितग्राहियों को अनुचित भुगतान	3.1.5	181
मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण करना	3.1.6	182
Ldwy f'k{kk foHkkx		
राज्य बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर का प्रेषण नहीं किया जाना	3.1.7	183

ipk;r ,o xkeh.k fodkl foHkkx		
उच्चतर दर पर सीमेंट का अनियमित क्रय	3.1.8	184
जमा कार्यों पर अनियमित व्यय	3.1.9	185
ykd LokLF; ;kf=dh foHkkx		
अधिक भुगतान	3.1.10	186
xg foHkkx		
उच्चतर दरों पर क्रय के कारण अधिक व्यय	3.1.11	187
पूर्व संशोधित दरों के उपयोग के कारण प्रशमन शुल्क राशि की कम वसूली	3.1.12	189
efgyk ,o cky fodkl foHkkx		
खाद्यान्न के मूल्य की कम वसूली	3.1.13	190
vlko/kkuh@i'kklfud fu;=.k e foQyrk	**3.2**	
vk;"k foHkkx		
औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का गैर संचालन	3.2.1	191
mPp f'k{kk foHkkx		
कन्या महाविद्यालय के भवन निर्माण पर निष्फल व्यय	3.2.2	193
vkfne tkfr dY;k.k foHkkx		
नियंत्रण प्रणाली के अभाव के कारण लागत वृद्धि	3.2.3	194
वेतन एवं भत्तों पर निष्फल व्यय	3.2.4	196

ifjf'k"Vksa dh lwph

ifjf'k"V Øekad	fooj.k	i"B Øekad
1.1	30 सितम्बर 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की वर्षवार स्थिति	199
2.1	नमूना जांच हेतु चयनित जिलों एवं विद्यालयों की सूची	200
2.2	मध्यान्ह भोजन योजना निधि का मध्यान्ह भोजन से भिन्न अन्य गतिविधियों पर व्यपवर्तन दर्शाने वाला विवरण	206
2.3	स्व–सहायता समूहों/शिक्षक पालक संघो द्वारा अभिलेख संधारित न किया जाना/लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत न किया जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	207
2.4	क्रियान्वयन एजेंसियों के खाते में निष्क्रिय अव्ययित शेषों का विवरण पत्रक	208
2.5	बैंक में अप्रयुक्त निधियों पर अर्जित ब्याज राशि को दर्शाने वाला पत्रक	209
2.6	जिलों के पास परिवहन प्रभार की अप्रयुक्त राशि को दर्शाने वाला पत्रक	210
2.7	6–14 आयु वर्ग के बच्चे जिनका नामांकन विद्यालय में नहीं हुआ, का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	211
2.8	जिला स्तर पर संकलित विद्यालयों में औसत वार्षिक उपस्थिति की प्रवृति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	212
2.9	निरीक्षण दिवस के दिन नमूना जांच किए गए विद्यालयों मे औसत उपस्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	213
2.10	उठाव नहीं किए गए खाधान्न आवंटन के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	214
2.11	नमूना जांच किये गये विद्यालयों में प्रत्येक शैक्षणिक दिवस को मध्याहन भोजन वितरित नहीं किए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	215
2.12	निरीक्षण के दिन मध्यान्ह भोजन का वितरण नहीं किये जाने वाले विद्यालयों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्रक	216
2.13	वर्ष 2013–14 के दौरान भोपाल शहर में विद्यालयों द्वारा गैर शासकीय संस्था (एन.जी.ओ.) से अधिक भोजन की मांग किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	217
2.14	निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण एवं माइक्रोन्यूट्रियेन्टस का वितरण का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	218
2.15	नमूना जांच किये गये विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किये जाने का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	219

ifjf'k"Vk dh lph

ifjf'k"V Øekd	fooj.k	i"B Øekd
2.16	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रसोई–सह–भंडार कक्ष निर्माण की भौतिक प्रगति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	220
2.17	स्वीकृत पदों एवं कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	221
2.18	जिला स्तरीय दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	222
2.19	विद्यालयों में किए गए निरीक्षणों का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	223
2.20	बारह चयनित जिलों की नमूना परीक्षित इकाईयों की सूची	224
2.21	सीडी–4 परीक्षण की स्थिति	225
2.22	ए.आर.टी. तथा लिंक ए.आर.टी. केंद्रों पर ओ.आई. औषधि, वयस्क ए.आर.वी. तथा बाल ए.आर.वी. की उपलब्धता दर्शाने वाला पत्रक	226
2.23	ए.आर.टी. केंद्रों पर मानव संसाधन की स्थिति	227
2.24	एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी के शामिल करने के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	228
2.25	चार चयनित जिले में एच.आर.जी. के रेफरल की स्थिति दर्शाने वाले विवरण पत्रक	228
2.26	एस.टी.आई./आर.टी.आई. प्रकरण में कवरेज के लक्ष्य एवं उपलब्धि	228
2.27	प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	228
2.28	कंडोम वितरण के लक्ष्य तथा उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	229
2.29	आई.सी.टी.सी./एफ.आई.सी.टी.सी. पर सेवाओं की उपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	229
2.30	आई.सी.टी.सी. में सामान्य क्लांइट तथा गर्भवती महिलाओं के परीक्षण दर्शाने वाला पत्रक	230
2.31	आई.सी.टी.सी. में एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी को रेफरल के लिए लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	231
2.32	आई.सी.टी.सी. के निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	231
2.33	पी.पी.टी.सी.टी. के अंतर्गत गर्भवती महिला तथा उनके बच्चों के कवरेज को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	232
2.34	टी.बी. मरीजों के एच.आई.वी. परीक्षण के लक्ष्य एवं प्राप्ति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	233
2.35	एच.आई.वी.–टी.बी. सह संक्रमित मरीजों के प्रतिसत्यापन (क्रास रेफरल वेरिफेकेशन) को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	233

ifjf'k"Vksa dh lwph

ifjf'k"V Øekad	fooj.k	i"B Øekad
2.36	मार्च 2015 की स्थिति में मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थिति	234
2.37	विभाग द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन न किये जाने का विवरण	235
2.38	राज्य सरकार द्वारा आशयपत्र जारी करने में लिए गए समय का विवरण	236
2.39	शैक्षणिक उद्देश्य हेतु अनुपलब्ध भूमि का विवरण	237
2.40	संबंधित अध्यादेश एवं परिनियम के प्रकाशन के पूर्व पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले निजी विश्वविद्यालयों का विवरण	238
2.41	प्रायोजी निकायों द्वारा घोषित पांच वर्षों के प्रस्तावित पूंजीगत व्यय का विवरण	239
2.42	म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा विन्यास निधि का बैंक में एफ.डी. बनाने हेतु विलम्ब से जमा करने के कारण अनुमानित आय की हानि का विवरण	243
2.43	रा.सा.सा.का. योजनाओं के पात्रता मापदण्ड एवं दर को दर्शाने वाला पत्रक	244
2.44	चयनित जिला, जनपद पंचायत तथा स्थानीय निकाय की सूची को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	245
2.45	जिले स्तर पर अवरूद्व राशियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	246
2.46	हितग्राहियों को विलम्ब से पेंशन वितरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	249
2.47	रा.सा.स.का. तथा स.स.सु.पें.यों अंतर्गत योजनावार आवेदकों के पात्रता की अधूरी जांच दर्शाने वाला विवरण पत्रक	250
2.48	हितग्राहियों को अवधि अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक पेंशन का एवं रा.प.स.यो. में सहायता जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक का कम भुगतान विवरण दर्शाने वाला पत्रक	251
2.49	विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं के स्त्रोत से उपार्जित आय, भारत सरकार/अन्य निधियन अधिकरणों से प्राप्त निधियों एवं वेतन एवं अन्य भुगतानों सहित प्रशासनिक व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	252
2.50	अवधि 2010–11 से 2014–15 में विश्वविद्यालयों की आय एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	254
2.51	विश्वविद्यालय एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों की अनुमानित एवं वास्तविक आय एवं व्यय में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	255
2.52	अनुदान के उपयोग एवं अव्ययित राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	256
2.53	चयनित जिलों एवं नोडल संस्थाओं की सूची	258

ifjf'k"Vksa dh lwph

ifjf'k"V Øekad	fooj.k	i`"B Øekad
2.54	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आवंटित एवं व्यय राशि की स्थिति	260
2.55	31 मार्च की स्थिति में अव्ययित शेष राशि का विवरण पत्रक	261
2.56	ग्वालियर एवं भोपाल में नोडलों के समनुदेशन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	262
2.57	छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की अपर्याप्त जांच को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	263
2.58	छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब की स्थिति	264
2.59	अभिलेखों का संधारण न किया जाना	265
2.60	अधिसूचित सेवाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	266
2.61	लेखापरीक्षा हेतु चयनित सेवाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	275
2.62	प्रारूप 3 एवं 4 में रजिस्टर संधारित न करने वाले पदाभिहित/अपील अधिकारियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	283
2.63	नोटिस बोर्ड प्रदर्शित न करने वाले पदाभिहित/अपील अधिकारियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	285
2.64	विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण के पास अप्रयुक्त निधि दर्शाने वाला विवरण पत्रक	287
2.65	विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र दर्शाने वाला विवरण पत्रक	288
2.66	स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित चिकित्सा जांच शिविरों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	289
2.67	दतिया जेल में पी.एम.एस.–व्ही.एम.एस. के अक्रियाशील हार्डवेयर दर्शाने वाला विवरण पत्रक	291
2.68	जेलों में पी.एम.एस.–व्ही.एम.एस. के अक्रियाशील और अल्प प्रयुक्त हार्डवेयर को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	291
2.69	पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. परियोजना के जेलों में हार्डवेयर की कम आपूर्ति दर्शानेवाला विवरण पत्रक	292
2.70	पी.एम.एस.–व्ही.एम.एस. प्रदाय हार्डवेयर की वारंटी अवधि दर्शाने वाला विवरण पत्रक	292
2.71	पी.एम.एस–व्ही.एम.एस के ग्यारह जेलों मे अक्रियाशील हार्डवेयर दर्शाने वाला विवरण पत्रक	293
2.72	पी.एम.एस–व्ही.एम.एस. के जेलों मे बंदियों के मैनुअल और सॉफ्टवेयर अभिलेख को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	294
2.73	पी.एम.एस.–व्ही.एम.एस. के जेलों में फोटो और अंगुली चिन्ह दर्शाने वाला विवरण पत्रक	295

ifjf'k"Vksa dh lwph		
ifjf'k"V Øekad	fooj.k	i"B Øekad
2.74	जेलों में पी.एम.एस.–व्ही.एम.एस. में स्वास्थ्य परीक्षण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	296
2.75	जेलों में पी.एम.एस.–व्ही.एम.एस. में पैरोल प्रविष्टियां दर्शाने वाला विवरण पत्रक	297
2.76	जेलों में पी.एम.एस.–व्ही.एम.एस. में कोर्ट सुनवाई प्रविष्टियां दर्शाने वाला विवरण पत्रक	298
2.77	जेलों में पी.एम.एस.–व्ही.एम.एस. में एफ.आई.आर. और धारा प्रविष्टि न किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	299
2.78	विलंब से स्वीकृतियों की स्थिति	300
3.1	जनवरी 2014 से नवम्बर 2014 तक धोखाधड़ी से किये गये आहरण को दर्शाने वाला प्रपत्र	301
3.2	उच्च दरों पर क्रय की गई औषधि (मेरोपेनेम इंजेक्शन 1 ग्राम) का विवरण	302
3.3	स्थानीय क्रय की गईं औषधियों की लागत का टी.एन.एम.एस.सी. दर से अंतर दर्शाने वाला इकाईवार विवरण पत्रक	303
3.4	प्रसूति अवकाश सहायता योजना अंतर्गत विकासखण्डवार पंजीबद्ध श्रमिक, उनके भुगतान की पात्रता एवं अपात्र हितग्राहियों को किए गए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	304
3.5	सी.एस. एवं सी.एम.एच.ओ. द्वारा कम स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क न लगाये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	307
3.6	कार्यों की संख्या एवं कर्मकार कल्याण उपकर के लिये कटौती की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	308
3.7	राशि ₹ 52.29 लाख का अधिक व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	309
3.8	जून 2014 तक विभिन्न कार्यों के अंतर्गत प्राप्त धनराशि एवं किए व्यय का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	310
3.9	हैंडपम्पों के रखरखाव पर शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	311
3.10	20/25 वाट वायरलेस सेट की खरीद के लिए सी.पी.सी. का औचित्य दर्शाने वाला पत्रक	312
3.11	2/5 वाट वायरलेस सेट की खरीद के लिए सी.पी.सी. का औचित्य दर्शाने वाला पत्रक	313
3.12	मार्च 2012 में राजपत्र अधिसूचना जारी होने के उपरांत पूर्व संशोधित दरों का उपयोग करने से प्रशमन शुल्क की कम वसूल राशि को दर्शाने वाला विवरण	314
3.13	जुलाई 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि निर्गमित खाद्यान्न एवं स्व–सहायता समूहो से वसूल की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	315

i kDdFku

यह प्रतिवेदन मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य एवं सामाजिक (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्रों के विभागों जिनमें उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सामाजिक न्याय, आदिम जाति कल्याण, जेल, लोक सेवा प्रबंधन, अनुसूचित जाति कल्याण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, आयुष, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, गृह तथा महिला एवं बाल विकास सम्मिलित है, की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। तथापि, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभागों को छोड़ दिया गया है तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाहित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2014–15 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आये तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया गया था। वर्ष 2014–15 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप की गई है।

fogaxkoyksdu

fogxkoyksdu

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, सामान्य एवं सामाजिक (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र, मध्य प्रदेश सरकार 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में, चयनित कार्यक्रमों और विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों तथा सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी निकायों, समितियों आदि के वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा से संबंधित दस निष्पादन लेखापरीक्षा/वृहत कंडिकाएं तथा 17 कंडिकाएं सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है।

1. fu"iknu ys[kkijh{kk

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु संचालित की जाती है कि क्या शासकीय कार्यक्रमों/योजनाओं/विभागों द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों को न्यूनतम लागत द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और उनका प्रायोजित लाभ दिया गया है।

1-1 e/;kUg Hkkstu ;kstuk dk fØ;kUo;u

प्राथमिक शिक्षा में पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्यान्ह भोजन योजना का प्रारंभ अगस्त 1995 में नामांकन, निरंतरता, उपस्थिति में वृद्धि तथा विद्यार्थियों के पोषण स्तर में प्रभावित करने के साथ प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। 2010–15 के दौरान मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं :

- नमूना जांच किये गये दस जिलों में से सात जिलों में राशि ₹ 7.68 करोड़ के व्यपवर्तन के प्रकरण पाये गये। मध्यान्ह भोजन योजना निधि का उपयोग दूध प्रदाय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी आदि प्रयोजनों के लिए किया गया। उपरोक्त व्यपवर्तित राशि में दिनांक 31 मार्च 2015 तक राशि ₹ 4.55 करोड़ मध्यान्ह भोजन योजना मद में समायोजित नहीं की जा सकी।

¼dfMdk 2-1-8-2½

- राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों की पहचान किये जाने हेतु न तो कोई मापदण्ड बनाए गए और न ही उनकी पहचान हेतु सर्वे किया गया ।

¼dfMdk 2-1-9-1½

- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत शामिल विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वर्ष 2010–11 में 111.19 लाख बच्चों से वर्ष 2014–15 में 92.51 लाख बच्चों की लगातार गिरावट दर्ज की गई तथा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति भी वर्ष 2010–11 में 80.10 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 75.67 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, माध्यमिक कक्षाओं में भी विद्यार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति वर्ष 2010–11 में 79.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 75.02 प्रतिशत रह गई।

¼dfMdk 2-1-9-2 ,o 2-1-9-3½

- मध्यान्ह भोजन का वितरण बाधित हुआ। समीक्षा अवधि के पांच वर्षों के दौरान मध्यान्ह भोजन 7,759 शैक्षणिक दिवसों में 1,024 दिन से लेकर 1,767 दिनों तक वितरित नहीं किया गया।

¼dfMdk 2-1-9-8½

- नमूना जांच किये गये 300 विद्यालयों में से 187 विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया तथा 192 विद्यालयों में माइक्रोन्यूट्रीयेन्ट्स का वितरण नहीं किया गया।

¼dfMdk 2-1-9-9½

- नमूना जांच किये गये विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन के वितरण किये जाने में सुरक्षा तथा स्वच्छता मानकों के पालन में कमियां थीं। लेखापरीक्षा में जांच किये गये विद्यालयों में अधोसंरचना सुविधायें जैसे रसोई घर, पर्याप्त बर्तनों आदि की कमी थी।

¼dfMdk 2-1-9-10½

- योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठकें नहीं हुईं ।

¼dfMdk 2-1-10-2½

1.2 ,p-vkbZ-oh-@,M~l izfrjks/k dk;Øe dk fØ;kUo;u

ह्यूमन इम्यूनो–डेफिसिएंसी वायरस (एच.आई.वी.) तथा एक्वायर्ड इम्यूनो–डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) के प्रतिरोध हेतु भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के पहले चरण का शुभारंभ 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) का गठन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किया गया था। नाको द्वारा बाद के चरणों में वर्ष 1999–2006 के दौरान एन.ए.सी.पी. –द्वितीय तथा वर्ष 2007–12 के दौरान एन.ए.सी.पी.–तृतीय का क्रियान्वयन किया गया। वर्तमान चरण एन.ए.सी.पी.–चतुर्थ को वर्ष 2012–2017 के दौरान लागू किया जाना है। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति (म.प्र.रा.ए.नि.स.) को वर्ष 1998 में पंजीकृत किया गया था। वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में राज्य में एच.आई.वी./एड्स प्रतिरोध कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध ₹ 141.78 करोड़ के विरुद्ध ₹ 128.10 करोड़ व्यय किया गया। हमने पाया कि वर्ष 2010–15 के अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना अंतर्गत कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध निधियों में से 30 से 63 प्रतिशत तक का उपयोग म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा नहीं किया गया था।

(dfMdk 2-2-5 rFkk 2-2-6)

- एन.ए.सी.पी.–चतुर्थ चरण का मुख्य उद्देश्य नए एच.आई.वी. संक्रमण को 50 प्रतिशत (एन.ए.सी.पी.–तृतीय के अंतर्गत आधारभूत वर्ष 2007) तक कम करना था। तथापि हमने पाया कि नए एच.आई.वी. संक्रमण के प्रकरणों में वृद्धि हुई। वर्ष 2011–12 की अवधि में नए एच.आई.वी. संक्रमण के प्रकरण 4,972 थे, वहीं वर्ष 2014–15 में 5,348 नए प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे।

(dfMdk 2-2-7)

- राज्य में 17 एंटी रेट्रोवायरल थेरैपी (ए.आर.टी.) केंद्र तथा 37 लिंक ए.आर.टी. केंद्र थे। राज्य में कुल 38,268 प्रतिवेदित वयस्क एच.आई.वी. मरीजों में से ए.आर.टी. पर 30,484 मरीज ही पंजीकृत हुए थे। इसके विरुद्ध 20,668 मरीजों की ए.आर.टी. शुरु की गई थी उनमें से 13,213 मरीज ही सतत रूप से उपचार जारी रखे थे।

(dfMdk 2-2-7)

- मानचित्रण आंकड़े 2008 के अनुसार राज्य में 48,785 उच्च जोखिम तथा 1,25,834 प्रवासी आबादी निवासरत थी। वर्ष 2010–15 के दौरान उच्च जोखिम समूह (एच.आर.जी.) के लिए 204 लक्ष्यगत हस्तक्षेप (टी.आई.) परियोजना तथा सेतु आबादी के लिए 32 टी.आई. परियोजनाएं क्रियान्वित की गई थी। जिसमें से 79 टी.आई. परियोजनाएं असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा बंद कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान टी.आई. परियोजनाओं के माध्यम से एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी के कवरेज के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे।

(dfMdk 2-2-8)

- यौन संचारित संक्रमण (एस.टी.आई.) तथा प्रजनन पथ संक्रमण (आर.टी.आई.) एच.आई.वी. संक्रमण को प्राप्त करने तथा संचरण करने की संभावना को कई गुणा बढ़ाते हैं। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान एस.टी.आई./आर.टी.आई. लक्षण के व्यक्तियों को कवर करने के लक्ष्य 10.74 लाख के विरुद्ध 9.90 लाख की उपलब्धि थी। 12 चयनित जिले के एस.टी.आई. क्लीनिकों में औषधियों, मानव संसाधन तथा भौतिक अधोसंरचना की कमी पाई गई थी।

(dfMdk 2-2-10)

- रक्त सुरक्षा कार्यक्रम की सफलता पूरी तरह रक्त संग्रहण इकाई (बी.एस.यू.) की स्थापना पर निर्भर है तथा इसलिए एन.ए.सी.पी.–तृतीय में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी.एच.सी.) पर बी.एस.यू. की स्थापना करना प्रस्तावित था। हमने पाया कि 12 नमूना परीक्षित जिलों के 75 में से 62 सी.एच.सी. में बी.एस.यू. स्थापित नहीं थे। इसके अतिरिक्त इन जिलों के 13 रक्त बैंक बिना वैध नवीनीकरण लाईसेंस के संचालित थे।

(dfMdk 2-2-11)

- वर्ष 2010–15 के दौरान एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्रों (आई.सी.टी.सी.) पर संवेदनशील जनसंख्या तथा गर्भवती महिलाओं के परामर्श/एच.आई.वी. परीक्षण के निर्धारित लक्ष्य 39.30 लाख के विरुद्ध 36.71 लाख की उपलब्धि प्राप्त की गई। हमने पाया कि 12 नमूना परीक्षित जिले के आई.सी.टी.सी. में परीक्षण किट, भौतिक अधोसंरचना तथा मानव संसाधन की कमी थी।

(dfMdk 2-2-13)

- माता–पिता से बच्चों में संचरण को रोकने (पी.पी.टी.सी.टी.) के कार्यक्रम के अंतर्गत माता से बच्चों में संचरण को समाप्त करने के लिए सभी अनुमानित एच.आई.वी. पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं को कवर करना था। हमने पाया कि वर्ष 2010–15 के दौरान एच.आई.वी. पॉजिटिव माताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई थी। आगे पॉजिटिव माताओं से जन्मे बच्चों का एच.आई.वी. परीक्षण निर्धारित दिशानिर्देश के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(dfMdk 2-2-14)

- राज्य में एन.ए.सी.पी.–तृतीय (2007–12) में कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर कुल ₹ 8.53 करोड़ व्यय किया गया था। हालांकि राज्य के द्वारा कार्यक्रम के मध्यावधि एवं समाप्ति पर मूल्यांकन नहीं कराया गया था। म.प्र.रा.ए.नि.स. के पास नाको द्वारा एन.ए.सी.पी.–तृतीय के मध्यावधि/अंतिमावधि मूल्यांकन कराए जाने की जानकारी नहीं थी।

(dfMdk 2-2-18)

1.3 fu t h fo'ofo|ky;k dh LFkkiuk d s fy, <kpk

मध्यप्रदेश राज्य विधानमण्डल द्वारा मध्य प्रदेश में स्ववित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए विनियमित ढाँचा प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 बनाया गया (मई 2007)। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (म.प्र.नि.वि.वि.आ.) भोपाल की स्थापना की गई (अक्टूबर 2009)। म.प्र.नि.वि.वि.आ. में एक सभापति तथा दो पूर्णकालिक सदस्य होते है और यह कुलाध्यक्ष (राज्यपाल) के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। म.प्र.नि.वि.वि.आ. निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु, प्रायोजी निकाय के प्रस्ताव तथा परियोजना प्रतिवेदन का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदाई है। राज्य सरकार म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन से, यदि संतुष्ट होती है, तो निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है। राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के ढाँचे की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न लिखित प्रकट हुआ कि :

- छह प्रायोजी निकायों के पास, अधिनियम के तहत निर्धारित शैक्षणिक उपयोग हेतु आवश्यक 20 हैक्टेयर भूमि नहीं थी। इसके बावजूद, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने राज्य सरकार को अपने प्रतिवेदन में इन छह विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुशंसा की। विभाग ने भी प्रायोजी निकायों द्वारा इन कमियों को दूर किए जाना सुनिश्चित किए बिना, उनकी स्थापना की ।

¼dfMdk 2-3-7-3½

- अधिनियम के अनुसार, प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश के प्रकाशित होने तक प्रवेश तथा कक्षाओ का प्रारंभ नहीं हो सकेगा। तथापि, सात निजी विश्वविद्यालयों ने प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश के अनुमोदन के पहले ही स्वयं के शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे ।

¼dfMdk 2-3-7-5½

- म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अपने कार्यों के निष्पादन हेतु कोई भी विनियम नहीं बनाए थे। यह निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर के अनुवीक्षण हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं कर सका था। प्रायोजी निकायों द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तुत विभिन्न परिवचनो का अनुवर्ती अनुवीक्षण नहीं किया गया था।

¼dfMdk 2-3-8-1½

- यू.जी.सी. द्वारा अपने निरीक्षण में बताई गई विभिन्न कमियों के संदर्भ में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में म.प्र.नि.वि.वि.आ. के निरीक्षण के लिए अनुवीक्षण तंत्र का अभाव था।

¼dfMdk 2-3-8-2½

- म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने सूचित किया कि वह मानव शक्ति की कमी के कारण निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न अनुवीक्षण गतिविधियों को निष्पादित नही कर सका।

¼dfMdk 2-3-9-3½

1.4 lkekftd lqj{kk isa'ku ;kstukvksa dk fØ;kUo;u

समाज के कमजोर वर्ग विशेषतः गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित योजना (सी.एस.एस.) के रूप में 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (रा.सा.स.का.) अगस्त 1995 में प्रारम्भ किया। यह भारत सरकार के महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इ.गा.रा.वृ.पें.यो), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (इ.गा.रा.वि.पें.यो.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (इ.गा.रा.नि.पें.यो.) एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (रा.प.स.यो.) शामिल हैं।

राज्य सरकार ने भी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन, 18 वर्ष से अधिक तथा 39 वर्ष के बीच के बी.पी.एल. विधवा महिलाएं, 18 वर्ष से अधिक तथा 59 वर्ष के बीच की बी.पी.एल. परित्यक्त महिलाएं एवं 6 से 18 वर्ष के स्कूल जाने वाले बी.पी.एल. बच्चे जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (स.सा.सु.पें.यों.) का क्रियान्वयन किया है।

अवधि 2010–11 से 2014–15 के लिए 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं' की निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआः

- रा.सा.स.का. के दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्र सरकार के द्वारा दी गई सहायता के बराबर कम–से–कम अतिरिक्त राशि राज्यों से दिये जाने हेतु दृढ़ता से आग्रह किया गया था जिससे कि हितग्राहियों को उचित स्तर की सहायता राशि प्राप्त हो सके। तथापि राज्य सरकार ने इ.गा.रा.वि.पें.यो., इं.गा.रा.नि.पें.यो. एवं रा.प.स.यो. अंतर्गत कोई योगदान नहीं किया। राज्य सरकार इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अन्तर्गत 65–79 आयु वर्ग में केन्द्रीय सहायता ₹ 200 के साथ ₹ 75 अतिरिक्त पेंशन के रूप में प्रदान कर रही थी।।

¼dfMdk 2-4-7-2½

- विभिन्न पेंशन योजनाओं की अव्ययित राशि ₹ 30.24 करोड़ जिला/जनपद पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर बैंक खातों में पड़ी थी।

¼dfMdk 2-4-7-3½

- रा.सा.स.का. की दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन विशेष सत्यापन दल द्वारा नहीं किया गया था। ₹ 1.49 लाख हितग्राहियों को ₹ 7.74 करोड़ पेंशन राशि का भुगतान नियत तिथि से एक से 16 माह विलम्ब से किया गया। आगे, जनपद पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पेंशन पोर्टल पर गलत बैंक विवरण अपलोड किये जाने के कारण पेंशन की राशि ₹ 1.32 करोड़ पेंशनर्स के खातों में जमा नहीं हुई थी।

¼dfMdk 2-4-7-6] 2-4-7-7 ,oa 2-4-7-8½

bfnjk xka/kh jk"Vªh; o`)koLFkk isa'ku ;kstuk ¼b-xk-jk-o`-ia-;k-½

- समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड किए गए (18 मार्च 2015) प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 16.16 लाख व्यक्ति जो इ.गा.रा.वृ.पें.यो. हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना के लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना था। विभाग ने बताया कि इन व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन एवं उनके दस्तावेजों की जांच पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

¼dfMdk 2-4-9-2½

bfnjk xka/kh jk"Vªh; fo/kok isa'ku ;kstuk ¼b-xk-jk-fo-ih-;ks-½

- इ.गा.रा.वि.पें.यो के अन्तर्गत दस्तावेजों जैसे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल.सूची में नाम, सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों के पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

¼dafMdk 2-4-11-1½

- बढ़ी हुई दर से पेंशन भुगतान के लिए भारत सरकार के परिपत्र के विलम्ब से कियान्वयन के कारण, अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक बढी हुई पेंशन दर ₹ 300 प्रतिमाह के स्थान पर पुरानी दर ₹ 200 प्रति माह से पेंशन का भुगतान किया गया।

¼dafMdk 2-4-11-4½

bfnjk xka/kh jk"Vªh; fu%'kDr isa'ku ;kstuk ¼ b-xk-jk-fu-ih-;ks-½

- अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक बढ़ी हुई पेंशन दर ₹ 300 प्रतिमाह के विरूद्ध पुरानी दर ₹ 200 प्रति माह से पेंशन का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप इ.गा.रा.नि.पें.यो के अन्तर्गत 2.02 लाख हितग्राहियों को कम भुगतान किया गया।

(dafMdk 2-4-13-3½

jk"Vªh; ifjokj lgk;rk ;kstuk ¼jk-i-l-;ks-½

- जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक बढी हुई सहायता दर ₹ 20,000 के विरूद्ध एकमुश्त सहायता पुरानी दर ₹ 10,000 का भुगतान किया गया जिसके कारण रा.प.स.यो. के अन्तर्गत 9,104 हितग्राहियों को राशि ₹ 910.40 लाख का कम भुगतान किया गया।

(dafMdk 2-4-15-2½

- योजनाओ के अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य/जिला स्तरीय समितियों का गठन नही किया गया था।

¼dafMdk 2-4-16-1 rFkk 2-4-16-2½

- 2010–15 की अवधि में रा.सा.स.का. की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

(dafMdk 2-4-16-3½

lexz Lkekftd lqj{kk isa'ku ;kstuk ¼l-lk-lq-ih-;ks-½

- स.सा.सु.पें.यो. अन्तर्गत दस्तावेजों जैसे भूमिहीन तथा निराश्रित होने का प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निःशक्ता प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची में नाम तथा सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गये थे। विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं थी। चयनित जिलों में 2010–15 के दौरान न तो निरीक्षण हेतु रोस्टर बनाए गए थे न ही निरीक्षण किए गए।

¼dafMdk 2-4-18-1 rFkk 2-4-19-1½

1.5 fo'ofo|ky;ksa esa foRrh; izca/ku rFkk futh egkfo|ky;ksa dh lEc)rk

विश्वविद्यालय विभिन्न संकायों के द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम इत्यादि की शिक्षा प्रदाय करते हैं। विश्वविद्यालय के स्रोतों में मध्य प्रदेश शासन से संधारण अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा जीओआई की अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से अनुदान तथा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि से प्राप्त प्राप्तियों एवं भूमि तथा भवन के किराया को सम्मिलित है।

विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन तथा निजी महाविद्यालयों की सम्बद्धता पर 2010–11 से 2014–15 की अवधि को शामिल करते हुए सात विश्वविद्यालयों में से चार (जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल तथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर) की निष्पादन लेखा परीक्षा ने निम्नलिखित उद्‌घाटित किया:

- विश्वविद्यालय में वित्तीय प्रबंधन की कमी थी। विश्वविद्यालय ने वार्षिक बजट तथा वार्षिक लेखों की तैयारी के लिए कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की थी। वार्षिक लेखों के संधारण हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं था। बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आय एवं व्यय के मध्य अत्यधिक अंतर था।

(dfMdk 2-5-6-1] 2-5-7-1] 2-5-8-1 rFkk 2-5-9-1)

- राशि ₹ 13.80 करोड़ के अग्रिम लंबी अवधि से असमायोजित होने से लंबित पड़े थे। लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

(dfMdk 2-5-6-2 ¼i½] 2-5-7-2 ¼i½] 2-5-8-2 ¼i½ rFkk 2-5-9-2 ¼i½)

- विश्वविद्यालय यूजीसी तथा अन्य संगठनों से प्राप्त ₹ 18.06 करोड़ के अनुदान का उपयोग नहीं कर सके। निधियों का उपयोग न किए जाने से, विश्वविद्यालयों को अनुगामी अनुदान जारी नहीं किए गए थे।

(dfMdk 2-5-6-2 ¼ii½] 2-5-7-2 ¼ii½] 2-5-8-2 ¼ii½ rFkk 2-5-9-2 ¼ii½)

- निजी महाविद्यालयों को अधोसंरचना में कमियों का निवारण सुनिश्चित किए बिना सशर्त सम्बद्धता बार बार दी गई। शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के विरूद्ध राशि ₹ 8.94 करोड़ का सम्बद्धता शुल्क लंबित था।

(dfMdk 2-5-6-5 ¼i½] 2-5-6-5 ¼ii½] 2-5-7-5 ¼i½] 2-5-7-5 ¼ii½] 2-5-8-5 ¼i½] 2-5-8-5 ¼ii½ rFkk 2-5-9-5)

1.6 vu|lfpr tkfr ,o vu|lfpr tutkfr d fo|kfFk;k gr ikLV efVd Nk=ofRr dk icU/ku

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) वर्ग के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से मैट्रिकोत्तर पाठ्‌यक्रमों में अध्ययन करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदाय करने के मुख्य उद्देश्य से अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पो.मै.छा.यो.) लागू की गई। भारत सरकार की इस योजना का लाभ सभी अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के सभी मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों को प्रदाय करना है जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं है। मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार द्वारा पो.मै. छा.यो. को उन विद्यार्थियों जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 3.00 लाख से अधिक न हो, विस्तृत किया गया है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रबंधन पर समीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से किया गया था व अतिरिक्त वचनबद्ध देयता राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान, राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना अंतर्गत अ.जा. वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ₹ 1,129.33 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹ 1,035.46 करोड़ व्यय किए। पो. मै. छा. यो. के अंतर्गत राज्य सरकार ने अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ₹ 571.92 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹ 550.97 करोड़ व्यय किये।

(dfMdk 2-6-6)

- आवंटित निधियों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही जिलों को निधियां जारी की गईं थी। मार्च 2015 के अंत में नमूना जांच किए 15 जिलों के सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण के बैंक खातों में ₹ 71.53 करोड़ अव्ययित शेष थे, जो कि शासन को वापिस नहीं किए गए थे।

(dfMdk 2-6-6-1 rFkk 2-6-6-2)

- 5,441 संदिग्ध प्रकरणों में, एक विद्यार्थी को एक ही शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी। सुसंगत अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण उक्त स्वीकृतियों के वास्तविक भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका था। तथापि जिला कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा 1,106 प्रकरणों में राशि ₹ 3.81 करोड़ के भुगतान की पुष्टि की गई।

(dfMdk 2-6-7-3)

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान, 1.13 लाख अ.जा. विद्यार्थियों एवं 0.26 लाख अ.ज.जा. विद्यार्थियों को राशि ₹ 194.29 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान एक से तीन वर्ष तक विलम्ब से किया गया।

(dfMdk 2-6-7-4)

1-7 jkT; e: ykd l ok dk vf/kdkj dkuu dk fØ;kUo;u

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (अधिनियम) अधिनियमित किया गया। अधिनियम सितम्बर 2010 से प्रभावशील था। अधिनियम में सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा, सेवाएं प्रदान करने के लिए पदाभिहित अधिकारी (डीओ), अपील सुनवाई हेतु अपील अधिकारी/अपील प्राधिकारी (एओ) अधिसूचित करना एवं बिना पर्याप्त कारण से सेवा प्रदान करने पर विलंब या सेवा नामंजूर करने पर शास्ति निर्धारण करने के प्रावधान शामिल है।

लोक सेवाओं में सुधार और नवाचार के लिए राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा प्रबन्धन विभाग स्थापित किया गया था जिसके प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन हैं। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के क्रियान्वयन के लिए राज्य लोक सेवा अभिकरण (सैप्स) का भी एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठन किया गया (मई 2013) जिसके प्रमुख कार्यपालन संचालक हैं। अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, ब्लॉक स्तर तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सितम्बर 2012 से लोक सेवा केन्द्रों (एल.एस.के.) की स्थापना की गई। सितम्बर 2010 से मार्च 2015 के मध्य आठ चरणो में अधिनियम के अन्तर्गत 22 विभागों की 124 सेवाओं को मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित किया गया।

अवधि 2012–13 से 2014–15 में राज्य में लोक सेवा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर एक विषयगत लेखापरीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आए:

- अवधि 2012–13 से 2014–15 के दौरान 181.41 लाख ऑनलाइन आवेदन निश्चित समय सीमा के भीतर निराकृत किए गए जो ऑनलाइन प्राप्त कुल 241.40 लाख आवेदनों का 75 प्रतिशत था।

¼dfMdk 2-7-7-1½

- लोक सेवा केन्द्रो द्वारा ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से 22 विभागों की 124 अधिसूचित सेवाओं में से 16 विभागों की 68 अधिसूचित सेवाओं को ही संसाधित किया जा रहा था। राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा शेष सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली में नहीं लाया सका था एवं पदाभिहित अधिकारियों द्वारा सीधे ऑफलाइन प्रदाय की जा रही थीं।

¼dfMdk 2-7-7-2½

- अधिसूचित सेवाओं की जानकारी, निराकरण की समय सीमा, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं पदाभिहित अधिकारियों तथा अपील अधिकारियों के नाम, पदाभिहित अधिकारियों/अपील अधिकारियों के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना था। तथापि, 82 पदाभिहित अधिकारियों में से 38 एवं 40 अपील अधिकारियों में से 18 के कार्यालयों में आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करते हुए नोटिस बोर्ड नही लगाए गए थे, परिणामस्वरूप नागरिकों के लिए सुसंगत जानकारी के प्रसार में कमी को दर्शाता है।

¼dfMdk 2-7-8-3½

- विभागों के जिला प्रमुखों द्वारा न तो निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किया और न ही पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों का आवधिक निरीक्षण किया।

¼dfMdk 2-7-10-1½

1.8 e/;izns'k esa fo'ks"k :i ls detksj tutkrh; lewgksa ds fodkl ds fy;s dk;Zdzeksa dk fdz;kUo;u

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.व्ही.टी.जी.), जिनमें साक्षरता का स्तर कम है, घट रहे है या उनकी जनसंख्या स्थिर है, कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकी स्तर और आर्थिक रूप से पिछड़े है, के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना (टी.एस.पी.) के लिए राज्य को निधियां उपलब्ध कराईं जा रही थीं। भारत सरकार द्वारा पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिये संरक्षण–सह–विकास (सी.सी.डी.) योजना प्रारंभ की गई (अप्रैल 2008)। इस योजना के तहत राज्य सरकार को अपने राज्य में प्रत्येक पी.व्ही.टी.जी. के लिये दीर्घकालिक सी.सी.डी. योजना तैयार करनी थी।

मध्यप्रदेश में तीन बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियों की पहचान की गई थी जो 15 जिलों में निवास करती हैं और जिन्हें पी.व्ही.टी.जी. के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। वर्ष 2004–05 के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार चिह्नांकित क्षेत्रों में पी.व्ही.टी.जी. की जनसंख्या 4.87 लाख थी। राज्य सरकार ने 15 जिलों के लिये 11 पी.टी.जी. विकास अभिकरणों की स्थापना पी.व्ही.टी.जी. के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु की थी। 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए मध्यप्रदेश में पी.व्ही.टी.जी. के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआः

- चिह्नांकित क्षेत्रों के बाहर निवासरत 4.49 लाख पी.व्ही.टी.जी. जनसंख्या को सी.सी.डी. योजना (2012–17) में शमिल नहीं किया गया था।

¼dfMdk 2-8-6-1½

- वर्ष 2004–05 में किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर सी.सी.डी. योजना (2012–17) तैयार की गई थी। इस प्रकार, सी.सी.डी. योजना 2012–17 तैयार करने से पूर्व पी.व्ही.टी.जी. की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं का पुनः आकलन नहीं किया गया था।

¼dfMdk 2-8-6-2½

- 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने पी.व्ही.टी.जी. के विकास हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर ₹ 246.96 करोड़ व्यय किए। सी.सी.डी. योजना और एस.सी.ए. की महत्वपूर्ण राशि ₹ 88.81 करोड़ छह पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के बैंक खातों मे निष्क्रिय पड़ी थी।

¼dfMdk 2-8-8½

- सी.सी.डी. योजना के तहत 2010–15 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 28 प्रतिशत की कमी थी। एस.सी.ए. योजना अंतर्गत 2010–15 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 20 प्रतिशत की कमी थी।

¼dfMdk 2-8-8-1½

- गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जारी ₹ 11.04 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.54 करोड़ (14 प्रतिशत) उपयोग किए गए। आगे, राज्य में 2011–15 की अवधि के दौरान लक्षित 1,517 चिकित्सा जांच शिविरों में से 788 चिकित्सा जांच शिविर पी.व्ही.टी.जी. के लिए आयोजित किए गए थे।

¼dfMdk 2-8-10 rFkk 2-8-10-1½

1-9 e/;in'k dh tyk e tjy icu/ku i.kkyh rFkk eykdkr icu/ku i.kkyh dh lpuk ik|kfxdh fu"iknu y[kkijh{kk

जेल प्रबंधन प्रणाली (पी.एम.एस) और मुलाकात प्रबंधन प्रणाली (व्ही.एम.एस) बंदियों और मुलाकातियों के समाधान के प्रबंधन के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क आधारित प्रणाली है। पी.एम.एस और व्ही.एम.एस सॉफ्टवेयर विंडोज 2007 आपरेटिंग प्रणाली में फ्रंटएंड के रूप में एएसपी नेट और बैकएंड के रूप में एसक्यूएल सर्वर 2008 के साथ एन.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा डिजाईन एवं विकसित किया गया था । पी.एम.एस एवं व्ही.एम.एस परियोजना का उददेश्य डाटा का प्राथमिक स्रोत जेल की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना और बंदियों और मुलाकातियों की जानकारी का प्रबंधन एवं रिकॉर्ड करना था। पी.एम.एस और व्ही.एम.एस की सूचना प्रौद्योगिकी निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न परिलक्षित हुआः

- प्रणाली विकसित करने से पूर्व सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर की व्यवहार्यता का अध्ययन एवं समानांतर जाँच भी नहीं की गई थी जिसके कारण सॉफ्टवेयर में आंतरिक सामन्जस्य एवं विश्वसनीयता की कमी आई।

¼dfMdk 2-9-8-1 rFkk 2-9-8-2½

- हार्डवेयर की लोकेशन प्लान के अनुसार स्थापना न किए जाने एवं अपूर्ण डाटा प्रविष्टि के कारण पी.एम.एस और व्ही.एम.एस के शुरू करने का उद्देश्य, बंदियों और मुलाकातियों का केन्द्रीयकृत डाटाबेस तैयार करना प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त हार्डवेयर की कम आपूर्ति के कारण हार्डवेयर निष्क्रिय रहे और परियोजना अपनी निर्धारित तिथि मार्च 2010 से 32 माह विलंब से पूर्ण हुई ।

¼dfMdk 2-9-9½

- पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. सॉफ्टवेयर डिजाइन में कमियाँ थी परिणाम स्वरूप अपूर्ण डाटा प्रविष्टि हुई थी। हमने देखा कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में 2.47 लाख बंदियों की आमद हुई थी जिसके विरूद्ध 1.12 लाख बंदियों की प्रविष्टि डाटाबेस में की गई थी। मुलाकातियों का कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था। बंदियों के आमद की दोहरी प्रविष्टि रोकने में सिस्टम विफल रहा।

¼dafMdk 2-9-10-1 rFkk 2-9-11-5½

- विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा तंत्र, भौतिक नियंत्रण एवं पासवर्ड नीति अपर्याप्त थी। डाटा प्रविष्टि बंदियों एवं जेल प्रहरियों द्वारा की गई थी।

¼dafMdk 2-911] 2-9-11-1 rFkk 2-9-11-2½

1.10 “e/;in'k fo/kku lHkk fuokpu {k= fodkl ;ktuk' ij fu"iknu leh{kk dh vuqorh y[kkijh{kk

मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस.) मध्यप्रदेश के सभी 231 विधान सभा क्षेत्रों में जुलाई 1994 में इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि विधायकों (एम.एल.ए.) की अनुशंसाओं पर पूंजीगत प्रकृति के विकास कार्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके विधान सभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकता के आधार पर किए जाएं। 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 1.1 में 2005–10 की अवधि के दौरान योजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल थी।

वर्तमान अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका क्रमांक 1.1 में स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन किया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पता चला कि:

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने अनुशंसा की थी कि स्वीकृत किए गए कार्यों में से जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता का आकलन किए जाने हेतु आवधिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिए ताकि विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कार्यों का चयन करने में सुविधा हो सके ।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि चयनित आठ में से सात जिलों में जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एम.पी.ए.सी.ए. डी.एस. के अन्तर्गत कार्यों का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया गया था।

¼dafMdk 2-10-6½

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने अनुशंसा की थी कि परिसंपत्तियों की पंजियां संधारित की जानी चाहिए ताकि योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जा सके। निर्मित परिसंपत्तियों के रख–रखाव एवं उपयोग करने वाले विभागों को परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण सुनिश्चित करने हेतु समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सात जिला योजना अधिकारी जो 2005–10 के दौरान परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं कर रहे थे उनके द्वारा अभी भी परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं की जा रहीं थी । इसके अतिरिक्त, रतलाम को छोड़कर किसी भी चयनित जिला योजना अधिकारी के पास परिसंपत्तियों की हस्तातंरण पंजी उपलब्ध नहीं थी ।

¼dafMdk 2-10-7½

हमने अनुशंसा की थी कि कार्यों के निष्पादन और पूर्ण होने में विलम्ब होने के विरूद्ध समय सीमा में कार्रवाई किए जाने हेतु ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण किए जाने के लिए प्रणाली बनाई जानी चाहिए ।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने कार्यों के निष्पादन एवं पूर्ण होने में विलम्ब के विरूद्ध समय सीमा में कार्रवाई हेतु कार्य के निष्पादन की ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रमुख सचिव ने बताया कि इस हेतु संचालनालय स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे।

(कंडिका 2.10.8)

2. लेनदेन की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनेक उल्लेखनीय कमियाँ प्रतिवेदित की हैं जो सरकारी विभागों/संगठनों की कार्यसाधक कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती हैं। उन्हें सामान्य रुप से निम्नानुसार वर्गीकृत एवं समूहबद्ध किया गया है:

- नियमों, आदेशों, प्रक्रियाओं इत्यादि का अनुपालन न किया जाना
- असावधानी/प्रशासनिक नियंत्रण में विफलता

2.1 नियमों, आदेशों, प्रक्रियाओं इत्यादि का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुरूप हो। इससे न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोजन तथा धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता भी मिलती है। इस प्रतिवेदन में नियमों तथा विनियमों के अनुपालन न किए जाने के उदाहरण सम्मिलित हैं कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा वांछित जांचें न किये जाने के कारण राशि ₹ 8.27 लाख के वेतन एवं भत्तों का संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण और संवितरण हुआ।

(कंडिका 3.1.1)

- भुगतान हेतु प्रस्तुत बीजकों में हजार के अंकों में फेरबदल कर कपटपूर्ण ढंग से कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी), जिला शिक्षा केन्द्र, इन्दौर में ₹ 0.24 लाख का संदिग्ध गबन देखा गया।

(कंडिका 3.1.2)

- उच्च दरों पर औषधियों की खरीदी करने के कारण प्रदायकर्ताओं को राशि ₹ 1.20 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.1.3)

- रिस्क एवं कॉस्ट के आधार पर औषधियों के स्थानीय क्रय करने में हुए अधिक व्यय राशि ₹ 74.90 लाख की वसूली नामिकागत प्रदायकर्ताओं से नहीं की गई थी।

(कंडिका 3.1.4)

- प्रसूति अवकाश सहायता योजना के अंतर्गत अपात्र महिलाओं को राशि ₹ 1.02 करोड़ का अनुचित भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.1.5)

- पट्टा विलेखों का पंजीकरण न कराए जाने एवं कम मुद्रांक शुल्क का आरोपण किए जाने से शासन ₹ 52.13 लाख के राजस्व से वंचित रहा।

(dfMdk 3.1.6)

- जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, उज्जैन, बुरहानपुर, इन्दौर और झाबुआ द्वारा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर ₹ 87.92 लाख का प्रेषण नहीं किया गया।

(dfMdk 3.1.7)

- उच्चतर दर पर ₹ 1.68 करोड़ की सीमेंट का अनियमित क्रय और ₹ 52.29 लाख का परिहार्य अधिक व्यय।

(dfMdk 3.1.8)

- एक कार्य के लिए प्राप्त अंशदान की राशि का उपयोग दूसरे कार्य के लिए कर, जमा कार्यों पर ₹ 8.22 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

(dfMdk 3.1.9)

- शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि ₹ 108.48 लाख का अधिक व्यय हैंडपम्पों के रखरखाव पर किया गया था।

(dfMdk 3.1.10)

- ₹ 2.15 करोड़ का अनियमित क्रय, परिणामस्वरूप उच्चतर दर पर क्रय के कारण वायरलेस सेट एवं सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति पर ₹ 64.98 लाख का अधिक व्यय।

(dfMdk 3.1.11)

- पूर्व संशोधित दरों पर प्रशमन शुल्क की वसूली के परिणामस्वरूप राशि ₹ 65.99 लाख के प्रशमन शुल्क की कम वसूली।

(dfMdk 3.1.12)

- सांझा चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत पका हुआ भोजन प्रदाय करने हेतु संलग्न स्व–सहायता समूहों से खाद्यान्न के मूल्य की कम वसूली राशि ₹ 4.82 करोड़।

(dfMdk 3.1.13)

2.2 vlko/kkuh@i'kklfud fu;=.k e foQyrk

सरकार का दायित्व है कि वह जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे। जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास तथा अधोसंरचना एवं लोक सेवा के उन्नयन के क्षेत्र आदि में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्य करती है। तथापि, लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए जिनमें समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा दी गई निधियां अप्रयुक्त/अवरुद्ध रहीं और/अथवा विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्रवाई के अभाव के कारण निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुई। कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

- शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ग्वालियर में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के गैर संचालन के कारण ₹ 82.72 लाख का निष्फल व्यय।

(dfMdk 3.2.1)

- ₹ 1.28 करोड़ की लागत से निर्मित कन्या महाविद्यालय भवन के उपयोग न होने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय।

(*dfMdk* 3.2.2)

- नियंत्रण प्रणाली की विफलता के कारण आदिवासी छात्रों के लिये आवासीय विद्यालय भवन के निर्माण में लागत वृद्धि ₹ 95.68 लाख, जिससे भवन पूर्ण होने में असाधारण विलम्ब भी हुआ।

(*dfMdk* 3.2.3)

- प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र के अंसचालित रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर निष्फल व्यय ₹ 1.85 करोड़

(*dfMdk* 3.2.4)

igyk v/;k;

iLrkouk

igyk vè;k;% çLrkouk

1.1 ctV :ijs[kk

राज्य में सचिवालय स्तर पर 53 विभाग हैं जिनके प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव होते हैं उनकी सहायता उनके अधीन आयुक्तों/संचालकों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है। इनमें से 35 सरकारी विभागों एवं इन विभागों के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। इन विभागों को लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया था एवं मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं इसके विरूद्ध वास्तविक आकड़ों की स्थिति **rkfydk&1** में दी गई है।

rkfydk&1: o"kZ 2010&11 ls 2014&15 dh nkSjku jkT; ljdkj dk ctV ,oa O;;

(₹ djksM+ esa)

fooj.k	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	ctV vuqeku	okLrfod vkadMs	ctV vuqeku	okLrfod vkadMs	ctV vuqeku	okLrfod vkadMs	ctV vuqeku	okLrfod vkadMs	ctV vuqeku	okLrfod vkadMs
jktLo O;;										
सामान्य सेवाएं	14,181.41	14,646.68	18,220.45	16,228.64	20,577.43	17,705.14	22,295.27	20,590.93	24,243.56	22,365.11
सामाजिक सेवाएं	14,915.24	17,345.40	20,277.33	20,296.94	24,992.18	24,375.47	30,100.70	27,768.21	42,092.49	32,067.15
आर्थिक सेवाएं	9,664.10	10,084.48	12,208.06	12,964.91	14,251.77	16,823.35	17,465.48	16,971.33	27,796.22	23,715.12
सहायतानुदान एवं अंशदान	3,102.51	2,935.03	3,217.65	3,203.22	3,722.12	4,064.57	4,527.20	4,539.29	4,881.55	4,225.44
;ksx(1)	**41,863.26**	**45,011.59**	**53,923.49**	**52,693.71**	**63,543.50**	**62,968.53**	**74,388.65**	**69,869.76**	**99,013.82**	**82,372.82**
iwathxr vuqHkkx										
पूंजीगत व्यय	8,024.72	8,799.88	8,721.93	9,055.16	10,820.22	11,566.89	11,113.61	10,812.52	14,143.36	11,877.68
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	1,619.33	3,714.73	3,200.21	15,760.56	5,667.26	5,378.25	6,444.60	5,077.52	3,883.82	12,534.61
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0	1.85	0	3.70	0	7.02	0	2.36	--	0.98
लोक ऋण का पुनर्भुगतान*	5,922.00	2,529.23	6,800.10	3,149.79	7,482.72	3,583.94	8,017.43	4,004.65	9,177.00	4,920.52
आकस्मिकता निधि	100.00	0	100.00	100.00	200.00	0	200.00	0	200.00	301.08
लोक लेखे संवितरण	96,735.11	62,344.26	1,53,133.63	73,279.04	2,24,574.20	82,735.57	3,13,354.87	93,063.99	2,85,344.25	1,08,165.30
अन्तिम रोकड़ शेष	-127.73	6,900.44	-78.79	7,775.88	-107.22	7,074.81	-123.16	4,477.03	-76.82	5,401.96
;ksx (2)	**1,12,273.43**	**84,290.39**	**1,71,877.08**	**1,09,124.13**	**2,48,637.18**	**1,10,346.48**	**3,39,007.35**	**1,17,438.07**	**3,12,671.61**	**1,43,202.13**
Ekgk;ksx (1+2)	**1,54,136.69**	**1,29,301.98**	**2,25,800.57**	**1,61,817.84**	**3,12,180.68**	**1,73,315.01**	**4,13,396.00**	**1,87,307.83**	**4,11,685.43**	**2,25,574.95**

* vFkksik; vfxze ,oa vf/kfod"kZ.k dh vUrxZr fuoy yu&nsuk dk NksMdj

(Lkzksr: foRr ys[ks ,oa ctV nLrkost)

1.2 jkT; ljdkj dh lalk/kuksa dk vuqiz;ksx

वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 85,762 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य का कुल व्यय (राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिम) ₹ 1,06,787 करोड़ था। विगत वर्ष के राजस्व व्यय (₹ 69,870 करोड़) की तुलना में वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 82,373 करोड़) में 17.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय कुल व्यय का 77.14 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 के दौरान पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 67.81 प्रतिशत था एवं इसमें विगत वर्ष की तुलना में 10.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में 17 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में 2010–11 से 2014–15 के दौरान 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ोत्तरी हुई।

1.3 lrr cpr

आठ प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों 2010–11 से 2014–15 के दौरान, संबंधित अनुदान/विनियोग के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की सतत बचतें हुई थी। जिसे rkfydk&2 में दर्शाया गया है।

Rkkfydk&2: o"kZ 2010&11 ls 2014&15 ds nkSjku lrr cpr okys vuqnkuksa@fofu;ksxksa dh lwph

(₹ djksM+ esa)

l-dz-	vuqnku@fofu;ksx l[;k ,oa uke	cprksa dh jkf'k (dqy vuqnku dk izfr'kr)				
		2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
jktLo&nRrer						
1	29-विधि एवं विधायी कार्य	259.71 (41.04)	137.82 (20.06)	192.19 (28.05)	333.48 (35.47)	564.12 (44.34)
बचतें मुख्यतः मुख्य 'kh"kZ 2014&U;k; iz'kklu ,oa 2015&pquko ds varXkZr gqbZ						
2	31-योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	85.87 (56.29)	386.39 (84.12)	211.54 (75.54)	121.62 (50.42)	195.23 (73.02)
बचतें मुख्य 'kh"kZ 3451&lfpoky;&vkfFkZd lsok,a ,oa 3454&tux.kuk lo{k.k rFkk lkaf[;dh ds varxZr gqbZ						
3	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय–कमांड क्षेत्र विकास	1.22 (38.98)	109.64 (97.52)	2.67 (51.84)	3.82 (50.73)	6.22 (51.53)
बचतें मुख्य 'kh"kZ 2705&dekaM {ks= fodkl ds varXkZr gqbZ						
jktLo& iHkkfjr						
4	06-वित्त	12.41 (97.49)	14.23 (96.28)	12.93 (52.18)	13.24 (89.64)	12.40 (83.90)
बचतें मुख्यतः मुख्य 'kh"kZ 2071&isa'ku ,oa vU; lsokfuo`Rr fgrykHk ds varXkZr gqbZ						
iwathxr &nRrer						
5	06- वित्त	74.94 (70.18)	1,501.78 (92.80)	1,374.53 (95.53)	234.74 (81.98)	141.27 (30.01)
बचतें मुख्यतः मुख्य 'kh"kZ 6075&fofo/k lkekU; lsokvksa gsrq dtZ ds varxZr gqbZ						
6	58-प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.93 (69.76)	2.50 (85.62)	2.50 (76.69)	2.50 (100)	2.50 (100)
बचतें मुख्य 'kh"kZ 6245&izkd`frd vkink ds fy, jkgr gsrq dtZ ds varXkZr gqbZ						
7	67-लोक निर्माण–भवन	35.89 (33.27)	41.39 (38.11)	45.79 (32.98)	91.29 (49.98)	75,72 (40.33)
बचतें मुख्यतः मुख्य 'kh"kZ 4059&yksd fuekZ.k ij iwathxr ifj0;; ds varXkZr gqbZ						
iwathxr&iHkkfjr						
8	लोक ऋण	3,392.77 (57.29)	3,650.31 (53.68)	3,903.17 (52.13)	4,018.05 (50.08)	4,256.48 (46.38)
बचतें मुख्यतः मुख्य 'kh"kZ 6003&jkT; ljdkj ds vkarfjd _.k ds varXkZr gqbZ						

(lzksr% lacaf/kr o"kksZa ds fofu;ksx ys[ks½

1.4 Hkkjr ljdkj ls lgk;rkuqnku

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान rkfydk&3 में दिये गये हैं।

rkfydk-3: Hkkjr ljdkj ls izkIr lgk;rkuqnku

(₹ djksM+ esa)

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजनेत्तर अनुदान	1,636	2,114	333	3,540	4,425
राज्य आयोजना योजना के लिए अनुदान	4,522	4,215	7,099	5,536	9,011
केन्द्रीय आयोजना योजना के लिए अनुदान	649	364	500	153	1,263
केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिए अनुदान	2,270	3,236	4,108	2,548	2,893
विशेष आयोजना योजना के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
;ksx	**9,077**	**9,929**	**12,040**	**11,777**	**17,592**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–)का प्रतिशत	36.23	9.39	21.26	(-)2.18	49.38
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	17.50	15.86	17.10	15.55	19.85

(L=ksr: foRr ys[kk)

1.5 ys[kkijh{kk dh vk;kstuk ,oa lapkyu

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि की गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गयी वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों के सरोकार एवं विगत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार करते हुए जोखिम के आकलन के साथ प्रारम्भ होती है। इस जोखिम आकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा का निर्णय किया जाता है एवं वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख को एक माह में उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जैसे ही उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निराकरण हो जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगे की कार्यवाही का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा राज्य के 820 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं 92 स्वायत्त निकायों (स्थानीय निकायों को छोड़कर) की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, 10 निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गईं।

1.6 fujh{k.k izfrosnuksa ij ljdkj dh mRrjnkf;Ro dk vHkko

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, लेन देनों की नमूना जाँच द्वारा शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण एवं निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाकरण एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पता लगी, महत्वपूर्ण अनियमितताओं का मौके पर

निराकरण नहीं होता है, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों को निरीक्षण किए गये कार्यालय के प्रमुख को, एक प्रति उससे उच्च अधिकारियों को प्रेषित करते हुए भेजी जाती है।

कार्यालय प्रमुखों एवं उससे उच्च अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर अपना अनुपालन महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश को प्रेषित करें। कार्यालय महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा गंभीर अनियमितताओं को नियमित रुप से विभागाध्यक्ष की जानकारी में भी लाया जाता है।

हमने देखा कि 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में मार्च 2015 तक जारी किए गए सामाजिक क्षेत्र विभागों से संबंधित 7,170 निरीक्षण प्रतिवेदन (22,143 कंडिकाएं) एवं सामान्य क्षेत्र विभागों से संबंधित 1,451 निरीक्षण प्रतिवेदन (3,792 कंडिकाएं) निराकरण हेतु लंबित थे। इन बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की वर्षवार स्थिति का विवरण ifjf'k"V 1-1 में दिया गया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, विभागीय लेखापरीक्षा समिति की आठ बैठकें हुई जिनमें 195 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 1,545 कंडिकाओं का निराकरण किया गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर त्वरित एवं उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित किये जाने हेतु ध्यान दें।

1.7 egRoi.k y[kkijh{kk i{k.kk ij ljdkj dh ifrfØ;k

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में और चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर अनेक महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है जिनका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा एवं कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु उपयुक्त अनुशंसाएं देने तथा नागरिकों को सेवा देने में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों को उत्तर छह सप्ताह में भेजना आवश्यक होता है। यह उनके ध्यान में लाया गया था कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में, जो कि मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत की जाएगी, इन कंडिकाओं के सम्मिलित किए जाने की संभावना के मद्देनजर प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित करना वांछनीय होगा। उन्हें महालेखाकार के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप प्रतिवेदन पर बैठक करने की भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबंधित अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए, 10 निष्पादन लेखापरीक्षा/दीर्घ कंडिका पर प्रारुप प्रतिवेदनों एवं 28 प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किया गया था। सभी 10 निष्पादन लेखापरीक्षाओं/दीर्घ कंडिकाओं एवं 17 कंडिकाओं पर सरकार के उत्तर प्राप्त हो चुके है।

1.8 y[kkijh{kk ifronuk ij vkx dh dkjokbZ

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया के नियमानुसार प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी चाहे इनकी लोक लेखा समिति द्वारा जाँच की गयी हो या नहीं। उन्हें राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई कार्रवाईयां/प्रस्तावित की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी थीं।

वर्ष 2008–09, 2010–11 से 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सामान्य एवं सामाजिक (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र से संबंधित कुल 51 कंडिकाओं में से सात कंडिकाओं के संबंध में विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2015) जिसका विवरण rkfydk&4 में दिया गया है।

rkfydk&4: lkekU; ,o lkekftd ¼xj lkotfud {k= miØe½ {k= d y[kkijh{kk ifronu e lfEEkfyr dfMdkvk ij ikIr foHkkxh; mRrjk dh fLFkfr

o"kZ	foHkkx	30 flrEcj 2015 dh fLFkfr e yfEcr foHkkxh; mRRkj	jkT; fo/kku lHkk e iLrfr dh fnukd	foHkkxh; mRrj ikIr gku dh fu/kkfjr fnukd
2008-09	राजस्व	01	28-07-2010	28-10-2010
2010-11	राजस्व	01	12-12-2012	12-03-2013
2011-12	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	01	11-01-2014	11-04-2014
2012-13	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	01	22-07-2014	22-10-2014
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	01		
	आवास एवं पर्यावरण	01		
	सामान्य प्रशासन	01		
	;kx	**07**		

1.9 jkT; fo/kku lHkk e Lok;Ÿk'kklh fudk;k d iFkd y[kkijh{kk ifronuk dk j[k tku dh fLFkfr

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना की गई है। राज्य में सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित चार स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। इन निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेन देनों के सत्यापन, प्रचालन गतिविधियों एवं लेखों, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं प्रक्रिया तथा प्रणाली की समीक्षा इत्यादि के लिए की जाती है। लेखापरीक्षा सौंपे जाने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति rkfydk&5 में दर्शायी गई है।

rkfydk& 5: Lok;Ÿk fudk;ksa ds ys[kk dk iLrqr djus dh fLFkfr

Lks. Ø-	fudk; dk uke	lkiuas dh vof/k	o"kZ tc rd ys[kk iLrqr fd, x, Fks	vof/k tc rd iFkd ys[kkijh{kk ifronu tkjh fd, x, Fks	fo/kku lHkk esa iFkd ys[kkijh{kk ifronuksa dh iLrqfr	iLrqrhdj.k esa foyac[1]@ys[kksa dk iLrqr u fd;k tkuk ¼ekgksa eas½
1	म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल	2014–15 तक	2013–14	2013–14	2012–13 वर्ष 2013–14 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे। राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	2013–14 (03) 2014–15 (03)
2	म.प्र. भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा गया	2011–12	2011–12	वर्ष 2011–12 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे। राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	2011–12 (23)
3	म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा गया	1997–98 से 2012–13	1997–98 से 2012–13 तक के लेखे इकाई से अगस्त 2015 में प्राप्त किए गए थे। इन लेखों की लेखापरीक्षा की जाएगी एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाएगें।	–––––	1997–98 (205) से 2012–13(25)
4	म.प्र. आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड, भोपाल	2016–17 तक	2013–14	2013–14	वर्ष 2013–14 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे। अनुस्मारक (मई 2015) के बावजूद राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	2013–14 (09) 2014–15 (03)

जैसा कि rkfydk& 5 से देखा गया, कि मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लेखे प्रस्तुत करने में 205 माह तक का अत्यधिक विलम्ब हुआ था एवं वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक के लेखे इकाई से अगस्त 2015 में प्राप्त किये गये थे।

राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अस्वाभाविक विलम्ब के परिणाम स्वरुप इन निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया गया है, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी हुई, इसके साथ ही स्वायत्तशासी निकायों में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ।

1. विलम्ब की अवधि लेखाओं की प्राप्ति की निर्धारित दिनांक अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 जून 2015 तक ली गयी है।

nwljk v/;k;

fu"iknu ys[kkijh{kk

2.1 e/;kUg Hkkstu ;kstuk

2.2 ,p-vkbZ-oh-@,M~l izfrjks/k dk;ZØe dk fØ;kUo;u

2.3 futh fo'ofo|ky;ksa dh LFkkiuk ds fy, <kapk

2.4 lkekftd lqj{kk isa'ku ;kstukvksa dk fØ;kUo;u

2.5 fo'ofo|ky; esa foRrh; izca/ku rFkk futh egkfo|ky;ksa dh lEc)rk

2.6 vuqlwfpr tkfr ,oa vuqlwfpr tutkfr ds fo|kfFkZ;ksa gsrq iksLV eSfVªd Nk=o`fRr dk izca/ku

2.7 jkT; esa ykxw lsok dk vf/kdkj dkuwu dk fØ;kUo;u

2.8 e/;izns'k esa fo'ks"k :i ls detksj tutkfr; lewgksa ds fodkl ds fy;s dk;ZØeksa dk fØ;kUo;u

2.9 tsy izca/ku iz.kkyh ,oa eqY;kadu izca/ku iz.kkyh dh lwpuk izkS|ksfxdh fu"iknu ys[kkijh{kk

2.10 "e/;izns'k fo/kku lHkk fuokZpu {ks= fodkl ;kstuk" ij fu"iknu leh{kk dh vuqorhZ ys[kkijh{kk

nlj k v/;k;% fu"iknu y[kkijh{kk

ipk;r ,o xzkeh.k fodkl foHkkx

2-1 e/;kUg Hkkstu ;kstuk

dk;ikyu lkjk'k

प्राथमिक शिक्षा में पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (जिसे सामान्यतः मध्यान्ह भोजन योजना के नाम से जाना जाता है), दिनांक 15 अगस्त 1995 को केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया। नामांकन, निरंतरता, उपस्थिति में वृद्धि तथा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार के मुख्य उद्देश्यों के साथ प्राथमिक शिक्षा का सर्व व्यापीकरण योजना का उद्देश्य था। योजना के अंतर्गत पोषक पका हुआ भोजन जिसकी पोषक मानक 450 केलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन–ए इत्यादि का प्रावधान था। वर्ष 2008–09 से योजना का विस्तार माध्यमिक विद्यालय स्तर (कक्षा VI से VIII) तक किया गया।

पोषक पका हुआ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद राज्य में मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन करती है। मध्यान्ह भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2010–11 से 2014–15 में निम्नलिखित प्रकट हुआ :

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा योजना क्रियान्वयन पर कुल उपलब्ध राशि ₹ 5,191.59 करोड़ के विरूद्ध ₹ 4,974.36 करोड़ का व्यय किया गया।

¼dfMdk 2-1-8-1½

- नमूना जाँच किये गये दस जिलों में से सात जिलों में राशि ₹ 7.68 करोड़ के व्यपवर्तन के प्रकरण पाये गये। मध्यान्ह भोजन योजना निधि का उपयोग दूध प्रदाय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी आदि प्रयोजनों के लिए किया गया। उपरोक्त व्यपवर्तित राशि में से दिनांक 31 मार्च 2015 तक राशि ₹ 4.55 करोड़ मध्यान्ह भोजन योजना मद में समायोजित नहीं की जा सकी।

¼dfMdk 2-1-8-2½

- मध्यान्ह भोजन योजना का एक उद्देश्य उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रुप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों की पहचान किये जाने हेतु न तो कोई मापदण्ड बनाए गए और न ही उनकी पहचान हेतु सर्वे किया गया।

¼dfMdk 2-1-9-1½

- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत शामिल विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वर्ष 2010–11 में 111.19 लाख बच्चों से वर्ष 2014–15 में 92.51 लाख बच्चों की लगातार गिरावट दर्ज की गई तथा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति भी वर्ष 2010–11 में 80.10 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 75.67 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, माध्यमिक कक्षाओं में भी विद्यार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति वर्ष 2010–11 में 79.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 75.02 प्रतिशत रह गई। इस प्रकार योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति को प्रोत्साहित करने का मध्यान्ह भोजन का प्रभाव नहीं देखा गया।

¼dfMdk 2-1-9-2 ,o 2-1-9-3½

- मध्यान्ह भोजन के वितरण में व्यवधान थे। नमूना जाँच किये गये दस जिलों के 300 विद्यालयों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी में हमने देखा कि समीक्षा अवधि के दौरान मध्यान्ह भोजन 7,759 शैक्षणिक दिवसों में 1,024 दिन से लेकर 1,767 दिनों तक वितरित नहीं किया गया।

¼dfMdk 2-1-9-8½

- योजना दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यान्ह भोजन के अनुपूरक के रूप में माईक्रोन्यूट्रियेन्टस तथा डी–वार्मिगं दवायें, डी–वार्मिंग तथा विटामिन–ए की पूरक छःमाही खुराक के द्वारा, आयरन तथा फोलिक एसिड, जिंक की साप्ताहिक खुराक तथा स्थानीय क्षेत्र में पाई जाने वाली सामान्य कमियों की पूर्ति हेतु उपयुक्त अन्य पूरक दवायें भी दिया जाना चाहिए। नमूना जाँच किये गये 300 विद्यालयों में हमने पाया कि 187 विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया तथा 192 विद्यालयों में माइक्रोन्यूट्रीयेन्ट्स का वितरण नहीं किया गया।

¼dfMdk 2-1-9-9½

- नमूना जाँच किये गये विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन के वितरण किये जाने में सुरक्षा तथा स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में जाँच किये गये विद्यालयों में अद्योसंरचना सुविधायें जैसे रसोई घर, पर्याप्त बर्तनों आदि की कमी थी।

¼dfMdk 2-1-9-10½

- योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठकें नहीं हुईं।

¼dfMdk 2-1-10-2½

2-1-1 iLrkouk

प्राथमिक शिक्षा में पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (जिसे सामान्यतः मध्यान्ह भोजन योजना के नाम से जाना जाता है), दिनांक 15 अगस्त 1995 को केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। नामांकन निरंतरता, उपस्थिति में वृद्धि तथा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार के साथ प्राथमिक शिक्षा के सर्व व्यापीकरण को बढ़ावा देना योजना का उद्देश्य था। प्रारंभ में कार्यक्रम शासकीय, स्थानीय निकाय तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक स्तर (कक्षा I से V) तक के बच्चों पर केन्द्रित था, जिसका विस्तार अक्टूबर 2002 से शिक्षा गारंटी योजना (ई.जी.एस.) तथा वैकल्पिक एवं इनोवेटिव शिक्षा केन्द्रों (ए.आई.ई.) में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा अप्रैल 2008 से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता एवं मान्यता प्राप्त मदरसों/मकतबों को योजना में शामिल किया गया था।

प्रारंभ में योजनांतर्गत सूखा राशन अथवा दलिया/खिचड़ी के वितरण का प्रावधान था। सितम्बर 2004 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा योजना के दिशा–निर्देशों में पुनरीक्षण कर पका हुआ भोजन जिसमें 300 केलोरी तथा 8 से 12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा दी जानी थी। मुफ्त खाद्यान्न प्रदाय के अतिरिक्त संशोधित योजना में केन्द्रीय सहायता भोजन पकाने तथा प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन लागत के लिए दी गई। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान भी प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता प्रदाय की जानी थी।

सितम्बर 2006 में योजना पुनः पुनरीक्षित की गई। पुनरीक्षित मध्यान्ह भोजन योजना के निम्न उद्देश्य थे :

(i) शासकीय, स्थानीय निकाय तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्रों में कक्षा I से V तक के बच्चों में पोषण स्थिति का सुधार करना;

(ii) उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों को और अधिक नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए उनकी मदद करना; तथा

(iii) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता प्रदाय किया जाना।

सितम्बर 2006 के पुनरीक्षित दिशा–निर्देशों के अनुसार पके हुये मध्यान्ह भोजन में पोषण मात्रा को 450 केलोरी तथा प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम तक बढ़ाई गई थी। पुनरीक्षित निर्देशों में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन–ए इत्यादि का प्रावधान था। वर्ष 2008–09 से योजना का विस्तार माध्यमिक विद्यालय स्तर (कक्षा VI से VIII) तक कर दिया गया था।

2.1.2 laxBukRed lajpuk

मध्यान्ह भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षारता) विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। तथापि पोषक पका हुआ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मध्यप्रदेश में अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) के अधीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग है।

राज्य में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मध्य प्रदेश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद का गठन मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत फरवरी 2007 में किया गया था। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद राज्य समन्वयक के अधीन है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर मध्यान्ह भोजन योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन के लिये उत्तरदाई है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वयक अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विद्यालय स्तर पर पालक शिक्षक संघ/गैर सरकारी संस्थाएं (एन.जी.ओ.)/स्व–सहायता समूह के माध्यम से योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदाई हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं कमजोर वर्ग की महिलाओं के स्व–सहायता समूहों के द्वारा विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना क्रियान्वयन का कार्य दिया गया है।

विद्यालय स्तर पर योजना का अनुवीक्षण सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत समूह स्त्रोत समन्वयक/ब्लॉक स्त्रोत समन्वयक/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जाता है। संगठनात्मक संरचना pkVl&1 में दर्शाई गई है:

pkVl&1

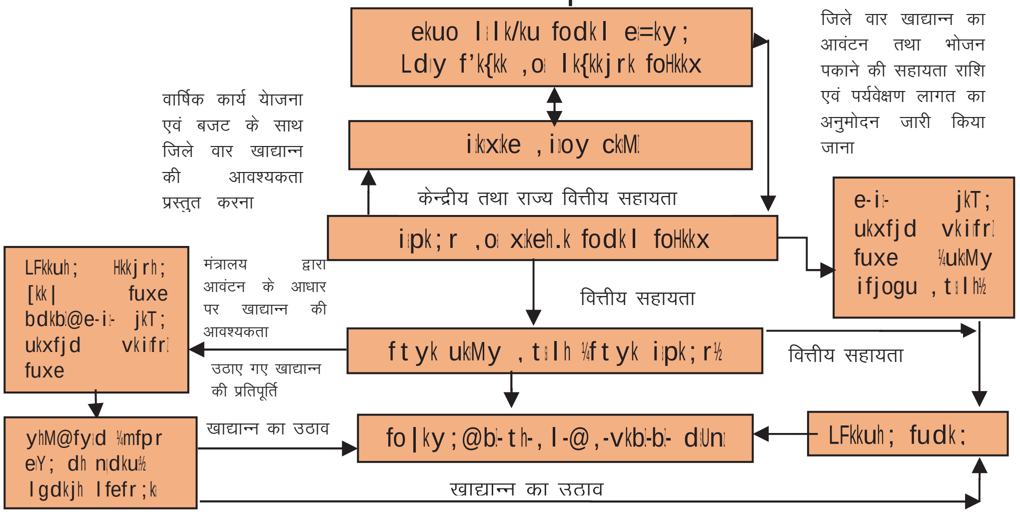

2.1.3 ys[kkijh{kk ds mn~ns';

निष्पादन लेखापरीक्षा यह अभिनिश्चित करने के लिए की गई थी कि:

- आवंटित निधियों का उपयोग मितव्ययी तथा प्रभावी तरीके से किया जा रहा था;
- प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय स्तर के सभी पात्र विद्यार्थियों को योजना में शामिल करने की योजना का क्रियान्वयन योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था;
- प्राथमिक शिक्षा के नामांकन निरंतरता तथा उपस्थिति में वृद्धि जैसे योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया;
- प्राथमिक/माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की पोषक स्थिति में सुधार सम्बन्धी योजना के उद्देश्य को प्राप्त किया गया; और
- योजना के क्रियान्वयन का प्रभावी तरीके से अनुवीक्षण किया गया।

2.1.4 ys[kk ijh{kk ekun.M

मध्यान्ह भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित के संदर्भ में अभिनिश्चित की गई:

- प्राथमिक शिक्षा में पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 2006 पर योजना के दिशानिर्देश;
- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत जिला स्तर से भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न के मूल्य के भुगतान के विकेन्द्रीकरण हेतु दिशानिर्देश (फरवरी 2010);
- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत भोजन की स्वच्छता, गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश (22 जुलाई 2013);
- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत व्यय हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाए गऐ नियम;
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय/राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचना, विज्ञप्ति, निर्देश, अनुदेश;
- मध्यान्ह भोजन योजना हेतु वार्षिक कार्य योजना तथा बजट;
- सामान्य वित्तीय नियम; तथा
- योजना के मूल्यांकन प्रतिवेदन।

2.1.5 ys[kkijh{kk dk;Z {ks= rFkk izfrp;u

2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन की नमूना जाँच 50 जिलों में से 10 जिलों के अभिलेखों के माध्यम से की गई। आठ जिलों का चयन प्रोबेविलिटी प्रपोर्शन टू साइज विदाउट रिप्लेसमेंट (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) चयन पद्धति से किया गया। अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आग्रह पर दो जिलों (ग्वालियर एवं विदिशा) का चयन किया गया। इन दस जिलों से 32 ब्लॉक के 300 विद्यालयों (273 ग्रामीण विद्यालय तथा 27 शहरी क्षेत्र के विद्यालय) का चयन सिम्पल रेंडम सेंम्पलिंग विदआउट रिप्लेसमेंट (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) प्रतिचयन पद्धति से किया गया। विवरण ifjf'k"V&2-1 में दर्शाया गया है।

2.1.6 ys[kkijh{kk i)fr ,oa dk;Z fof/k

निष्पादन लेखापरीक्षा कार्य दिनांक 02.03.2015 को लेखापरीक्षा संबद्ध पत्र जारी कर प्रारंभ किया गया। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ दिनांक 17.03.2015 को प्रवेश सम्मेलन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों,

मापदण्ड एवं जिलों तथा विद्यालयों के चयन पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च–जुलाई 2015 के मध्य की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई (सितम्बर 2015) तथा शासन के उत्तर को निष्पादन लेखापरीक्षा में यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.1.7 dfe;k d ldrk l lh[k yuk rFkk lonu'khyrk

2003–04 से 2007–08 की अवधि के दौरान राज्य में मध्यान्ह भोजन योजना की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा पूर्व में की गई थी तथा लेखापरीक्षा के परिणाम नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007–08 (सिविल) के पैरा 3.2 में प्रतिवेदित किए गए थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कंडिकावार उत्तर लोक लेखा समिति को अक्टूबर–2010 में प्रस्तुत किए गए थे। लोक लेखा समिति में निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं हुई (मई–2015)। मुख्य कमियां तथा उन पर विभाग के उत्तर rkfydk&1 में दिए गए हैं।

rkfydk&1 % io y[kkijh{kk ifronu e n'kkb xb e[; dfe;k rFkk ipk;r ,o xkeh.k fodkl foHkkx }kjk iLrr mÙkj n'kku okyk fooj.k

l-Ø-	io y[kkijh{kk ifronu e vkifÙk;k	'kklu dk mÙkj
1	बेस लाईन सर्वे नहीं किया गया	कोई उत्तर नहीं
2	विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार न होना तथा विद्यालय में विद्यार्थियों की निरंतर गिरावट	मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन होने के कारण बच्चों की उपस्थिति में निरंतरता है।
3	खाद्यान्न के नमूने संग्रहित/प्रतिवेदित न किए जाने के कारण खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई	खाद्यान्न की गुणवत्ता की जाँच जिला कलेक्टर के द्वारा नामित समिति के द्वारा की जाती है।
4	शिक्षक पालक संघों को परिवहन व्यय हेतु राशि का भुगतान न होने के उदाहरण	प्रकरण मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित है। अन्य एजेन्सियों के परिवहन दावों के भुगतान के लिए प्रयास किए गए है।
5	पका हुआ भोजन का कम वितरण/वितरण न होने के उदाहरण	खाद्यान्न की कमी, अद्योसंरचना में कमियां अथवा अन्य स्थानीय समस्याओं के कारण पका हुआ भोजन का कम वितरण/वितरण नहीं हुआ।
6	माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स का कम वितरण/वितरण न होना	स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण किए जाने हेतु प्रयास किये गये परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स के वितरण पर प्रभाव पड़ा।
7	दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कम बैठकों का होना	चूंकि योजना की समीक्षा नियमित रूप से जिला स्तर पर की गई थी। अतः ब्लाक स्तर पर दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों के न किये जाने का योजना क्रियान्वयन पर प्रभाव नहीं पड़ा।
8	अधोसंरचना में कमी के उदाहरण	रसोई घरों के निर्माण में प्रगति लाने हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए मध्यान्ह भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि अधिकांश कमियां वही थीं जो कि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के पूर्व प्रतिवेदन में उठाई गई थीं, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

y[kkijh{kk fu"d"k

2.1.8 foÙkh; ic/ku ,o ;ktuk

मध्यान्ह भोजन योजना मुख्यतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। राज्य को केन्द्रीय सहायता इस प्रकार दी जाती है :

i) प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय में प्रति विद्यालय दिवस में प्रत्येक बच्चे को 100 ग्राम/150 ग्राम की दर से मुफ्त खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की आपूर्ति;

ii) भारतीय खाद्य निगम के निकटतम गोदाम से खाद्यान्न के परिवहन के लिए किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम ₹ 75 प्रति क्विंटल की प्रतिपूर्ति;

iii) भोजन पकाने पर आने वाली लागत प्रति विद्यार्थी प्रति शिक्षण दिवस की दर का विवरण rkfydk&2 में दिया गया है :

rkfydk&2% Hkktu idku dh nj

¼jkf'k ₹ e½

vof/k	ikFkfed fo|ky;			ek/;fed fo|ky;		
	dUn	jkT;	;kx	dUn	jkT;	;kx
vi!y 2010	2.12	0.67	2.79	3.02	1.01	4.03
vi!y 2011	2.17	0.72	2.89	3.25	1.09	4.34
tlykbZ 2012	2.33	0.78	3.11	3.49	1.16	4.65
tlykbZ 2013	2.51	0.83	3.34	3.75	1.25	5.00
tlykbZ 2014	2.69	0.90	3.59	4.04	1.34	5.38

¼lkr & jkT; dh okf"kd dk;l ;ktuk ,o ctV½

भोजन पकाने की लागत के अतिरिक्त रसोईयों को मानदेय की राशि ₹ 1,000 प्रतिमाह की सहायता केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के मध्य 75:25 के आधार पर बांटा जाता है:

iv) राज्य शासन द्वारा घोषित किए गए ''सूखा प्रभावित'' क्षेत्रों में ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान विद्यार्थियों को पका हुआ मध्यान्ह भोजन हेतु वित्तीय सहायता;

v) अधिकतम राशि ₹ 60,000 प्रति इकाई के मान से चरणबद्ध तरीके से रसोई सह भण्डार कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता;

vi) विद्यालयों में भोजन बनाने व परोसने के बर्तन बदलने/प्रदाय करने हेतु चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता राशि ₹ 5,000 प्रति विद्यालय के औसत की दर से; तथा

vii) कुल प्राप्त वित्तीय सहायता राशि के 1.8 प्रतिशत की दर से प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन हेतु राज्य शासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

मध्यान्ह भोजन योजना में वार्षिक कार्य योजना तथा बजट को विद्यालय, ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर संकलित जानकारी के आधार पर तैयार किये जाने को महत्व दिया गया है। इस वार्षिक कार्य योजना एवं बजट को मंत्रालय के प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना तथा बजट के अनुमोदन उपरांत मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष माह अप्रैल/मई में केन्द्रीय वित्तीय सहायता की प्रथम किस्त जारी की जाती है। प्रथम किस्त से किये गये व्यय की प्रगति के आधार पर माह

सितम्बर/अक्टूबर में मंत्रालय द्वारा द्वितीय किस्त की राशि दी जाती है। निधियों के प्रवाह का चार्ट निम्नानुसार है:—

2-1-8-1 e/;kUg Hkkstu ;kstuk ds fy, fuf/k dh miyC/krk ,oa fuf/k dk tkjh fd;k tkuk

केन्द्रीय एवं राज्य के अंश के आहरण एवं संवितरण की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की है। योजना के विभिन्न घटकों जैसे भोजन पकाने की लागत, रसोईयों का मानदेय, प्रबंधन अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन, खाद्यान्न की लागत तथा परिवहन के लिए मद में प्राप्त राशि राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद के बैंक खाते में जमा की जाती है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद से राशि ई—ट्रांसफर के माध्यम से सीधे जिला पंचायत में मध्यान्ह भोजन योजना हेतु संधारित नोडल बैंक खाते में अंतरित की जाती है। जिला पंचायत द्वारा भोजन पकाने की लागत की राशि क्रियान्वयन एजेन्सियों के खातों में तथा रसोईयों के मानदेय की राशि शाला प्रबंधन समिति के खाते में अंतरित की जाती है। खाद्यान्न की लागत ई—ट्रांसफर द्वारा एफ.सी. आई./एम.पी.एस.सी.एस.सी.[1] के खाते में अंतरित की जाती है।

वर्ष 2010—11 से 2014—15 की अवधि के दौरान राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध राशि ₹ 5,191.59 करोड़ में से राशि ₹ 4,974.36 करोड़ का व्यय किया गया।

वर्ष 2010—11 से 2014—15 की अवधि के दौरान राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा प्राप्त एवं जारी की गई निधियों की स्थिति rkfydk&3 में दर्शाई गई है :—

rkfydk&3% jkT; e/;kUg Hkkstu dk;Øe ifj"kn }kjk
iklr ,oa tkjh dh xbZ fuf/k;ksa dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ	izkjfEHkd 'ks"k	izkfIr	dqy miyC/k jkf'k	O;;	vfre 'ks"k
2010-11	155.06	861.00	1,016.06	995.73	20.33
2011-12	20.33	979.72	1,000.05	947.39	52.66
2012-13	52.66	1,027.87	1,080.53	978.85	101.68
2013-14	101.68	1,054.66	1,156.34	1,126.58	29.76
2014-15	29.76	908.85	938.61	925.81	12.80

(lzksr & tkudkjh e/;kUg Hkkstu dk;Øe ifj"kn dh jksdM+ cgh ls ,df=r dh xbZ)

ueqUk tkap fd, x, lkr ftyksa esa e/;kUg Hkkstu ;kstuk fuf/k dh jkf'k ₹ 7-68 djksM+ vU; ;kstukvksa ds fØ;kUo;u esa O;iofrZr dh x;h

2.1.8.2 ;kstuk fuf/k;ksa dk O;iorZu

मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा—निर्देशों के पैरा 5.1(8) के अनुसार योजना निधियों को मध्यान्ह भोजन योजना से भिन्न अन्य उद्देश्यों पर व्यपवर्तन नहीं किया जाना था। हमने नमूना जाँच किए गए सात जिलों (अनूपपुर, भोपाल, धार, मंदसौर, राजगढ़, सीधी एवं विदिशा) में राशि ₹ 7.68 करोड़ के व्यपवर्तन किए जाने के प्रकरण पाये, विवरण ifjf'k"V&2-2 में दिया गया है। मध्यान्ह भोजन योजना की राशि का उपयोग दूध

[1] एफ.सी.आई.— भारतीय खाद्य निगम/एम.पी.एस.सी.एस.सी.—मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

प्रदाय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, आदि प्रयोजनों के लिए किया गया था। उपर्युक्त व्यपवर्तित राशि में से दिनांक 31 मार्च 2015 तक राशि ₹ 4.55 करोड़ मध्यान्ह भोजन योजना मद में समायोजित नहीं की जा सकी।

इस प्रकार जिला प्राधिकारियों द्वारा योजना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को समायोजन करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

2.1.8.3 Lo&lgk;rk legw@ikyd f'k{kd l?kks }kjk vfHkys[kks dk l/kkj.k u fd;k tkuk

e/;kUg Hkkstu idkus ,oa forj.k esa layXu 201 Lo&lgk;rk legw@f'k{kd ikyd l?kks }kjk mUgsa iznk; fd, x, [kk|kUu ,oa fuf/k;ksa ds vfHkys[k l/kkfjr ugha fd, x,

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने स्व–सहायता समूहों को खाद्यान्न पंजी, रोकड़ बही देयक/प्रमाणक फोल्डर एवं बर्तनों की भण्डार पंजी के संधारण हेतु निर्देश जारी (सितम्बर–2007) किए थे।

नमूना जाँच किए गए दस जिलों के 300 विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि 198 स्व–सहायता समूहों तथा तीन शिक्षक पालक संघों द्वारा खाद्यान्न पंजी, रोकड़ बही तथा प्रमाणक फोल्डर संधारित नहीं किए तथा 26 स्व–सहायता समूहों एवं तीन शिक्षक पालक संघों द्वारा इन अभिलेखों को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार इन अभिलेखों को संधारित करने में पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ। विवरण ifjf'k"V 2-3 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि स्व–सहायता समूहों को अभिलेख संधारित करने तथा वार्षिक लेखों के सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

vuq'kalk

पकाने की लागत के दावों की उपयुक्तता पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत लाभों के रिसाव को रोका जा सके।

2.1.8.4 fØ;kUo;u ,tsfUl;ksa ds 'ks"kksa dk ftyksa ds vi;qDr 'ks"kksa esa lfEefyr u fd;k tkuk

ueuk tkp fd, x, ikp ftyksa esa fØ;kUo;u ,tsfUl;ksa ds [kkrksa esa jkf'k ₹ 4-09 djksM+ vi;qDr jgh A Hkkjr ljdkj dks C;kt dh vk; ₹ 15-54 djksM+ lfpr ugha dh xbZ

योजना के दिशा–निर्देशों के पैरा 5.1(9) के अनुसार अव्ययित शेषों की गणना सभी स्तरों अर्थात राज्य, जिले, ब्लॉक तथा विद्यालय स्तर पर स्टॉक एवं रोकड़ के शेषों पर विचार करने के पश्चात करनी चाहिए।

- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि 31 मार्च 2015 की स्थिति में बैंक में राज्य स्तर पर अप्रयुक्त राशि पर ब्याज की राशि ₹ 16.22 करोड़ बैंक में रखी हुई थी।

- नमूना जाँच किये गये जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि 31 मार्च 2014 की स्थिति में पांच जिलों (धार, जबलपुर, राजगढ़, सीहोर तथा सीधी) की क्रियान्वयन एजेन्सियों के बैंक खातों में राशि ₹ 4.09 करोड़ अप्रयुक्त निष्क्रिय पड़ी थी। उक्त राशि में से जिला राजगढ़ द्वारा 2014–15 में राशि ₹ 1.55 करोड़ वसूल कर ली गई थी जबकि इसी स्थिति में राशि ₹ 2.54 करोड़ क्रियान्वयन एजेन्सियों के खातों में पड़ी हुई थी (जुलाई 2015), विवरण ifjf'k"V&2-4 में दर्शाया गया है।

- हमने यह भी पाया कि नमूना जाँच किये गये जिलों द्वारा अप्रयुक्त निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 15.54 करोड़ ¼ifjf'k"V&2-5½ को आगामी वर्ष की प्रथम किस्त से समायोजन किये जाने हेतु भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, क्रियान्वयन एजेन्सियों के पास पड़ी अप्रयुक्त निधियों पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने बताया कि जिले/ब्लॉक तथा विद्यालय स्तर पर योजना निधि के अव्ययित शेषों एवं अर्जित ब्याज की राशि को राज्य स्तर पर अर्जित ब्याज की राशि के साथ समेकित कर भारत सरकार को सूचित किया जाएगा।

2.1.8.5 [kk|kUu ifjogu d: n;dk dk fuiVku u gkuk

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.06.2005 के द्वारा वर्ष 2005–06 से खाद्यान्न परिवहन हेतु मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। राशि ₹ 75 प्रति क्विंटल के परिवहन प्रभार की राशि जिसे अन्य वितरण एजेंसियों[2] के मध्य वितरित किया जाना था, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मार्च 2012–13 तक भुगतान किया गया। तथापि 2013–14 से मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को परिवहन प्रभार ₹ 38 प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया एवं लीड/लिंक समितियों, स्व–सहायता समूहों तथा शिक्षक पालक संघों के परिवहन व्यय के दावों के निपटान करने हेतु जिला पंचायतों को ₹ 37 प्रति क्विंटल जारी की गई।

(i) नमूना जाँच किये गये दस जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि खाद्यान्न परिवहन हेतु आवंटित राशि ₹ 130.46 लाख 31 मार्च 2015 की स्थिति में जिला पंचायतों के खातों में अप्रयुक्त रही। विवरण ifjf'k"V&2-6 में दर्शाया गया है।

(ii) मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पुनरीक्षित निर्देशों (अप्रैल 2013) के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों तक खाद्यान्न लाने तथा वहां से उचित मूल्य की दुकानों को वितरित किये जाने के स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों से लीड/लिंक समितियों को प्रदाय किया गया। हमने देखा कि राज्य शासन द्वारा 2013–15 की अवधि में भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों तक खाद्यान्न के परिवहन हेतु ₹ 38 प्रति क्विंटल की दर से राशि ₹ 11.73 करोड़ परिवहन प्रभार के लिए मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को जारी की गई। चूंकि मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया। अतः मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को किया गया भुगतान अनियमित था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि नवीन विकेन्द्रीकृत उपार्जन नीति के अंतर्गत परिवहन व्यय की दरों में आवश्यक पुनरीक्षण का निर्णय मध्य प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम से परामर्श उपरांत किया जाएगा।

2.1.8.6 x\j ljdkjh laLFkk dk jlkbl;k ekun; dh jkf'k dk vfu;fer :Ik ls tkjh djuk

मध्यान्ह भोजन के दिशा–निर्देशों के पैरा 3.9.1 के अनुसार गैर सरकारी संस्था को बिना लाभ के कार्य करने की आधार पर संबद्ध किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संस्था के पास आवश्यक मात्रा में मध्यान्ह भोजन प्रदाय करने हेतु वित्तीय एवं लोजिस्टिक क्षमता

---

2 मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ₹ 38, लीड/लिंक सहकारी समितियां ₹ 23, उचित मूल्य की दुकाने ₹ 09, पालक शिक्षक संघ ₹ 05

होना आवश्यक है। लेखापरीक्षा संवीक्षा मे पाया गया कि ग्वालियर शहर में मध्यान्ह भोजन पकाने एवं प्रदाय करने हेतु एक गैर सरकारी संस्था (आकांक्षा समग्र विकास समिति) को सम्बद्ध किया गया।

गैर सरकारी संस्था के साथ किए गए अनुबंध (दिसम्बर 2011) की शर्त 4 के अनुसार स्थान, मशीन, रसोईयों आदि अद्योसंरचना सुविधाओं की व्यवस्था गैर सरकारी संस्था द्वारा की जानी थी। अनुबंध के अनुसार उपरोक्त मदों में जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाना था। तथापि हमने पाया कि वर्ष 2012–13 से 2013–14 की अवधि में जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा गैर सरकारी संस्था को केन्द्रीकृत रसोई में संबद्ध रसोईये के भुगतान हेतु राशि ₹ 42.07 लाख अनियमित रूप से जारी की गई।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर को आवश्यक कार्रवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं।

2.1.8.7 *jkT; e/;kUg Hkkstu dk;ZØe ifj"kn dk okf"kZd ys[kk rS;kj ugha fd;k tkuk*

मध्य प्रदेश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद की विनियम के पैरा 35 के अनुसार परिषद अपने वार्षिक लेखे तैयार करेगी एवं इन लेखों की सनदी लेखाकार से लेखापरीक्षा कराई जानी चाहिए।

राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि समीक्षा अवधि में परिषद के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे तथा लेखापरीक्षा नहीं कराई गई थी।

इंगित किये जाने पर संयुक्त आयुक्त, राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद ने उत्तर दिया (मई 2015) कि वार्षिक लेखे तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर था। निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के वार्षिक लेखाओं के लेखापरीक्षण का कार्य सनदी लेखाकार को सौंप दिया गया था।

2.1.8.8 *jksdM+ cgh esa laO;ogkjksa dh izfof"V;ka ugha fd;k tkuk*

मध्य प्रदेश जिला पंचायत (लेखा) नियम 1999 के नियम 11 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा लेखा–3 प्रपत्र में रोकड़ बही का संधारण किया जाना चाहिए जिसमें समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों की प्रविष्टियां दर्ज की जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उसके द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाना चाहिए।

जिला पंचायत ग्वालियर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि लेखा शाखा द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए मध्यान्ह भोजन योजना की रोकड़ बही तैयार एवं संधारित नहीं की गई थी। इस प्रकार वर्ष के दौरान योजनांतर्गत किए गए संव्यवहारों का सत्यापन नहीं किया जा सका ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर को रोकड़ बही अद्यतन संधारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2.1.9 ;kstuk dk fØ;kUo;u

2.1.9.1 misf{kr oxksZ ds xjhc cPpksa dh igpku ugha fd;k tkuk

मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा निर्देश 2006 के पैरा 2.2.1 (ii) के अनुसार मध्यान्ह भोजन योजना का एक उद्देश्य उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना एवं कक्षा के क्रियाकलापों में ध्यान केन्द्रित करने में मदद करना है। यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों की पहचान करने हेतु न तो कोई मानदण्ड बनाए गए और न ही ऐसे बच्चों को ढूंढने के लिए सर्वे किया गया।

मानदण्ड या सर्वेक्षण के अभाव में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रमुख उद्देश्य – उपेक्षित वर्ग के गरीब बच्चों को विद्यालय में उपस्थिति को प्रोत्साहित करने को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में कहा कि समस्त जिलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि वे लेखापरीक्षा की अनुशंसानुसार बच्चों का सर्वेक्षण करें।

vuq'kalk

विद्यालय, नामांकन एवं विद्यालय जाने वाले आयु समूह के समस्त बच्चों के सर्वे के आंकड़ों का उपयोग नियोजन कार्य में किया जाना चाहिए।

2.1.9.2 ukekadu ij izHkko

बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने तथा विद्यालय में नामांकन में सुधार लाने के उद्देश्य से मध्यान्ह भोजन योजना प्रारम्भ की गई थी। हमने देखा कि वर्ष 2010–11 में विद्यार्थियों का नामांकन 111.19 लाख था जो कि वर्ष 2014–15 (विगत पांच वर्षों) में घटकर 92.51 लाख रह गया जिसका विवरण rkfydk&4 में दिया गया है –

rkfydk&4: e/;kUg Hkkstu ;kstukUrxZr 'kkfey fo|ky;ksa esa ukekadu esa deh dk fooj.k

l-Ø-	o"kZ	e/;kUg Hkkstu ;kstuk esa 'kkfey fo|ky;ksa esa ukekadu	foxr o"kZ dh rqyuk esa ukekadu esa deh ¼iwoZ o"kZ ds ukekadu esa ls pkyw o"kZ dk ukekadu ?kVkdj½	izfr'kr
1	**2010-11**	1,11,18,960	--	--
2	**2011-12**	1,08,02,279	3,16,681	-2.85
3	**2012-13**	1,02,91,879	5,10,400	-4.72
4	**2013-14**	99,62,326	3,29,553	-3.20
5	**2014-15**	92,51,038	7,11,288	-7.14
o"kZ 2010&15 ds nkSjku ukekadu esa dqy deh			**18,67,922**	**-16.80**

(lzksr % jkT; e/;kUg Hkkstu dk;ZØe ifj"kn }kjk izLrqr vkdMs)

e/;kUg Hkkstu lapkfyr 'kkldh; fo|ky;ksa esa ukekadu esa 16-80 izfr'kr dh deh gqbZ tcfd fcuk e/;kUg Hkkstu lapkfyr fo|ky;ksa esa ukekadu esa 37-90 izfr'kr dh of) gqbZ

इसके अतिरिक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र (आर.एस.के.) द्वारा प्रस्तुत राज्य के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के आंकड़ों के विश्लेषण में हमने पाया कि 2011–12 से 2014–15 के दौरान 63,591 से 1,26,485 बच्चे न तो शासकीय विद्यालयों में और न ही प्राइवेट विद्यालयों में नामांकित किए गए थे। विवरण ifjf'k"V&2-7 में दिया गया है।

2011–15 की अवधि के लिए मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किये गये प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र से एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि वर्ष 2011–12 में विद्यार्थियों का नामांकन

34.86 लाख था जो कि वर्ष 2014–15 में (अर्थात चार वर्षों के दौरान) बढ़कर 48.08 लाख हो गया जिसका विवरण rkfydk&5 में दिया गया है।

rkfydk&5% e/;kUg Hkkstu ;kstuk ds vUrxZr 'kkfey ugha fd;s x;s fo|ky;ksa esa iathdu n'kkZus okyk fooj.k

l- Ø-	o"kZ	e/;kUg Hkkstu ;kstuk ds vUrxZr 'kkfey ugha fd;s x;s fo|ky;ksa esa ukekadu	ukekadu esa of) ¼izfr'kr½
1	2011-12	34,86,444	--
2	2012-13	38,22,075	9.63
3	2013-14	41,63,267	8.93
4	2014-15	48,08,023	15.49
		o"kZ 2011&12 ls 2014&15 ds nkSjku dqy of)	**37.90**

¼lzksr& jkT; f'k{kk dsUnz }kjk iznk; fd, x, vkadM+s½

rkfydk&4 एवं rkfydk&5 से स्पष्ट है कि 2011–15 के दौरान प्राथमिक/माध्यमिक स्तर प्राइवेट स्कूल एवं मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत शामिल स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन की प्रवृत्ति विपरीत हुई। बच्चों का नामांकन गैर मध्यान्ह भोजन संचालित विद्यालयों में 37.90 प्रतिशत बढ़ा जबकि शासकीय विद्यालयों में 16.80 प्रतिशत कम हुआ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग को प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण के कारण विद्यार्थियों के नामांकन में गिरावट आई।

तथ्य यह है कि, जनसंख्या के ऐसे हिस्से में वृद्धि हो रही है जो मुफ्त भोजन की अपेक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देता है तथा यह भी दर्शाता है कि विद्यालय में बच्चों की निरंतरता के लिए मुफ्त भोजन अपने आप में पर्याप्त नहीं है जब तक इसके साथ पढ़ने/पढ़ाने के परिणामों में सुधार को सम्मिलित न किया जाए।

2.1.9.3 *izkFkfed@ek/;fed d{kkvksa dh vkSlr mifLFkfr esa deh*

मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा–निर्देशों के पैरा 2.2.1(ii) के अनुसार योजना का प्रमुख उद्देश्य उपेक्षित वर्ग के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना था तथा कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु मदद करनी थी।

राज्य नोडल विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा की संवीक्षा में हमने देखा कि प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की प्रतिदिन औसत उपस्थिति वर्ष 2010–11 में 80.10 प्रतिशत से धीरे–धीरे घटकर वर्ष 2014–15 में 75.67 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार माध्यमिक कक्षाओं में प्रतिदिन औसत उपस्थिति वर्ष 2010–11 में 79.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 75.02 प्रतिशत हो गई। विवरण rkfydk &6 में दिया गया है –

rkfydk-6: fo|kfFkZ;ksa dh vkSlr nSfud mifLFkfr esa deh dk fooj.k

l- Ø-	o"kZ	izkFkfed d{kk		mPPk izkFkfed d{kk	
		Ldwy	vkSlr nSfud mifLFkfr ¼izfr'kr½	Ldwy	vkSlr nSfud mifLFkfr ¼izfr'kr½
1	2010-11	85,748	80.10	28,445	79.67
2	2011-12	86,083	78.23	29,106	78.34
3	2012-13	86,142	77.09	29,790	75.87
4	2013-14	86,142	76.47	30,565	75.23
5	2014-15	85,933	75.67	31,104	75.02

(lzksr: jkT; e/;kUg Hkkstu dk;ZØe ifj"kn }kjk iznk; vkadM+s)

o"k 2010&11 l 2014&15 d nkjku ikFkfed d{kkvk e vkl r nfud mifLFkfr 80-10 ifr'kr l ?kVdj 75-67 ifr'kr rFkk ek/;fed d{kkvk e 79-67 ifr'kr l ?kVdj 75-02 ifr'kr gk xb

नमूना जाँच किये गये जिलों द्वारा प्रदाय किये गये आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला कि वार्षिक औसत उपस्थिति में उतार चढ़ाव रहा। जिला धार में वर्ष 2010–11 में औसत उपस्थिति अधिकतम 92 प्रतिशत रही तथा जिला विदिशा में वर्ष 2012–13 में सबसे कम औसत उपस्थिति 60 प्रतिशत थी। विवरण ifjf'k"V&2-8 में दर्शाया गया है।

नमूना जाँच किये गये 300 विद्यालयों की जाँच में हमने पाया कि लेखापरीक्षा निरीक्षण के दिनांक को अधिकतम औसत उपस्थिति 82 प्रतिशत जिला अनूपपुर में तथा न्यूनतम औसत उपस्थिति 33 प्रतिशत जिला ग्वालियर में पाई गई। जिला अनूपपुर को छोड़कर शेष जिलों द्वारा प्रतिवेदित की गई औसत उपस्थिति, निरीक्षण के दिन की औसत उपस्थिति से कम थी। विवरण ifjf'k"V&2-9 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, विद्यार्थियों को स्कूल में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करने का मध्यान्ह भोजन योजना का प्रभाव नहीं देखा गया जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में चाहा गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

2.1.9.4 *iapk;r ,o xzkeh.k fodkl foHkkx rFkk lo f'k{kk vfHk;ku }kjk iLrr fo|ky;k dh l[;k ,o fo|kFk;k d ukekdu d iLrr vkdMk e vrj*

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश (सितम्बर 2012) के अनुसार एम.डी.एम. पोर्टल के लिए स्कूल स्तर के डाटा प्रदाय की जिम्मेदारी स्कूल प्रभारी तथा ब्लाक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्त्रोत समन्वयक को सौंपी गई थी। जिला स्तर पर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा मासिक डाटा एंट्री कार्य का अनुवीक्षण किया जाना था।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा आर.एस.के.[3] द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों की तुलना में हमने वर्ष 2010–15 के दौरान मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत शामिल विद्यालयों की संख्या तथा विद्यार्थियों के नामांकन के आंकड़ों में बहुत भिन्नता पाई गई। अंतर का विवरण rkfydk&7 में दिया गया है :

iapk;r ,o xkeh.k fodkl foHkkx rFkk lo f'k{kk vfHk;ku d e/;kUg Hkkstu lpkfyr fo|ky;k e ukekdu rFkk fo|ky;k dh l[;k d vkdMk e cgr vrj Fkk

rkfydk&7% iapk;r ,o xkeh.k fodkl foHkkx ,o jkT; f'k{kk dUn }kjk iLrr fd;s x;s vkdMk e vrj dk fooj.k

l-Ø-	o"k	fo|ky;k dh l[;k			ukekdu		
		iapk;r ,o xkeh.k fodkl foHkkx	jkT; f'k{kk dUn	vrj	iapk;r ,o xkeh.k fodkl foHkkx	jkT; f'k{kk dUn	vrj
1	2010-11	1,14,193	1,11,747	2,446	1,11,18,960	1,06,59,878	*4,59,082*
2	2011-12	1,15,189	1,13,514	1,675	1,08,02,279	1,03,19,633	*4,82,646*
3	2012-13	1,15,932	1,14,092	1,840	1,02,91,879	99,74,647	*3,17,232*
4	2013-14	1,16,707	1,15,883	824	99,62,326	96,04,061	*3,58,265*
5	2014-15	1,17,037	1,14,231	2,806	92,51,038	86,55,291	5,95,747

(lkr % iapk;r ,o xkeh.k fodkl foHkkx ,o jkT; f'k{kk dUn d }kjk iLrr fd, x, vkdM)

उपरोक्त दर्शित डाटा में अंतर का कारण उपयुक्त अनुवीक्षण एवं दोनों विभागों के मध्य समन्वय के अभाव को दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत विद्यालय तथा विद्यार्थियों के नामांकन की जानकारी जिला पंचायतों

[3] राज्य शिक्षा केन्द्र

द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्रों के प्रभारियों से प्राप्त की जाती है जो कि वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर संकलित की जाती है। सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि भविष्य में आंकडों में कोई भिन्नता न हो।

vu'kalk

विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के मितव्ययी एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने हेतु प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए।

2.1.9.5 [kk|kUu dk vkoaVu

मध्यान्ह भोजन योजना दिशा निर्देश 2006 के पैरा 5.1(3) के अनुसार राज्य सरकार को मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत पूर्व वर्ष के औसत लाभान्वित छात्रों की संख्या के आधार पर जिले वार विस्तृत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार करना था। राज्य स्तर पर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना एवं बजट में खाद्यान्न की आवश्यकता एवं चालू वर्ष के लिए भोजन पकाने की लागत के लिए केन्द्रीय सहायता का संकलन किया जाना चाहिए एवं प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड (पी.ए.वी.) से स्वीकृत कराया जाना था।

राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा प्रदाय डाटा की जाँच में हमने देखा कि अवधि 2010–15 के दौरान आवंटित खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम/म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम से नहीं किया गया था। अवधि 2010–15 के दौरान कुल आवंटित खाद्यान्न 11,75,103 मैट्रिक टन के विरूद्ध मध्यान्ह भोजन योजना के लिए केवल 10,31,267 मैट्रिक टन का उठाव किया गया था। उठाव न किए गए आवंटन की मात्रा कुल आवंटित खाद्यान्न के 5.45 प्रतिशत से 15.94 प्रतिशत के मध्य रही, जिसका विवरण ifjf'k"V&2-10 में दर्शाया गया है। इस प्रकार, खाद्यान्न का आवंटन वास्तविक आवश्यकता पर आधारित नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि खाद्यान्न का आवंटन प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड से अनुमोदित विगत वर्ष की छात्रों की संख्या की औसत उपस्थिति के आधार पर किया गया था, जबकि जिलों द्वारा खाद्यान्न का उठाव वास्तविक उपस्थिति एवं आवश्यकतानुसार किया गया था।

2.1.9.6 [kk|kUu dk cQj LVkWd l/kkfjr u fd;k tkuk

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश (फरवरी 2010) के पैरा 2.6 के अनुसार जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की लागत के विकेन्द्रीकरण हेतु जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक उपभोक्ता इकाई एक माह के अग्रिम खाद्यान्न का बफर स्टॉक सुरक्षित रखेगी जिससे कि आकस्मिक परिस्थितियों में योजना का संचालन प्रभावित न हो।

नमूना जाँच किये गये 10 जिलों के चयनित 300 विद्यालयों के मध्यान्ह भोजन योजना के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने देखा कि विद्यालयों में खाद्यान्न का बफर स्टॉक संधारण किये जाने संबंधी प्रणाली नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि बफर स्टॉक संधारण के निर्देश पूर्व से ही दे दिए गए हैं।

क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा शासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

2.1.9.7 [kk|kUu d ueuk dk lxg u fd;k tkuk rFkk l/kkfjr u djuk

ueuk tkp fd, x, ftyk e Hkkjrh; [kk| fuxe l mBko fd, x, [kk|kUu d ueuk d vfHky[k ftyk Lrj ij l/kkfjr ugh fd, x, Fk

जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की कीमत के विकेन्द्रीकृत भुगतान के दिशा–निर्देशो के पैरा 3 के अनुसार जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जाना था कि खाद्यान्न कम से कम अच्छी औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) का भारतीय खाद्य निगम डिपो से प्राप्त किया जाता है। प्रस्तावित उठाव किये जाने वाले स्टॉक के नमूने (तीन प्रतियों में) भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि की संयुक्त उपस्थिति में लिये जाने थे।

नमूना जाँच किये गये दस जिलों के अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि भारतीय खाद्य निगम से उठाए गए खाद्यान्न के नमूने जिला स्तर पर संधारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, खाद्यान्न की अच्छी औसत गुणवत्ता जिला स्तर पर सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि खाद्यान्न उठाव हेतु स्वीकृत आदेशों में आवश्यक निर्देशों को सम्मिलित कर लिया गया है तथा मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न की अच्छी औसत गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश समय–समय पर जारी किए गए थे।

vu'kalk

खाद्यान्न की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के लिए खाद्यान्नों के नमूने नियमित रूप से एकत्रित किए जाने चाहिए।

2.1.9.8 id gq, Hkkstu d forj.k e 0;o/kku

मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय में उपस्थित होने वाले प्रत्येक बच्चे को समस्त शैक्षणिक कार्य दिवसों में मध्यान्ह भोजन दिया जाएगा। मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा निर्देश 2006 के पैरा 3.3 के अंतर्गत राज्य सरकार को पौष्टिक पका हुआ भोजन की नियमित एवं बाधा रहित निश्चितता के लिए राज्य विशिष्ट मापदण्ड एवं रूपरेखा निर्धारित करना है।

ueuk tkp fd, x, ftyk e leh{kk vof/k d nkjku 7]759 fo|ky; dk;l fnol e e/;kUg Hkkstu e :dkoV gbl

नमूना जाँच किए गए दस जिलों के 300 विद्यालयों द्वारा प्रदाय जानकारी तथा अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि मध्यान्ह भोजन प्रत्येक शैक्षणिक कार्य दिवस में वितरित नहीं किया गया था। मध्यान्ह भोजन वितरण में व्यवधान : 66 विद्यालयों में 1,687 दिन (वर्ष 2010–11), 73 विद्यालयों में 1,751 दिन (वर्ष 2011–12), 74 विद्यालयों में 1,767 दिन (वर्ष 2012–13), 73 विद्यालयों में 1,530 दिन (वर्ष 2013–14), 55 विद्यालयों में 1,024 दिन (वर्ष 2014–15) था। विवरण **ifjf'k"V-2.11** में दिया गया है।

नमूना जाँच किये गये दस जिलों के 300 विद्यालयों के निरीक्षण में हमने पाया कि निरीक्षण के दिन पांच जिलों (भोपाल, राजगढ़, मंदसौर, सीधी तथा विदिशा) के 17 विद्यालयों में स्व–सहायता समूहों द्वारा भोजन न पकाये जाने अथवा शिक्षण दिवसों में विद्यालय के बंद होने के कारण मध्याहन भोजन वितरित नहीं किया गया था। विवरण ifjf'k"V&2-12 में दिया गया है।

जिला भोपाल में जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी.) द्वारा निर्देश जारी किए गए, कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में गत वर्ष के नामांकन के 50 प्रतिशत के आधार पर भोजन वितरित किया जाए, यदि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिक हो तो ब्लॉक स्त्रोत समन्वयक की अनुशंसा पर अधिक उपस्थिति के आधार पर भोजन वितरित किया जाए। हमने देखा कि गैर सरकारी संस्था (एन.जी.ओ.) द्वारा केन्द्रीकृत रसोई व्यवस्था अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरित किया

गया। एन.जी.ओ. द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013–14 में 24 विद्यालयों में भोजन की आवश्यक मात्रा की मांग की पूर्ति नहीं की गई थी। जिसका विवरण ifjf'k"V&2-13 में दिया गया है।

इस प्रकार, कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक शिक्षण दिवस में मध्यान्ह भोजन वितरण की निरंतरता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जाँच की जाएगी तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

vuq'kalk

पके हुए भोजन की नियमित तथा बिना व्यवधान आपूर्ति में सामान्य बाधाओं को दूर करने हेतु राज्य सरकार को विस्तृत दिशा–निर्देश परिचालित करने चाहिए।

2.1.9.9. ekbØksU;fV";ksUVl dh 0;oLFkk ,oa LokLF; ijh{k.k

ueuk tkp fd, x, 187 fo|ky;ksa esa fu;fer LokLF; ijh{k.k ugha g;s rFkk ueuk tkp fd, 192 fo|ky;ksa esa ekbØksU;fV";UVl dk forj.k ugha gqvk

योजना के दिशा निर्देश के पैरा 4.5 के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन के साथ पूरक माईक्रोन्यूट्रियेन्टस तथा डी–वार्मिंग दवायें दिया जाना है (अ) डी–वार्मिंग तथा विटामिन–ए की पूरक छःमाही खुराक, (ब) आयरन तथा फोलिक एसिड पूरक, जिंक की साप्ताहिक खुराक (स) स्थानीय क्षेत्र में पाई जाने वाली सामान्य कमियों की पूर्ति हेतु उपयुक्त अन्य पूरक दवाएं।

नमूना जाँच किए गए 300 विद्यालयों की लेखापरीक्षा में हमने पाया कि 187 विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया था तथा 192 विद्यालयों में माइक्रोन्यूट्रीयेन्टस का वितरण नहीं किया गया। जैसा कि ifjf'k"V&2-14 में वर्णित है।

vuq'kalk

राज्य सरकार बच्चों के पोषण स्तर में सुधार को अभिनिश्चित करने के लिए निर्धारित नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करे एवं इन स्वास्थ्य परीक्षण के परिणामों को लेखबद्ध करे।

2.1.9.10 lqj{kk rFkk LoPNrk ds ekudksa dk ikyu u gksuk

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में आवश्यक है कि सुरक्षा एवं स्वच्छता के मानकों का निर्धारण तथा उनका पालन गम्भीरता से किया जाए। नमूना जाँच किए गए 10 जिलों के विद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण में सुरक्षा तथा सफाई के मानकों के पालन में निम्नलिखित कमियां पाई गईं :

e/;kUg Hkkstu forj.k fd, tkus esa lqj{kk rFkk lQkbZ ekudksa dk ikyu esa dfe;ka Fkh

- मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा निर्देश 2006 के पैरा 4.2 के अनुसार, रसोई सह भण्डार कक्ष मध्यान्ह भोजन योजना का प्रमुख भाग है। रसोई सह भण्डार कक्ष की अनुपलब्धता या अपर्याप्त सुविधाओं के कारण बच्चे फूड पॉइजनिंग तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों के शिकार हो सकते हैं। नमूना जाँच किए गए 108 विद्यालयों में हमने पाया कि भोजन रसोई घरों में नहीं पकाया गया था। 26 विद्यालयों में अध्ययन कक्षों में, 42 विद्यालयों में स्व–सहायता समूहों के अध्यक्षों के घरों में तथा 40 विद्यालयों में अन्य स्थानों पर भोजन पकता हुआ पाया गया।

- मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा निर्देश 2006 के पैरा 4.1 के अनुसार खाद्यान्न नमी वाले क्षेत्र से दूर, एयरटाइट कंटेनर में संग्रहीत किया जाना चाहिए जिससे कि खाद्यान्न कीड़ों से संक्रमित न हो। नमूना जाँच किए गए विद्यालयों में हमने पाया कि 230 विद्यालयों में खाद्यान्न संग्रहण रसोई घरों/विद्यालयों में नहीं किया गया था तथा 177 विद्यालयों में खाद्यान्न उपयुक्त कंटेनरों में संग्रहीत नहीं किया गया। खाद्यान्न बोरियों में संग्रहीत रखा पाया गया। मध्यान्ह भोजन परोसने एवं रखने हेतु 88 विद्यालयों

में पर्याप्त बर्तन नहीं थे। जिला अनूपपुर में खाद्यान्न (चावल) कीड़ों से संक्रमित पाया गया।

ykoki lØfer pkoy ek/;fed fo|ky; [kkMjh] Cykd tSrgkjh] ftyk vuwiiqj] fnukad 7.04.2015

- योजना के दिशा निर्देश (पैरा 4.4 के अनुलग्नक 10) में विद्यालयों में बच्चों को सही गुणवत्ता के भोजन प्रदाय की जॉच हेतु माताओं को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। नमूना जाँच किए गए विद्यालयों में हमने पाया कि 183 विद्यालयों में माताओं का रोस्टर या तो संधारित नहीं था अथवा अपूर्ण था।

- 79 विद्यालयों में भोजन करने से पहले हाथ साफ करने हेतु साबुन/तौलिया जल स्त्रोत के पास उपलब्ध नहीं थे।

- केन्द्रीय रसोई घर भोपाल के निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि विद्युत मशीनों पर पकाई गई रोटियां पूरी तरह से पकी हुई नहीं थी।

xSj ljdkjh laLFkk }kjk v/kidh jksVh dk forj.k] ikFkfed fo|ky;] fot; uxj] Hkksiky 'kgj] fnukad % 12-3-2015

- नमूना जाँच किये गये सात जिलों के 19 विद्यालयों में एल.पी.जी. कनैक्शन होने के बावजूद भोजन लकड़ी के उपयोग से पकाया गया जैसा कि ifjf'k"V&2-15 में वर्णित है। परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर द्वारा बताया गया कि गैस एजेन्सियों के विद्यालयों से दूर स्थित होने के कारण सिलेन्डर भरवाने में परेशानी आती है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि जिलों को सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी विशिष्टताओं का पालन किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

2.1.9.11 jlkbZ ?kjksa dk fuekZ.k

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के दिशानिर्देश 2006 के पैरा 2.3(v) के अनुसार केन्द्र सरकार रसोई सह–भण्डार कक्ष के निर्माण हेतु इस प्रकार चरणबद्ध रुप में सहायता प्रदान करेगी कि रसोई घरों का निर्माण दो से तीन वर्षों में पूर्ण किया जा सके। रसोई सह–भण्डार कक्ष का निर्माण कार्य स्वीकृत आदेश के अनुसार तीन माह के अन्दर पूर्ण किया जाना था।

(i) राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा प्रस्तुत डाटा की संवीक्षा में हमने देखा कि अवधि 2006–07 से 2014–15 में कुल 1,00,751 रसोई घर स्वीकृत किए गए थे उन में से 2014–15 तक कुल 86,680 रसोई घर पूर्ण किए गए तथा 7,662 इकाईयों में किचन शेड कार्य निर्माणाधीन था। 6,409 इकाईयों में कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया (मई 2015)। विवरण ifjf'k"V&2-16 में दर्शाया गया है।

(ii) कई प्रकरणों में ग्राम पंचायतों को रसोई घरों के निर्माण हेतु राशि अग्रिम के रूप में प्रदाय की गई परंतु ग्राम पंचायतों द्वारा न तो निर्माण कार्य किया गया और न ही राशि वापस की गई। हमने चयनित नमूना जाँच किये गये चार जिलों[4] में ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अन्तर्गत राजस्व वसूली (आर.आर.सी.) राशि ₹ 34.35 लाख के 60 प्रकरण पाए।

(iii) भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर तथा उज्जैन नगर पालिक निगम जहां पहले से केन्द्रीकृत किचन व्यवस्था उपलब्ध है के अलावा नौ नगर निगमों[5] में राशि ₹ 6.60 करोड़ केन्द्रीयकृत रसोई घर निर्माण हेतु वर्ष 2011–12 में जारी की गई तथापि केवल दो जिलों (बुरहानपुर एवं खण्डवा) में केन्द्रीकृत रसोई घर जुलाई 2015 तक संचालित किए जा सके थे। अन्य शेष सात जिलों में केन्द्रीकृत रसोई घर पूर्ण नहीं किए गए थे (जुलाई 2015)।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि लेखापरीक्षा की आपत्ति अनुसार आवश्यक अनुपालना की जाएगी।

2.1.9.12 e/;kUg Hkkstu ;kstuk dk vU; fodkl ;kstukvksa ds lkFk vfHkljh.k ugha fd;k tkuk

v|kslajpuk fodkl ds fy, e/;kUg Hkkstu ;kstuk ds lkFk vU; xzkeh.k fodkl ;kstukvksa dk vfHkljh.k ugha fd;k x;k Fkk

मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा–निर्देश 2006 के पैरा 2.5 के अनुसार अधोसंरचनात्मक तत्व जैसे रसोई सह भण्डार, पानी आपूर्ति, किचिन के बर्तन तथा स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्राम के साथ अभिसरण की आवश्यकता है।

राज्य में रसोई सह भण्डार गृह में निर्माण कार्य का अभिसरण अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ नहीं किया गया, 2,927 रसोई सह भण्डार गृह (अर्थात कुल निर्मित रसोई सह भण्डार गृह 98,458 का तीन प्रतिशत) को छोडकर जिनका निर्माण अन्य योजनाओं में अभिसरण के अंतर्गत मार्च 2015 तक की स्थिति में था।

- वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2015–16 के अनुसार राज्य में समीक्षा अवधि के दौरान 1,14,456 विद्यालयों में से मात्र 210 विद्यालयों में रसोई के बर्तन अभिसरण के माध्यम से प्राप्त किए गए थे।
- मध्यान्ह भोजन योजना के साथ स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम एवं माइक्रोन्यूट्रियेंटस के वितरण का अभिसरण नहीं पाया गया।

---

4 अनूपपुर 16 इकाई राशि ₹ 9.11 लाख, ग्वालियर 36 यूनिट राशि ₹ 21.60 लाख, मंदसौर एक यूनिट राशि ₹ 1.54 लाख तथा सीहोर सात यूनिट राशि ₹ 2.10 लाख।

5 बुरहानपुर ₹ 60 लाख, देवास ₹ 90 लाख, कटनी ₹ 60 लाख, खण्डवा ₹ 90 लाख, रतलाम ₹ 60 लाख, रीवा ₹ 120 लाख, सागर ₹ 60 लाख, सतना ₹ 60 लाख एवं सिंगरोली ₹ 60 लाख।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि लेखापरीक्षा की अनुशंसानुसार, अन्य विकास योजनाओं से निधियों की उपलब्धता हेतु अभिसरण के प्रस्ताव लिये जायेंगे। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं माइक्रोन्यूट्रियेन्टस वितरण किये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

vu'kalk

अन्य विकास योजनाओं के साथ मध्यान्ह भोजन योजना के अभिसरण की योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

2.1.10 vuqoh{k.k ,oa fujh{k.k

2.1.10.1 *{kerk fodkl*

jkT; ,oa ftyk Lrj ij VkLd eSustj rFkk DokfyVh ekWuhVj ds in ugha Hkjs x, Fks

राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद ने वर्ष 2006–07 में प्रत्येक जिले में एक टास्क मैनेजर एवं दो क्वालिटी मॉनीटर के पद स्वीकृत किए थे। मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश (अप्रैल 2009) के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी, टास्क मैनेजर एवं क्वालिटी मॉनीटर माह में कम से कम 20 दिवस दौरे पर रहेंगे, जिससे वर्ष में विद्यालयों का न्यूनतम एक निरीक्षण किया जा सके।

राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि राज्य स्तर पर टास्क मैनेजर एवं क्वालिटी मॉनीटर के पदों को भरा नहीं गया था।

हमने यह भी पाया कि छह जिलों (अशोक नगर, झाबुआ, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना तथा श्योपुर) में न तो टास्क मैनेजर एवं न ही क्वालिटी मॉनीटरों के पद भरे थे। नमूना जाँच किए गए चार जिलों (अनूपपुर, मन्दसौर, राजगढ़ एवं सीधी) में हमने पाया कि टास्क मैनेजर के पद भरे नहीं थे। नमूना जाँच किए गए सात जिलों[6]. में क्वालिटी मॉनीटर के पद खाली थे। विवरण **ifjf'k"V – 2.17** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियों की कार्रवाई प्रगति पर है।

vu'kalk

राज्य तथा जिला स्तर पर योजना के उपयुक्त अनुवीक्षण हेतु टॉस्क मैनेजर तथा क्वालिटी मॉनीटर की पदस्थापना की जानी चाहिए।

2.1.10.2 *fn'kkn'khZ ,oa eksfuVfjax desVh dh vi;kZIr la[;k esa cSBdsa*

e/;kUg Hkkstu ;kstuk ds dk;kZUo;u ds i;Zos{k.k gsrq jkT; ,oa ftyk Lrj ij ,l-,e-lh- dh cSBdsa fu/kkZfjr la[;k esa ugha dh x;h Fkh

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के आदेश दिनांक 30 अगस्त 2010 के अनुसार जिला स्तर पर दिशादर्शी एवं अनुश्रवण कमेटी (एस.एम.सी.) की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जानी चाहिए एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक छह माह पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिए जिसमें सामान्य गतिविधियों के अलावा जिले स्तर पर हुई एस.एम.सी. बैठकों की समीक्षा की जानी थी। एस.एम.सी. के द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया जाना आवश्यक था।

राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद एवं चयनित जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की संवीक्षा में हमने पाया कि एस.एम.सी. की बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नही हुईं। पाँच वर्ष की समीक्षा अवधि के दौरान राज्य स्तर पर, एस.एम.सी. की

---

6 अनूपपुर, धार, मन्दसौर, राजगढ़, सीहोर, सीधी एवं विदिशा

निर्धारित 10 बैठकों के विरूद्ध मात्र पांच बार[7] ही बैठकें हुई। जिला स्तर की एस.एम. सी. बैठकों के कार्यवृत विवरण (वर्ष 2011–2012 से 2014–15) राज्य स्तर की एस.एम. सी. बैठकों के परिचर्चा की कार्यसूची में शामिल नहीं किए गए थे। आगे जिला स्तर पर एस.एम.सी. की बैठकें भी निर्धारित आवृति पर नहीं हुई। विवरण ifjf'k"V&2-18 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर एस.एम.सी. की बैठकें योजना के उपयुक्त अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी।

vu|'kalk

राज्य तथा जिला स्तर पर एस.एम.सी. की नियमित बैठकें सुनिश्चित की जाएं ताकि योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जा सके।

2.1.10.3 *e/;kUg Hkkstu ;kstuk dk fujh{k.k*

मध्यान्ह भोजन योजना के दिशानिर्देश की कंडिका 6.2 के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण सुनियोजित कर किया जाना चाहिए। एस.एम.सी. बैठकों के निष्कर्षों का प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं मध्यान्ह भोजन योजना के समर्पित कर्मचारियों द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यालय का कम से कम एक निरीक्षण किया जाना चाहिए।

दस जिलों की नमूना जाँच में हमने पाया कि निरीक्षण संबंधी मापदण्डों का पालन नहीं किया गया था। टॉस्क मैनेजर एवं क्वालिटी मॉनीटरों द्वारा निरीक्षण डायरी एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों का संकलन नहीं किया गया। विवरण ifjf'k"V–**2.19** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि जिलों को मापदण्डों के अनुसार नियमित निरीक्षण करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे।

2.1.10.4 *f'kdk;r fuokj.k r= dh dfe;k*

मध्यान्ह भोजन योजना के दिशानिर्देश की कंडिका 2.8 के अनुलग्नक 11 भाग–ब के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।

विभिन्न समाचार वेबसाइटों पर उपलब्ध प्रतिकूल प्रकाशित प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान छह जिलों में मध्यान्ह भोजन खाने से छह अवसरों पर 236 विद्यार्थी बीमार हुए। इन तथ्यों की पुष्टि किये जाने हेतु एवं राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद (जुलाई 2015) द्वारा इन रिपोर्टों पर की गयी कार्यवाही का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। तथापि, शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय, बालापुरा (ब्लॉक– इच्छावर, जिला–सीहोर) में 15 अगस्त 2014 को मध्यान्ह भोजन खाने के बाद 53 बच्चों के बीमार होने के तथ्यों की पुष्टि जिला पंचायत सीहोर के अभिलेखों से हुई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीहोर द्वारा राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद को प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन (एक्शन टेकन रिपोर्ट) में संबंधित स्व–सहायता समूह तथा रसोईयों को हटाए जाने का उल्लेख किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि जिलों को जिला आकस्मिक प्लान तैयार करने तथा राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद को

---

7 वर्ष 2010-11 की बैठकों के विवरण प्रदाय नहीं किए गए, वर्ष 2011-12- बैठकों की संख्याः एक, वर्ष 2012-13- बैठकों की संख्याः दो, वर्ष 2013-14 – बैठकों की संख्याः एक, वर्ष 2014-15 – बैठकों की संख्याः एक

कार्यवाही प्रतिवेदन (एक्शन टेकन रिपोर्ट) 24 घंटे के अंदर ई–मेल से भेजे जाने के निर्देश दिए गए थे।

2.1.11 fu"d"k ,o vu'kalk,

- नमूना जाँच किए गए दस जिलों में से सात जिलों में राशि ₹ 7.68 करोड़ के व्यपवर्तन के प्रकरण थे। इसमें से 31 मार्च 2015 तक ₹ 4.55 करोड़ मध्यान्ह भोजन योजना निधि हेतु पुनः प्राप्त नहीं किए जा सके थे।

- विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण में संलग्न स्व–सहायता समूहों द्वारा आवश्यक अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे। इस प्रकार खाद्यान्न की उपयोगिता तथा भोजन पकाने की लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

खाद्यान्न की उपयोगिता एवं स्व–सहायता समूहों/शिक्षक पालक संघों द्वारा खाना पकाने की लागत के दावों की उपयुक्तता पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत लाभों के रिसाव को रोका जा सके।

- राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों की पहचान किये जाने हेतु न तो कोई मापदण्ड बनाए गए और न ही उनकी पहचान हेतु सर्वे किया गया। इस प्रकार 6–14 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले योग्य बच्चों को योजना के अंतर्गत नहीं लाया जा सका।

- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत शामिल विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वर्ष 2010–11 में 111.19 लाख से वर्ष 2014–15 में 92.51 लाख की लगातार गिरावट दर्ज की गई तथा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति भी वर्ष 2010–11 में 80.10 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 75.67 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, माध्यमिक कक्षाओं में भी विद्यार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति वर्ष 2010–11 में 79.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 75.02 प्रतिशत रह गई। इस प्रकार योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति को प्रोत्साहित करने का मध्यान्ह भोजन का प्रभाव नहीं देखा गया था।

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रस्तुत किए गए मध्यान्ह भोजन योजना में शामिल विद्यालयों एवं विद्यार्थियों के नामांकन के आंकड़ों में भिन्नता थी, जो उपयुक्त अनुवीक्षण की कमी एवं दोनों विभागों के बीच समन्वय के अभाव को दर्शाता है।

मध्यान्ह भोजन योजना के मितव्ययी एवं प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु मध्यान्ह भोजन अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की वास्तविक संख्या के आंकड़े प्राप्त करने हेतु विश्वसनीय प्रणाली की स्थापना विभाग द्वारा की जानी चाहिये ।

- भारतीय खाद्य निगम/मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से उठाए गए खाद्यान्नों के नमूने जिला स्तर पर संग्रहीत नहीं किए गए थे।

खाद्यान्नों की अच्छी औसत गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के नियमित नमूने संग्रहीत किए जाने चाहिए।

- मध्यान्ह भोजन का वितरण बाधित हुआ। नमूना जाँच किये गये दस जिलों के 300 विद्यालयों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी में हमने देखा कि समीक्षा अवधि के पाँच वर्षों के दौरान मध्यान्ह भोजन 7,759 शैक्षणिक दिवसों में 1,024 दिन से लेकर 1,767 दिनों तक वितरित नहीं किया गया।

पके हुए भोजन की नियमित तथा बिना रूकावट आपूर्ति में व्यवधानों को हटाने हेतु राज्य सरकार को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करने चाहिए।

- नमूना जाँच किए गए 300 विद्यालयों में से, 187 विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किए गए थे तथा 192 विद्यालयों में माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स का वितरण नहीं हुआ था।

राज्य सरकार बच्चों के पोषण स्तर में सुधार को अभिनिश्चित करने के लिए निर्धारित नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करे एवं इन स्वास्थ्य परीक्षण के परिणामों को लेखबद्ध करे।

- नमूना जाँच किये गये विद्यालयों में सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के पालन में कमियां थी। लेखापरीक्षा में जाँच किए गए विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे रसोई घर, उपयुक्त बर्तनों आदि की कमी थी।

- रसोई सह भण्डार कक्ष निर्माण हेतु मध्यान्ह भोजन योजना का अन्य विकास योजनाओं के साथ अभिसरण नहीं किया गया। इसी प्रकार रसोई में उपयोग होने वाले बर्तनों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के साथ तथा स्वास्थ्य परीक्षण तथा माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स वितरण कार्य स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण से नहीं किया गया।

अन्य विकास योजनाओं के साथ मध्यान्ह भोजन योजना के अभिसरण किए जाने की आवश्यकता है।

- राज्य एवं जिला स्तर पर टास्क मैनेजर एवं क्वालिटी मॉनीटर के कई पद रिक्त थे।

राज्य तथा जिला स्तर पर योजना के उपयुक्त अनुवीक्षण हेतु टॉस्क मैनेजर तथा क्वालिटी मॉनीटर की पदस्थापना की जानी चाहिए।

- योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठकें नहीं हुईं।

राज्य एवं जिला स्तर पर दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की नियमित बैठकें की जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे कि योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जा सके।

ykd LokLF; ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx

2-2 ,p-vkbZ-oh-@,M~l izfrjks/k dk;ZØe dk fØ;kUo;u

dk;Zikyu lkjka'k

ह्यूमन इम्यूनो–डेफिसिएंसी वायरस (एच.आई.वी.) तथा एक्वायर्ड इम्यूनो–डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) के प्रतिरोध हेतु भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के पहले चरण का शुभारंभ 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) का गठन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किया गया था। नाको द्वारा बाद के चरणों में वर्ष 1999–2006 के दौरान एन.ए.सी.पी.–द्वितीय तथा वर्ष 2007–12 के दौरान एन.ए.सी.पी.–तृतीय का क्रियान्वयन किया गया। वर्तमान चरण एन.ए.सी.पी.–चतुर्थ को वर्ष 2012–2017 के दौरान लागू किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति (म.प्र.रा.ए.नि.स.) को वर्ष 1998 में पंजीकृत किया गया था। म.प्र.रा.ए.नि.स. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (लो.स्वा.प.क.वि.) की अध्यक्षता में गठित एक पंजीकृत समिति है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में राज्य में एच.आई.वी./एड्स प्रतिरोध कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गयाः

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध ₹ 141.78 करोड़ के विरुद्ध ₹ 128.10 करोड़ व्यय किया गया। हमने पाया कि वर्ष 2010–15 के अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना अंतर्गत कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध निधियों में से 30 से 63 प्रतिशत तक का उपयोग म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा नहीं किया गया था।

(dafMdk 2.2.5 rFkk 2.2.6)

- एन.ए.सी.पी.–चतुर्थ चरण का मुख्य उद्देश्य नए एच.आई.वी. संक्रमण को 50 प्रतिशत (एन.ए.सी.पी.–तृतीय के अंतर्गत आधारभूत वर्ष 2007) तक कम करना था। तथापि हमने पाया कि नए एच.आई.वी. संक्रमण के प्रकरणों में वृद्धि हुई। वर्ष 2011–12 की अवधि में नए एच.आई.वी. संक्रमण के प्रकरण 4,972 थे, वहीं वर्ष 2014–15 में 5,348 नए प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे।

(dafMdk 2.2.7)

- राज्य में 17 एंटी रेट्रोवायरल थेरैपी (ए.आर.टी.) केंद्र तथा 37 लिंक ए.आर.टी. केंद्र थे। राज्य में कुल 38,268 प्रतिवेदित वयस्क एच.आई.वी. मरीजों में से ए.आर.टी. पर 30,484 मरीज ही पंजीकृत हुए थे। इसके विरुद्ध 20,668 मरीजों की ए.आर.टी. शुरु की गई थी उनमें से 13,213 मरीज ही सतत रूप से उपचार जारी रखे थे।

(dafMdk 2.2.7)

- मानचित्र आंकड़े 2008 के अनुसार राज्य में 48,785 उच्च जोखिम तथा 1,25,834 प्रवासी आबादी निवासरत थी। वर्ष 2010–15 के दौरान उच्च जोखिम समूह (एच.आर.जी.) के लिए 204 लक्ष्यगत हस्तक्षेप (टी.आई.) परियोजना तथा सेतु आबादी के लिए 32 टी.आई. परियोजनाएं क्रियान्वित की गई थी। जिसमें से 79 टी.आई. परियोजनाएं असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा बंद कर दी गई थीं। आगे वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान टी.आई. परियोजनाओं के माध्यम से एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी के कवरेज के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे।

(dafMdk 2.2.8)

- यौन संचारित संक्रमण (एस.टी.आई.) तथा प्रजनन पथ संक्रमण (आर.टी.आई.) एच.आई.वी. संक्रमण को प्राप्त करने तथा संचरण करने की संभावना को कई गुणा बढ़ाते हैं। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान एस.टी.आई./आर.टी.आई. लक्षण के व्यक्तियों को कवर करने के लक्ष्य 10.74 लाख के विरुद्ध 9.90 लाख की उपलब्धि थी। 12 चयनित जिले के एस.टी.आई. क्लीनिकों में औषधियों, मानव संसाधन तथा भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी पाई गई थी।

(dfMdk 2.2.10)

- रक्त सुरक्षा कार्यक्रम की सफलता पूरी तरह रक्त संग्रहण इकाई (बी.एस.यू.) की स्थापना पर निर्भर है तथा इसलिए एन.ए.सी.पी.–तृतीय में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी.एच.सी.) पर बी.एस.यू. की स्थापना करना प्रस्तावित था। हमने पाया कि 12 नमूना परीक्षित जिलों के 75 में से 62 सी.एच.सी. में बी.एस.यू. स्थापित नहीं थे। इसके अतिरिक्त इन जिलों के 13 रक्त बैंक बिना वैध नवीनीकरण लाईसेंस के संचालित थे।

(dfMdk 2.2.11)

- वर्ष 2010–15 के दौरान एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्रों (आई.सी.टी.सी.) पर संवेदनशील जनसंख्या तथा गर्भवती महिलाओं के परामर्श/एच.आई.वी. परीक्षण के निर्धारित लक्ष्य 39.30 लाख के विरुद्ध 36.71 लाख की उपलब्धि प्राप्त की गई। हमने पाया कि 12 नमूना परीक्षित जिले के आई.सी.टी.सी. में परीक्षण किट, भौतिक अधोसंरचना तथा मानव संसाधन की कमी थी।

(dfMdk 2.2.13)

- माता–पिता से बच्चों में संचरण को रोकने (पी.पी.टी.सी.टी.) के कार्यक्रम के अंतर्गत माता से बच्चों में संचरण को समाप्त करने के लिए सभी अनुमानित एच.आई.वी. पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं को कवर करना था। हमने पाया कि वर्ष 2010–15 के दौरान एच.आई.वी. पॉजिटिव माताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई थी। आगे पॉजिटिव माताओं से जन्मे बच्चों का एच.आई.वी. परीक्षण निर्धारित दिशानिर्देश के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(dfMdk 2.2.14)

- राज्य में एन.ए.सी.पी.–तृतीय (2007–12) में कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कुल ₹ 8.53 करोड़ व्यय किया गया था। तथापि राज्य के द्वारा कार्यक्रम के मध्यावधि एवं समाप्ति पर मूल्यांकन नहीं कराया गया था। म.प्र.रा.ए.नि.स. के पास नाको द्वारा एन.ए.सी.पी.–तृतीय के मध्यावधि/अंतिमावधि मूल्यांकन कराए जाने की जानकारी नहीं थी।

(dfMdk 2.2.18)

2.2.1 iLrkouk

हयूमन इम्यूनो–डेफिसिएंसी वायरस (एच.आई.वी) तथा एक्वायर्ड इम्यूनो–डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के पहले चरण का शुभारंभ 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) का गठन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किया गया था। नाको द्वारा बाद के चरणों में वर्ष 1999–2006 के दौरान एन.ए.सी.पी.–द्वितीय तथा वर्ष 2007–12 के दौरान एन.ए.सी.पी.–तृतीय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया। वर्तमान चरण एन.ए.सी.पी.–चतुर्थ को वर्ष 2012–2017 के दौरान क्रियान्वित किया जाना है तथा इसका उद्देश्य नए संक्रमण को 50 प्रतिशत तक कम करना एवं एच.आई.वी. के साथ जीवित रहने वाले लोगों (पी.एल.एच.आई.वी.) को समुचित देखभाल व सहायता तथा उन सभी लोगों को जिनको आवश्यकता है को उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एच.आई.वी. आकलन 2012 के

अनुसार वयस्कों (15 से 49 आयु समूह) में एच.आई.वी. की व्याप्तता में सतत गिरावट देखी गई थी, जो राष्ट्रीय स्तर में वर्ष 2007 के 0.33 प्रतिशत के अनुमानित स्तर की तुलना से वर्ष 2011 में 0.27 प्रतिशत रही।

मध्य प्रदेश में एच.आई.वी. की व्याप्तता में वर्ष 2007 में 0.11 प्रतिशत से वर्ष 2011 में 0.09 प्रतिशत की गिरावट आई। एच.आई.वी. आकलन 2012 के अनुसार राज्य में पी.एल.एच.आई.वी./एड्स की अनुमानित संख्या 0.40 लाख थी। महामारी विज्ञान एवं संवेदनशीलता के मानदंड के अनुसार मध्य प्रदेश को उच्च संवेदनशील राज्य की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। राज्य के 51 जिलों में से, 5 जिलों को 'ए' श्रेणी (उच्च व्याप्तता), 3 जिलों को 'बी' श्रेणी (महामारी केंद्रित), 24 जिलों को 'सी' श्रेणी (बढ़ती संवेदनशील जनसंख्या के साथ कम व्याप्तता) तथा 19 जिलों को 'डी' श्रेणी (कम/अज्ञात संवेदनशीलता तथा कम व्याप्तता) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

2.2.1.1 *lLFkkxr 0;oLFkk*

मध्य प्रदेश में कार्यक्रम को लागू करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति (म.प्र.रा.ए.नि.स.) को वर्ष 1998 में पंजीकृत किया गया था। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (लो.स्वा.प.क.वि.) की अध्यक्षता में म.प्र.रा.ए.नि.स. एक पंजीकृत समिति है। म.प्र.रा.ए.नि.स. के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए राज्य स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। जिसके सचिव, म.प्र.रा.ए.नि.स. के परियोजना निदेशक हैं। जिला स्तर पर 'ए' एवं 'बी' श्रेणी के जिलों में जिला एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण इकाई (डी.ए.पी.सी.यू.) तथा 'सी' एवं 'डी' श्रेणी के जिलों में जिला एड्स नियंत्रण समिति (डी.ए.सी.एस.), जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे।

जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पी.एल.एच.आई.वी./एड्स के रोगियों को एंटी रेट्रो–वायरल (ए.आर.वी.) ड्रग्स तथा अवसरवादी संक्रमण ड्रग्स प्रदान करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.) केंद्र स्थापित किए गए थे। लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं (टी.आई.) का क्रियान्वयन गैर शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से उच्च जोखिम समूह (महिला यौन कर्मी, समलैंगिक पुरुषों, सुई से नशा करने वाले) तथा सेतु आबादी (ट्रक ड्राइवर तथा प्रवासी) को शामिल करने के लिए किया गया था। एस.टी.आई./आर.टी.आई. (यौन संचारित संक्रमण/प्रजनन पथ के संक्रमण) क्लीनिक शासकीय अस्पतालों/लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं में यौन संचारित संक्रमण की जाँच सुविधा तथा उपचार के लिए स्थापित किए गए थे। एकीकृत परामर्श व परीक्षण केंद्र (आई.सी.टी.सी.) शासकीय अस्पतालों में संदिग्ध एच.आई.वी. रोगियों को परामर्श व जाँच उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिकों, ए.आर.टी. केंद्रों तथा आई.सी.टी.सी. के लिए भवन व बुनियादी संरचनाएं प्रदान की गई थी। इन केंद्रों के लिए उपभोज्य सामग्री एवं जाँच किट नाको द्वारा म.प्र.रा.ए.नि.स. के माध्यम से प्रदाय किए जाते थे। इसके अतिरिक्त, इन केंद्रों के लिए दवाई एवं मानव शक्ति आंशिक रूप से म.प्र.रा.ए.नि.स. तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रदाय की गई थी।

2-2-2 ys[kkijh{kk ds mn~ns';

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- निधि पर्याप्त रूप से एवं समय पर आवंटित एवं जारी की गई थी तथा एन.ए.सी.पी. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम वित्त का कुशलता पूर्वक प्रबंधन किया गया था;

- कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किया गया तथा लक्ष्य प्राप्त किए गए थे; तथा
- प्रस्तावित क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए समुचित संस्थागत प्रबंध किए गए थे।

2-2-3 y[kkijh{kk ekunM

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत निम्नलिखित थे:

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा जारी वित्तीय नियम एवं वित्तीय प्रबंधन दिशानिर्देश;
- नाको द्वारा जारी योजना दिशानिर्देश, परिपत्र तथा निर्देश;
- अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन इत्यादि; तथा
- योजनाओं के अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए नाको द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा निर्धारित प्रक्रियाएं।

2-2-4 y[kkijh{kk lekos'ku dk dk;{k= rFkk dk;fof/k

निष्पादन लेखापरीक्षा में पांच वर्ष की अवधि वर्ष 2010–11 से 2014–15 को शामिल किया गया था। 25 प्रतिशत जिलों अर्थात 12 जिलों (प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम 2 जिलों) का चयन सामान्य यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन विधि से किया गया था। परियोजना निदेशक (पी.डी.), मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के कार्यालय, 12 चयनित जिलों[1] के चार डी.ए.पी.सी.यू., आठ डी.ए.सी.एस., 31 आई.सी.टी.सी., पांच ए.आर.टी. केंद्र, सात लिंक ए.आर.टी. केंद्र, 19 एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिक, 13 रक्त बैंक तथा 23 लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं के कार्यालयों को शामिल किया गया था जैसा कि **ifjf'k"V-2.20** में वर्णित है।

परियोजना निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के साथ मार्च 2015 में प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं क्रियाविधि पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ सितम्बर 2015 में निर्गम सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें उनके उत्तरों/विचारों को समीक्षा में समुचित रूप से शामिल किया गया है।

2-2-5 ifj;kstuk foÙkh; izca/ku dk fØ;kUo;u

यह कार्यक्रम पूरी तरह से केंद्र प्रवर्तित योजना है तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा वर्ष 2010–11 से 2013–14 की अवधि में अनुदान सीधे म.प्र.रा.ए.नि.स. को तथा वर्ष 2014–15 में राज्य कोषालय पद्धति से जारी किया गया था। म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा इन निधियों को डी.ए.पी.सी.यू, डी.ए.सी.एस तथा लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं हेतु गैर शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को जारी किया गया था।

कार्यक्रम के वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध ₹ 141.78 करोड़ के विरुद्ध ₹ 128.10 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान जारी अनुदान तथा किए गए व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:

---

[1] बालाघाट तथा हरदा (ए श्रेणी), भोपाल तथा इंदौर (बी श्रेणी), बड़वानी, खंडवा, खरगौन तथा सिहोर (सी श्रेणी) तथा अशोकनगर, डिंडोरी, झाबुआ तथा रायसेन (डी श्रेणी)।

rkfydk&1½ jkT; esa miyC/k fuf/k ,oa fd, x, O;;

(₹ djksM+ esa)

o"kZ	ukdks }kjk vuqeksfnr dk;Z ;kstuk	iwjf.Hkd 'ks"k	ukdks ls o"kZ dk nkSjku izkIr vuqnku	cSad C;kt	dqy miyC/k fuf/k	o"kZ dk nkSjku O;;	vfre 'ks"k	cpr ¼izfr'kr½
2010-11	36.80	15.26	29.64	0.48	45.38	19.29	26.09	57
2011-12	38.20	26.09	24.21	0.72	51.02	25.78	25.24	49
2012-13	34.12	25.24	17.28	0.77	43.29	18.66	24.63	57
2013-14	47.34	24.63	9.06	0.52	34.21	32.46	1.75	5
2014-15	55.61	1.75	43.62	0.22	45.59	31.91	13.68	30
;ksx	**212.07**		**123.81**	**2.71**	**141.78**[2]	**128.10**		

¼lzksr½ e-iz-jk-,-fu-l-)

jkT; Lrj ij o"kZ 2010&15 ds nkSjku fuf/k;ksa dk iz;ksx 57 izfr'kr rFkk ftyk Lrj ij rhu ls 76 izfr'kr rd de mi;ksx fd;k x;kA

उपर्युक्त rkfydk&1 से स्पष्ट है कि निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया तथा पांच से 57 प्रतिशत निधियां राज्य स्तर पर उपयोग नहीं की जा सकी। नमूना जाँच किए गए 12 जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि वर्ष 2010–15 की अवधि में जिले स्तर पर म.प्र.रा.ए.नि.स. से निधि प्राप्ति में देरी, विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन न होने तथा पदों के विरुद्ध रिक्तियों के कारण तीन से 76 प्रतिशत तक निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। क्षेत्रीय इकाईयों को निधियां जारी करने में विलंब तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा म.प्र.रा.ए.नि.स. को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब के कारण संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में 11 से 62 प्रतिशत तक निधियों का उपयोग किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में नाको ने माह सितम्बर 2014 में ₹ 13.62 करोड़ की द्वितीय एवं अंतिम किस्त जारी की, परंतु यह किस्त राज्य सरकार द्वारा म.प्र.रा.ए.नि.स. को जारी नहीं की गई तथा 31 मार्च 2015 को व्यक्तिगत खाते में अवरुद्ध रही। इस प्रकार इस किस्त का उपयोग म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि नाको द्वारा निधि जारी करने में विलंब तथा जिला इकाईयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब, निधियों के कम उपयोग के साथ ही साथ वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के आधिक्य के मुख्य कारण थे।

2.2.5.1 *ctV dk fu#i.k ,oa okf"kZd dk;Z ;kstuk dh rS;kjh*

ctV ,oa okf"kZd dk;Z ;kstuk cukus esa ckWVe&vi ,izksp dk 'kkfey ugha fd;k FkkA

नाको के वित्तीय प्रबंधन के लिए परिचालित दिशानिर्देश के पैरा 5.1 के अनुसार निचले स्तर की इकाईयों से प्राप्त सूचनाएं राज्य एड्स नियंत्रण समिति के स्तर पर बजट की तैयारी तथा गतिविधियों के नियोजन के संबंध में बॉटम–अप एप्रोच को शामिल किया जाना चाहिए था। गतिविधियों की योजना की तैयारी विभिन्न क्रियान्वयन इकाईयों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए थी। इस संबंध में एक बजट परिपत्र सभी क्रियान्वयन इकाईयों को देना चाहिए था जिससे कि वे समय से अपनी आवश्यकताओं के बारे में अवगत करा सकें।

---

2 वर्ष 2010–11 का प्रारंभिक शेष (₹ 15.26 करोड़) + कुल प्राप्त अनुदान (₹ 123.81 करोड़) + बैंक ब्याज (₹ 2.71 करोड़)

तथापि, यह देखा गया कि म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा बजट का निरुपण तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करने से पहले न तो क्रियान्वयन इकाईयों को बजट परिपत्र जारी किए गए न ही इन इकाईयों से कोई सूचना प्राप्त की गई। अतः बॉटम–अप एप्रोच को राज्य एवं जिला स्तर पर योजनाओं के तैयार करने में अंगीकार नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों, जिलों से प्राप्त प्रतिपुष्टि को वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में भी उपयोग किया गया था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि नमूना जाँच किए गए डी.ए.पी.सी.यू. तथा डी.ए.सी.एस द्वारा बताया गया कि बजट तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा कोई सूचना नहीं ली गई थी।

vuq'kalk

वित्तीय संसाधानों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा नियोजन प्रक्रिया में बॉटम–अप एप्रोच अपनाई जाए।

2-2-6 dk;Øe fØ;kUo;u

रोकथाम एन.ए.सी.पी. कार्यनीति का मुख्य आधार था। कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च जोखिम समूह, अति संवेदनशील/सेतु आबादी एवं सामान्य समुदाय के वृहद संख्या के नवयुवक व नवयुवतियां जो कि देश की कुल जनसंख्या की 40 प्रतिशत हैं को संतृप्त करते हुए ध्यान केंद्रित करना था। तद्नुसार, उच्च जोखिम समूह तथा सेतु आबादी को शामिल करने के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप (टी.आई.) साइट्स की स्थापना, एस.टी.आई./आर.टी.आई. नियंत्रण एवं रोकथाम सेवाएं, सुरक्षित रक्त आधान सेवा, कंडोम प्रचार, एच.आई.वी. परामर्श एवं जाँच तथा पी.एल.एच.आई.वी. लोगों के लिए देखभाल, सहायता एवं उपचार सुविधाएं कार्यक्रम के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य आधार बिंदु थे।
वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान प्रमुख क्रियाकलापों के संबंध में घटकवार निधियों का आवंटन एवं व्यय rkfydk&2 में दर्शित है–

rkfydk&2: ?kVdokj fuf/k;ka dk vkoaVu ,oa O;;

(₹ djksM+ esa)

l- Ø-	?kVd@mi ?kVd	vkoaVu	O;;	cpr	cpr dk izfr'kr
1.	देखभाल, सहायता एवं उपचार (सी.एस.टी.)	15.78	10.04	5.74	36%
2.	लक्ष्यगत हस्तक्षेप (टी.आई.)	69.44	38.73	30.71	44%
3.	लिंक कार्यकर्ता योजना (एल.डब्ल्यू.एस.)	14.94	8.14	6.80	46%
4.	यौन संचरित संक्रमण (एस.टी.आई.)	6.58	4.21	2.37	36%
5.	रक्त सुरक्षा	19.54	13.67	5.87	30%
6.	एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्र (आई.सी.टी.सी.)	34.45	22.38	12.07	35%
7.	सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.)	31.06	15.80	15.26	49%
8.	प्रहरी निगरानी/ सामरिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एस.एम.आई.एस.)	2.41	0.88	1.53	63%
	;ksx	**194.20**	**113.85**	**80.35**	**41%**

¼lzksr½ e-iz-jk-,-fu-l-)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा वर्ष 2010–15 के दौरान कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु 30 से 63 प्रतिशत उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। यह कार्यक्रम के अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कमजोर वित्तीय प्रबंधन का संकेत था, जिसपर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.2.6.1 ,p-vkbZ-oh- izgjh fuxjkuh ¼,p-,l-,l-½

जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच भौगोलिक दृष्टि से महामारी के फैलाव के जटिल आंकड़ों को उपलब्ध कराने तथा उचित रणनीति की योजना बनाने के लिए सभी जिलों में एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी केंद्र की स्थापना कर प्रहरी निगरानी की जानी थी। एच. आई.वी. संक्रमण की व्याप्तता को देखने के लिए वर्ष में एक बार प्रहरी निगरानी की जानी थी। प्रहरी निगरानी की प्रकृति तथा साइट्स, एस.टी.डी. प्रहरी समूह के लिए एस.टी.डी. क्लीनिक, उच्च जोखिम समूह तथा सेतु जनसंख्या के लिए गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित टी.आई. साइट्स एवं गर्भवती महिला प्रहरी समूह के लिए प्रसव पूर्व क्लीनिक थे।

जैसा कि म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2010–15 के दौरान एच.आई. वी. प्रहरी निगरानी के तीन चरण आयोजित किए गए, जिसका rkfydk&3 में वर्णन है।

rkfydk&3% o"kZ 2010&11 ls 2014&15 ds nkSjku ,p-vkbZ-oh- izgjh fuxjkuh dh fLFkfr

o"kZ	,p-vkbZ-oh- izgjh fuxjkuh lewg dh izd`fr	dqy ftyksa dh la[;k	'kkfey fd, ftyksa dh la[;k	dqy ,p-vkbZ-oh- izgjh fuxjkuh lewg lkbV~l dh la[;k	uewuk ,d= djus ds fy, dqy y{;	okLrfod ,df=r uewuk	dqy ik, x, ,p-vkbZ- oh ikWftfVo
2010-11	ए.एन.सी., एस.टी.डी., एच.आर.जी.	50	45	56	19,550	18,924	177
2011-12	कोई निगरानी नहीं						
2012-13	ए.एन.सी.	50	47	47	18,800	18,771	26
2013-14	कोई निगरानी नहीं						
2014-15	ए.एन.सी.	51	49	49	19,600	अक्टूबर 2015 तक निगरानी प्रक्रियाधीन थी	

¼lzksr% e-iz-jk-,-fu-l-)

v/kks lajpuk vuqiyC/krk ds dkj.k jkT; dh lHkh ftyksa dks ,p-vkbZ-oh- izgjh fuxjkuh esa 'kkfey ugha fd;k x;k Fkk

- एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी के तहत वर्ष 2010–11 के दौरान पांच जिले (अलीराजपुर, डिंडोरी, झाबुआ, सिंगरौली तथा उमरिया), वर्ष 2012–13 के दौरान तीन जिले (झाबुआ, सिंगरौली तथा उमरिया) तथा वर्ष 2014–15 के दौरान दो जिलों (आगर मालवा तथा उमरिया) को कर्मचारियों तथा निर्धारित साइज नमूना एकत्रित करने के लिए अधोसंरचना की अनुपलब्धता के कारण शामिल नहीं किया गया था।

- वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2012–13 में एच.आई.वी. पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या कम थी। तथापि, यह एस.टी.डी. और एच.आर.जी. प्रहरी समूह को शामिल न करने के कारण थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि नीति के अनुसार म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी आयोजित करने में नाको की दिशानिर्देश एवं निर्देशनों का पालन किया गया था।

2-2-7 ns[kHkky] lgk;rk rFkk mipkj ¼lh-,l-Vh-½

,-vkj-Vh- dsUnzksa ij lHkh ih-,y-,p-vkbZ-oh- iathd`r ugha Fks

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के देखभाल, सहायता तथा उपचार घटक (सी.एस.टी.) का मुख्य उद्देश्य पी.एल.एच.आई.वी. को मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.), मनोवैज्ञानिक सहयोग, अवसरवादी संक्रमण (ओ.आई.) सहित क्षय रोग की रोकथाम व उपचार तथा गृह आधारित देखभाल की सुविधा प्रदान करना एवं उसके प्रभावों को कम कर व्यापक सेवाएं प्रदान करना था। सी.एस.टी. सुविधा ए.आर.टी. केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ए.आर.टी. केंद्रों की स्थापना जिले/क्षेत्रों में एच.आई.वी. की व्यापकता, खोजे गए पी.एल.एच.आई.वी. की संख्या तथा संस्थाओं द्वारा ए.आर.टी. संबंधित सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता के आधार पर की गई थी। लिंक ए.आर.टी. केंद्र मुख्यतः जिले/उप जिले स्तर के अस्पतालों में आई.सी.टी.सी. में स्थापित थे तथा जो कि सुलभ दूरी पर स्थित नोडल ए.आर.टी. केंद्र से जुड़े थे। राज्य में 17 ए.आर.टी. तथा 37 लिंक ए.आर.टी. थे।

एन.ए.सी.पी.–तृतीय के अंतर्गत यह देखा गया कि 5900 पी.एल.एच.आई.वी. को ए.आर.टी. प्रदान करने के लिए लक्ष्य के विरुद्ध 7147 पी.एल.एच.आई.वी. को ए.आर.टी. प्रदाय की गई थी। एन.ए.सी.पी.–चतुर्थ का मुख्य उद्देश्य नए एच.आई.वी. संक्रमण को 50 प्रतिशत तक कम करना था (एन.ए.सी.पी.–तृतीय 2007 बेसलाइन)। तथापि, म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से हमने पाया कि नए एच.आई.वी. संक्रमण के प्रकरणों में वृद्धि हुई। वर्ष 2011–12 के दौरान नए एच.आई.वी. प्रकरण 4,972 थे जबकि वर्ष 2012–13 के दौरान 5,186 वर्ष 2013–14 के दौरान 5,040 तथा वर्ष 2014–15 में 5,348 नए प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे।

2-2-7-1 ,-vkj-Vh- dsUnzksa ij iathd`r jksfx;ksa dh fLFkfr

ए.आर.टी. केंद्रों पर पंजीकरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि तथा पंजीकृत रोगियों की स्थिति निम्नानुसार थी:

Rkkfydk&4% ,-vkj-Vh- ij iathd`r rFkk ,-vkj-Vh- ij thfor jksfx;ksa dh fLFkfr

o"kZ	,-vkj-Vh- ij iathdj.k dk y{; ¼lap;h½	o;Ld ,p-vkbZ-oh- jksfx;ksa dh fLFkfr			cky ,p-vkbZ-oh- jksfx;ksa dh la[;k		
		,-vkj-Vh- esa iathd`r jksfx;ksa dh la[;k ¼lap;h½	,sls jksfx;ksa dh la[;k ftudh ,-vkj-Vh- ikjEHk dj nh xbZ Fkh ¼lap;h½	,-vkj-Vh- ij thfor jksfx;ksa dh la[;k ¼lap;h½	,-vkj-Vh- esa iathd`r jksfx;ksa dh la[;k ¼lap;h½	,sls jksfx;ksa dh la[;k ftudh ,-vkj-Vh- ikjEHk dj nh xbZ Fkh ¼lap;h½	,-vkj-Vh- ij thfor jksfx;ksa dh la[;k ¼lap;h½
2010-11	14,000	15,174	9,236	5,021	1,139	542	317
2011-12	17,000	20,301	12,652	7,147	1,495	720	465
2012-13	23,000	25,043	16,103	9,018	1,849	918	606
2013-14	30,000	25,803	16,767	11,175	1,855	970	717
2014-15	32,000	30,484	20,668	13,213	2,032	1,159	840

(lzksr% e-iz-jk-,-fu-l-)

लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नानुसार पाया गया–

- ए.आर.टी. केंद्रों पर पी.एल.एच.आई.वी. के पंजीकरण के लिए संचयी लक्ष्य केवल 32,000 थे, जबकि मार्च 2015 तक आई.सी.टी.सी. द्वारा 38,268 वयस्क एच.आई.वी. तथा 2,794 बाल एच.आई.वी. के प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे। म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा बताया गया कि आई.सी.टी.सी. पर कुछ रोगियों द्वारा दो या तीन बार जाँच कराई गई, अतः प्रतिवेदित प्रकरण की संख्या अधिक थी लेकिन वास्तविक व्यक्तियों की संख्या कम थी। इस प्रकार एक से अधिक बार एक ही पी.एल.एच.आई.वी. के पंजीकरण को रोकने के लिए किसी तंत्र का अभाव था, जिसके फलस्वरूप आई.सी.टी.सी. द्वारा पी.एल.एच.आई.वी. के बढ़े हुए आंकड़े प्रतिवेदित किए।

- कुल 20,668 वयस्क रोगियों जिनकी ए.आर.टी. शुरु की गई थी, उनमें से केवल 13,213 (64 प्रतिशत) रोगी ही ए.आर.टी. पर जीवित (ए.आर.टी. पर सक्रिय रूप से संपर्क में थे) थे। इसी प्रकार बाल एच.आई.वी. रोगियों के प्रकरण में कुल 1,159 रोगी जिनकी ए.आर.टी. शुरु की गई थी, के विरुद्ध केवल 840 (72 प्रतिशत) रोगी ए.आर.टी. पर जीवित थे। अतः एआरटी केंद्रों से दूर हो गए रोगियों के अनुवर्तन के कार्य में कमी थी।

- औषधि अवलंबन (ड्रग एडहेरेंस) ए.आर.टी. कार्यक्रम के साथ–साथ एच.आई.वी. औषधि प्रतिरोध रोकथाम के लिए सफलता की कुंजी थी। दिशानिर्देश के अनुसार रोगियों की औषधि अवलंबन दर 95 प्रतिशत और उससे अधिक बनाए रखनी थी। वर्ष 2010–15 के दौरान राज्य स्तर पर औषधि अवलंबन दर 88 से 96 प्रतिशत तथा जिले स्तर पर (12 चयनित जिलों में) 70 से 99 प्रतिशत थी। बाल रोगियों के लिए औषधि अवलंबन दर के पृथक से आंकड़े संधारित नहीं किए गए थे।

- ए.आर.टी. सेवाओं के दिशानिर्देश के अनुसार ए.आर.टी. में पंजीकृत प्रत्येक पी.एल.एच.आई.वी. को छह महीने के नियमित अंतराल पर क्लस्टर ऑफ डिफरेंसिएशन–4 (सी.डी.–4) परीक्षण से गुजरना निर्धारित था। 12 चयनित जिले के पांच ए.आर.टी. तथा सात लिंक ए.आर.टी. केंद्रों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि आवश्यक 42,500 के विरुद्ध 37,076 सी.डी.–4 परीक्षण किए गए ¼ifjf'k"V&2-21½। आगे, 12 चयनित जिलों के सात लिंक ए.आर.टी. द्वारा कुल भेजे गए 466 रोगियों में से केवल 322 रोगी ही मुख्य ए.आर.टी. पर सी.डी.–4 जाँच तथा औषधि रेजीमन प्राप्त करने के लिए पहुंचे थे। इस प्रकार मुख्य ए.आर.टी. एवं लिंक ए.आर.टी. के बीच समन्वय का अभाव था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि ए.आर.वी. शुरु करने से पूर्व औषधि परामर्श रोगियों को प्रदान किया गया था, तथापि कुछ लोग स्वयं के विश्वास, वित्तीय स्थिति, ए.आर.टी. से दूरी के कारण उपचार जारी नहीं रख सके। चले गए रोगियों की सूची पी.एल.एच.आई.वी. के सामुदायिक सहायता केंद्र को दी गई थी। परीक्षण किट की अनुपलब्धता/सी.डी.–4 मशीन की खराबी के कारण आवश्यक सी.डी.–4 परीक्षण नहीं कराए जा सके।

2-2-7-2 vkS"kf/k ,oa ekuo lalk/ku dh miyC/krk

,-vkj-Vh- dsUnzksa ij vkS"kf/k rFkk ekuo lalk/ku dh deh ikbZ xbZ

सभी ए.आर.टी. केंद्रों को ए.आर.वी. औषधियां संबंधित रा.ए.नि.स. के माध्यम से नाको द्वारा प्रदान की जाती हैं। कुछ ओ.आई. औषधियां जिन संस्थाओं में ए.आर.टी. केंद्र स्थापित हैं उनके द्वारा प्रदान की जानी थी एवं शेष ओ.आई. औषधियां की नाको/रा.ए.नि.स. द्वारा अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति की जानी थी। ए.आर.टी. केंद्र के प्रतिवेदन प्रारुप, के अनुसार 12 एवं 10 प्रकार की ए.आर.वी. औषधियां क्रमशः वयस्क एवं बाल ए.आर.वी. हेतु तथा 24 प्रकार की औषधियां ओ.आई. औषधि के लिए सूचीबद्ध थीं। पांच ए.आर.टी. तथा छह लिंक ए.आर.टी. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी की संवीक्षा में वयस्क एवं बाल

ए.आर.वी. तथा ओ.आई. औषधि की कमी पाई गई, जिसका ब्यौरा ifjf'k"V&2-22 में दिया गया है। आवश्यक औषधियों की कमी ने ए.आर.टी. सुविधाओं को प्रभावित किया।

इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, ए.आर.टी. केंद्रों को चिकित्सीय, पैरा चिकित्सीय एवं सहायक कर्मियों की एक टीम से सुसज्जित किया जाना था। तथापि, 17 ए.आर.टी. केंद्रों पर स्वीकृत 139 पदों के विरुद्ध 42 पद (30 प्रतिशत) रिक्त थे, जिसका ब्यौरा ifjf'k"V&2-23 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि कुछ ए.आर.वी. औषधियां उपयोग में नहीं है या कार्यक्रम से बाहर हो गई हैं, परंतु उनके नाम ए.आर.टी. प्रारूप में अभी भी दर्ज हैं। अतः इन दवाओं को उपलब्ध नहीं प्रतिवेदित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि रिक्त पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रगति पर है।

vuq'kalk

सभी पी.एल.एच.आई.वी. को ए.आर.टी. केंद्रों पर पंजीकृत किया जाए तथा चले गए रोगियों को पुनः ए.आर.टी. से जोड़ा जाए। बाहर हुई दवाओं के नाम हटाकर ए.आर.टी. प्रतिवेदन प्रारूप को संशोधित किया जाए।

2-2-8 mPp tksf[ke lewg rFkk lsrq vkcknh dks fy, y{;xr gLr{ksi

लक्ष्यगत हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम समूह (एच.आर.जी.) के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार तथा यौन जनित संक्रमण (एस.टी.आई.) तथा एच.आई.वी. संक्रमण को ग्रहण करने के जोखिम को कम करना है। सेतु आबादी (ट्रक चालक एवं प्रवासी) अपने कार्य की प्रकृति एवं गतिशीलता के कारण एच.आर.जी. से सामान्य आबादी में एच.आई.वी. संक्रमण के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं (टी.आई. परियोजना) गैर शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से लागू की गई थी। एच.आर.जी. की टी.आई. परियोजना में महिला यौन कर्मी (एफ.एस.डब्ल्यू.), समलैंगिक पुरुष (एम.एस.एम.), हिजड़ा (टी.जी.) तथा सूई से नशा करने वाले (आई.डी.यू.) शामिल हैं। सेतु आबादी के टी.आई. परियोजना में उच्च जोखिम व्यवहार वाले ट्रक चालक तथा प्रवासी शामिल है। टी.आई. एन.जी.ओ. ने व्यवहार परिवर्तन संचार, कंडोम प्रचार, आई.डी.यू. के लिए सुरक्षित सुई और सीरिंज, एस.टी.आई. देखभाल, एच.आई.वी. परीक्षण हेतु रैफरल, उपदंश परीक्षण एवं ए.आर.टी. में भेजने जैसी सुविधा उपलब्ध कराई।

एन.ए.सी.पी.–तृतीय चरण (2007–12) में कुल 37,747 एच.आर.जी. के तथा 98,750 सेतु आबादी को शामिल करने के लक्ष्य के विरुद्ध 34,444 एच.आर.जी. के व्यक्ति तथा 1,01,125 सेतु आबादी के व्यक्तियों को शामिल किया गया था। आगे, एन.ए.सी.पी. –चतुर्थ चरण (2012–17) में 43,085 एच.आर.जी. तथा 1,67,000 सेतु आबादी को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था।

टी.आई. घटक के अंतर्गत वर्ष 2010–15 के दौरान कुल उपलब्ध निधि ₹ 69.44 करोड़ के विरुद्ध ₹ 38.73 करोड़ का उपयोग किया गया। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि:

- वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत प्राथमिकताओं को अभिनिश्चित करने के लिए एच.आर.जी. (महिला यौन कर्मी, समलैंगिक पुरुष, सुई से नशा करने वाले) तथा सेतु आबादी (प्रवासी मजदूर तथा ट्रक चालक) की संख्या तथा स्थानों की पहचान एवं वर्गीकरण हेतु वर्ष 2008–09 से सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया गया था। इस प्रकार कार्यक्रम का क्रियान्वयन एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी की वास्तविक संख्या तथा स्थानों की जानकारी को अद्यतन किए बिना किया गया था।

- वर्ष 2008–09 के सर्वेक्षण में एच.आर.जी. की कम संख्या प्रतिवेदित होने के कारण 11 जिलों[3] ('सी' श्रेणी के चार जिलों तथा 'डी' श्रेणी के 7 जिलों) में टी.आई. परियोजनाएं क्रियान्वित नहीं की गई थी।

in'ku e deh d vk/kkj ij 79 Vh-vkbZ- ifj;kstuk,a cn dj nh xbZ Fkh rFkk cn iMh Vh-vkbZ- us v0;f;r 'k"k e-i-jk-,-fu-l- dk okfil ugh fd;k Fkk

- मानदंडों के अनुसार टी.आई. परियोजनाओं की कार्य अवधि दो वर्ष सीमित थी तथा आगे का विस्तार उनके संतोषजनक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर प्रदान किया जाना था। इस संबंध में, हमने पाया कि वर्ष 2010–15 के दौरान कुल 236 में से 79 टी.आई. परियोजनाएं असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा बंद कर दी गई थीं। इसके अतिरिक्त, 176 संचालित टी.आई. परियोजनाओं द्वारा क्षमता निर्माण तथा सामुदायिक उत्प्रेरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन न होने तथा परियोजना में पद रिक्त होने के कारण दिए गए अनुदान ₹ 3.92 करोड़ बिना उपयोग किए म.प्र.रा.ए.नि.स. को वापिस कर दिए गए।

- लक्ष्यगत हस्तक्षेप एन.जी.ओ. के साथ संदर्भित शर्तों के अनुसार टी.आई. की जवाबदारी थी कि वह परियोजना बंद होने के 15 दिनों के अंदर परियोजना का अव्ययित शेष अनुदान तथा अनुदान से सृजित अचल परिसंपत्तियां तथा परियोजना से संबंधित सभी अन्य अभिलेख/दस्तावेज सौंप दें। इस संबंध में हमने पाया कि कुल बंद 79 टी.आई. परियोजनाओं में से 30 परियोजनाओं द्वारा अव्ययित शेष ₹ 44.04 लाख वापिस या समायोजित नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त 28 बंद टी.आई.–एन.जी.ओ. द्वारा म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा प्रदत्त अनुदान से क्रय की गई ₹ 22.40 लाख की अचल परिसंपत्तियां वापिस नहीं की गईं। अतः मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा एन.ए.सी.पी.–तृतीय (2006–11) के लिए जारी अग्रिमों का निपटान सुनिश्चित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 44.04 लाख के अग्रिम 30 टी.आई. परियोजनाओं के पास चार से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी लंबित थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि शामिल न किए गए जिलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था तथा बंद टी.आई. से अव्ययित शेष राशि की वसूली प्रक्रिया शुरु कर दी गई थी।

2-2-8-1 ,p-vkj-th- rFkk lsrq vkcknh dk 'kkfey djuk

y{;xr gLr{ksi ifj;kstuk }kjk ,p-vkj-th- rFkk lsrq vkcknh dk 'kkfey djus gsrq y{; dk iklr ugh fd;k x;k

(i) प्रतिचित्रण आंकड़े 2008 के अनुसार राज्य में 48,785 एच.आर.जी. (एफ.एस. डब्ल्यू.–28,418 एम.एस.एम.–13,346 आई.डी.यू.–7021) तथा 1,25,834 प्रवासी रह रहे थे तथा वर्ष 2010–15 की अवधि में एच.आर.जी. के लिए 204 टी.आई. परियोजना तथा सेतु आबादी के लिए 32 टी.आई. परियोजनाएं क्रियान्वित की गई थी। टी.आई. के माध्यम से एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी को शामिल करने का वर्षवार लक्ष्य का ब्यौरा **ifjf'k"V&2-24** में दिया गया है।

हमने पाया कि वर्ष 2010–15 के दौरान एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी थी तथा एच.आर.जी. के प्रकरण में 11 से 23 प्रतिशत तक तथा प्रवासियों के प्रकरण में 52 प्रतिशत तक की उपलब्धि में कमी थी।

(ii) दिशानिर्देशों के अनुसार टी.आई. परियोजनाओं का मुख्य कार्य एच.आर.जी. को एस.टी.आई. तथा एच.आई.वी. संक्रमण के परीक्षण व उपचार के लिए प्रेरित करना था। प्रत्येक एच.आर.जी. को तीन तथा छह माह के अंतराल पर क्रमशः एस.टी.आई. क्लीनिक तथा आई.सी.टी.सी. पर भेजा जाना था। 12 चयनित जिले के 14 नमूना परीक्षित

[3] आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, भिंड, दमोह, डिंडोरी, मंडला, नीमच, शहडोल तथा उमरिया।

टी.आई. परियोजनाओं के संबंध में भेजे गए प्रकरणों की जानकारी का ब्यौरा rkfydk&5 में दिया गया है।

Rkkfydk&5% ueuk ijhf{kr ftyk e: ,p-vkj-th- d: jQjy rFkk doj:t dh fLFkfr

o"kZ	,l-Vh-vkbZ- Dyhfud dk jQjy			vkbZ-lh-Vh-lh- dk jQjy		
	jQj fd, x, ,p-vkj-th- i:dj.kk dh l:[;k	igqp: ,p-vkj-th- i:dj.kk dh l:[;k	deh	jQj fd, x, ,p-vkj-th- i:dj.kk dh l:[;k	igqp: ,p-vkj-th- i:dj.kk dh l:[;k	deh
2010-11	4,511	4,271	240	2,449	1,869	580
2011-12	3,868	3,637	231	4,590	2,671	1,919
2012-13	4,324	4,146	178	3,943	3,140	803
2013-14	9,339	8,055	1,284	8,650	6,777	1,873
2014-15	18,904	16,999	1,905	15,927	11,706	4,221
dqy	**40,946**	**37,108**	**3,838** (9%)	**35,559**	**26,163**	**9,396** (26%)

¼lzksr% ueuk tkap Vh-vkbZ- ifj;kstuk,½

जैसे कि rkfydk&5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–15 की अवधि में एस.टी.आई. सेवाओं के रेफरल के प्रकरणों में नौ प्रतिशत एच.आर.जी. तथा आई.सी.टी.सी. सुविधाओं के रेफरल प्रकरणों में 26 प्रतिशत एच.आर.जी. व्यक्ति परीक्षण केंद्र पर उपस्थित नहीं हुए थे। इस प्रकार, परीक्षण व उपचार के लिए एच.आर.जी. को प्रेरित करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि प्रवास, मृत्यु, एच.आर.जी. के मध्य अभिरुचि की कमी इत्यादि के कारण सेवाओं का कम उपयोग हुआ। उन्होंने आगे बताया कि भविष्य में बाहर हुए एच.आर.जी. को शामिल करने के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे।

2-2-9 fyad dk;ZdrkZ ;kstuk

लिंक कार्यकर्ता योजना (एल.डब्ल्यू.एस.) ग्रामीण क्षेत्रों में एच.आई.वी. रोकथाम परामर्श, रेफरल तथा एच.आर.जी. को जरुरत अनुसार देखभाल तथा संवदेनशील समुदाय आधारित पहुंच की कार्यनीति थी।

2.2.9.1 *fyad dk;ZdrkZ ;kstuk dk dk;kZUo;u*

fyad dk;ZdrkZ ;kstuk e[; ,u-th-vks- dh }kjk lQyrkiwoZd fØ;kfUor ugha dh x;h

(i) एल.डब्ल्यू.एस. की दिशानिर्देश के अनुसार, जिले के 100–150 मुख्य संवदेनशील ग्रामों को क्रियान्वयन के लिए चिह्नित किया जाना था तथा इन ग्रामों को 4–6 के समूह में विभाजित करना था। ग्राम स्तर के कार्यकर्ता (पर्यवेक्षक, लिंक कार्यकर्ता तथा स्वयंसेवकों) को संवदेनशील आबादी, उच्च जोखिम व्यक्तियों, ग्रामों तथा दुर्गम क्षेत्रों के नवयुवकों एवं महिलाओं के शामिल करने के लिए समर्थ बनाना था। इसके अतिरिक्त, एक राज्य या क्षेत्रीय स्तर की मुख्य एजेंसी को मुख्य एन.जी.ओ. के रूप में चिह्नित करना था। तथापि, ऐसे राज्य जहां एल.डब्ल्यू.एस. का क्रियान्वयन सीधे राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा एन.जी.ओ. के माध्यम से किया जा रहा है, वहां पर मुख्य एन.जी.ओ. की अवधारणा पर विचार नहीं करना था।

वर्ष 2010–13 के दौरान राज्य में एल.डब्ल्यू.एस. दो मुख्य एन.जी.ओ. यथा वॉल्यूंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वी.एच.ए.आई.) (2010–12) तथा एल.ई.पी.आर.ए. (लेप्रा) (मार्च से दिसम्बर 2013) के माध्यम से क्रियान्वित किया गया था। म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा प्रदायित अभिलेख के अनुसार कुल निधि ₹ 9.28 करोड़ (वी.एच.ए.आई. ₹ 4.79 करोड, लेप्रा ₹ 4.49 करोड़) इन मुख्य एन.जी.ओ. को योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी की गई थी, जिसके विरुद्ध ₹ 3.97 करोड़ (वी.एच.ए.आई. ₹ 1.5 करोड़, लेप्रा ₹ 2.47 करोड़) बिना किसी उपयोग के वापस कर दिए गए थे तथा ₹ 0.19 करोड़ वी.एच.ए.आई. के पास तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद समायोजन के लिए लंबित हैं।

तथापि, वर्ष 2010–13 के दौरान इन मुख्य एन.जी.ओ. द्वारा किए गए क्रियान्वयन, लक्ष्य एवं उपलब्धि, शामिल किए गए क्षेत्र तथा जनसंख्या जानकारी म.प्र.रा.ए.नि.स. के पास उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में इन मुख्य एन.जी.ओ. द्वारा क्रियान्वित योजना का आकलन नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि मुख्य एन.जी.ओ. का चयन नाको द्वारा किया गया था तथा वे सीधे नाको को ही प्रतिवेदित करते थे, जिस कारण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि म.प्र.रा.ए.नि.स. तथा मुख्य एन.जी.ओ. के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार मुख्य एन.जी.ओ., म.प्र.रा.ए.नि.स. को प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार थे।

(ii) इस योजना को दिसम्बर 2013 से म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा अधिगृहीत किया गया था तथा 12 जिलों[4] (श्रेणी 'ए' तथा श्रेणी 'बी' के समस्त जिलों को शामिल करते हुए) में 12 एन.जी.ओ. द्वारा क्रियान्वित किया गया था। वर्ष 2013–15 में परिस्थिति आधारित मूल्यांकन (एस.एन.ए.) के अंतर्गत 79,780 व्यक्तियों[5] को शामिल करने के लक्ष्य के विरुद्ध 73,600 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि:

iR;d xg d tulkf[dh; vkdM ,df=r dju d fy, xg vk/kkfjr lo{k.k ugh fd;k x;k

- दिशानिर्देश के अनुसार लिंक कार्यकर्ता के द्वारा कार्यनीति उद्देश्यों के लिए जनसांख्यिकीय विवरण को प्रत्येक स्तर से एकत्र करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण करना था। इस संबंध में पाया गया कि गृह आधारित सर्वेक्षण वर्ष 2013–15 में नहीं किया गया था।

- दिशानिर्देश के अनुसार एल.डब्ल्यू.एस. को क्रियान्वित करने वाले कर्मियों को ग्रामीण परिवेश में एच.आई.वी. को समझने के लिए तीन चरणों का मॉड्यूलर प्रशिक्षण दिया जाना था। तथापि द्वितीय एवं तृतीय चरणों के प्रशिक्षण अभी तक आयोजित नहीं किए थे।

- यह योजना 12 जिलों में क्रियान्वित की गई थी, जिनमें से चार जिले (बालाघाट, भोपाल, हरदा तथा इंदौर) की नमूना जाँच लेखापरीक्षा में की गई थी। हमने पाया कि वर्ष 2013–15 के दौरान एस.एन.ए. के अंतर्गत 47,191 व्यक्तियों को शामिल करने के लक्ष्य के विरुद्ध 40,837 व्यक्तियों को शामिल किया गया था।

- लिंक कार्यकर्ता समुदाय तथा सेवा संस्थानों (आई.सी.टी.सी., एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिक) के बीच समन्वय के लिए उत्तरदाई थे। तथापि चार नमूना परीक्षित जिलों में रेफर किए एच.आर.जी. के प्रकरणों में 42 तथा 48 प्रतिशत प्रकरण क्रमशः एस.टी.आई. क्लीनिक तथा आई.सी.टी.सी. में परीक्षण एवं उपचार के लिए उपस्थित नहीं हुए थे जैसा कि ifjf'k"V&2-25 में दर्शित है। एच.आर.जी. की सेवा संस्थानों तक

---

4 बालाघाट, भोपाल, छिंदवाड़ा, देवास, हरदा, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़ तथा उज्जैन।

5 एच.आर.जी., सेतु आबादी, संवेदनशील आबादी, ए.एन.सी. में शामिल आबादी तथा अनाथ संवदेनशील बच्चे सहित।

पहुंच में कमी, लिंक कार्यकर्ता, उनके पर्यवेक्षण, संबंधित एन.जी.ओ. तथा म.प्र.रा.ए.नि.स. के प्रयासों में विफलता को दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि नाको द्वारा अपनाई गई कार्यनीति में लगातार परिवर्तन/संशोधन के कारण अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे। उन्होंने आगे बताया कि लिंक कार्यकर्ताओं को राज्य प्रशिक्षण संसाधन एजेंसी के उपलब्ध न होने के कारण प्रशिक्षित नहीं किया जा सका था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ समन्वय के अंतर्गत एस.टी.आई. तथा आई.सी.टी.सी. सुविधाओं के विस्तार के द्वारा अधिकतम ग्रामीण आबादी को कवर करने के प्रयास किए जाएंगे।

2-2-10 ,l-Vh-vkbZ-@vkj-Vh-vkbZ- fu;=.k ,o jksdFkke

यौन संचरित संक्रमण (एस.टी.आई.) और प्रजनन पथ संक्रमण (आर.टी.आई.) एच.आई.वी. संक्रमण को ग्रहण करने प्रसारित करने की संभावना को कई गुना बढ़ाते हैं। अतः एस.टी.आई./आर.टी.आई. नियंत्रण एवं रोकथाम एच.आई.वी. के रोकथाम की महत्वपूर्ण कार्यनीति थी। इस घटक के अंतर्गत जाँच व उपचार सुविधाओं की उपलब्धता के साथ–साथ प्रशिक्षित मानव शक्ति तथा आवश्यक औषधि एवं अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी थी।

एन.ए.सी.पी.–तृतीय (2007–12) चरण के अंतर्गत एस.टी.आई. लक्षणों वाले 6.81 लाख वयस्कों को शामिल करने तथा एस.टी.आई. प्रकरणों में 2.16 लाख एच.आर.जी. के उपचार के लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि क्रमशः 3.95 लाख तथा 1.99 लाख थी। इसके अतिरिक्त, एन.ए.सी.पी.–चतुर्थ (2012–17) चरण के अंतर्गत एस.टी.आई. लक्षणों वाले 8 लाख वयस्कों को शामिल करने तथा एस.टी.आई. प्रकरणों में 3 लाख एच.आर.जी. के उपचार के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

वर्ष 2010–15 के दौरान इस घटक में उपलब्ध कुल निधि ₹ 6.58 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4.21 करोड़ ही उपयोग किया जा सका। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईः

2.2.10.1 ,l-Vh-vkbZ-@vkj-Vh-vkbZ- lsokvksa dh miyC/krk

एस.टी.आई./आर.टी.आई. दिशानिर्देशों के अनुसार, ये सेवाएं जिला (चिकित्सा महाविद्यालयों तथा जिला अस्पतालों) तथा उप जिला (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों) स्तर पर प्रदाय की जानी थी। जिला स्तर पर यह सेवा नाको के पूर्णतः समर्थन से रा.ए.नि.स. के माध्यम से प्रदाय किया जाना था तथा उप जिला स्तर पर सभी गतिविधियों का संचालन नाको तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अभिसरण से किया जाना था।

म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा प्रदायित जानकारी के अनुसार एस.टी.आई./आर.टी.आई. सेवाएं सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. में प्रदाय की जा रहीं थीं। तथापि इस तथ्य की पुष्टि 12 चयनित जिलों से प्राप्त जानकारी से नहीं हुई थी, क्योंकि ये सेवाएं 70 में से 67 सी.एच.सी. तथा किसी भी 271 पी.एच.सी. में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार एन.एच.एम. के साथ अभिसरण में सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. स्तर पर एस.टी.आई. तथा आर.टी.आई. सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

2.2.10.2 HkkSfrd y{; rFkk miyfC/k

एस.टी.आई./आर.टी.आई. एपिसोड को शामिल करने के संदर्भ में वार्षिक लक्ष्य तथा उपलब्धि ifjf'k"V&2-26 में दर्शित है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान एस.टी.आई./आर.टी.आई. लक्षणों के लोगों के शामिल करने के लक्ष्य 10.74 लाख के विरुद्ध

उपलब्धि 9.90 लाख थी। इसके अतिरिक्त, 12 चयनित जिलों के 19 नमूना परीक्षित एस.टी.आई. क्लीनिकों में लक्ष्यों के विरुद्ध कमी का प्रतिशत 6 से 57 के मध्य था।

चयनित 12 जिलों के सी.एम.एच.ओ. ने बताया (अप्रैल से जून 2015) कि लक्ष्य प्राप्त न होने के मुख्य कारण मानव शक्ति तथा भैतिक अधोसंरचना की कमी थी।

2.2.10.3 ,l-Vh-vkbZ- Dyhfudksa ij HkkSfrd v/kkslajpuk rFkk vkS"kf/k;ksa dh miyC/krk

एस.टी.आई./आर.टी.आई. सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार एस.टी.आई. क्लीनिकों में न्यूनतम अधोसंरचना, उपकरण, सामान्य तथा प्रतीक्षा क्षेत्र के लिए उपभोज्य सामग्री, परामर्श तथा परीक्षण कक्ष तथा प्रयोगशाला की परिकल्पना की गई थी। चयनित 12 जिलों के नाको समर्थित 19 नमूना परीक्षित एस.टी.आई. क्लीनिकों में पाया गया कि एस.टी.आई. मरीजों की जाँच, परामर्श तथा परीक्षण हेतु फर्नीचर (यथा प्रतीक्षा कुर्सी, परीक्षण पलंग इत्यादि), उपकरण (यथा वेजाइना स्पेकुला, फारसेप, वजन मशीन इत्यादि) तथा उपभोज्य सामग्री (यथा डिस्पोजबल सीरिंज तथा सुई, परीक्षण किट इत्यादि) की अपर्याप्तता थी।

इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार सभी एस.टी.आई. क्लीनिकों में एस.टी.आई./आर.टी.आई. प्री पैक्ड किट्स तथा आवश्यक एस.टी.आई./आर.टी.आई. औषधि का पर्याप्त स्टॉक रखना है तथा सभी प्रकार की किट्स तथा औषधि न्यूनतम तीन महीने के लिए हमेशा रखना चाहिए। इस संबंध में पाया गया कि 12 चयनित जिलों में जिला अस्पताल बालाघाट, डिंडोरी तथा सी.एच.सी.–मंडीदीप (रायसेन) को छोड़कर शेष नमूना परीक्षित 16 एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिकों में सभी प्रकार की औषधियां उपलब्ध नहीं थीं।

इस प्रकार न्यूनतम अधोसंरचना के साथ–साथ औषधियों की उपलब्धता एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिकों पर सुनिश्चित नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि अधोसंरचना की उपलब्धता संबंधित स्वास्थ्य सुविधा की मौजूदा अधोसंरचना पर निर्भर थी तथा मौजूदा अधोसंरचना में कमी की पूर्ति हेतु एक बार अनुदान देने का प्रावधान था। औषधियों की अनुपलब्धता के संबंध में बताया कि नाको से कलर कोटेड किट की अनियमित आपूर्ति किए जाने के कारण ये उपलब्ध नहीं थी, तथापि जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति एन.एच.एम. के अभिसरण से सुनिश्चित की जाएगी।

2.2.10.4 ekuo lalk/ku ,oa {kerk o)Zu

दिशानिर्देशों में एस.टी.आई./आर.टी.आई. सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तर पर मानव संसाधन की सेवाओं की आवश्यकताओं को परिभाषित किया गया था। तदनुसार प्रत्येक एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिकों में पर्याप्त मानव शक्ति की तैनाती सुनिश्चित की जानी थी। चयनित 12 जिलों के 19 नमूना परीक्षित एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिकों में मानव शक्ति की स्थिति[6] निम्नानुसार थी–

rkfydk&6% ,l-Vh-vkbZ-@vkj-Vh-vkbZ- Dyhfudksa ij ekuo 'kfDr dh fLFkfr n'kkZus okyk i=d

l-Ø-	in dk uke	vko';drk	dk;Zjr	deh
1.	चिकित्सा अधिकारी	20	16	4
2.	स्टाफ नर्स/लेडी हेल्थ विजिटर	19	3	16
3.	मेडिको–सोशल वर्कर/परामर्शदाता	19	19	0
4.	प्रयोगशाला तकनीशियन	19	4	15

¼lzksr% uewuk ijhf{kr ,l-Vh-vkbZ-@vkj-Vh-vkbZ- Dyhfud½

6 जैसा कि चयनित जिलों द्वारा अप्रैल से जून 2015 के दौरान प्रतिवेदित किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत सभी स्तरों पर सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रशिक्षण तथा सहायक प्रणाली विकसित करनी थी। तदनुसार चिकित्सीय, पैरा चिकित्सीय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता यथा– आशा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष तथा महिला) को लक्षणात्मक प्रकरण प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करना था। यह पाया गया कि 12 नमूना परीक्षित जिलों में से छह[7] जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए लक्षणात्मक प्रकरण प्रबंधन के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। वर्ष 2010–15 के दौरान संपूर्ण राज्य में प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति का ब्यौरा ifjf'k"V&2-27 में दर्शाया गया है, जिसमें प्रशिक्षण लक्ष्य की प्राप्ति में 39 प्रतिशत तक की कमी पाई गई।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि मानव संसाधन विशेषकर चिकित्सा अधिकारियों की कमी पूरे राज्य में व्याप्त है तथा अन्य मानव संसाधनों की भर्ती एन.एच.एम. के माध्यम से की जाएगी। मानव शक्ति की कमी के कारण प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

vuq'kalk

एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिकों पर भौतिक अधोसंरचना, आवश्यक औषधि तथा मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

2-2-11 jDr lqj{kk

स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में रक्त के घटकों की तैयारी तथा उपलब्धता के साथ रक्त के तर्कपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देते हुए नियमित स्वैच्छिक रक्तदान (वी.बी.डी.) में वृद्धि के द्वारा रक्त एवं रक्त के अन्य घटकों की अल्पता को दूर करने के उद्देश्य के साथ स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की प्राथमिक जिम्मेदारी थी।

एन.ए.सी.पी.–तृतीय (2007–12) के दौरान 2007–12 की अवधि के दौरान 9,16,526 रक्त इकाई एकत्र की गई थी। इसके अतिरिक्त, 90 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध 83 प्रतिशत रक्त स्वैच्छिक रक्त दान से एकत्रित किया गया था।

वर्ष 2010–15 के दौरान, इस घटक के अंतर्गत उद्दिष्ट राशि ₹ 19.54 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 13.67 करोड़ का ही उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि वर्ष 2010–15 की अवधि में 12.46 लाख रक्त इकाईयां एकत्रित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 11.81 लाख रक्त इकाईयां एकत्रित की गईं थी। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

2.2.11.1 *jDr cSad rFkk jDr HkaMkj.k bdkbZ dh miyC/krk*

रक्त सुरक्षा कार्यक्रम की सफलता मुख्य रूप से रक्त भंडारण इकाई (बी.एस.यू.) की स्थापना पर निर्भर है। इसीलिए एन.ए.सी.पी.–तृतीय (2006–11) में सभी सी.एच.सी. में बी.एस.यू. स्थापित करने का प्रस्ताव था।

vf/kdka'k jDr cSad lapkyu fcuk uohuhdj.k ykblsal ds lapkfyr Fks

हमने पाया कि राज्य में अनूपपुर तथा अशोकनगर जिलों को छोड़कर सभी जिलों में नाको समर्थित 62 रक्त बैंक स्थापित किए गए थे। तथापि 12 चयनित जिलों के 75 सी.एच.सी. में से 62 सी.एच.सी. में बी.एस.यू. की स्थापना नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त जैसा कि दिशानिर्देश में परिकल्पित है कि सभी रक्त बैंकों को नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (सी.एफ.डी.ए.) से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। इस संबंध में, म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा रक्त बैंकों के लाइसेंस संबंधी राज्य स्तरीय

[7] अशोकनगर, डिंडोरी, इंदौर, झाबुआ, खंडवा तथा खरगौन

जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। तथापि 12 चयनित जिले में देखा गया कि 13 में से सात रक्त बैंक तीन से 17 वर्ष से बिना वैध नवीनीकरण लाइसेंस के संचालित थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि बी.एस.यू. की स्थापना स्वास्थ्य विभाग की सहायता से की जा रही है तथा रक्त बैंकों के लाइसेंस नवीनीकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

2.2.11.2 *v/kkslajpuk rFkk ekuo lalk/ku dh miyC/krk*

jDr cSadksa esa midj.k] ijh{k.k fdV] miHkksT; lkexzh rFkk ekuo lalk/ku dh deh FkhA

रक्त बैंकों के प्रतिवेदन प्रारूप के अनुसार, 27 प्रकार के उपकरण तथा 20 प्रकार के परीक्षण किट तथा प्रयोगशाला उपभोज्य सामग्री रक्त बैंकों के सफल संचालन के लिए निर्धारित थे। 12 चयनित जिलों के 13 रक्त बैंकों के नमूना परीक्षण में हमने पाया कि परीक्षण किट (यथा– हेपेटाइटिस, वी.डी.आर.एल. परीक्षण किटें इत्यादि) के साथ–साथ उपकरणों तथा प्रयोगशाला उपभोज्य सामग्री (सेल काउंटर, रेफ्रिजेटर सेंट्रीफ्यूज, डीप फ्रीजर इत्यादि) की कमी थी।

नाको समर्थित रक्त बैंक सेवाओं में नाको द्वारा एक परामर्शदाता तथा एक प्रयोगशाला तकनीशियन प्रदाय किया जाता है। हमने पाया कि 12 नमूना जिलों के 13 चयनित नमूना परीक्षित रक्त बैंकों में आवश्यक 13 प्रयोगशाला तकनीशियन की आवश्यकता के विरुद्ध छह पद रिक्त थे। इस प्रकार, पर्याप्त प्रयोगशाला उपभोज्य साम्रगी, परीक्षण किटें तथा प्रयोगशाला तकनीशियन की कमी के कारण रक्त सुरक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रयोगशाला उपभोज्य सामग्री, उपकरण तथा परीक्षण किटों की कमी नाको के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा कम आपूर्ति किए जाने के कारण थी। उन्होंने आगे सूचित किया कि नाको द्वारा भर्ती पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पदों पर भर्त्ती नहीं की जा सकी थी।

vuq'kalk

रक्त बैंक सेवाओं में भौतिक अधोसंरचना, परीक्षण किट तथा मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

2-2-12 dUMkse izpkj

असुरक्षित यौन–संबंध एच.आई.वी. प्रसार का एक बड़ा कारण है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एन.ए.सी.पी. के अंतर्गत एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम के लिए कंडोम प्रचार को मुख्य आधार माना गया था। दिशानिर्देशों के अनुसार कंडोम आऊटलेट से कंडोम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि एवं जागरुकता लाने तथा कंडोम की उपलब्धता तथा पहुंच को बढ़ावा देते हुए एच.आई.वी. प्रसार के रोकथाम के लिए कंडोम के लगातार उपयोग को प्रोत्साहन देने के महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने थे।

एन.ए.सी.पी.–तृतीय (2007–12) चरण के अंतर्गत कंडोम वितरण के लक्ष्य 230.76 लाख के विरुद्ध 68.06 लाख कंडोम वितरित किए गए थे। आगे एन.ए.सी.पी.–चतुर्थ (2012–17) में 126.37 लाख कंडोम वितरण का लक्ष्य रखा गया था।

वर्ष 2010–15 के दौरान निःशुल्क वितरण तथा सामाजिक विपणन कार्यक्रम के तहत कंडोम वितरण का लक्ष्य रखा गया था। कंडोम वितरण की स्थिति ifjf'k"V&2-28 में दी गई है। हमने कंडोम वितरण के लक्ष्यों में वर्ष 2010–11 में 295 लाख से वर्ष 2014–15 में 79.06 लाख की महत्वपूर्ण कमी देखी। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि 18 से 69 प्रतिशत के मध्य थी। इस प्रकार,

एच.आई.वी. प्रसार की रोकथाम के लिए कंडोम के लगातार उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए गम्भीरता से प्रयास नहीं किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा टी.आई. परियोजनाओं को एच.आर.जी. के प्रतिदिन के यौन संबंध की मानक गणना पर आधारित मांग के अनुसार कंडोम की आपूर्ति की गई थी। कभी–कभी एच.आर.जी. के कार्य न करने, अन्य स्थानों पर चले जाने, कम यौन संबंध बनाने के कारण टी.आई. परियोजना के पास अधिशेष कंडोम उपलब्ध थे।

2-2-13 ,p-vkbZ-oh- ijke'kZ ,oa ijh{k.k lsok,a

एन.ए.सी.पी. यथाशीघ्र अधिक से अधिक पी.एल.एच.आई.वी. की पहचान तथा उन्हें समय पर समुचित ढंग से रोकथाम, देखभाल तथा उपचार सेवाओं से जोड़ने के लक्ष्य के साथ एच.आई.वी. परामर्श तथा उपचार की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इन सेवाओं में एकीकृत परामर्श तथा जाँच केंद्र (आई.सी.टी.सी.), माता–पिता से बच्चे में संचरण की रोकथाम (पी.पी.टी.सी.टी.) तथा एच.आई.वी.–टी.बी. (ट्यूबरक्लोसिस) समन्वय सम्मिलित थे।

2.2.13.1 ,dhd`r ijke'kZ ,oa ijh{k.k dsUn ¼vkbZ-lh-Vh-lh-½

आई.सी.टी.सी. के कार्यों में एच.आई.वी. का शीघ्र पता लगाने, व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहन तथा जोखिमता में कमी और पी.एल.एच.आई.वी. को अन्य एच.आई.वी. रोकथाम, देखभाल तथा उपचार सेवाओं से संबद्ध करने के उद्देश्य से एच.आई.वी. /एड्स के संचरण तथा रोकथाम की प्रारंभिक जानकारी प्रदान करने के साथ एच.आई.वी. का शीघ्र पता लगाना सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 30 सिविल अस्पताल, 269 सी.एच.सी. में आई.सी.टी.सी. तथा 522 पी.एच.सी. में एफ.आई.सी.टी.सी. अभी स्थापित किए जाने थे। जिसका ब्यौरा ifjf'k"V&2-29 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्ष 2015–16 में 83 आई.सी.टी.सी. तथा 239 एफ.आई.सी.टी.सी. ग्रामीण क्षेत्रों में एच.आई.वी. परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाएंगे।

2.2.13.2 y{; ,oa miyfC/k

संवेदनशील जनसंख्या एवं गर्भवती महिलाओं के बीच एच.आई.वी. परीक्षण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। एन.ए.सी.पी.–तृतीय चरण (2007–12) में 9.67 लाख संवेदनशील जनसंख्या तथा 8.46 लाख गर्भवती महिलाओं को शामिल करने के लक्ष्यों के विरुद्ध 7.05 लाख संवेदनशील जनसंख्या तथा 6.53 लाख गर्भवती महिलाओं को आई.सी.टी.सी. सेवाएं प्रदाय की गई थी। वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए परीक्षण तथा एच.आई.वी. पॉजिटिव की स्थिति ifjf'k"V&2-30 में दर्शाई गई है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि–

lekU; DykbV rFkk xHkZorh efgyk dk ijke'kZ rFkk ijh{k.k dk y{; izkIr ugha fd;k x;k Fkk

- वर्ष 2010–15 की अवधि में आई.सी.टी.सी. में संवेदनशील जनसंख्या तथा गर्भवती महिलाओं के परामर्श/एच.आई.वी. परीक्षण के लक्ष्य 39.30 लाख के विरुद्ध 36.71 लाख की उपलब्धि थी। तथापि वर्ष 2012–13 के अतिरिक्त अन्य किसी भी वर्ष में संवेदनशील जनसंख्या तथा गर्भवती महिलाओं के परीक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे।

- उच्च जोखिम समूह तथा सेतु आबादी में एच.आई.वी. संक्रमण का जल्द पता लगाने तथा व्यवहार परितर्वन हेतु आवश्यक परामर्श देने के लिए आई.सी.टी.सी. को रेफर करना लक्ष्यगत हस्तक्षेप के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। लेखापरीक्षा

संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान लक्षित जनसंख्या की रेफरल सेवाओं में 39 से 70 प्रतिशत की कमी थी, जिसका ब्यौरा ifjf'k"V&2-31 में दिया गया है।

- आई.सी.टी.सी. में किए गए कुल एच.आई.वी. परीक्षण व परामर्श में चिकित्सीय रूप से संदिग्ध तथा स्वैच्छिक रूप से उपस्थित हुए प्रकरणों में 90:10 का अनुपात था, जिसका ब्यौरा ifjf'k"V&2-32 में दिया गया है।

- आई.सी.टी.सी. में पूर्व परामर्श दिए गए 36.92 लाख व्यक्तियों में से 35.13 लाख का परीक्षण हुआ तथा 33.94 लाख व्यक्तियों को बाद में परामर्श दिया गया था। यद्यपि पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों प्रकरणों में पूर्व तथा पश्चात परामर्श आवश्यक है। 1.19 लाख व्यक्तियों को एच.आई.वी. की स्थिति एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए परामर्श नहीं दिया जा सका था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि आई.सी.टी.सी. को एच.आर.जी. के रेफरल का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि एच.आई.वी. परीक्षण स्वैच्छिक है तथा यदि कोई व्यक्ति परीक्षण के लिए सहमति न दे तो आई.सी.टी.सी. परीक्षण नहीं कर सकता तथा इसी प्रकार कोई व्यक्ति बाद के परामर्श के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे परामर्श नहीं दिया जा सकता।

2.2.13.3 *Hkkfrd v/kkljpuk rFkk ekuo lalk/ku dh miyC/krk*

दिशानिर्देशों के अनुसार आई.सी.टी.सी. द्वारा सेवाएं प्रदाय करने के संबंध में उच्चतम गुणवत्ता के मानकों को रखना था। 12 चयनित जिलों में 31 नमूना परीक्षित आई.सी.टी.सी. में सेवाओं की उपलब्धता की स्थिति निम्नानुसार थी–

vkbZ-lh-Vh-lh- ij ijh{k.k fdV] ih-bZ-ih- vkS"kf/k] bQsVkehVj rFkk vU; midj.k dh deh ikbZ xbZ

- अंतिम परीक्षण परिणाम जानने के लिए सभी चार प्रकार के एच.आई.वी. परीक्षण किट्स किसी भी नमूना परीक्षित आई.सी.टी.सी. पर उपलब्ध नहीं थे। पी.ई.पी.[8] औषधियां जो एच.आई.वी. के जोखिम से बचाने के लिए आवश्यक थीं, नमूना परीक्षित 31 में से 17[9] आई.सी.टी.सी. में उपलब्ध नहीं थीं।

- इंफेंटोमीटर जो कि पी.पी.टी.सी.टी. सेवाओं में उपयोग होता है, 31 नमूना परीक्षित आई.सी.टी.सी. में से केवल आई.सी.टी.सी. वारासिवनी (बालाघाट) में ही उपलब्ध था।

- आई.सी.टी.सी. में रक्त संग्रहण केंद्रों के लिए आवश्यक सामग्री तथा उपकरण के संबंध में रक्त एकत्रीकरण के लिए ट्यूब तथा शीशियों, सुई तथा सीरिंज आदि की 23 आई.सी.टी.सी. में कमी पाई गई थी।

vkbZ-lh-Vh-lh-@,Q- vkbZ-lh-Vh-lh- ds lqn<hdj.k ds fy, fuf/k ₹ 1-25 djksM+ dk mi;ksx ugha fd;k tk ldk

- आई.सी.टी.सी. में गोपनीय वातावरण के लिए एक से एक तथा एक से समूह परामर्श के लिए परामर्श कक्ष हेतु न्यूनतम आवश्यक फर्नीचर तथा उपकरण निर्धारित थे। तथापि आंगतुकों के परामर्श तथा संचार के लिए आवश्यक अधोसंरचना (यथा–आंगतुकों के लिए कुर्सी, टी.वी. तथा डी.वी.डी. प्लेयर, कंडोम इस्तेमाल के प्रदर्शन मॉडल इत्यादि) सुविधाओं की कमी 15 आई.सी.टी.सी. में पाई गई थीं।

- एच.आई.वी. परीक्षण किट, उपकरण तथा उपभोज्य सामग्री सहित आई.सी.टी.सी. /एफ.आई.सी.टी.सी. के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 1.93 करोड़ की निधि

[8] पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस

[9] बालाघाट– डीएच, कटंगी, लालबर्रा तथा वारासिवनी, भोपाल– हमिदिया अस्पताल तथा जेपी अस्पताल, हरदा– डीएच, खिरिकिया तथा टिमरनी, इंदौर– एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, झाबुआ, खंडवा, खरगौन– बड़वाह, महेश्वर तथा सनावद तथा रायसेन– डीएच और मंडीदीप।

जारी (2011–12) की गई थी। जिसमें से ₹ 1.25 करोड़ म.प्र.रा.ए.नि.स. (₹ 0.66 करोड़) तथा जिला सी.एम.एच.ओ. (₹ 0.59 करोड़) के पास तीन से चार वर्ष व्यतीत होने के बाद अनुपयोगी पड़े थे।

- आई.सी.टी.सी. में प्रबंधक[10] (चिकित्सा अधिकारी), परामर्शदाता, प्रयोगशाला तकनीशियन तथा उच्च व्याप्तता वाले जिलों में जिला पर्यवेक्षक को शामिल करते हुए कुशल व्यक्तियों की टीम की आवश्यकता थी। तथापि कुल 163 कार्यरत आई.सी.टी.सी. में से 27 एवं 34 आई.सी.टी.सी. क्रमशः परामर्शदाता तथा प्रयोगशाला तकनीकीशियन के बिना कार्यरत थे तथा 8 आई.सी.टी.सी. में दोनों पदों के विरुद्ध रिक्ति थी। बालाघाट तथा हरदा जिलों में जिला पर्यवेक्षक के पद रिक्त थे जबकि ये दोनों उच्च व्याप्तता वाले जिले थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि संचार सामग्री, औषधि तथा परीक्षण किट सभी आई.सी.टी.सी. पर दिए जा रहे हैं तथा रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रगति पर है।

2-2-14 ekrk&firk ls cPpks esa lapj.k dh jksdFkke ¼ih-ih-Vh-lh-Vh-½ lsok,a

माता–पिता से बच्चों में संचरण की रोकथाम (पी.पी.टी.सी.टी.) कार्यक्रम का उद्देश्य देश की सभी गर्भवती महिलाओं (सार्वभौमिक कवरेज) का एच.आई.वी. परीक्षण करना था, ताकि सभी अनुमानित एच.आई.वी. पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं को शामिल किया जा सके एवं मां से बच्चे में एच.आई.वी. संचरण का निर्मूलन किया जा सके। म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा प्रदायित जानकारी के अनुसार पी.पी.टी.सी.टी. सेवाएं सभी 163 कार्यरत आई.सी.टी.सी. में प्रदाय की जा रही थीं। पी.पी.टी.सी.टी. सेवाओं के अंतर्गत शामिल की गई गर्भवती महिलाओं की स्थिति ifjf'k"V&2-33 में दी गई है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया किः

- वर्ष 2010–15 के दौरान गर्भवती महिलाओं के परीक्षण के लिए 22.74 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 18.11 लाख (80 प्रतिशत) परीक्षण किए गए तथा आगामी वर्षों में पॉजिटिव माताओं की संख्या में वृद्धि हुई।

- एच.आई.वी. संक्रमित महिलाओं से एच.आई.वी. की संभावना के साथ जन्मे नवजात शिशुओं का ड्राइड ब्लड स्पॉट (डी.बी.एस.) के द्वारा डी.एन.ए.–पी.सी.आर. (डिऑक्सीरिबोन्यूक्लि एसिड पोलीमरेज चेन रिएक्शन) जाँच तथा पूर्ण रक्त नमूना के माध्यम से किया जाना होता है। परीक्षण जन्म के छह सप्ताह पर, यदि पूर्व परीक्षण नेगेटिव है तो फिर छह महीने पर तथा यदि पूर्व परीक्षण नेगेटिव है तो फिर 12 महीने पर करना था। एच.आई.वी. की अंतिम पुष्टि 18 महीने में आई.सी.टी.सी. पर तीन रैपिड एंटी बॉडी परीक्षण कर की जानी थी।

हमने पाया कि पॉजिटिव माताओं से जन्मे 1,218 शिशुओं में से छह सप्ताह पर परीक्षण पर 50 पॉजिटिव पाए गए। कुल शेष 1,168 शिशुओं में से 341 शिशुओं की जाँच छह माह पर की गई जिनमें से 74 पॉजिटिव पाए गए। आगे शेष 1,094 शिशु में से, केवल 348 शिशु की जाँच 18 माह पर की गई, जिनमें से 73 पॉजिटिव पाए गए। शेष 746 शिशुओं की जाँच न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं किए जा सके। इस प्रकार, कार्यक्रम का अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

10 संबंधित अस्पताल/स्वास्थ्य सेवाओं से नियमित स्टॉफ की तैनाती

इसके अतिरिक्त, नमूना परीक्षित 31 में से 20 आई.सी.टी.सी.[11] में 6 से 18 माह के अंतराल पर शिशु के परीक्षण के अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे।

- एन.ए.सी.पी. के दिशानिर्देशों के अनुसार आउटरिच कार्यकर्ता (आशा, ए.एन.एम. तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) का कर्त्तव्य था कि वे गर्भवती महिलाओं को पी.पी.टी.सी.टी. सेवा तथा माता एवं शिशु दोनों का ए.आर.वी. (एंटी रेट्रो वायरल) प्रोफाइलैक्सिस एवं संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करें। तथापि 12 चयनित जिले के 31 आई.सी.टी.सी. में हमने पाया कि आउटरिच सेवाएं केवल 14 आई.सी.टी.सी.[12] में या तो आउटरिज कार्यकर्ता या आई.सी.टी.सी. के परामर्शदाता द्वारा दी जा रही थी तथा शेष 17 आई.सी.टी.सी. में आउटरिच सेवाएं प्रदाय नहीं की जा रही थीं।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य में केवल 12 डी.बी.एस. एकत्रीकरण साइट थे तथा मरीजों को नमूना एकत्रीकरण के लिए इन साइटों पर आने के लिए यात्रा करनी थी। तथापि विभिन्न कारणों से यथा वित्तीय समस्याओं, घर से नमूना एकत्रीकरण साइट की दूरी, माताओं या नवजात शिशु की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के कारण मरीजों के माता–पिता नहीं आ रहे थे तथा कभी–कभी नमूना परीक्षण किट्स की अनुलब्धता के कारण निर्धारित संख्या में शिशुओं का परीक्षण नहीं किया जा सका था।

vu'kalk

पी.पी.टी.सी.टी. पर बुनियादी सुविधाओं, परीक्षण किट्स तथा मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

2-2-15 ,p-vkbZ-oh-&Vh-ch- leUo;

एच.आई.वी. के साथ जीवित रहने वाले लोगों में होने वाली उच्च मृत्यु दर के लिए एच.आई.वी.–टी.बी. एक घातक संयोजन है। एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों में टी.बी. एक सर्वाधिक होने वाला अवसरवादी संक्रमण है। अतः पी.एल.एच.आई.वी. में रुग्णता तथा मृत्यु दर को कम करने के लिए एन.ए.सी.पी. तथा पुनरीक्षित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) के बीच समन्वय होना महत्वपूर्ण था।

राज्य स्तर पर पंजीकृत टी.बी. मरीजों के आई.सी.टी.सी. में एच.आई.वी. परीक्षण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तथापि अवधि वर्ष 2010–15 में वर्ष 2011–12 को छोड़कर पंजीकृत टी.बी. मरीजों के एच.आई.वी. परीक्षण के वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए जिसका ब्यौरा ifjf'k"V&2-34 में दिया गया है। एच.आई.वी.–टी.बी. के सह–संक्रमण से हुई मृत्यु की जानकारी म.प्र.रा.ए.नि.स. के स्तर पर उपलब्ध नहीं थी।

नमूना परीक्षित 12 आई.सी.टी.सी. तथा 12 आर.एन.टी.सी.पी. जो कि एक ही जिला अस्पताल में स्थापित थे द्वारा प्रदाय जानकारी की संवीक्षा में हमने आर.एन.टी.सी.पी. से आई.सी.टी.सी. में रेफर तथा आई.सी.टी.सी. से आर.एन.टी.सी.पी. में रेफर किए गए मरीजों की एच.आई.वी.–टी.बी. सह–संक्रमण के परीक्षण की संख्या का प्रति सत्यापन (क्रास वेरीफिकेशन) किया था। प्रति–सत्यापन के परिणाम तथा रेफरल प्रकरणों की संख्या में मेल नहीं पाया गया था जैसा कि ifjf'k"V&2-35 में दर्शित है। आई.सी.टी.सी. द्वारा आर.एन.टी.सी.पी. में रेफर किए गए एच.आई.वी. मरीजों के विरुद्ध आर.एन.टी.सी.पी. को प्राप्त रेफर प्रकरणों में 2,311 (12,593–10,282) मरीजों का अंतर था। इसी प्रकार आर.एन.टी.सी.पी. द्वारा आई.सी.टी.सी. में रेफर किए गए टी.बी. मरीजों तथा

---

[11] बालाघाट–डीएच, बड़वानी, भोपाल–बीएमएचआरसी तथा हमिदिया अस्पताल, डिंडोरी, हरदा– खिरिकिया तथा टिमरनी, इंदौर– देपालपुर, मांगीलाल अस्पताल, तथा एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, झाबुआ, खंडवा, खरगौन– बड़वाह, डीएच, महेश्वर तथा सनावद, रायसेन–डीएच तथा मंडीदीप, सिहोर–आश्टा तथा डीएच।

[12] अशोकनगर, बालाघाट–डीएच, कंटगी, लालबर्रा तथा वारासिवनी, भोपाल–बीएमएचआरसी और जेपी अस्पताल, डिंडोरी, खंडवा, खरगौन–सनावद, रायसेन–डीएच तथा मंडीदीप, सिहोर–आश्टा तथा डीएच

आई.सी.टी.सी. में प्राप्त रेफरल प्रकरणों की संख्या में 18,705 (39,468–20,763) मरीजों का अंतर था। इसने एच.आई.वी.–टी.बी. प्रति–सत्यापन की निगरानी में अनुवीक्षण की कमी को दर्शाया था। यह भी पाया गया कि एच.आई.वी.–टी.बी. संक्रमण से मृत हुए मरीजों की संख्या का दोनों स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा पता नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि आर.एन.टी.सी.पी. तथा एन.ए.सी.पी. में बेहतर समन्वय के लिए जिला टी.बी. अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभार सौंपा जाएगा।

अनुशंसा

आई.सी.टी.सी. तथा आर.एन.टी.सी.पी. के बीच सहयोग को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

2.2.16 सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई.ई.सी.)/मुख्यधारा

परीक्षण, उपचार, देखभाल तथा सहायता के लिए प्रेरित करने के साथ रोकथाम के विषय में जागरुकता लाने के लिए संचार आवश्यक था। एन.ए.सी.पी.–चतुर्थ में सामान्य आबादी (विशेषकर नवयुवक तथा महिलाओं) में जानकारी को बढ़ाने तथा जोखिम वाली आबादी (एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी) में व्यवहार परिवर्तन बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया था। वर्ष 2010–15 की अवधि में आई.ई.सी./मुख्य धारा के लिए उपलब्ध निधि ₹ 31.06 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 15.80 करोड़ का उपयोग किया गया था।

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा:

सामान्य तथा जोखिम आबादी को कवर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं था

- एन.ए.सी.पी. के अंतर्गत एच.आई.वी./एड्स को एजेंडा के रूप में प्रत्येक सरकारी विभाग की विकास नीति, गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा बजट निर्माण में शामिल करना था। हमने देखा कि वर्ष 2010–15 में एच.आई.वी./एड्स के मुख्य धारा के रूप में सरकारी विभागों में प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा कार्यशाला के लिए आवंटित निधि ₹ 1.89 करोड़ में से मात्र ₹ 0.26 करोड़ ही उपयोग किया जा सका था। हमने देखा कि मुख्य धारा की सभी गतिविधियां विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्वयं के बजट से क्रियान्वित की गई थी, अतः ये निधि उपयोग नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार आई.ई.सी. के लिए बजट आवंटन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नहीं था।

- वर्ष 2010–15 के दौरान मास मीडिया से संबंधित अभियान (दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर दृश्य एवं श्रव्य प्रसारण तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन इत्यादि) के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे। तथापि, सामान्य एवं जोखिम आबादी को शामिल करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। अतः कवरेज की सीमा को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

2.2.17 संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता वर्धन

नाको द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सभी स्तरों पर पर्याप्त, कुशल तथा सक्षम मानव संसाधन की आवश्यकता को महत्वपूर्ण मान्यता दी गई थी। एन.ए.सी.पी. का उद्देश्य नेतृत्व तथा कार्यनीति प्रबंधन, तकनीकी तथा संचार कुशलता में राज्य तथा जिला स्तर के कार्यक्रम प्रबंधकों में क्षमता निर्माण करना था। अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- म.प्र.रा.ए.नि.स. को कार्यक्रम प्रबंधन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए परियोजना निदेशक, अतिरिक्त परियोजना निदेशक, वित्तीय नियंत्रक, लेखाकार, कार्यक्रम सहायक इत्यादि की तैनाती करने की आवश्यकता थी। हमने पाया कि मार्च 2015 में 54 पदों के

विरुद्ध 16 पद रिक्त थे। डी.ए.पी.सी.यू. स्तर पर आवश्यक 24 के विरुद्ध पांच पद[13] रिक्त थे।

- योजना, कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन गतिविधियों के प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन प्रारूप के माध्यम से प्राप्त जटिल आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन अधिकारी एवं महामारी विशेषज्ञ के आवश्यक पद म.प्र.रा.ए.नि.स. स्तर पर रिक्त थे।

- सभी स्तर के कार्मिकों को कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन में प्रशिक्षण उसके बाद घटक विशेष प्रशिक्षण दिया जाना था ताकि संबंधित अधिकारी अपने कार्य से संबंद्ध समस्त तकनीकी एवं प्रबंधकीय मुद्दों से परिचित हो सके। हमने पाया कि वर्ष 2010–12 के दौरान प्रशिक्षण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। वर्ष 2013–15 के दौरान प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य 2,439 के विरुद्ध 1,136 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा सका था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा पद रिक्त होने के कारण प्रशिक्षण के वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे।

2-2-18 vuqoh{k.k rFkk eY;kdu

- एन.ए.सी.पी.–तृतीय के दिशानिर्देश के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य एड्स परिषद् (एस.सी.ए.) का गठन करने की आवश्यकता थी। एस.सी.ए. द्वारा नीतिगत दिशानिर्देश तथा प्रमुख विभागों द्वारा किए गए मुख्यधारा के कार्यों सहित राज्य के प्रदर्शन की समीक्षा की जानी थी। तथापि यह पाया गया कि राज्य में एस.सी.ए. का गठन नहीं किया गया था।

- एन.ए.सी.पी.–तृतीय के दिशानिर्देशों के पैरा 15.7 के अनुसार कार्यक्रम के मध्यावधि तथा समाप्ति पर बाह्य कार्यक्रम मूल्यांकन करना था। यह राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर किया जाना था।

एन.एन.सी.पी.–तृतीय (2007–12) के दौरान राज्य में कार्यक्रम क्रियान्वयन पर कुल ₹ 8.53 करोड़ व्यय किए गए थे। तथापि, राज्य द्वारा कार्यक्रम का मध्यावधि तथा अंतिमावधि मूल्यांकन नहीं कराया गया था। म.प्र.रा.ए.नि.स. को नाको द्वारा एन.ए.सी.पी. –तृतीय के किसी मध्यावधि/अंतिमावधि मूल्यांकन कराए जाने के बारे में भी अनभिज्ञ था।
निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि एन.ए.सी.पी.–तृतीय का मूल्यांकन प्रतिवेदन म.प्र.रा.ए.नि.स. के पास उपलब्ध नहीं था तथा एस.सी.ए. के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

2-2-19 fu"d"k rFkk vuq'kalk,a

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध ₹ 141.78 करोड़ के विरुद्ध ₹ 128.10 करोड़ व्यय किए गए। हमने पाया कि वर्ष 2010–15 के अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध निधियों में से 30 से 63 प्रतिशत तक का उपयोग म0प्र0रा0ए0नि0स0 द्वारा नहीं किया गया था।

वित्तीय संसाधन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

---

13 निगरानी तथा मूल्यांकन सहायक–3 पद तथा जिला आई.सी.टी.सी. पर्यवेक्षक–2 पद

- ए.आर.टी. केंद्रों पर वृहद संख्या में पी.एल.एच.आई.वी. पंजीकृत नहीं थे तथा ऐसे मरीज जिनकी ए.आर.टी. की शुरुआत हो चुकी थी वे उपचार सतत रूप से जारी नहीं रखे थे।

सभी पी.एल.एच.आई.वी. को ए.आर.टी. केंद्रों पर पंजीकृत किया जाए तथा चले गए मरीजों को ए.आर.टी. से पुनः जोड़ा जाए।

- एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी के टी.आई. परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे। उल्लेखनीय संख्या में टी.आई. परियोजनाएं खराब प्रदर्शन के कारण बंद कर दी गई थीं।

- ए.आर.टी. केंद्र, आई.सी.टी.सी. तथा एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिक आवश्यक भौतिक अधोसंरचना, आवश्यक औषधियां तथा मानव संसाधन से सुसज्जित नहीं थे।

सभी सुविधा केंद्रों पर भौतिक अधोसंरचना, परीक्षण किट, आवश्यक औषधियां तथा मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

- एन.ए.सी.पी.–तृतीय (2007–12) के दौरान सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रक्त संग्रहण इकाई स्थापित करने के लक्ष्य के बावजूद यह सभी सी.एच.सी. पर स्थापित नहीं किए जा सके थे, जिससे सुरक्षित रक्त आधान का उद्देश्य विफल हुआ।

सभी सी.एच.सी. पर रक्त संग्रहण इकाईयां स्थापित करने के प्रयास किए जाएं।

- नए एच.आई.वी. संक्रमण प्रकरणों में वृद्धि हुई थी। वर्ष 2011–12 के दौरान नए एच.आई.वी. संक्रमण के प्रकरणों की संख्या 4972 थी, जबकि वर्ष 2014–15 में नए प्रकरणों की संख्या 5348 प्रतिवेदित की गई थी। पॉजिटिव माताओं की संख्या में वर्ष 2010–15 के दौरान उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, पॉजिटिव माताओं से जन्मे बच्चों का एच.आई.वी. परीक्षण निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया था।

एच.आई.वी. पॉजिटिव माताओं से जन्में बच्चों के परीक्षण हेतु नमूना एकत्रीकरण साइटों की सुगम्य स्थानों पर स्थापना सुनिश्चित की जाए।

उच्च शिक्षा विभाग

2.3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ढांचा

कार्यपालन सारांश

मध्य प्रदेश राज्य विधान–मण्डल द्वारा मध्य प्रदेश में स्ववित्त पोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए विनियमित ढाँचा प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (अधिनियम) बनाया गया (मई 2007)। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (म.प्र.नि.वि.वि.आ.) भोपाल की स्थापना की गई (अक्टूबर 2009)। म.प्र.नि.वि.वि.आ. में एक सभापति तथा दो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और यह कुलाधिपति (राज्यपाल) के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। म.प्र.नि.वि.वि.आ. निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु, प्रायोजी निकायों के प्रस्ताव तथा परियोजना प्रतिवेदन का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से, यदि संतुष्ट होती है, तो निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है। राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के ढाँचे की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न लिखित प्रकट हुआ:

- अधिनियम के प्रावधानानुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में प्रायोजी निकाय के वित्तीय संसाधनों के साथ पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षित लेखाओं की जानकारी होगी। तथापि, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 के नियम 3 (2) के अंतर्गत निर्धारित आवेदन प्रपत्र के अनुसार प्रायोजी निकाय के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, प्रायोजी निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित सांविधिक आवश्यकता में असंगति थी जिसके कारण प्रायोजी निकायों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में एकरूपता नहीं रही।

(कंडिका 2.3.7.2)

- छह प्रायोजी निकायों के पास, अधिनियम के तहत निर्धारित शैक्षणिक उपयोग हेतु आवश्यक 20 हैक्टेयर भूमि नहीं थी। इसके बावजूद, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने राज्य सरकार को अपने प्रतिवेदन में इन छह विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुशंसा की। विभाग ने भी प्रायोजी निकायों द्वारा इन कमियों को दूर किए जाना सुनिश्चित किए बिना, उनकी स्थापना की।

(कंडिका 2.3.7.3)

- अधिनियम के अनुसार, प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश के प्रकाशित होने तक प्रवेश तथा कक्षाओं का प्रारंभ नहीं हो सकेगा। तथापि,सात निजी विश्वविद्यालयों ने प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश के अनुमोदन के पहले ही स्वयं के शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे।

(कंडिका 2.3.7.5)

- म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अपने कार्यों के निष्पादन हेतु कोई भी विनियम नहीं बनाए थे। यह निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर के अनुवीक्षण हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं कर सका था। प्रायोजी निकायों द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तुत विभिन्न परिवचनों का अनुवर्ती अनुवीक्षण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.3.8.1)

- यू.जी.सी. द्वारा अपने निरीक्षण में बताई गई विभिन्न कमियों के संदर्भ में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में म.प्र.नि.वि.वि.आ. के निरीक्षण के लिए अनुवीक्षण तंत्र का अभाव था।

¼dafMdk 2-3-8-2½

- म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने सूचित किया कि वह मानव शक्ति की कमी के कारण निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न अनुवीक्षण गतिविधियों को निष्पादित नहीं कर सका।

¼dafMdk 2-3-9-3½

2-3-1 iLrkouk

मध्य प्रदेश राज्य विधान–मण्डल द्वारा मध्य प्रदेश में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु स्ववित्त पोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उनके कार्यों के विनियमन हेतु मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (अधिनियम) बनाया गया (मई 2007)। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 बनाए थे।

अधिनियम के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के सामान्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में निर्देशन, अनुसंधान, अध्यापन, तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं अत्याधुनिक अनुसंधान, ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के लिए उपबंध करना, बौद्दिक क्षमता के उच्चतर स्तर का सृजन करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए कला सुविधाओं को सुलभ करना, गवेषणा एवं विकास तथा ज्ञान की सहभागिता एवं उसके उपयोजन के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों को सृजित करना इत्यादि है। मार्च 2015 तक मध्य प्रदेश में 15 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। जिसका विवरण **ifjf'k"V&2-36** में दिया गया है।

2-3-2 futh fo'ofo|ky;ksa dh LFkkiuk ds fy, fofu;fer <kapk

अधिनियम के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु विनियामक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से तथा अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान इत्यादि के उद्देश्य को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार तथा केन्द्रीय विनियामक निकायों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक विनियामक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (म.प्र.नि.वि.वि.आ.) भोपाल की स्थापना की गई (अक्टूबर 2009)। म.प्र.नि.वि.वि.आ. में एक सभापति तथा दो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और यह कुलाधिपति (राज्यपाल) के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु, प्रायोजी निकायों के प्रस्ताव तथा परियोजना प्रतिवेदन का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है। प्रस्ताव की जांच तथा मूल्यांकन के पश्चात यदि म.प्र.नि.वि.वि.आ. की यह राय हो कि प्रायोजी निकाय को निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का अवसर दिया जाए,तो म.प्र.नि.वि.वि.आ. राज्य सरकार को प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी करने हेतु अपनी अनुशंसा करता है। इसके आधार पर राज्य सरकार प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर सकती है।

आशय पत्र में कुछ शर्ते समाविष्ट रहती हैं, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य परिसर स्थापित करने, मुख्य परिसर हेतु न्यूनतम भूमि की आवश्यकता, प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु न्यूनतम निर्मित क्षेत्र तथा निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने हेतु निर्धारित अपेक्षित परिवचन का प्रस्तुत किया जाना शामिल है। राज्य में निजी

विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रायोजी निकायों द्वारा इन शर्तों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

प्रायोजी निकाय से आशय पत्र पर अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात म.प्र.नि.वि.वि.आ. उसका परीक्षण करता है तथा संतुष्ट होने पर राज्य सरकार को उसका प्रतिवेदन भेजता है। राज्य सरकार, म.प्र.नि.वि.वि.आ. से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) से प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यू.जी.सी. अपना प्रतिवेदन अधिक से अधिक तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगा या अन्यथा राज्य सरकार ऐसा निर्णय कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे। म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा यू.जी.सी. के निरीक्षण प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार, यदि संतुष्ट हो तो, निजी विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती है।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु एक शर्त यह भी है कि संबंधित परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुमोदन होने तक प्रवेश तथा कक्षाओं का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, निजी विश्वविद्यालय अपने प्रथम/पश्चातवर्ती परिनियमों और प्रथम/पश्चातवर्ती अध्यादेशों को म.प्र.नि.वि.वि.आ. को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करते हैं।

इन परिनियमों तथा अध्यादेशों के विषय जैसे कि शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, विद्यापरिषद के गठन, शक्तियां एवं कार्य इत्यादि, कुलपति, कुलसचिव, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अन्य अधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति की शर्तें, शक्तियों तथा कार्यों इत्यादि पदों के सृजन एवं उनके समाप्ति की प्रक्रिया, लेखा नीति एवं वित्तीय प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम हेतु फीस, निजी विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रमों का विवरण, छात्रों के प्रवेश, अध्येतावृत्तियों (फेलोशिप), छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, पदकों एवं पारितोषिक प्रदान करने संबंधी शर्तों से संबंधित हो सकते हैं।

2-3-3 laxBukRed <kpk

म.प्र.नि.वि.वि.आ. कुलाधिपति (राज्यपाल) के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। उच्चतर शिक्षा विभाग (विभाग), प्रमुख सचिव के अधीन राज्य स्तर पर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु उत्तरदायी है। राज्य सरकार नीति विषयक प्रश्नों पर विनियामक आयोग को निर्देश जारी कर सकेगी जो बाध्यकारी होंगे।

2-3-4 ys[kkijh{kk ds mn~ns';

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि क्या :

- निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना विधिक प्रावधानों के अनुरूप थी;
- निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं, अधिनियम और पश्चातवर्ती संशोधनों के संदर्भ में कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी; तथा,
- यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र मौजूद था कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सम्बन्धित विनियामक संस्था या विनियामक परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किया जा रहा है।

2-3-5 y[kkijh{kk ekun.M

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा मानदण्डों को निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त किया गया था :

- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007;
- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2013;
- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008;
- यू.जी.सी. अधिनियम–1956, यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं मानकों का अनुरक्षण) विनियम, 2003;
- आवधिक अनुवीक्षण प्रतिवेदन; तथा
- सरकार द्वारा समय समय पर जारी संशोधन, अधिसूचनाएं, नियम, आदेश एवं निर्देश।

2-3-6 y[kkijh{kk dk dk;Z{k=] lekos'ku ,oa fØ;kfof/k

आयुक्त उच्चशिक्षा विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन 17 मार्च 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मापदण्ड एवं समावेशन पर चर्चा की गई थी। 2007–08 से 2014–15 तक राज्य में सभी 15 निजी विश्वविद्यालयों ¼ifjf'k"V&2-36½ की स्थापना के संबंध में म.प्र.नि.वि.वि.आ. और उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच मार्च 2015 और जुलाई 2015 के मध्य की गई थी। प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के साथ निर्गम सम्मेलन 9 सितम्बर 2015 को आयोजित किया गया था। उत्तरों को समीक्षा में यथा स्थान शामिल किया गया है।

y[kkijh{kk fu"d"k

2-3-7 futh fo'ofo|ky;ksa dh LFkkiuk

2-3-7-1 mPp f'k{kk foHkkx }kjk iLrkoksa dk ewY;kadu u fd;k tkuk

राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा–36 के तहत फरवरी 2008 की अधिसूचना के माध्यम से, राज्य विनियामक आयोग के गठन तक विनियामक आयोग के कर्तव्यों का पालन करने के लिये उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए संबंधित प्रायोजी निकायों से नवम्बर 2007 से जून 2008 के बीच सात आवेदन प्राप्त हुए। तथापि, विभाग द्वारा इन प्रस्तावों का मूल्यांकन नहीं किया गया। म.प्र.नि.वि.वि.आ. की स्थापना (अक्टूबर 2009) होने पर ये सात आवेदन म.प्र.नि.वि.वि.आ. को जनवरी/फरवरी 2010 में अग्रेषित कर दिए गए थे। इस प्रकार, प्रायोजी निकायों के प्रस्तावों पर विभाग ने 21 से 26 महीनों तक ¼ifjf'k"V&2-37½ कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण इन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना में देरी हुई।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने बताया कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों की संवीक्षा की गई थी। अतः सांविधिक दायित्वों के लिए प्रक्रिया के कारण विलम्ब हुआ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि म.प्र.नि.वि.वि.आ. के गठन होने तक विभाग को विनियामक आयोग के कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार दिया गया था।

2-3-7-2 ik;kth fudk;k d y[kk ijhf{kr y[kkvk dh lkfof/kd vko';drkvk dk fu/kkfjr dju e vlxfr

अधिनियम की धारा 4 (2) (ख) के अनुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में प्रायोजी निकाय के वित्तीय संसाधनों के साथ पिछले पाँच वर्षों के लेखा परीक्षित लेखाओं की जानकारी होगी । तथापि, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 के नियम 3 (2) के अंतर्गत निर्धारित आवेदन प्रपत्र में प्रायोजी निकाय के पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित लेखाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रायोजी निकायों के लेखा परीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु सांविधिक आवश्यकता निर्धारित करने में असंगति थी। इस असंगति के कारण निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रायोजी निकायों के तीन आवेदनों (सार्वजनिक जनकल्याण परमार्थिक न्यास, भोपाल, ए.के.एस. चेरिटेबल ट्रस्ट, सतना एवं रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली) में तीन वर्ष के लेखा, पांच आवेदनों (जयप्रकाश सेवा संस्थान ट्रस्ट, नई दिल्ली, आल इण्डिया सोसायटी फार इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल, देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल, समता लोक संस्थान ट्रस्ट, ग्वालियर एवं आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, भोपाल) में चार वर्षों के लेखा तथा अन्य सात आवेदनों में पांच वर्षों के लेखा प्रस्तुत किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने विषमता को स्वीकार किया एवं बताया कि आवेदन प्रारूप अधिनियम के अनुरूप सही कर लिया गया है।

2-3-7-3 vk'k; i= dk tkjh djuk ,o mld vuikyu dk lR;kiu djuk

अधिनियम की धारा–7 के अनुसार सरकार द्वारा जारी आशय पत्र में विभिन्न शर्तें, जैसे कि मुख्य परिसर की स्थापना, विन्यास निधि, न्यूनतम भूमि एवं निर्मित क्षेत्र और निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने हेतु निर्धारित अपेक्षाओं से संबंधित परिवचन, समाविष्ट रहेंगी। म.प्र.नि.वि.वि.आ., प्रायोजी निकाय के अनुपालन प्रतिवेदन का परीक्षण करता है और संतुष्ट होने पर, राज्य सरकार को उसका प्रतिवेदन भेजता है। सरकार, म.प्र.नि.वि. वि.आ. से प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत, यदि संतुष्ट होती है, निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। जारी किए गए आशय पत्र और उसके अनुपालन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न प्रकट हुआः

¼d½ vk'k; i= tkjh dju vkj vuikyu ifrodu d lR;kiu gr le; lhek dk fu/kkfjr u gkuk

अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत म.प्र.नि.वि.वि.आ. से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार प्रायोजी निकाय को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में आशय पत्र जारी कर सकती है। तथापि, अधिनियम में आशय पत्र जारी करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि एक मामले में विभाग ने म.प्र.नि.वि.वि.आ. से अनुशंसा प्राप्त होने के ही दिन प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी किया था। तथापि, अन्य 14 मामलों में आशय पत्र जारी करने में 13 से 171 दिनों का समय लिया गया था ¼ifjf'k"V&2-38½A

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा–8 के अनुसार प्रायोजी निकाय आशय पत्र की शर्तों के अनुपालन में सुसंगत दस्तावेजों सहित अनुपालन प्रतिवेदन एवं परिवचन, म.प्र. नि.वि.वि.आ. को प्रस्तुत करेंगे। तथापि, म.प्र.नि.वि.वि.आ. के लिए अनुपालन प्रतिवेदन के परीक्षण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। यह नोट किया गया कि म.प्र.नि.वि.वि. आ. ने दो निजी विश्वविद्यालयों, *ए.के.एस. विश्वविद्यालय,* सतना एवं *श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय,* इन्दौर के प्रायोजी निकायों के अनुपालन प्रतिवेदनों को परीक्षण करने में क्रमशः 411 एवं 164 दिवसों का समय लिया।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने बताया कि कुछ प्रकरणों में सांविधिक परीक्षण हेतु पर्याप्त समय आवश्यक है, अतः समय का अंतर न्यायोचित है। तथापि, विभाग ने स्वीकार किया कि विनियम में कुछ लचीली समय सीमा का निर्धारण किया जा सकता है।

vuq'kalk

आशय पत्र जारी करने एवं आशय पत्र पर अनुपालन प्रतिवेदन की संवीक्षा हेतु राज्य सरकार समय सीमा निर्धारित कर सकती है।

¼[k½ *vk'k; i= dh 'krksZa dh iwfrZ lqfuf'pr fd, fcuk futh fo'ofo|ky; dh LFkkiuk*

- आशय पत्र की शर्तों में से एक शर्त के अनुसार प्रायोजी निकाय के पास मुख्य परिसर स्थापित करने हेतु न्यूनतम 20 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिये एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ इसके स्वामित्व के कागजात म.प्र.नि.वि.वि.आ. को प्रस्तुत करना चाहिए। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2013 द्वारा भूमि की आवश्यकता तत्पश्चात घटाकर 10 हैक्टेयर कर दी गई थी।

'kS{kf.kd mn~ns';ksa ds fy, vis{kr Hkwfe dh vuqiyC/krk lqcks/kh dfe;ka dks gVk;k tkuk lqfuf'pr fd, fcuk Ng futh fo'ofo|ky;ksa dh LFkkiuk dh xbZ Fkh

म.प्र.नि.वि.वि.आ. संबंधित जिला कलेक्टरों से प्रायोजी निकायों द्वारा प्रस्तुत भूमि संबधी विवरणों के साथ अनुपालन प्रतिवेदन के सत्यापन हेतु निवेदन करता है। जिला कलेक्टरों की संबंधित प्रतिवेदनों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि छह प्रायोजी निकायों के पास शैक्षणिक उद्देश्य हेतु निर्धारित 20 हैक्टेयर भूमि नहीं थी ¼ifjf'k"V&2-39½। चार प्रायोजी निकायों के प्रकरण में उनकी सम्पूर्ण 20 हैक्टेयर भूमि शैक्षणिक उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए जबकि दो प्रायोजी निकायों के पास क्रमशः 3.94 हैक्टेयर एवं 5.15 हैक्टेयर भूमि शैक्षणिक उद्देश्य के लिए थी। शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अपने प्रतिवेदन में छह निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा राज्य सरकार से की। विभाग ने भी प्रायोजी निकायों द्वारा इन कमियों को दूर किया जाना सुनिश्चित किए बिना उनकी स्थापना की थी।

इंगित किए जाने पर सभापति, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने बताया (जुलाई 2015) कि शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग संबंधी दस्तावेजों को निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने उत्तर में कहा कि शैक्षणिक उद्देश्य के लिये भूमि उपयोग परिर्वतन को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा तथा उसका अनुसरण किया जाएगा।

vuq'kalk

म.प्र.नि.वि.वि.आ. एवं विभाग द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।

- अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, भोपाल (प्रायोजी निकाय) द्वारा इस आशय के दो आवश्यक परिवचन प्रस्तुत नहीं किए – (1) यह कि विनियामक निकायों द्वारा, समय समय पर निर्धारित कार्यक्रम, संकाय, अधोसंरचना सुविधाएं, वित्तीय व्यवहार्यता की शर्तो के न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करेगा और (2) वह स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा के मुख्य अध्ययन कार्यक्रम की रचना करेगा, जो सुसंगत विनियमों तथा विश्वविद्याालय अनुदान आयोग या संबंधित कानूनी निकायों के मानकों की पुष्टि करेगा। तथापि, म.प्र.नि.वि.वि. आ. ने अपने प्रतिवेदन में आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, भोपाल के

प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा की थी। विभाग ने भी आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना विश्वविद्यालय की स्थापना की।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि परिवचन प्रायोजी निकाय से प्राप्त कर लिया गया था जो कि अब दस्तावेजों में उपलब्ध था। तथापि, तथ्य यह है कि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के समय म.प्र.नि.वि.वि.आ. के पास परिवचन उपलब्ध नहीं थे।

2-3-7-4 ;w-th-lh- }kjk iLrkfor futh fo'ofo|ky; dk fujh{k.k

अधिनियम की धारा 8(5) के अनुसार राज्य सरकार, आशय पत्र पर अनुपालन प्रतिवेदन पर म.प्र.नि.वि.वि.आ. से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात यू.जी.सी. से प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने का अनुरोध करेगा और यू.जी.सी. अपना प्रतिवेदन अधिक से अधिक तीन मास के भीतर प्रस्तुत करेगा या अन्यथा राज्य सरकार ऐसा निर्णय कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे।

यू.जी.सी. द्वारा निरीक्षण से संबधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया किः

(1) उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय श्री सत्य सांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर के अधोसंरचना, भवन, भूमि, स्टाफ, पुस्तकालय एवं पाठ्यक्रमों की स्थिति के निरीक्षण हेतु सचिव, यू.जी.सी. नई दिल्ली को अनुरोध किया था (06.07.2013)। तथापि, प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के निरीक्षण हेतु यू.जी.सी. से किए गए अपने अनुरोध के तीन माह की समाप्ति के पूर्व ही, विभाग ने 17.09.2013 को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी थी जो कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।

(2). जेपी यूनिवर्सिटी, गुना अप्रैल, 2010 में स्थापित हुई थी जबकि विभाग द्वारा प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के अधोसंरचना, भवन, भूमि, स्टाफ, पुस्तकालय एवं पाठ्यक्रमों की स्थिति के निरीक्षण हेतु यू.जी.सी. को जुलाई 2010 में अनुरोध किया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा कहा गया कि यू.जी.सी. रेगुलेशन 2003 के प्रकाश में अधिनियम की धारा–8(5) में पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के निरीक्षण हेतु यू.जी.सी. को तीन महीने की अवधि प्रदान की गई है, तथापि अनुसूची में संशोधन कर, एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना तीन महीने की समयावधि की समाप्ति के पूर्व एवं एक अन्य प्रकरण में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद निरीक्षण हेतु अनुरोध किया गया था।

2-3-7-5- lcf/kr ifjfu;e ,o v/;kn'k d idk'ku d io futh fo'ofo|ky;k dk ikjEHk gk tkuk

Lkkfof/kd iko/kkuk d foijhr] lkr futh fo'ofo|ky;k }kjk viu igy v/;kn'k ,o ifjfu;e d vuqeknu d io viu 'k{kf.kd ikB;de 'k: dj fn;s x;s Fk

अधिनियम की धारा–7(चार)(ड) के साथ पठित धारा–35 के अनुसार संबंधित परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुमोदन होने तक प्रवेश तथा कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ नहीं किया जाएगा। समस्त परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सात निजी विश्वविद्यालयों द्वारा उनके पहले अध्यादेश एवं परिनियम के अनुमोदन के पूर्व, शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू कर दिए थे ¼ifjf'k"V&2-40½। तथापि, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए इन सात निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि कुछ प्रकरणों में प्रायोजी निकायों को प्रारंभिक चरणों में जारी आशयपत्र के शब्दों में कुछ गलतफहमी के कारण इन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था, जिसे सुधारा जा चुका है। आयोग ने भविष्य में इसे रोकने की पहल की है। इस पक्ष पर दृढ़ता से ध्यान दिया जाएगा।

vuq'kalk

म.प्र.नि.वि.वि.आ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी निजी विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश एवं परिनियम के प्रकाशन के पूर्व अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू न कर सके।

2-3-8 futh fo'ofo|ky;ksa dks izc/ku vkSj lapkyu dk vuqoh{k.k

2-3-8-1 e-iz-fu-fo-fo-vk- }kjk vuqoh{k.k dh deh

अधिनियम की धारा 36 (10) के अनुसार, म.प्र.नि.वि.वि.आ. का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि :

1. निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान का मानक बनाए रखने के लिए ऐसे समस्त कदम उठाए जिन्हें वह आवश्यक समझे;

2. यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय केवल उतनी फीस और अन्य प्रभार संग्रहीत करें जो उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को पूरा कर सके और युक्तियुक्त अधिशेष राशि भी प्रदान करे जिसका उपयोग वे आस्तियों के संधारण और विस्तार करने में कर सके;

3. यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य किसी विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं हों;

4. यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, परिनियमों, अध्यादेशों, यू.जी.सी. तथा अन्य संबंधित कानूनी निकायों द्वारा निर्धारित मानदण्डों तथा दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई है; तथा

5. यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों का शोषण न हो और उनसे असम्यक या अत्यधिक फीस संग्रहीत करने के लिये अनैतिक तरीके न अपनाए जाएं।

लेखा परीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. अधिनियम में निर्धारित अपने सामान्य कर्तव्यों का पालन नहीं कर सका था, जिनकी विवेचना आगामी कंडिकाओं में की गई है।

e-iz-fu-fo-fo-vk- us viuk dk;ksZa dk fu"iknu djus gsrq vko';d fofu;e ugha cuk, FkA

- *dk;ksZa ds fu"iknu ds fy, fofu;e u cukuk*

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 का नियम 12 (1) के अनुसार आयोग अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए तथा प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये विनियम के रूप में प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 2015 तक म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन में पालन करने के लिये तथा प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये कोई विनियम तैयार नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने कहा कि विनियमो को बनाया जाना प्रक्रियाधीन था।

fu th fo'ofo|ky;k e f'k{k.k d ekudk dk vuqoh{k.k u djuk fofHkUu xfrfof/k;k tl fd&f'k{k.k d ekudk] ik;kth fudk;k }kjk iLrqr ifjopu ij vuqorh dk;okgh] foU;kl fuf/k dh vk; l gq, O;; bR;kfn dk vuqoh{k.k e-i-fu-fo-fo-vk- }kjk ugh fd;k x;k

• fu th fo'ofo|ky;k e f'k{k.k d ekudk dk vuqoh{k.k u djuk

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने निजी विश्वविद्यालयों मे अध्यापकों की न्यूनतम अर्हताएं तथा अध्यापकों की न्यूनतम उपलब्धता पर ध्यान देने हेतु तंत्र विकसित नहीं किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण के मानक यू.जी.सी. के मापदण्ड के अनुसार थे।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षण के मानकों को सुनिश्चितता एवं सुदृढ़ता प्रदान करने के लिये म.प्र.नि.वि.वि.आ. को निर्देशित किया जाएगा।

• ik;kth fudk;k }kjk iLrqr ifjopuk ij vuqorh dk;okgh dk vuqoh{k.k u djuk

अधिनियम की धारा–7 के अनुसार सरकार द्वारा जारी आशयपत्र में विभिन्न शर्तें जैसे मुख्य परिसर की स्थापना, विन्यास निधि, न्यूनतम भूमि एवं निर्मित क्षेत्र तथा विभिन्न परिवचन शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा–8 के अनुसार प्रायोजी निकाय आशयपत्र की शर्तों के अनुपालन में सुसंगत दस्तावेजों सहित अनुपालन प्रतिवेदन तथा परिवचन म.प्र.नि.वि.वि.आ. को प्रस्तुत करेंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि आशयपत्र पर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत परिवचन के संदर्भ में प्रायोजी निकायों द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही पर म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अनुवीक्षण नहीं किया था। इस उद्देश्य हेतु न तो कोई निरीक्षण किया गया और न ही कोई आवधिक प्रतिवेदन निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त किया गया।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि आयोग नियमित निरीक्षण के लिए कार्यनीति तैयार कर रहा था।

• ik;kth fudk;k d iathxr O;; dh pj.kc) fLFkfr dk vuqoh{k.k u fd;k tkuk

अधिनियम की धारा–4 (2) (च) एवं (छ) के अनुबंध अनुसार प्रायोजी निकाय पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध स्थिति विवरण तथा उसके वित्त के स्त्रोत की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि समस्त 15 प्रायोजी निकायों द्वारा अधोसंरचनात्मक विकास के लिये पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध स्थिति परियोजना प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की थी ¼ifjf'k"V&2-41½। तथापि, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के अनुरूप अधोसंरचनात्मक विकास को सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि आयोग नियमित निरीक्षण के लिए कार्यनीति तैयार कर रहा था।

• foU;kl fuf/k dh vk; l gq, O;; dk vuqoh{k.k u djuk

अधिनियम की धारा 11 (3) के अनुसार, विन्यास निधि से आय का उपयोग निजी विश्वविद्यालय की अधोसंरचना के विकास के सिवाय, निजी विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय हेतु नहीं किया जाएगा। तथापि म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने निजी विश्वविद्यालय द्वारा विन्यास निधि के निवेश से हुई आय से हुए व्यय पर नजर नहीं रखी थी।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. को आवधिक निरीक्षण हेतु तंत्र रखने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

- **f'kdk;r izdj.kks ls lacf/kr vfHkys[kks dk j[kj[kko u djuk**

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. में प्राप्त शिकायतों का कोई समेकित अभिलेख संधारित नहीं किया गया था। म.प्र.नि.वि.वि.आ. पिछले पांच सालों में प्राप्त शिकायतों की जानकारी उपलब्ध नहीं करा सका।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने बताया कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. को शिकायत पंजी तैयार करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

vuq'kalk

म.प्र.नि.वि.वि.आ. अपने कार्यों के निष्पादन, आयोग के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए विनियम बनाए। म.प्र.नि.वि.वि.आ. के अनुवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए ताकि वह अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अपने सामान्य कर्तव्यों का निर्वाह कर सके।

2-3-8-2 ;w-th-lh- }kjk vkof/kd fujh{k.k rFkk e-iz-fu-fo-fo-vk- }kjk dfe;ksa dk lq/kkj

अधिनियम की धारा 39 (1) के अनुसार, यू.जी.सी. निजी विश्वविद्यालय का आवधिक निरीक्षण कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये यू.जी.सी. संबंधित निजी विश्वविद्यालय से समस्त सुसंगत जानकारियां मांग सकेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 36 (1) के अनुसार म.प्र.नि.वि.वि.आ. राज्य सरकार एवं केन्द्रीय विनियामक निकायों के बीच मध्यस्थ के रूप में, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रम, छात्रों के हितों का संरक्षण तथा कर्मचारियों की युक्तियुक्त सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगा।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 15 स्थापित निजी विश्वविद्यालयों में से सात का निरीक्षण यू.जी.सी. द्वारा दिनांक 31.03.2015 तक किया जा चुका था। तथापि, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने मार्च 2015 तक केवल एक प्रतिवेदन (जेपी यूनिवर्सिटी, गुना) प्राप्त किया था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रतिक्रिया में म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा जानकारी दी गई (सितम्बर 2015) कि चार प्रतिवेदन[1] और प्राप्त किये जा चुके हैं तथा दो निरीक्षण प्रतिवेदन (ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना एवं आईसेक्ट विश्वविद्यालय, रायसेन) अभी प्राप्त किया जाना हैं।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अपने उत्तर में बताया कि (सितम्बर 2015) जेपी यूनिवर्सिटी, गुना का यू.जी.सी. प्रतिवेदन मार्च 2015 के पूर्व प्राप्त हो गया था तथा यू.जी.सी. की सकारात्मक टिप्पणी होने के कारण कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं थी। चार अन्य प्रकरणों में जिनमें यू.जी.सी. द्वारा कमियां बताई गई थी, उनमें कमियों को दूर करने हेतु निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे। म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने यह भी बताया कि यू.जी.सी. को निजी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन म.प्र.नि.वि.वि.आ.को प्रदाय करने हेतु पत्र जारी किया जाएगा क्योंकि ये उनके (यू.जी.सी.) द्वारा म.प्र.नि.वि.वि.आ. को नहीं भेजे जा रहे थे।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि यू.जी.सी. द्वारा अपने निरीक्षण में बताई गई विभिन्न कमियों के संदर्भ में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में म.प्र.नि.वि.वि.आ. के निरीक्षण के अनुवीक्षण तंत्र में कमी रही।

2-3-8-3 futh fo'ofo|ky;ksa esa vf/kdkfj;ksa dh fu;qfDr

अधिनियम की धारा–14 के अनुसार निजी विश्वविद्यालय में निम्न अधिकारी होंगे यथा (क) कुलाध्यक्ष (ख) कुलाधिपति (ग) कुलपति (घ) कुलसचिव (ङ) मुख्य वित्त एवं

---

[1] आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, ग्वालियर, ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर, पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल एवं श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर

लेखाधिकारी और (च) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें निजी विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए।

अभिलेखों एवं निजी विश्वविद्यालयों में अधिकारियों के नियुक्ति के संबंध में म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि कुलाधिपति, कुलपति एवं कुल सचिव की नियुक्ति के संबंध में विवरण म.प्र.नि.वि.वि.आ. के पास उपलब्ध था तथापि, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी तथा निजी विश्वविद्यालयों के परिनियमों में घोषित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने बताया कि प्रायोजी निकायों द्वारा निजी विश्वविद्यालयों में अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए म.प्र.नि.वि.वि.आ. को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

2-3-8-4 futh fo'ofo|ky;k dk okf"kd ifronu ,o y[kkijhf{kr y[kk

अधिनियम की धारा–38 के अनुसार निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा जिसमें तुलनपत्र सम्मिलित है, तैयार किया जाएगा और निजी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा की एक प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति शासी निकाय की टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, कुलाध्यक्ष एवं म.प्र.नि.वि.वि.आ. को प्रस्तुत की जाएगी। म.प्र.नि.वि.वि.आ. वार्षिक प्रतिवेदन, लेखाओं तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परीक्षण करेगा। निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से उद्भूत विषय पर म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा दिये गये निर्देश, निजी विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे म.प्र.नि.वि.वि.आ. को प्रस्तुत किए जा रहे थे। तथापि, म.प्र.नि.वि.वि.आ. में इसके परीक्षण के संबंध में कोई अभिलेख संधारित होना नहीं पाया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने स्वीकार किया और माना कि सरकार को म.प्र.नि.वि.वि.आ. में कमियों के संबंध में पता है, जिन्हें समय पर ठीक नहीं किया जा सका था तथा अब कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

2-3-8-5 Nk=k l ,df=r Qhl d ,d ifr'kr d tek fd, tku e foyEc

अधिनियम की धारा–12 तथा 2013 में संशोधन के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि से 30 दिनों के भीतर छात्रों से संग्रहीत फीस का एक प्रतिशत म.प्र.नि.वि.वि.आ. के पास ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, जमा किया जाएगा तथा म.प्र.नि.वि.वि.आ. निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त फीस की रकम 15 दिन के भीतर कोषालय में जमा करेगा।

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 के नियम 9(3) के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों से संग्रहीत की गई फीस के संबंध में जानकारी और शासकीय कोषालय में जमा की गई फीस तथा दाण्डिक ब्याज, यदि कोई हो, जो अधिरोपित किया गया हो और शासकीय कोषालय में जमा किया गया हो और इस संबंध में अन्य सुसंगत जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में म.प्र.नि.वि.वि.आ. के कार्यालय में रखी जाएगी। दाण्डिक ब्याज की जानकारी नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में रखी जाएगी। तथापि, दाण्डिक ब्याज की दर निर्धारित नहीं की गई है।

2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान निजी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों से एकत्रित फीस का एक प्रतिशत, राशि ₹ 466.99 लाख म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा, प्राप्त की गई तथा कोषालय में जमा की गई।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि :

1. एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2011–12 हेतु छात्रों से एकत्रित फीस की एक प्रतिशत राशि ₹ 1.05 लाख जमा की (अक्टूबर 2013)। इसी प्रकार पीपुल्स विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा सत्र 2014–15 हेतु छात्रों से एकत्रित फीस की एक प्रतिशत राशि ₹ 67.05 लाख निर्धारित 30 दिन की समयावधि के पश्चात जमा की (जून 2015)। यह भी देखा गया कि जुलाई 2015 तक रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा सत्र 2014–15 हेतु छात्रों से एकत्रित फीस का एक प्रतिशत म.प्र.नि.वि.वि.आ. में जुलाई 2015 तक जमा नहीं किया गया था। तथापि, दाण्डिक ब्याज अधिरोपित करने हेतु म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

2. इसके अतिरिक्त, हमने यह देखा कि जेपी यूनिवर्सिटी, गुना ने 17.09.2010 को राशि ₹ 13.01 लाख एवं 17.01.2011 को राशि ₹ 5.41 लाख म.प्र.नि.वि.वि.आ. में जमा की थी किन्तु म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने कुल राशि ₹ 18.42 लाख कोषालय में दिनांक 31.03.2011 को निर्धारित समय सीमा 15 दिन की अवधि के बाद क्रमशः 180 एवं 58 दिवसों के विलंब से जमा की थी।

3. यह भी देखा गया कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. में, निजी विश्वविद्यालयों द्वारा जमा फीस के एक प्रतिशत की सत्यता अभिनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने स्वीकार किया एवं माना कि (1) म.प्र.नि.वि.वि.आ. को प्रक्रिया को और अधिक यथोचित रूप से मानकीकृत करने के निर्देश दिए जाएंगे। तथापि, लेखापरीक्षा की अनुशंसा पर, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने निजी विश्वविद्यालयों पर छात्रों से एकत्रित फीस के एक प्रतिशत को देरी से जमा करने पर जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। श्री सत्य सांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर पर जुर्माना अधिरोपित किया गया तथा विश्वविद्यालय द्वारा ₹ 51004 जुर्माने के रूप में जमा किए गए। (2) म.प्र.नि.वि.वि.आ. को नियमों एवं विनियमों का सख्ती से पालन करने हेतु निर्देश दिए जाएंगे। (3) आयोग ने भविष्य में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के माध्यम से फार्म–डी में दर्ज जानकारी के सत्यापन का निर्णय लिया है।

vuq'kalk

म.प्र.नि.वि.वि.आ. छात्रों से एकत्रित फीस का एक प्रतिशत विलम्ब से जमा करने पर निजी विश्वविद्यालयों पर दण्डात्मक ब्याज लगाए।

2-3-9 e-i-fu-fo-fo-vk- dh laLFkkxr 0;oLFkk,a

2-3-9-1 e-i-fu-fo-fo-vk- }kjk ctV u cuk;k tkuk

नियम–21 के अनुसार म.प्र.नि.वि.वि.आ. के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में, प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय दर्शाते हुये बजट तैयार करना आवश्यक है तथा उसकी प्रतिलिपियां, उच्च शिक्षा विभाग को राज्य विधान–सभा द्वारा सम्यक विनियोग प्राप्त करने की दृष्टि से अग्रेषित की जाएंगी।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. में अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा न तो वेतन, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि हेतु बजट तैयार किया गया था और न ही उच्च शिक्षा विभाग को राज्य विधान सभा द्वारा सम्यक विनियोग प्राप्त करने की दृष्टि से अग्रेषित किया गया था। तथापि विभाग द्वारा म.प्र.नि.वि.वि.आ. को बजट आवंटन

किया गया था । विभाग द्वारा प्रदाय आवंटन एवं उसमें से, म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा किए गए व्यय का विवरण rkfydk&1 में दर्शाया गया है।

rkfydk&1½ o"kZ 2010&15 d nkSjku e-i-fu-fo-fo-vk- dk vkoVu ,o O;;

¼jkf'k ₹ e½

o"kZ	vkoVu	O;;
2010–11	4,50,000	2,76,002
2011–12	84,93,000	45,18,607
2012–13	81,15,000	53,00,505
2013–14	85,74,185	75,04,140
2014–15	68,21,000	57,12,929

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि भविष्य में म.प्र.नि.वि.वि.आ. को बजट प्राक्कलन तैयार करने एवं विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

2-3-9-2 foU;kl fuf/k dk icU/ku

अधिनियम की धारा–11 (1) के अनुसार प्रायोजी निकाय आशयपत्र प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर पांच करोड़ रूपये की विन्यास निधि स्थापित करेंगे। *मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008* के नियम 5(1) के अनुसार म.प्र.नि.वि.वि.आ. निधि की तरलता, उसकी सुरक्षा तथा लाभदायकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये, विन्यास निधि का एक अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में विनियोजन करेगा।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने विन्यास निधि को सावधि जमा के रूप में निवेश करते समय मुनाफे को अभिनिश्चित नहीं किया। विभिन्न बैंकों द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक दरें प्राप्त नहीं की गईं। आगे यह भी पाया गया कि दस अवसरों पर म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा विन्यास निधि प्राप्त होने के 11 से 140 दिनों के बाद अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में विन्यास निधि को निवेश किया था। जिसके कारण म.प्र.नि.वि.वि.आ. को ₹ 22.05 लाख (लगभग) के ब्याज की हानि हुई ¼ifjf'k"V&2-42½।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि म.प्र.नि.वि.वि.आ. को विन्यास निधि का निवेश समय पर करने हेतु तथा बैंक में सावधि जमा करने से पूर्व तुलनात्मक चार्ट बनाने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

vuq'kalk

म.प्र.नि.वि.वि.आ. को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु प्रायोजी निकाय से ₹ 5 करोड़ की विन्यास निधि प्राप्त होने के तुरन्त बाद सावधि जमा के रूप में निवेश कर देना चाहिए।

2-3-9-3 e-i-fu-fo-fo-vk- dh ekuo 'kfDr dk icU/ku

अधिनियम की धारा–36 के अनुसार म.प्र.नि.वि.वि.आ. में एक सभापति और दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिसमें से एक सदस्य, सदस्य–शैक्षणिक और दूसरा सदस्य,

सदस्य–प्रशासनिक होगा और दो से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे। म.प्र.नि.वि.वि.आ. में एक पूर्णकालिक या अंशकालिक सचिव होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 2009 में म.प्र.नि.वि.वि.आ. की स्थापना से पूर्व अधिनियम को लागू करने हेतु विभाग में एक सेल बनाया गया था, जिसमें विभिन्न स्तरों पर 17 पद[2] स्वीकृत किए गए थे। तथापि, 2009 में म.प्र.नि.वि.वि.आ. की स्थापना के पश्चात इन पदों को म.प्र.नि.वि.वि.आ. को हस्तांतरित नहीं किया गया था। म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने इन पदो के हस्तांतरण हेतु 2014 में विभाग से अनुरोध किया। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के जवाब में म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा बताया गया कि मानव शक्ति के अभाव में म.प्र.नि.वि.वि.आ. निजी विश्वविद्यालय के संबंध में अपनी विभिन्न अनुवीक्षण गतिविधियों का निष्पादन नहीं कर पाया।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग द्वारा बताया गया कि इन पदों हेतु 15 पद स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिसके लिये नियुक्तियां शीघ्र की जाएंगी।

2-3-10 fu"d"k ,o vu'kalk,

- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 के प्रावधानानुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में प्रायोजी निकाय के वित्तीय संसाधनो के साथ पिछले पांच वर्षो के लेखापरीक्षित लेखाओं की जानकारी होगी। तथापि, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 के नियम 3 (2) के अंतर्गत निर्धारित आवेदन प्रपत्र के अनुसार प्रायोजी निकाय के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, प्रायोजी निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु सांविधिक माँग निर्धारण में असंगति थी जिसके कारण प्रायोजी निकायों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में एकरूपता नहीं रही।

- छह प्रायोजी निकायों के पास, अधिनियम के तहत निर्धारित शैक्षणिक उपयोग हेतु आवश्यक 20 हैक्टेयर भूमि नहीं थी। इसके बावजूद, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने राज्य सरकार को अपने प्रतिवेदन में इन छह विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुशंसा की। विभाग ने भी प्रायोजी निकायों द्वारा इन कमियों को दूर किए जाना सुनिश्चित किए बिना, उनकी स्थापना की।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. एवं विभाग निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व प्रायोजी निकाय द्वारा कमियों को दूर करना सुनिश्चित करें।

- अधिनियम के अनुसार, प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश के प्रकाशित होने तक प्रवेश तथा कक्षाओ का प्रारंभ नहीं हो सकेगा। तथापि, सात निजी विश्वविद्यालयों ने प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश के अनुमोदन के पहले ही स्वयं के शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश एवं परिनियम के प्रकाशन के बाद अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू करें।

- म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अपने कार्यों के निष्पादन हेतु कोई भी विनियम नहीं बनाया था। यह निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर के अनुवीक्षण हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं कर सका था। प्रायोजी निकायों द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तुत विभिन्न परिवचनों का अनुवर्ती अनुवीक्षण नहीं किया गया था।

---

[2] ओएसडी–01, अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी–02, वित्तीय सहायक/लेखापाल–02, प्रोग्रामर–02, डाटा एन्ट्रीआपरेटर–02, स्टेनोग्राफर–03 एवं आफिस बाय–05

- म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने निजी विश्वविद्यालयों के चरणबद्ध पूंजीगत व्यय एवं विन्यास निधि के निवेश से व्यय पर नजर नहीं रखी थी।

- यू.जी.सी. द्वारा अपने निरीक्षण में बताई गई विभिन्न कमियों के संदर्भ में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में म.प्र.नि.वि.वि.आ. के निरीक्षण में अनुवीक्षण तंत्र का अभाव था।

म.प्र.नि.वि.वि.आ. अपने कार्यों के निष्पादन, आयोग के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए विनियम बनाए। म.प्र.नि.वि.वि.आ. के अनुवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए ताकि वह अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अपने सामान्य कर्तव्यों का निर्वाह सुनिश्चित कर सके।

- मानव शक्ति की कमी के कारण म.प्र.नि.वि.वि.आ. निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न परिवीक्षण गतिविधियों को निष्पादित नहीं कर सका।

lkekftd U;k; foHkkx

2-4 lkekftd l|j{kk i’ku ;ktukvk dk fØ;kUo;u

dk;ikyu lkjk’k

समाज के कमजोर वर्ग विशेषतः गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित योजना (सी.एस.एस.) के रूप में 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (रा.सा.स.का.) अगस्त 1995 में प्रारम्भ किया। यह भारत सरकार के महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें चार सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इ.गा.रा.वृ.पें.यो), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (इ.गा.रा.वि.पें.यो.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (इ.गा.रा.नि.पें.यो.) एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (रा.प.स.यो) शामिल है।

राज्य सरकार ने भी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन, 18 वर्ष से अधिक तथा 39 वर्ष के बीच के बी.पी.एल. विधवा महिलाएं, 18 वर्ष से अधिक तथा 59 वर्ष के बीच की परित्यक्त बी.पी.एल. महिलाएं एवं 6 से 18 वर्ष के स्कूल जाने वाले बी.पी.एल. बच्चे जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के लिए वर्ष 1981 से समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (स.सा.सु.पें.यो) का कार्यान्वयन किया है।

अवधि 2010–11 से 2014–15 के लिए 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं' की निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकार को रा.सा.स.का के कार्यान्वयन हेतु ₹ 3,600.42 करोड़ जारी किए, जिसमें से ₹ 2,490.84 करोड़ व्यय हुये थे।

¼dfMdk 2-4-7-1½

- रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के अनुसार, राज्यों से कम–से–कम केन्द्र सरकार के द्वारा दी गई सहायता के बराबर की अतिरिक्त राशि दिये जाने हेतु दृढ़ता से आग्रह किया गया था, जिससे कि हितग्राहियों को उचित स्तर की सहायता राशि प्राप्त हो सके। तथापि राज्य सरकार ने इ.गा.रा.वि.पें.यो., इं.गा.रा.नि.पें.यो. एवं रा.प.स.यो. अंतर्गत कोई योगदान नहीं किया। राज्य सरकार इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अन्तर्गत 65–79 आयु वर्ग में केन्द्रीय सहायता ₹ 200 के साथ ₹ 75 अतिरिक्त पेंशन के रूप में प्रदान कर रही थी।

¼dfMdk 2-4-7-2½

- रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के अनुसार, मौजूदा हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन विशेष सत्यापन दल द्वारा नहीं किया गया था। 1.49 लाख हितग्राहियों को ₹ 7.74 करोड़ पेंशन राशि का भुगतान नियत तिथि से एक से 16 माह विलम्ब से किया गया। आगे, जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा पेंशन पोर्टल पर गलत बैंक विवरण अपलोड किये जाने के कारण पेंशन की राशि ₹ 1.32 करोड़ पेंशनर्स के खातों में जमा नहीं हुई थी।

¼dfMdk 2-4-7-6] 2-4-7-7 ,o 2-4-7-8½

bfnjk xk/kh jk"Vh; o)koLFkk i’ku ;ktuk ¼b-xk-jk-o-i-;k-½

- मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अंतर्गत 14.37 लाख हितग्राही थे। 2010–15 के दौरान इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अन्तर्गत ₹ 1,694.43 करोड़ का व्यय किया गया था।

¼dfMdk 2-4-8-1½

- दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची में नाम, सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना इ.गा.रा.वृ.पें.यो के अन्तर्गत हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

¼dfMdk 2-4-9-1½

- समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड किए गए (18 मार्च 2015) प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 16.16 लाख व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना के लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना था। विभाग ने बताया कि इन व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन एवं उनके दस्तावेजों की जांच पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

¼dfMdk 2-4-9-2½

bfnjk xk/kh jk"Vh; fo/kok i'ku ;ktuk ¼b-xk-jk-fo-i-;k-½

- मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में इ.गा.रा.वि.पें.यो. के अंतर्गत 4.81 लाख हितग्राही थे। 2010–15 के दौरान इ.गा.रा.वि.पें.यो.के अन्तर्गत ₹ 391.58 करोड़ का व्यय किया गया था।

¼dfMdk 2-4-10-1½

- इ.गा.रा.वि.पें.यो के अन्तर्गत दस्तावेजों जैसे पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल.सूची में नाम, सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

¼dfMdk 2-4-11-1½

- समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड किए गए (18 मार्च 2015) प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 1.70 लाख व्यक्ति थे, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना के लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे।

¼dfMdk 2-4-11-3½

- बढ़ी हुई दर से पेंशन भुगतान के लिए भारत सरकार के परिपत्र के विलम्ब से कार्यान्वयन के कारण, अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक बढी हुई पेंशन दर ₹ 300 प्रतिमाह के स्थान पर पुरानी दर ₹ 200 प्रतिमाह से पेंशन का भुगतान किया गया।

¼dfMdk 2-4-11-4½

bfnjk xk/kh jk"Vh; fu'kDr i'ku ;ktuk ¼b-xk-jk-fu-i-;k½

- मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में 0.98 लाख हितग्राही थे। वर्ष 2010–15 में इ.गा.रा.नि.पें.यो के अन्तर्गत ₹ 176.28 करोड़ का व्यय किया गया था।

¼dfMdk 2-4-12-1½

- इ.गा.रा.नि.पें.यो के अन्तर्गत दस्तावेजों जैसे निःशक्तता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची में नाम, सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

¼dfMdk 2-4-13-1½

- समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोन किए गए (18 मार्च 2015) प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 0.12 लाख व्यक्ति थे, जो इ.गा.रा.नि.पें.यो हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना के लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे।

¼dfMdk 2-4-13-2½

- अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक बढ़ी हुई पेंशन दर ₹ 300 प्रतिमाह के विरूद्ध पुरानी दर ₹ 200 प्रति माह से पेंशन का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप इ.गा.रा.नि.पें.यो के अन्तर्गत 2.02 लाख हितग्राहियो को कम भुगतान किया गया।

(dfMdk 2-4-13-3½

jk"Vªh; ifjokj lgk;rk ;kstuk ¼jk-i-l-;ks-½

- 2010–11 से 2014–2015 के दौरान राज्य में 1.95 लाख हितग्राही थे। अवधि 2010–2015 के दौरान रा.प.स.यो. के अन्तर्गत ₹ 217.07 करोड़ का व्यय किया गया था। रा.प.स.यो. अन्तर्गत दस्तावेजों जैसे–मृतक व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची मे नाम तथा सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों को सहायता प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

¼dfMdk 2-4-14-1 ,oa 2-4-15-1½

- जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक बढी हुई सहायता दर ₹ 20,000 के विरूद्ध एकमुश्त सहायता पुरानी दर ₹ 10,000 का भुगतान किया गया जिसके कारण रा.प.स.यो. के अन्तर्गत 9,104 हितग्राहियो को राशि ₹ 910.40 लाख का कम भुगतान किया गया।

(dfMdk 2-4-15-2½

lexz lkekftd lqj{kk isa'ku ;kstuk ¼l-lk-lq-isa-;ks-½

- मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में 8.64 लाख हितग्राही थे। वर्ष 2010–15 के दौरान स.सा.सु.पें.यो. के अन्तर्गत ₹ 1,106.95 करोड़ का व्यय किया गया था।

¼dfMdk 2-4-17-1½

- स.सा.सु.पें.यो. अन्तर्गत दस्तावेजों जैसे भूमिहीन तथा निराश्रित होने का प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, बी.पी.एल.सूची में नाम तथा सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों के पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

¼dfMdk 2-4-18-1½

2.4.1 izLrkouk

समाज के विभिन्न वर्गों विशेषतः गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित योजना (सी.एस.एस.) के रूप में 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (रा.सा.स.का.) अगस्त 1995 में प्रारम्भ किया। यह भारत सरकार के महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाऐं अर्थात (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इ.गा.रा.वृ.पें.यो.), (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (इ.गा.रा.वि.पें.यो.), (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना (इ.गा.रा.नि.पें.यो.) तथा (iv) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (रा.प.स.यो.) शामिल है। इन पेंशन योजनाओं के पात्रता मानदण्ड ifjf'k"V&2-43 में दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने भी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन, 18 वर्ष से अधिक तथा 39 वर्ष के बीच की बी.पी.एल. विधवा महिलाएँ, 18 वर्ष से अधिक तथा 59 वर्ष के बीच की बी.पी.एल. परित्यक्त महिलाएँ एवं 6 से 18 वर्ष के स्कूल जाने वाले बी.पी.एल. बच्चे जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (स.सा.सु.पें.यो.) का कार्यान्वयन किया है।

2.4.2 laxBukRed <kapk

सामाजिक न्याय विभाग राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख सचिव, राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग (विभाग), के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आयुक्त, विभाग के प्रमुख हैं एवं एक मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन उनकी सहायता करते हैं। विभाग में 7 संभागीय कार्यालय हैं, जिनमे प्रत्येक कार्यालय में संयुक्त संचालक प्रमुख हैं व जिला स्तर पर 43 उप संचालक हैं।

2.4.3 y[kk ijh{kk dk mís';

निष्पादन लेखापरीक्षा का विस्तृत उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदाय निधि पर्याप्त थी तथा इष्टतम रूप से लक्षित/योग्य/वास्तविक हितग्राहियों/पेंशनरों के लिए उपयोग की गई तथा निधियों का व्यपवर्तन नहीं था;
- प्रत्येक योजनांतर्गत लक्षित हितग्राहियों/पेंशनरों की पहचान सम्बन्धी प्रणाली थी तथा कुशलता पूर्वक कार्य कर रही थी;
- पेंशन योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया गया था एवं लक्षित पात्र/वास्तविक हितग्राहियों को योजना अनुरूप अभीष्ट लाभ दिया गया; तथा
- अनुवीक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी था।

2.4.4 y[kk ijh{kk ekun.M

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न स्रोतों से प्राप्त किए गए थे :

- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना हेतु समय–समय पर जारी योजना दिशानिर्देश एवं निर्देश;
- बजट नियमावली, राज्य की वार्षिक कार्य योजना, विभाग के बजट एवं बजट के परिणाम; तथा
- मौजूदा हितग्राहियों की पुष्टि हेतु जिला एवं राज्य स्तर के वार्षिक सत्यापन प्रतिवेदन।

2.4.5 y[kkijh{kk lekos'ku dk;{k=] ,o dk;Zfof/k

कुल 50 जिलों में से चयनित 14 जिलों[1] एवं प्रत्येक चयनित जिले से दो जनपद पंचायतों एवं दो नगरीय स्थानीय निकायों में अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई। जिलों का चयन में दो जनपद पंचायत एवं दो नगरीय स्थानीय निकायों का, प्रत्येक चयनित जिले में जिनमें एक सबसे अधिक हितग्राहियों की संख्या वाला एवं दूसरा सबसे कम हितग्राहियों की संख्या वाली इकाई शामिल है, 'प्रतिस्थापन पद्धति बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन' विधि के आधार पर किया गया था।

राज्य स्तर पर आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, जिला स्तर पर कार्यालय संयुक्त संचालक/उप संचालक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.), जिला पंचायत, मु.का.अ. जनपद पंचायत, आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय के अभिलेखों की नमूना जांच की गई, जिसका विवरण ifjf'k"V&2-44 में दर्शाया गया है।

मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के साथ दिनांक 02 जून 2015 को प्रवेश सम्मेलन हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं मानदण्ड पर चर्चा हुई। दिनांक 29 अक्टूबर 2015 को निर्गम सम्मेलन में सचिव, सामाजिक न्याय विभाग की ओर से मिशन संचालक के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर चर्चा की गई तथा उनके उत्तरों/विचारों को निष्पादन समीक्षा में उचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

[1] भोपाल, छतरपुर, छिंदवाडा, डिंडोरी, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, रीवा, सागर, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी एवं उज्जैन

2.4.6 y[kkijh{kk lk{;

प्राथमिक लेखापरीक्षा साक्ष्य संचालनालय एवं लेखा परीक्षित इकाईयों तथा उनके उत्तरों से एकत्र की गई जानकारी था। इसके अलावा रा.सा.स.का., ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.), भारत सरकार एवं समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (पेंशन पोर्टल) इत्यादि के वेबसाईटों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई थी।

2.4.7 y[kkijh{kk fu"d"k

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सी.एम.ओ.) पदाभिहित अधिकारी थे। आवेदक अपने आवेदन पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते थे। आवेदन प्राप्त होने पर, मु.का.अ., जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत से आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त करेगें तथा शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/सी.एम.ओ. अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। ऐसे प्रकरण जहाँ आवेदनों को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया हो, ग्राम पंचायत की अनुशंसा के साथ मु.का.अ. जनपद पंचायत को स्वीकृति हेतु भेजे जायेंगे। पदाभिहित अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करने के पूर्व हितग्राहियों का बैंक/पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाया जाना था।

सामाजिक न्याय विभाग पेंशन वितरण हेतु बजट तैयार कर मु.का.अ. जिला पंचायत को निधियों का आवंटन करता है। मु.का.अ. जिला पंचायत शहरी क्षेत्रों में तथा मु.का.अ. जनपद पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन भुगतान हेतु उत्तरदायी थे। पात्र हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु, देयक के साथ हितग्राहियों की सूची तथा बैंक खाते के विवरण पेंशनर्स के बैंक/पोस्ट ऑफिस खातों में पेंशन जमा करने हेतु संबंधित कोषालयों को प्रस्तुत किए गए थे।

jk"Vªh; lkekftd lgk;rk dk;Øe ¼jk-lk-l-dk-½

2-4-7-1 jk"Vªh; lkekftd lgk;rk dk;Øe dk fy, foRrh; O;oLFkk

रा.सा.स.का. वर्ष 2002–03 से राज्य योजना के रूप मे कार्यान्वित किया गया था तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियां राज्यों को जारी की गयी थीं। तदनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा सभी योजनाओं अर्थात इं.गा.रा.वृ.पे.यो., इ.गा.रा.वि.पें.यो., इ.गा.नि. पें.यो. एवं रा.प.स.यो. के लिए एकल आवंटन के रूप में राज्य समेकित निधि के लिए निधियां जारी की गई थीं एवं राज्यों को आवश्यकतानुसार अलग–अलग उप योजनाओं के लिए आवंटन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी। 1 अप्रैल 2014 से रा.सा.स.का. पुनः केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में शामिल हुआ तथा वर्ष 2014–15 से सभी राज्यों को योजनावार निधियां जारी की गईं थी।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकार को रा.सा.स.का के कार्यान्वयन हेतु ₹ 3,600.42 करोड़ जारी किए, जिसमें से ₹ 2,490.84 करोड़ खर्च हुए।

2-4-7-2 jk-lk-l-dk- dk vUrxZr vuq:i vaʼk dk ;ksxnku ugha fd;k x;k

b-x-jk-o-i-;k- e ₹ 75 ifrekg d vykok jk-lk-l-dk- vUrxr vu:i v'k ink; u fd;k tkuk

रा.सा.स.का. दिशानिर्देश के पैरा 2.4.1 के अनुसार, केन्द्र सरकार के द्वारा दी गई सहायता के बराबर कम–से–कम अतिरिक्त राशि दिये जाने हेतु राज्यों से दृढ़ता से आग्रह किया गया था, जिससे कि हितग्राहियों को उचित स्तर की सहायता राशि प्राप्त हो सके।

हमने पाया कि, राज्य सरकार द्वारा इ.गा.रा.वृ.पें.यो के अन्तर्गत 65 से 79 आयु वर्ग के हितग्राहियों को केन्द्रीय सहायता ₹ 200 प्रतिमाह के साथ ₹ 75 प्रतिमाह की अतिरिक्त पेंशन राशि राज्य शासन के हिस्से के रूप में उपलब्ध करायी गयी थी। राज्य शासन

द्वारा इ.गा.रा.वि.पें.यो, इ.गा.रा.नि.पें.यो एवं रा.प.स.यों. अन्तर्गत कोई योगदान नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक द्वारा बताया गया, कि राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय (2006) लिया गया था कि इ.गा.रा.वृ.पें.यो. में राज्यांश से ₹ 75 प्रतिमाह 65 से 79 आयु वर्ग के हितग्राहियों को दिया जाए ।

2-4-7-3 fuf/k;k dk vo:) jguk

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र (नवम्बर 2012) के अनुसार, विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2013 से रा.सा.स.का. तथा स.सा.सु.पें.यो. के अन्तर्गत हितग्राहियों को विविध पेंशन तथा सहायता के वितरण के लिए केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली अपनाई गई थी। इस आहरण व्यवस्था के अन्तर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारीवार बजट आवंटन नहीं किया गया था, एवं कोषालय अधिकारी बजट नियंत्रण अधिकारी के कोषालय सर्वर पर उपलब्ध आवंटन से सीधे आहरण कर हितग्राहियों को भुगतान कर रहे थे। तदनुसार मु.का.अ., जिला पंचायत एवं मु.का.अ. जनपद पंचायत पेंशन देयक तथा हितग्राहियों की सूची लाभार्थियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस खातों में पेंशन जमा करने हेतु संबंधित कोषालयों को प्रस्तुत कर रहे थे।

केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली के पूर्व, राज्य द्वारा जिलों को विभिन्न पेंशन योजनाओं में एकमुश्त बजट प्रदाय किया गया था। कोषालय से पेंशन राशि आहरित करने के पश्चात, वितरण हेतु राशि जनपद/शहरी स्थानीय निकायों को अनुमानित हितग्राहियों की संख्या के आधार पर हस्तांतरित कर दी गई थी। भुगतान की बदली हुई व्यवस्था के मद्देनजर, जिलों/जनपद पंचायतों/नगरीय स्थानीय निकायों स्तर पर बैंक खातों में अव्ययित पड़ी शेष राशि राज्य शासन को वापिस की जानी थी।

14 p;fur ftyk e ₹ 30-24 djkM dh jkf'k vo:} ikbZ xbZ

14 चयनित जिलों 22 जनपद पंचायतों तथा 24 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों/बैंक पासबुक/रोकड़ बहियों की जांच में पाया गया कि रा.सा.स.का. तथा स.सा.सु.पें.यो के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं की शेष राशि ₹ 30.24 करोड़ उनके बैंक खाते में मार्च से जुलाई 2015 तक अव्ययित पड़ी थी। विवरण ifjf'k"V&2-45 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि जिला/जनपद स्तर पर जमा की स्थिति के लिए समय–समय पर पत्र जारी किए गए थे। आगे इसके लिए पत्राचार किया जा रहा था।

2-4-7-4 mi;kfxrk iek.k i=k dk okLrfod 0;; d vk/kkj ij iLrqr u fd;k tkuk

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के अनुसार, प्रथम किश्त राज्य सरकार को स्वतः जारी की जाएगी। दूसरी किश्त जारी करने के प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त निधि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

14 चयनित जिलों तथा सभी चयनित जनपद पंचायतों/नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिलों द्वारा जनपद पंचायतों/नगरीय स्थानीय निकायों से निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र न तो प्राप्त किए गए और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त को भेजे गए। तथापि, आयुक्त द्वारा मैदानी स्तरों से वास्तविक व्यय की पुष्टि किये बिना भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि चूंकि सभी पेंशन योजनाएं केन्द्रीय बजट प्रणाली के अन्तर्गत शामिल थी, भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र कोष एवं लेखा विभाग से प्राप्त व्यय की जानकारी के आधार पर भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर से भी उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचनाएं प्राप्त की गई थी।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि केन्द्रीयकृत बजट प्रणाली वर्ष 2013–14 से प्रारंभ हुई थी एवं चयनित जिलों द्वारा वर्ष 2013–14 से पूर्व के उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

2-4-7-5 dUnh; ;kstuk vk;kstuk vuqoh{k.k i).kkyh ¼lh-ih-,l-,e-,l-½

Hkkjr ljdkj d ,e- vkb-,l- e fuf/k iokg i.kkyh rFkk 0;; nt ugh fd, x,

सी.पी.एस.एम.एस. कार्यान्वयन एजेन्सियों और हितग्राहियों को ई–पेमेन्ट तथा निधि प्रबंधन के लिये वेब आधारित लेन–देन की रूपरेखा है। सी.पी.एस.एम.एस. का मूल उद्देश्य कुशल निधि प्रवाह एवं व्यय नेटवक्र स्थापित करना था। यह वास्तविकता के आधार पर भारत की संचित निधि से जारी की गई निधियों के उपयोग पर विशिष्ट योजना एम.आई.एस. के लिये तैयार करता है। रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रा.सा.स.का. योजनाओं के अन्तर्गत निधियों का वितरण करने के लिये सी.पी.एस.एम.एस. का उपयोग करना चाहिये।

हमने देखा कि राज्य द्वारा वर्ष 2013–14 से कार्यान्वयन अभिकरणों एवं हितग्राहियों को ई–पेमेन्ट द्वारा पेंशन के भुगतान की शुरूआत की गई थी। तथापि, निधि प्रवाह प्रणाली, व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को भारत सरकार की एम.आई.एस. में ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि राज्य में वित्त विभाग के अनुदेश में, सी.पी.एस.एम.एस के स्थान पर पेंशन के ई–भुगतान हेतु केन्द्रीयकृत बजट प्रणाली प्रारंभ की गई। आगे यह बताया कि भारत सरकार की वेबसाइट पर एम.आई. एस की जानकारी की प्रविष्टि अपलोड की कार्यवाही की जा रही थी।

2-4-7-6 fgrxkfg;ksa dk okf"kZd lR;kiu

fo'k"k lR;kiu ny }kjk ekStnk fgrxkfg;ka dk okf"kd lR;kiu ugh fd;k x;k Fkk

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश की कंडिका 3.1 के अनुसार, राज्यों द्वारा मौजूदा हितग्राहियों के वार्षिक सत्यापन हेतु एक विशेष सत्यापन दल का गठन किया जाना चाहिए। उपलब्ध बी.पी.एल. सूची के आधार पर, हितग्राहियों की उनके घर तक जाकर सक्रियता से पहचान की जाना चाहिए। सत्यापन के पश्चात व्यक्तियों को चयनित एवं हटाने हेतु प्रस्तावित सूची पृथक से प्रकाशित की जानी चाहिए।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि रा.सा.स.का. के अन्तर्गत मौजूदा हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन विशेष सत्यापन दल द्वारा नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने अपने उत्तर में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सी.ई.ओ./जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त, नगर निगम एवं सी.एम.ओ. द्वारा हितग्राहियों का सत्यापन समग्र पेंशन पोर्टल के कार्यान्वयन के पूर्व अप्रैल 2014 में किया गया था। ग्राम पंचायत/वार्डवार हितग्राहियों की सूची समग्र पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई थी। पात्र हितग्राहियों का सत्यापन बी.पी.एल. सूची के आधार पर किये जा रहा था।

उत्तर स्वीकार नहीं था, क्योंकि नमूना जांच हेतु चयनित जिलों के संबंधित संयुक्त/उप संचालकों ने लेखा परीक्षा के दौरान सूचित किया था कि मौजूदा हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया था।

vuq'kalk

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश अनुसार हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन विशेष सत्यापन दल द्वारा किया जाए।

2-4-7-7 isa'ku dk foyEc ls Hkqxrku

आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी आदेश (सितम्बर 2005) के अनुसार हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक किया जाना चाहिए।

1-49 yk[k fgrxkfg;ksa dks ₹ 7-74 djksM+ isa'ku dk ,d ls 16 ekg rd foyEc ls Hkqxrku fd;k x;k

14 चयनित जिलों में से छह जिलों के पेंशन भुगतान से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010–15 के दौरान रा.सा.स.का./स.सा.सु.पें.यो. के 1.49 लाख हितग्राहियों को पेंशन ₹ 7.74 करोड़ का भुगतान देय तारीख से एक से 16 माह तक विलम्ब से किया गया। विवरण ifjf'k"V&2-46 में दिया गया है ।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर दिया कि जब कभी भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी उनमें सुधार हेतु कार्यवाही की गई थी।

2-4-7-8 isa'kuHkksfx;ksa dks isa'ku dk Hkqxrku u fd;k tkuk

वर्ष 2013–14 से पेंशन का भुगतान पेंशन पोर्टल द्वारा संधारित हितग्राहियों के डाटाबेस के आधार पर किया गया है। जनपद पंचायत एवं नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर पेंशन भोगियों का विवरण जैसे नाम, पता, बैंक खाता विवरण, आयु इत्यादि पेंशन पोर्टल पर अपलोड एवं अद्यतन किया जाता है एवं दस्तावेज भी उनके द्वारा ही रखे जाते हैं।

isa'ku jkf'k ₹ 1-32 djksM+ ds fMekaM Mªk¶V @cSadlZ pSd vforfjr ik, x,

चयनित 7 जिलों[2] में पेंशन भुगतान के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि रा.सा.स.का./स.सा.सु.पें.यो. से संबंधित अवितरित पेंशन ₹ 1.32 करोड़ बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जिला कार्यालयों को वापस की गई थी। तथापि ऐसे पेंशनभोगियों की सूची बैकों द्वारा नहीं दी गई थी। इस अवितरित पेंशन राशि में से ₹ 52.12 लाख संबंधित वितरण प्राधिकारियों के बैंक खातों में जमा थे तथा ₹ 79.79 लाख डिमांड ड्राफ्ट एवं बैंकर चैक के रूप में जिला स्तर पर निष्क्रिय पड़े थे। हितग्राहियों के खाते में पेंशन जमा न होने से, वे नबम्वर 2013 से जून 2015 तक योजना के लाभों से वंचित रहे।

ftyk iapk;r Hkksiky esa fuf"Ø; j[ks cSadj pSDl

इस ओर इंगित किए जाने पर, जिला अधिकारियों ने बताया कि हितग्राहियों के खाते क्रमांक/आई.एफ.एस.सी. कोड गलत होने के कारण पेंशनरों के खातों में पेंशन जमा नहीं की गई थी एवं बैंक द्वारा वापस की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने बताया था कि सुधारात्मक उपायों के माध्यम से पेंशन वितरण के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

2-4-7-9 fgrxkfg;ksa ds MkVkcsl ds fy;s izca/ku lwpuk iz.kkyh ¼,e-vkbZ-,l-½

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के पैरा 5.2 के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लेन–देन/कार्य प्रवाह आधारित निधि प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने के लिए एक

---

2 भोपाल ₹ 47.37 लाख, डिंडोरी ₹ 1.48 लाख, झाबुआ ₹ 41.59 लाख, कटनी ₹ 26.67 लाख, शहडोल ₹ 7.32 लाख, शिवपुरी ₹ 6.09 लाख तथा उज्जैन ₹ 1.39 लाख

,u-,l-,-ih-& ,e-vkbZ-,l- ij MkVk iksfVZx lfuf'pr ugha fd;k x;k

सॉफ्टवेयर विकसित किया था। राज्य जिन्होंने स्वयं का सॉफ्टवेयर तैयार किया था उन्हें एक ब्रिज–सॉफ्टवेयर के द्वारा अपनी सूचनाएं/डाटा रा.सा.स.का.–एम.आई.एस. पर पोर्ट करना सुनिश्चित करना था। रा.सा.स.का.–एम.आई.एस. के कार्यात्मक रूप के अनुसार राज्यों को पात्र हितग्राहियों का एक डेटाबेस रखना था तथा उसे पब्लिक डोमेन पर अपलोड किया जाना था। लिगेसी डेटाबेस को रा.सा.स.का. की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की भी आवश्यकता थी। नए हितग्राहियों का डेटा ऑनलाईन प्रविष्टि की आवश्यकता है। यह देखा गया कि:

(i) भारत सरकार द्वारा विकसित एम.आई.एस. राज्य द्वारा नहीं अपनाया गया था। राज्य ने अपना स्वयं का पेंशन पोर्टल वर्ष 2013–14 से विकसित किया था। तथापि मंत्रालय की रा.सा.स.का. एम.आई.एस पर डाटा पोर्टिंग सुनिश्चित नहीं की गई थी।

(ii) रा.सा.स.का. के वेबसाइट से प्राप्त (7 जनवरी 2015) प्रतिवेदन के अनुसार इ.गा.रा.वृ.पें.यो., इ.गा.रा.वि.पें.यो एवं इ.गा.रा.नि.पें.यो के अन्तर्गत रा.सा.स.का.–एम.आई.एस पर उपलब्ध तथा राज्य द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रतिवेदित हितग्राहियों की संख्या में अंतर था। विवरण निम्न rkfydk&1 में हैं:

Rkkfydk&1% fofHkUu isa'ku ;kstukvksa ds vUrxZr fgrxzkfg;ksa dh la[;k esa MkVk vUrj

ljy Øekad	;kstuk dk uke	jk-lk-l-dk- ,e-vkbZ-,l ij miyC/k fgrxzkfg;ksa dh la[;k	jkT; }kjk xzkeh.k fodkl ea=ky; dks izfrosfnr fgrxzkfg;ksa dh la[;k	MkVk vUrj
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	8,20,252	10,61,033	2,40,781
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1,24,846	2,30,317	1,05,471
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	72,856	1,19,898	47,042
	;ksx	10]17]954	14]11]248	3]93]294

¼lzksr% jk-lk-l-dk- dh osclkbV ls izkIr vkadM+s½

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने बताया कि राज्य स्तर पर ब्रिज सॉफ्टवेयर विकसित नहीं किया गया था। तथापि, जनवरी 2015 तक लगभग 18.00 लाख हितग्राहियों का विवरण रा.सा.स.का. के अन्तर्गत भारत सरकार की एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया था। यह आगे जोड़ा गया था कि डाटा का अपलोड करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। डाटा अन्तर के संबंध में बताया गया कि विभाग द्वारा भारत सरकार को डाटा मासिक प्रगति प्रतिवेदन–1 के माध्यम से भेजे गए थे।

तथ्य यह है कि विभाग द्वारा रा.सा.स.का.–एम.आई.एस पर ब्रिज सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा पोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप एम. आई.एस. में डाटा में अन्तर था।

bafnjk xka/kh jk"Vªh; o`)koLFkk isa'ku ;kstuk ¼b-xk-jk-o`-ia-;ks-½

इ.गा.रा.वृ.पें.यो. मध्य प्रदेश में अगस्त 1995 में कार्यान्वित की गई थी। इ.गा.रा.वृ.पें.यो. अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बी.पी.एल. हितग्राही (पुरूष या स्त्री) पात्र हैं। इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अन्तर्गत ₹ 200 प्रतिमाह प्रति हितग्राही के दर से केन्द्रीय सहायता प्रदाय की जानी थी। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हितग्राहियों की सहायता दरें दिनांक 01.04.2011 से ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 500 प्रति माह की गई थी। संशोधित मानदण्ड नवम्बर 2012 के अनुसार, 60–79 वर्ष की बी.पी.एल. विधवाएं एवं 60–79 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्तजन को इ.गा.रा.वृ.पें.यो. से हटा दिया था तथा उनको अन्य

योजनाओं के अन्तर्गत लाभ दिया गया था। मार्च 2015 की स्थिति में, इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अन्तर्गत राज्य में 14.37 लाख हितग्राही थे।

जून 1996 से 65 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों को राज्यांश से अतिरिक्त सहायता ₹ 75 प्रतिमाह का लाभ दिया जाना था। तथापि, अतिरिक्त लाभ हेतु आयु मानदण्ड अप्रैल 2013 में संशोधित कर दिया गया था एवं अब 65–79 वर्ष के आयु के हितग्राहियों को राज्यांश से अतिरिक्त सहायता ₹ 75 प्रतिमाह का लाभ दिया जाता है।

2.4.8 foRrh; izca/ku

2-4-8-1 ctV izko/kku ,oa O;;

वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक राज्य में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय rkfydk& 2 में दिए गए हैं।

rkfydk&2% 2010&11 ls 2014&15 rd dh b-xk-jk-o`-isa-;ks- dk ctV vkoaVu ,oa O;;A

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ	ey ctV	vuqijd ctV	iqufoZfu;kstu @leiZ.k	dqy ctV	dqy O;;	ey ctV ds lanHkZ esa cpr ¼&½@ vkf/kD; ¼$½
2010-11	336.45	0.00	-67.59	268.86	269.90	-66.55
2011-12	313.99	0.00	-5.62	308.37	303.36	-10.63
2012-13	380.95	57.87	-1.38	437.44	429.74	48.79
2013-14	433.20	7.97	-113.19	327.98	327.02	-106.18
2014-15	452.33	0.00	-79.14	373.19	364.41	-87.92
;ksx	**1,916.92**	**65.84**	**-266.92**	**1,715.84**	**1694.43**	**-222.49**

¼lzksr% foLr`r fofu;ksx ys[kk½

rkfydk&2 से स्पष्ट है कि राज्य सरकार इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के ₹ 1,916.92 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,694.43 करोड़ उपयोग कर सकी। ₹ 222.49 की बचत कार्यान्वयन की कमी को दर्शाता है जिसके कारण बजट प्रावधान अभीष्ट उद्देश्य हेतु पूर्णतः उपयोग नहीं किए जा सके।

2-4-8-2 b-xk-jk-o`-is-;k dk vUrxZr Hkkjr ljdkj }kjk iznk; jkf'k dk jkT;ka'k esa mi;ksx fd;k tkuk

b-xk-jk-o`-isa-;k vUrxZr ink; Hkkjr ljdkj dh fuf/k ₹ 1-65 djksM+ dk mi;ksx jkT;ka'k esa fd;k x;k FkkA

इ.गा.रा.वृ.पें.यो के अन्तर्गत 65 से 79 वर्ष की आयु के हितग्राहियों को पेंशन ₹ 275 प्रतिमाह थी। प्रतिमाह ₹ 200 की राशि केन्द्रांश से एवं अतिरिक्त राशि ₹ 75 प्रतिमाह राज्यांश से दी जानी थी।

14 चयनित जिलों में से 6 जिलों[3] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के 2.20 लाख हितग्राहियों को माह अक्टूबर 2013 से फरवरी 2015 तक राज्यांश की राशि ₹ 1.65 करोड़ भारत सरकार की निधि से वितरित की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर दिया कि राशि के समायोजन के पश्चात संशोधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजे जाएंगे। साथ ही यह भी जोड़ा गया कि इ.गा.रा.वृ.पें.यो. अन्तर्गत अक्टूबर 2015 से पेंशन पोर्टल पर ₹ 200 केन्द्रांश एवं ₹ 75 राज्यांश का पृथक आहरण के लिए प्रणाली तैयार की गई थी।

---

[3] भोपाल में 0.88 लाख हितग्राहियो को ₹ 66.23 लाख, डिंडोरी में 0.09 लाख हितग्राहियो को ₹ 6.92 लाख, झाबुआ में 0.21 लाख हितग्राहियो को ₹ 15.27 लाख, कटनी में 0.45 लाख हितग्राहियो के ₹ 33.95 लाख, शहडोल में 0.24 लाख हितग्राहियो के ₹ 18.30 लाख एवं उज्जैन में 0.33 लाख हितग्राहियो को ₹ 24.19 लाख

2-4-8-3 fuf/k;k dk 0;ior.u

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के पैरा 4.4 (जी) के अनुसार, राज्य सरकार को संबंधित वर्ष की द्वितीय किस्त इस शर्त के साथ जारी होगी कि राज्य सरकार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि निधियों का व्यपवर्तन नहीं किया गया था।

b-x-jk-o-i-;k vUrxr Hkkjr ljdkj }kjk ink; ₹ 4-96 djkM dk 0;ior.u l-lk-l-i-;kstuk e fd;k x;k Fkk

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 14 चयनित जिलों में से चार जिलों में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदाय राशि ₹ 4.96 करोड़[4] का उपयोग स.सा.सु.पें.यो. में किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2.4.9 dk;Øe fØ;kUo;u

2-4-9-1 b-xk-jk-o-i-;k- vUrxr vkondk dh ik=rk dh tkp e deh

b-x-jk-o-i-;k vUrxr 5338 tkp fd, x, idj.kk e l 315 vkonuk e vko';d nLrkot ugh ik, x,

दिशानिर्देशों मे दिए गए पात्रता मानदण्डों के अनुसार इ.गा.रा.वृ.पें.यो. में लाभ दिया जाना है। तथापि, चयनित 14 जिलों की, चयनित जनपद पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अंतर्गत 5,338 स्वीकृत पेंशन प्रकरणों की संवीक्षा के दौरान 315 हितग्राहियों के आवेदन पत्र अपूर्ण पाए गए। आवश्यक दस्तावेज (यथा जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची में नाम, सत्यापन प्रतिवेदन) उनके आवेदन के साथ संलग्न नहीं थे। इस प्रकार, रा.सा.स.का. की मार्गदर्शिका के अन्तर्गत आवश्यक सत्यापन अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे। विवरण ifjf'k"V&2-47 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि यदि किसी भी जिले में जनपद/नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर विसंगतियां पाई गईं तो, उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी।

vuq'kalk

विभाग को वास्तविक हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2-4-9-2 b-xk-jk-o-i-;k- d ik= fgrxkfg;k dk i'ku iklr u gkuk

सभी पात्र हितग्राहियों को पेंशन का लाभ प्रदाय करने हेतु नवम्बर 2014 में डोर–टू–डोर सर्वे किया गया था। यह सर्वे ग्राम पंचायत सचिव तथा वार्ड प्रभारी द्वारा किया गया था, जिसमें मौजूदा हितग्राहियों का सत्यापन किया गया था तथा नए हितग्राही जोड़े गए थे। विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की सूची समग्र पोर्टल पर नगरीय स्थानीय निकाय/जनपद पंचायतों द्वारा अपलोड की गई थी।

समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड (18 मार्च 2015) किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 16.16 लाख व्यक्ति थे, जो इ.गा.रा.वृ.पें.यो. हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना के लाभ प्राप्त नहीं कर रहे थे। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के 14.37 लाख हितग्राही थे, राज्य में योजना के कार्यान्वयन के 20 वर्ष के बाद भी पात्र जनसंख्या का बड़ा अनुपात (53 प्रतिशत) योजना अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु शेष था।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर दिया कि व्यक्तियों का विवरण, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु प्रथम दृष्ट्या (संभवतः) पात्र थे, पेंशन पोर्टल पर दिया गया

[4] उप संचालक सामाजिक न्याय, शिवपुरी–₹ 100.00 लाख, आयुक्त नगर निगम उज्जैन–₹ 134.30 लाख, मु.का.अ. जिला पंचायत डिंडोरी–₹ 18.40 लाख, मु.का.अ. जिला पंचायत भोपाल–₹ 240.00 लाख, मु.का.अ. जनपद पंचायत फंदा (भोपाल)–₹ 0.72 लाख एवं मु.का.अ. जनपद पंचायत बैरसिया (भोपाल)–₹ 2.50 लाख

था। इन व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन एवं उनके दस्तावेजों की जाँच पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

vuq'kalk

विभाग को वंचित पात्र जनसंख्या को पेंशन योजना में समयबद्ध ढंग से शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को पात्र जनसंख्या के बीच पर्याप्त जागरूकता प्रसार सुनिश्चित करने के अलावा पात्र हितग्राहियों की सूची के आवधिक अद्यतन के लिए तंत्र का भी विकास करना चाहिए।

2-4-9-3 b-xk-jk-o-i-;k- vUrxZr 60&79 o"kZ vk;q dh ekStnk fgrxzkfg;ksa dk b-xk-jk-fo-i-;k- rFkk b-xk-jk-fu-i-;k- esa LFkkukarfjr djuk

भारत सरकार द्वारा जारी आदेश (नवम्बर 2012) के अनुसार, इ.गा.रा.वृ.पें.यो-, इ.गा.रा.वि.पें.यो. तथा इ.गा.रा.नि.पें.यो. में हितग्राहियो के पात्रता मानदण्डों को संशोधित किया गया था। संशोधित मानदण्डों के अनुसार, आयु 60–79 वर्ष के बी.पी.एल. व्यक्तियों को (बी.पी.एल. विधवाएं एवं गंभीर एवं बहुविकलांग बी.पी.एल. व्यक्ति को छोड़कर) इ.गा.रा.वृ.पें.यो. अंतर्गत ₹ 200 प्रतिमाह प्रति हितग्राही दिया जाता है। इ.गा.रा.वि.पें.यो. अन्तर्गत पेंशन दर ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 300 प्रतिमाह प्रति हितग्राही की गई और हितग्राहियों की आयु 40–59 वर्ष से संशोधित कर 40–79 वर्ष की गई। इसी प्रकार, इ.गा.रा.नि.पें.यो. अन्तर्गत पेंशन दर ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 300 प्रतिमाह प्रति हितग्राही की गई और हितग्राहियों की आयु 18–59 वर्ष से संशोधित कर 18–79 वर्ष की गई।

संशोधित मानदंड के मद्देनजर, सभी राज्यों से अनुरोध किया गया था कि इ.गा.रा.वृ.पें.यो. में आयु वर्ग 60–79 वर्ष के मौजूदा हितग्राहियों में से विधवा और निःशक्त व्यक्ति जो इ.गा.रा.वि.पें.यो तथा इ.गा.रा.नि.पें.येा अन्तर्गत संशोधित मानदंड को पूर्ण करते हो, को चिन्हित कर, उन्हें संबंधित पेंशन योजनाओं में स्थानांतरित किया जाए। संशोधित मानदण्डों का कार्यान्वयन 01 अक्टूबर 2012 से लागू होना था।

हमने पाया कि चयनित जिलों में वर्ष नवम्बर 2012–मार्च 2015 की अवधि के लिए पात्र विधवा और निःशक्त व्यक्तियों जो उपरोक्त संशोधित पात्रता मानदण्डों को पूर्ति कर रहे थे, का स्थानान्तरण नहीं किया गया था। इस प्रकार इ.गा.रा.वि.पें.यो तथा इ.गा.रा.नि.पे.यो. के पात्र हितग्राहियों को इ.गा.रा.वृ.पें.यो. (₹ 200 प्रतिमाह) के संदर्भ में उच्चतर पेंशन (₹ 300 प्रतिमाह) से वंचित रखा गया।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक द्वारा बताया गया कि इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के मौजूदा हितग्राहियों जिनकी आयु 60–79 वर्ष थी, में इ.गा.रा.वि.पें.यो तथा इ.गा.रा.नि.पे.यो. के अन्तर्गत विधवा एवं निःशक्त व्यक्ति जो संशोधित पात्रता मानदण्डों की पूर्ति कर रहे थे को संबंधित पेंशन योजनाओ में 01 अप्रैल 2015 से स्थानान्तरित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योकि संशोधित मानदंड अक्टूबर–2012 से क्रियान्वित किए जाने थे।

bfUnjk xka/kh jk"Vªh; fo/kok isa'ku ;kstuk ¼b-xk-jk-fo-isa-;ks-½

इ.गा.रा.वि.पें.यो. मध्य प्रदेश में अप्रैल 2009 में कार्यान्वित की गई थी। इ.गा.रा.वि.पें.यो. अंतर्गत आयु वर्ग 40 से 59 वर्ष के बी.पी.एल. विधवा हितग्राही अप्रैल 2009 से ₹ 200 प्रतिमाह केन्द्रीय सहायता के पात्र थे। इ.गा.रा.वि.पें.यो. अन्तर्गत 1 अक्टूबर 2012 से पेंशन दर ₹ 200 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 300 प्रतिमाह की गई तथा हितग्राहियों की आयु की पात्रता 40–59 वर्ष से संशोधित कर 40–79 वर्ष की गई थी। मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में इ.गा.रा.वि.पें.यों. अंतर्गत 4.81 लाख हितग्राही थे।

2.4.10 foRrh; ic/ku

2-4-10-1 ctV iko/kku ,o 0;;

वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक राज्य में इ.गा.रा.वि.पें.यो के वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय rkfydk&3 में दिए गए हैं।

rkfydk&3% 2010&11 l 2014&15 rd d b-xk-jk-fo-i-;k- d ctV vkoVu ,o 0;;

¼₹ djkM e½

o"k	ey ctV	vuiijd ctV	iufo;ktu @lei.k	dy ctV	dy 0;;	ey ctV d lnHk e cpr ¼&½@ vkf/kD; ¼$½
2010-11	40.79	2.49	-2.51	40.77	39.84	-0.95
2011-12	45.20	0.00	-2.32	42.88	45.06	-0.14
2012-13	36.00	36.00	-3.17	68.83	72.41	36.41
2013-14	129.60	4.00	-20.41	113.19	113.28	-16.32
2014-15	134.29	0.00	-11.20	123.09	120.99	-13.30
;kx	**385.88**	**42.49**	**-39.61**	**388.76**	**391.58**	**5.70**

¼lkr% foLrr fofu;kx y[k½

2-4-10-2 fuf/k;k dk 0;ioru

b-x-jk-fo-i-;k- vUrxr Hkkjr ljdkj }kjk iznk; jkf'k ₹ 90-40 yk[k dk mi;kx l-lk-l-i ;ktuk e fd;k x;k Fkk

रा.सा.स.का. की दिशानिर्देश की कंडिका 4.4 (जी.) के अनुसार, राज्य सरकार को संबंधित वर्ष की द्वितीय किस्त इस शर्त के अधीन जारी होगी कि राज्य सरकार यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि निधियों का व्यपवर्तन नहीं किया गया था।

नगर निगम, उज्जैन के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा इ.गा.रा.वि.पें.यो. अंतर्गत उपलब्ध कराये गए ₹ 90.40 लाख वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में का स.सा.सु.पें.यो. में उपयोग किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जाएंगी।

2.4.11 dk;Øe dk;kUo;u

2-4-11-1 b-xk-jk-fo-i-;k- d vUrxr vkondk dh ik=rk dh tkp e deh

b-x-jk-fo-i-;k vUrxr 3280 ueuk tkp fd, x, i'ku Lohdfr d idj.kk e l 390 vkonuk dh tkp vi.k ikbl xb

संबंधित दिशानिर्देशों में दिए गए पात्रता मानदण्डों के अनुसार इ.गा.रा.वि.पें.यो. में लाभ दिया जाना है। तथापि, चयनित 14 जिलों की चयनित जनपद पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में इ.गा.रा.वि.पें.यो. के 3,280 आवेदन पत्रों की संवीक्षा के दौरान, 390 हितग्राहियों के आवेदन पत्र अपूर्ण पाए गए आवश्यक दस्तावेज (यथा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची सत्यापन प्रतिवेदन) उनके आवेदन के साथ संलग्न नहीं थे। इस प्रकार, रा.सा.स.का. की दिशानिर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक दस्तावेजों की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे। विवरण ifjf'k"V&2-47 में है।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि यदि किसी भी जिले की जनपद/नगरीय स्थानीय निकाय में विसंगतियाँ पाई गई तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी।

vuq'kalk

विभाग को वास्तविक हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने में इ.गा.रा.वि.पें.यो. के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2-4-11-2 रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के पैरा 3.1.3 के अनुसार, विधवाओं के प्रकरण में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य एक राजस्व प्राधिकारी मनोनीत करेगा। राज्य यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकारियों द्वारा विवाहित पुरूषों के लिए जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में उसकी जीवित पत्नी (विधवा) का नाम दर्ज होना अति आवश्यक है। यह भी उल्लेख किया गया था कि इ.गा.रा.वि.पें.यो. के लिए सुपात्र महिला अपना दावा प्रस्तुत करने में असमर्थ थी क्योंकि उसकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए उनके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में उनका नाम नहीं होना था।

हमने देखा कि राज्य ने विवाहित पुरूषों के मृत्यु प्रमाण पत्र में जीवित पत्नी (विधवा) का नाम दर्ज करने की सुनिश्चितता हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी मनोनीत नहीं किया था।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने बताया कि पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु ,भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधान उपरोक्त आदेशानुसार नहीं थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र (भारत के महापंजीयक की वेबसाइट पर उपलब्ध अनुसार) में मृतक के पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करने का प्रावधान है।

2-4-11-3 b-xk-jk-fo-i-;k- d ik= fgrxkfg;k dk i'ku ikIr u gkuk

पूर्व कंडिका 2.4.9.2 में चर्चा अनुसार, समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड (18 मार्च 2015) किये गए प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 1.70 लाख व्यक्ति थे जो इ.गा.रा.वि.पें.यो. हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में इ.गा.रा.वि.पें.यो. के 4.81 लाख हितग्राही थे, योजना अंतर्गत वंचित जनसंख्या कुल पात्र व्यक्तियों की 26 प्रतिशत थी।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर दिया कि व्यक्तियों का विवरण, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु प्रथम दृष्ट्या (संभवतः) पात्र थे, पेंशन पोर्टल पर दिया गया था। इन व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन एवं उनके दस्तावेजों की जांच पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

vu'kalk

विभाग को वंचित पात्र जनसंख्या को पेंशन योजना में समयबद्ध ढंग से शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को पात्र जनसंख्या के बीच पर्याप्त जागरूकता प्रसार सुनिश्चित करने के अलावा पात्र हितग्राहियों की सूची के आवधिक अद्यतन के लिए तंत्र का भी विकास करना चाहिए।

2-4-11-4 fgrxkfg;k dk i'ku dk de Hkxrku

भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र (नवम्बर, 2012) के अनुसार, इ.गा.रा.वि.पें.यो. अन्तर्गत 01.10.2012 से पेंशन दर ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 300 रूपये प्रतिमाह कर दी थी, जबकि राज्य द्वारा उपर्युक्त पेंशन की दरें 1 अप्रैल 2013 से बढ़ाई गई थीं।

b-x-jk-fo-i-;k- vUrxZr ₹ 4-88 djksM+ dk de Hkqxrku fd;k x;k

हमने देखा कि अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक हितग्राहियों को पुरानी दर से पेंशन का भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप इ.गा.रा.वि.पें.यो. अन्तर्गत 4.88 लाख हितग्राहियों को राशि ₹ 4.88 करोड़ का कम भुगतान किया गया, विवरण ifjf'k"V&2-48 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि भारत सरकार द्वारा रा.सा.स.का. के अन्तर्गत सहायता दरों में वृद्धि वर्ष के मध्य में की गई थी। वर्ष 2012–13 में सीमित बजट प्रावधान होने के कारण, बढ़ी हुई दरों का लाभ अप्रैल 2013 से दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार को अक्टूबर–2012 से बढ़ी हुई सहायता दरों का भुगतान करने के लिए पूरक बजट प्रावधान करने की आवश्यकता थी।

bfnjk xka/kh jk"Vªh; fu%'kDr isa'ku ;kstuk ¼b-xk-jk-fu-ia-;ks-½

इ.गा.रा.नि.पें.यो. मध्य प्रदेश में अप्रैल 2009 में कार्यान्वित की गई थी। इ.गा.रा.नि.पें.यो. अन्तर्गत आयु वर्ग 18–59 वर्ष के गम्भीर या बहुविकलांग बी.पी.एल. व्यक्तियों को अप्रैल 2009 से ₹ 200 प्रतिमाह प्रति हितग्राही केन्द्रीय सहायता प्रदाय की जानी थी। निःशक्तता 80 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। इ.गा.रा.नि.पें.यो. के अन्तर्गत 01 अक्टूबर 2012 से पेंशन दर ₹ 200 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 300 प्रतिमाह कर दी गई थी तथा हितग्राहियों की पात्रता आयु 18–59 वर्ष से संशोधित कर 18–79 वर्ष कर दी गई थी। मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में इ.गा.रा.नि.पें.यो. अन्तर्गत 0.98 लाख हितग्राही थे।

2.4.12 foRrh; izca/ku

2-4-12-1 ctV izko/kku ,oa O;;

वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक राज्य में इ.गा.रा.नि.पें.यो. के वर्ष वार आवंटन एवं व्यय नीचे rkfydk&4 में दिए गए हैं:

rkfydk&4% o"kZ 2010&11 ls 2014&15 rd b-xk-jk-fu-ia-;ks-dk ctV ,oa O;;

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ	ewy ctV	vuqiwjd ctV	iqufoZfu;ksftu@ leiZ.k	dqy ;ksx	dqy O;;	ewy ctV dk lanHkZ esa cpr ¼&½ @vkf/kD; ¼$½
2010–11	32.25	4.30	–5.46	31.09	31.14	–1.11
2011–12	28.92	0.00	–1.25	27.67	33.46	4.54
2012–13	26.00	20.00	–2.34	43.66	42.90	16.90
2013–14	55.80	0.00	–23.50	32.30	33.60	–22.20
2014–15	57.68	0.00	–26.42	31.26	35.18	–22.50
;ksx	200-65	24-30	&58-97	165-98	176-28	&24-37

¼lzksr&foLrr fofu;ksx ys[ks½

Rkkfydk&4 से स्पष्ट है कि राज्य सरकार इ.गा.रा.नि.पें.यो. के ₹ 200.65 करोड़ बजट प्रावधान में से ₹ 176.28 करोड़ का उपयोग कर सकी। ₹ 24.37 करोड़ की बचत कार्यान्वयन की कमी को दर्शाता है जिसके कारण बजट प्रावधान को अभीष्ट उद्देश्य हेतु पूर्णतः उपयोग नहीं किए जा सका।

2-4-12-2 fuf/k;ksa dk O;iorZu

b-x-jk-fu-ia-;ks- vUrxZr Hkkjr ljdkj }kjk iznk; jkf'k ₹ 62-72 yk[k dk O;iorZu l-lk-lq-ia-;ks- esa fd;k x;k

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश की कंडिका 4.4 (जी.) के अनुसार, राज्य सरकार को संबंधित वर्ष की द्वितीय किस्त इस शर्त के अधीन जारी होगी कि राज्य सरकार यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि निधियों का व्यपवर्तन नहीं किया गया था।
नगर निगम, उज्जैन के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक भारत सरकार द्वारा इ.गा.रा.नि.पें.यो. अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधि ₹ 62.72 लाख का उपयोग स.सा.सु.पें.यो. में किया गया था।
निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2.4.13 dk;Øe dk;kZUo;u

2-4-13-1 b-xk-jk-fu-ia-;ks- dk vUrxZr vkosndksa dh ik=rk dh tkap esa deh

दिशानिर्देश में दिए गए पात्रता मानदण्डों के अनुसार, रा.सा.स.का. में लाभ दिया जाना है। तथापि, चयनित 14 जिलों की चयनित जनपद पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में इ.ग.रा.नि.पें.यो. के 1,239 स्वीकृत प्रकरणों की संवीक्षा के दौरान, 361 हितग्राहियों के आवेदन पत्र अधूरे पाए गए, आवश्यक दस्तावेज (यथा निःशक्तता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची तथा सत्यापन प्रतिवेदन) उनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं थे। इस प्रकार, पेंशन प्रकरण की जांच अपूर्ण थी, जिसका विवरण **ifjf'k"V&2-47** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि यदि किसी भी जिले में जनपद/नगरीय स्थानीय निकाय में विसंगतियां पाई जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी।

vuq'kalk

विभाग को वास्तविक हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने में इ.गा.रा.नि.पें.यो. के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2-4-13-2 b-xk-jk-fu-ia-;ks- dk ik= fgrxzkfg;ksa dks isa'ku iznku u gksuk

जैसा कि पूर्व कंडिका 2.4.9.2 में चर्चा अनुसार, समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड (18 मार्च 2015) किये गए प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 12,159 व्यक्ति थे, जो इ.गा.रा.नि.पें.यो. हेतु पात्र थे, लेकिन वे योजना के लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर दिया कि व्यक्तियों का विवरण, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु प्रथम दृष्ट्या (संभवतः) पात्र थे, पेंशन पोर्टल पर दिया गया था। इन व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन एवं उनके दस्तावेजों की जांच पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

vuq'kalk

विभाग को वंचित पात्र जनसंख्या को पेंशन योजना में समयबद्ध ढंग से शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को पात्र जनसंख्या के बीच पर्याप्त जागरूकता प्रसार सुनिश्चित करने के अलावा पात्र हितग्राहियों की सूची के आवधिक अद्यतन के लिए तंत्र का भी विकास करना चाहिए।

2-4-13-3 fgrxzkfg;ksa dks isa'ku dk de Hkqxrku

b-xk-jk-fu-ia-;ks- vUrxZr ₹ 2-02 djksM+ dk de Hkqxrku gqvk

भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र (नबम्बर, 2012), के अनुसार जारी इ.गा.रा.नि.पें.यो. अन्तर्गत 01.10.2012 से पेंशन दर ₹ 200 से बढ़कर ₹ 300 रूपये प्रतिमाह कर दी थी जबकि राज्य द्वारा उपर्युक्त पेंशन की दरें 1 अप्रैल 2013 से बढ़ाई गई थीं।

हमने देखा कि अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक हितग्राहियों को पुरानी दर से पेंशन का भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप इ.गा.रा.नि.पें.यो. अन्तर्गत 2.02 लाख हितग्राहियों को राशि ₹ 2.02 करोड़ का कम भुगतान किया गया विवरण **ifjf'k"V&4-48** में दर्शाया है।

निर्गम सम्मेलन में. मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि भारत सरकार द्वारा रा.सा.स.का. के अन्तर्गत सहायता दरों में वृद्धि वर्ष के मध्य में की गई थी। वर्ष 2012–13 में सीमित बजट प्रावधान होने के कारण, बढ़ी हुई दरों का लाभ अप्रैल 2013 से दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार को अक्टूबर 2012 से बढ़ी हुई सहायता दरों का भुगतान करने के लिए पूरक बजट में प्रावधान कर देने चाहिए थे।

jk"Vh; ifjokj lgk;rk ;ktuk ¼jk-i-l-;k-½

रा.प.स.यो. मध्य प्रदेश में अगस्त 1995 से कार्यान्वित की गई थी। रा.प.स.यो. अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के मुख्य पालनकर्ता सदस्य (पुरूष या महिला) जिसकी आयु 18–64 हो, की मृत्यु होने पर ₹ 10,000 एकमुश्त केन्द्रीय सहायता शोकसंतप्त परिवार को प्रदान की जाना थी। मृतक परिवार के उस जीवित सदस्य को जो, स्थानीय पूछताछ के बाद परिवार का मुखिया निर्धारित किया गया था, को सहायता का भुगतान किया जाना था। 18.10.2012 से पात्रता आयु भी 18–64 के स्थान पर संशोधित कर 18–59 वर्ष कर दी गई एवं एकमुश्त सहायता राशि ₹ 10,000 से बढ़ाकर ₹ 20,000 की गई। 2010–11 से 2014–15 के दौरान रा.प.स.यो. के अन्तर्गत 1.95 लाख व्यक्तियों को लाभ हुआ था।

2-4-14 foRrh; ic/ku

2-4-14-1 ctV iko/kku ,o 0;;

वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक राज्य में रा.प.स.यो के वर्ष वार बजट आवंटन एवं व्यय नीचे rkfydk&5 में दिए गए हैं:

rkfydk&5% o"k 2010&11 l 2014&15 rd jk-i-l-;k- d o"kokj vkoVu ,o 0;;

¼₹ djkM e½

o"k	ey ctV	vuijd ctV	iufofu;ktu@ leii.k	dy ;kx	dy 0;;	ey ctV d InHk e cpr ¼&½@vkf/kD; ¼$½
2010–11	57.25	2.00	–8.61	50.63	55.12	–2.13
2011–12	51.24	0.00	–1.98	49.26	49.39	–1.85
2012–13	40.00	9.00	–0.48	48.52	48.80	8.80
2013–14	96.27	0.82	–73.35	23.74	24.59	–71.68
2014–15	100.23	0.00	–61.33	38.90	39.17	–61.06
;kx	344-99	11-82	&145-76	211-05	217-07	&127-92

¼lk=&foLrr fofu;kx y[k½

Rkkfydk&5 से स्पष्ट है कि 2010–15 के दौरान रा.प.स.यो. मूल बजट प्रावधान ₹ 344.99 करोड़ में से ₹ 217.07 करोड़ का व्यय किया गया था। यह कमजोर बजट निर्माण का सूचक है।

2-4-15 dk;Øe dk;kUo;u

2-4-15-1 jk-i-l-;k- d vUrxr vkondk dh ik=rk dh tkp e deh

दिशानिर्देश में दिए गए पात्रता मानदण्डों के अनुसार ही रा.प.स.यो. में लाभ दिया जाना है। तथापि, चयनित 14 जिलों की चयनित जनपद पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में रा.प.स.यो. के 249 स्वीकृत आवेदन पत्रों की संवीक्षा के दौरान 108 हितग्राहियों के आवेदन पत्र अपूर्ण पाए गए, आवश्यक दस्तावेज (यथा मृतक का जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची, सत्यापन प्रतिवेदन) उनके आवेदन के साथ संलग्न नहीं किए गए थे। इस प्रकार, रा.सा.स.का. के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता की जाँच स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई थी। विवरण ifjf'k"V&2-47 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि यदि किसी भी जिले की जनपद/स्थानीय निकाय में विसंगति पाई जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी।

vu|'kalk

विभाग को वास्तविक हितग्राहियों को सहायता स्वीकृत करने में रा.प.स.यो. के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2-4-15-2 jk-i-l-;k- vUrxr fgrxkfg;ksa dks ykHk dk de Hkqxrku

भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र (नबम्बर, 2012) के अनुसार, रा.प.स.यो. अन्तर्गत 18.10.2012 से सहायता दर ₹ 10,000 से बढ़ाकर ₹ 20,000 की गई थी। तथापि राज्य द्वारा उपरोक्त सहायता 1 अप्रैल 2013 से बढ़ाई गई थी।

jk-i-l-;k- vUrxr ₹ 9-10 djksM+ dk de Hkqxrku fd;k x;k Fkk

हमने देखा कि जनवरी 2013 से मार्च 2013 (ifjf'k"V&2-48), के दौरान हितग्राहियों को पुरानी दर से सहायता का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रा.प.स. यो. अन्तर्गत 9,104 हितग्राहियों को राशि ₹ 9.10 करोड़ का कम भुगतान किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि भारत सरकार द्वारा रा.सा.स.का. के अन्तर्गत सहायता दरों में वृद्धि वर्ष के मध्य में की गई थी। वर्ष 2012–13 में सीमित बजट प्रावधान होने के कारण, बढ़ी हुई दरों का लाभ अप्रैल 2013 से दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार को अक्टूबर 2012 से बढ़ी हुई सहायता दरों का भुगतान करने के लिए पूरक बजट में प्रावधान कर देने चाहिए थे।

2-4-16 jk"Vªh; lkekftd lgk;rk dk;Øe ds dk;kZUo;u dk vuqoh{k.k ,oa eY;kadu

2-4-16-1 jkT; Lrjh; lfefr

jk-lk-l-dk- ds i;Zos{k.k ,oa vuqoh{k.k gsrq jkT; Lrjh; lfefr dk xBu ugha fd;k x;k Fkk

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के पैरा 6.1.2 के अनुसार राज्य स्तरीय समिति का प्रमुख, मुख्य सचिव अथवा मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे जो कार्यक्रम और उससे संबंधित मामलों के कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगे। राज्य स्तरीय समिति को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करना चाहिए। तथापि, राज्य स्तर पर इस तरह की समिति गठित नहीं की गई थी एवं अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि राज्य स्तरीय समिति को गठित करने की कार्यवाही की जा रही थी।

2-4-16-2 ftyk Lrjh; lfefr

ftyk Lrjh; lfefr dk xBu ugha fd;k x;k Fkk

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश के पैरा 6.1.3 के अनुसार कपटपूर्ण प्रकरणों, हितग्राहियों के गलत चयन इत्यादि से बचने के लिए जिले के अंदर कार्यक्रम के कार्यान्वयन अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाए। समिति की नियमित रूप से बैठक होना चाहिए। उन्हें अपनी रिपोर्ट राज्य नोडल विभाग को मासिक आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए।

हमने पाया कि नमूना जांच किए गए जिलों में, जिला स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया था। इस प्रकार, जिला स्तर पर रा.सा.स.का. के कार्यान्वयन हेतु यथोचित अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि दिशानिर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय समिति को गठित करने की कार्यवाही की जा रही थी।

vuq'kaLkk

रा.सा.स.का. के पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण के लिए राज्य/जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए तथा नियमित अन्तराल पर बैठक होना चाहिए।

2-4-16-3 lkekftd ys[kkijh{kk

Lkkekftd vads{k.k xzke lHkk@okMZ lfefr }kjk ugha fd;k x;k

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश का पैरा 6.10 के अनुसार, रा.सा.स.का. के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वियन एवं अनुवीक्षण में 'सामाजिक लेखापरीक्षा' आवश्यक थी। सामाजिक लेखापरीक्षा हितग्राहियों की शिकायतों का निवारण के साथ ही न केवल योजनाओं को परिष्कृत करती है बल्कि पारदर्शिता और दायित्व को भी बढ़ाती है। रा.सा.स.का. के अन्तर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा, ग्राम सभा/वार्ड समिति द्वारा प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए। सामाजिक लेखापरीक्षा के कार्यवृत्त, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षरित अभिलिखित कर जिला अधिकारी को भेजे जाएंगे।

यह पाया गया कि 2010–11 से 2014–15 के दौरान नमूना जांच किये गए जिलों में ग्राम सभा/वार्ड समिति द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इस प्रकार, सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता, दायित्व बढ़ाने तथा हितग्राहियों की शिकायतों का निवारण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

निर्गम सम्मेलन में मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि रा.सा.स.का. की दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए समस्त कलेक्टरों को पत्र जुलाई–2015 में लिख दिया गया था।

vuq'kalk

विभाग को रा.सा.स.का. के प्रावधानों के अनुसार पेंशन योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना चाहिए।

Lkkex`h lkekftd lqj{kk isa'ku ;kstuk ¼l-lk-lq-isa-;ks-½

राज्य सरकार ने राज्य में निवासरत व्यक्तियों के लिए स.सा.सु.पें.यो. वर्ष 1981 से कार्यान्वित की। योजना अन्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन, 18 वर्ष से अधिक तथा 39 वर्ष के बीच के बी.पी.एल. विधवा महिलाएं, 18 वर्ष से अधिक तथा 59 वर्ष के बीच की बी.पी.एल. परित्यक्त महिलाएं एवं 6 से 18 वर्ष के स्कूल जाने वाले बी.पी.एल. बच्चे जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, स.सा.सु.पें.यो. अंतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र है। हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹ 150 रूपये प्रदाय किये जाते हैं।

स.सा.सु.पें.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार, निराश्रित को परिभाषित किया गया जो–व्यक्ति बेसहारा हो तथा जीविका के लिए क्षमता खो चुका हो या उनके पास भूमि न हो या निर्वाह के लिए पर्याप्त आय न हो, या ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित व्यक्ति को भूमिहीन[5] तथा असहाय होना चाहिए।

स.सा.सु.पें.यो. के विभिन्न मापदण्डों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे मु.का.अ., जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों मे आयुक्त नगर निगम, सी.एम.ओ नगर पालिका पेंशन स्वीकृत करने हेतु अधिकृत हैं। मार्च 2015 की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत 8.64 लाख हितग्राही थे।

[5] भूमिहीन का अर्थ है कि व्यक्ति जिसके पास एक हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि या आधा हेक्टेयर सिंचित भूमि हों

2-4-17 foRrh; izca/ku

2-4-17-1 ctV izko/kku ,oa 0;;

वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक राज्य में स.सा.स.पें.यो. के वर्षवार बजट आबंटन एवं व्यय की जानकारी नीचे rkfydk&6 में दिए गए हैं:

rkfydk&6% o"kZ 2010&11 ls 2014&15 rd l-lk-l-ia-;ks- dk o"kZokj ctV ,oa 0;;

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ	ewy ctV	vuqiwjd ctV	iqufoZfu;kstu@ leiZ.k	dqy ;ksx	dqy 0;;	ewy ctV dh rqyuk esa cpr ¼&½@vkf/kD; ¼$½
2010–11	310.00	43.45	–82.96	270.49	269.32	–40.68
2011–12	281.22	0.00	–22.99	258.23	253.84	–27.38
2012–13	304.38	0.00	–19.76	284.62	294.40	–9.98
2013–14	341.63	0.00	–184.20	157.43	154.68	–186.95
2014–15	310.45	0.00	–182.96	127.49	137.71	–175.74
;ksx	1]547-68	43-45	&492-87	1]098-26	1]106-95	&440-73

¼lzksr&foLr`r fofu;ksx ys[kk½

Rkkfydk&6 से स्पष्ट है कि पांच वर्षो 2010–2015 के दौरान ₹ 440.73 करोड़ की बचत थी, जो मूल बजट ₹ 1547.68 करोड़ का 28.48 प्रतिशत थी। यह कार्यान्वयन की कमी को दर्शाता है जिसके कारण बजट प्रावधान अभीष्ट उद्देश्य हेतु वितरित नहीं किया जा सका।

2-4-18 dk;ZØe dk;kZUo;u

2-4-18-1 l-lk-lq-ia-;ks- ds vUrxZr vkosndksa dh ik=rk dh tkap esa deh

l-lk-lq-ia-;ks- vUrxZr 32]984 tkap fd, x;s izdj.kksa esa ls 2]152 vik= ik;s x;s

दिशानिर्देशों में दिए गए पात्रता मानदण्डों के अनुसार स.सा.सु.पें.यो. में लाभ दिया जाना है। तथापि, चयनित 14 जिलों की चयनित जनपद पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में स.सा.सु.पें.यो. के आवेदनों की नमूना जाँच के दौरान 32,984 प्रकरणों में से 2,152 हितग्राहियों के आवेदन अपूर्ण पाए गए, आवश्यक दस्तावेज (निराश्रित एवं भूमिहीन का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निशक्तता प्रमाण पत्र एवं स्कूल जाने का प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची, सत्यापन प्रतिवेदन) उनके आवेदन पत्रों के साथ संलग्न नहीं थे। इस प्रकार, स.सा.सु.पें.यो. के अन्तर्गत स्वीकृतकर्ता प्राधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृति के लिए दस्तावेजों की पर्याप्त जांच नहीं की गई थी। विवरण ifjf'k"V&2-47 में दिया है।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि यदि किसी जिले की जनपद/नगरीय स्थानीय निकाय में विसंगतियां पाई जाती है, तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी।

vuq'kalk

विभाग द्वारा वास्तविक हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने में स.सा.सु.पें.यो. के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2-4-19 vkUrfjd fu;=.k i:.kkyh

2-4-19-1 foHkkxh; fujh{k.k ,oa vkUrfjd y{[kk ijh{kk

विभाग की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, विभाग की उचित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा नियतकालिक निरीक्षण एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन है। स.सा.सु.पें.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार, विभागीय आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त संभागीय/जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियतकालिक निरीक्षण होना है।

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई नहीं थी। 14 चयनित जिलों में, अवधि 2010–15 के दौरान निरीक्षण के लिए न तो रोस्टर तैयार किया गया था न ही निरीक्षण किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, मिशन संचालक ने उत्तर में बताया कि निरीक्षण का रोस्टर प्रतिवर्ष तैयार किया जाता था एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियों का निपटान करने के लिए मौखिक निर्देश जारी किये गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया कि 2010–11 से 2014–15 के दौरान निरीक्षण नहीं किए गए।

2-4-20 fu"d"kZ ,oa vuq'kalk,a

- इ.गा.रा.वृ.पें.यो. के अन्तर्गत 65–79 आयु वर्ग में ₹ 200 प्रतिमाह के विरूद्ध रा.सा.स.का. के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ₹ 75 को छोड़कर अनुरुप अंश का योगदान नहीं किया गया। जिला/जनपद/नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर बैंक खातों में विभिन्न पेंशन योजनाओं की राशि ₹ 30.24 करोड़ अव्ययित पड़ी थी।

- रा.सा.स.का. के अंतर्गत मौजूदा हितग्राहियों के वार्षिक सत्यापन हेतु विशेष सत्यापन दल का गठन नहीं किया गया था। दस्तावेजों की पर्याप्त जांच किये बिना हितग्राहियों के पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

रा.सा.स.का. के दिशानिर्देशों के अनुसार हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन विशेष सत्यापन दल द्वारा किया जाना चाहिए। विभाग वास्तविक हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने में रा.सा.स.का. के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

- रा.सा.स.का./स.सा.सु.पें.यों. अंतर्गत पेंशन का भुगतान देय तिथि से 1 से 16 माह विलम्ब से किया गया था। आगे, जनपद पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पेंशन पोर्टल पर बैंक खाता विवरण गलत अपलोड करने से पेंशन ₹ 1.32 करोड़ अवितरित थे।

- समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड किए गए (18 मार्च 2015) प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में इ.गा.रा.वृ.पें.यो. अंतर्गत 16.16 लाख व्यक्ति, इ.गा.रा.वि.पें.यो. अंतर्गत 1.70 लाख व्यक्ति तथा इ.गा.रा.नि.पें.यो. अंतर्गत 0.12 लाख व्यक्ति थे जो संबंधित पेंशन योजनाओं हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना के लाभ प्राप्त नहीं कर रहे थे। इस प्रकार, पात्र जनसंख्या का बड़ा अनुपात योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु शेष था।

विभाग को वंचित पात्र जनसंख्या को पेंशन योजना में समयबद्ध ढंग से शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को पात्र जनसंख्या के बीच पर्याप्त जागरुकता प्रसार सुनिश्चित करने के अलावा पात्र हितग्राहियों की सूची के आवधिक अद्यतन के लिए तंत्र का भी विकास करना चाहिए।

- पेंशन की बढ़ी हुई दर का विलम्ब से कार्यान्वयन किए जाने के कारण, इ.गा.रा. वि.पें.यो., इ.गा.रा.नि.पें.यो. तथा रा.प.स.यो. के अन्तर्गत अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 के बीच पेंशनर्स को कम भुगतान किया गया था।

- योजनाओं के अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य/जिला स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया।

पेंशन योजना के अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य/जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए तथा नियमित अंतराल पर बैठक होना चाहिए।

- 2010–15 के दौरान रा.सा.स.का. की सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इस प्रकार सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता, दायित्व बढ़ाने तथा हितग्राहियों के शिकायतों का निवारण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

विभाग को पेंशन योजनाओं का मानदण्डों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना चाहिए।

- स.सा.सु.पें.यो के दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेजों की पर्याप्त जांच किये बिना हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे। विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई नहीं थी। चयनित जिलों में, 2010–15 के दौरान न तो निरीक्षण हेतु रोस्टर बनाये गए थे, न ही निरीक्षण किए गए थे।

विभाग द्वारा वास्तविक हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने में स.सा.सु.पें.यो के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

mPp f'k{kk foHkkx

2.5 fo'ofo|ky; esa foRrh; izca/ku rFkk futh egkfo|ky;ksa dh lEc)rk

dk;Zikyu lkjka'k

उपाधि प्रदाय करने या देने का अधिकार एक केन्द्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित या स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग किया जाता है। विश्वविद्यालय विभिन्न शिक्षा संकायों के द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम इत्यादि की शिक्षा प्रदाय करते हैं। विश्वविद्यालय के संशाधनों में इसके स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियां, राज्य शासन से अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) तथा अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से अनुदान सम्मिलित हैं।

विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन तथा निजी महाविद्यालयों की सम्बद्धता पर 2010–11 से 2014–15 की अवधि को शामिल करते हुये निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआः

thokth fo'ofo|ky;] Xokfy;j

- वार्षिक लेखाओं के संधारण हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे रोकड़ आधार पर तैयार किए गए थे जिसमें लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्वदत्त व्यय तथा प्राप्य आय सम्मिलित नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

(dfMdk 2-5-6-1)

- विश्वविद्यालय ने वार्षिक बजट तथा वार्षिक लेखाओं की तैयारी के लिए कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की थी। म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 48 के अनुसार वार्षिक लेखे शासन को नहीं भेजे गए थे।

(dfMdk 2-5-6-1 ,oa 2-5-6-1¼i½)

- हमने देखा कि विश्वविद्यालय यू.जी.सी. एवं अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदान ₹ 13.17 करोड़ में से ₹ 4.13 करोड़ का उपयोग नहीं कर सका। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उपयोग किए गए अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र यू.जी.सी. को नहीं भेजे गए थे।

(dfMdk 2-5-6-2 ¼ii))

- रोकड़ बहियों तथा बैंक विवरणियों का मिलान नहीं किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप ₹ 4.80 करोड़ का मिलान न किया हुआ अंतर था।

(dfMdk 2-5-6-3)

- स्ववित्त पाठ्यक्रम (एस.एफ.सी.) विनियम की आवश्यकतानुसार, एस.एफ.सी. की आय का 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय के खाते में जमा किया जाना था। हमने देखा कि 2010–15 के दौरान एस.एफ.सी. के विरूद्ध ₹ 8.08 करोड़ की देयताओं में से ₹ 3.82 करोड़ विश्वविद्यालय के खाते में प्राप्त नहीं हुए थे।

(dfMdk 2-5-6-4)

- यू.जी.सी. (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियम, 2009 संशोधित 2012 के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व महाविद्यालयों द्वारा संकाय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय सुविधायें, नागरिक सुविधायें इत्यादि के संबंध में निर्धारित मानकों की पूर्ति किया जाना है। हमने देखा कि निजी महाविद्यालयों को अधोसंरचना में कमियों का निवारण सुनिश्चित किए बिना सशर्त सम्बद्धता अनुवर्ती वर्षों में बार बार दी गई। 74 शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के विरूद्ध राशि ₹ 1.19 करोड़ का सम्बद्धता शुल्क लंबित था।

(dfMdk 2-5-6-5 ¼i½ ,o 2-5-6-5 ¼ii½)

noh vfgY;k fo'ofo|ky;] bUnkSj

- वार्षिक लेखाओं के संधारण हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे रोकड़ आधार पर तैयार किए गए थे, जिसमें लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्वदत्त व्यय तथा प्राप्य आय सम्मिलित नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

(dfMdk 2-5-7-1)

- विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा उद्देश्य के लिए प्रदाय किए गए ₹ 7.06 करोड़ के 27 वर्षों तक के अग्रिम असमायोजित पड़े थे। इसके अतिक्ति लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

*(dfMdk 2-5-7-2 **(i)**)*

- 2008–15 के दौरान यू.जी.सी. तथा अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त ₹ 8.79 करोड़ की उपलब्ध निधि में से विश्वविद्यालय ने ₹ 4.06 करोड़ उपयोग किये। निधियों का उपयोग समय पर न होने तथा अव्ययित राशि के कारण अनुगामी अनुदान जारी नहीं किए गए।

*(dfMdk 2-5-7-2 **(ii)**)*

- हमने देखा कि 2010–14 के दौरान एस.एफ.सी. की आय के 20 प्रतिशत के विरूद्ध ₹ 39.53 करोड़ की देयताओं में से ₹ 14.79 करोड़ विश्वविद्यालय के खाते में प्राप्त नहीं हुए थे।

(dfMdk 2-5-7-4)

- निजी महाविद्यालयों को पूर्व की कमियों की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना अनुवर्ती/अनुगामी वर्षों में सशर्त सम्बद्धता बार बार दी गई। 212 सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों से ₹ 5.48 करोड़ का वार्षिक सम्बद्धता शुल्क प्राप्त नहीं हुआ था।

(dfMdk 2-5-7-5 ¼i½ ,o 2-5-7-5 ¼ii½)

cjdrmYyk fo'ofo|ky;] Hkksiky

- वार्षिक लेखाओं के संधारण हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे रोकड़ आधार पर तैयार किए गए थे, जिसमें लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्वदत्त व्यय तथा प्राप्य आय सम्मिलित नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

(dfMdk 2-5-8-1)

- ₹ 2.39 करोड़ के अग्रिम असमायोजित होने से लंबित पड़े थे। लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

*(dfMdk 2-5-8-2 **(i)**)*

- मदवार व्यय के आवंटन का निर्णय विलंब (अगस्त 2014) से होने से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदाय निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। आगे यू.जी.सी. अनुदान के विरूद्ध ₹ 5.41 करोड़ के आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय पर न प्रस्तुत किए जाने के कारण नहीं की गई।

(dfMdk 2-5-8-2 (ii))

- 2010–15 के दौरान एस.एफ.सी.विनियम के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार एस.एफ.सी.का विश्वविद्यालय अंशदान ₹ 2.94 करोड़ विश्वविद्यालय खाते में अंतरित नहीं किया गया था।

(dfMdk 2-5-8-4)

- निजी संस्थाओं को पूर्व की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना अनुवर्ती/अनुगामी वर्षों में सशर्त सम्बद्धता बार बार दी गई। आगे, राशि ₹ 63.53 लाख का सम्बद्धता शुल्क लंबित था।

(dfMdk 2-5-8-5 ¼i½ ,o 2-5-8-5 ¼ii½)

jkuh nqxkZorh fo'ofo|ky;] tcyiqj

- वार्षिक लेखाओं के संधारण हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे रोकड़ आधार पर तैयार किए गए थे जिसमें लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्वदत्त व्यय तथा प्राप्य आय सम्मिलित नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

(dfMdk 2-5-9-1)

- विश्वविद्यालय ने 2013–14 के दौरान यू.जी.सी./अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदान में से ₹ 3.35 करोड़ नियत जमा प्राप्तियों (एफ.डी.आर.) /सावधि जमा प्राप्तियों (टी.डी.आर.) में निवेश किए थे।

(dfMdk 2-5-9-1 ¼ii½)

- मार्च 2015 की स्थिति में विश्वविद्यालय अमले को विशेष उद्देश्यों के लिए तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए राशि ₹ 3.21 करोड़ के अग्रिम 1999–2000 के बाद से असमायोजित रहे थे। अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

(dfMdk 2-5-9-2 (i))

- रोकड़ बहियों के साथ बैंक विवरणियों का मिलान नहीं किया जा रहा था। मार्च 2015 की स्थिति में रोकड़ बहियों तथा नौ खातों की बैंक विवरणियों के शेषों के मध्य ₹ 124.37 करोड़ का अंतर था।

(dfMdk 2-5-9-3)

2.5.1 iLrkouk

उपाधि प्रदान करने या देने का अधिकार एक केन्द्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत, सम्मिलित या स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली सहित विभिन्न साधनों के माध्यम से राज्य में शिक्षा एवं ज्ञान के प्रगति एवं प्रसार के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्य करता है:

(क) ऐसी शाखाओं में निर्देश प्रदान जैसा यह निर्धारित करे (ख) शोध तथा ज्ञान की प्रगति एवं प्रसार के लिए प्रावधान करना (ग) महाविद्यालयों, शैक्षणिक विभाग तथा अध्ययन शालाओं को स्थापित, रख–रखाव तथा प्रबंधन करना (घ) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक भेद को संस्थागत करना (ङ) महाविद्यालयों तथा संस्थानों को

सम्बद्ध या मान्यता प्रदान करना एवं ऐसी संबद्धता या मान्यता को वापिस लेना (च) ऐसा शुल्क एवं अन्य प्रभार तय करना, मांग करना तथा प्राप्त करना जैसा निर्धारित हो (छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण तथा अनुशासन को पर्यवेक्षित तथा नियंत्रित करना (ज) विभिन्न परीक्षाओं के लिए निर्देशों का निर्धारण तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानकों का निर्धारण जो परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य विधि सम्मिलित कर सकता है।

2.5.2 l xBukRed l jpuk

राज्य में विश्वविद्यालयों के कार्य प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। म.प्र. के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में लागू परिनियमों एवं अध्यादेशों का परीक्षण करने तथा संशोधनों के सुझाव देने हेतु तथा विश्वविद्यालयों के मध्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर समन्वय समिति (सी.सी.) गठित है। कुलाधिपति समन्वय समिति के अध्यक्ष होते हैं तथा प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग सचिव होता है।

कुलाधिपति द्वारा नियुक्त कुलपति (वाइस–चांसलर) विश्वविद्यालय का प्रमुख प्रशासनिक तथा अकादमिक अधिकारी होता है तथा जिसकी सहायता कुलसचिव, संकायों के अधिष्ठाता एवं वित्त अधिकारी द्वारा की जाती है। कार्य परिषद (ई.सी.) विश्वविद्यालय का कार्यकारी निकाय होता है। प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति कार्य परिषद के सदस्य होते हैं।

कुलपति की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की वित्त समिति विश्वविद्यालय के वित्त को नियंत्रित करती है। प्रमुख सचिव तथा आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग या उनके नामित व्यक्ति वित्त समिति के सदस्य होते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा वित्त मामलों के प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो तो, समन्वय समिति को विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाते है। आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग पेंशन निधि तथा विश्वविद्यालयों को भुगतान किए गए संधारण अनुदान का विनियमन तथा अनुवीक्षण करता है।

2.5.3 y[kkijh{kk d mn~n';

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था किः

- वार्षिक बजट अनुमान/पुनरीक्षित अनुमान बनाने के लिये एक निर्धारित प्रक्रिया अस्तित्व में थी तथा बजट यथार्थवादी था;
- निधियों का उपयोग मितव्ययिता से तथा कुशलता पूर्वक किया गया था, तथा नगद प्रबंधन उचित एवं कुशल था;
- निजी महाविद्यालयों की संबंद्धता परिनियम के संबंधित संहितागत प्रावधानों के अनुरूप थी; तथा
- समुचित अनुवीक्षण प्रणाली स्थापित थी, एवं प्रभावशाली थी।

2.5.4 y[kkijh{kk d ekunM

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए थे:

- म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता (यू.एफ.सी.), सामान्य वित्तीय नियम 2005, वित्तीय तथा लेखाओं विनियम, 1978 तथा योजना अभिलेख;
- बजट अनुमान/पुनरीक्षित अनुमान तथा वार्षिक लेखे;
- सी.सी., ई.सी. तथा वित्त समिति की बैठकों के कार्यवृत्त;

- विश्वविद्यालयों के परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;
- यू.जी.सी. द्वारा जारी दिशानिर्देश/आदेश तथा विनियम, भारत सरकार राज्य शासन तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश/निर्देश छात्रवृत्ति/अध्ययेतावृत्ति के दिशानिर्देश तथा विश्वविद्यालय की शुल्क संरचना;
- मध्य प्रदेश निर्माण कार्य नियमावली तथा मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम; तथा
- विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित अनुवीक्षण प्रणाली।

2.5.5 ys[kkijh{kk dk {ks= ,oa i}fr

विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) (सी. एवं ए.जी. का (डी.पी.सी.)) अधिनियम, 1971 की धारा 14(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा 2010–11 से 2014–15 की अवधि सम्मिलित करते हुए दिसम्बर 2014 तथा जुलाई 2015 के मध्य की गई थी। म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अंतर्गत स्थापित सात विश्वविद्यालयों में से चार (बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर तथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर) का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा में समाविष्ट किए जाने हेतु सरल यादृच्छिक नमूना बिना प्रतिस्थापन (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) विधि अपना कर किया गया था।

अभिलेखों की नमूना जांच तथा जानकारी का संग्रहण प्रमुख सचिव के कार्यालय तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग के कार्यालय में भी किया गया था। एक प्रवेश सम्मेलन (मार्च 2015) आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों, विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों तथा वित्त अधिकारियों के साथ किया गया था जिसमें उन्हें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदंड तथा लेखापरीक्षा की कार्यविधि की व्याख्या की गई थी।

निर्गम सम्मेलन प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के साथ 9 सितम्बर 2015 को हुआ था। विभाग के उत्तर (नवम्बर 2015) प्रतिवेदन में उचित रूप से समाविष्ट कर लिए गए हैं।

ys[kkijh{kk fu"d"kZ

विश्वविद्यालय राज्य शासन से संधारण अनुदान के रूप में तथा यू.जी.सी. एवं अन्य केन्द्र सरकार के संगठनों से अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय छात्रों से शुल्क, सम्बद्धता शुल्क, अर्थदंड, छात्रावासों तथा आवासीय भवनों की प्राप्तियों, निवेशों तथा बचत खातों से ब्याज इत्यादि के रूप में स्वयं का राजस्व प्राप्त करते हैं। विश्वविद्यालय के व्यय विभिन्न बैंक खातों में रखे प्राप्तियों से पूर्ण किए जाते हैं। विश्वविद्यालय तथा इसके स्व–वित्त पाठ्यक्रमों (एस.एफ.सी.) के वित्त पृथक से प्रबंधित किए जाते हैं।

2.5.6 thokth fo'ofo|ky;] Xokfy;j

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना मई 1964 में की गई थी तथा विश्वविद्यालय म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा संचालित है। विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र राज्य के आठ जिलों में विस्तारित है। विश्वविद्यालय में 12 मुख्य संकाय के साथ 31 शैक्षणिक विभाग है जो 51 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 11 स्नातक पाठ्यक्रम, 20 एम.फिल. एवं 10 डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करते है। शैक्षणिक सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों में कुल छात्रों की संख्या 18,450 थी। मार्च 2015 की स्थिति में विश्वविद्यालय से 498 महाविद्यालय सम्बद्ध थे। 2010–11 से 2013–14 की अवधि में विश्वविद्यालय (सम्बद्ध महाविद्यालयों को सम्मिलित

कर) में कुल छात्रों की संख्या क्रमशः 1.63 लाख, 1.96 लाख, 1.97 लाख तथा 2.00 लाख थी।

2.5.6.1 vk; rFkk O;;

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24–क के प्रावधानों के अन्तर्गत, वित्त समिति को विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तैयार करना तथा वार्षिक लेखापरीक्षा समय से पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 48 के अनुसार विश्वविद्यालय को वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा स्थानीय निधि लेखाओं के परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम एक बार जो पंद्रह माह से अधिक के अंतराल पर न हो, कराया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना होता है जो इसे विधानसभा के पटल पर रखवाती है।

हमने पाया कि वार्षिक लेखाओं के संधारण के प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। यद्यपि वार्षिक लेखाओं में प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखे तथा तुलना पत्रक को सम्मिलित होना चाहिए, हमने पाया कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं में मात्र आय एवं व्यय लेखे सम्मिलित थे जो कि नकद आधार पर तैयार किए गए थे। उपचय आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार न किए जाने के कारण आय एवं व्यय लेखे लंबित व्यय, अग्रिम भुगतान व्यय तथा प्राप्ति योग्य आय सम्मिलित नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे वित्तीय स्थिति के सत्य एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

आगे हमने पाया कि वार्षिक लेखे तैयार करने तथा इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कोई निर्धारित समय सारणी नहीं थी। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे वर्ष 2013–14 तक तैयार किए गए थे, जो संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखा परीक्षित किए गए थे। तथापि किसी भी वर्ष के वार्षिक लेखे शासन को राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किए जाने हेतु नहीं भेजे गए थे।

हमने पाया कि वार्षिक लेखाओं का सार विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था, जो राज्य विधानमंडल में रखे जाने हेतु शासन को भेजे गए थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने वार्षिक लेखाओं को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने के म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 48 के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

2010–11 से 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय की अपने स्रोतों अर्थात छात्रों से शुल्क, सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क, भवनों का किराया तथा अन्य विविध आय से ₹ 270.61 करोड़ की आय थी। ऋण एवं अग्रिमों के शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 527.71 करोड़ की आय थी। विश्वविद्यालय ने राज्य शासन से संधारण अनुदान के रूप में भी ₹ 12.72 करोड़ तथा जी.ओ.आई. तथा अन्य निधि प्रदान करने वाली संस्थाओं से ₹ 31.54 करोड़ अनुदान प्राप्त किया। विवरण ifjf'k"V&2-49 में दर्शाया गया है।

राज्य शासन ने विश्वविद्यालय में कार्यरत अमले के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के लिए संधारण अनुदान प्रदान किया। हमने पाया कि उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को संधारण अनुदान आवंटन हेतु मापदंड निर्धारित करने हेतु जनवरी 2014 में एक समिति गठित की थी। तथापि संधारण अनुदान हेतु मापदंड अभी तय किए जाने थे।

2010–11 से 2014–15 की अवधि में विश्वविद्यालय का कुल व्यय, स्ववित्तीय पाठयक्रम को छोड़कर, ₹ 876.35 करोड़ था। 2010–11 से 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय ifjf'k"V&2-50 में दर्शाए गए हैं।

विभाग द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि वार्षिक लेखे तैयार करने से संबंधी प्रकरण समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा तथा समन्वय समिति के निर्णय अनुसार विश्वविद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

शासन को विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु प्रपत्र निर्धारित करने चाहिए। वार्षिक लेखे उपचय विधि से तैयार किए जाने चाहिए। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शासन को वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु समय सारणी भी निर्धारित करनी चाहिए।

2.5.6.1 (i) ctV ikDdyu@iqujhf{kr ikDdyu rS;kj djuk

यू.एफ.सी. के नियम 142 से 150 के अनुसार विश्वविद्यालय के एफओ विश्वविद्यालय के अनुमानित आय एवं व्यय विवरणी, अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदान तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा संवीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

ctV iwfØ;k dh fy, le; lkj.kh dk vHkko Fkk

- वार्षिक बजट के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आय एवं व्यय (ifjf'k"V&2-51) के बीच अत्यधिक अंतर था जो कि समुचित बजट निर्माण का न होना इंगित करता है। 2010–11 से 2014–15 के दौरान वास्तविक आय में बजट प्राक्कलनों से (–)29 से 50 प्रतिशत का अंतर था। इस अवधि में, वास्तविक की तुलना में अनुमानित व्यय में (–)28 प्रतिशत से 39 प्रतिशत का अंतर था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि बजट तैयार करने से संबंधित प्रकरण को समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा। समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार तथा प्रावधानित राशि के प्रभाव पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे ।

vuq'kalk

शासन को वार्षिक बजट तैयार करने के लिए समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए। निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.5.6.1 (ii) fuos'k

विश्वविद्यालय ने मार्च 2015 की स्थिति में 86 एफ.डी.आर./टी.डी.आर. में ₹ 167.08 करोड़ का निवेश किया था। तथापि विश्वविद्यालय ने नीति जिसके आधार पर निवेश किया गया था को प्रस्तुत नहीं किया यद्यपि इसकी मांग लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी।

2.5.6.2 0;; fu;a=.k

2.5.6.2 (i) yfEcr vfxzeksa dk lek;kstu

₹ 1.14 djksM+ dk vfxze lek;ksftr jgs vfxzeksa dh vof/k lehf{kk ugha dh xbZ Fkh

यू.एफ.सी. के नियम 166 से 179 कर्मचारियों के साथ–साथ संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिए गए अग्रिमों के समायोजन हेतु विनियम को निर्दिष्ट करते हैं। परियोजना अग्रिमों को छोड़कर अन्य सभी प्रदायित अग्रिमों का समायोजन एक माह के अंदर किया जाना होता है, तथा वी.सी. के विशेष आदेश द्वारा तीन माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है परन्तु सभी लंबित अग्रिम वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के पूर्व समायोजित किए जाने चाहिए।

हमने पाया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए कुल ₹ 1.14 करोड़ के अग्रिम की राशि मार्च 2015 की स्थिति में

असमायोजित थी। इसमें से, ₹ 35.14 लाख के अग्रिम विश्वविद्यालय कर्मचारियों के विरूद्ध तथा ₹ 79.15 लाख विभिन्न संस्थाओं के विरूद्ध लंबित थे। इसके अतिरिक्त, अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

विभाग द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि यू.एफ.सी. के प्रावधानों के पालन हेतु तथा अग्रिमों की निर्धारित समयावधि के अंदर त्वरित समायोजन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व त्वरित समायोजन सुनिश्चित किए जाने हेतु लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

2.5.6.2 (ii) *;w-th-lh- rFkk Hkkjr ljdkj dh vU; fuf/k;ksa iznku djus okyh laLFkkvksa ls izkIr fuf/k;ksa dk mi;ksx u gkuk*

यू.जी.सी. की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार, आवर्ती अनुदान प्रावधिक आधार पर किए गए निधियों के उपयोग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही जारी किया जाएगा परन्तु पूंजीगत शीर्ष के लिए जारी निधियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के अंदर भेजा जाना था। निधि प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा अनुवर्ती किश्तों का प्रदाय पूर्व अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों (यू.सी.) को भेजे जाने पर निर्भर करता था।

Hkkjr ljdkj ds fofHkUu laxBuksa ls izkIr jkf'k ₹ 4-13 djksM+ dh fuf/k;ka vi;qDr jgha

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को भारत सरकार के अनुदानों को जारी किए जाने तथा उनके उपयोग का विवरण ifjf'k"V&2-52 में दर्शाया गया है। मार्च 2015 के अंत में, राशि ₹ 4.13 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रहीं। हमने पाया कि प्राप्त निधियां उस वर्ष में उपयोग नहीं की गई जिसके लिए वे प्रदान की गई थीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के यू.सी., यू.जी.सी. को नहीं भेजे गए थे।

आगे हमने पाया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता के अंतर्गत यू.जी.सी. से ₹ 1.80 करोड़ प्राप्त हुए थे। यू.जी.सी. ने 11वीं योजना निधि की उपयोगिता अवधि 30 सितम्बर 2012 तक बढ़ा दी थी (मार्च 2012)। तथापि अतिरिक्त सहायता में से विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2013 के दौरान ₹ 58.04 लाख स्मार्ट कक्षाओं पर व्यय किया था जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में अनुदान की उपयोगिता की अनुमत्य अवधि से परे था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि निधियों के समय से उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

निधि प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों का अधिकतम एवं समय से उपयोग के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

2.5.6.3 *jksdM+ cfg;ksa rFkk cSad foojf.k;ksa ds 'ks"kksa dk feyku u fd;k tkuk*

cSad foojf.k;ksa rFkk jksdM+ cfg;ksa ds 'ks"kksa ds e/; ₹ 4-80 djksM+ dk varj Fkk

परिनियम 21 का प्रावधान निर्दिष्ट करता है कि एफ.ओ. को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के शेषों की स्थिति पर निगरानी रखनी चाहिए। विश्वविद्यालय ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में 27 बैंक खाते संधारित किए थे तथा पांच पृथक रोकड़ बहियों का संधारण किया था।

रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों की जांच ने उद्घाटित किया कि रोकड़ बही के आंकड़ों का बैंक विवरणियों के साथ मिलान नहीं किया जा रहा था। यह पाया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक विवरणियों के शेषों में ₹ 4.80 करोड़ (मार्च 2014 / फरवरी 2015 की स्थिति में) का अंतर था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि रोकड़ बहियों तथा बैंक विवरणियों का मिलान सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vu'kalk

सभी बैंक खातों के लिए रोकड़ बहियों तथा बैंक विवरणियों के शेषों का आवश्यक रूप से मिलान किया जाना चाहिए।

2-5-6-4 LofoRrh; ikB;Øe dk izca/ku

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम चलाने का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थाओं को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करना हैं। पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी हैं और रोजगार के अवसर एवं छात्रों की आवश्यकता दोनों के द्वारा विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए सहायक होते हैं। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत, छात्रों से एकत्र शुल्क शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के समग्र विकास के खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता हैं। विश्वविद्यालय द्वारा इन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अलग से वित्तीय विनियम बनाए गये हैं। अवधि 2010–15 के दौरान स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आय ₹ 40.39 करोड़[1] एवं व्यय ₹ 30.44 करोड़[2] था। हमने एस.एफ.सी. के प्रबंधन में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- एस.एफ.सी. विनियम 1997 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार एस.एफ.सी. की आय का 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय खाते में जमा किया जाना था। हमने पाया कि एस.एफ.सी. के विरूद्ध ₹ 8.08 करोड़ के देयताओं में से 2010–15 के दौरान ₹ 3.82 करोड़ विश्वविद्यालय खाते में प्राप्त नहीं किए गए थे।

fo'ofo|ky; }kjk ,l-,Q-lh- ls jkf'k ₹ 13-52 djksM+ dk vi'kknu iklr ugha fd;k x;k Fkk

- उच्च शिक्षा विभाग ने 24 पदों के सृजन की स्वीकृति (अगस्त 2010 एवं मार्च 2012) देते समय विश्वविद्यालय को एस.एफ.सी. की आय का 25 प्रतिशत या स्थापना व्यय का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, एफ.डी.आर. के रूप में बन्दोबस्ती निधि में जमा किए जाने के लिए निर्देशित किया था। निधियों को एस.एफ.सी. में प्रयुक्त अमले के भुगतान करने के लिए सुरक्षित रखा जाना था। तथापि 2010–15 के दौरान बन्दोबस्ती निधि के रूप में जमा किए जाने वाले ₹ 10.10 करोड़ में से मात्र ₹ 2.75 करोड़ इस निधि में रखे गए थे।

- उच्च शिक्षा विभाग ने 2010–11 एवं 2013–15 के दौरान एस.एफ.सी. की पेंशन अंशदान के विरूद्ध संधारण अनुदान में से ₹ 2.35 करोड़ की कटौती की थी। तथापि काटी गई राशि एस.एफ.सी. से प्राप्त नहीं की तथा विश्वविद्यालय निधि में जमा नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय के खाते में अंशदान जमा करने, पेंशन अंशदान की धनराशि प्राप्त करने एवं बन्दोबस्ती निधि में आवश्यक राशि जमा करने के बारे में विभाग के आदेश का पालन करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे ।

2-5-6-5 ¼i½ fu;eh egkfo|ky;ksa dh lac)rk

विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में महाविद्यालयों का प्रवेश (सम्बद्धता) का आवेदन नए महाविद्यालय द्वारा या पूर्व से विद्यमान महाविद्यालय द्वारा नए विषय/संकाय/स्नातकोत्तर कक्षाओं को जोड़ने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग निकाय/प्राधिकारियों के नवीन महाविद्यालयों/संकायों/पाठ्यक्रमों से प्रति वर्ष प्राप्त

---

[1] 2010–11 ₹ 7.25 करोड़, 2011–12 ₹ 9.15 करोड़, 2012–13 ₹ 6.40 करोड़, 2013–14 ₹ 7.77 करोड़, तथा 2014–15 में ₹ 9.82 करोड़।

[2] 2010–11 ₹ 4.58 करोड़, 2011–12 ₹ 5.98 करोड़, 2012–13 ₹ 3.12 करोड़, 2013–14 ₹ 11.35 करोड़, तथा 2014–15 में ₹ 5.41 करोड़।

आवेदनों पर अनिवार्य शर्तों की पूर्ति जैसे—भूमि की निर्धारित क्षेत्रफल की उपलब्धता, भवन एवं संकाय इत्यादि के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति प्रदान करता हैं। यू.जी.सी. (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम, 2009 संशोधित 2012, के प्रावधानुसार अस्थायी संबद्धता प्राप्त करने से पूर्व महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित मानक यथा शिक्षण स्टाफ, प्रयोगशाला, पुस्तकालय सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं इत्यादि पूर्ण किया जाना है ।

संस्थान/महाविद्यालय द्वारा कुलसचिव को सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरीक्षण समिति के गठन हेतु विद्या परिषद की स्थायी समिति को भेजा जाता हैं। समिति की अनुशंसाओं की प्राप्ति पर, विद्या परिषद आवेदन की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति हेतु कार्य परिषद को उचित अनुशंसा करेगी। कार्य परिषद स्थायी अथवा सीमित अवधि के लिए संबद्धता प्रदान कर सकती है तथा शर्तों को पूर्ण किया जाना तथा शर्तों को पूर्ण किये जाने का समय तथा तरीका प्रस्तावित कर सकती है। संस्थान जिन्हें सशर्त संबद्धता दी गई है, अनुपालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेखाओं की जांच से परिलक्षित हुआ कि जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 449 निजी संबद्ध महाविद्यालय थे। 28 निजी संबद्ध संस्थाएं जिन्हें 2010–11 से 2014–15 के दौरान सम्बद्धता प्रदान की गयी थी, के अभिलेखाओं की नमूना जांच से परिलक्षित हुआ कि:

- यू.जी.सी. विनियम के अन्तर्गत आवश्यक उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि एवं लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से एक अभियन्ता सभी 28 मामलों में निरीक्षण दल में सम्मिलित नहीं थे ।

- सशर्त सम्बद्धता प्रदान करते समय विश्वविद्यालय ने इन महाविद्यालयों/संस्थाओं को निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई आवश्यक अधोसंरचना सुविधाएं तथा शिक्षकों की भर्ती की पूर्ति किए जाने के निर्देश दिए थे। तथापि संस्थाओं द्वारा सशर्त सम्बद्धता का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही विश्वविद्यालय ने सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की। आगे यह भी देखा गया कि उत्तरवर्ती वर्षों में उन्हीं संस्थाओं को सशर्त सम्बद्धता, पूर्व के निरीक्षण दलों द्वारा इंगित की गई कमियों के बिना निवारण सुनिश्चित किए प्रदान की गई।

27 fu th lEc} egkfo|ky;k dh ,uvk l h okil yh xbZ Fkh rFkk 10 fu th lEc} egkfo|ky;k e izos'k ij izfrcU/k yxk;k x;k Fkk

कुलसचिव ने बताया (अप्रैल 2015) कि छात्रों के हित में सम्बद्धता दी गई थी। आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत (अक्टूबर 2015) जानकारी के अनुसार, निजी सम्बद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण विभाग के फरवरी तथा अक्टूबर 2014 के निर्देश के पालन में किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, 27 निजी सम्बद्ध महाविद्यालयों की एन.ओ.सी. वापस ली गई थी तथा आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण 10 निजी सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश पर शैक्षणिक सत्र 2015–16 के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।

vu|'kalk

शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति हेतु निरीक्षण तंत्र विकसित करने के लिए त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए।

2.5.6.5 (ii) *jkf'k ₹ 1-19 djksM+ dh lEc)rk 'kqYd dh olwyh u gksuk*

परिनियम 27 की कंडिका 13(3) के प्रावधान की आवश्कतानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष 31 जुलाई तक निर्धारित वार्षिक सम्बद्धता शुल्क का भुगतान करेगी। शुल्क जमा में देरी होने की स्थिति में महाविद्यालय या संस्था की सम्बद्धता वापस ली जा सकती है, यद्यपि कुलपति निर्धारित तिथि से तीन माह की अवधि में आवश्यक शुल्क के भुगतान किए जाने की

अनुमति आवश्यक शुल्क के 25 प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त राशि के साथ दे सकता है।

jkf'k ₹ 1-19 djksM+ dk lEc}rk 'kqYd izkIr ugha fd;k x;k Fkk

सम्बद्धता शुल्क के अभिलेखाओं की जांच से उद्घाटित हुआ कि 74 शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों से ₹ 1.19 करोड़ का सम्बद्धता शुल्क (अतिरिक्त राशि के साथ) प्राप्त नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय ने निर्धारित शुल्क जमा किए जाने हेतु महाविद्यालयों से कोई पत्राचार नहीं किया था।

कुलसचिव ने बताया (अप्रैल 2015) कि सम्बद्धता शुल्क की वसूली की जाएगी।

2.5.6.6 vkrfjd fu;=.k rFkk lkof/kd vuqoh{k.k r=

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डी.एल.एफ.ए) विश्वविद्यालय का लेखा परीक्षक होता है। डी.एल.एफ.ए ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 के लिए लेखापरीक्षा की थी। मार्च 2015 के अंत में, 2004–05 से 2013–14 की अवधि से संबंधित 74 कंडिकाएं निपटारे हेतु लंबित थीं। हमने आगे देखा कि विश्वविद्यालय ने ई.सी. के दिनांक 16 अगस्त 2011 के निर्णय के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन नहीं किया था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि लंबित कंडिकाओं के निपटारे तथा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही की जाएगी।

vuq'kalk

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना द्वारा आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

2.5.7 nsoh vfgY;k fo'ofo|ky;] bUnkSj

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की स्थापना मई 1964 में की गई थी और विश्वविद्यालय म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत संचालित है। विश्वविद्यालय का अधिकार राज्य के सात जिलों में विस्तारित हैं। विश्वविद्यालय में 16 मुख्य संकाय के साथ 27 शैक्षणिक विभाग हैं जो कि 72 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 21 स्नातक पाठ्यक्रम, 26 एम.फिल. तथा 15 डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में विद्यार्थियों की संख्या 6,992 थी। मार्च 2015 की स्थिति में, विश्वविद्यालय के अधीन 282 महाविद्यालय संबद्ध थे। विश्वविद्यालय में (संबद्ध महाविद्यालय को सम्मिलित कर) 2010–11 से 2013–14 के दौरान कुल विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 0.81 लाख, 0.94 लाख, 0.32 लाख एवं 0.73 लाख थी।

2-5-7-1 vk; ,oa O;;

कंडिका 2.5.6.1 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने देखा कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा वर्ष 2013–14 तक तैयार किए गए थे, जिनकी संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी। तथापि, वार्षिक लेखाओं के संधारण के प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। यद्यपि वार्षिक लेखाओं में प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखें तथा तुलन पत्रक को शामिल होना चाहिए, हमने देखा कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं में मात्र आय एवं व्यय लेखे शामिल थे जो कि नगदी आधार पर तैयार किए गए थे। वार्षिक लेखाओं को उपचय आधार पर तैयार न किये जाने से, आय एवं व्यय लेखाओं में लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्व भुगतान व्यय एवं प्राप्ति योग्य आय शामिल नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

आगे हमने पाया कि वार्षिक लेखाओं को तैयार करने एवं इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी। म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की

धारा 48 की आवश्यकता अनुसार वार्षिक लेखे शासन को नहीं भेजे गये थे। तथापि, वार्षिक लेखाओं के सार को विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया गया था, जो कि राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने हेतु शासन को भेजा गया था।

2010–11 से 2014–15 के दौरान, विश्वविद्यालय ने छात्रों से शुल्क, संबद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क, भवन किराया तथा अन्य विविध आय के रूप में अपने स्रोतों से ₹ 331.38 करोड़ सृजित किए थे। ऋण एवं निक्षेप मद में आय ₹ 16.49 करोड़ थी। राज्य सरकार ने 2010–15 के दौरान विश्वविद्यालय के अमले के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को ₹ 25.15 करोड़ संधारण अनुदान प्रदाय किया था। भारत सरकार एवं अन्य निधियां प्रदान करने वाली एजेंसियों से भी अनुदान के रूप में विश्वविद्यालय ने ₹ 44.85 करोड़ प्राप्त किया था। विस्तृत विवरण ifjf'k"V 2-49 में दर्शाया है।

2010–11 से 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय का कुल व्यय स्ववित्तीय पाठ्यक्रम को छोड़कर ₹ 350.21 करोड़ था। 2010–11 से 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय की आय एवं व्यय को ifjf'k"V&2-50 में दर्शाया गया है।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि वार्षिक लेखाओं के तैयार करने सम्बन्धी प्रकरण समन्वय समिति के ध्यान से लाया जाएगा एवं समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

vuq'kalk

शासन द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने हेतु प्रपत्र निर्धारित करना चाहिए। वार्षिक लेखे उपचय आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शासन को वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु एक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए।

2-5-7-1 ¼ii½ ctV ikDdyu@iqujhf{kr ikDdyu rS;kj djuk

कंडिका 2.5.6.1 (i) पूर्व में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हमने निम्नलिखित कमियां पाई :

ctV ifØ;k d fy, le; lkj.kh ugh Fkh

- विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक बजट हेतु कोई समय सारणी तैयार नहीं की गई थी।
- बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आय एवं व्यय में अत्याधिक अन्तर था (ifjf'k"V 2-51½ जो कि समुचित बजट तैयार न होना इंगित करता है। 2010–11 से 2014–15 के दौरान वास्तविक आय एवं बजट प्राक्कलन में (–)47 से (–)34 प्रतिशत का अन्तर था। वास्तविक व्यय के एवज में प्राक्कलन में उसी अवधि में (–)62 से (–)56 प्रतिशत का अन्तर था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि बजट तैयार करने सम्बन्धी प्रकरण को समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा। समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार तथा प्रावधानित राशि के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश विश्वविद्यालयों को जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

शासन को वार्षिक बजट तैयार करने हेतु समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए। निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2-5-7-1 ¼i½ fuos'k

विश्वविद्यालय के वित्तीय एवं लेखाओं का विनियम, 1978 के नियम 189(i) निर्दिष्ट करता है कि एक निवेश पंजी संधारित की जानी है जिसमें निवेशों के विस्तृत विवरण जैसे निवेश राशि, ब्याज की दरें, परिपक्वता तिथि इत्यादि दर्ज की जानी है। पंजी में की गयी प्रविष्टियों को वित्त अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाना था।

मार्च 2015 कि स्थिति में विश्वविद्यालय ने ₹ 300.83 करोड़ का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. में निवेश किया था। हमने पाया कि विनियम के अनुसार आवश्यक निवेश पंजी संधारित नही की गई थी। आगे विश्वविद्यालय ने जिस नीति के आधार पर निवेश किया था, को प्रस्तुत नहीं किया, यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा उसकी मांग की गई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विनियम 1978 के प्रावधानों का पालन करने हेतु निर्देश जारी किया जाएगा।

vuq'kalk

अधिशेष निधियों के बेहतर प्रंबधन को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय को समुचित निवेश नीति तैयार करना चाहिए।

2-5-7-2 O;; fu;a=.k

2-5-7-2 ¼i½ yafcr vfxze ₹ 7-06 djksM+ dk vlek;ksftr jguk

₹ 7-06 djksM+ dk vfxze vlek;ksftr FkA vfxzeksa dh vkof/kd leh{kk ugha dh xbZ Fkh

कंडिका 2.5.6.2(i) में पूर्व में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने देखा कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा उद्देश्य के लिए प्रदाय किए गए अग्रिम ₹ 7.06 करोड़ 27 वर्षो तक की लम्बी अवधि से असमायोजित था। इसके अतिरिक्त, अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया (नबम्वर 2015) कि विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के प्रावधानों का पालन करने हेतु तथा अग्रिमों का निर्धारित समय सीमा में तुरन्त समायोजन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किया जाएगा।

vuq'kalk

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व त्वरित समायोजन को सुनिश्चित करने हेतु लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

2-5-7-2 ¼ii½ ;w-th-lh- rFkk Hkkjr ljdkj dh vU; fuf/k;ksa iznku djus okyh laLFkkvksa ls izkIr fuf/k;ksa dk mi;ksx u gksuk

fofHkUu fuf/kdj.k laLFkkvksa ls izkIr jkf'k ₹ 8-79 djksM+ ds fo:} ek= jkf'k ₹ 4-06 djksM+ dh fuf/k;ksa mi;ksx dh tk ldh

विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. से 12वी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निधियां प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग भी भारत सरकार के विभिन्न निधिकरण संस्थाओं से वित्त पोषित हुए थे। पूर्व प्रदाय अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने पर निधिकरण संस्थाओं से आगे की किस्तों का जारी होना था। भारत सरकार/यू.जी.सी. द्वारा जारी किये गये अनुदान एवं उनके उपयोग का विस्तृत विवरण ifjf'k"V 2-52 में दर्शाया गया है।

2008–15 के दौरान उपलब्ध प्राप्त निधि ₹ 8.79 करोड़ में से, विश्वविद्यालय ने ₹ 4.06 करोड़ उपयोग किए थे। निधियों का उपयोग समय पर न होने तथा अत्यधिक राशि रहने से, अनुगामी अनुदान जारी नहीं किए गए थे।

- यू.जी.सी. ने 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में शैक्षणिक मल्टीमीडिया शोध केन्द्र के लिए ₹ 8.28 करोड़ जारी किए थे, जिसके विरूद्ध ₹ 9.54 करोड़ उपयोग किए गए थे। इसके अतिरिक्त 2010–14 के दौरान अकादमिक स्टॉफ कॉलेज के लिए

यू.जी.सी. ने ₹ 1.40 करोड़ जारी किए थे, जिसके विरूद्ध व्यय ₹ 3.12 करोड़ था। आधिक्य व्यय ₹ 2.98 करोड़ यू.जी.सी. से प्राप्त होना शेष था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि यू.जी.सी. से निधियों की प्रतिपूर्ति के अलावा, समय से निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vu|'kk lk

भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों का समय से तथा अधिकतम उपयोग हेतु एवं आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

2-5-7-3 jkdM cfg;k rFkk cd fooj.k d 'k"kk dk feyku u fd;k tkuk

jkdM cfg;k rFkk cd foojf.k;k d 'k"kk d e/; ₹ 36-47 djkM dk vrj Fkk

विश्वविद्यालय ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में 20 बैंक खाते तथा मुख्यतः चार रोकड़ पंजियां जैसे सामान्य निधि हेतु, नगद लेनदेन, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) एवं एस.एफ.सी. हेतु संधारित किए थे।

रोकड़ पंजियों तथा बैंक खातों की जांच में परिलिक्षित हुआ कि रोकड़ पंजियों तथा आठ बैंक खातों के शेषों में ₹ 36.28 करोड़ (मार्च 2014 तक) का अन्तर था। इसी तरह मार्च 2013 को एन.एस.एस. खाते के बैंक विवरण एवं रोकड़ पंजी में ₹ 19.35 लाख का अंतर था। तथापि रोकड़ पंजियों के आंकड़ों का बैंक विवरण के साथ मिलान नहीं किया गया था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि रोकड़ पंजियों तथा बैंक विवरण का मिलान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vu|'kk lk

सभी बैंक खातों के लिए रोकड़ बहियों के साथ बैंक विवरणियों के शेषों का अनिवार्य रूप से मिलान किया जाना चाहिए।

2-5-7-4 LofoRrh; ikB;Øek dk icU/ku

विश्वविद्यालय ने एस.एफ.सी. के संचालन हेतु पृथक से विनियम तैयार किये थे। 2010–15 के दौरान एस.एफ.सी. की आय ₹ 254.22 करोड़[3] तथा व्यय ₹ 201.44 करोड़[4] थी। हमने एस.एफ.सी. के प्रंबधन में निम्नलिखित कमियां पाईं:

fo'ofo|ky; }kjk ,l-,Q-lh- l jkf'k ₹ 57-72 djkM dk v'knku ikIr ugh fd;k x;k Fkk

- स्ववित्तीय पाठ्यक्रम विनियम 1993 के अनुसार, एस.एफ.सी. की आय का 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय के खातों में जमा किया जाना था। हमने देखा कि 2010–14 के दौरान एस.एफ.सी. पर देय ₹ 39.53 करोड़ में से, ₹ 14.79 करोड़ विश्वविद्यालय के खातों में प्राप्त नहीं हुए थे। 2014–15 के लिए विश्वविद्यालय के अंश की प्राप्ति की स्थिति वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप न दिये जाने से अभिनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

- उच्च शिक्षा विभाग ने 245 शैक्षणिक एवं 253 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति देते समय (मई 2006 एवं जून 2013) एस.एफ.सी. की आय का 25 प्रतिशत या स्थापना व्यय का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, एण्डोमेंन्ट फण्ड में जमा करने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया था। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में नियोजित होने वाले अमले को भुगतान करने हेतु निधियों को आरक्षित रखा जाना था। तथापि, 2010–14

[3] 2010–11 ₹ 38.31 करोड़, 2011–12 ₹ 43.66 करोड़, 2012–13 ₹ 52.85 करोड़, 2013–14 ₹ 62.85 करोड़, तथा 2014–15 में ₹ 56.55 करोड़।

[4] 2010–11 ₹ 28.70 करोड़, 2011–12 ₹ 34.73 करोड़, 2012–13 ₹ 34.83 करोड़, 2013–14 ₹ 48.76 करोड़, तथा 2014–15 में ₹ 54.42 करोड़।

के दौरान जमा की जाने वाली एण्डोमेंट राशि ₹ 49.42 करोड़ में से मात्र ₹ 15.77 करोड़ इस निधि में जमा किए गए थे।

- पेंशन निधि में पेंशन अंशदान के रूप में एस.एफ.सी. की आय का 10 प्रतिशत राशि स्थानांतरित होनी थी। तथापि, हमने देखा कि 2010–14 की अवधि में पेंशन निधि अंशदान राशि ₹ 19.77 करोड़ में से ₹ 9.28 करोड़ एस.एफ.सी. से प्राप्त नहीं हुआ था।

- गैर शैक्षणिक अमले पर व्यय शैक्षणिक अमले पर व्यय के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए था। तथापि विश्वविद्यालय ने 2010–15 के दौरान शैक्षणिक अमले पर व्यय का निर्धारित सीमा की तुलना में गैर शैक्षणिक अमले पर ₹ 3.10 करोड़ आधिक्य व्यय किया था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय के खाते में अंशदान जमा करने हेतु, पेंशन अंशदान प्राप्त करने हेतु, एण्डोमेंट फण्ड के संबध में विभाग के आदेशों का पालन करने के लिए तथा गैर शैक्षणिक अमले के व्यय पर नियत्रंण रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे।

2-5-7-5 ¼ii½ futh egkfo|ky;ksa dh lEc)rk

विश्वविद्यालय के अधीन 226 संबद्ध निजी महाविद्यालय संचालित थे। कंडिका 2.5.6.5(i) में पूर्व में चर्चा किये गए प्रावधानों के अनुसार नमूना जांच की गई 15 संस्थाएं जिनको 2010–11 से 2014–15 के दौरान संबद्धता प्रदान की गई थी, के अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआः

- यू.जी.सी. विनियम के अंतर्गत आवश्यक सभी 15 प्रकरणों में उच्च शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि एवं लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक अभियंता निरीक्षण दल में शामिल नहीं थे।
- सशर्त संबद्धता के लिए अनुशंसित करते समय, निरीक्षण दल ने प्रयोगशाला में संयंत्र, पुस्तकालय में पुस्तकों की अपर्याप्तता एवं महाविद्यालयों में खेल मैदान की अनुपलब्धता इत्यादि इंगित की थी। विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को निरीक्षण दल द्वारा इंगित की गई आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति तथा शिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु निर्देशित करते हुए संबद्धता प्रदान की थी। तथापि, सशर्त संबद्धता का अनुपालन प्रतिवेदन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया। आगे यह देखा गया कि उन्हीं संस्थाओं को अनुगामी वर्षों में पूर्व शर्तो की पूर्ति को सुनिश्चित किये बगैर सशर्त संबद्धता बार बार दी गयी थी।

lkr lEc) futh egkfo|ky;ksa dh ,uvkslh okil yh xbZ Fkh rFkk pkj lEc) futh egkfo|ky;ksa ij izos'k esa izfrca/k yxk;k x;k Fkk

कुल सचिव ने बताया (मई 2015) कि विद्यार्थियों के हित में संबद्धता प्रदान की गई थी। आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई (अक्टूबर 2015) जानकारी अनुसार, विभाग के फरवरी एवं अक्टूबर 2014 के निर्देशों के अनुपालन में संबद्ध निजी महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने के कारण सात संबद्ध निजी महाविद्यालयों की एनओसी वापस ली गई थी एवं चार संबद्ध निजी महाविद्यालय पर शैक्षणिक सत्र 2015–16 में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी।

vuq'kalk

विद्यार्थियों के हित में संबद्धता की शर्तो की तुरंत पूर्ति हेतु शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए एवं शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

lEc)rk 'kYd ₹ 5-48 djkM+ iklr ugh fd;k x;k Fkk

2-5-7-5 ¼ii½ lc)rk 'kYd jkf'k ₹ 5-48 djkM+ olwy u fd;k tkuk

कंड़िका 2.5.6.5 (ii) में पूर्व में चर्चा किए गए प्रावधान अनुसार, हमने देखा कि 212 संबद्ध शासकीय/निजी महाविद्यालयों से वार्षिक संबद्धता शुल्क एवं अतिरिक्त राशि ₹ 5.48 करोड़ प्राप्त नहीं हुई थी।

कुल सचिव ने बताया (मई 2015) कि संबद्धता शुल्क की वसूली की जावेगी।

2-5-7-6 vkarfjd fu;=.k ,oa vuqoh{k.k ra=

2-5-7-6 ¼i½ fudk;@ikf/kdj.kksa dk xBu u gkuk

विश्वविद्यालय के सभी मामलों में महासभा एक सलाहकारी निकाय है। तथापि, समन्वय समिति के निर्णय (नवम्बर 2006) के बावजूद महासभा का गठन नहीं किया गया था। आगे अकादमिक योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड जो कि कम अवधि एवं दीर्घ अवधि योजना तथा विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों के कार्यों के मूल्याकंन हेतु उत्तरदायी है, का गठन नहीं हुआ था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि अधिनियम के प्रावधान का पालन करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vkarfjd ys[kkijh{kk dk;Z ugha dj jgk Fkk

2-5-7-6 ¼ii½ vkarfjd ys[kkijh{kk u gkuk

यह पाया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के स्वीकृत पद (एक अधीक्षक एवं तीन सहायक ग्रेड) के विरूद्ध 2010–14 के दौरान चार अमले के वेतन एवं भत्ते की राशि ₹ 45.32 लाख को आहरित किया गया था। तथापि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा संचालित नहीं थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा के संचालन हेतु कार्यवाही की जाएगी।

vuq'kalk

आतंरिक लेखापरीक्षा प्रणाली एवं अन्य आवश्यक निकाय/प्राधिकरणों की स्थापना की जाकर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सदृढ़ करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

2-5-7-6 ¼iii½ LFkkuh; fuf/k lijh{kk dfMdkvksa dk fujkdj.k

संचालक, एल.एफ.ए. विश्वविद्यालय का सांविधिक लेखा परीक्षक है। डी.एल.एफ.ए. ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 के लिए लेखा परीक्षा की थी। मार्च 2014 के अंत में, 919 कंडिकाएं जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 34.22 करोड़ था, निराकरण हेतु लंबित थीं।

विभाग ने लंबित कंडिकाओं के निपटान हेतु कार्यवाही करने के लिए कहा (नवम्बर 2015) था।

2.5.8 cjdrmYyk fo'ofo|ky;] Hkksiky

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की स्थापना अगस्त 1970 में की गई थी और विश्वविद्यालय म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा संचालित है। विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र राज्य के आठ जिलों में विस्तारित है। विश्वविद्यालय में 10 मुख्य संकाय के साथ 25 शैक्षणिक विभाग हैं जो कि 48 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, पांच स्नातक पाठ्यक्रम, 12 एम.फिल. तथा 13 डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। मार्च 2015 की स्थिति में, विश्वविद्यालय से 415 महाविद्यालय संबद्ध थे। विश्वविद्यालय

में (संबद्ध महाविद्यालयों को सम्मिलित कर) 2010–11 से 2014–15 के दौरान कुल विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 0.76 लाख, 0.72 लाख, 0.76 लाख, 1.27 लाख एवं 1.08 लाख थी।

2-5-8-1 vk; ,o 0;;

कंडिका 2.5.6.1 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने देखा कि वार्षिक लेखाओं को संधारण करने का प्रपत्र निर्धारित नहीं था। यद्यपि, वार्षिक लेखाओं में प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं, आय एवं व्यय लेखाओं तथा तुलन–पत्र शामिल होना चाहिए, हमने देखा कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे में मात्र आय एवं व्यय लेखा शामिल था जो कि रोकड़ आधार पर तैयार किया गया था। वार्षिक लेखे के उपचय आधार पर तैयार न किये जाने से, आय एवं व्यय लेखे में लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्व भुगतान व्यय एवं प्राप्ति योग्य आय शामिल नहीं थी। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं।

आगे हमने देखा कि वार्षिक लेखाओं की तैयारी एवं इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु कोई निर्धारित समय सारणी नहीं थी। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे वर्ष 2013–14 तक तैयार किए गए थे, जिनकी संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी। यद्यपि वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल को प्रस्तुत करने हेतु शासन को नहीं भेजे गए थे। हमने देखा कि वार्षिक लेखाओं का सारांश विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया गया था, जोकि राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने हेतु शासन को भेजे गए थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 48 के अन्तर्गत प्रावधानों का पालन नहीं किया।

2010–11 से 2014–15 के दौरान, विश्वविद्यालय ने छात्रों से शुल्क, संबद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क, भवन किराया तथा अन्य विविध आय के रूप में अपने स्रोतों से ₹ 371.92 करोड़ आय अर्जित की थी। ऋण एवं निक्षेप मद में आय ₹ 48.31 करोड़ थी। राज्य सरकार ने 2010–15 के दौरान विश्वविद्यालय के अमले के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु ₹ 18.60 करोड़ संधारण अनुदान के लिए प्रदाय किए थे।

भारत सरकार एवं अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से भी अनुदान के रूप में विश्वविद्यालय को ₹ 25.79 करोड़ प्राप्त हुए थे। विस्तृत विवरण ifjf'k"V 2-49 में दर्शाया गया है।

2010–11 से 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय का कुल व्यय स्व–वित्तीय पाठ्यक्रम को छोड़कर ₹ 331.48 करोड़ था। 2010–11 से 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय को ifjf'k"V&2-50 में दर्शाया गया है।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि वार्षिक लेखाओं को तैयार करने सम्बन्धी प्रकरण समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा एवं समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

vu|'k|k

शासन द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने हेतु प्रपत्र निर्धारित करना चाहिए। वार्षिक लेखे उपचय आधार पर तैयार किए जाने चाहिए। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शासन को वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु एक समय सारणी निर्धारित करना चाहिए।

2-5-8-1 ¼i½ ctV ikDdyu@iujhf{kr ikDdyu r;kj djuk

कंडिका 2.5.6.1(i) में पूर्व में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हमने निम्नलिखित कमियां पाईः

ctV ifØ;k d fy, le; lkj.kh ugh Fkh

- विश्वविद्यालय ने बजट प्रक्रिया हेतु कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की थी।
- 2010–11 से 2014–15 के दौरान बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आय एवं व्यय में अत्यधिक अन्तर था ¼ifjf'k"V 2-51½ जो कि समुचित बजट तैयारी न होना इंगित करता है। वास्तविक आय एवं बजट प्राक्कलन में (–) नौ से 23 प्रतिशत का अन्तर था एवं व्यय में (–) 44 से (–) 20 प्रतिशत का अन्तर था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि बजट तैयार करने सम्बन्धी प्रकरण को समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा। समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार तथा प्रावधानित राशि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश विश्वविद्यालयों को जारी किए जाएंगे।

vu'kalk

शासन को वार्षिक बजट तैयार करने हेतु समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए। निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2-5-8-1 ¼ii½ fuos'k

मार्च 2015 की स्थिति में, विश्वविद्यालय ने ₹ 194.08 करोड़ के 265 एफ.डी.आर./टी.डी.आर. में एक से पांच वर्षो के लिए निवेश किया था। हमने पाया कि विश्वविद्यालय ने अधिशेष निधियों के निवेश के लिए कोई निवेश नीति तैयार नहीं की थी। विश्वविद्यालय ने निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु निवेश की जाने वाली राशि का न तो आकलन किया था, न ही निवेश समीक्षा की समयावधि निश्चित की थी। हमने आगे देखा कि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए निवेश वार्षिक लेखाओं में पृथक से नहीं दर्शाये गए थे।

विभाग द्वारा निवेश नीति तैयार न करने के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया (नवम्बर 2015)।

vu'kalk

अधिशेष निधियों के बेहतर प्रंबधन को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय को निवेश नीति तैयार करना चाहिए।

2-5-8-2 0;; fu;=.k

2-5-8-2 ¼i½ yfcr vfxeks dk le;kstu u gkuk

₹ 2-39 djkM+ d vfxe vlek;kftr jgA vfxek dh vkof/kd leh{kk ugh dh xbZ Fkh

कंडिका 2.5.6.2 (i) में पूर्व में की गई चर्चा के प्रावधान अनुसार, हमने देखा कि मार्च 2015 को, अग्रिम राशि ₹ 2.39 करोड़ लंबित था। 2005–06 से विश्वविद्यालय के अमले के विरूद्ध अग्रिम ₹ 1.74 करोड़ एवं विभिन्न संस्थाओं के विरूद्ध ₹ 64.66 लाख लंबित थे। इसके अतिरिक्त अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के प्रावधानों का पालन करने हेतु तथा निर्धारित समय सीमा में अग्रिमों के तुरन्त समायोजन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

vu'kalk

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व त्वरित समायोजन को सुनिश्चित करने हेतु लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

2-5-8-2 ¼ii½ Hkkjr ljdkj dh fuf/k;k inku djus okyh lLFkkvk ls iklr fuf/k;k dk mi;kx u gkuk

विश्वविद्यालय के विभागों को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदान एवं उनके द्वारा निधियों के उपयोग का विस्तृत विवरण ifjf'k"V 2-52 में दर्शाया गया है। मार्च 2015 को, निधि ₹ 4.54 करोड़ अप्रयुक्त रही। हमने देखा कि मदवार व्यय का विलंब से निर्णय (अगस्त 2014) लेने से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदाय की गई निधियों का उपयोग नहीं हो सका था।

fuf/k;k inku djus okyh lLFkkvk ls iklr jkf'k ₹ 4-54 djkM+ dh fuf/k;k vi;Dr jgh

हमने आगे देखा कि 11वीं योजना अवधि में यू.जी.सी. से वास्तव में प्राप्त अनुदान से विश्वविद्यालय ने सामान्य विकास सहायता के अन्तर्गत ₹ 3.68 करोड़ एवं मर्ज्ड स्कीम के अन्तर्गत ₹ 1.01 करोड़ अधिक व्यय किए थे। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी चेअर के अन्तर्गत 2005–15 के दौरान ₹ 0.72 करोड़ आधिक्य व्यय हुए थे। तथापि यू.जी.सी. अनुदान के विरूद्ध ₹ 5.41 करोड़ की इस आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र न भेजने के कारण नहीं हुई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि निधियों का समय से उपयोग सुनिश्चित करने हेतु, निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने हेतु एवं अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचने के लिए निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से समय पर निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किए जाएंगे। यह भी बताया गया कि राजीव गांधी चेअर के अन्तर्गत निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदान का समय पर एवं अधिकतम उपयोग हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचने के लिए यू.जी.सी. से व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

2-5-8-3 jkdM+ icU/ku

2-5-8-3¼i½ jkdM+ cfg;k rFkk cSd fooj.kh ds 'k"kk dk feyku u fd;k tkuk

विश्वविद्यालय ने 10 बैंक खाते एवं छह पृथक रोकड़ बही जैसे सामान्य एवं परीक्षा स्ववित्त, नगद लेनदेन, परियोजना, विकास एवं एन.एस.एस. हेतु संधारित की थी।

jkdM+ cfg;k rFkk cSd fooj.k;k ds 'k"kk ds e/; ₹ 13-16 djkM+ dk vUrj Fkk

रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों की जांच में परिलक्षित हुआ कि रोकड़ बही के आंकडों के साथ बैंक विवरणी का मिलान नहीं किया जा रहा था। मार्च 2015 को रोकड़ बहियों के शेष तथा सात खातों के बैंक विवरणी में ₹ 13.16 करोड़ का अन्तर था।

विभाग ने कहा कि रोकड़ पंजियां तथा बैंक विवरणियों के समाशोधन हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

सभी बैंक खातों के लिए रोकड़ बहियों के साथ बैंक विवरणियों के शेष का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

2-5-8-3 ¼ii½ l|c) egkfo|ky;k dk foØ; fd, x, ijh{kk QkWeZ eSY; ₹ 41-78 yk[k dh olwyh u gkuk

विश्वविद्यालय के भंडार के अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि विश्वविद्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन संबद्ध महाविद्यालयों को परीक्षा के उद्देश्य से परीक्षा फॉर्म विक्रय किए थे। 2010—11 से 2013—14 के दौरान, 11.34 लाख परीक्षा फॉर्म संबद्ध महाविद्यालयों को जारी किए गए थे, जिसमें से 9.92 लाख फॉर्म उपयोग में लाने के बाद 1.42 लाख फॉर्म महाविद्यालयों द्वारा वापस कर दिए गए थे। फॉर्म बिक्री के विरूद्ध देय राशि ₹ 9.91 करोड़ में से ₹ 9.73 करोड़ प्राप्त हुए थे और ₹ 18.62 लाख लंबित थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008—10 से संबंधित ₹ 23.16 लाख भी वसूल नहीं किए गए थे। इस प्रकार परीक्षा फॉर्म बिक्री के विरूद्ध ₹ 41.78 लाख महाविद्यालयों के पास लंबित थे।

विभाग ने बताया (नबम्वर 2015) कि महाविद्यालयों से राशि वसूली हेतु कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2-5-8-4 LofoRrh; ikB;Øeksa dk izca/ku

विश्वविद्यालय ने स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों (एस.एफ.सी.) के संचालन हेतु स्ववित्तीय पाठ्यक्रम विनियम 1999 तैयार किया था। 2010—15 की अवधि के दौरान एस.एफ.सी. की आय ₹ 47.17 करोड़[5] तथा व्यय ₹ 44.17 करोड़[6] था।

विनियम की आवश्यकता के अनुसार, किसी भी सेमेस्टर में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद 30 दिवस के अंदर एस.एफ.सी. आय का 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय के खाते में अंतरण किया जाना था। गैर शैक्षणिक अमले पर व्यय, शैक्षणिक अमले पर व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना था। विभाग ने ₹ 10 करोड़ एकमुश्त राशि एफ.डी.आर. के रूप में एंडोमेंट फंड बनाकर जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया था (अगस्त 2006)। इसके अतिरिक्त, एस.एफ.सी. आय का 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष एंडोमेंट फंड में रखा जाना था।

fo'ofo|ky; }kjk ,l-,Q-lh- va'knku ₹ 19-17 djksM+ izkIr ugha fd;k x;k FkkA

हमने देखा कि 2010—15 के दौरान विश्वविद्यालय का अंश ₹ 2.94 करोड़ विश्वविद्यालय खाते में अंतरित नहीं हुआ था। एकमुश्त राशि ₹ 10 करोड़ एफ.डी.आर. में नहीं रखी गई थी। इसके अतिरिक्त, 2010—14 की अवधि में एंडोमेंट फंड में जमा हेतु ₹ 6.23 करोड़ की कमी थी। 2010—15 के दौरान चार से छह विभागों में गैर शैक्षणिक अमले पर ₹ 0.67 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय खाते में अंशदान जमा करने हेतु, एण्डोमेंट फण्ड के संबंध में विभाग के आदेशों का पालन करने के लिए तथा गैर शैक्षणिक अमले पर आधिक्य व्यय पर नियत्रंण रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2-5-8-5 ¼i½ futh egkfo|ky;ksa dh l|c)rk

विश्वविद्यालय के अधीन 338 संबद्ध निजी महाविद्यालय संचालित हैं। कंडिका 2.5.6.5(i) में पूर्व में की गई चर्चा के प्रावधान के अनुसार, 14 निजी संस्थाओं को जिन्हें 2010—11 से 2014—15 के दौरान संबद्धता प्रदान की गई थी, में संबद्धता संबंधी अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआः

---

[5] 2010—11 ₹ 10.04 करोड़, 2011—12 ₹ 9.75 करोड़, 2012—13 ₹ 8.04 करोड़, 2013—14 ₹ 9.22 करोड़, तथा 2014—15 में ₹ 10.12 करोड़।

[6] 2010—11 ₹ 8.01 करोड़, 2011—12 ₹ 10.87 करोड़, 2012—13 ₹ 9.95 करोड़, 2013—14 ₹ 8.88 करोड़, तथा 2014—15 में ₹ 6.46 करोड़।

- यू.जी.सी. विनियम के अंतर्गत आवश्यक सभी 14 प्रकरणों में उच्च शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि एवं लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंता निरीक्षण दल में शामिल नहीं थे।

- सशर्त संबद्धता के लिए अनुशंसित करते समय, निरीक्षण दल ने महाविद्यालयों की अधोसंरचना में संयंत्र की अपर्याप्तता को इंगित किया था। विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय को निरीक्षण दल द्वारा इंगित की गई आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु तथा शिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु निर्देशित करते हुए संबद्धता प्रदान की थी। तथापि, सशर्त संबद्धता के अनुपालन प्रतिवेदन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आगे हमने देखा कि उन्हीं नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों को पूर्व शर्तों की पूर्ति को सुनिश्चित किए बगैर अनुगामी वर्षो में सशर्त संबद्धता दी गई थी।

18 lEc} futh egkfo|ky;k dh ,u-vk-lh- okil yh xbZ Fkh rFkk vkB lEc} futh egkfo|ky;k e io'k ij ifrca/k yxk;k x;k Fkk

कुल सचिव ने कहा (जुलाई, 2015) कि शर्तों की पूर्ति के लिए कार्यवाही प्रगति पर थी। आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई (अक्टूबर 2015) जानकारी अनुसार विभाग के फरवरी एवं अक्टूबर 2014 के निर्देशों के अनुपालन में संबद्ध निजी महाविद्यालयों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने के कारण 18 संबद्ध निजी महाविद्यालयों की एन.ओ.सी. वापस ली गई थी एवं आठ संबद्ध निजी महाविद्यालयों पर शैक्षणिक सत्र 2015–16 में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी।

vu|'k|k

विद्यार्थियों के हित में एवं शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबद्धता की शर्तो के अनुपालन हेतु तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए।

2-5-8-5 ¼ii½ lc)rk 'kYd jkf'k ₹ 63-53 yk[k oly u fd;k tkuk

lEc}rk 'kYd jkf'k ₹ 63-53 yk[k ikIr ugh dh xbZ Fkh

कंडिका 2.5.6.5 (ii) में पूर्व में की गई चर्चा के प्रावधान अनुसार, हमने देखा कि वार्षिक संबद्धता शुल्क ₹ 63.53 लाख संबद्ध महाविद्यालयों से वसूल नहीं किया गया था।

कुल सचिव ने कहा (जुलाई, 2015) कि वसूली की प्रक्रिया प्रगति पर है।

2-5-8-6 vkrfjd fu;=.k ,o vuoh{k.k r=

2-5-8-6 ¼i½ egklHkk dk lefpr lpkyu u gkuk

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 के अनुसार आवश्यक सदस्यों के साथ महासभा जो कि विश्वविद्यालय के सभी मामलों[7] में एक सलाहकारी समूह है, का गठन किया जाना था। महासभा के कोरम हेतु 25 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी बशर्ते स्थगित बैठक हेतु किसी कोरम की आवश्यकता नहीं थी।

यह पाया गया कि मार्च 2013 में महासभा का गठन हुआ था। तथापि आवश्यक संख्या में सदस्यों के नामांकित न किए जाने के फलस्वरूप महासभा का कोरम पूरा नहीं हुआ। महासभा की बैठक 2012–13 में हुई थी एवं अन्य वर्षो में बैठक नहीं हुई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने हेतु अनुदेश जारी किए जाएंगे।

---

[7] विश्वविद्यालय की विस्तृत नीतियां एवं कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखाओं, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक बजट प्राक्कलन पर विचार एवं अनुमोदन करना।

2-5-8-6 ¼ii½ LFkkuh; fuf/k laijh{kk dafMdkvksa dk fujkdj.k

संचालक, एल.एफ.ए. विश्वविद्यालयों का सांविधिक लेखापरीक्षक है। डी.एल.एफ.ए. ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 के लिए लेखापरीक्षा की थी। मार्च 2015 के अन्त में, 1971–72 से 2013–14 अवधि से सम्बन्धित 702 कंडिकाएं निराकरण हेतु लंबित थीं।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु कार्यवाही की जाएगी।

2-5-9 jkuh nqxkZorh fo'ofo|ky;] tcyiqj

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना जून 1956 में की गई थी और विश्वविद्यालय म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत संचालित है। विश्वविद्यालय का अधिकार राज्य के सात जिलों में विस्तारित है। विश्वविद्यालय में 14 मुख्य संकाय के साथ 24 शैक्षणिक विभाग हैं जो कि 38 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 18 स्नातक पाठ्यक्रम, 25 एम.फिल. तथा 16 डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग में विद्यार्थियों की संख्या 2,341 थी। मार्च 2015 को, विश्वविद्यालय के अधीन 228 महाविद्यालय संबद्ध थे। विश्वविद्यालय में (संबद्ध महाविद्यालयों को मिलाकर) 2010–11 से 2014–15 के दौरान कुल विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 0.36 लाख, 0.33 लाख, 0.36 लाख, 0.34 लाख एवं 0.35 लाख थी।

2-5-9-1 vk; ,oa O;;

कंडिका 2.5.6.1 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने देखा कि वार्षिक लेखाओं को संधारण करने के प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। यद्यपि वार्षिक लेखाओं में प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं, आय एवं व्यय लेखाओं तथा तुलन–पत्र शामिल होना चाहिए, हमने देखा कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं में सिर्फ आय एवं व्यय लेखा शामिल था जो कि रोकड़ आधार पर तैयार किया गया था। वार्षिक लेखा उपचय आधार पर तैयार न किए जाने से, आय एवं व्यय लेखे में लंबित व्यय, अग्रिम, पूर्व भुगतान व्यय एवं प्राप्ति योग्य आय शामिल नहीं था। इस प्रकार विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा उसकी वित्तीय स्थिति के वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिम्बित नहीं करते थे।

आगे हमने देखा कि वार्षिक लेखाओं की तैयारी एवं उसके राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु कोई निर्धारित समय सारणी नहीं थी। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे वर्ष 2013–14 तक तैयार किए गए थे, जो कि संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित किए गए थे। तथापि, वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल को प्रस्तुत करने हेतु शासन को नहीं भेजे गए थे। हमने देखा कि वार्षिक लेखाओं के सारांश को विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया गया था, जो कि राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने हेतु शासन को भेजा गया था। इस प्रकार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत करने के म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 48 के प्रावधान का पालन नहीं किया।

2010–11 से 2014–15 के दौरान, विश्वविद्यालय ने छात्रों से शुल्क, संबद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क, भवन किराया तथा अन्य विविध आय के रूप में अपने स्रोतों से ₹ 107.45 करोड़ सृजित किए थे। ऋण एवं निक्षेप मद में आय ₹ 23.56 करोड़ थी। राज्य सरकार ने 2010–15 के दौरान विश्वविद्यालय के अमले के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु ₹ 33.52 करोड़ संधारण अनुदान विश्वविद्यालय को प्रदान किए थे। भारत सरकार एवं अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से भी अनुदान के रूप में विश्वविद्यालय को ₹ 21.00 करोड़ प्राप्त हुए थे। विस्तृत विवरण ifjf'k"V 2-49 में दर्शाया गया है।

2010–11 से 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय का कुल व्यय स्व–वित्तीय पाठ्यक्रम को छोड़कर ₹ 217.03 करोड़ था। 2010–11 से 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय को ifjf'k"V&2-50 में दर्शाया गया है।

2010–11 से 2014–15 के दौरान वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय पर ₹ 157.15 करोड़[8] व्यय था जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोत से प्राप्त की गई आय (₹ 107.45 करोड़) एवं संधारण अनुदान (₹ 33.52 करोड़) से अधिक था। हमने देखा कि वेतन एवं भत्तों पर व्यय में 2010–11 में ₹ 18.55 करोड़ से 2014–15 में ₹ 26.30 करोड़ तक वृद्धि हुई थी जो कि मुख्यतः सितम्बर 2013 में 98 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण होने से हुई थी। तथापि विश्वविद्यालय की अपने स्रोत से आय में उसी अनुरूप वृद्धि नहीं हुई थी, जो कि 2010–11 से 2014–15 के दौरान ₹ 19.82 करोड़ से ₹ 23.98 करोड़ के बीच थी। इसका यह कारण था कि विश्वविद्यालय में तथा उसके संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों की संख्या लगभग समान थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि वार्षिक लेखाओं के तैयार करने सम्बन्धी प्रकरण समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा एवं समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

शासन द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने हेतु प्रपत्र निर्धारित करना चाहिए। वार्षिक लेखे उपचय आधार पर तैयार किए जाने चाहिए। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शासन को वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु एक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए।

2-5-9-1 ¼i½ ctV izkDdyu@iqufjf{kr izkDdyu rS;kj djuk

कंड़िका 2.5.6.1 (i) में पूर्व में चर्चा किये गए प्रावधानों के अनुसार हमने निम्नलिखित कमियां पाईः

ctV izfØ;k dh fy, le; lkj.kh ugha Fkh

- वार्षिक बजट हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की गई थी।
- बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आय एवं व्यय ¼ifjf'k"V 2-51½ में 2010–11 से 2014–15 के दौरान अन्तर था जो कि समुचित बजट तैयारी न होना इंगित करता है। वास्तविक आय एवं बजट प्राक्कलन में (–) 35 से 10 प्रतिशत का अन्तर था एवं व्यय में (–) 44 से (–) 07 प्रतिशत का अन्तर था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि बजट तैयार करने सम्बन्धी प्रकरण को समन्वय समिति के ध्यान में लाया जाएगा। समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार तथा प्रावधानित राशि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश विश्वविद्यालयों को जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

शासन को वार्षिक बजट तैयार करने हेतु समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए। निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2-5-9-1 ¼ii½ fuos'k

अभिलेखाओं की जांच से परिलक्षित हुआ कि विश्वविद्यालय ने मार्च 2015 को ₹ 31.53 करोड़ एफ.डी.आर./टी.डी.आर. में निवेश किया था। तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा निवेश

[8] पूंजीगत व्यय एवं उपादान भुगतान एवं पेंशन अंशदान को छोड़कर।

नीति तैयार नहीं की गई थी। हमने आगे देखा कि यू.जी.सी./ अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त निधियों का उपयोग करने के स्थान पर विश्वविद्यालय ने ₹ 3.06 करोड़ पांच एफ.डी.आर. में निवेश किए थे (मार्च 2013)। जिनका पुनः मार्च 2014 में नवीनीकरण (₹ 3.35 करोड़) किया था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय की अधिशेष निधियों एवं भारत सरकार की निधियों के समुचित प्रंबधन हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

अधिशेष निधियों के बेहतर प्रंबधन को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय को समुचित निवेश नीति तैयार करना चाहिए।

2-5-9-2 0;; fu;=.k

2-5-9-2 ¼i½ yafcr vfxzeksa dk lek;kstu u gksuk

कंडिका 2.5.6.2 (i) में पूर्व में की गई चर्चा के प्रावधान अनुसार, हमने देखा कि मार्च 2015 को विश्वविद्यालय अमले को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एवं अन्य संस्थाओं को प्रदाय की गई अग्रिम राशि ₹ 3.21 करोड़ 1999–2000 से असमायोजित थी। इनमें से, ₹ 2.55 करोड़ के अग्रिम विश्वविद्यालय अमले के विरूद्ध एवं ₹ 65.67 लाख विभिन्न संस्थाओं के विरूद्ध लंबित थे। अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के प्रावधानों का पालन करने हेतु तथा निर्धारित समय सीमा में अग्रिमों के तुरन्त समायोजन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व त्वरित समायोजन को सुनिश्चित करने हेतु लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

2-5-9-2 ¼ii½ ;w-th-lh- rFkk Hkkjr ljdkj dh vU; fuf/k;ka iznku djus okyh laLFkkvksa ls izkIr fuf/k;ksa dk mi;ksx u gksuk

विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. से 12वी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निधियां प्राप्त हुईं थी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग भी भारत सरकार के विभिन्न निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से वित्त पोषित हुए थे। पूर्व प्रदाय अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजे जाने पर अनुगामी किस्तें जारी होनी थीं।

fofHkUu fuf/k;ka iznku djus okyh laLFkkvksa ls izkIr jkf'k ₹ 4-60 djksM+ dh fuf/k;ka vi;qDr jgh

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को जारी किए गए जी.ओ.आई. अनुदान एवं अनुदान के उपयोग का विस्तृत विवरण ifjf'k"V 2-52 में दर्शाया गया है। हमने देखा कि निधियों का उपयोग संबंधित वर्ष जिसके लिए निधियां प्रदान की गईं थी, में नहीं हुआ था। मार्च 2015 के अंत में, निधि ₹ 4.60 करोड़ अप्रयुक्त रहीं।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों के समय पर तथा अधिकतम उपयोग हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

2-5-9-3 jkdM+ cfg;ka rFkk cSad fooj.k dk 'kks"kk dk feyku u fd;k tkuk

विश्वविद्यालय में एस.एफ.सी. खातों को मिलाकर 25 बैंक खाते थे तथा सामान्य खाते, परीक्षा खाते, विकास खाते, शारीरिक शिक्षा खाते एवं एन.एस.एस. खाते हेतु पृथक से

jksdM+ cfg;ksa rFkk cSd foojf.k;ksa ds 'ks"kksa esa ₹ 124-37 djksM+ dk vUrj Fkk

रोकड़ बहियां संधारित थीं। रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि रोकड़ बहियों के आंकड़ों के साथ बैंक विवरणियों का मिलान नहीं किया गया था। मार्च 2015 को रोकड़ पंजियों की शेषों एवं नौ खातों के बैंक विवरण में ₹ 124.37 करोड़ का अंतर था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि रोकड़ बहियों तथा बैंक विवरण के मिलान को सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

सभी बैक खातों के लिए रोकड़ बहियों के साथ बैंक विवरण के शेष का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

2-5-9-4 LofoRrh; ikB;Øek dk izca/ku

विश्वविद्यालय ने एस.एफ.सी. के संचालन हेतु पृथक से विनियम तैयार किए थे। 2010–15 के दौरान एस.एफ.सी. की आय ₹ 16.13 करोड़[9] तथा व्यय ₹ 10.50 करोड़[10] था।

fo'ofo|ky; }kjk ,l-,Q-lh- ls jkf'k ₹ 1-47 djksM+ dk va'knku izkIr ugha gqvk Fkk

विनियम के अंतर्गत आवश्यक एस.एफ.सी. की आय का 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय के अंश के रूप में भुगतान किया जाना था। 2010–15 दौरान, प्राप्ति योग्य 20 प्रतिशत अंशदान ₹ 3.20 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.73 करोड़ प्राप्त हुए थे एवं ₹ 1.47 करोड़ एस.एफ.सी. से लंबित था।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि विश्वविद्यालय के खाते में अंशदान राशि जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2-5-9-5 egkfo|ky;ksa@laLFkkuksa dh lac)rk

हमने देखा कि 2010–11 से 2014–15 के दौरान 208 महाविद्यालयों को सशर्त संबद्धता प्रदान की गई थी। कंडिका 2.5.6.5(ii) में पूर्व में की गई चर्चा के प्रावधान के अनुसार हमने देखा कि वार्षिक संबद्धता शुल्क राशि ₹ 1.63 करोड़ संबद्ध महाविद्यालयों से वसूल नहीं की गई थी।

कुलसचिव ने बताया (जुलाई 2015) कि 2014–15 से सशर्त संबद्धता प्रदाय नहीं की गई थी तथा इसके पूर्व विद्यार्थियों के हित में सशर्त संबद्धता प्रदाय की गई थी। कुल सचिव ने आगे कहा कि संबद्धता एवं नवीनीकरण शुल्क का वसूली होना एक निरन्तर प्रक्रिया है एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही कर रहा है।

ikap lac) futh egkfo|ky;ksa dh ,uvkslh okil yh xbZ Fkh rFkk nks lac) futh egkfo|ky;ksa dks izos'k ij izfrca/k yxk;k x;k Fkk

आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई (अक्टूबर 2015) जानकारी अनुसार विभाग के फरवरी एवं अक्टूबर 2014 के निर्देशों के अनुपालन में संबद्ध निजी महाविद्यालयों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने के कारण पांच संबद्ध निजी महाविद्यालय की एनओसी वापस ली गई थी एवं दो संबद्ध निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2015–16 में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी।

---

[9] 2010–11 ₹ 2.91 करोड़, 2011–12 ₹ 2.43 करोड़, 2012–13 ₹ 3.01 करोड़, 2013–14 ₹ 3.72 करोड़, तथा 2014–15 में ₹ 4.06 करोड़।

[10] 2010–11 ₹ 1.78 करोड़, 2011–12 ₹ 1.91 करोड़, 2012–13 ₹ 1.65 करोड़, 2013–14 ₹ 1.93 करोड़, तथा 2014–15 में ₹ 3.23 करोड़।

2-5-9-6 vkrfjd fu;=.k ,oa vuqoh{k.k rU=

संचालक, एल.एफ.ए. विश्वविद्यालयों का सांविधिक लेखा परीक्षक है। डी.एल.एफ.ए. ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 के लिए लेखापरीक्षा की थी। मार्च 2015 के अंत में, 2002–03 से 2013–14 के अवधि की 92 कंडिकाएं निराकरण हेतु लंबित थीं।

विभाग ने बताया (नबम्वर 2015) कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2-5-10 fu"d"kZ ,oa vuq'kalk,a

- विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन में कमी थी। वार्षिक लेखाओं के संधारण हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं थे। विश्वविद्यालयों के वार्षिक लेखे रोकड़ आधारित थे तथा तुलनपत्र शामिल नहीं था इस प्रकार विश्वविद्यालयों के वार्षिक लेखे उनकी वित्तीय स्थिति का वास्तविक एवं उचित दृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। आगे, विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक बजट एवं लेखाओं की तैयारी हेतु कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की गई थी।

शासन द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की तैयारी हेतु प्रपत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। वार्षिक लेखे उपचय आधार पर तैयार किए जाने चाहिए। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शासन को वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु एक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए।

- समायोजन न होने से अग्रिम लंबी अवधि से लंबित थे। लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व त्वरित समायोजन को सुनिश्चित करने हेतु लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

- यू.जी.सी. एवं अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों का उपयोग विश्वविद्यालय नहीं कर सके थे। निधियों का उपयोग न होने से अनुगामी अनुदान विश्वविद्यालयों को जारी नहीं किए गए थे। प्राप्त अनुदान/आवंटन के विरूद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं हुई थी।

निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों का समय से तथा अधिकतम उपयोग एवं आधिक्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

- विश्वविद्यालय द्वारा रोकड़ बहियों एवं बैंक विवरण का मिलान न किये जाने के फलस्वरूप शेषों में अत्यधिक असमायोजित अन्तर था।

सभी बैंक खातों के लिए रोकड़ बहियों के साथ बैंक विवरणियों के शेषों का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

- स्ववित्तीय पाठ्यक्रम से आय का निर्धारित अंशदान विश्वविद्यालयों के खातों में जमा नहीं किया गया था।
- अधोसंरचना में कमियों के निवारण को सुनिश्चित किये बिना निजी महाविद्यालयों को सशर्त संबद्धता बार बार दी गई थी।

शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति के लिए निरीक्षण तंत्र को विकसित करने के लिए त्वरित कार्यवाही की जाना चाहिए।

vu|lfpr tkfr dY;k.k foHkkx ,o vkfne tkfr dY;k.k foHkkx

2.6 vu|lfpr tkfr ,o vu|lfpr tutkfr d fo|kfFk;k gr| ikLV efVd Nk=ofRr dk ic/ku

dk;ikyu lkjk'k

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) वर्ग के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से मैट्रिकोत्तर पाठयक्रमों में अध्ययन करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पो.मै.छा.यो.) लागू की गई। भारत सरकार की इस योजना का लाभ अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के सभी मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों को प्रदाय करना है जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं है। मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार द्वारा पो. मै. छा. यो. को उन विद्यार्थियों, जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 3.00 लाख से अधिक न हो, तक विस्तृत किया गया है।

पो.मै.छा.यो. राज्य में अनुसूचित जाति कल्याण (अ.जा.क.) एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण (अ.ज.जा.क.) विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। जिले स्तर पर, सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण (स.आ.आ.जा.क.) एवं जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण (जि.स.आ.जा.क.) छात्रवृत्ति के संवितरण के लिये उत्तरदायी है। नामांकित विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों को संसाधित करने के लिए शासकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों को नोडलों के रूप में चयनित किया गया है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए "अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रबंधन" पर हुई निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य परिलक्षित हुए :

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से किया गया था, जो राज्य सरकार द्वारा वहन की गई वचनबद्ध देयता के अतिरिक्त थी। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान, राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अ.जा. वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ₹ 1,129.33 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹ 1,035.46 करोड़ व्यय किए। पो.मै.छा.यो. के अंतर्गत राज्य सरकार ने अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ₹ 571.92 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹ 550.97 करोड़ व्यय किए।

(dfMdk 2.6.6)

- आवंटित निधियों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना ही जिलों को निधियां जारी की गई थी। मार्च 2015 के अंत में नमूना जाँच किए गए 15 जिलों के सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण के बैंक खातों में ₹ 71.53 करोड़ अव्ययित शेष थे, जो कि शासन को वापिस नहीं किए गए थे।

(dfMdk 2.6.6.1 rFkk 2.6.6.2)

- 5,441 संदिग्ध प्रकरणों में, एक विद्यार्थी को एक ही शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी। सुसंगत अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण उक्त स्वीकृतियों के वास्तविक भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका था। तथापि जिला कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा 1,106 प्रकरणों में राशि ₹ 3.81 करोड़ के भुगतान की पुष्टि की गई।

(dfMdk 2.6.7.3)

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान, 1.13 लाख अ.जा. विद्यार्थियों एवं 0.26 लाख अ.ज.जा. विद्यार्थियों को राशि ₹ 194.29 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान एक से तीन वर्ष तक विलम्ब से किया गया।

(dfMdk 2.6.7.4)

2-6-1 iLrkouk

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) वर्ग के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदाय करने के मुख्य उद्देश्य से अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पो.मै.छा.यो.) लागू की गई थी। योजना का समय समय पर पुनरीक्षण किया गया है। पो.मै.छा.यो. में निर्वाह भत्ता एवं पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क सम्मिलित है।

भारत सरकार की इस योजना का लाभ अ.जा. एवं अ.ज.जा. के सभी मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों जिन्होंने इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है एवं जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं है को प्रदाय करना है। मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार द्वारा पो.मै.छा.यो. को उन विद्यार्थियों जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 3.00 लाख से अधिक न हो, तक विस्तृत किया है। ₹ 2.50 लाख तक की वार्षिक आय सीमा वाले प्रकरणों के लिए शिक्षण शुल्क के भुगतान के लिए छात्रवृत्ति की पूर्णतः प्रतिपूर्ति की जाती है तथा आय समूह ₹ 2.50 लाख से अधिक तथा ₹ 3.00 लाख तक के लिए शिक्षण शुल्क के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है।

निर्वाह भत्ते के भुगतान के उद्देश्य से मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों को चार समूहों में विभाजित किया गया है एवं निर्वाह भत्ते की दरें समूहवार निर्धारित की गई हैं। समूह–I में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम सहित एम.फिल., पी.एच.डी., मेडिसिन में पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च, अभियांत्रिकी, कृषि, पशु चिकित्सा, प्रबंधन इत्यादि सम्मिलित हैं। समूह– II में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के बाद फार्मेसी, नर्सिंग, एल.एल.बी., पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, संचार पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं आदि क्षेत्रों में किए जाने वाले डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट तथा समूह–I के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों जैसे–एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम. /एम.एड./एम.फार्मा. इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। समूह– III में स्नातक उपाधि से संबंधित अन्य सभी पाठ्यक्रमों को जो समूह– I एवं II के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, जैसे–बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। समूह–IV में सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय गैर स्नातक पाठ्यक्रमों जैसे–बारहवीं, आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, पॉलीटेक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, जिनके लिए प्रवेश योग्यता हाईस्कूल है, को सम्मिलित किया गया है। आगे, होस्टलर्स एवं डे–स्कॉलर छात्रों के लिए निर्वाह भत्ते की दरें भिन्न–भिन्न रखी गई हैं।

मध्य प्रदेश में, पो.मै.छा.यो. अनुसूचित जाति कल्याण (अ.जा.क.) एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण (अ.ज.जा.क.) विभागों द्वारा कार्यान्वित की गई हैं। अवधि 2010–14 के दौरान, पो.मै.छा.यो. के अंतर्गत ₹ 1,217.33 करोड़ (अ.जा. के विद्यार्थियों को ₹ 845.04 करोड़ एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को ₹ 372.29 करोड़) अ.जा. के 9.58 लाख विद्यार्थियों को (6.36 लाख बालक एवं 3.22 लाख बालिकाएं) एवं अ.ज.जा. के 6.39 लाख विद्यार्थियों को (4.27 लाख बालक एवं 2.12 लाख बालिकाएं) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरित की गई थी।

2-6-2 laxBukRed lajpuk

शासन स्तर पर अनुसूचित जाति कल्याण एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभागों के प्रशासकीय प्रमुख, प्रमुख सचिव (प्र.स.) होते हैं। आयुक्त, अ.जा.क एवं आयुक्त, अ.ज. जा.क. जो राज्य स्तर पर संबंधित विभागों के प्रमुख हैं अ.जा. एवं अ.ज.जा. विद्यार्थियों हेतु पो.मै.छा.यो. के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण छात्रवृत्ति के वितरण हेतु उत्तरदायी हैं।

नामांकित विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों को संसाधित करने के लिए शासकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों को नोडलों के रूप में चयनित किया गया है। जिला कलेक्टर इन नोडल संस्थाओं के प्राचार्यों को नोडल अधिकारी के रूप में चयनित करता है। नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति आवेदनों के भौतिक रूप से एवं अभिलेख सत्यापन हेतु उत्तरदायी है, ताकि वास्तविक विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति प्रदान की जा सके।

2-6-3 y[kk ijh{kk mÌs';

अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि :

- वित्तीय प्रबंधन विहित उद्देश्यों के अनुरूप एवं दक्षतापूर्ण था;
- पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का समय से वितरण के साथ आवेदन पत्रों के संसाधित करने में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया गया था एवं योजना का कार्यान्वयन प्रभावी था; तथा
- विभिन्न स्तरों पर अनुवीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी थी।

2-6-4 y[kk ijh{kk ekun.M

लेखा परीक्षा निष्कर्ष के निर्धारण के लिए निम्नलिखित स्रोत मानदण्ड थे:

- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देश;
- भारत सरकार द्वारा जारी वेबसाईट के विकास हेतु दिशा निर्देश; तथा
- समय–समय पर जारी शासकीय आदेश एवं दिशानिर्देश।

2-6-5 y[kk ijh{kk dk;{ks= ,oa dk;Zfof/k

वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए पो.मै.छा.यो. के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा दिसम्बर 2014 एवं जुलाई 2015 के मध्य की गई थी। राज्य में अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों[1] की अधिकतम संख्या के परिप्रेक्ष्य में चार जिले यथा–भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर चयनित किए गए थे।

नौ जिलों (देवास, धार, झाबुआ, खरगौन, मंडला, पन्ना, सागर, सीहोर एवं उज्जैन) का चयन प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) द्वारा किया गया था। प्रवेश सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, (अ.जा.क) के निवेदन पर दो अन्य जिले (भिण्ड एवं मुरैना) को भी चयनित किया गया था।

---

1 भोपाल (47,093), ग्वालियर (34,692), इंदौर (68,624) एवं जबलपुर (33,264)

इस प्रकार कुल 15 जिले निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु चयनित किए गए। हमने लाभार्थियों की अधिकतम संख्या के आधार पर 90 नोडल संस्थाओं का चयन किया (प्रत्येक नमूना जाँच किये गये जिले में कम से कम छह)। इंदौर एवं जबलपुर जिलों में कोई नोडल संस्था नहीं थी। चयनित जिलों एवं नोडल संस्थाओं का विवरण **ifjf'k"V&2.53** में दर्शाया गया हैं।

प्रवेश सम्मेलन 18 मार्च 2015 को प्रमुख सचिव, अ.जा.क. एवं अ.ज.जा.क. विभाग के साथ आयोजित हुआ जिसमें लेखा परीक्षा उद्देश्य, लेखा परीक्षा मानदण्ड, लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा की गई। अ.जा.क. एवं अ.ज.जा.क. विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ 20 अक्टूबर 2015 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया। विभाग के उत्तर उपयुक्त रुप से सम्मिलित कर लिए गए हैं।

2-6-6 foRrh; ic/ku

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से किया गया था अतिरिक्त वचनबद्ध देयता राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। योजना अंतर्गत एक वर्ष के लिए राज्य सरकार की वचनबद्ध देयता पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान शासन द्वारा वहन की गई वास्तविक व्यय के समतुल्य होती है।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु ₹ 1129.33 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹ 1035.46 करोड़ व्यय किए एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु ₹ 571.92 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹ 550.97 करोड़ व्यय किए गए। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान वर्षवार आवंटन एवं व्यय का विवरण **ifjf'k"V&2.54** में दर्शाया गया है।

2-6-6-1 mi;kfxrk iek.k&i=k dk iLrr u fd;k tkuk

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार (सितम्बर 1991), नोडल संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण को भेजे जाने थे। इसी प्रकार, सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र आयुक्त, आदिम जाति विकास/अनुसूचित जाति विकास को भेजे जाने थे।

हमने देखा कि आवंटित निधियों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना ही निधियां जारी की गई थी। नोडल संस्थाओं द्वारा न ही जिलों को और जिलों द्वारा न ही राज्य शासन को उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजे गए।

इंगित किए जाने पर, नमूना जाँच किए गए जिलों के सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण एवं नोडल संस्थाओं ने उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को भेजे जाने की प्रक्रिया का अनुपालन न होना स्वीकार किया एवं भविष्य में अनुपालन करने का आश्वासन दिया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) एवं प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) ने बताया कि जिलों को उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

vu'kalk

सहायक आयुक्त आ.जा.क./जिला संयोजक आ.जा.क. द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को राज्य शासन को भेजा जाना चाहिए एवं अव्ययित शेष राशि समय से वापिस की जानी चाहिए।

2-6-6-2 ftyk Lrj ij fuf/k dk vo:) jguk

आदिम जाति विकास विभाग के निर्देशानुसार, नोडल संस्थाओं को अशासकीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की अनुशंसा सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. को भेजना आवश्यक थी। सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. को 15 दिवस के अंदर उपलब्ध निधियों में से विद्यार्थियों को निर्वाह भत्ते के रूप में छात्रवृत्ति एवं संस्थाओं को शिक्षण शुल्क के रुप में राशि जारी करनी थी। छात्रवृत्ति के वितरण के उपरांत, नोडल अधिकारियों को निधियों की उपयोगिता का प्रमाण–पत्र देना था एवं अवितरित राशि, यदि कोई हो तो, सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. के पक्ष में चालान द्वारा वापिस की जानी थी। सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. को वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राशि को अ.जा. एवं अ.ज.जा. संचालनालयों को समर्पित करना थी।

ueuk tkp fd, x, ftyk d lgk;d vk;Dr] vkfne tkfr dY;k.k@ftyk l;ktd] vkfne tkfr dY;k.k d cSd [kkrk e v0;f;r 'k"k d :Ik e ₹ 71-53 djkM iM g, Fk

15 जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने देखा कि मार्च 2015 की समाप्ति पर संबंधित जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. के बैंक खातों में ₹ 71.53 करोड़ अव्ययित शेष के रूप में पड़ी हुई थी। विवरण **ifjf'k"V&2.55** में दिया गया है।

इंगित किए जाने पर, नमूना जाँच किए गए जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. ने बताया (मार्च से जुलाई 2015) कि अव्ययित शेष के वापसी की प्रक्रिया प्रगतिरत थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) ने बताया कि अव्ययित शेष राशि विगत वर्षों की अवितरित छात्रवृत्ति की राशि थी। प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) द्वारा जिलों से अद्यतन स्थिति चाहा जाना बताया गया।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि अव्ययित शेष राशि सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. द्वारा वापिस नहीं की गई थी जो आदिम जाति कल्याण विभाग के दिशानिर्देशों के विपरीत था।

2-6-6-3 jkdM cgh ,o cd [kkrk d 'k"kk dk feyku u fd;k tkuk

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार (अक्टूबर 2009), बैंक खाता धारक अधिकारी, बैंक खाते एवं रोकड़ बही में दर्शाए गए शेषों के त्रैमासिक मिलान हेतु उत्तरदायी थे जिससे वित्तीय अनियमितताओं की संभावनाओं को रोका जा सके।

15 जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में हमने पाया कि पो.मै.छा.यो. के अंतर्गत जारी निधि सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. के बैंक खातों में जमा कराई गई थी, तथापि, रोकड़ बही और बैंक खातों के मध्य मिलान नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, (अ.जा.क.) ने बताया कि राशियों के मिलान हेतु जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं (अक्टूबर 2015), जबकि प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) ने बताया कि जिलों से अद्यतन स्थिति चाही गयी थी।

2-6-7 dk;Øe dk;kUo;u

पो.मै.छा.यो. के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार प्राचार्य/अशासकीय संस्था के प्रमुख का यह दायित्व था कि विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की संवीक्षा करें और उनका परीक्षण कर पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र संबंधित नोडल संस्था को भेजें। नोडल संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन

पत्रों का सत्यापन करने के उपरांत पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति की ऑनलाईन अनुशंसा सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. को भेजनी थी।

वर्ष 2010–11 के दौरान सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. द्वारा नोडल संस्थाओं एवं अशासकीय संस्थाओं के संयुक्त खाते में छात्रवृत्ति जारी की गई थी। नोडलों और अशासकीय संस्थाओं द्वारा निर्वाह भत्ता की राशि छात्रों को चैक के माध्यम से जारी करना था और शिक्षण शुल्क के समतुल्य राशि संस्था को अपने पास रखनी थी। वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. द्वारा निर्वाह भत्ते की राशि सीधे छात्रों को एवं शिक्षण शुल्क की राशि सीधे संबंधित संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ई.सी.एस.) के द्वारा एडवाइज के माध्यम से भेजी गई थी। वर्ष 2013–14 से छात्रवृत्ति की समस्त राशि छात्र के बैंक खाते में भेजी जा रही थी और संस्थाओं को शिक्षण शुल्क की राशि का भुगतान छात्र द्वारा किया जाना था।

2-6-7-1 ukMyk dk leun'ku

ekun.Mk d foijhr ,d ukMy l vf/kd l[;k e v'kkldh; lLFkkvk dk lEc) fd;k x;k

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पो.मै.छा.यो. के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्राचार्य/अशासकीय संस्थाओं के प्रमुख विद्यार्थियों से समय पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने एवं पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन संबंधित नोडलों को स्वीकृति जारी करने के लिए भेजने हेतु उत्तरदायी थे। अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार (नवम्बर 1999), जिले की समस्त अशासकीय संस्थाएं समीपस्थ शासकीय संस्था से संबद्ध होगी और अधिकतम दस अशासकीय संस्थाएं ही एक शासकीय संस्था से सम्बद्ध होगी।

चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में हमने पाया कि भोपाल और ग्वालियर में दस नोडलों में दस से ज्यादा अशासकीय संस्थाएं संबद्ध थीं जिनमें 12 से 80 के बीच अशासकीय संस्थाएं थीं, जबकि इसके विपरीत भोपाल और ग्वालियर जिले के चार नोडलों से कोई भी अशासकीय संस्था संबद्ध नहीं थी। नोडलों एवं उसके साथ संबद्ध संस्थाओं की संख्या की विस्तृत जानकारी **ifjf'k"V&2.56** में दी गई है।

आगे, हमने पाया कि इंदौर एवं जबलपुर जिले में नोडल का चयन नहीं किया गया था। उक्त दोनों जिलों में संबंधित सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं हेतु नोडल की तरह कार्य किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) एवं प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) द्वारा बताया गया कि सभी जिला कलेक्टरों को समानुपातिक युक्तिसंगत रूप से अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को नोडल से संबद्ध करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) द्वारा यह भी बताया गया कि इंदौर और जबलपुर जिलों को नोडलों का चयन करने एवं इन नोडलों के साथ अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को समानुपातिक रूप से संबद्ध करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

vu'kalk

नोडलों का चयन मापदण्डों के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि अशासकीय शिक्षण संस्थाओं का अनुवीक्षण प्रभावी रूप से किया जा सके।

2.6.7.2 *Nk=ofRr vkonu i=k dh vi.k lohf{kk*

जिला कलेक्टर द्वारा चयनित, नोडल अधिकारियों के लिए यह आवश्यक था कि वे छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के सत्यापन का कार्य करें जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि वास्तविक छात्रों को न्यूनतम विलम्ब से छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी।

Nk=ofRr vkonu i= d lkFk vko';d Lrkost layXu ugh Fk

नमूना जाँच किए गए चौदह जिलों[2] के 2600 आवेदन पत्रों की नमूना जॉच में परिलक्षित हुआ कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक दस्तावेज[3] यथा जाति प्रमाण–पत्र, गैप प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र और विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं थे।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश (मई 2012) के अनुसार छात्रों को उनके प्रवेश लेने के 15 दिवस के अन्दर छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने थे। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों की पात्रता, संबंधित अशासकीय संस्थानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के प्राप्त होने के एक माह के भीतर निश्चित की जानी थी। उसके पश्चात इन आवेदन पत्रों को अशासकीय संस्थाओं द्वारा संबंधित नोडलों को अग्रेषित किया जाना था। हमने देखा कि अशासकीय संस्थाओं द्वारा 971 आवेदन पत्रों को 2 से 12 माह के विलंब से अग्रेषित किया गया। विस्तृत विवरण **ifjf'k"V&2.57** में दिया गया है।

इंगित किए जाने पर नमूना जाँच किये गये जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. ने बताया (मार्च से जुलाई 2015) कि इस मामले मे उचित कार्यवाही की जाएगी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) द्वारा बताया गया कि संबंधित विभागों यथा–उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा और कौशल उन्नयन/विकास विभाग को पत्र लिखे जाएंगे। प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) द्वारा जिलों से अद्यतन जानकारी चाहा जाना बताया गया।

2-6-7-3 Nk=ofRr dh vuqfpr Lohdfr

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया (जुलाई 2010) कि यदि छात्र/छात्रा द्वारा गलत विवरण के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त किया जाना पाया गया तो उसकी छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जाएगी और भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि वसूल की जाएगी।

राज्य शासन आ.जा.क. विभाग और अ.जा.क. विभाग द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के छात्रवृत्ति की स्वीकृतियों के डाटा का रख–रखाव "www.scholarshipportal.mp.nic.in" पर किया जाता है। लेखा परीक्षा में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का डाटा अनुसूचित जनजाति विभाग से सी.डी. में प्राप्त किया गया था तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा डाटा ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। डाटा न तो विभाग द्वारा और न ही राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा प्रमाणित था। उपलब्ध कराए गए डाटा से एक छात्र को एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक छात्रवृत्ति की स्वीकृतियों का पता लगाने के लिए छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, के मानदण्ड के आधार पर विश्लेषण किया और हमने उपरोक्त मापदण्ड के संदर्भ में छात्रों की ऑनलाईन स्वीकृति भी डाउनलोड की। विश्लेषण में एक छात्र को एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक छात्रवृत्ति की स्वीकृतियों के 5,441 संदिग्ध प्रकरण परिलक्षित हुए जैसा कि rkfydk&1 में वर्णित किया गया है :

---

[2] भोपाल, देवास, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खरगौन, मंडला, मुरैना, पन्ना, सागर, सीहोर और उज्जैन

[3] गैप प्रमाण–पत्र : 639, आय प्रमाण–पत्र : 180, विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र : 1,427 एवं जाति प्रमाण–पत्र : 51

rkfydk&1 ,d Nk= dk ,d ls vf/kd Lohd`fr;ka dh oxZokj fLFkfr

Ok"kZ	,d Nk= dks ,d ls vf/kd Lohd`r Nk=ofRr dh la[;k		,d Nk= dks ,d ls vf/kd Lohd`r Nk=ofRr ds izdj.kksa dh dqy la[;k	Lohd`r Nk=ofRr dh jkf'k ¼₹ djksM+ esa½		Lohd`r Nk=ofRr dh dqy jkf'k ¼₹ djksM+ esa½
	v-tk-	v-t-tk-		v-tk-	v-t-tk-	
2010–11	573	36	609	2.55	0.14	2.69
2011–12	1217	988	2,205	6.42	4.54	10.96
2012–13	764	796	1,560	3.69	3.13	6.82
2013–14	661	406	1,067	3.18	1.60	4.78
;ksx	3]215	2]226	5]441	15-84	9-41	25-25

¼L=ksr % foHkkx }kjk iznRr vkadM+s½

चयनित 10 जिलों[4] में ऑनलाईन डाउनलोड की गई स्वीकृतियों की आगे जाँच यह अभिनिश्चित करने के लिए की गई कि एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ था अथवा नहीं। तथापि, जिला/नोडल स्तर पर सुसंगत अभिलेखों यथा–बैंक स्क्रोल, आवेदन पत्र आदि की अनुपलब्धता के कारण नोडल अथवा संस्था स्तर पर हितग्राहियों को भुगतान की जानकारी तथा एक से अधिक छात्रवृत्ति के वास्तविक भुगतान को लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

नमूना जाँच किए गए जिलों में भुगतान की स्थिति को सत्यापित करने के लिए निम्न प्रणाली अपनाई गई :

- *lgk;d vk;qDr] vk-tk-d-@ftyk la;kstd] vk-t-d- }kjk tkjh Hkqxrku ds ,Mokbt ds vk/kkj ij lR;kiu*

स्वीकृत छात्रवृत्ति के भुगतान की स्थिति का सत्यापन सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. द्वारा उनके बैंक खातों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान को जारी भुगतान के एडवाइज के आधार पर किया गया।

चयनित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि सात जिलों[5] में नमूना जॉच के 123 प्रकरणों में ₹ 0.40 करोड़ (77 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ₹ 0.27 करोड़ और 46 अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए ₹ 0.13 करोड़) एक छात्र को उसी शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान के एडवाइज जारी किए गए थे।

- *ftyk dk;kZy;u vf/kdkjh }kjk fd, x, Hkqxrku dh iqf"V*

लेखा परीक्षा के दौरान, सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. को एक छात्र को एक ही शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक स्वीकृत की गई छात्रवृत्ति की सूची सहित इन छात्रों को भुगतान हुआ अथवा नहीं, को अभिनिश्चित करने हेतु ज्ञापन जारी किए गए थे।

तीन जिलों (इंदौर, जबलपुर तथा खरगौन) के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. ने 1,106 प्रकरणों में, जिनमें एक ही शैक्षणिक सत्र में एक छात्र

4 भोपाल, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, सागर एवं उज्जैन

5 भोपाल, धार, ग्वालियर, झाबुआ, मण्डला, सागर एवं उज्जैन

को एक से अधिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी, ₹ 3.81 करोड़ (300 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ₹ 1.04 करोड़ और 806 अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए ₹ 2.77 करोड़) के भुगतान की पुष्टि की। इनमें से खरगौन जिले के 15 प्रकरणों में हमने एक छात्र को एक से अधिक छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 2.50 लाख के संदेहास्पद अनुचित भुगतान की पुष्टि की। इन 15 प्रकरणों में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि छात्रों ने एक ही शैक्षणिक सत्र में अलग–अलग संस्थाओं से अलग–अलग पाठ्यक्रमों में एक से अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त की थी।

- *lgk;d vk;qDr] vk-tk-d-@ftyk l;kstd] vk-tk-d- ds dk;kZy; esa l/kkfjr pSd jftLVj ls Hkqxrku dk lR;kiu*

सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. के कार्यालयों में संधारित चैक पंजियों से भी भुगतान की स्थिति सत्यापित की गई। भोपाल जिले में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि चैक पंजी में नौ प्रकरणों (एक अनुसूचित जाति तथा आठ अनुसूचित जनजाति) में, जिनमें उसी शैक्षणिक सत्र में एक छात्र को एक से अधिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी, ₹ 2.93 लाख (अनुसूचित जाति के लिए ₹ 0.13 लाख + अनुसूचित जनजाति के लिए ₹ 2.80 लाख) का भुगतान दर्ज पाया गया।

इंगित किए जाने पर, सहायक आयुक्त, आ.जा.क. भोपाल ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में जिनमें छात्र प्रथम दृष्टया एक से अधिक छात्रवृत्ति लेने के दोषी पाए गए, 27 छात्रों से छात्रवृत्ति की वसूली कर ली गई थी तथा 70 संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, अन्य नमूना जाँच किए गए जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. ने बताया (मार्च से अगस्त 2015) कि प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ऐसे छात्रों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

निर्गम सम्मेलन मे, प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) तथा प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) ने बताया कि ऐसे छात्रों की अद्यतन स्थिति, जिन्होंने एक ही शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त की, जिला स्तर से मांगी गई थी। आगे यह बताया गया कि अभी तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों से क्रमशः ₹ 5.82 लाख तथा ₹ 18.77 लाख की वसूली कर ली गई थी।

प्रस्तुत उत्तर, योजना के दुरूपयोग को रोकने के लिये जिला एवं नोडल स्तर पर नियंत्रण प्रणालियों के अभाव को रेखांकित करता है।

vuq'kalk

एक छात्र को एक से अधिक स्वीकृतियों को रोकने के लिये नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए जिससे कि योजना के दुरुपयोग को रोका जा सके।

2-6-7-4 Nk=o`fRr ds Hkqxrku esa foyac

पो.मै.छा.यो. का प्रमुख उद्देश्य मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान उसी शैक्षणिक सत्र के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिये छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी।

पन्द्रह चयनित जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क/जिला संयोजक, आ.जा.क के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि ifjf'k"V&**2.58** में दिए गए विवरणानुसार 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति के 1.13 लाख विद्यार्थियों तथा अनुसूचित जनजाति के 0.26 लाख विद्यार्थियों को किए गए ₹ 194.29 करोड़ (अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु ₹ 159.63 करोड़ + अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु ₹ 34.66 करोड़) की छात्रवृत्ति के भुगतान में एक से तीन वर्ष तक विलम्ब हुआ था।

इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त, आ.जा.क/जिला संयोजक, आ.जा.क ने बताया (मार्च से जुलाई 2015) कि छात्रों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने तथा निधि की अनुपलब्धता के कारण छात्रवृत्ति समय पर वितरित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) तथा प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) ने बताया कि छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब की अद्यतन स्थिति जिलों से मांगी गई थी। प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) ने आगे बताया कि भविष्य में समय पर छात्रवृत्ति वितरित करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

vuq'kalk

छात्रवृत्ति को समय पर स्वीकृत किया जाना चाहिए जिससे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके।

2-6-7-5 vfHkys[kksa dk l/kkj.k u fd;k tkuk

छात्रवृत्ति के संवितरण से संबंधित स्थायी आदेशों में उल्लेख था कि व्यय पर निगरानी रखने के लिए अभिलेख यथा–सहायक रोकड़ बही, लेजर तथा चैक रजिस्टर आदि उचित ढंग से संधारित किए जाने चाहिए।

हमने नमूना जाँच किए गए 15 जिलों में अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना पाया जिसका विवरण ifjf'k"V&**2.59** में दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है, 13 जिलों में सहायक रोकड़ बही संधारित नहीं की गई थी, जबकि दस जिलों में लेजर तथा तीन जिलों में चैक रजिस्टर संधारित नहीं किए गए थे। पाँच जिलों में लेजर तथा चैक रजिस्टर संधारित किए गए थे, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका प्रमाणीकरण नहीं किया गया था। इन अभिलेखों के अभाव में, छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु संवितरित की गई राशि तथा नोडल स्तर पर किए गए व्यय को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

इंगित किए जाने पर नमूना जाँच किए गए जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. ने भविष्य में अभिलेख संधारित करने का आश्वासन दिया (मार्च से जुलाई 2015)।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव (अ.जा.क) तथा प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) ने अभिलेखों के संधारण के संबंध में जिलों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया था।

2-6-7-6 ekudhdj.k ds fcuk Ldkyjf'ki iksVZy dk fØ;kUo;u

,l-Vh-D;w-lh- ls iek.k&i= fd;s fcuk Nk=ofÙk iksVZy dk fodkl fd;k x;k ,oa fu;a=.k ra= dk vHkko Fkk

भारत सरकार की वेबसाइटों हेतु दिशानिर्देश की कंडिका 1.5 के अनुसार, मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण (एस.टी.क्यू.सी.) भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक संगठन है। सभी सरकारी वेबसाइटों को प्रयोग करने योग्य, उपयोगकर्ता केन्द्रित और सर्वत्र सुलभ वेबसाइटों के अनुरूप एस.टी.क्यू.सी. से प्रमाण–पत्र प्राप्त करना चाहिए। दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अवयवों में पुनरावृत्ति न हो एवं सभी पहचान अद्वितीय होना चाहिए। विभाग वेबसाइट की अंतर्वस्तु के साथ–साथ संधारण हेतु जिम्मेदार था।

छात्रवृत्ति पोर्टल के विकास से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच किए जाने पर यह पाया गया कि एन.आई.सी. के माध्यम से ऑनलाईन प्रणाली को विकसित किए जाने की प्रक्रिया जून 2009 में प्रारंभ की गई थी तथा संचालनों में पारदर्शिता, नियमों को लागू कराना, ई.सी.एस. के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे भुगतान व धोखाधड़ी को

नियंत्रित करने के लीकेज की जाँच हेतु आश्वासन के साथ जून 2011 में पोर्टल को होस्ट तथा क्रियान्वित किया गया।

हमने पाया कि छात्रवृत्ति पोर्टल का ऑनलाईन आवेदन एवं नोडल की अनुशंसा के लिए प्रयोग पी.एम.एस.एस. के अनुचित प्रयोग रोकने के लिए नियंत्रण प्रणाली विकसित/सुनिश्चित किए बिना प्रारंभ किया गया था। विभाग द्वारा एस.टी.क्यू.सी. से प्रमाणीकरण भी प्राप्त नहीं किया गया था। पोर्टल की सीमाओं/कमियों का प्रारंभिक चरण में विश्लेषण नहीं किया गया था। एन.आई.सी. द्वारा बाद में (दिसम्बर 2013) वर्तमान पोर्टल की सीमाओं यथा विद्यार्थियों की अद्वितीयता बनाए रखने हेतु विश्वसनीय तंत्र का अभाव, पहले आओ– पहले पाओ पद्धति लागू करने का अभाव इत्यादि सूचित किया गया तथा नए वर्जन को विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया।

आगे, हमने पाया कि एन.आई.सी. द्वारा नवीन पोर्टल विकसित करने में विलम्ब के कारण वर्ष 2014–15 में छात्रवृत्ति संवितरित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप जिला स्तर पर बड़ी राशि बैंकों में अवितरित शेष रही।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) एवं प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) द्वारा बताया गया कि लेखा परीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में एन.आई.सी. को पत्र लिखा गया था, तथापि, यह भी बताया गया कि वर्ष 2014–15 से प्रारंभ छात्रवृत्ति पोर्टल के नवीन वर्जन में आवश्यक उपाय कर दिए गए थे।

vuq'kalk

भारत सरकार की वेबसाईट की दिशानिर्देशों के अनुसार वेब छात्रवृत्ति पोर्टल का उन्नयन किया जाना चाहिए।

2-6-8 vuqoh{k.k

2-6-8-1 jkT; ,oa ftyk Lrj ij ;kstuk dk vuqoh{k.k u fd;k tkuk

मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त, आदिवासी विकास ने राज्य, जिला एवं नोडल स्तर पर अपेक्षाएं निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए (सितम्बर 1991)। राज्य स्तर पर विभाग प्रमुख को संभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित कर योजना की प्रगति के संबंध में राज्य शासन को सूचित करना अपेक्षित था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पी.एम.एस.एस. योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारी द्वारा एक समिति का गठन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व विद्यार्थियों की वास्तविक उपस्थिति को सत्यापित कर अशासकीय संस्थाओं का भौतिक निरीक्षण करना था।

हमने पाया कि अ.जा. एवं अ.ज.जा. संचालनालयों, नमूना जाँच किए गए 14 जिलों एवं नोडलों द्वारा योजना के अनुवीक्षण से संबंधित अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे, जबकि, वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान जिला एवं नोडल स्तर पर मुरैना जिले द्वारा निर्धारित अनुवीक्षण किया गया था।

हमने यह भी पाया कि कार्यालय सहायक आयुक्त, आ.जा.क., भोपाल में कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को वर्ष 2009 से 2013 की अवधि के लिए सभी सम्बद्ध अशासकीय संस्थानों के साथ उनकी मान्यता एवं सम्बद्धता का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया था (जनवरी 2015)। हमने पाया कि नोडल अधिकारियों द्वारा उक्त अवधि हेतु सम्बद्ध संस्थानों के मान्यता एवं सम्बद्धता से संबंधित अभिलेख प्राप्त किए बिना ही अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए गए थे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव (अ.जा.क.) द्वारा बताया गया कि अनुवीक्षण प्रणाली की भविष्य में गहन समीक्षा की जाएगी। प्रमुख सचिव (अ.ज.जा.क.) द्वारा बताया गया कि जिलों से अद्यतन स्थिति प्राप्त की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि उचित अनुवीक्षण के अभाव में विभिन्न अनियमितताएं यथा अभिलेखों का सत्यापन न किया जाना, स्वीकृतियों में विलम्ब तथा छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों की छानबीन में लापरवाही हुई।

2-6-9 vkrfjd y[kk ijh{kk

आंतरिक लेखा परीक्षा नियमों एवं निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण एवं मूल्यांकन करती है जिससे उच्च स्तर पर प्रबंधन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान किया जा सके।

हमने पाया कि विभाग द्वारा निष्पादन लेखा परीक्षा 2010–15 की सम्पूर्ण अवधि के दौरान कोई आंतरिक लेखा परीक्षण नहीं किया गया था। आंतरिक लेखा परीक्षा के अभाव में शासकीय निधि के दुर्विनियोजन का जोखिम हो सकता है।

निर्गम सम्मेलन में, दोनों विभागों के प्रमुख सचिवों द्वारा भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया गया।

2-6-10 fu"d"k ,o vu'kIk,

- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों पर पो.मै.छा.यो. के अंतर्गत आवंटित राशि ₹ 1,129.33 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1,035.46 करोड़ व्यय किए गए, जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर पो.मै.छा. यो. के अंतर्गत आवंटित राशि ₹ 571.92 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 550.97 करोड़ व्यय किए गए।

- आवंटित निधियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना ही जिलों को निधियां जारी की गईं थी। मार्च 2015 के अंत में, नमूना जाँच किए गए 15 जिलों के सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. के बैंक खातों में राशि ₹ 71.53 करोड़ अव्ययित शेष थी।

सहायक आयुक्त, आ.जा.क./जिला संयोजक, आ.जा.क. द्वारा राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण भेजे जाने चाहिए और अव्ययित शेष राशि समय पर वापस करना चाहिए।

- मानदण्डों के विपरीत एक नोडल से बहुत अधिक संख्या में अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्ध किया गया था।

नोडलों का चयन मापदण्ड के अनुसार किया जाना चाहिए जिससे कि अशासकीय शिक्षण संस्थाओं का अनुवीक्षण प्रभावी रूप से किया जा सके।

- 5,441 संदिग्ध प्रकरणों में एक विद्यार्थी को एक ही शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी। सुसंगत अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण उक्त स्वीकृतियों के वास्तविक भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका था। तथापि, जिला कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा 1,106 प्रकरणों में राशि ₹ 3.81 करोड़ के भुगतान की पुष्टि की गई।

एक छात्र को एक से अधिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति रोकने के लिए नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाना चाहिए जिससे योजना के दुरूपयोग को रोका जा सके।

- वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान 1.13 लाख अनुसूचित जाति एवं 0.26 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ₹ 194.29 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान एक वर्ष से तीन वर्ष तक विलम्ब से किया गया।

छात्रवृत्ति समय पर स्वीकृत की जानी चाहिए जिससे कि छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

ykd lok ic/ku foHkkx

2-7 jkT; ea ykd lok dk vf/kdkj dkuu dk fØ;kUo;u

dk;Zikyu lkjka'k

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (अधिनियम) अधिनियमित किया गया। अधिनियम सितम्बर 2010 से प्रभावशील था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिनियम का क्रियान्वयन करने हेतु प्रक्रिया निर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 (नियम) अधिसूचित किया गया (सितम्बर 2010)। अधिनियम में सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा, सेवाएं प्रदान करने के लिए पदाभिहित अधिकारी (डीओ), अपील सुनवाई हेतु अपील अधिकारी/अपील प्राधिकारी (एओ) अधिसूचित करना एवं बिना पर्याप्त कारण से सेवा प्रदान करने पर विलंब या सेवा नामंजूर करने पर शास्ति निर्धारण करने के प्रावधान अधिनियम में शामिल है।

लोक सेवाओं में सुधार और नवाचार के लिए राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा प्रबन्धन विभाग स्थापित किया गया था, जिसके प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन हैं। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के क्रियान्वयन के लिए राज्य लोक सेवा अभिकरण (सैप्स) का भी एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठन किया गया (मई 2013), कार्यपालन संचालक जिसके प्रमुख हैं। अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, ब्लॉक स्तर तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सितम्बर 2012 से लोक सेवा केन्द्रों (एल.एस.के.) की स्थापना की गई।

सितम्बर 2010 से मार्च 2015 के मध्य आठ चरणों में अधिनियम के अन्तर्गत 22 विभागों की 124 सेवाओं को मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित किया गया। जिसमें से, 2012–13 से 2014–15 के दौरान प्रदाय नौ विभागों की 36 अधिसूचित सेवाओं की जाँच की गई थी। जाति, स्थानीय निवास, आय, अपंगता प्रमाण–पत्र जारी करना, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र), नवीन एपीएल/बीपीएल राशन कार्ड, विवाह पंजीयन इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं थी। हमने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- अवधि 2012–13 से 2014–15 के दौरान, 181.41 लाख ऑनलाइन आवेदनों को समय सीमा में निराकृत किया गया, जो कि ऑनलाइन प्राप्त कुल 241.40 लाख आवेदनों का 75 प्रतिशत था। हमने पाया कि विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों को सहायता प्रदान करने के पूर्व, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के दिनांक को सेवा प्रदायगी मानकर आवेदनों का निराकृत दर्शाया गया था। ऐसा हितग्राहियों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता पर ऑनलाईन निगरानी रखने का कोई प्रावधान न होने के कारण था।

¼dafMdk 2-7-7 ,oa 2-7-7-1½

- राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना के उददेश्यों में एक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय में सूचना प्रौद्योगिकी को बढावा देना था जिसके लिए अधिक से अधिक नागरिक सेवाओं को ऑनलाईन प्रणाली के अन्तर्गत लाना था। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से 22 विभागों की 124 अधिसूचित सेवाओं में से 16 विभागों की 68 अधिसूचित सेवाओं को ही संसाधित किया जा रहा था। हालांकि समस्त सेवाओं को ऑनलाइन परिधि में लाने की प्रक्रिया प्रचलन में थी।

¼dafMdk 2-7-7-2½

- अधिसूचित सेवाओं की जानकारी, निराकरण की समय सीमा, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं पदाभिहित अधिकारियों तथा अपील अधिकारियों

के नाम पदाभिहित अधिकारियों/अपील अधिकारियों के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना था। किन्तु 82 पदाभिहित अधिकारियों में से 38 एवं 40 अपील अधिकारियों में से 18 के कार्यालयों में यह जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं की गयी थी परिणामस्वरूप नागरिकों को उचित जानकारी के प्रसार में कमी को दर्शाता है।

¼dfMdk 2-7-8-3½

- विभागों के जिला प्रमुखों को पदाभिहित अधिकारियों के निरीक्षण के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना तथा निरीक्षण के निष्कर्ष कलेक्टर को प्रतिवेदित किया जाना था। किन्तु विभागों के जिला प्रमुखों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सेवाएं प्रदान की गई थी न तो निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया एवं न ही उनके द्वारा पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों का आवधिक निरीक्षण किया गया।

¼dfMdk 2-7-10-1½

2.7.1 i.Lrkouk

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश विधान–मंडल द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (अधिनियम) अधिनियमित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिनियम सितम्बर 2010 से प्रभावशील किया गया था। अधिनियम का क्रियान्वयन करने हेतु प्रक्रिया निर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत (म.प्र. शासन) द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 (नियम) अधिसूचित किया गया (सितम्बर 2010)। सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा, सेवाएं प्रदान करने के लिए पदाभिहित अधिकारी (डीओ), अपील सुनवाई हेतु अपील अधिकारी/अपील प्राधिकारी (एओ) एवं बिना पर्याप्त कारण के सेवा प्रदान करने में विलम्ब या सेवा नामंजूर करने पर शास्ति निर्धारण करने के बुनियादी सांविधिक प्रावधान अधिनियम में अधिसूचित थे।

सितम्बर 2010 से मार्च 2015 के मध्य आठ चरणों में अधिनियम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 विभागों की 124 सेवाओं को अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया जिसका विवरण ifjf'k"V 2-60 में दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानीय निवासी, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र जारी करना, श्रम विभाग में प्रसूति सहायता एवं निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, सामाजिक न्याय विभाग में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत प्रथम बार पेंशन स्वीकृत एवं प्रदाय करना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में जन्म प्रमाण–पत्र एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करना तथा खाद्य, नाागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में एपीएल एवं बीपीएल राशन कार्ड जारी करना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं थीं।

2.7.2 lLFkkxr 0;oLFkk

लोक सेवाओं में सुधार और नवाचार के लिए राज्य स्तर पर लोक सेवा प्रबन्धन विभाग (पी.एस.एम.) स्थापित किया गया (सितम्बर 2010) था, सचिव, म.प्र. शासन जिसके प्रमुख हैं। लोक सेवा प्रबन्धन विभाग मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के समग्र क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अधीन राज्य लोक सेवा अभिकरण (सैप्स) एक पंजीकृत सोसायटी, का गठन किया गया था (मई 2013), कार्यपालन संचालक जिसके प्रमुख हैं। अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं के समय सीमा में प्रदाय का प्रबंधन के उद्देश्य हेतु संस्थागत, नीति निर्धारण एवं प्रक्रियागत सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना राज्य लोक सेवा अभिकरण के मुख्य कार्य है। लोक सेवा केन्द्रों (एल.एस.के.) जिनकी स्थापना सितम्बर 2012 से आवेदनों को प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विकासखण्ड स्तर तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत की गई थी, के संचालन में भी राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा समन्वय किया जा रहा था।

जिला स्तर पर जिलाधीश अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं। जिलों में जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी (डीईएस) का गठन मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था (जून 2009)। जिलाधीश जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी के सचिव हैं। लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा जिला ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों को पदाभिहित अधिकारियों, अपील अधिकारियों एवं लोक सेवा केन्द्रों (एल.एस.के.) के मध्य समन्वय, अधिनियम तथा लोक सेवा केन्द्रों के बारे में जानकारी के प्रचार–प्रसार के लिए बैठकों/कार्यशालाओं को आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था (अगस्त, 2012)।

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के आदेश (फरवरी 2012 एवं अगस्त 2012) द्वारा विभाग प्रमुख स्तर एवं संभागायुक्त स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए गए थे। उन्हें निगरानी प्रशिक्षण, अधिनियम के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया का प्रसार, तथा संभागीय स्तर के अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। विभाग के जिला प्रमुखों को भी सेवाओं को प्रदान करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने, पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण करने तथा निगरानी का काम सौंपा गया था।

2.7.3 y[kk ijh{kk d mnns';

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- अधिसूचित सेवाएं प्रभावी एवं दक्षतापूर्वक प्रदान करना सुनिश्चित किया गया था;
- अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाई गई थी;
- अधिनियम के संबंध में नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न की गई थी;
- सेवा प्रदाताओं के क्षमता विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गये थे; तथा
- शिकायतों का समाधान एवं निगरानी हेतु तंत्र स्थापित किया गया था।

2.7.4 y[kk ijh{kk ekun.M

सेवा विभागों द्वारा अधिसूचित सेवाओं को प्रदान करने के लिए अधिनियम के क्रियान्वयन का मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रावधानों, अधिनियम के अन्तर्गत जारी नियमों/आदेशों/अधिसूचनाओं एवं लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के संदर्भ में आकलन किया गया था।

2.7.5 y[kk ijh{kk dk dk;Z{k=] lekos'ku ,o dk;Zi.kkyh

मुख्यालय स्तर पर लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं चयनित जिलों में डी.ई.एस., के माध्यम से डी.ओ., ए.ओ. एवं डी.ई.एस. एल.एस.के. के 2012–13

से 2014–15 की अवधि से संबंधित अभिलेखों/आंकडों की जाँच की गई। पांच जिलों (भोपाल, गुना, ग्वालियर, हरदा एवं नरसिंहपुर) एवं दस तहसीलों[1] (हुजूर, बैरसिया, गुना, मकसूदनगढ़, ग्वालियर, डबरा, हरदा, खिड़किया, नरसिंहपुर एवं गोटेगांव) को 'सरल यादृच्छिक (असंगत) प्रतिदर्शी' पद्धति से चयनित किया गया।

फरवरी 2015 से जुलाई 2015 के मध्य चयनित जिलों/तहसीलों में नौ विभागों की 37 अधिसूचित सेवाओं (मार्च 2014 तक) में से 36 प्रदायित सेवाओं ¼ifjf'k"V&2-61½ की जाँच की गई। ये विभाग थे श्रम विभाग (सात सेवाएं), सामान्य प्रशासन विभाग (तीन सेवाएं), सामाजिक न्याय विभाग (पांच सेवाएं), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (एक सेवा), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (पांच सेवाएं), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (पांच सेवाएं), महिला एवं बाल विकास विभाग (दो सेवाएं), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (एक सेवा), योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (सात सेवाएं)। लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, राज्य लोक सेवा अभिकरण, लेखा परीक्षित इकाइयों के अभिलेखों/आंकड़ों से एकत्र की गई जानकारी एवं अर्ध हाशिया के उत्तर प्रारम्भिक लेखापरीक्षा साक्ष्य थे।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, समावेशन एवं कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श हेतु सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन 17 मार्च, 2015 को आयोजित हुआ था। कार्यपालन संचालक के साथ 28 अक्टूबर, 2015 को निर्गम सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के तथ्यों एवं आंकड़ों का सत्यापन किया एवं आश्वासन दिया कि अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी; विभाग के विचार उपयुक्त रूप से समीक्षा में सम्मिलित किए गए हैं।

y[kkijh{kk fu"d"k

अधिनियम के क्रियान्वयन में लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न विषयों पर पाई गई कमियों/अनियमितताओं को आगामी कंडिकाओं में लिया गया है:

2-7-6 lokvksa dk p;u

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, राज्य सरकार समय–समय पर उन सेवाओं को अधिसूचित कर सकती है जिन पर यह अधिनियम लागू होगा।

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सितंबर 2010 से मार्च 2015 के मध्य 8 चरणों में 22 विभागों की 124 सेवाओं को अधिसूचित किया गया था। तथापि, हमने पाया कि लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने दिसंबर 2014 की अधिसूचनाओं द्वारा चार सेवाएं विलोपित कर दी थीं–सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की दो सेवाएं, अर्थात 'जाति प्रमाण पत्र जारी करना' एवं 'राज्य निर्वाचन के अंतर्गत शहरी निकायों एवं ग्रामीण निकायों की मतदाता सूची की सत्यप्रतिलिपि प्रदान करना' एवं गृह विभाग की दो सेवाएं, अर्थात 'लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण' एवं 'लायसेंस अवधि की समय–सीमा के समाप्ति पश्चात अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण'।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि अधिसूचित सेवाओं की संख्या में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। शासन द्वारा समय–समय पर विभिन्न विभागों की सेवाओं की समीक्षा की जाती है एवं प्राथमिकता तथा नागरिकों के लिए सेवाओं के महत्व के अनुसार सेवाओं को अधिसूचित/विलोपित किया जाता है। तथापि, महत्वपूर्ण

[1] प्रत्येक जिले से दो।

प्रकृति की सेवाएं जिनमें 'जाति प्रमाण पत्र जारी करना' सम्मिलित है, को विलोपित करने का कारण उत्तर से स्पष्ट नहीं होता है।

2-7-7 lsok,¡ iznk; djus dh izHkkodkfjrk

अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार, पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन की प्राप्ति पर निश्चित समय–सीमा के भीतर या तो सेवा प्रदाय करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा।

विभागों द्वारा सेवाएं ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रणाली द्वारा प्रदाय की गई थीं। ऑफलाइन आवेदन पत्र पदाभिहित अधिकारियों[2] के कार्यालय में सीधे प्राप्त किये गये थे तथा www.lokseva.gov.in के माध्यम से या मेन्युअली संसाधित किए गये थे, तथापि दोनों विधियों/प्रक्रियाओं में माह का डाटा www.mid.mp.nic.in/mploksewa में परिवीक्षण हेतु प्रविष्ट किया जाना था। ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के संचालकों द्वारा प्राप्त कर www.mpedistrict.gov.in के माध्यम से संसाधित किए जा रहे थे।

अवधि 2012–15 के दौरान चयनित नौ विभागों में आवेदनों की प्राप्ति एवं निराकरण की विभागवार स्थिति नीचे दी गई rkfydk&1 में दर्शाई गई है:

rkfydk&1% vkonuksa dh izkfIr ,oa fujkdj.k dh foHkkxokj fLFkfr n'kkZus okyk fooj.k i=d ¼vkWuykbu ,oa vkWQykbu½

foHkkx dk uke	eq[; lsok,a	izkIr vkosnu	fujkd`r vkosnu	le;&lhek ds Hkhrj fujkd`r	dqy vkosnuksa ds lca/k esa le;&lhek ds Hkhrj fujkdj.k dk izfr'kr
श्रम	मातृत्व एवं विवाह सहायता योजना के अंतर्गत लाभ, अनुग्रह सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन	5,05,471	4,97,470	4,69,871	93
सामान्य प्रशासन	जाति, मूल निवासी एवं आय प्रमाण पत्र	1,93,40,225	1,41,76,957	1,37,39,020	71
सामाजिक न्याय	सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना	6,17,774	5,90,701	5,62,758	91
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	म.प्र. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आकस्मिक योजना के अंतर्गत राहत राशि का भुगतान न किये जाने की स्थिति में शिकायत का निराकरण करना।	1,355	1,307	1,306	96
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	नवीन बी.पी.एल/ए.पी.एल राशन कार्ड	8,44,275	8,10,739	7,52,178	89
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज्य बीमारी सहायता निधि योजना, निःशक्त प्रमाण पत्र एवं दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड	3,74,195	3,73,276	3,68,897	99
महिला एवं बाल विकास	लाड़ली लक्ष्मी योजना	4,29,456	4,23,253	4,20,475	98
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों (ग्रामीण क्षेत्र) की सूची में नाम सम्मिलित किया जाना	26,72,867	25,90,241	22,64,691	85
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	जन्म एवं मृत्यु का अप्राप्तता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन	2,06,495	2,04,692	2,03,954	99

(lzksr% jkT; yksd lsok vfHkdj.k }kjk miyC/k djk;h xbZ tkudkjh)

p;fur foHkkxksa esa le;&lhek ds Hkhrj izdj.kksa ds fujkdj.k dk izfr'kr 71 ,oa 99 izfr'kr ds e/; jgkA

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि इन नौ विभागों में निर्धारित समय–सीमा के भीतर आवेदन पत्रों के निराकरण का प्रतिशत कुल प्राप्त आवेदन पत्रों के 71 एवं 99 के मध्य रहा। कुछ चयनित सेवा विभागों में पाई गई विभाग विशेष की कमियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

2 अधिनियम के अंतर्गत सेवा प्रदान करने हेतु अधिसूचित अधिकारी।

¼d½ lkekU; iz'kklu foHkkx

विभाग के लिए अधिसूचित सेवाओं में जाति, आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाना सम्मिलित था। विभाग में 1.93 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए तथा 71 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण समय सीमा में किया गया था। आगे 51.63 लाख आवेदन विभाग में निराकरण के लिए लम्बित थे।

¼[k½ Je foHkkx

नौ[3] पदाभिहित अधिकारियों के ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों में हमने देखा कि प्रणाली में प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत 156 प्रकरण, विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 60 प्रकरण तथा अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत 36 प्रकरण में केवल पदाभिहित अधिकारियों द्वारा सेवा की स्वीकृति दिनांक के आधार पर निर्धारित समय के भीतर निराकृत किया जाना दर्शाया गया था। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि हितग्राहियों को निर्धारित समयावधि के पश्चात् वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

¼x½ lkekftd U;k; foHkkx

isa'ku ;kstukvksa ds vUrxZr vkosndksa dks lgk;rk iznku fd;s tkus ds iwoZ gh vkosnuksa dks fujkd`r n'kkZ;k x;k Fkk

11[4] पदाभिहित अधिकारियों के अभिलेखों में हमने देखा कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 279 ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रकरणों में, आवेदकों को वित्तीय सहायता निर्धारित समयावधि के बाद प्रदान की गई थी। यद्यपि ऑनलाइन प्रकरणों को प्रणाली में पदाभिहित अधिकारियों द्वारा सेवा की स्वीकृति दिनांक के आधार पर समय सीमा में निराकृत किया जाना दर्शाया गया था। हमने छह[5] पदाभिहित अधिकारियों के अभिलेखों में यह भी देखा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत पहली बार पेंशन स्वीकृत एवं प्रदान करने हेतु 650 आवेदनों को, आवेदकों को सहायता प्रदान किए जाने के पूर्व ही निराकृत दर्शाया गया था। इन 650 प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशनों की स्वीकृति दिनांक को सेवा प्रदाय करने का दिनांक माना गया था।

निर्गम सम्मेलन में, कार्यपालन संचालक ने बताया कि वर्तमान में हितग्राहियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के लेनदेन पर ऑनलाइन निगरानी रखने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए धनराशि अंतरण की वास्तविक तिथियां अभिलिखित नहीं की जाती हैं। लोक सेवा प्रबंधन, वित्त एवं अन्य विभागों ने इसका समाधान करने हेतु विचारावेश सत्र संचालित किए थे। आगे यह बताया गया कि इस मामले पर विभागों से औपचारिक सम्प्रेषण के माध्यम से विभागों से चर्चा की जाएगी।

vuq'kalk

वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को अधिसूचित सेवाओं की शर्तों के अनुसार अपेक्षित हितग्राहियों को वास्तविक रूप से लाभ प्रदान किये जाने के पश्चात ही निराकृत दर्शाया जाना चाहिये।

---

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैरसिया तथा गुना, विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बैरसिया तथा डबरा, श्रम कार्यालय, भोपाल, हरदा तथा ग्वालियर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरदा, आयुक्त नगर निगम ग्वालियर

4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बैरसिया, हरदा तथा खिरकिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैरसिया, फंदा, मुरार, डबरा, हरदा तथा खिरकिया एवं आयुक्त नगर निगम भोपाल तथा ग्वालियर

5 आयुक्त, भोपाल नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फंदा तथा हरदा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बैरसिया, खिरकिया तथा हरदा

2-7-7-1 jkT; Lrj ij vf/kfu;e ds vUrxZr lsok,a iznk; djus dh fLFkfr

2012–13 से 2014–15 के दौरान राज्य में सभी अधिसूचित सेवाओं के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदनों की प्राप्ति एवं निराकरण की स्थिति आगामी तालिकाओं में दर्शाई गई है:

vkuykbu ,oa vkQykbu vkosnuksa dh izkfIr ,oa fujkdj.k dh fLFkfr dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

rkfydk&2% yksd lsok dsUnzksa }kjk lalkf/kr vkosnu ¼vkuykbu½

o"kZ	izkIr vkosnuksa dh dqy la[;k	fujkd`r vkosnu	fu/kkZfjr le; lhek esa fujkd`r vkosnu	dqy izkIr vkosnuksa ds lkis{k esa le; lhek esa fujkdj.k dk izfr'kr
2012-13	19,76,867	17,03,503	16,01,078	81
2013-14	77,84,257	77,17,671	68,10,783	87
2014-15	1,43,78,904	1,02,08,559	97,29,148	68
;ksx	**2,41,40,028**	**1,96,29,733**	**1,81,41,009**	**75**

(**Lkzksr%** jkT; yksd lsok vfHkdj.k }kjk osclkbV **www.mpedistrict.gov.in** }kjk rS;kj tkudkjh ds vk/kkj ij iznk; tkudkjh)

Rkkfydk&3% inkfHkfgr vf/kdkfj;ksa }kjk lh/ks izkIr vkosnu ¼vkQykbu½

o"kZ	izkIr vkosnuksa dh dqy la[;k	fu/kkZfjr le; lhek esa fujkd`r vkosnu	dqy izkIr vkosnuksa ds lkis{k esa le; lhek esa fujkdj.k dk izfr'kr
2012-13	74,92,104	74,30,326	99
2013-14	64,21,418	62,85,236	98
2014-15	70,20,938	62,29,040	89
;ksx	**2,09,34,460**	**1,99,44,602**	**95**

(**Lkzksr%** jkT; yksd lsok vfHkdj.k }kjk iznk; ifjoh{k.k lwpuk iz.kkyh MkVk)

Rkkfydk&2 तथा rkfydk&3 दर्शाती हैं कि 2012–13 से 2014–15 के दौरान कुल 450.74 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रणाली से प्राप्त आवेदन क्रमशः 2012–13 में 21 एवं 79 प्रतिशत, 2013–14 में 55 एवं 45 प्रतिशत तथा 2014–15 में 67 एवं 33 प्रतिशत थे। ऑनलाइन प्राप्त कुल 241.40 लाख आवेदनों में से 181.41 लाख आवेदन (75 प्रतिशत) निर्धारित समय सीमा के भीतर निराकृत किए गए, जबकि ऑफलाइन आवेदनों का समय सीमा में निराकरण का प्रतिशत 95 था।

राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2015 की स्थिति में 4.55 लाख ऑफलाइन आवेदन लंबित थे। तथापि, प्राप्त तथा निराकृत आवेदनों से संबंधित जानकारी से हमें ज्ञात हुआ कि लंबित आवेदन 10.29 लाख पाए गए। इस प्रकार, अवधि 2012–13 तथा 2014–15 के दौरान लंबित आवेदनों की संख्या में 5.74 लाख का अन्तर था।

निर्गम सम्मेलन में, कार्यपालन संचालक ने बताया कि ऑफलाइन आवेदनों के संबंध में डाटा का पुनः परीक्षण कर तदनुसार वांछित सुधार किया जाएगा। आगे यह भी बताया गया कि डाटा के प्रभावी परिवीक्षण हेतु जिलाधीशों को अनुदेश जारी किये जाएंगे।

vuq'kalk

प्रभावी परिवीक्षण हेतु सभी आवेदन/सेवाएं एक ही वेबसाइट के माध्यम से संसाधित की जानी चाहिए।

2.7.7.2 राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना के उद्देश्यों में एक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना था जिसके लिए अधिक से अधिक नागरिक सेवाओं को ऑनलाईन प्रणाली के अन्तर्गत

लाया जा सके। तथापि 22 विभागों की 124 अधिसूचित सेवाओं में से केवल 16 विभागों की 68 अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से लोक सेवा केन्द्रों द्वारा संसाधित किया जा रहा था। शेष सेवाएं राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा ऑनलाइन प्रणाली में नहीं लायी जा सकी थी तथा पदाभिहित अधिकारियों के माध्यम से ऑफलाइन प्रदाय किया जा रहा था।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि समस्त सेवाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया में लाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

vuq'kalk

राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा समस्त अधिसूचित सेवाएं समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन प्रणाली में लाने का प्रयास करना चाहिए।

2-7-8 lsok iznk;xh ds fy, laLFkkxr O;oLFkkvksa esa dfe;ka

सेवा प्रदायगी के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं में निम्न कमियां परिलक्षित हुई:

2-7-8-1 yksd lsok dsUnz

अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने की एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, खण्ड स्तर तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत राज्य में 336 लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई थी। लोक सेवा केन्द्रों से सेवाओं को प्राप्त करने के लिए शुल्क ₹ 30 प्रति आवेदन निर्धारित किया गया था। लोक सेवा केंद्रों का मुख्य कार्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवेदनों को प्राप्त कर संसाधित करना तथा पूर्ण आवेदन को पदाभिहित अधिकारियों को ऑनलाइन भेजना था। लोक सेवा केन्द्रों का यह भी दायित्व था कि प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में पदाभिहीत अधिकारी द्वारा पारित आदेश अथवा तैयार किए गए अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को निःशुल्क प्रदान करे। हमें लोक सेवा केन्द्रों के संचालन में निम्न कमियां परिलक्षित हुई:

- *lsok iznk;xh dh rkjh[k dh izfof"V u fd;k tkuk*

चार लोक सेवा केन्द्रों (डबरा, गोरखी, जिलाधीश कार्यालय हरदा तथा खिरकिया) के भौतिक सत्यापन के दौरान सॉफ्टवेयर से प्राप्त रिपोर्ट में हमने पाया कि लोक सेवा केन्द्रों द्वारा सेवा प्रदायगी की तारीख की प्रविष्टि नहीं की जा रही थी (डबरा लोक सेवा केन्द्र को छोड़कर)। आगे हरदा एवं खिरकिया लोक सेवा केन्द्रों द्वारा सेवा प्रदायगी के साक्ष्य के रूप में आवेदकों की अभिस्वीकृति से संबंधित अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि प्रणाली में सेवा प्रदायगी की तारीख की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

- *Loeso dk;Zokgh gsrq vihy vf/kdkfj;ksa dks izdj.k vxzsf"kr u djuk*

अनुबन्ध के अनुसार, पदाभिहित अधिकारियों/प्रथम अपील अधिकारियों द्वारा जहाँ सेवा निर्धारित समय सीमा में प्रदान नहीं की गई थी अथवा आवेदन नामंजूर किए गए थे, लोक सेवा केन्द्र ऐसे प्रकरणों को स्वमेव कार्यवाही हेतु अगले उच्च प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। हमने पाया कि चयनित जिलों में लोक सेवा केन्द्रों द्वारा इस अनुदेश का अनुसरण नहीं किया जा रहा था।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि कार्य प्रणाली के अनुसार आवेदक अपील दायर कर सकता है अथवा अपील अधिकारी लंबित प्रकरणों को स्वमेव अपील के रूप में विचार में ले सकते हैं।

उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुबंध के तहत लोक सेवा केन्द्रों को प्रकरण स्वमेव कार्यवाही हेतु अगले उच्च प्राधिकारी को अग्रेषित करना अपेक्षित था।

- ### *tu'kfDr d yxk, tku e dfe;k*

प्रत्येक लोक सेवा केन्द्र पर तीन कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित कम से कम पाँच व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना आवश्यक था तथा यदि लोक सेवा केन्द्र में प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या लगातार तीन माहों में 2000 से अधिक होती है तो प्रत्येक 750 आवेदनों की वृद्धि पर संचालक द्वारा एक अतिरिक्त कंप्यूटर टर्मिनल एवं कंप्यूटर ऑपरेटर लगाया जाएगा।

हमने पाया कि नमूना जाँच किए गए 12 लोक सेवा केन्द्रों में से, चार लोक सेवा केन्द्रों (जिलाधीश कार्यालय भोपाल, जिलाधीश कार्यालय हरदा, खिरकिया एवं गोरखी) में लगातार तीन से नौ माहों में 2,750 से अधिक आवेदन (3,004 से 17,506 आवेदन) प्राप्त हुए, लेकिन लोक सेवा केन्द्र संचालक द्वारा अनुबंध के अन्तर्गत अपेक्षित अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर एवं टर्मिनल की व्यवस्था नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि मामले की समीक्षा की जाएगी एवं लेखा परीक्षा अभ्युक्ति का अनुसरण किया जाएगा।

2-7-8-2 ftyk b&xouZl lkslk;Vh

जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटियों को पदाभिहित अधिकारियों, अपील अधिकारियों एवं लोक सेवा केन्द्रों (एल.एस.के.) के मध्य समन्वय तथा प्रक्रिया शुल्क के अलावा लोक सेवा केन्द्रों द्वारा संग्रहीत राशि को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने लोक सेवा केन्द्रों द्वारा सांविधिक शुल्क को संग्रह करने एवं कोषालय में (जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी के माध्यम से) जमा करने की प्रक्रिया निर्धारित की थी (जुलाई 2012 एवं सितंबर 2012)। एक माह में किसी विशिष्ट सेवा हेतु जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी के खाते में संचित सांविधिक शुल्क की राशि संबंधित राजस्व शीर्ष में शासन के खाते में अनुगामी माह में जमा की जानी थी।

हमने देखा कि जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी भोपाल एवं हरदा ने लोक सेवा केन्द्रों द्वारा आवेदकों से प्राप्त किए गए सांविधिक शुल्क का विवरण संधारित नहीं किया। जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी ग्वालियर ने सूचित किया कि 2012–15 के दौरान सांविधिक शुल्क प्राप्त नहीं किया गया था। जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी गुना ने सूचित किया कि अवधि सितंबर 2012 से अक्टूबर 2015 में सांविधिक शुल्क ₹ 10.88 लाख संग्रहीत किया गया था जो उनके खाते में जमा थे। जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी नरसिंहपुर ने सूचित किया कि अवधि 2012–15 में सांविधिक शुल्क ₹ 42.79 लाख संग्रहीत किया गया था जिसमें से ₹ 33.47 लाख कोषालय में जमा किए गए थे एवं ₹ 9.32 लाख जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी के खाते में जमा थे।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि यह मामला पहले से ही संज्ञान में लिया जा चुका है एवं समस्त ई–गवर्नेस सोसायटियों को पूर्व में ही निर्देशित कर दिया गया था कि सांविधिक शुल्क शासन के खाते में समय पर जमा करें।

2-7-8-3 inkfHkfgr vf/kdkjh rFkk vihy vf/kdkjh

अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत, राज्य सरकार समय समय पर, समय सीमा में सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए, पदाभिहित अधिकारी/अपील अधिकारी अधिसूचित कर सकती है। पदाभिहित अधिकारी/अपील अधिकारी के कार्यो में हमें निम्न कमियां परिलक्षित हुई:

- ### ifT;k@vfHkys[kks dk l/kkj.k u fd;k tkuk

नियम 16 में प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदकों को सेवा प्रदाय करने से सम्बन्धित जानकारी का अभिलेख रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (प्रपत्र 3 एवं 4) निर्धारित किए गए थे।

inkfHkfgr vf/kdkfj;ks ,oa vihy vf/kdkfj;ks }kjk iz:Ik 3 ,oa 4 esa iath dk l/kkj.k ugha fd;k x;k FkkA

हमने अभिलेखों की संवीक्षा में देखा कि 82 पदाभिहित अधिकारियों में से 41 तथा 40 अपील अधिकारियों में से तीन ¼ifjf'k"V&2-62½ ने प्रपत्र 3 एवं 4 में निर्धारित पंजियाँ संधारित नहीं की थीं। पंजी का संधारण न किए जाने के कारण, यह अभिनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं था कि सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्रदाय की गईं थीं।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालय में आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने का प्रावधान किया जा रहा था। पंजी का संधारण एवं समस्त सम्बन्धित जानकारी की प्रविष्टि करने के लिए सभी विभागों एवं जिलों को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

- ### uksfVl cksMZ ij tkudkjh inf'kZr u fd;k tkuk

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली एवं प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम 6 तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग म.प्र. शासन के आदेश (सितंबर, 2010) के अनुसार, कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित सेवाओं की जानकारी, निराकरण की समय–सीमा, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज तथा पदाभिहित अधिकारी, अपीलीय अधिकारी[6] का नाम दर्शाया जाना था।

inkfHkfgr vf/kdkfj;ksa ds dk;kZy;ksa esa vko';d tkudkjh inf'kZr djus okys uksfVl cksMZ ugha yxk, x, FksA

हमने देखा कि 82 पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों में से 38 तथा 40 अपील अधिकारियों में से 18 ¼ifjf'k"V&2-63½ के कार्यालयों में आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने वाले नोटिस बोर्ड नहीं लगाए गए थे जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों को उचित जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि सभी जिलों के जिलाधीश को पूर्व में ही अनुपालनार्थ अनुदेश जारी किए गए थे।

2-7-9 {kerk fodkl

अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मानवशक्ति का परिनियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण था। लेखा परीक्षा के दौरान आठ[7] पदाभिहित अधिकारियों ने अधिनियम के क्रियान्वयन के प्रबंधन में स्टाफ की कमी को एक अवरोध बताया। प्रकरण की आगामी संवीक्षा में छह[8] पदाभिहित अधिकारियों ने बताया कि स्टाफ की मांग मौखिक रूप से की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि परिवीक्षण के उद्देश्य से विभाग राज्य स्तर कार्यालय में स्टाफ की वृद्धि कर रहा है तथा बेहतर परिवीक्षण एवं निष्पादन के लिए जिला स्तर के कार्यालयों में भी स्टाफ में वृद्धि करने की योजना बनाई जा रही है। आगे यह भी बताया गया कि राजस्व विभाग के पदाभिहित अधिकारियों के लिए,

[6] अधिनियम के अंतर्गत अपील सुनवाई के लिए अधिसूचित अधिकारी

[7] मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैरसिया एवं फंदा (भोपाल), तहसीलदार, बैरसिया एवं हरदा, सिविल सर्जन, हरदा, परियोजना अधिकारी, आईसीडीएस, हरदा (दो इकाईयां) एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैरसिया।

[8] सिविल सर्जन, हरदा, परियोजना अधिकारी, आईसीडीएस, हरदा (दो इकाईयां), तहसीलदार, हरदा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैरसिया एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैरसिया

जहाँ सबसे अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, कार्यालय सहायक नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव पूर्व में ही शासन द्वारा अनुमोदित है।

2-7-10 f'kdk;rksa ds fuokj.k rFkk fuxjkuh ds fy, iz.kkyh

अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु शिकायतों के निवारण तथा प्रभावी निगरानी आवश्यक है। हमने निम्नलिखित कमियाँ देखीः

2-7-10-1 inkfHkfgr vf/kdkfj;ksa ds dk;kZy; dk fujh{k.k ugha fd;k x;k

लोक सेवा प्रबंधन विभाग, म.प्र. शासन ने सम्बन्धित विभागों के जिला प्रमुखों को पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों के निरीक्षण का वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने, तदनुसार निरीक्षण करने तथा अपने निष्कर्ष जिलाधीश को प्रतिवेदित करने के लिए निर्देशित किया गया था (फरवरी 2012 एवं अगस्त 2012)।

ftyk/kh'k ,oa foHkkxksa ds ftyk izeq[kksa us u rks fujh{k.k dk;Øe rS;kj fd;k vkSj u gh inkfHkfgr vf/kdkfj;ksa ds dk;kZy; dk vkof/kd fujh{k.k fd;k

जिलाधीश द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से ज्ञात हुआ कि 2012–15 के दौरान भोपाल जिले में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। भोपाल, ग्वालियर तथा हरदा में चयनित नौ विभागों के जिला प्रमुखों ने यह आश्वस्त करने के लिए कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नागरिकों को सेवाएं प्रदाय की गई थी, निरीक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया और न ही उन्होंने पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालय का आवधिक निरीक्षण किया।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि समय–समय पर अनुदेश जारी किये गये थे और नागरिकों को निर्बाध रूप से सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयों के निरीक्षण हेतु प्राधिकारियों को आगामी अनुदेश जारी किये जाएंगे।

2-7-10-2 f'kdk;rksa dk fuokj.k

अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसका आवेदन अधिनियम के अंतर्गत नामंजूर किया गया था अथवा जिसे निर्धारित समय–सीमा के भीतर सेवा प्रदाय नहीं की गई थी, आवेदन नामंजूर किए जाने की तारीख अथवा निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकता है। प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से, 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील दाखिल की जा सकती है। द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील को रद्द या स्वीकार कर सकता है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

अधिनियम की धारा 6 के परन्तुक के अनुसार (यथा जनवरी 2012 में संशोधित), अपील अधिकारी स्वमेव, रद्द किये गये या निर्धारित समय–सीमा के बाद लंबित आवेदनों का अभिलेख माँग सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

राज्य लोक सेवा अभिकरणों द्वारा दी गई जानकारी में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुएः

¼d½ कुल 45,387 प्रथम अपील प्रकरणों में से, 33,370 (74 प्रतिशत) प्रथम अपील प्रकरणों का समय पर निराकरण किया गया जबकि अन्य 10,908 आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय–सीमा के बाद किया गया। वर्षवार स्थिति नीचे rkfydk&4 में दी गई हैः

Rkkfydk&4½ jkT; esa iFke vihy nkf[ky rFkk fujkdj.k djus dk o"kZokj fooj.k ¼vkuykbu½

o"kZ	nkf[ky dh xbZ iFke vihyksa dh la[;k	le;&lhek esa vihyksa dk fujkdj.k	fujkdj.k dk izfr'kr	le;&lhek ds ckn vihyksa dk fujkdj.k
2012–13	5,440	2,357	43	96
2013–14	27,202	19,659	72	6,420
2014–15	12,745	11,354	89	4,392
;ksx	**45,387**	**33,370**	**74**	**10,908**

¼Lkzksr% jkT; yksd lsok vfHkdj.k }kjk iznk; dh xbZ tkudkjh½

पाँच चयनित जिलों में हमने पाया कि 3,154 प्रथम अपील प्रकरणों में से 2,442 (77 प्रतिशत) समय पर निराकृत किए गए जबकि अन्य 543 आवेदन निर्धारित समय–सीमा के बाद निराकृत किए गए थे।

¼[k½ 2012–13 से 2014–15 की अवधि में अपील प्राधिकारियों ने राज्य में 230 पदाभिहित अधिकारियों पर ₹ 11.56 लाख की शास्ति अधिरोपित की जिसमें से ₹ 4.24 लाख की राशि 414 आवेदकों को क्षतिपूर्ति के रूप में वितरित की गई थी।

iFke vihy vf/kdkfj;ksa us dsoy 3528 vkuykbu izdj.kksa esa Lo%izsj.kk ls dk;Zokgh dh tks vof/k 2012&15 ds nkSjku foyfEcr@ukeatwj vkuykbu izdj.kksa dk ek= 0-1 izfr'kr Fkk

¼x½ हमने पाया कि 2012–13 से 2014–15 के दौरान राज्य में 37.07 लाख ऑनलाइन आवेदन या तो समय–सीमा के भीतर नामंजूर कर किए गए अथवा निर्धारित समय–सीमा के बाद सेवाएं प्रदाय/नामंजूर की गईं। इनमें से, प्रथम अपील अधिकारियों ने 3,528 ऑनलाइन प्रकरणों में स्वमेव कार्यवाही की जो इन विलम्बित/नामंजूर ऑनलाइन प्रकरणों का 0.1 प्रतिशत था। इनमें से, 815 प्रकरणों (23 प्रतिशत) में सेवाएं प्रदाय की गईं थी। आगे हमने देखा कि पाँच चयनित जिलों में केवल भोपाल जिले में स्वमेव कार्यवाही की गई।

निर्गम सम्मेलन में कार्यपालन संचालक ने बताया कि सम्बन्धित अधिकारियों को स्वमेव कार्यवाही करने के संबंध में जागरूक किया जा रहा था तथा भविष्य में भी उन्हें निर्देशित किया जाएगा।

2-7-11 fu"d"kZ rFkk vuq'kalk,a

- विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों को सहायता प्रदान करने के पूर्व, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दिनांक को सेवा प्रदाय मानकर आवेदनों को निराकृत दर्शाया गया था।

वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत आवेदनों को, आवेदकों को वास्तविक रूप से लाभ प्रदाय करने के पश्चात ही निराकृत दर्शाया जाना चाहिए जैसा कि अधिसूचित सेवाओं की शर्तों के अनुसार अपेक्षित है।

- 22 विभागों की 124 अधिसूचित सेवाओं में से, केवल 16 विभागों की 68 अधिसूचित सेवाएं ऑनलाइन प्रणाली से संसाधित की जा रहीं थी। अधिकांश लोक सेवा केन्द्रों द्वारा ऑनलाइन प्रकरणों में आवेदकों को वास्तविक रूप से सेवा प्रदाय की तारीख की प्रविष्टि प्रणाली में नहीं की गई थी। जिला ई–गवर्नेंस सोसायटियों द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त सांविधिक शुल्क का लेखांकन नहीं किया गया था।

राज्य लोक सेवा अभिकरण को समयबद्ध तरीके से सभी अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली में लाने का प्रयास करना चाहिए।

- पदाभिहित अधिकारियों एवं अपील अधिकारियों ने परिवीक्षण हेतु वांछित पंजियाँ संधारित नहीं की थी। शिकायत निवारण प्रणाली प्रभावकारी रूप से कार्य नहीं कर रही थी तथा पदाभिहित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण पर्याप्त रूप से नहीं किया गया था।

आवेदनों के निराकरण हेतु परिवीक्षण प्रणाली को प्रभावकारी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

vkfne tkfr dY;k.k foHkkx

2-8 e/;izns'k esa fo'ks"k :i ls detksj tutkrh; lewgksa ds fodkl ds fy;s dk;ZØeksa dk fØ;kUo;u

dk;Zikyu lkjka'k

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.व्ही.टी.जी.), जिनमें साक्षरता का स्तर कम है, उनकी जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकी स्तर और आर्थिक रूप से पिछडे हैं, के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार (जी.ओ.आई) द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना (टी.एस.पी.) के लिए राज्य को निधियां उपलब्ध कराई जा रहीं थी। भारत सरकार द्वारा पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिये संरक्षण–सह–विकास (सी.सी.डी.) योजना प्रारंभ की गई (अप्रैल 2008)। इस योजना के तहत राज्य सरकार को अपने राज्य में प्रत्येक पी.व्ही.टी.जी. के लिये दीर्घकालिक सी.सी.डी. योजना तैयार करनी थी।

मध्यप्रदेश में तीन जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया की पहचान की गई थी जो 15 जिलों में निवास करती हैं और जिन्हें पी.व्ही.टी.जी. के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। वर्ष 2004–05 के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित क्षेत्रों में पी.व्ही.टी.जी. की जनसंख्या 4.87 लाख थी। राज्य सरकार द्वारा पी.व्ही.टी.जी. के लिये सी.सी.डी. योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, आवास, रोजगार और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिये गतिविधियों/योजनाओं को शुरू किया गया। राज्य सरकार ने 15 जिलों के लिए 11 पी.टी.जी. विकास अभिकरणों की स्थापना पी.व्ही.टी.जी. के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु की थी।

अवधि 2010–11 से 2014–15 के लिए मध्यप्रदेश में पी.व्ही.टी.जी. के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआः

- चिन्हांकित क्षेत्रों में रह रहे पी.व्ही.टी.जी. के लिए संरक्षण–सह–विकास योजना लागू की जा रही थी। आदिम जाति मंत्रणा परिषद ने सर्वेक्षण उपरान्त चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर निवास करने वाले पी.व्ही.टी.जी. को भी समान लाभ देने का निर्णय लिया (मार्च 2010)। सर्वेक्षण प्रतिवेदन नवम्बर 2012 में चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर निवासरत 1.05 लाख पी.व्ही.टी.जी. परिवारों की 4.49 लाख पी.व्ही.टी.जी. जनसंख्या को चिन्हांकित किया गया। तथापि, इन पी.व्ही.टी.जी. को सी.सी.डी. योजना (2012–17) में शामिल नहीं किया गया था, जबकि सरकार को पिछली योजना में उनके शामिल न किये जाने के बारे में जानकारी मार्च 2010 से थी।

¼dafMdk 2-8-6-1½

- पंचवर्षीय सी.सी.डी. योजना (2012–17) पी.व्ही.टी.जी. समुदायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए थी। सामाजिक–आर्थिक बेसलाइन सर्वेक्षण न केवल जनसंख्या के आंकड़े बल्कि अन्य सभी संबंधित आंकड़े जैसे साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, जोत भूमि, रोजगार के अवसर, अधोसंरचना की उपलब्धता इत्यादि जानने के लिये किया जाना था। तथापि, हमने देखा कि सी.सी.डी. योजना (2012–17) वर्ष 2004–05 में किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई थी। इस प्रकार, सी.सी.डी.योजना 2012–17 तैयार करने से पूर्व पी.व्ही.टी.जी. की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं का पुनः आकलन नहीं किया गया था।

¼dafMdk 2-8-6-2½

- 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने पी.व्ही.टी.जी. के विकास हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर ₹ 246.96 करोड़ व्यय किए। सी.सी.डी. योजना और एस.सी.ए. की महत्वपूर्ण राशि ₹ 88.81 करोड़ छह पी़.टी.जी. विकास अभिकरणों के बैंक खातों मे निष्क्रिय पड़ी थी।

¼dfMdk 2-8-8½

- हमने देखा कि सी.सी.डी. योजना के तहत 2010–15 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 28 प्रतिशत की कमी थी। एस.सी.ए. योजना अंतर्गत 2010–15 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 20 प्रतिशत की कमी थी।

¼dfMdk 2-8-8-1½

- संचालनालय और पी.टी.जी. विकास अभिकरण स्तर पर अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं था। निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन की कमियों को दूर करने हेतु संचालनालय को सुदृढ़ किया जायेगा।

¼dfMdk 2-8-9½

- राज्य में रहने वाले पी.व्ही.टी.जी. विशेष स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए, सी.सी.डी. योजना में गंभीर बीमारियों के उपचार एवं ग्रामों में चिकित्सा जाँच शिविरों का प्रावधान है। हमने देखा कि गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जारी ₹ 11.04 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.54 करोड़ (14 प्रतिशत) उपयोग किए गए। आगे, राज्य में 2011–15 के दौरान लक्षित 1,517 चिकित्सा जाँच शिविरों में से 788 चिकित्सा जाँच शिविर पी.व्ही.टी.जी. के लिये आयोजित किए गए थे।

¼dfMdk 2-8-10 vkj 2-8-10-1½

2-8-1 iLrkouk

अनुसूचित जनजातियों में से, कुछ आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, कृषि में प्रौद्योगिकी पूर्व स्तर और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पी.व्ही.टी.जी.) के रूप मे श्रेणीबद्ध किया गया है जिन्हें पहले विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के रूप में जाना जाता था। मध्यप्रदेश में तीन जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया की पहचान की गई थी जो राज्य के 15 जिलों में निवास करती हैं और जिन्हें पी.व्ही.टी.जी. के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

वर्ष 2004–05 के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित क्षेत्रों में बैगा, सहरिया और भारिया की जनसंख्या क्रमशः 1,73,493; 3,11,722; एवं 2,135 थी। बैगा अनूपपुर, बालाघाट, डिंडौरी, मण्डला, शहडोल एवं उमरिया जिलों में, सहरिया गुना (अशोकनगर सहित), ग्वालियर (दतिया सहित), श्योपुर (भिण्ड, मुरैना सहित) और शिवपुरी जिले में तथा भारिया छिन्दवाड़ा जिले में निवासरत हैं।

पी.व्ही.टी.जी. का विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) आदिवासी उपयोजना (टी.एस.पी.) के लिए राज्य को निधियां उपलब्ध कराई जा रहीं थीं। इसके तहत कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, सेवा गतिविधि, लघु सिंचाई और आय सृजन कार्यक्रम के लिए गतिविधियों/योजनाओं को किया जाना था।

पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा संरक्षण–सह–विकास (सी.सी.डी.) योजना प्रारंभ की गई (अप्रैल 2008)। इस योजना के तहत राज्य सरकार को अपने राज्य में प्रत्येक पी.व्ही.टी.जी. के लिए दीर्घकालिक सी.सी.डी. योजना तैयार करनी थी।

मध्यप्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) द्वारा पी.व्ही.टी.जी. के लिए सी.सी.डी. योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, आवास, रोजगार और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए गतिविधियों/योजनाओं को शुरू किया गया था।

2-8-2 lxBUkRed lajpuk

प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश में पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिये कार्यक्रम लागू करता है। आयुक्त आदिवासी विकास (सी.टी.डी.) विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। संचालनालय पी.टी.जी. के अधीन संचालक पी.टी.जी., पी.व्ही.टी.जी. की कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन करता है। जिला स्तर पर उनकी सहायता सहायक आयुक्त (ए.सी.)/जिला संयोजक (डी.ओ.)/परियोजना प्रशासक (पी.ए.) द्वारा की जाती है।

राज्य सरकार ने 15 जिलों के लिये 11 पी.टी.जी. विकास अभिकरणों की म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन स्थापना की थी। ए.सी./डी.ओ./पी.ए., पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के सदस्य सचिव हैं। पी.टी.जी. विकास अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए थे कि भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता निधि व्यपगत न हो तथा इन निधियों का प्रयोग आने वाले वर्षो में पी.व्ही.टी.जी. के हित में हो सके। ये अभिकरण एस.सी.ए./सी.सी.डी. योजना तैयार कर रहे हैं और इसके क्रियान्वयन का निरीक्षण करते हैं।

2-8-3 y[kkijh{kk dk mn~ns';

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि :

- वार्षिक कार्ययोजना भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार की गई थी तथा पात्र हितग्राहियों की पहचान की गई थी;
- निधियाँ पर्याप्त रूप से एवं समय से आवंटित एवं जारी की गईं थीं, तथा कार्यक्रमों के वित्त पोषण का प्रबंधन कुशलता से किया गया था;
- योजनाओं का अनुवीक्षण पर्याप्त एवं प्रभावी था; तथा
- स्वास्थ्य योजना के विशेष संदर्भ में पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिए कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया।

2-8-4 y[kkijh{kk ekun.M

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नानुसार थे :

- योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं के दिशा–निर्देश;
- पी.व्ही.टी.जी. की पहचान से संबंधित भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत;
- वार्षिक एवं पंचवर्षीय कार्य योजना; तथा
- केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश/आदेश।

2-8-5 y[kkijh{kk leko'ku rFkk dk;Z i).kkyh

अवधि 2010–15 के दौरान पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिए सी.सी.डी. एवं एस.सी.ए. योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा संचालक पी.टी.जी. और पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के कार्यालयों से एकत्र किए गए आंकड़ों के विशलेषण एवं अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से दिसम्बर 2014 और जून 2015 के मध्य की गई। राज्य में 11 पी.टी.जी.

विकास अभिकरणों में से छह पी.टी.जी विकास अभिकरणों अर्थात डिंडोरी, गुना, शहडोल, शिवपुरी, तामिया (छिन्दवाड़ा) और उमरिया का चयन किया गया।

प्रवेश सम्मेलन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ 18 मार्च 2015 को आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। निर्गम सम्मेलन प्रमुख सचिव के साथ 20 अक्टूबर 2015 को आयोजित किया गया। विभाग के उत्तरों को उपयुक्त रूप से सुसंगत कंडिकाओं में शामिल कर लिया गया है।

2-8-6 vk;kstuk

2-8-6-1 lh-lh-Mh- ;kstuk esa ih-Ogh-Vh-th- dh cMh tula[;k dk 'kkfey u fd;k tkuk

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य में पहचान किये गये पी.व्ही.टी.जी. से संबंधित प्रत्येक समुदाय के बेसलाइन सर्वेक्षण के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्था (टी.आर.आई.) से या स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराने पर जोर दिया था (जून 2002 और अगस्त 2002)। टी.आर.आई. द्वारा वर्ष 2004–05 में उन्हीं ग्रामों, विकासखण्डों में सर्वेक्षण किया गया जहां वर्ष 1992 के सर्वेक्षण के अनुसार पी.व्ही.टी.जी. की जनसंख्या प्रतिवेदित की गई थी।

चिन्हांकित क्षेत्रों में रह रहे पी.व्ही.टी.जी. के लिए संरक्षण–सह–विकास योजना लागू की जा रही थी। तथापि, आदिम जाति मंत्रणा परिषद ने सर्वेक्षण उपरान्त चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर निवास करने वाले पी.व्ही.टी.जी. को भी समान लाभ देने का निर्णय लिया (मार्च 2010)। सर्वेक्षण टी.आर.आई. द्वारा आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर रहने वाले बैगा, सहरिया और भारिया क्रमशः 1,60,204; 2,09,372; एवं 79,920 पाए गए थे। सर्वेक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार को नवम्बर 2012 में भेजा गया था।

हमने देखा कि सी.सी.डी. योजना (2012–17) वर्ष 2004–05 में आयोजित बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई थी। यद्यपि पी.व्ही.टी.जी. की छोड़ी गई जनसंख्या के तथ्य राज्य सरकार की जानकारी में थे, टी.आर.आई. से नवीनतम सर्वेक्षण इनपुट को सी.सी.डी. योजना (2012–17) के लिए संग्रहीत नहीं किया गया था। इस प्रकार, 4.49 लाख की पी.व्ही.टी.जी. की जनसंख्या को सी.सी.डी. योजना में शामिल नहीं किया जा सका था।

fpUgkafdr {ks= ls ckgj jgus okys 4-49 yk[k ih-Ogh-Vh-th- tula[;k dks lh-lh-Mh- ;kstuk ¼2012&17½ esa 'kkfey ugha fd;k x;k Fkk tcfd ljdkj dks fiNyh ;kstuk esa mUgsa 'kkfey u fd, tkus ds ckjs esa tkudkjh Fkh

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर रहने वाले पी. व्ही.टी.जी. को लाभ का विस्तार करने के लिए भारत सरकार को पत्र भेजा गया था। उन्होंने आगे कहा कि पंचवर्षीय सी.सी.डी. योजना (2012–17) अगस्त 2012 में तैयार की गई थी एवं टी.आर.आई. से बेसलाइन सर्वेक्षण प्रतिवेदन नवम्बर 2012 में प्राप्त हुआ था।

तथ्य यह है कि चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर रहने वाले पी.व्ही.टी.जी. को सी.सी.डी. योजना (2012–17) में शामिल नहीं किया जा सका था जबकि सरकार को पिछली योजना में उन्हें शामिल न किए जाने के बारे में जानकारी मार्च 2010 से थी।

2-8-6-2 lkekftd vkfFkZd losZ{k.k fd, fcuk iapo"khZ; lh-lh-Mh- ;kstuk ¼2012&17½ dk rS;kj fd;k tkuk

जिलों में पी.टी.जी. विकास अभिकरणों को जनसंख्या के आंकड़े, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, जोत भूमि, रोजगार के अवसर इत्यादि कारकों को ध्यान में रखते हुए किए गए बेसलाईन सर्वेक्षण के आधार पर पंचवर्षीय सी.सी.डी. योजना (2012–17) तैयार

करनी थी। पी.टी.जी. विकास अभिकरणों से प्राप्त योजना को राज्य सरकार को प्रेषित करने से पहले संचालनालय स्तर पर संकलित किया जाता है एवं वहां से भारत सरकार को प्रेषित की जाती है।

ih-0gh-Vh-th- dh lkekftd] vkfFkd vko';drkvk dk vkdyu fd;s fcuk ipo"kh; lh-lh-Mh- ;ktuk ¼2012&17½ rS;kj dh x;h

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किया (जनवरी 2012) कि अवधि 2012–17 के लिए योजना पी.व्ही.टी.जी. समुदायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यापक रूप से तैयार की जानी चाहिए। सामाजिक–आर्थिक बेसलाइन सर्वेक्षण न केवल जनसंख्या के आंकड़े बल्कि अन्य सभी संबंधित आंकड़े जैसे साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, जोत भूमि, रोजगार के अवसर, अधोसंरचना की उपलब्धता इत्यादि जानने के लिए किया जाना था।

संचालनालय एवं नमूना जाँच किए गए अभिकरणों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि पी.व्ही.टी.जी. का बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया था। वर्ष 2004–05 में किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर सी.सी.डी. योजना (2012–17) तैयार की गई थी। इस प्रकार, सी.सी.डी.योजना (2012–17) तैयार करने से पूर्व पी.व्ही.टी.जी. की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं का पुनः आकलन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा कि पी.व्ही.टी.जी. के वार्षिक सर्वेक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, योजना 2004–05 के बेसलाईन सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि सी.सी.डी. योजना (2012–17) तैयार करने हेतु भारत सरकार ने अपने निर्देशों (जनवरी 2012) में जनसंख्या के आंकड़े और अन्य संबद्ध आंकड़ों को जानने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण करने के विशेष रूप से सुझाव दिए थे।

2-8-6-3 vfHkdj.k Lrj ij vf/k'kklh fudk; dk xBu u gksuk

प्रत्येक पी.टी.जी. विकास अभिकरण में अधिशासी निकाय का गठन दो वर्ष के लिए किया गया था। अधिशासी निकाय के अध्यक्ष एवं संचालक मंडल को पी.व्ही.टी.जी. समुदाय से राज्य शासन द्वारा दो वर्ष के लिये नामित किया जाता है। अधिशासी निकाय को पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिये योजना बनाने एवं उसका कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन सौंपा गया है। अधिशासी निकाय के गठन होने तक संबंधित जिलों के जिलाधीशों को अधिशासी निकाय के अध्यक्ष की शक्ति होगी।

हमने देखा कि नमूना जाँच किए गए छह पी.टी.जी. विकास अभिकरणों में 2010–15 के दौरान अधिशासी निकाय का गठन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि अधिशासी निकाय के गठन हेतु कार्यवाई की जा रही थी।

2-8-7 lh-lh-Mh- ;kstuk ,oa ,l-lh-,- ;kstuk dk fØ;kUo;u esa ih-Vh-th- fodkl vfHkdj.kksa dh Hkwfedk

जिलों में पी.टी.जी. विकास अभिकरण स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। पी.टी.जी. विकास अभिकरणों को यह सुनिश्चित करना था कि भारत सरकार से प्राप्त एस.सी.ए. निधि व्यपगत नहीं होनी चाहिए और ये निधियां पी.व्ही.टी.जी. के हितार्थ आगामी वर्षों में उपयोग की जाए। तथापि, हमने सी.सी.डी. योजना और एस.सी.ए. योजना के कार्यान्वयन में पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं अनुवीक्षण में कमियां पाई जिन पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2-8-8 foRrh; izca/ku

भारत सरकार से सी.सी.डी. योजना एवं एस.सी.ए. के अंतर्गत निधियां राज्य सरकार को अनुदान के रूप में प्राप्त होती हैं। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन निधियों का उपयोग करने के लिये बजट में प्रावधान करती है। इसके पश्चात राज्य सरकार जिलों में पी.टी.जी. विकास अभिकरणों को निधियां जारी करती है और पी.टी.जी. विकास अभिकरण कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करते हैं।

2010–15 के दौरान बजट प्रावधान और व्यय की स्थिति rkfydk&1 में दर्शाई गई है:

rkfydk&1% lh-lh-Mh- ;kstuk ,oa ,l-lh-,- dk ctV vkoaVu vkSj O;;

(₹ djksM+ esa)

o"kZ	ctV izko/kku	O;;	vkf/kD;¼$½@cpr¼&½
2010–11	58.47	59.59	¼$½1.12
2011–12	42.57	42.57	..
2012–13	82.92	75.26	¼&½7.66
2013–14	58.10	57.24	¼&½0.86
2014–15	12.44	12.30	¼&½0.14
;ksx	254-50	246-96	

¼lzksr&foLr`r fofu;ksx ys[kk½

वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत हमने निम्नलिखित कमियां पाई:

ueuk tkap fd, x, Ng ueuk tkap ih-Vh-th- fodkl vfHkdj.kksa ds Cksad [kkrksa esa ₹ 88-81 djksM iMs+ g, Fks

- नमूना जाँच किए गए छह पी.टी.जी. विकास अभिकरणों में हमने पाया कि मार्च 2015 की स्थिति में पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के बैंक खातों में ₹ 88.81 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही थी। मुख्य अव्ययित शेष शिवपुरी में (₹ 46.25 करोड़) और गुना, अशोकनगर सहित (₹ 32.77 करोड़) था। विवरण ifjf'k"V&2-64 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि अव्ययित शेष का मुख्य कारण वर्ष के अंत में निधि जारी होना एवं गंभीर बीमारियों पर निधियों का अनुपयोग है। तथापि, शिवपुरी एवं गुना में अधिक शेषों की स्थिति की जाँच कराई जाएगी।

- हमने पाया कि अवधि 2010–15 के दौरान सी.सी.डी. योजना एवं एस.सी.ए. अंतर्गत भिंड जिले को सहरिया परिवारों हेतु राशि ₹ 1.45 करोड़ जारी की गई थी। तथापि, इन पी.व्ही.टी.जी. पर निधि का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि उनके पास जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र या अधिवास प्रमाणपत्र नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि पी.व्ही.टी.जी. के पास स्थाई निवास न होने से राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। राशि का उपयोग अन्य पी.टी.जी. विकास अभिकरणों में स्वीकृत योजनाओं पर किया जाएगा।

- जनश्री बीमा योजना अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) को ग्वालियर जिले के 25,015 सहरिया परिवारों को बीमा अंतर्गत कवर करने के लिये राशि ₹ 1.25 करोड़ प्रेषित की गई थी (मार्च 2011)। एल.आई.सी. ने ₹ 0.10 लाख वापस कर दिए और 24,995 परिवारों का विवरण मांगा (सितम्बर 2011)। पी.टी.जी. विकास अभिकरण, ग्वालियर परिवारों का विवरण नहीं दे सका और एल.आई.सी. से राशि लौटाने का आग्रह किया गया (फरवरी 2014)। हमने देखा कि ग्वालियर जिले में वर्ष

2004–05 के सर्वेक्षण में केवल 6,995 परिवारों को बताया गया। इस प्रकार, गलत प्रस्ताव के कारण ₹ 1.25 करोड़ की निधि एल.आई.सी. के पास अवरूद्ध थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रकरण की जाँच की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

- पी.टी.जी. विकास अभिकरणों को वित्तीय वर्ष के अंत में संचालनालय को उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी.) अग्रेषित करना आवश्यक था। हमने देखा कि नमूना जाँच किए गए छह पी.टी.जी. विकास अभिकरणों में से दो अभिकरणों (शिवपुरी और गुना के अंतर्गत अशोकनगर) ने 2010–15 के दौरान उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। शेष चार अभिकरणों ने जारी राशि ₹ 138.04 करोड़ के विरूद्ध ₹ 19.69 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। विवरण ifjf'k"V&2-65 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि अभिकरणों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएंगे।

2-8-8-1 ,l-lh-,- ,o lh-lh-Mh- ;kstuk vUrxZr foRrh; ,o HkkSfrd izxfr

अवधि 2010–15 के लिए संचालनालय द्वारा प्रस्तुत की गई 11 अभिकरणों की सी.सी.डी. योजना एवं एस.सी.ए. अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को rkfydk 2 एवं 3 में दर्शाया गया है:

rkfydk&2% lh-lh-Mh- ;kstuk vUrxZr foÙkh; ,oa HkkSfrd izxfr

¼₹ djksM+ esa½

l?kVd dk uke	foÙkh; izxfr			HkkSfrd izxfr ¼la[;k esa½		
	vkoVu	O;;	'ks"k	y{;	miyfC/k	deh
lh-lh-Mh- ;kstuk						
शिक्षा	41.25	30.38	10.87	1,22,071	91,512	30,559(25.03%)
स्वास्थ्य	14.93	3.80	11.13	1,965	882	1,083(55.11%)
पेयजल	22.12	17.68	4.44	2,481	2,052	429(17.29%)
कृषि	15.59	10.80	4.79	11,394	7,002	4,392(38.55%)
आवास	61.81	38.18	23.63	12,535	7,942	4,593(36.64%)
संस्कृति	0.79	0.54	0.25	41	39	02(4.88%)
रोजगार	10.25	5.77	4.48	4,826	2,723	2,103(43.58%)
;ksx	166-74	107-15	59-59	1]55]313	1]12]152	43]161¼27-79%½

¼lzksr% fo'ks"k fiNM+h tutkfr fodkl vfHkdj.kksa dh izxfr izfrosnu ds vuqlkj½

Rkkfydk&3% ,l-lh-,- vUrxZr foÙkh; ,oa HkkSfrd izxfr

¼₹ djksM+ esa½

l?kVd dk uke	foÙkh; izxfr			HkkSfrd izxfr¼la[;k esa½		
	vkoVu	O;;	'ks"k	y{;	miyfC/k	deh
,l-lh-,-;kstuk						
कृषि	19.55	15.43	4.12	9,631	7,811	1,820(18.90%)
आय अर्जित योजना	3.40	2.43	0.97	2,246	1,777	469(20.88%)
उद्यानिकी	1.64	1.20	0.44	828	525	303(36.59%)
मत्स्यपालन	0.49	0.33	0.16	320	145	175(54.69%)
रोजगार योजना	2.40	2.05	0.35	1,040	943	97(9.33%)
पूंजीगत व्यय	9.01	6.43	2.58	693	621	72(10.39%)
;ksx	36-49	27-87	8-62	14]758	11]822	2]936¼19-89%½

¼lzksr% fo'ks"k fiNM+h tutkfr fodkl vfHkdj.kksa dh izxfr izfrosnu ds vuqlkj½

जैसा कि rkfydk&2 और rkfydk&3 से स्पष्ट है, सी.सी.डी. योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 2010–15 की अवधि के दौरान पांच से 55 प्रतिशत की कमी थी। आगे, एस.सी.ए. के विभिन्न घटकों के अंतर्गत नौ से 55 प्रतिशत की कमी थी। इंगित किए जाने पर, पी.टी.जी. विकास अभिकरणों ने सूचित किया (अप्रैल–जून 2015) कि

कमी का कारण संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्राप्त न होना तथा इसके अतिरिक्त 2014–15 में निधि का मार्च माह में जारी होना था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संदर्भ में प्रकरण की जाँच की जाएगी और अभिकरणों के माध्यम से पी.व्ही.टी.जी. को लाभ दिया जाएगा।

2-8-9 ih-0gh-Vh-th- ds fy;s ;kstukvksa dk vuqoh{k.k ,oa ewY;kadu

- भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सी.सी.डी. योजना की दो वर्ष पश्चात मध्यावधि समीक्षा आयोजित करने हेतु निर्देशित किया (अगस्त 2008)। संचालनालय एवं पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि विभाग द्वारा अवधि 2010–15 के दौरान सी.सी.डी. योजना का प्रभाव जानने के लिए किसी भी अध्ययन का आयोजन नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि हितग्राही परिवारों से संबंधित प्रलेखन की कार्रवाई की जाएगी।

- मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निरीक्षण, अनुवीक्षण एवं कार्य/योजना के भौतिक सत्यापन के संदर्भ में परियोजना अधिकारी के दायित्व को परिभाषित किया गया है (नवम्बर 1998)।

हमने देखा कि संचालनालय स्तर एवं नमूना जाँच किए गए पी.टी.जी. विकास अभिकरणों में आवश्यक निरीक्षण, अनुवीक्षण एवं कार्य/योजना का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। 2010–15 की अवधि के दौरान संचालनालय द्वारा केवल एक निरीक्षण वर्ष 2013–14 में किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि संचालनालय को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि वे अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कर सके।

2-8-10 lh-lh-Mh- ;kstuk ds v/khu LokLF; dk;Øe dk dk;kZUo;u

राज्य में रहने वाले पी.व्ही.टी.जी. अर्थात सहरिया जनजाति मुख्यतः क्षय रोग, अज्ञात श्वसन संक्रमण और मेटेड लिम्फोडेनोपेथी बीमारियों से पीड़ित हैं। बच्चों में आम बीमारियां फोड़े, बीटोट चित्ति, रतौंधी, गलगंड ग्रेड एक इत्यादि थीं। भारिया जनजाति के बच्चों में श्वसन संक्रमण की उच्च व्यापकता, सिकल सेल जीन की व्यापकता और माइक्रोसायटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर की बीमारियां पाई गईं। इसी प्रकार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण, हर्बो मेडिसिन मेन में अटूट विश्वास एवं स्वदेशी औषधि कोष के कारण बैगा जनजाति कई बीमारियों से ग्रस्त है।

आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए, सी.सी.डी. योजना में गंभीर बीमारियों के उपचार एवं ग्रामों में चिकित्सा जाँच शिविरों का प्रावधान है। हमने देखा कि 448 पी.व्ही.टी.जी. में गंभीर बीमारियां के उपचार के लिए जारी राशि ₹ 11.04 करोड़ (दिसम्बर 2012 एवं अगस्त 2013) के विरूद्ध राशि ₹ 1.54 करोड़ (14 प्रतिशत) का उपयोग 94 पी.व्ही.टी.जी. के लिए किया गया था। आगे, चिकित्सा जाँच शिविरों के लक्ष्य का 52 प्रतिशत प्राप्त किया गया था। पी.व्ही.टी.जी. के लिए चिकित्सा जाँच शिविरों के आयोजन में कमियों की आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2-8-10-1 ih-0gh-Vh-th- ifjokjksa ds fy, fpfdRlk tkap f'kfojksa ds y{; dk izkIr u gksuk

fpfdRlk tkap f'kfoj y{; vuqlkj vk;ksftr ugha fd, x,

संचालनालय द्वारा 2011–15 की अवधि के दौरान ग्रामों में चिकित्सा जाँच शिविरों को आयोजित करने के लिये सी.सी.डी. योजना के तहत पी.टी.जी. विकास अभिकरणों को

₹ 3.89 करोड़ जारी किए गये। इन निधियों में से ₹ 3.27 करोड़ की राशि 1517 चिकित्सा जाँच शिविरों के आयोजन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई थी। इसके विरूद्ध राशि ₹ 2.26 करोड़ का व्यय कर केवल 788 चिकित्सा जाँच शिविर आयोजित किए गए। इस प्रकार, 729 चिकित्सा जाँच शिविरों का आयोजन नहीं किया गया। विवरण ifjf'k"V&2-66 में दिया गया है।

हमने आगे पाया कि नमूना जाँच किए गए पी.टी.जी. विकास अभिकरण शिवपुरी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) शिवपुरी द्वारा चिकित्सा जाँच शिविरों में वितरण के लिए दवाईयां और श्रवण यंत्र राशि ₹ 23.75 लाख के खरीदे गए। तथापि, इन दवाओं को विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रो को भेज दिया गया था। ₹ 3.92 लाख के श्रवण यंत्र सीएमएचओ शिवपुरी के भण्डार में पड़े हुए थे। इस प्रकार, दवाओं और श्रवण यंत्र का लाभ अभिष्ट पी.व्ही.टी.जी. हितग्राहियों को प्राप्त नहीं हो सका।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि शिविरों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जा रहा था और विवरण स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त किया जाएगा। शिविरों के आयोजन के लिये पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के पास पड़ी शेष धनराशि कार्यान्वयन एजेंसियो को जारी कर दी जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पी.टी.जी. विकास अभिकरण, पी.व्ही.टी.जी. के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण के लिए जिम्मेदार है।

2-8-11 fu"d"k ,oa vuq'kalk,a

- सी.सी.डी. योजना चिन्हांकित क्षेत्रों में रह रहे पी.व्ही.टी.जी. के लिए लागू की जा रही थी। तथापि 4.49 लाख पी.व्ही.टी.जी. चिन्हांकित क्षेत्रों के बाहर रह रहे थे। ये पी.व्ही.टी.जी. सी.सी.डी. योजना (2012–17) में शामिल नहीं थे जबकि सरकार को पिछली योजना में उनके शामिल न किए जाने के बारे में जानकारी मार्च 2010 से थी।

मध्यप्रदेश शासन सुनिश्चित करे कि सभी चिन्हांकित पी.व्ही.टी.जी. को सी.सी.डी. योजना में शामिल हैं।

- पंचवर्षीय सीसीडी योजना (2012–17) सामाजिक आर्थिक बेसलाईन सर्वेक्षण किए बिना तैयार की गई जबकि भारत सरकार के निर्देश के तहत सी.सी.डी. योजना उक्त उपरांत तैयार की जानी है।

पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिए सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं का आकलन पंचवर्षीय सी.सी.डी. योजना तैयार करने के लिए किया जाए।

- सी.सी.डी. योजना और एस.सी.ए. की महत्वपूर्ण राशि ₹ 88.81 करोड़ पी.टी.जी. विकास अभिकरणों के बैंक खातों में निष्क्रिय पड़ी थी। पी.टी.जी. विकास अभिकरणों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में संचालनालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किये जा रहे थे।

जिस उद्देश्य के लिए राशि स्वीकृत की गई थी उसी पर उपयोग किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र संहिता प्रावधान के अंतर्गत आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किए जाएं।

- सी.सी.डी. योजना के तहत 2010–15 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 28 प्रतिशत की कमी थी। एस.सी.ए. योजना अंतर्गत 2010–15 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 20 प्रतिशत की कमी थी।

सी.सी.डी. योजना और एस.सी.ए. अंतर्गत परिकल्पित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

- संचालनालय और पी.टी.जी. विकास अभिकरण स्तर पर मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं था।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समुचित मूल्यांकन और पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए।

- आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए, सी.सी.डी. योजना में ग्रामों में चिकित्सा जाँच शिविरों एवं गंभीर बीमारियों के उपचार का प्रावधान है। तथापि चिकित्सा जाँच शिविरों के लक्ष्य का 52 प्रतिशत प्राप्त किया गया और गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 14 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया।

विभाग सी.सी.डी. प्लान अंतर्गत परिकल्पित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करे।

t y foHkkx

2-9 t y çc/ku ç.kkyh ,o eykdkr çc/ku ç.kkyh dh lpuk ik|kfxdh fu"iknu y[kkijh{kk

dk;likyu lkjk'k

जेल प्रबंधन प्रणाली (पी.एम.एस.) और मुलाकात प्रबंधन प्रणाली (व्ही.एम.एस.) बंदियों और मुलाकातियों के समाधान के प्रबंधन के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क आधारित प्रणाली है। पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. सॉफ्टवेयर विंडोज 2007 आपरेटिंग प्रणाली में फ्रंटएंड के रूप में एएसपी नेट और बैकएंड के रूप में एसक्यूएल सर्वर 2008 के साथ एन.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया था। पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. परियोजना का उद्देश्य डाटा का प्राथमिक स्रोत अर्थात जेल की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना और बंदियों और मुलाकातियों की जानकारी का प्रबंधन एवं रिकार्ड करना था। पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. की सूचना प्रौद्योगिकी की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न कमियां परिलक्षित हुईः

- प्रणाली विकसित करने से पूर्व सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर की व्यवहार्यता का अध्ययन एवं समानांतर जाँच भी नहीं की गई थी जिसके कारण सॉफ्टवेयर में आंतरिक सामंजस्य एवं विश्वसनीयता की कमी आई।

¼dfMdk 2-9-8-1 ,o 2-9-8-2½

- हार्डवेयर की लोकेशन प्लान के अनुसार स्थापना न किए जाने एवं अपूर्ण डाटा प्रविष्टि के कारण पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. के उददेश्य, बंदियों और मुलाकातियों का केन्द्रीयकृत डाटाबेस तैयार करना प्राप्त नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त हार्डवेयर की कम आपूर्ति के कारण हार्डवेयर निष्क्रिय रहे और परियोजना अपनी निर्धारित तिथि मार्च 2010 से 32 माह विलंब से पूर्ण हुई।

¼dfMdk 2-9-9½

- पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. सॉफ्टवेयर के डिजाइन में कमियाँ थी परिणामस्वरूप अपूर्ण डाटा प्रविष्टि हुई थी। हमने देखा कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में 2.47 लाख बंदियों की आमद हुई थी जिसके विरूद्ध 1.12 लाख बंदियों की प्रविष्टि डाटाबेस में की गई थी। मुलाकातियों का कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था। बंदियों के आमद की दोहरी प्रविष्टि रोकने में सिस्टम विफल रहा।

¼dfMdk 2-9-10-1 ,o 2-9-11-5½

- विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा तंत्र, भौतिक नियंत्रण एवं पासवर्ड नीति अपर्याप्त थी। डाटा प्रविष्टि बंदियों एवं जेल प्रहरियों द्वारा की गई थी।

¼dfMdk 2-9-11] 2-9-11-1 ,o 2-9-11-2½

- सी.सी.टी.व्ही प्रणाली ₹ 10.27 करोड़ की लागत से 14 जेलों में संस्थापित की गई थी। तथापि पाँच जिलों की नमूना जाँच में हमने पाया कि कैमरों की डिस्प्ले साइट में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे।

¼dfMdk 2-9-12 ,o 2-9-12-1½

- वर्ष 2013–14 से 2014–15 की अवधि के दौरान 23 जेलों में जेल एवं जिला अदालत के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। तथापि वे स्थापित नहीं किये गये थे।

¼dfMdk 2-9-13½

2-9-1 iLrkouk

मध्य प्रदेश में जेलों की स्थापना जेल अधिनियम, 1894 और कैदी अधिनियम, 1900 के अंतर्गत की गई थी एवं इनके अंतर्गत बनाए गए म.प्र. जेल नियम, 1968 के अंतर्गत संचालन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा लागू आदर्श जेल नियमावली को (दिसम्बर 2003) म.प्र. राज्य द्वारा फरवरी 2008 में आंशिक रूप से मान्य किया गया। तत्पश्चात राज्य की जेल नियमावली में लगभग 200 संशोधन समय–समय पर राजपत्र अधिसूचना जारी कर किए गए हैं।

जेलों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अपराधी व्यक्तियों को कैद में रखना है। कानून के उल्लघंनकर्ताओं की हिरासत एवं समुचित देखभाल के अलावा जेल एवं सुधारात्मक सेवा विभाग का यह भी कर्तव्य है कि बंदियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करे और बंदियों में सुधार के उद्देश्य से शैक्षणिक, नैतिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण सामाजिक सुधार के रूप में प्रदाय करे साथ ही उचित चिकित्सा सेवा प्रदाय करे जिससे वे रिहाई के पश्चात परिवार और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें।

2-9-2 vuç;kx dk lc/k eè ¼ih-,e-,l- ,oa Ogh-,e-,l-½

जेल प्रबंधन प्रणाली (पी.एम.एस.) और मुलाकात प्रबंधन प्रणाली (व्ही.एम.एस.) बंदियों और मुलाकातियों के समाधान के प्रबंधन के लिए एक लोकल एरिया नेटवक्र आधारित प्रणाली है। पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. सरकार से सरकार एवं सरकार से ग्राहक हेतु एक एप्लिकेशन है जिसमें जेल रूल बुक के हस्तचलित कार्य प्रणाली अर्थात बंदियों के पंजीकरण, जेल के अंदर एवं बाहर गतिविधि एवं रिहाई को संक्षिप्त करना है।

यह प्रशासनिक, निष्पादन एवं सांख्यिकीय संबंधी 65 से अधिक रिपोर्ट तैयार करने में सहायक है। यह जेल प्राधिकारियों को फिंगरप्रिंट आधारित पहचान उपकरण के उपयोग से बंदियों की पहचान/सत्यापन में भी सहायता प्रदान करता है ।

पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. सॉफ्टवेयर, विंडोज 2007 आपरेटिंग प्रणाली में फ्रंटएंड के रूप में एएसपी नेट और बैकएंड के रूप में एसक्यूएल सर्वर 2008 के साथ एन.आई.सी., नई दिल्ली द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। यह नवीनतम जीयूआई सुविधाओं सहित, क्लाईंट–सर्वर आक्रिटेक्चर पर आधारित था ।

b&tsy ,flyd'ku

यह पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. सॉफ्टवेयर से उन्नत एक वेब आधारित एप्लिकेशन है जिसे एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया जाकर 10.02.2015 से लागू किया गया। मात्र पी.एम.एस. प्रचलन में था और व्ही.एम.एस. का प्रचलन प्रारम्भ नहीं हुआ था (जून 2015)।

पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. का उद्देश्य बंदियों के अभिलेखों का सुगमता से रख–रखाव, बंदियों के डाटा की तुरंत प्राप्ति, बंदियों का सुगम वर्गीकरण, बंदियों से मिलने आने वाले मुलाकातियों के अभिलेखों का सुगमता से प्रबंधन एवं अभिलेखों को भौतिक क्षति से बचाना था ।

पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. के आक्रिटेक्चर को निम्न आरेख में दिखाया गया हैः

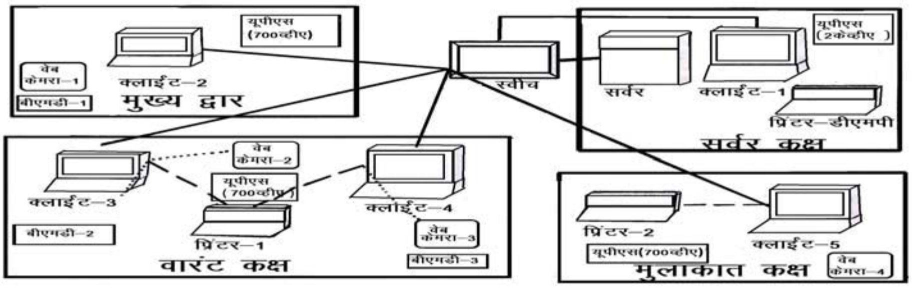

- क्लाईंट 1 सर्वर कक्ष में स्थापित किया जाना था एवं डाटा बैकअप के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाना था।
- क्लाईंट 2 मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाना था जिसमें सभी आने–जाने वाले बंदियों और व्यक्तियों तथा उनके अधिकार में पाई गई वस्तुओं जैसे भण्डार, उपकरण इत्यादि की प्रविष्टि की जानी थी।
- क्लाईंट 3 और 4 वारंट कक्ष में स्थापित किये जाने थे एवं बंदियों की समस्त जानकारी जैसे स्वास्थ्य स्थिति, दण्ड की अवधि, बंदियों की निजी सम्पत्ति, माफी, पैरोल इत्यादि की प्रविष्टि की जानी थी।
- क्लाईंट 5 मुलाकातियों की जानकारी के उपयोग किये जाने हेतु मुलाकात कक्ष में स्थापित किया जाना था।

2-9-3 foHkkx dh lxBukRed lajpuk

प्रमुख सचिव शासन स्तर पर जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं (जे.सी.एस.) विभाग के प्रशासनिक मुखिया होते हैं। महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं (डी.जी.पी.) विभाग के प्रमुख हैं जिनकी सहायता अतिरिक्त महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं (ए.डी.जी.पी.) एवं अतिरिक्त महानिरीक्षक जेल (ए.आई.जी.पी.) द्वारा की जाती है।

ग्यारह केन्द्रीय जेल (08 संभाग स्तर पर और 03 जिला स्तर पर) 33 जिला जेल जिला स्तर पर और 78 उपजेल जिला एवं तहसील स्तर पर विद्यमान हैं। केन्द्रीय जेल एवं जिला जेल का जेल अधीक्षकों द्वारा प्रबंधन किया जाता है। जबकि उप जेल का प्रबंधन उप अधीक्षक/उप जेलर द्वारा किया जाता है। विभाग के अधीन एक खुली जेल होशंगाबाद, एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल एवं एक प्रशिक्षण केन्द्र सागर में संचालित है।

लेखापरीक्षा अवधि 2010–2015 के दौरान पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. मात्र ग्यारह केन्द्रीय जेलों में क्रियान्वित किया गया था तथा 16 जेलों[1] और 23 जेलों[2] में क्रमशः सी.सी.टी.व्ही. और वीडियो कान्फ्रेसिंग की नवीन संस्थापना/बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

---

[1] बड़वानी, भोपाल, जिला भोपाल, दतिया, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, खण्डवा, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल और उज्जैन

[2] बालाघाट, भिण्ड, दमोह, देवास, धार, गुना, कटनी, खरगौन, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सिहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ और विदिशा

2-9-4 y[kkijh{kk d mnn';

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

- परियोजना का क्रियान्वयन समय सारणी से किया गया था और सॉफ्टवेयर, सीसीटीव्ही, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के संचालन के लिए व्यक्तियों को विभिन्न स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था;
- डाटा की गोपनीयता, सम्पूर्णता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण उपलब्ध थे। पूर्णतः स्पष्ट एवं व्यापार निरंतरता योजना निर्धारित एवं क्रियान्वित की गई थी; तथा
- परियोजनाओं ने चाही गई जानकारी एवं विभिन्न रिपोर्टो को स्वचालित प्रक्रिया से प्राप्त करने के अपने प्रारम्भिक उद्देश्य को प्राप्त किया।

2-9-5 y[kkijh{kk ekun.M

- जेल अधिनियम 1894, कैदी अधिनियम 1900, मध्यप्रदेश कैदी नियम 1968 और उसके अंतर्गत बनाई गई जेल नियमावली तथा आदर्श जेल नियमावली;
- जेलों के प्रबंधन के लिए समय–समय पर जारी सरकारी अधिसूचना और निर्देश एवं विभागीय नियम एवं विनियम;
- मध्यप्रदेश कोषालय संहिता एवं मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता तथा मध्यप्रदेश बजट नियम पुस्तिका; तथा
- सूचना प्रौद्योगिकी की सर्वश्रेष्ठ परिपाटियां।

2-9-6 y[kkijh{kk dk dk;{k= ,o dk;fof/k

मध्य प्रदेश के ग्यारह जेलों में पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. का क्रियान्वयन एवं लैन की स्थापना कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से चार माह के अन्दर अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाकर क्रियाशील होना था। अतः सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी की अधोसंरचना के निर्माण से लेकर प्रणाली के प्रारम्भ होने तक की विभिन्न गतिविधियों की जाँच शामिल थी।

प्रवेश सम्मेलन दिनांक 17.03.2015 को प्रमुख सचिव और महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवा के साथ आयोजित किया गया था। प्रवेश सम्मेलन के समय सी.सी.टी.व्ही. एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग को महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के अनुरोध पर लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया था। इन ग्यारह जिलों में सी.सी.टी.व्ही. एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग की संस्थापना की नमूना जाँच की गई थी।

लेखापरीक्षा वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि के लिए की गई थी। इस लेखापरीक्षा में कार्यालय महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं भोपाल एवं सभी पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. संचालित 11 केन्द्रीय जेल शामिल थे। निर्गम सम्मेलन 23 अक्टूबर 2015 को अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ आयोजित किया गया, विभाग के विचारों को प्रतिवेदन में यथास्थान उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

y[kkijh{kk fu"d"kZ

2-9-7 foRrh; çc/ku

2-9-7-1 vfxze Hkqxrku dh olwyh@lek;kstu u gksuk ,oa vfre 0;; n'kkuk

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 53 के अनुसार अस्थाई अग्रिम का शीघ्रातिशीघ्र समायोजन करना चाहिए एवं किसी भी स्थिति में तीन माह से अधिक का विलंब नहीं होना चाहिए एवं नियम 53 (viii) की टिप्पणी iv के अनुसार कोई ऐसा भुगतान जो अंतिम स्वरूप का नहीं है, को लाल स्याही से संवितरण अधिकारी की रोकड़ बही में भुगतान की तरफ वाले विवरण–कॉलम के राशि कॉलम में प्रविष्टि किए बिना नोट करना चाहिए। इस प्रकार दिया गया अग्रिम, तब तक संवितरण अधिकारी के रोकड़ शेष का एक भाग होगा जब तक कि संबंधित भुगतान के देयक/प्रमाणक प्राप्त किया जाकर भुगतान हेतु पारित किया जाये।

कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से चार माह के अन्दर ग्यारह केन्द्रीय/सक्रिल जेलों में पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. परियोजना पूर्ण करने हेतु एन.आई.सी. को कार्य आदेश (अक्टूबर 2009) जारी किया गया था। इस कार्य आदेश के विरूद्ध राशि ₹ 81.00 लाख अवधि माह अक्टूबर 2008 से माह मार्च 2009 के दौरान एन.आई.सी. को अग्रिम भुगतान की गई थी। तथापि, एन.आई.सी. से देयक, प्रमाणक या कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अग्रिम भुगतान राशि ₹ 81.00 लाख को अंतिम भुगतान मान लिया गया था। इसके अतिरिक्त एन.आई.सी. द्वारा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं जिसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

यह इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्य को स्वीकार कर लिया गया (अप्रैल 2015) और बताया कि एन.आई.सी. से वास्तविक व्यय के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।

इसी प्रकार यह भी पाया गया कि वर्ष 2013–2015 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल को वीडियो कान्फ्रेंसिंग संस्थापित करने के लिए अग्रिम भुगतान की गई राशि ₹ 58.00 लाख को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डवलपमेंट कॉरपोरेशन से देयक, प्रमाणक या पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अंतिम भुगतान मान लिया गया था।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि की गई और बताया कि अंतिम देयक प्राप्त होने पर समायोजन किया जाएगा।

2-9-8 ;kstuk

2-9-8-1 lkW¶Vos;j fMtkbu nLrkost rS;kj u fd;k tkuk

दस्तावेजीकरण सॉफ्टवेयर विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। दस्तावेजीकरण के प्रकारों में उपयोगकर्ता की आवश्यकता विशिष्टता, प्रणाली आवश्यकता विशिष्टता एवं प्रणाली डिजाइन दस्तावेज शामिल होते हैं ।

ç.kkyh fodkl djus ls iwoZ lkW¶Vos;j fMtkbu rS;kj ugha fd;k x;k Fkk

हमने देखा कि प्रणाली विकसित करने से पूर्व सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज तैयार नहीं किए गए थे। सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज के अभाव में अभिनिश्चित किया जाना संभव नहीं था कि सॉफ्टवेयर विस्तृत विचार उपरांत और बिजनेस नियमों के अनुसार विकसित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे बुनियादी दस्तावेज के न होने से प्रणाली आक्रेटेक्चर में भविष्य में बदलाव या उन्नयन में कठिनाई होगी। न तो विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदन और न ही अंतराल विश्लेषण प्रतिवेदन तैयार किया गया था और न ही एन.आई.सी. से कोई एम.ओ.यू सम्पादित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सॉफ्टवेयर तैयार करने में आंतरिक सामंजस्य एवं विश्वसनीयता की कमी थी जिसे कंडिका क्रमांक 2.9.11.5 की अभ्युक्ति द्वारा दर्शित किया गया है।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस) द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया एवं बताया कि सॉफ्टवेयर का उन्नयन किया जाएगा।

2-9-8-2 lkW¶Vos;j dh 0;ogk;Zrk dk v/;;u ,oa lekukUrj tkap ugha fd;k tkuk

0;ogk;Zrk dk v/;;u ugha fd;k x;k

प्रणाली उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार है यह अभिनिश्चित करने के लिए प्रणाली का व्यवहार्यता अध्ययन एवं समानान्तर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की जाँच प्रणाली के प्रचालन के पूर्व अवश्य की जानी चाहिए। विस्तृत परीक्षण से संबंधित दस्तावेज भी प्रणाली की उपलब्धता और उपयोगिता को समझने के लिए तैयार होना चाहिए।

हमने पाया कि प्रणाली के परीक्षण से संबंधित कोई दस्तावेज तैयार नहीं किए गए थे। अतः प्रणाली किस सीमा तक उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप थी यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था। आगे, यह भी पाया गया कि विभाग में यूजर मैन्यूअल उपलब्ध नहीं थे। बंदियों और मुलाकातियों से संबंधित सभी रिपोर्ट हस्तलिखित तैयार की जा रही थीं। इस प्रकार विभाग प्रणाली का उपयोग नहीं कर सका जिसके लिये वह स्थापित/क्रियान्वित की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया एवं बताया कि सॉफ्टवेयर अद्यतन किया जावेगा।

2-9-8-3 orZeku Lrj rd MkVk çfof"V dk çko/kku u gksuk

ग्यारह जेलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि बंदियों एवं मुलाकातियों के डाटा प्रविष्टियों को वर्तमान स्तर तक लाने एवं पी.एम.एस. और व्ही.एम.एस. के प्रारम्भ करने की सुविधा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। मास्टर निर्देशिका एवं केन्द्रीकृत डाटाबेस इस स्तर तक पूर्ण नहीं थे। परियोजना के वर्ष 2009–10 में प्रारम्भ होने के बावजूद मास्टर निदेर्शिका में डाटा अपूर्ण था।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे।

2-9-9 ifj;kstuk fØ;kUo;u

- ### *ih-,e-,l- vkSj Ogh-,e-,l- ifj;kstuk dk fØ;kUo;u dh fLFkfr*

बंदियों एवं मुलाकातियों की जानकारी के प्रबंधन एवं अभिलेखन के लिए केन्द्रीकृत दृष्टिकोण, विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक, निष्पादन और सांख्यिकीय प्रकृति की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. परियोजना जेलों में लागू की गई थी। यह बंदियों के प्रारम्भिक विवरण, बंदियों के परिवार विवरण, बंदियों के बायोमैट्रिक एवं फोटोग्राफ, बंदियों के चिकित्सा विवरण, बंदियों की केस हिस्ट्री, बंदियों के सजा विवरण, बंदियों की गतिविधियों और मुलाकातियों की समस्त सुसंगत जानकारी रिकार्ड करता है और मुलाकातियों को जारी उच्च गुणवत्ता के पिक्चर पास जारी करता है।

dk;Z dk nkgjhdj.k

कार्य आदेश जारी करने के चार माह के अन्दर ग्यारह केन्द्रीय जेलों में पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण होकर क्रियाशील हो जाना था। माह अक्टूबर 2009 में एन.आई.सी. को कार्य आदेश जारी किए गए थे। हमने पाया कि दतिया केन्द्रीय जेल में प्रदाय किये गये हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आज दिनांक (अक्टूबर 2015) तक संस्थापित नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त अन्य दस जेलों में हार्डवेयर

प्रस्तावित स्थान योजना के अनुसार संस्थापित नहीं किए गए थे। इससे बंदियों और मुलाकातियों के केन्द्रीकृत डाटाबेस के सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

हमने पाया कि पी.एम.एस. सॉफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि निरंतर नहीं की जा रही थी एवं अपूर्ण फॉर्म में की गई थी। आगे यह भी पाया गया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यालयीन उपयोग हेतु कोई रिपोर्ट नहीं निकाली जा रही थीं। जेलों में पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. के लागू होने के बाद भी बंदियों का इतिहास, चिकित्सा इतिहास, परिवार विवरण, बंदियों के सजा विवरण, बंदियों की गतिविधियां अभी भी हाथ से भरी जा रही थी जिसके कारण हस्तलिखित अभिलेख/पंजियों के संधारण में कोई कमी नहीं आई। मुलाकात की मैन्युअल बुकिंग की व्यवस्था अभी भी अस्तित्व में हैं। इस प्रकार डाटा/अभिलेख मैन्युअली एवं सॉफ्टवेयर दोनों माध्यम से संधारित किए जा रहे थे, परिणामस्वरूप प्रयासों का दोहराव था।

इस प्रकार पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. प्रारम्भ करने का उद्देश्य, बंदियों एवं मुलाकातियों की जानकारी का केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार करना प्राप्त नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि एन.आई.सी. के नए सॉफ्टवेयर में ये समस्याएं दूर कर ली जाएगी। आगे यह भी बताया कि सभी जेल अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

gkMlo;j dh lLFkkiuk vkj ifj;kstuk dh i.krk e foyc

- इस परियोजना के अंतर्गत पाँच कम्प्यूटर, तीन प्रिटंर, एक सर्वर, चार यू.पी. एस, चार वेब कैमरा, तीन बायोमैट्रिक डिवाईस एवं एक स्विच प्रत्येक ग्यारह जेलों में प्रदाय किये जाने थे। पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. परियोजना के लिए हार्डवेयर के प्रदाय, परीक्षण एवं संस्थापना हेतु एन.आई.सी. द्वारा एच.सी.एल. इन्फो सिस्टम लिमिटेड पॉण्डिचेरी एवं ट्राईटोनिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड सोलन को क्रय आदेश जारी किए गए थे। ग्यारह जेलों में हार्डवेयर माह फरवरी 2010 से दिसम्बर 2012 तक प्राप्त किए गए थे एवं इनकी संस्थापना मार्च 2011 से दिसम्बर 2012 तक की गई थी और सॉफ्टवेयर दिसम्बर 2012 में संस्थापित किया गया था। जिससे प्रदाय किये गये सभी हार्डवेयर 33 माह तक निष्क्रिय पड़े रहे एवं पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. परियोजना की पूर्णता में निर्धारित तिथि मार्च 2010 से 32 माह का विलम्ब हुआ।

nfr;k tiy e jkf'k ₹ 3-05 yk[k d vfØ;k'khy gkMlo;j

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि कार्य एन.आई.सी. द्वारा किया गया था। तथापि अब कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

तथापि तथ्य यह है कि विभाग द्वारा कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

- जिला जेल दतिया में प्रदाय किये गये हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर राशि ₹ 3.53 लाख आज दिनांक (अप्रैल 2015) तक संस्थापित नहीं किए गए थे जिसके कारण राशि ₹ 3.05 लाख के हार्डवेयर अक्रियाशील हो गए थे (ifjf'k"V&2-67)। अतः दतिया जिले में परियोजना किसी भी रूप में प्रारम्भ नहीं हो सकी।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि निष्क्रिय हार्डवेयर अपलेखित किये जाएंगे।

ykd'ku ;kstuk d vuqlkj gkMZos;j dh lLFkkiuk u gksuk

नमूना जाँच किए गए ग्यारह जिलों में से दस[3] जिलों में पाया गया कि कंडिका 2.9.2 में उल्लेखित प्रस्तावित योजना अनुसार हार्डवेयर की संस्थापना नहीं की गई थी। मुख्य द्वार एवं मुलाकात कक्ष में कोई हार्डवेयर संस्थापित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि औसतन दो कम्प्यूटर, दो बायोमैट्रिक डिवाईस, दो वेब कैमरे एवं एक प्रिंटर की संस्थापना प्रस्तावित स्थान योजना अनुसार की गई थी और पी.एम.एस. एवं व्ही.एम. एस. के लिए उपयोग किये गए थे। इस प्रकार, शेष हार्डवेयर पिछले दो से तीन वर्षों से निष्क्रिय/अल्प प्रयुक्त पड़े थे जिसका विवरण ifjf'k"V&2-68 में दिया गया है। यह भी पाया गया कि ifjf'k"V&2-69 में दर्शित विवरण अनुसार हार्डवेयर के 38 नग एन.आई.सी. द्वारा प्रदाय नहीं किए गए थे। इस प्रकार कम आपूर्ति एवं हार्डवेयर की संस्थापना नहीं किए जाने से कार्य का भार जेल के सभी चार स्थानों पर वितरित नहीं किया जा सका फलस्वरूप डाटाबेस अपूर्ण रहा।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि कार्य एन.आई.सी. द्वारा किया गया था और अंतिम समायोजन एन.आई.सी. के समन्वय से किया जाएगा।

lfdZy tsy nfr;k esa vuqi;ksxh iM+s gkMZos;j fnukad 23-03-2015

dsUnzh; tsy bUnkSj esa fuf"Ø; iM+s gkMZos;j fnukad 25-04-2015

- ifjf'k"V&2-70 के अनुसार प्रदाय किए गए हार्डवेयर एक से लेकर पाँच वर्षों की अवधि की वारंटी में थे। ग्यारह जिलों[4] की नमूना जाँच में पाया गया कि वारंटी अवधि समाप्त होने के बावजूद भी वार्षिक संधारण संविदा निष्पादित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर और अन्य पेरिफिरल्स या तो यू.पी.एस. के बिना या बिजली बैकअप के बिना चल रहे थे। यह भी पाया गया था कि जो कम्प्यूटर एवं अन्य पेरिफरल जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता थी मरम्मत के अभाव में निष्क्रिय पड़े रहे। चार जिलों में लैन (LAN) आधारित सर्वर अक्रियाशील थे।

[3] भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी और उज्जैन

[4] भोपाल, दतिया, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी और उज्जैन

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि वार्षिक संधारण संविदा निष्पादित की जाएगी।

vfØ;k'khy gkMZos;j

- नमूना जाँच किए गए ग्यारह जिलों[5] में पाया गया कि अकार्यशील हार्डवेयर के संबंध में शिकायत के दर्ज करने एवं वेंडर की प्रतिक्रिया से संबंधित कोई अभिलेख कार्यालय में नहीं रखा गया था जिस कारण जुर्माना से संबंधित धारा की कार्यवाही नहीं की जा सकी। तथापि यह भी पाया गया कि ifjf'k"V&2-71 में दर्शित विवरण अनुसार हार्डवेयर जैसे सर्वर, कम्प्यूटर, यू.पी.एस, दो से चार वर्षो से अकार्यशील थे। इस कारण प्रणाली में नियमित अंतराल पर रूकावट हुई। इससे दर्शित होता है कि विक्रेताओं द्वारा वांरटी अवधि में खराब गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान की गई जिससे प्रणाली के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया की अभिलेखों के रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

vuq'kalk

हार्डवेयर की संस्थापना आवश्यकता अनुसार की जानी चाहिए। वांरटी अवधि की समाप्ति के पूर्व हार्डवेयर की वार्षिक संधारण संविदा निष्पादित की जानी चाहिए।

2-9-10 vuqç;ksx fu;=.k

2-9-10-1 dÙnhd`r MkVkcsl iw.kZ u fd;k tkuk

dÙnhd`r MkVkcsl vi.kZ jguk

ifjf'k"V&2-72 के अनुसार नमूना जाँच किए गए ग्यारह जिलों के हस्त (मैन्युअल) अभिलेख में पाया गया कि मैन्युअल अभिलेखों के अनुसार अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान 2,46,964 बंदियों की जेलों में आमद हुई थी उनमें से 1,12,463 बंदियों की प्रविष्टि सिस्टम में दर्ज की गई थी। इसी प्रकार यह भी पाया गया कि प्रत्येक दिन लगभग 100–150 मुलाकाती अपने संबंधियों से मिलने आते हैं किन्तु सिस्टम में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि एन.आई.सी. के केन्द्रीकृत सर्वर में डाटा संग्रहीत किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पाँच वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी मात्र 50 प्रतिशत बंदियों का डाटाबेस पूर्ण था एवं मुलाकातियों का कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था।

- **lkW¶Vos;j esa lHkh cfUn;ksa dk QksVksxzkQ] vaxqyh fpUg ,oa LokLF; tkap dk viyksM u fd;k tkuk**

सॉफ्टवेयर में कैदियों के जेलों में प्रवेश के समय उनके फोटो, अंगुली चिन्ह और स्वास्थ्य जाँच को अपलोड करने का प्रावधान किया गया था। ग्यारह जिलों में से नमूना जाँच किए गए छह जिलों[6] के डाटा विश्लेषण में पाया गया कि 59,049 बंदियों के डाटा सॉफ्टवेयर में भरे गए थे परंतु मात्र 42,001 बंदियों के फोटो, 34,176 बंदियों के अंगुली चिन्ह एवं 6,820 बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण डाटाबेस में लिए गए थे विवरण ifjf'k"V&2-73 vkSj 2-74 में दिया गया है।

[5] भोपाल, दतिया, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी और उज्जैन
[6] भोपाल, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सिवनी और उज्जैन

- **lHkh cfn;k dh ijky çfof"V;k flLVe e ugh dh xb**

MkVkc l e vi.k ifof"V;k

सॉफ्टवेयर में बंदियों की पैरोल हिस्ट्री का डाटाबेस भरने का प्रावधान था। ग्यारह जिलों में से नमूना जाँच किए गए छह जिलों[7] के डाटा विश्लेषण में पाया गया कि 13,934 बंदियों को पैरोल दिया गया था किन्तु डाटाबेस में मात्र 686 पैरोल प्रविष्टियां की गई थीं विवरण **ifjf'k"V&2-75** में दिया गया है।

- **lk¶Vo;j e lHkh cfn;k dh lquokb çfof"V;k ugh dh xb**

सॉफ्टवेयर में बंदियों की कोर्ट में सुनवाई हिस्ट्री की प्रविष्टि करने का प्रावधान था। ग्यारह जिलों में से नमूना जाँच किए गए छह जिलों[8] के डाटा विश्लेषण में पाया गया कि 2010–11 से 2014–15 के दौरान 3,20,065 बंदियों को कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया था किन्तु मात्र 7,591 बंदियों की कोर्ट सुनवाई की प्रविष्टियां डाटाबेस में की गई थी (**ifjf'k"V&2-76½**।

- **lk¶Vo;j e lHkh dfn;k dh ,Q-vkb-vkj Øekd vkj fnukd] /kkjk@vf/kfu;e vkj ifyl LV'ku dh ifof"V ugh dh xb**

ग्यारह जिलों में से नमूना जाँच किए गए दस जिलों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी में पाया गया कि कुल 7,534 बंदियों की प्रविष्टियां डाटाबेस में की गई थीं परंतु मात्र 2,433 बंदियों के एफ.आई.आर क्रमांक और दिनांक, धारा/अधिनियम जिसके अंतर्गत बंदी दोषसिद्ध हुए थे और उनसे संबंधित पुलिस स्टेशन डाटाबेस में प्रविष्ट किए गए थे इस प्रकार 5101 बंदियों का डाटाबेस पूर्ण नहीं था जैसा कि विवरण **ifjf'k"V&2-77** में दिया गया है।

- **ekLVj MkVk e xyr çfof"V**

यह पाया गया कि अम्बिकापुर, बैकुन्ठपुर, बम्डोरी, भिलाई और बाधगाना जिले जो छत्तीसगढ़ राज्य में आते हैं उन्हें मास्टर डाटा में मध्य प्रदेश में दर्शाया गया था।

यह देखा गया कि प्रत्येक ग्यारह जेलों के लिए विशिष्ट कोड आवंटित किया गया है परंतु सॉफ्टवेयर में मात्र नौ जेलों को रिहाई से संबंधित रिपोर्ट निकालने के लिए विकल्प की सुविधा दी गई थी। अतः दो जेलों सिवनी एवं नरसिंहपुर में रिहाई से संबंधित रिपोर्ट का प्रावधान नहीं था ।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि कुछ समस्याओं के कारण प्रविष्टियां नहीं की गई थी अब सभी प्रविष्टियां की जाएगीं।

- **cfn;k d ioi'k dh nkgjh ifof"V;k dk jkdu e flLVe dh vlQyrk**

MkVkc l e nkgjh ifof"V

यह पाया गया कि बंदियों के नामों के विवरण में सिस्टम दोहरी प्रविष्टियां स्वीकार कर रहा था। बंदी की आमद के समय प्रकरण में बंदी के सम्पूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उम्र और पता दर्ज करते समय सिस्टम एक ही बंदी की एकसमान प्रविष्टि को दो बार स्वीकार कर उसी बंदी के पृथक पीआईडी और जेआईडी क्रमांक प्रदान कर देता है। यह डाटाबेस में दोहरीकरण को रोकने में सिस्टम की असफलता को प्रकट करता है।

---

7 भोपाल, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सिवनी और उज्जैन ।

8 भोपाल, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सिवनी और उज्जैन ।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने सॉफ्टवेयर की कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया।

2-9-11 lkekU; fu;=.k

2-9-11-1 lwpuk çkS|ksfxdh lqj{kk

vkbZ-Vh lqj{kk uhfr dk LFkkfir u gksuk

- डाटा सभी समय संरक्षित एवं सुरक्षित होना चाहिए, डाटा (मास्टर डाटा सहित) में सभी परिवर्तन/आशोधन प्रलेखित और उपयुक्त रूप से प्राधिकृत किए जाने चाहिए। एक अच्छी प्रणाली में, एक विशिष्ट प्रविष्टि (प्रारम्भिक या संशोधित) को उस व्यक्ति जिसने वह प्रविष्टि की थी से जोड़ना संभव होना चाहिए इसके लिये आवश्यक है कि उचित लॉग रखा जावे एवं इस लॉग की समीक्षा की प्रणाली अस्तित्व में हो। यह पाया गया कि विभाग द्वारा इस संबंध में कोई संरचना एवं नीति नहीं बनाई गई थी। पूर्ण आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी।

- सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये कोई भौतिक नियंत्रण जैसे अग्नि सुरक्षा, वातानुकुलन इत्यादि क्रियान्वित नहीं किए गए थे इसके अतिरिक्त न तो अनाधिकृत व्यक्तियों के कम्प्यूटर साईट में प्रवेश प्रतिबंधित करने के लिए कोई प्रतिबंध लगाए गए थे और न ही कम्प्यूटर साइट कम्प्यूटर ऑपरेटरों, रखरखाव कर्मचारियों, सफाई और अन्य अनुभागों के कर्मचारियों हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित किए गए थे। प्रविष्टियां, कोई भी उपलब्ध बंदियों या जेल प्रहरी कर्मचारियों द्वारा की जा रहीं थी।

- सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा कार्यप्रणाली के अनुसार नियमित अंतराल पर पासवर्ड को बदलने की पासवर्ड नीति होनी चाहिए। यह पाया गया कि विभाग के पास ऐसी कोई नीति जिसमें न्यूनतम अवधि की समाप्ति, पासवर्ड को नियमित बदलना एवं पूर्व पासवर्डों को फिर से उपयोग पर रोक लगाने हेतु अस्तित्व में नहीं थी। यद्यपि एन.आई.सी. द्वारा विभाग को पासवर्ड जारी किया गया था, परंतु प्रत्येक व्यक्ति एक ही यूजर नाम और पासवर्ड के साथ लॉगिंग कर डाटा एक्सेस कर सकता था। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर में नियमित अंतराल पर पासवर्ड बदलने के लिये कोई प्रणाली नहीं बनाई थी।

- यह देखा गया कि विभाग के पास कोई भी लिखित औपचारिक एन्टीवाइरस नीति नहीं थी। इसके अतिरिक्त सिस्टम में कोई भी एंटीवाईरस सॉफ्टवेयर संस्थापित नहीं किया गया था जिससे डाटा के करप्ट होने का खतरा था।

vuq'kalk

निर्गम सम्मेलन में, ए.सी.एस. ने बताया कि सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे और इस संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

2-9-11-2 vi;kZIr i;Zos{k.kh; fu;=.k

दस जिलों[9] की नमूना जाँच में हमने पाया कि नए आमद हुए बंदियों के संबंध में पी.एम.एस. सॉफ्टवेयर में की गई प्राथमिक प्रविष्टियों का सत्यापन संबंधित जेल के अधीक्षक अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था।

[9] भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी और उज्जैन

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।

vu'kla k

इनपुट नियंत्रण और पर्यवेक्षी जाँच द्वारा डाटा के सही होने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2-9-11-3 0;kikj fujarjrk ;kstuk ,oa vkink ifrifrl ;kstuk

cdvi uhfr dh deh

डाटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु यह आवश्यक है कि विभाग के पास जेलों के लिये व्यापार निरंतरता योजना, आपदा प्रतिपूर्ति योजना एवं डाटा बैकअप नीति, जिसमें डाटा बैकअप समय सारणी, बैकअप प्रोसेस, मीडिया का आजीवन एवं डाटा का निरंतर बैकअप लेने एवं डाटा के पुनः प्राप्त करने की जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिये। यह देखा गया था कि विभाग द्वारा इस प्रकार की बैकअप योजना न तो बनाई गई और न ही कोई अन्य प्रावधान जैसे दैनिक बैकअप पंजी आदि का संधारण किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप दो जिलों (ग्वालियर और इन्दौर) के संबंध में 2011–12 से 2013–14 की अवधि में प्रविष्टि किए गए सभी डाटा करप्ट हो गए एवं पुनः प्राप्त नहीं किए जा सके।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि इस संबंध में पंजी संधारित की जाएगी।

2-9-11-4 çf'kf{kr ekuo'kfDr dh vi;kIrrk vkj viHkkoh if'k{k.k

if'kf{kr deipkjh dh deh

प्रत्येक ग्यारह जेलों के अधीक्षकों को पी.एम.एस एवं व्ही.एम.एस परियोजना के लिए एन.आई.सी. से समन्वय करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया था एवं डाटा प्रविष्टि कार्य हेतु तीन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का प्रावधान किया गया था। तथापि यह देखा गया कि विभाग के पास कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। डाटा प्रविष्टि का कार्य उपलब्ध बंदियों या जेल प्रहरियों द्वारा किया जा रहा था और कोई उच्च श्रेणी के अधिकारी शामिल नहीं थे। इसलिए, बंदियों एवं मुलाकातियों की सभी प्रविष्टियां पूर्ण नहीं हो सकी थीं और किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की गई थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 23.02.2011 को एन.आई.सी. अधिकारी द्वारा जेल प्रहरियों के लिए आधे दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था परंतु यह पर्याप्त नहीं था एवं इन प्रशिक्षित जेल प्रहरियों को जेल के अन्य कार्यो को भी सौंपा गया था एवं उन जेलों में भी तैनात किया गया था जहां पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. सिस्टम लागू नहीं था।

निर्गम सम्मेलन में, ए.सी.एस. ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि जेल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा प्रविष्टि की जा रही थी।

vu'kla k

डाटाबेस की उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता थी। प्रत्येक जेल में पर्याप्त डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रदाय किए जाने चाहिए।

2-9-11-5 ih-,e-,l-@0gh-,e-,l- lk¶Vos;j vkj b-fitu ,flyds'ku dk fMtkbu ea dfe;ka

lk¶Vos;j e: deh

ई.प्रिजन पी.एम.एस–व्ही.एम.एस का उन्नत वेब आधारित अनुप्रयोग है जिसे भी एन.आई.सी द्वारा विकसित किया गया था एवं दिनांक 10.02.2015 से लागू/प्रारम्भ किया गया था।

नमूना जाँच किए गए जिलों की लेखा परीक्षा के दौरान सिस्टम डिजाइन में निम्न कमियाँ पाई गई थीं।

I-Ø	Ik¶Vo;j e vko';d ikoèkku	D;k yiu vk/kkfjr ih-,e-,l & Ogh-,e-,l e ikoèkku fd, x, Fk \	D;k oc vk/kkfjr bZ-fiztu ,flydk'ku e ikoèkku fd, x, Fk \
1	बंदी के आमद के समय बंदियों की पहचान के विवरण जैसे बंदियों के सीने, रंग, ऑखें, कान, बाल, नाक, दांत, दॉई भुजा, बॉई भुजा, बॉयां पैर, दॉया पैर और गर्दन इत्यादि के लिये प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया गया था ।	नहीं	नहीं
2	सहायक चिकित्सा अधिकारी के विवरण को दर्ज करने का प्रावधान।	नहीं	नहीं
3	पूर्व की सजा की संख्याओं को दर्ज करने का प्रावधान।	नहीं	नहीं
4	जेल में आने के कारण को दर्ज करने का प्रावधान।	नहीं	हां
5	पुलिस रजिस्टर कालम दर्ज करने का प्रावधान।	नहीं	नहीं
6	बंदी के आमद के समय उसकी स्वास्थ्य स्थिति जैसे–भौतिक तुल्यांक, छोटी माता, टीकाकरण, मजदूरी की श्रेणी और शिक्षा के विवरण दर्ज करने का प्रावधान।	नहीं	नहीं
7	दोषसिद्ध, ट्रायल (सी.टी) बंदियों के सजा की अवधि को दर्ज करने का प्रावधान।	नहीं	नहीं
8	दोषसिद्ध बंदियों के संबंध में वारंट के विवरण जैसे जमानत की अवधि, जेल में रहने की पूर्व अवधि इत्यादि का प्रावधान। नजरबंदियों के प्रकरण में नजरबंद की अवधि तथा अपील का परिणाम दर्ज करने का प्रावधान नहीं।	नहीं	नहीं
9	कारावास की अवधि को दर्ज करने एवं रिहा होने की संभावित तिथि की गणना का प्रावधान और जुर्माना न चुकाने, माफी एवं अन्य लाभों को ध्यान में रखते हुए रिहाई की निश्चित तिथि की गणना का प्रावधान।	नहीं	नहीं
10	जुर्माने के भुगतान की प्रविष्टि करने एवं उसकी गणना तथा रिहाई की निश्चित तिथि दर्ज करने का प्रावधान।	नहीं	नहीं
11	अपील के परिणाम की प्रविष्टि एवं परिणामस्वरूप सजा में परिवर्तन का प्रावधान।	नहीं	नहीं
12	डाटा का हिन्दी फोंट में प्रविष्टि का प्रावधान।	हां	नहीं
13	दोषसिद्ध बंदियों के हिस्ट्री टिकिट रिपोर्ट का प्रावधान।	नहीं	नहीं
14	रिमांड बंदी के संबंध में प्रकरण क्रमांक और संबंधित कोर्ट का नाम एवं रिमांड बंदी सुनवाई की अगली तिथि दर्ज करने का प्रावधान।	नहीं	हां
15	अवधि अनुसार बंदियों के आमद की रिपोर्ट को जानने का प्रावधान। रिपोर्ट किसी विशेष तिथि को जेल में वर्तमान में शेष बंदियों को दर्शा रही है। अतः, कुल बंदियों की संख्या जिनके डाटा की प्रविष्टि की जा चुकी है अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था ।	नहीं	नहीं

l- Ø-	ç.kkyh e: dfe;k	yu vk/kkfjr ih-,e-,l- 0gh-,e-,l- e: ikbZ xbZ =fV	oc vk/kkfjr b- fi:tu ,flyd'ku e: ikbZ xbZ =fV
1	सभी पुलिस थानों के नाम दर्ज करने का प्रावधान।	प्रविष्टि नहीं की गई	प्रविष्टि नहीं की गई
2	यूजर लॉग स्टेटस रिपोर्ट में प्रविष्टि का प्रदर्शित किया जाना।	प्रदर्शित नहीं किया गया	प्रदर्शित नहीं किया गया
3	सॉफ्टवेयर को बंदियों की केवल पूर्ण पहचान ही स्वीकार करना चाहिए।	सॉफ्टवेयर ने अपूर्ण प्रविष्टि स्वीकार की थी	सॉफ्टवेयर ने अपूर्ण प्रविष्टि स्वीकार की थी
4	लीगल ऐड और एक्शन टेकन प्रविष्टि फार्म में त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित होना।	प्रावधान नहीं	हां
5	बंदियों की पहचान रिपोर्ट निकालने का प्रावधान।	प्रावधान नहीं	रिपोर्ट नहीं निकाली गई
6	बंदियों की विभिन्न श्रेणियों विचाराधीन /दोषसिद्ध/नजरबंद के पृथक सरल क्रमांक के लिए प्रावधान।	मात्र क्रमानुसार प्रविष्टि	मात्र क्रमानुसार प्रविष्टि
7	बंदियों का ठौर–ठिकाना का दर्ज किया जाना।	दर्ज नहीं था	दर्ज नहीं था
8	सजा और धारा अनुसार बंदियों के जेल में गुजारी हुई अवधि प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट की सूची।	तैयार नहीं की गई थी	तैयार नहीं की गई थी

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सॉफ्टवेयर में कमियों के परिणामस्वरूप डाटा प्रविष्टि एवं रिपोर्ट जनरेशन अपूर्ण थी।

निर्गम सम्मेलन में, ए.सी.एस. ने आश्वस्त किया कि सॉफ्टवेयर की कमियां दूर की जाएंगी।

vu'kalk

सॉफ्टवेयर में कमी को उपयोगकर्ताओं से नियमित फीडबैक लेकर एवं एप्लिकेशन विकसित कर्ता (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र) के माध्यम से समय से परिशोधन कर आवश्यक रूप से दूर किया जाना चाहिए ।

2-9-12 lh-lh-Vh-0gh dh LFkkiuk

क्लोज सक्रिट टेलिविजन की संस्थापना का मुख्य उद्देश्य जेल की सुरक्षा बढ़ाने और जेल/बंदियों के प्रभावी प्रबंधन में जेल प्रशासन की मदद करना था।

lh-lh-Vh-0gh dh LFkkiuk d: y{;k dk iklr u gkuk

वित्तीय व्यय समिति द्वारा 2012–13 से 2016–17 की पंचवर्षीय योजना के दौरान 38 जेलों में सी.सी.टी.व्ही. की संस्थापना के लिए ₹ 5.43 करोड़ अनुमोदित किए गए थे। इनमें से अवधि 2012–13 से 2014–15 के दौरान ₹ 3.46 करोड़ 16 जेलों में सी.सी.टी.व्ही. की संस्थापना के लिए स्वीकृत किए गए थे। हमने देखा कि जेल विभाग ने 14 जेलों में सी.सी.टी.व्ही. की संस्थापना के लिए ₹ 10.27 करोड़ व्यय किए। इस प्रकार, 2014–15 तक मूल अनुमानों के संदर्भ में राशि ₹ 6.81 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करने के बाद भी भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में दो जेलों में सी.सी.टी.व्ही स्थापना की कमी रही थी।

नमूना जाँच किए गए दस जिलों[10] में हमने देखा कि विभाग में न तो कोई प्रशिक्षित कर्मचारी थे और न ही विभाग द्वारा कोई प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया था। नौ जिलों[11]

---

10 भोपाल, दतिया, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी और उज्जैन

11 भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन

की नमूना जाँच में पाया गया कि सी.सी.टी.व्ही कैमरों के अंतर्गत निगरानी आवृत्ति क्षेत्र कम था अर्थात प्रत्येक नौ जेलों का कोई न कोई भाग छूट गया था।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने कहा कि अतिरिक्त व्यय तकनीक में परिवर्तन के कारण हुआ था। आगे यह भी सूचित किया गया कि प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा और जेलों में अतिरिक्त कैमरे संस्थापना की योजना बनाई जा रही है।

2-9-12-1 Hkkfrd igqp fu;=.k

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों[12] में देखा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये कोई भी भौतिक नियंत्रण नीति लागू नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, कैमरों के प्रदर्शन स्थल पर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेज में लगातार रूकावट रही जिसकी वजह से कैमरे 15 दिनों की अवधि तक बंद रहे थे।

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि इस संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे थे।

2-9-13 ohfM;k dkUÝfl x ç.kkyh

जेल में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा की स्थापना का उद्देश्य जेल बंदियों की भौतिक रूप से अदालतों में पेशी पर किये जाने वाले व्यय को महत्वपूर्ण रूप से कम करना था। एक बंदी की भौतिक पेशी हेतु सशस्त्र पुलिस कर्मियों के दस्ते का परिवहन, बंदियों के बीच झगड़े को रोकने की आवश्यकता और हर मामले में लगभग छह घंटे की बर्बादी होती है। भौतिक पेशी के दौरान हिरासत तोड़ने का डर हमेशा बना रहता है।

ohfM;k dkUÝfl x i.kkyh dh LFkkiuk u fd;k tkuk

दिनांक 4 जुलाई 2012 को विभाग की वित्तीय व्यय समिति की बैठक के अनुसार, जेल और जिला अदालत के बीच वीडियों कान्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित की जानी थी एवं जिसका वित्तीय प्रावधान निम्न प्रकार था :–

o"kZ	y{;		izkfIr		deh izfr'kr
	Hkkfrd ¼tsyks dh la[;k½	foRrh;	Hkkfrd ¼tsyks dh la[;k½	foRrh;	
2013–14	4[13]	28.00	निरंक	निरंक	100
2014–15	19[14]	35.00	निरंक	निरंक	100
;ksx	23	63	निरंक	निरंक	100

यह देखा गया कि कार्यान्वयन एजेंसी म.प्र. एस.ई.डी.सी. भोपाल को इस कार्य को पूर्ण करने के लिये कुल ₹ 58 लाख का अग्रिम भुगतान जिसमें ₹ 23 लाख मार्च 2014 में और ₹ 35 लाख जून 2014 तथा मार्च 2015 में किया गया था। लेकिन दो वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी 23 जेलों में से किसी में भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई और समस्त राशि ₹ 58 लाख अवरूद्ध रही। अतः वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

---

12 दतिया, इन्दौर, नरसिंहपुर, रीवा और सिवनी

13 धार, राजगढ़, शाजापुर और टीकमगढ़

14 बालाधाट, भिण्ड, दमोह, देवास, गुना, कटनी, खरगौन, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, नीमच, पन्ना, रायसेन, सीधी, सिहोर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी और विदिशा

निर्गम सम्मेलन में ए.सी.एस. ने बताया कि कार्य प्रगति पर है।

2-9-14 fu"d"k ,o vu'kl k,

- सिस्टम विकसित करने के पूर्व सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर की व्यवहार्यता का अध्ययन एवं समानांतर जाँच भी नहीं की गई जिसके कारण सॉफ्टवेयर में आंतरिक सामन्जस्य एवं विश्वसनीयता की कमी आई।

- बंदियों एवं मुलाकातियों के डाटाबेस के लिए रिकॉर्डिंग एवं बंदियों की जानकारी के लिए प्रबंधन एवं पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर बड़े पैमाने पर अपूर्ण था। लोकेशन प्लान के अनुसार लैन (LAN) की संस्थापना न किए जाने से संस्थापना में विलंब, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी एवं हार्डवेयर का अल्प उपयोग किए जाने से बंदियों एवं मुलाकातियों के केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस प्रकार, पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. का उद्देश्य बंदियों एवं मुलाकातियों का केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार करना प्राप्त नहीं किया जा सका था।

- हार्डवेयर की संस्थापना न किए जाने और वार्षिक संधारण संविदा संपादित न किए जाने से मरम्मत के अभाव में हार्डवेयर आइटम निष्क्रिय रहे।

हार्डवेयर की संस्थापना आवश्यकता अनुसार की जानी चाहिए। वारंटी अवधि की समाप्ति के पूर्व हार्डवेयर की वार्षिक संधारण संविदा निष्पादित की जानी चाहिए।

- पासवर्ड नीति स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई एवं न ही पालन किया गया जिससे डाटा की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता चिंतनीय हो गई। पी.एम.एस. सॉफ्टवेयर में की गई बंदियों की प्राथमिक प्रविष्टियां सत्यापित नहीं की गई थीं ।

उपर्युक्त आन्तरिक नियंत्रण और पर्यवेक्षी जाँच द्वारा डाटा के सही होने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाटा को खराब होने से बचाने हेतु कोई व्यापार निरंतरता योजना या आपदा प्रतिपूर्ति नीति नहीं थी। नियमित अंतराल पर व्यापक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था एवं प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा सॉफ्टवेयर पर कार्य नहीं करने के उदाहरण थे।

डाटाबेस की उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता थी। प्रत्येक जेल में पर्याप्त डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रदाय किए जाने चाहिए।

- सॉफ्टवेयर में कमियों के कारण उपयुक्त डाटा प्रविष्टि एवं अभिलेखों को प्राप्त करने में बाधा आ रही थी। अपूर्ण डाटाबेस, प्रशिक्षण का अभाव और सॉफ्टवेयर में कमी के रहते परियोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त करना अभी दूर है।

सॉफ्टवेयर में कमी को उपयोगकर्ताओं से नियमित फीडबैक लेकर एवं एप्लिकेशन विकसित कर्ता (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र) के द्वारा समय से परिशोधन कर आवश्यक रूप से दूर किया जाना चाहिए।

- सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के अंतर्गत परिक्षेत्र में कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों और भौतिक पहुंच नियंत्रण न होने से सी.सी.टी.व्ही. परियोजना के उद्देश्य, जेल की सुरक्षा में वृद्धि और प्रभावी नियंत्रण में जेल प्रशासन की मदद करना प्राप्त नहीं किए जा सके थे।

;ktuk] vkfFkd ,o lkf[;dh foHkkx

2-10 “e/;in'k fo/kku lHkk fuokpu {k= fodkl ;ktuk” ij fu"iknu leh{kk dh vuorh y[kkijh{kk

dk;ikyu lkjk'k

मध्यप्रदेश शासन ने जुलाई 1994 में मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस.) शुरू की जिसके अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य किए जाने थे। 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 1.1 में 2005–10 की अवधि के दौरान योजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में कार्य अपूर्ण पड़े थे, परिसंपत्ति पंजियां संधारित नहीं की गई थीं, संबंधित विभागों/एजेंसियों को पूर्ण कार्यों के हस्तांतरण का विवरण उपलब्ध नहीं था, कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किया गया था और पर्याप्त अनुवीक्षण नहीं था।

वर्तमान अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान हमने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका क्रमांक 1.1 में स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन किया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में परिलक्षित हुआ कि:

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने अनुशंसा की थी कि स्वीकृत किए गए कार्यों में से जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता का आकलन किए जाने हेतु आवधिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिए ताकि विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कार्यो का चयन करने में सुविधा हो सके।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि चयनित आठ में से सात जिलों में जिलाधीश द्वारा जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एम.पी.ए. सी.ए.डी.एस के अन्तर्गत कार्यों का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया गया था।

¼dfMdk 2-10-6½

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने अनुशंसा की थी कि परिसंपत्तियों की पंजियां संधारित की जानी चाहिए ताकि योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जा सके। निर्मित परिसंपत्तियों के रख–रखाव एवं उपयोग करने वाले विभागों को परिसंपत्तियों का हस्तान्तरण सुनिश्चित करने हेतु समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सात जिला योजना अधिकारी जो 2005–10 के दौरान परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं कर रहे थे उनके द्वारा अभी भी परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं की जा रहीं थी। इसके अतिरिक्त, रतलाम को छोड़कर किसी भी चयनित जिला योजना अधिकारी के पास परिसंपत्तियों की हस्तातंरण पंजी उपलब्ध नहीं थी।

¼dfMdk 2-10-7½

हमने अनुशंसा की थी कि कार्यों के निष्पादन और पूर्ण होने में विलम्ब होने के विरूद्ध समय सीमा में कार्रवाई किए जाने हेतु ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण किए जाने के लिए प्रणाली बनाई जानी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने कार्यों के निष्पादन एवं पूर्ण होने में विलम्ब के विरुद्ध समय सीमा में कार्रवाई हेतु कार्य के निष्पादन की ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव ने बताया कि इस हेतु संचालनालय स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे।

¼dfMdk 2-10-8½

2-10-1 iLrkouk

मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस.), मध्यप्रदेश के सभी 231 विधान सभा क्षेत्रों में जुलाई 1994 में इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि विधायकों की अनुशंसाओं पर पूंजीगत प्रकृति के विकास कार्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके विधान सभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किए जाएं।

एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. राज्य वित्त पोषित योजना है। विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निधि राज्य बजट के माध्यम से जिला योजना अधिकारियों को प्रदान की गई थी। प्रत्येक विधायक को उसके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पूंजीगत प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा हेतु प्रति वर्ष राशि ₹ 77 लाख (वर्ष 2007–08 से) आवंटित की गई।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण मौसमी सड़कें, पहुँच मार्ग, आंतरिक सड़कों का डामरीकरण, पैदल पथ, पुलों, ग्रामों में खरजों, चबूतरों, शासकीय वित्त पोषित/गैर वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं से संबंधित भवनों के निर्माण, बस स्टॉप/शेडों, सार्वजनिक अध्ययन कक्ष, लघु सिंचाई सुविधा, पेयजल व्यवस्था, शवदाह गृहों, नलकूपों (ट्यूब वैल्स), बगीचों, खेल परिसरों के साथ, सामाजिक वानिकी से संबंधित कार्य, कृषि विकास, संस्कृति आदि संबंधी कार्यों को योजनान्तर्गत किया जाना अपेक्षित था। सार्वजनिक उद्देश्य हेतु निर्माण कार्य किए जाने थे एवं उन्हें एक या अधिकाधिक दो मौसम में पूर्ण किया जाना था।

राज्य में योजना के क्रियान्वयन की पूर्व समीक्षा अवधि 2005–10 के लिए की गई थी एवं निष्कर्ष 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका क्रमांक 1.1 में शामिल थे। निष्पादन समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निधियां राज्य बजट के माध्यम से जिला योजना अधिकारियों (डी.पी.ओ.) को प्रदान की जाती हैं। तथापि डी.पी.ओ. द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 18.60 करोड़ विमुक्त नहीं किए गए । कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में 37 से 980 दिनों का विलम्ब हुआ था।

- जिला योजना अधिकारी भिण्ड द्वारा ₹ 1.93 करोड़ व्यक्तिगत जमा खाते में अनियमित रूप से अवरूद्ध रखे गए। 668 पूर्ण कार्यों से संबंधित कुल अव्ययित राशि ₹ 96.29 लाख कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी हुई थी।

- 68,728 स्वीकृत कार्यों में से 55,953 कार्य पूर्ण किए गए थे जबकि 10,522 कार्य अपूर्ण रहे, 2,067 कार्य प्रारंभ नहीं किए गए थे और 186 कार्य निरस्त कर दिए गए थे।

- सात जिलों में, ₹ 13.91 करोड़ की लागत के 814 कार्य 25 से 431 दिनों के विलंब से स्वीकृत किए गए।

- छह जिलों में, ₹ एक करोड़ की लागत के 111 कार्य विवादित स्थलों के चयन के कारण प्रारंभ नहीं हो सके थे और निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी रही थीं। ₹ 40.63 करोड़ की लागत के 2,828 कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एजेंसियों से वांछित थे।

- संबंधित विभागों/एजेंसियों के उपयोग हेतु, परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित अभिलेख या तो अपूर्ण थे या उपलब्ध नहीं कराए गए। आयुक्त ने योजनान्तर्गत चयनित कार्यो की पूर्ण/अद्यतन जानकारी संधारित नहीं की। नमूना जांच किए गए जिलों में परिसंपत्तियों की पंजियों का संधारित नहीं किया जाना पाया गया।

- नोडल एजेंसियां कार्यों के निरीक्षण के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण करने में असफल रहीं।

लेखापरीक्षा के परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए हमने अनुशंसा की :

- स्वीकृत किए गए कार्यों में से जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता का आकलन किए जाने हेतु आवधिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिए ताकि विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार कार्यों का चयन करने में सुविधा हो सके।

- परिसंपत्तियों की पंजियां संधारित की जानी चाहिए ताकि योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जा सके। निर्मित परिसंपत्तियों का उपयोग करने वाले विभागों को परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण तथा रख–रखाव को सुनिश्चित करने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

- कार्यों के विलम्ब से निष्पादन और पूर्ण होने पर समय सीमा में कार्रवाई किए जाने हेतु ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण किए जाने के लिए प्रणाली बनाई जानी चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षा को लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) में लिखित परीक्षण हेतु चयनित किया गया था। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने अपने उत्तर में पी.ए.सी. को अवगत कराया (सितम्बर 2012) कि जिलाधीशों को लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन हेतु निर्देशित कर दिया गया था।

2-10-2 lxBukRed ljpuk

राज्य स्तर पर आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी (आयुक्त) योजना के क्रियान्वयन एवं अनुवीक्षण हेतु जिम्मेदार हैं। जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर योजना के लिए नोडल अधिकारी हैं। एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. के अन्तर्गत कार्य जिलाधीशों द्वारा सरकारी एजेंसियों/निगमों/मण्डलों/स्थानीय निकायों से कराए जाते हैं।

2-10-3 ys[kkijh{kk dk mn~ns';

इस अनुवर्ती लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि क्या 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु सुधारात्मक उपाय किए गए थे।

2-10-4 ys[kkijh{kk ekin.M

अनुवर्ती लेखापरीक्षा हेतु मुख्य मापदण्ड निम्नानुसार थे:

- एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. दिशानिर्देश एवं सरकार/आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश;

- मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता;

- परिसंपत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव को निर्धारित करने वाले अनुबंधों से संबंधित प्रावधान; तथा

- स्वीकार की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना या कार्यनीति।

2-10-5 y[kkijh{kk dk;{k= rFkk dk;iz.kkyh

वर्तमान अनुवर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा 2010–15 की अवधि के लिए है। इस उद्देश्य के लिए, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी और आठ जिला योजना अधिकारियों (डी.पी.ओ.) बैतूल, भोपाल, छतरपुर, डिंडोरी, खरगौन, मंडला, रतलाम एवं सीहोर के अभिलेखों का परीक्षण किया गया। ये डी.पी.ओ. साधारण यादृच्छिक नमूना पद्धति से चयनित किए गए थे।

आयुक्त के साथ 12 जून 2015 को प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें अनुवर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य, मापदण्ड, कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली के संबंध में चर्चा की गई। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के साथ 16 अक्टूबर 2015 को निर्गम सम्मेलन हुआ था। शासन के अभिमत को अनुवर्ती लेखापरीक्षा में शामिल कर लिया गया है।

;ktuk d fØ;kUo;u dh fLFkfr

2010–11 से 2014–15 के दौरान, एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा आवंटित ₹ 897.54 करोड़ के विरूद्ध ₹ 857.51 करोड़ व्यय किए गए। 2010–11 से 2014–15 के दौरान निधियों का आवंटन एवं व्यय rkfydk&1 में दिया गया है।

rkfydk&1% vof/k 2010&15 d nkjku ,e-ih-,-lh-,-Mh-,l- e fuf/k;k dk vkoVu ,o 0;;

¼₹ djkM+ e½

o"k	,e-,y-,- dh l[;k	ctV e inku dh xbZ jkf'k	lHkh ftyk d fy, LohÑr jkf'k	0;;	lefir jkf'k
2010-11	231	177.87	177.87	177.35	00.51
2011-12	231	179.50	179.50	179.50	00.05
2012-13	231	177.87	177.87	177.85	00.10
2013-14	231	177.87	177.87	171.17	06.69
2014-15	231	184.43	184.43	151.64	32.78
;kx		**897.54**	**897.54**	**857.51**	**40.13**

¼Lkkr% vk;Dr }kjk miyC/k djk, vkdM½

2010–15 के दौरान, राज्य के 231 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 60,214 कार्यों के प्रस्तावों की अनुशंसा विधायकों ने की थी। कार्य ग्रमीण सड़कें, पैदल पथ, पैदल पुल, चबूतरों, भवनों, बस स्टॉप/शेडों, पेयजल व्यवस्था, नलकूप, बगीचों, सामाजिक वानिकी से संबंधित कार्य, कृषि विकास, संस्कृति आदि के निर्माण से संबंधित थे। इन 60,214 प्रस्तावों में से 56,201 प्रस्ताव जिला योजना अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किए गए थे। तथापि, कार्यान्वयन एजेंसियां 38,274 कार्य पूर्ण कर सकी थीं जबकि 4,877 कार्य प्रारंभ नहीं किए गए थे।

vuorhZ y[kkijh{kk d ifj.kke

2-10-6 tu lkekU; d fgrykHk ,o okLrfod mi;kfxrk dk vkdyu fd, tku gr dk;k dk vkof/kd eY;kdu ugh fd;k x;k

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.6 में उल्लेख किया गया था कि जिला कलेक्टर द्वारा विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कार्यों हेतु लिखित में सुझाव मांगे जाने की आवश्यकता थी अथवा कराए जाने वाले कार्यों की पहचान हेतु वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में एक बैठक बुलाई जानी चाहिए थी तथा उन्हें केन्द्र प्रवर्तित एवं

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था। वे कार्य जो सूचीबद्ध किए गए थे, उन्हें किए जाने हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों (आई.ए.) को दिया जाना चाहिए था। क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत कार्यों की सूची तथा निरस्त किए गए प्रस्तावों की सूचना संबंधित विधायकों को 45 दिवसों के अन्दर भेजी जानी चाहिए थी। तथापि यह देखा गया कि 2005–10 की अवधि में चयनित जिलों में इस प्रकार की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी तथा कार्यों को विधायकों की अनुशंसा के आधार पर ही कराया गया था।

हमने अनुशंसा की थी कि स्वीकृत किए गए कार्यों में से जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता का आकलन किए जाने हेतु आवधिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिए ताकि विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार कार्यो का चयन करने में सुविधा हो सके।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. के अन्तर्गत आवधिक मूल्यांकन केवल एक चयनित जिला खरगौन में किया गया। शेष सात चयनित जिलों (बैतूल, भोपाल, छतरपुर, डिंडोरी, मण्डला, रतलाम एवं सीहोर) में इसका अनुपालन नहीं किया गया। कार्य विधायकों की अनुशंसा के आधार पर किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव ने बताया कि योजना के अंतर्गत कार्यों का आवधिक मूल्यांकन करने हेतु जिलाधीशों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2-10-7 ifjlaifRr;ksa dh iath dk la/kkfjr ugha fd;k tkuk

आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र (जुलाई 2003) के अनुसार, योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को पृथक से परिसंपत्तियों की पंजी में लेखांकित किया जाना आवश्यक था तथा परिसंपत्तियों को संबंधित विभाग/एजेंसी को उपयोग हेतु हस्तान्तरित किया जाना था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.9.2 में उल्लेख किया गया था कि जिला योजना अधिकारियों के पास परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे एवं नौ जिलों (भिण्ड, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, रतलाम, टीकमगढ़ एवं उमरिया) में परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं की गई थी।

हमने अनुशंसा की थी कि परिसंपत्तियों की पंजियां संधारित की जानी चाहिए ताकि योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जा सके। निर्मित परिसंपत्तियों के रख–रखाव एवं उपयोग करने वाले विभागों को परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण सुनिश्चित करने हेतु समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात जिला योजना अधिकारी (भिण्ड, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, टीकमगढ़ एवं उमरिया) अभी भी परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं कर रहे थे। जिला योजना अधिकारी, बुरहानपुर से जानकारी प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2015)। हमने देखा कि आठ चयनित जिलों में से चार जिलों[1] में जिला योजना अधिकारियों द्वारा परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं की गई थी एवं बैतूल तथा मण्डला जिले में अपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त, रतलाम को छोड़कर किसी भी जिला योजना अधिकारी के कार्यालय में परिसंपत्तियों की हस्तांतरण पंजी उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, विद्यमान परिसंपत्तियों के आकलन की प्रणाली कमजोर थी जिसके कारण जिला योजना अधिकारियों द्वारा नए कार्यों की योजना प्रभावित हुई।

[1] भोपाल, छतरपुर, डिंडौरी, एवं सीहोर

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव, ने बताया कि जिला योजना अधिकारियों को परिसंपत्तियों की पंजी का संधारण करना अनिवार्य था।

2-10-8 dk;k d fu"iknu dh vku ykbu fuxjkuh ,o vuoh{k.k

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.9.1 में उल्लेख किया गया था कि योजनान्तर्गत जिला स्तर पर पूर्ण हो चुके कार्यों से संबंधित संपूर्ण डाटाबेस राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) में तैयार किया जाना अपेक्षित था। तथापि, आवश्यक डाटाबेस जिला स्तर पर तैयार नहीं किया गया था। हमने अनुशंसा की थी कि कार्यो के निष्पादन और पूर्ण होने में विलम्ब होने के विरूद्ध समय सीमा में कार्रवाई किए जाने हेतु ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण किए जाने के लिए प्रणाली बनाई जानी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पता चला कि विभाग द्वारा कार्यों के निष्पादन एवं पूर्ण होने में विलंब के विरुद्ध समय सीमा में कार्रवाई हेतु कार्य के निष्पादन की ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। तथापि जिला योजना अधिकारी खरगौन में एन.आई.सी. के माध्यम से कार्यों का अनुवीक्षण किया जा रहा था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव ने बताया कि निदेशालय स्तर पर इस हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

हमने देखा कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई विभिन्न कमियाँ कार्य के निष्पादन की ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण के अभाव में जारी रहीं, जिनकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

2-10-8-1 dk;k dh LohÑfr e foyc

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.8.2 में उल्लेख किया गया था कि प्रशासकीय स्वीकृतियां 25 से 431 दिनों के विलंब से जारी की गईं थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पता चला कि प्रस्ताव की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर स्वीकृतियां जारी करने के निर्देशों के बावजूद अवधि 2010–15 के दौरान 833 कार्यों हेतु प्रशासकीय स्वीकृतियां 14 से 382 दिनों के विलंब से जारी की गई थीं। विवरण ifjf'k"V&2-78 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव ने बताया कि सभी जिला योजना अधिकारियों को दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित समय–सीमा के अनुसार कार्यों के निष्पादन हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे।

2-10-8-2 dk;kUo;u ,tfl;k l i.k dk;k dh 'k"k jkf'k oly ugh fd;k tkuk

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.7.5 में उल्लेख किया गया था कि 2005–10 के दौरान 668 पूर्ण कार्यों से संबंधित शेष राशि ₹ 96.29 लाख 10 जिलों की कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पता चला कि तीन जिलों (बैतूल, रतलाम एवं धार) में 239 पूर्ण कार्यों से सम्बंधित सम्पूर्ण राशि ₹ 24.92 लाख की वसूली कर ली गई थी। विभाग ने सूचित किया कि बुरहानपुर जिले में पुराने बकाया ₹ 52.46 लाख के विरूद्ध ₹ 50,000 की राशि कार्यान्वयन एजेंसियों के पास बकाया थी। अन्य छह जिलों से जानकारी अक्टूबर 2015 तक अपेक्षित थी।

2-10-8-3 dk;kUo;u ,tfl;k l vk;&0;; fooj.k i=d iklr u fd;k tkuk

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.10.3 में उल्लेख किया गया था कि किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियमित रूप से जिला योजना अधिकारियों को मासिक आय–व्यय विवरण पत्रक एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए थे। खरगौन जिले को छोड़कर, चयनित आठ जिलों में से किसी में भी कार्यान्वयन एजेसियों से उपयोग की गई राशि के सम्बध में मासिक आय–व्यय विवरण पत्रक प्राप्त नहीं किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015), के दौरान, प्रमुख सचिव ने बताया कि सभी जिला योजना अधिकारियों को वांछित विवरण पत्रक प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे थे।

2-10-8-4 dk;kUo;u ,tfl;k }kjk dk;i.krk iek.k i= iLrr u fd;k tkuk

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.8.5 में उल्लेख किया गया था कि कार्यान्वयन एजेंसियों से 2,828 कार्यों के सम्बंध में कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे जिसके कारण निर्मित परिसंपत्तियों का न तो लेखांकन किया गया न ही स्थानीय निकायों/विभागों को उनके रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जा सका। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पता चला कि जिला योजना अधिकारी को 2005–10 के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों के संबंध में 596 कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना शेष था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव ने बताया कि जिला योजना अधिकारियों को कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

2-10-9 fu"d"k ,o vu'kIk

हमने देखा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010 की कंडिका 1.1.12 में की गई तीन अनुशंसाएं जो विभाग द्वारा स्वीकार की गईं थी, प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं की गईं थी। विभाग द्वारा परिपत्र जारी किए गए लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया गया।

विभाग एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. के क्रियान्वयन में स्वीकार की गई अनुशंसाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

rhljk v/;k;
yssunsu ys[kkijh{kk

3.1 fu;eksa] vkns'kksa] izfØ;kvksa bR;kfn dk vuqikyu u fd;k tkuk

3.2 vlko/kkuh@iz'kklfud fu;a=.k esa foQyrk

rhljk v/;k;% ysunsu ys[kkijh{kk

सरकारी विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं तथा स्वशासी निकायों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा से संसाधनों के प्रबंधन में कमी तथा नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलता के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। इन्हें व्यापक उद्देश्यों के शीर्षकों के अंतर्गत आगामी कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

3-1 fu;eksa] vkns'kksa ifØ;kvksa bR;kfn dk vuqikyu u fd;k tkuk

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुरूप हो इससे न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोजन तथा धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता भी मिलती है। नियमों तथा विनियमों के अनुपालन न किए जाने से संबंधित कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैः

Ldwy f'k{kk foHkkx

3-1-1 osru vkSj HkRrksa dk lafnX/k dViw.kZ vkgj.k ,oa lforj.k

e/;izns'k dks"kky; lafgrk ds izko/kkuksa ds vuqlkj vkgj.k ,oa lforj.k vf/kdkjh }kjk okafNr tkap u fd;s tkus ds dkj.k jkf'k ₹ 8-27 yk[k ds osru ,oa HkRrksa dk lafnX/k dViw.kZ vkgj.k vkSj lforj.k gqvkA

e/;izns'k dks"kky; lafgrk ds fu;e&193 ds vuqlkj vkgj.k ,oa lforj.k vf/kdkjh ¼Mh-Mh-vks-½] nkos dh Lohdk;Z jkf'k dk dks"kky; ls vkgj.k ,oa mlds forj.k djus ds fy, ftEesnkj gSA iek.kd esa n; jkf'k dk 'kCnksa ,oa vadksa nksuksa esa Li"V djrs gq, Mh-Mh-vks- ls fof/kor gLrk{kfjr@vkn|k{kfjr ,d Hkqxrku vkns'k vo'; gksuk pkfg, tks L;kgh ls O;fDrxr :i ls gLrk{kfjr gksA vkxs] e/; izns'k dks"kky; lafgrk ds fu;e&198 ds vuqlkj vf/kd iHkkj ds fy, ftEesnkjh iFker% n;d ds vkgj.kdrk dh gksxh] mlds }kjk nkos'ki.k mi{kk dh fLFkfr esa olwyh ij fopkj djuk pkfg,A

ikpk;Z dk deZpkfj;ksa ds osru ds vkgj.k ,oa lforj.k ds vf/kdkj iR;k;ksftr fd, x, FksA dk;kZy; esa osru n;d ys[kkdkj }kjk rS;kj fd, x, Fks tks Mh-Mh-vks- ds :i esa ikpk;Z }kjk ikfjr fd, x, vkSj b&Hkqxrku }kjk vkgj.k ,oa lforj.k ds fy, dks"kky; dks izLrqr fd, x,A

dUnh; ys[kkijh{kk esa iek.kdksa dh loh{kk rFkk vkxs dk;kZy; ikpk;Z] dU;k mPprj ek/;fed fo|ky;] vkykV] jryke esa osru n;dksa ls lcaf/kr vfHkys[kksa dh foLr`r loh{kk ¼fnlEcj 2014½ esa izdV gqvk fd ys[kkdkj us tuojh ls uoEcj 2014 rd fo|ky; ds leg ds lgk;d f'k{kdksa@deZpkfj;ksa@lafonk f'k{kdksa ds osru ,oa HkRrksa dk dks"kky; ls vkgj.k djus ds fy, nks iFkd n;d rS;kj fd,] iR;sd n;d esa ,d vkgj.k lwph vkSj ,d b&Hkqxrku lwph FkhA

geus ns[kk fd tuojh ls uoEcj 2014 rd dh vof/k gsrq osru ,oa HkRrksa ds fy, n; jkf'k ₹ 217-49 yk[k ds fo:) jkf'k ₹ 225-76 yk[k dk dViw.kZ vkgj.k ,oa lforj.k fd;k x;k tSlk fd ifjf'k"V 3-1 esa of.kZr gSA

;g dk;Z iz.kkyh viukbZ xbZ Fkh fd tuojh 2014 ds izFke oru n;d esa 56 lgk;d f'k{kdksa ds uke vkgj.k lwph esa 'kkfey FksA ys[kkdkj us ,d lgk;d f'k{kd ds oru ,oa HkRrksa ds fo:) dVkSrh.k vf/kd jkf'k 'kkfey dh Fkh tcfd bZ&Hkqxrku lwph esa ljy Øekad dks cnydj vkSj NksMdj dVkSrh.k vf/kd jkf'k dks nks Hkkxksa esa foHkkftr dj nks izFkd lgk;d f'k{kdksa ds uke ds fo:) n'kkZ;k] ftlls bZ&Hkqxrku lwph esa lgk;d f'k{kdksa dh la[;k 58 rd c<+ xbZA ;s lgk;d f'k{kd og Fks ftUgsa mlh ekg ds nwljs oru n;d ls Hkqxrku fd;k x;k FkkA ys[kkdkj }kjk tuojh 2014 ds nwljs oru n;d esa blh izfØ;k dks viuk;k x;k FkkA vkgj.k lwph esa 68 lgk;d f'k{kdksa ds uke 'kkfey Fks tcfd bZ&Hkqxrku lwph esa 70 lgk;d f'k{kdksa ds uke 'kkfey FksA ys[kkdkj us nks vfrfjDr lgk;d f'k{kdksa ds uke 'kkfey fd, ftUgsa tuojh 2014 ds igys oru n;d ls Hkqxrku dj fn;k x;k FkkA blh i)fr dks uoEcj 2014 rd viuk;k x;kA

bl vkSj bafxr fd, tkus ij lapkyuky;] ys[kk f'k{k.k us crk;k ¼ekpZ 2015½ fd ₹ 8-27 yk[k olwy dj dks"kky; esa tek fd, x;s Fks rFkk dks"kky; pkyku lR;kfir fd;kA vkxs] crk;k x;k fd izkpk;Z dks e/;izns'k vkpj.k fu;e ds varxZr uksfVl tkjh fd;k x;k FkkA

;fn izkpk;Z }kjk oru n;dksa dk dks"kky; ls vkgj.k ,oa lR;kiu ls igys e/;izns'k dks"kky; lafgrk ds vuqlkj fu/kkZfjr tkap dh tkrh rks bl lansgkLin dVkSrh.k Hkqxrku dks Vkyk tk ldrk FkkA vkxs] lapkyuky; }kjk dh xbZ dkjZokbZ iw.kZ ugha gS D;ksafd dVkSrh.k oru ds vkgj.k esa 'kkfey leLr deZpkfj;ksa@lgk;d f'k{kdksa ds fo:) vko';d dkjZokbZ vo'; fd;k tkuk pkfg,A

izdj.k 'kklu dks izfrosfnr fd;k x;k Fkk ¼ebZ 2015½(mudk mRrj izkIr ugha gqvk ¼flrEcj 2015½A

3-1-2 ₹ 0-24 yk[k dk lafnX/k xcu

Hkqxrku gsrq izLrqr chtdksa esa gtkj ds vadksa esa Qsjcny dj dVkSrh.k <x ls ftyk ifj;kstuk leUo;d ¼Mh-ih-lh-½] ftyk f'k{kk dsUnz] bUnkSj ds dk;kZy; esa 'kkldh; /kujkf'k ₹ 0-24 yk[k dk xcu fd;k x;kA

e/;izns'k dks"kky; lafgrk ¼,e-ih-Vh-lh-½ ds fu;e 397 ds vuqlkj ;fn foHkkxh; fofu;eksa esa vU;Fkk micfU/kr ugha gks] Hk.Mkj Ø; gsrq Hkqxrku ds leFkZu esa izLrqr fd, x, n;d ds lkFk ,d izek.k i= fd izek.kdksa esa of.kZr oLrq,sa okLrfod :i ls izkIr gks pqdh gS] rFkk Hk.Mkj iath esa ntZ dh tk pqdh gS] layXu gksxkA vkgj.k vf/kdkfj;ksa }kjk vkiwfrZdrkZ ds chtdksa] n;dksa bR;kfn ij ,slh vkifRr;ksa ;k Hk.Mkj.k dks ntZ djus ds lanHkZ esa Hk.Mkj iath dk i"B Øekad fn;k tkuk pkfg,A ;g Hkh izekf.kr fd;k tkuk pkfg, fd mudh ek=k lgh gS ,oa mudh x.koRrk vPNh gS vkSj fofunsZ'ku ds vuqlkj gS ,oa Hkqxrku dh njsa Lohd`r dh xbZ ;k cktkj njksa ls vf/kd ugha gSA

fodkl [k.M lalk/ku leUo;d ¼ch-vkj-lh-½ dks tuin f'k{kk dsUnz ij Hkqxrku djus ds fy, vf/kd`r fd;k x;k gSA lacaf/kr ys[kkdkj }kjk n;dksa dks fodkl [k.M 'kS{kf.kd leUo;d ¼ch-,-lh-½ rnqijkUr fodkl [k.M

l lk/ku leUo;d dk iLrqr fd, tkrs gSa ftlls lHkh lqlxr fu;eksa ds vuq:i lefpr tkap ds mijkUr Hkqxrku gsrq ns;d ikfjr djuk pkfg, vkSj fQj pSd tkjh djuk pkfg,A

dk;kZy; ftyk ifj;kstuk leUo;d ¼Mh-ih-lh-½] ftyk f'k{kk dsUnz] bUnkSj ds v/khuLFk dk;kZy;ksa ds ekg ekpZ 2013 ds izek.kdksa dh leh{kk ¼Qjojh 2015½ esa izdV gqvk fd fodkl [k.M l lk/ku leUo;d] tuin f'k{kk dsUnz] bUnkSj uxjh;-II ds Cykd 'kS{kf.kd leUo;d }kjk pkj chtdksa ds lkFk jkf'k ₹ 26]580 ds Hkqxrku gsrq dk;kZy;hu Vhi izLrqr dh xbZ FkhA dk;kZy; fodkl [k.M l lk/ku leUo;d] tuin f'k{kk dsUnz] bUnkSj tks Hkqxrku gsrq vf/kd`r Fkk] ns;d dks Hkqxrku gsrq ikfjr dj fodkl [k.M l lk/ku leUo;d] tuin f'k{kk dsUnz] bUnkSj ds cSad [kkrk Øekad 31686923868 ¼Hkkjrh; LVsV cSad½ ij vkgfjr jkf'k ₹ 26]580 dk pSd Øekad 191492 fnukad 26-03-2013 tkjh fd;k x;k ftldk Cykd 'kS{kf.kd leUo;d }kjk fnukad 12-04-2013 dks uxnhdj.k djk;k x;k FkkA

vkxs ukWV'khV vkSj izek.kdksa dh tkap esa izdV gqvk fd foØsrk ds pkj ns;dksa esa ls nks ns;dksa vFkkZr~ Øekad 130 fnukad 30-12-2012 vkSj Øekad 135 fnukad 25-01-2013 esa gtkj dh la[;k dh la[;kRed izfof"V dj Hkqxrku dh jkf'k tkucw>dj c<+kbZ xbZ FkhA bl dkj.k ls] bu ns;dksa esa izns; lkexzh dh nj] vkiwfrZ ek=k vkSj 'kCnksa esa :i;s Hkqxrku gsrq ikfjr jkf'k ds lkFk esy ugha [kk jgh FkhA ;g Hkh ik;k x;k fd ukWV'khV vuqeksfnr ugha Fkh vkSj ns;dksa dk Hkqxrku gsrq fodkl [k.M l lk/ku leUo;d }kjk ikfjr ugha fd;k x;k FkkA Hk.Mkj iath esa izfof"V Hkh ugha dh x;h FkhA nksuksa ns;dksa ftuesa gtkj dh la[;k dh izfof"V dh xbZ Fkh dk fooj.k fuEukuqlkj gS%

(jkf'k ₹ esa)

izek.kd vkSj pSd dk fooj.k	foØsrk dk ns;d Øekad o fnukad	iznk;r lkexzh dk uke	ek=k	nj ¼₹ esa½	ns;d dh okLrfod jkf'k	la[;k izfo"Vh ds ckn ns;d dh jkf'k	Qjcny ds dkj.k vf/kd vkgj.k
izek.kd Ø-166] fnukad 26-03-2013 vkSj pSd Øekad 191492 fnukad 26-03-2013	130/ 30.12.12	bUVjuV izs.kkyh dh ejEer@ih-Mh-,Q- lel;k lek/kku	01	mYy[k ugha	350	8,350	15060[1]
		VsyhQksu dscy	40 QhV	₹ 4 izfr QhV	160	7,160	
	135/ 25.1.13	12&, Vksuj fjfQfyax	1	350	350	9,350	9000
				;ksx	860	24,860	24,060

bl izdkj] Hkqxrku gsrq izLrqr chtdksa@ns;dksa dh tkap vkSj mUgsa ikfjr djus gsrq vkarfjd fu;a=.k r= bl izdj.k esa ugha ik;k x;k Fkk ftlls Cykd 'kS{kf.kd leUo;d dks jkf'k ₹ 24]060 dk lafnX/k diViw.kZ Hkqxrku gqvkA pkjksa ns;dksa dh okLrfod jkf'k ₹ 2]520 Fkh tcfd jkf'k ₹ 26]580 Hkqxrku gsrq ikfjr dh xbZ FkhA

---

1 गलत संख्या प्रविष्टि पश्चात्, कुल देयक की राशि ₹ 15,510 हो गई, जिसके विरूद्ध राशि ₹ 15,570 पारित किया गया, परिणामस्वरूप राशि ₹ 15,060 का अधिक आहरण हुआ ।

bl vkj bfxr fd, tkus ij] Mh-ih-lh-] bUnkj }kjk rF;ksa ,oa vkdMksa dk lR;kiu fd;k x;k ¼Qjojh 2015½A blds vfrfjDr ;g voxr djk;k x;k ¼vDVwcj 2015½ fd fodkl [k.M 'kS{kf.kd leUo;d ds f[kykQ iwNrkfN djus dh dk;Zokgh 'kq: dh xbZ gSA

rF; ;g gS fd Hkqxrku gsrq izLrqr ns;dksa ds leFkZu esa nLrkostksa vFkkZr chtdksa dk vkgj.k ,oa laforj.k vf/kdkjh }kjk Hkqxrku djus ds iwoZ lefpr tkap@lR;kiu ugha fd;k x;k Fkk] bu tkapksa ds vHkko esa lafnX/k diVi.kZ Hkqxrku gqvkA

izdj.k 'kklu dks izfrofnr fd;k x;k ¼ebZ 2015½] mudk mRrj izkIr ugha gqvk ¼flrEcj 2015½A

fpfdRlk f'k{kk foHkkx

3-1-3 vkS"kf/k;ksa dh [kjhnh ij vf/kd Hkqxrku

mPp njksa ij vkS"kf/k;ksa dh [kjhnh djus ds dkj.k izn k;drkvksa dks jkf'k ₹ 1-20 djksM+ dk vf/kd Hkqxrku fd;k x;kA

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता (एम.पी.एफ.सी.) के नियम 9(i) में प्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय सेवक से यह अपेक्षा है कि वह लोक निधि से व्यय करने के संबंध में वही सतक्रता बरते जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के धन को खर्च करने के बारे में सामान्य दूरदर्शिता का परिचय देता है। म.प्र. वित्तीय संहिता के नियम 10 में प्रावधान है कि प्रदायित धन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर मितव्ययितापूर्वक किया जाना चाहिए। विभागाध्यक्ष उसके स्वयं के कार्यालय तथा अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों दोनों में समस्त संबंधित वित्तीय नियमों एवं विनियमों के पालन के लिए जिम्मेदार है।

मध्यप्रदेश शासन की औषधि नीति वर्ष 2009 के अनुपालन में औषधियों की अधिप्राप्ति की विकेन्द्रीकृत पद्धति मध्यप्रदेश में अगस्त 2010 से लागू की गयी थी। औषधि नीति के अनुसार, जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सी.एम.एच.ओ.)/सिविल सर्जनों (सी.एस.) द्वारा चयनित एजेन्सी के पैनल में शामिल औषधि कम्पनियों से कुल आवश्यकता का 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत आपात वितरण के लिए स्थानीय औषधि वितरकों से अधिप्राप्ति करनी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध सभी चिकित्सालयों को पैनल में शामिल कम्पनियों से क्रय करने की बाध्यता से छह माह के लिए छूट प्रदान की थी (जनवरी 2011)। इन मामलों में अधिप्राप्ति क्रय और उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष, क्रय समिति इन्दौर–सी.पी.सी.) द्वारा निर्धारित दर के अनुसार की जानी थी। चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता भंडार क्रय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उन औषधियों एवं उपकरणों को क्रय करने के लिए अधिकृत थे जिनकी दरें सी.पी.सी. द्वारा निर्धारित नहीं की गईं थी। विभाग द्वारा औषधियों की निरंतर एवं निर्बाध उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये छूट की अवधि सितम्बर 2013 तक बढ़ाई[2] गई थी। सी.पी.सी. ने क्रय की जाने वाली औषधियों की दर के साथ निर्माताओं को निर्धारित कर दिया था। सी.पी.सी. ने डी.जे. लैबोरेट्रीज प्रायवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित इन्जेक्शन मेरोपेनेम 1 ग्राम की दर ₹ 385 प्रति वाइल अनुमोदित की थी।

---

2 05.09.2012 तक (पत्र दिनांक 06.03.2012 द्वारा), 31.03.2013 तक (पत्र दिनांक 07.12.2012 द्वारा), एवं 30.09.2013 तक (पत्र दिनांक 17.06.2013 द्वारा)

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक (जे.डी.एण्ड एस.) जयारोग्य अस्पताल (जे.ए. अस्पतालों का समूह) ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अगस्त 2014) कि औषधि एवं उपकरणों के क्रय हेतु खुली निविदा आमंत्रित कर (सितम्बर 2012) निविदा प्रक्रिया इस शर्त के साथ प्रारंभ की गई थी कि अनुमोदित निविदा दर मार्च 2013 तक अथवा आगामी निविदा के स्वीकृति तक लागू होगी एवं अनुमोदित दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होंगे। सफल निविदाकारों एवं जे.डी.एण्ड एस., जे.ए. अस्पतालों का समूह, ग्वालियर के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे (दिसम्बर 2012)। उक्त अनुबंध के अनुसार निर्माता जैक्सन के इंजेक्शन मेरोपेनेम एक ग्राम की दर राशि ₹ 211.90 प्रति वाइल थी।

क्रय आदेशों, आपूर्ति बिलों एवं पूर्ण संप्रमाणित आकस्मिक बिलों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि चिकित्सालय द्वारा प्रदायकर्ताओं को सी.पी.सी. अनुमोदित दर ₹ 385 प्रति वाइल पर डी.जे. लैबोरेटरी द्वारा निर्मित इंजेक्शन मेरोपेनेम एक ग्राम की आपूर्ति हेतु आदेश जारी किए गए। तथापि अस्पताल को काबरा/डी.जे. नेम द्वारा निर्मित इंजेक्शन मेरोपेनेम एक ग्राम प्राप्त हुआ तथा सी.पी.सी. अनुमोदित दर ₹ 385 प्रति वाइल से भुगतान किया।

इस प्रकार चिकित्सालय द्वारा जैक्सन द्वारा निर्मित इंजेक्शन दर राशि ₹ 211.90 प्रति वाइल की निविदा स्वीकृत की गई थी किन्तु डी.जे. लैब्स द्वारा निर्मित इंजेक्शन सी.पी.सी. अनुमोदित दर ₹ 385 प्रति वाइल की आपूर्ति के आदेश जारी किए गए जबकि दूसरे निर्माता अर्थात काबरा/डी.जे. नेम से आपूर्ति प्राप्त की गई थी जो न तो सी.पी.सी. द्वारा अनुमोदित था और न ही निविदा में निर्णित था।

राज्य के अन्य अस्पतालों में इन प्रदायकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्ति की हमारे द्वारा की गई प्रति सत्यापन जांच (क्रॉस वैरीफिकेशन) में पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान इंजेक्शन मेरोपेनेम (काबरा) की ₹ 191 प्रति वाइल की दर से एम.वाय. चिकित्सालय, इन्दौर को आपूर्ति की गई थी तथा वर्ष 2012–13 में इंजेक्शन मेरोपेनेम (जैक्सन) की ₹ 210.30 प्रति वाइल की दर से हमीदिया अस्पताल, भोपाल को आपूर्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त, हमने यह भी पाया कि फरवरी 2014 में जे.डी.एण्ड एस., जे.ए. अस्पताल समूह, ग्वालियर द्वारा उसी निर्माता (काबरा) का इंजेक्शन मेरोपेनेम 1 ग्राम ₹ 211.90 प्रति वाइल की दर से उसी आपूर्तिकर्ता (मैसर्स सांईबाबा इन्टरप्राइजेज) से क्रय किया गया था।

इस प्रकार, चिकित्सालय ने उच्च दरों पर औषधियां प्राप्त कीं परिणामस्वरूप अवधि जनवरी 2013 से जून 2013 तक के दौरान आपूर्ति की गई औषधि (इंजेक्शन मेरोपेनेम एक ग्राम) हेतु आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹ 1.20 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया ¼foLr`r fooj.k ifjf'k"V 3-2 esa½ इस प्रकार विक्रेता को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया।

इस ओर लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा ने जे.डी. एण्ड एस., जे.ए. अस्पताल समूह, ग्वालियर को खुली निविदा में दर्शाई गई दर अथवा लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई न्यूनतम दर से राशि ₹ 385 के अंतर की वसूली कर राजस्व शीर्ष में जमा करने के निर्देश जारी किए (मई 2015)। इसके अतिरिक्त, जे.डी. एण्ड एस., जे.ए. अस्पताल समूह, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2015) कि राशि ₹ 78.24 लाख की वसूली संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से कर कोषालय में जमा करा दी गई है।

हालांकि, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से अधिक राशि की वसूली हेतु निर्देश जारी किए गए थे, उच्च दरों पर की गई खरीदी के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

ykd LokLF; ,o ifjokj dY;k.k foHkkx

3-1-4 vf/kd ykxr dh olyh u gkuk

fjLd ,o dkLV d vk/kkj ij vk"kf/k;k d LFkkuh; Ø; djus e g, vf/kd 0;; jkf'k ₹ 74-90 yk[k dh olyh ukfedkxr inky;drkvk ls ugh dh xbl FkhA

राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में सभी रोगियों को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण औषधि और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा नई दवा नीति–2009 लागू की गई थी (अगस्त 2009) जिसमें अधिप्राप्ति के लिए विकेन्द्रीकृत प्रणाली प्रावधानित की गई है। तदनुसार, संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) और सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक (सी.एस.) द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम, चेन्नई (टी.एन.एम.एस.सी.) के साथ नामिकागत (इम्पैनल्ड) दवा कम्पनियों को आपूर्ति आदेश जारी करना था तथा उनके द्वारा भुगतान किया जाना था। दवा नीति की कंडिका क्रमांक 18.1.2 के अनुसार यदि 60 दिनों की समय सीमा में प्रदायगी पूर्ण नहीं की जाती है तो आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। केन्द्रीय दर अनुबंध की धारा 12.7 के अनुसार, यदि निविदाकर्ता निर्धारित समय सीमा में आपूर्ति करने में असफल रहता है तब निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (टी.आई.ए) आपूर्तिकर्ता की रिस्क एवं कॉस्ट पर किसी अन्य स्रोतों से औषधि एवं दवाओं की खरीद करने हेतु स्वतंत्र है।

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे (अक्टूबर 2012) कि राज्य औषधि प्रबंधन सूचना प्रणाली (एस.डी.एम.आई.एस.) के माध्यम से दिए गए क्रय आदेश की आपूर्ति 60 दिनों के अन्दर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में रिस्क एवं कॉस्ट के आधार पर औषधि और दवाओं की अधिप्राप्ति स्थानीय स्तर पर की जा सकती है।

टी.एन.एम.एस.सी. के पैरा 17 (10) (अ) के अनुसार क्रय आदेश की शर्त एवं निबंधन के अनुसार, वैकल्पिक क्रय करने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता की प्रतिभूति जमा को राजसात करने के अतिरिक्त उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अन्य स्रोतों/खुले बाजार/अन्य आपूर्तिकर्ता द्वारा उच्च उद्धृत दर पर क्रय करने और प्रक्रिया में अन्य नुकसानों की पूर्ति में, अनुबंधित मूल्य से अधिक व्यय होने पर आदेशकर्ता प्राधिकारी आपूर्तिकर्ता की प्रतिभूति जमाराशि से अथवा अन्य कोई राशि जो आपूर्तिकर्ता को देय हो से वसूली कर सकेगा और इस प्रकार की राशि अपर्याप्त होने की स्थिति में बकाया राशि आपूर्तिकर्ता से व्यक्तिगत रूप से वसूल की जाएगी।

दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2014 की अवधि के दौरान छह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी[3] तथा चार सिविल सर्जन[4] के अभिलेखों (क्रय आदेश, आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत बिलों एवं किए गए भुगतानों इत्यादि) की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि टी.एन.एम.

---

[3] सी.एम.एच.ओ.–बड़वानी (दिसम्बर 2013), डिन्डोरी (अक्टूबर 2014), गुना (जून 2014), इन्दौर (नवम्बर 2014), नीमच (दिसम्बर 2014) और रायसेन (मई 2014)

[4] सी.एस.–बेतुल (मई 2014), होशंगाबाद (जून 2014), उज्जैन (सितम्बर 2014) और उमरिया (फरवरी 2014)

एस.सी. के साथ नामिकागत कम्पनियों को विभिन्न औषधियों की अधिप्राप्ति हेतु राशि ₹ 93,85,060 के क्रय आदेश जारी किए गए थे किन्तु औषधियों की आपूर्ति 60 दिनों के अन्दर प्राप्त नहीं हुई थी। औषधियों की आपूर्ति न किए जाने के कारण अभिनिश्चित करने के लिए कुछ भी अभिलेखों में नहीं था। हमने पाया कि राशि ₹ 1,68,75,270 की लागत की औषधियां खुले बाजार से स्थानीय रूप में क्रय की गईं किन्तु उपर्युक्त प्रावधानों/दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने वाले चूककर्ता आपूर्तिकर्ताओं से लागत के अंतर की राशि ₹ 74,90,210 की वसूली नहीं की गई थी। विस्तृत विवरण *ifjf'k"V 3-3* में दर्शाया गया है। इस प्रकार, दवा के स्थानीय क्रय पर अधिक व्यय की गई राशि ₹ 74.90 लाख की वसूली टी.एन.एम.एस.सी. के साथ नामिकागत आपूर्तिकर्ताओं/कंपनियों से नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के तथ्यों एवं आकड़ों का सत्यापन किया और सूचित किया कि वसूली प्रक्रियाधीन है, पूर्ण राशि की वसूली पश्चात जानकारी से अवगत करा दिया जाएगा।

तथ्य यह है कि विभाग द्वारा राशि ₹ 74.90 लाख का अधिक व्यय किया गया और इसकी वसूली हेतु सामयिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।

3-1-5 vik= fgrxkfg;k dk vufpr Hkxrku

ilfr vodk'k lgk;rk ;ktuk d vrxr vik= efgykvk dk jkf'k ₹ 1-02 djkM dk vufpr Hkxrku fd;k x;kA

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति अवकाश सहायता की स्वीकृति एवं भुगतान के लिए शर्तें एवं प्रक्रिया के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे (जुलाई 2014)। योजना यह प्रावधानित करती है कि सात योजनाओं[5] में से किसी एक में पंजीबद्ध श्रमिकों को मातृत्व अवकाश के 45 दिवसों तथा पितृत्व अवकाश के 15 दिवसों की मजदूरी के बराबर राशि की पात्रता थी। यदि पति और पत्नी दोनों पंजीबद्ध श्रमिक थे, तो दोनों ही क्रमशः 15 दिवसों एवं 45 दिवसों की मजदूरी के बराबर भुगतान के पात्र थे। दोनों में यदि कोई एक, श्रमिकों की किसी भी योजना में पंजीबद्ध था तो केवल पंजीबद्ध श्रमिक ही इस योजना के अंतर्गत निर्धारित दर से भुगतान के लिए पात्र था। इस योजना को किसी भी दुरूपयोग से बचाने के लिए और केवल पात्र हितग्राहियों को ही योजना का लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु, कलेक्टर द्वारा नियुक्त एक दल द्वारा समय–समय पर योजना के क्रियान्वयन की नमूना जांच की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014/फरवरी 2015) में हमने पाया कि प्रसूति अवकाश योजना के अन्तर्गत अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के दौरान, 1565 प्रकरणों में 60 दिवसों की मजदूरी के बराबर राशि ₹ 1,35,40,140 का भुगतान किया गया था। आगे भुगतान प्रमाणकों के साथ संलग्न पंजीयन विवरणों की जाँच में प्रकट हुआ कि 1565 प्रकरणों में से केवल 46 महिलाएं और 1431 पति श्रमिक के रूप में पंजीबद्ध थे जो क्रमशः 45 दिवसों और 15 दिवसों की मजदूरी के बराबर राशि के भुगतान के पात्र थे। 88 प्रकरणों में न महिलाएं और न ही पति श्रमिक के रूप में पंजीबद्ध थे, इस प्रकार ये भुगतान के लिए अपात्र थे और इन हितग्राहियों की पात्रता विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है, इसलिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया सन्देहास्पद प्रतीत होती है। तथापि, भुगतान

---

[5] 1–मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, 2–मुख्यमंत्री घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, 3–मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं साईकिल रिक्शा कल्याण योजना 2009, 4–मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना 2012, 5–भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीबद्ध, 6–मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावती सहायता योजना एवं 7–केश शिल्पी कल्याण योजना 2013

अपंजीबद्ध प्रसूताओं को किया गया परिणामस्वरूप योजनान्तर्गत कुल भुगतान राशि ₹ 1.35 करोड़ में से इन अपात्र महिलाओं को राशि ₹ 1.02 करोड़ का भुगतान अनुचित था विस्तृत विवरण ifjf'k"V 3-4 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, योजना का क्रियान्वयन योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर द्वारा नियुक्त दल से कोई नमूना जांच करने का अभिलेखन नहीं पाया गया।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों का सत्यापन किया गया तथा प्रासंगिक नियमों के अनुसार सिद्धांत रूप में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के साथ सहमति व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दिया गया है इसलिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए प्रकरण मंत्रिमण्डल का अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए विचाराधीन है।

उत्तर यह पुष्टि करता है कि शासन द्वारा जारी निर्देशों (जुलाई 2014) के विपरीत भुगतान किए गए थे क्योंकि केवल पंजीबद्ध श्रमिक ही योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र थे।

3-1-6 enkd 'kYd dk de vkjki.k djuk

iVVk foys[kka dk iathdj.k u djk, tku ,o de enkd 'kYd dk vkjki.k fd, tku l 'kklu ₹ 52-13 yk[k d jktLo l ofpr jgkA

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–ए के अनुच्छेद 33 (ग) के उपबंधानुसार निर्धारित किए गए भाड़ों के अतिरिक्त प्रीमियम पर पट्टा प्रदाय किए जाने पर पट्टा विलेखों पर आठ प्रतिशत[6] की दर से मुद्रांक शुल्क का आरोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण अधिनियम 1908[7] ऐसे पट्टों पर देय मुद्रांक शुल्क का तीन चौथाई पंजीयन शुल्क के आरोपण को प्रावधानित करता है। वर्ष दर वर्ष या एक वर्ष से अधिक किसी भी अवधि या एक वार्षिक किराया आरक्षित करने वाली अचल संपत्ति के पट्टों का पंजीकरण अनिवार्य[8] है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन क्रमांक 3 के पैरा 3.1.3 में रोगी कल्याण समितियों द्वारा पट्टा विलेखों का पंजीयन न कराए जाने एवं कम मुद्रांक शुल्क के आरोपण पर प्रकाश डाला गया था।

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक विदिशा, धार, पन्ना, अलीराजपुर, अधीक्षक टी. बी. अस्पताल नौगांव (जिला छतरपुर), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के अर्न्तगत सिविल अस्पताल महीदपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ के अर्न्तगत सिविल अस्पताल जीरापुर के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा कि जिला अस्पतालों में सिविल सर्जन के अर्न्तगत रोगी कल्याण समितियों ने दुकानों को निजी व्यक्तियों को उच्चतम प्रीमियम पर किराए पर दिया था। रोगी कल्याण समितियों द्वारा जनवरी 1999 से अप्रैल 2014 की अवधि के दौरान कुल 181 दुकानों[9] को 35/36 महीने के आधार पर आगे विस्तार के लिए प्रावधान के साथ किराए पर दिया गया था। भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार, इन लिखतों पर ifjf'k"V 3-5 में वर्णित किए गए अनुसार कुल ₹ 29.95 लाख का मुद्रांक शुल्क देय था। तथापि हमने देखा कि ये लिखतें ₹ 20 से ₹ 1,660 के मुद्रांक पेपर पर निष्पादित की गईं थी। परिणामस्वरूप

---

6 1 अप्रैल 2008 से 7.5 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 2011 से 5.0 प्रतिशत पुनरीक्षित।

7 पंजीयन शुल्क की तालिका का अनुच्छेद II

8 पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 (घ)।

9 सिविल सर्जनः अलीराजपुर (06 दुकानें), धार (26 दुकानें), पन्ना (52 दुकानें) तथा विदिशा (08 दुकानें), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के अर्न्तगत सिविल अस्पताल महीदपुर (40 दुकानें), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ के अर्न्तगत सिविल अस्पताल जीरापुर (39 दुकानें), अधीक्षक टी. बी. अस्पताल छतरपुर (10 दुकानें)।

₹ 29.95 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण किया गया था। इसके अतिरिक्त, हमने देखा कि पट्टा विलेखों का पंजीकरण भी नहीं कराया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22.46 लाख का पंजीकरण शुल्क नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार, ifjf'k"V 3-5 में वर्णित अनुसार सरकार ₹ 52.13 लाख के राजस्व से वंचित रही। इससे सिविल सर्जन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाना दर्शित हुआ। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पट्टा विलेखों का पंजीकरण न कराए जाने के कारण शुल्कों का कम आरोपण पंजीयन विभाग के ध्यान में भी नहीं आ सका।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के तथ्यों एवं आंकड़ों को सत्यापित किया और बताया कि रोगी कल्याण समिति नियमावली 2010 द्वारा रोगी कल्याण समितियों को प्रदत्त शक्तियां निलम्बित कर दी गई हैं और नए विनियम संशोधन के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, सूचित किया गया कि व्यापार नियमों के अनुसार वसूलियां पंजीयन विभाग को सौंप दी गईं थी।

तथ्य यह है कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम एवं पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में सिविल सर्जन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की विफलता की वजह से पट्टा विलेखों का पंजीयन न कराए जाने एवं कम मुद्रांक शुल्क का आरोपण किए जाने के कारण शासन ₹ 52.13 लाख के राजस्व से वंचित रहा।

Ldwy f'k{kk foHkkx

3-1-7 jkT; cksMZ dks deZdkj dY;k.k midj dk iz"k.k ugha fd;k tkuk

ftyk ifj;kstuk leUo;d] ftyk f'k{kk dsUnz mTtSu] cqjgkuiqj] bUnkSj vkSj >kcqvk }kjk e/;izns'k Hkou ,oa vU; lfuekZ.k deZdkj dY;k.k cksMZ dks deZdkj dY;k.k midj ₹ 87-92 yk[k dk iz"k.k ugha fd;k x;kA

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कर्मकारों को आवासों के निर्माण, बच्चों की शिक्षा, मुख्य बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय एवं अन्य कल्याण उपाय के लिए कर्ज एवं अग्रिम के उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु म.प्र. शासन ने केन्द्रीय अधिनियम 1996 के अनुसरण में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार का नियमन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2002 बनाए। अप्रैल 2003 में, सरकार ने म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया, जिसके अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। मई 2003 में, ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों से संबंधित राशि पर एक प्रतिशत कर्मकार कल्याण उपकर लगाना अनिवार्य कर दिया था। संबंधित विभागों द्वारा इस तरह संग्रहीत किया गया उपकर संग्रहण/कटौती के एक माह के भीतर म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि में डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा कराया जाना था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 2015 के प्रतिवेदन क्रमांक 03 के पैरा 3.2.3 द्वारा राज्य बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर का प्रेषण नहीं किये जाने पर प्रकाश डाला गया था।

जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र उज्जैन, बुरहानपुर, इंदौर तथा झाबुआ के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2014 से मार्च 2015) तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में पाया गया कि इन जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा अवधि 2007–08 से 2013–14 के दौरान 3,980 निर्माण कार्यों के लिए ₹ 87.09 करोड विमुक्त किए गए थे। इन जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा कर्मकार कल्याण उपकर के लिए

राशि ₹ 87.92 लाख की कटौती की गई थी (जैसा कि ifjf'k"V 3-6 में विवरण दिया गया है), जिसे म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण बोर्ड में जमा नहीं किया गया था जबकि प्रावधानों के तहत इस राशि को 30 दिवसों के अन्दर सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण बोर्ड, भोपाल को भेजा जाना था। इस प्रकार, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं प्रावधानों का पालन न करने के कारण, बोर्ड उपकर की राशि ₹ 87.92 लाख से वंचित रहा।

इंगित किए जाने पर, जिला परियोजना समन्वयक उज्जैन ने बताया (दिसम्बर 2014) कि राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लिए एक प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए निर्माण एजेंसियों को राशि जारी की गई थी। कटौती की राशि जिले पर उपलब्ध है क्योंकि इसे बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया था। जिला परियोजना समन्वयक इन्दौर ने बताया (फरवरी 2015) कि उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक बुरहानपुर ने कहा (मार्च 2015) कि कल्याण उपकर की राशि शीघ्र जमा की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक झाबुआ ने कहा (फरवरी 2015) कि राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से निर्देश मिलने के बाद कटौती की राशि बोर्ड को प्रेषित की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि उपकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कर्मकार कल्याण उपकर के लिए कटौती की गई एक प्रतिशत की राशि बोर्ड को 30 दिवसों के भीतर प्रेषित की जानी थी परन्तु उसे प्रेषित नहीं किया गया जिसके कारण बोर्ड उपकर की राशि ₹ 87.92 लाख से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा भी सभी जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र को निर्देश जारी (अप्रैल 2012) किए गए थे कि प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लिए एक प्रतिशत का प्रावधान कर्मकार कल्याण उपकर के लिए अनुमान में ही किया गया है जिसे निर्धारित प्रयोजन के लिए जिला स्तर पर उपयोग किया जाना है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2015)।

ipk;r ,oa xzkeh.k fodkl foHkkx

3-1-8 mPPprj nj ij lheasV dk vfu;fer Ø;

mPPprj nj ij ₹ 1-68 djksM+ dh lheasV dk vfu;fer Ø; vkSj ₹ 52-29 yk[k dk ifjgk;Z vf/kd O;;A

मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम के नियम 7 के अनुसार जब तक यह नहीं दर्शाया जा सके कि वे स्वयं सामग्रियों का क्रय अधिक सस्ता अथवा अत्यावश्यकता की दशा में अधिक तत्परता से कर सकते हैं, तब तक भारत में ₹ 50,000 से अधिक प्रत्येक मूल्य का क्रय मांगकर्ता अधिकारी को महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान अभिकरण का उपयोग अवश्य करना चाहिए किन्तु जहां लघु उद्योग निगम मर्यादित के माध्यम से क्रय किया जाना हो तो वहां उपरोक्त प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम के नियम 14 के अनुसार परिशिष्ट–ख में सम्मिलित वस्तुओं का क्रय केवल मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए बिना किया जाना चाहिए। सीमेंट, परिशिष्ट–ख में सम्मिलित नहीं थी, अतः एक आरक्षित वस्तु नहीं थी।

विकास आयुक्त ने निर्देश जारी किए (सितम्बर 2006) कि सीमेंट म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय करने हेतु आरक्षित मद नहीं था इसलिए प्रतिस्पर्धी दरों को आमंत्रित कर और निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर इसका क्रय किया जाना था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निर्देश जारी किए (अक्टूबर 2009) कि आगामी आदेश तक सीमेंट का क्रय म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से नहीं किया जाए।

कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, संभाग शहडोल के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2014) से प्रकट हुआ कि अवधि 2010–11 से 2012–13 के दौरान राशि ₹ 168.29 लाख की 3,726.39 मीट्रिक टन सीमेंट का क्रय म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से किया गया अर्थात बिना प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त किए अथवा महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान के माध्यम से। यह क्रय विकास आयुक्त के निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय नियम के प्रावधानों के विपरीत किया गया था।

म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से की गई खरीद की दरों की तुलना, महानिदेशक प्रदाय एवं निपटान की दरों से करने पर यह पाया गया कि म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से खरीदी करने से ₹ 52.29 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ था जिसका विवरण ifjf'k"V&3-7 में दिया गया है। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, शहडोल द्वारा न तो महानिदेशक प्रदाय एवं निपटान और न ही प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ उठाया गया था। इस प्रकार, विकास आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियम के प्रावधानों का पालन न करने के कारण राशि ₹ 1.68 करोड़ की सीमेंट खरीद पर ₹ 52.29 लाख का अधिक व्यय किया गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर, सरकार ने बताया (जुलाई 2015) कि बजट की कमी तथा अग्रिम भुगतान का प्रावधान न होने के कारण महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान के माध्यम से खरीद के विकल्प पर विचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में यह सूचित किया गया कि विशेष परिस्थितियों में तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं संभाग शहडोल को म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से सीमेंट खरीदने की अनुमति दी गई थी (अप्रैल 2010) तथापि खरीद विशेष परिस्थितियों में की गई थी या नहीं की जाँच की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से खरीदी के लिए सीमेंट आरक्षित मद नहीं थी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं शहडोल द्वारा 2010–11 से 2012–13 की अवधि के दौरान सीमेंट लगातार म.प्र. लघु उद्योग निगम से खरीदी गई थी और विशेष परिस्थितियों में की गई खरीद के लिए औचित्य के बारे में रिकार्ड में कुछ भी नहीं था।

3-1-9 tek dk;ksa ij vfu;fer 0;;

,d dk;Z ds fy, izLrqr vkcaVu dh jkf'k dk mi;ksx nwljs dk;Z ds fy, djds tek dk;ksa ij ₹ 8-22 djksM+ dk vfu;fer 0;; fd;k x;kA

ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण रखने हेतु मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली एवं केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता को अंगीकृत किया (अक्टूबर 1980)। मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 2.167 (ड़) के अनुसार कार्य निष्पादन के लिये अपेक्षित निधि को कार्य आरम्भ किये जाने के पूर्व कोषालय में प्राथमिकता से भुगतान अवश्य कर दिया जाना चाहिए परन्तु यदि शासन

इस बात से संतुष्ट हो कि राशि की जब आवश्यकता होगी उपलब्ध हो जावेगी तो वह अंशदाता से नियत दिनांकों पर उपयुक्त किश्तों के द्वारा वसूली को अधिकृत कर सकता है। लोक कार्यों के लिये अंशदान के रूप में जमा राशि पर कोई ब्याज मंजूर नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 2.167 (च) और 2.170 क्रमशः यह प्रावधानित करते हैं कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना प्राप्त अंशदान से आधिक्य व्यय नहीं किया जाएगा एवं एक कार्य के लिये प्राप्त अंशदान को अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, संभाग खरगोन के मासिक लेखों के फार्म–79 की संवीक्षा में पाया गया (जुलाई 2014) कि 19 योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न जमा कार्यों के लिये प्राप्त अंशदान राशि को प्रत्यावर्तित कर ₹ 8.22 करोड़ राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना व्यय किए गए थे जिसका विवरण ifjf'k"V 3-8 में दर्शाया गया है। हमने पाया कि 2013–14 के दौरान तीन योजनाओं अर्थात एम.पी. निधि, राज्य सभा और एन.टी.पी.सी टॉयलेट हेतु ₹ 94.97 लाख प्राप्त हुए थे जिसके विरूद्ध ₹ 1.08 करोड़ व्यय किए गए थे। वर्ष 2013–14 के दौरान शेष 16 योजनाओं के लिये कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2014 से जून 2014 के दौरान राशि प्राप्त किये बिना, कार्यालय द्वारा दो योजनाओं (एम.पी. निधि और 13वें वित्त आयोग) पर ₹ 6.36 लाख व्यय किए गए थे। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि मार्च 2013 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत प्रारंभिक शेष ₹ 2.73 करोड़ था और ₹ 3.16 करोड़ प्राप्त हुए थे। कुल उपलब्ध राशि ₹ 5.89 करोड़ के विरूद्ध ₹ 12.16 करोड़ व्यय किए गए थे। इस प्रकार, एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. पर ₹ 6.27 करोड़ अधिक व्यय किए गए थे। अन्य योजनाओं/कार्यों, जिनसे राशि प्रत्यावर्तित की गई और व्यय की गई थी, से संबंधित कोई अभिलेख/तथ्य उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्यालय द्वारा जून 2014 तक अन्य योजनाओं की राशि को प्रत्यावर्तित कर ₹ 8.22 करोड़ अनियमित खर्च किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने तथ्यों एवं आकड़ों को स्वीकार किया और सत्यापित किया, उनके द्वारा पुस्तक समायोजन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये लेखापरीक्षा की सराहना भी की गई।

ykd LokLF; ;kf=dh foHkkx

3-1-10 vf/kd Hkxrku

'kklu }kjk fu/kkZfjr lhek ls vf/kd jkf'k ₹ 108-48 yk[k dk vf/kd O;; gSaMiEiksa ds j[kj[kko ij fd;k x;k FkkA

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक हैंडपंपों के रखरखाव के लिए ₹ 500 प्रति वर्ष की वित्तीय सीमा निर्धारित की गई थी (जनवरी 1991)। हैंडपंपों के रखरखाव के लिए वित्तीय सीमा को ₹ 1,600 प्रति हैंडपंप प्रति वर्ष इस निर्देश के साथ संशोधित किया गया था कि हैंडपंप रखरखाव पर व्यय इस सीमा से अधिक न हो (जनवरी 2014)।

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, धार में हैंडपंपों के रखरखाव संबंधी अभिलेखों अर्थात् प्रगति प्रतिवेदन, प्रमाणक नस्तियां इत्यादि की संवीक्षा (जनवरी 2015) में यह पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान 15,723 हैंडपंपों के रखरखाव/मरम्मत पर निर्धारित सीमा राशि ₹ 119.74 लाख के विरूद्ध कुल राशि ₹ 228.22 लाख व्यय

किए गए थे और इस प्रकार हैंडपंपों के रखरखाव पर राशि ₹ 108.48 लाख का अधिक व्यय किया गया था जिसका विवरण ifjf'k"V 3-9 में दर्शाया गया है। हमने देखा कि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, धार द्वारा 22.01.2014 तक शासन द्वारा निर्धारित सीमा ₹ 500 और 23.01.2014 से ₹ 1,600 के विरूद्ध हैंडपंपों के रखरखाव पर 22.01.2014 तक ₹ 1,381.72 प्रति हैंडपंप और 23.01.2014 से मार्च 2014 तक ₹ 1,675 प्रति हैंडपंप व्यय किए गए, परिणामतः ₹ 108.48 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हमने यह भी पाया कि संभाग में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों और शिकायतों के निराकरण संबंधी अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, संभाग/विभाग द्वारा शिकायत की प्राप्ति एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी। इस प्रकार, शिकायतों की वास्तविक संख्या और मरम्मत किए गए हैंडपंपों की संख्या का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका था।

इस ओर इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (जनवरी 2015) कि शासन द्वारा ₹ 500 प्रति हैंडपंप की सीमा लगभग 18 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी तथा भुगतान, सामग्री और मजदूरी में वृद्धि हुई दर पर करना होता है इसलिए अधिक भुगतान नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है, इसलिए जनपद पंचायतों के नोडल अधिकारी से प्राप्त जानकारी, मुख्यमंत्री हेल्प लाईन एवं लोक सेवा केन्द्र एवं सहायक यंत्री/उपयंत्री/तकनीशियन के मोबाईल पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हैंडपंपों के मरम्मत पर शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया गया था परिणामतः अधिक व्यय हुआ था और हैंडपंपों के रखरखाव/मरम्मत संबंधी शिकायतों के लिए अभिलेख रखने हेतु कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

x`g foHkkx

3-1-11 mPprj njksa ij Ø; ds dkj.k vf/kd O;;

₹ 2-15 djksM+ dk vfu;fer Ø;] ifj.kkeLo:Ik mPprj nj ij Ø; ds dkj.k ok;jysl lsV ,oa lgk;d midj.kksa dh vf/kizkfIr ij ₹ 64-98 yk[k dk vf/kd O;;A

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 9(i) में प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से लोक निधि से व्यय करते समय उसी सतक्रता का प्रयोग करना अपेक्षित है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के धन का व्यय करते समय करता है और क्रय सबसे मितव्ययी तरीके से किया जाना चाहिए। सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 160 के अनुसार प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन, बोली दस्तावेजों में पहले से शामिल शर्तों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, कोई नई शर्त जो बोली दस्तावेजों में शामिल नहीं थी बोलियों के मूल्यांकन के लिए नही लाना चाहिए।

पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) रेडियो, मध्यप्रदेश, भोपाल ने सितम्बर 2011 में 20/25 और 2/5 वाट के वायरलेस सेट एवं उसके सहायक उपकरणों की आपूर्ति के लिए खुली निविदाएं (तकनीकी एवं वित्तीय बोलियां) आमंत्रित की थी। निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) की शर्तों के अनुसार तकनीकी बोली खोलने से पहले तकनीकी परीक्षण

हेतु सेट का एक नमूना प्रदाय करना सभी बोली लगाने वालों के लिए अनिवार्य था एवं यदि नमूना निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार न पाया जाए तो इकाई के लिए उद्धृत दर वाले वाणिज्यिक पत्र को नहीं खोला जाना था। यह प्रावधान भी था कि वाणिज्यिक निविदाओं को केवल तकनीकी बोलियों के अर्हता के बाद ही खोला जाएगा।

एस.पी. (रेडियो), मध्यप्रदेश, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2014) के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने फर्म 'अ' द्वारा उद्धृत दर ₹ 10,122 प्रति इकाई, जो 20/25 वाट के वायरलेस सेटों के संबंध में तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त छह बोली लगाने वालों के मध्य छठवीं सबसे कम बोली थी, को अनुमोदित किया। फर्म को ₹ 117.00 लाख की लागत की 1,152 इकाइयों के लिए आपूर्ति आदेश जारी किया गया था। आगे, 2/5 वाट वायरलेस सेटों के संबंध में, विभाग ने फर्म 'स' द्वारा उद्धृत दर ₹ 9,324 प्रति इकाई को अनुमोदित किया जो सात बोली लगाने वालों के 11 तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त सेटों के मध्य आठवीं सबसे कम बोली थी। 1,052 इकाईयों के लिए कुल लागत ₹ 98.08 लाख थी।

आगे की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी.ई.सी.) ने तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त फर्मों के बारे में अभिलिखित किया (नवम्बर 2011) कि मॉडलों ने न्यूनतम मापदण्डों को पूरा किया और विभाग के लिए उपयोगी थे। फर्म 'अ' को तकनीकी रूप से अर्ह घोषित किया गया और अंततः उसे 20/25 वाट वायरलेस सेटों के संबंध में आपूर्ति आदेश मिल गया। फर्मों को अंतिम रूप देते समय केंद्रीय क्रय समिति (सी.पी.सी.) ने अभिलिखित किया (जनवरी 2012) कि फर्म 'ब', जिसने सबसे कम दर ₹ 8,342 प्रति इकाई उद्धृत किया था, के पास स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। इन मॉडलों को अन्य राज्यों के पुलिस विभाग, सैन्य बलों को विक्रय करने का प्रमाणपत्र भी फर्म द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। मॉडल का उपयोग विभाग द्वारा इससे पहले नहीं किया गया था इसलिए उनका प्रदर्शन अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता था। इसलिए, सी.पी.सी. ने क्रय के लिए इस फर्म की अनुशंसा नहीं की। इसी प्रकार के कारण अन्य फर्मों की अनुशंसा न करने के लिए अभिलिखित किए गए जैसा कि ifjf'k"V 3-10 में वर्णित है। सी.पी.सी. ने फर्म 'अ' के मॉडल को क्रय करने की अनुशंसा की जिसने छठवीं सबसे कम दर (₹ 10,122) उद्धृत की थी।

2/5 वाट वायरलेस सेट के संबंध में समिति ने अभिलिखित किया कि फर्म 'द' जिसने ₹ 5,096 का न्यूनतम दर उद्धृत किया था, चीन निर्मित मॉडल प्रस्तावित किया और उसके पास स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। इसलिए सी.पी.सी. ने मॉडल के क्रय हेतु अनुशंसा नहीं की। इसी प्रकार के कारण अन्य फर्मों की अनुशंसा न करने के लिए दिए गए जैसा कि ifjf'k"V 3-11 में वर्णित है। सी.पी.सी. ने क्रय हेतु फर्म 'स' के मॉडल की अनुशंसा की जिसने आठवां सबसे कम दर (₹ 9,324) उद्धृत किया था।

लेखा परीक्षा ने देखा कि सी.पी.सी. ने नई शर्तें जैसे फर्म का स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था, फर्म द्वारा निविदा के साथ अन्य राज्यों के पुलिस विभाग/सैन्य बलों को आपूर्ति/विक्रय करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया, मॉडल का उपयोग विभाग द्वारा इससे पहले नहीं किया गया और अन्य स्रोतों से उनका कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, को शामिल किया, जो बोलियों के मूल्यांकन के लिए बोली दस्तावेजों में शामिल नहीं की गई थी। 20/25 वाट वायरलेस सेटों के संबंध में ₹ 8,342 प्रति इकाई न्यूनतम दर की तुलना में ₹ 10,122 प्रति इकाई का उच्चतर दर उद्धृत करने वाले फर्म और 2/5 वाट वायरलेस सेटों के लिए ₹ 5,096 प्रति इकाई न्यूनतम दर की तुलना में ₹ 9,324 प्रति इकाई दर को अनुमोदित करने के सी.पी.सी. के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 2.15 करोड़ का अनियमित क्रय हुआ तथा ₹ 64.98 लाख (20/25 वाट वायरलेस सेट के लिए ₹ 20.50 लाख और 2/5 वाट वायरलेस सेट के लिए ₹ 44.48 लाख) का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014) कि वायरलेस सेटों का क्रय सी.पी.सी. की अनुशंसा के आधार पर पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के बाद किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सबसे कम बोली को स्वीकार नहीं करने के लिए सी.पी.सी द्वारा अभिलिखित किए गए कारण एन.आई.टी. के शर्तों का हिस्सा नहीं थे और जी.एफ.आर. 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन थे। सी.पी.सी. ने टी.ई.सी. की अनुशंसाओं, कि तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त मॉडलों ने न्यूनतम निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण किया और विभाग के लिए उपयोगी थे, की उपेक्षा की और छठवें तथा आठवें सबसे कम बोली लगाने वाले की अनुशंसा कर दी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2015); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

3-1-12 iio l'kkf/kr njk d mi;kx d dkj.k i'keu 'kYd jkf'k dh de olyh

ekVj okgu vf/kfu;e 1988 d rgr iio l'kkf/kr njk ij i'keu 'kYd dh olyh d ifj.kkeLo:i jkf'k ₹ 65-99 yk[k d i'keu 'kYd dh de olyhA

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 29 के अनुसार, कोई विशेष व्यवस्था के अधीन जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किसी विशेष वर्ग की प्राप्तियों के लिये प्राधिकृत की गई हो, विभागीय नियंत्रण अधिकारियों का यह देखने का कर्तव्य है कि शासन को देय समस्त धनराशि नियमित रूप से तथा तत्परता से निर्धारित कर वसूल की जा रही है तथा संचित निधि अथवा लोक लेखा में जमा की जा रही है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम) की धारा 200 के अन्तर्गत, कोई अपराध किया गया हो जो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय हो, ऐसे राशि के लिए प्रशमन किया जा सकता है जो राज्य शासन, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 की सं. 59) की धारा 200 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं परिवहन विभाग की अधिसूचना (अगस्त 2005) के अधिक्रमण में, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सरकारी राजपत्र (मार्च 2012) में विभिन्न धाराओं[10] के अन्तर्गत दण्डनीय विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए प्रशमन शुल्क की दरों में संशोधन किया गया जिसे आगे और संशोधित किया (जनवरी 2013)।

आठ[11] जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एस.पी.) के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि मोटर वाहन और यातायात से संबंधित कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पंजीकृत 20,128 मामलों में, इस तथ्य के बावजूद कि, प्रशमन शुल्क की दरें मध्यप्रदेश शासन द्वारा सरकारी राजपत्र में संशोधित कर दी गई थी (मार्च 2012 से जनवरी 2013), प्रशमन शुल्क पूर्व संशोधित दरों पर लगाया गया जो कि संशोधित दरों की तुलना में कम थे। इसके परिणामस्वरूप प्रशमन शुल्क राशि ₹ 65.99 लाख कम अधिरोपित हुआ। जिलेवार विवरण ifjf'k"V 3-12 में दर्शाए गए हैं।

---

10 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 124, 130, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 190, 192, 194, 196 एवं 198

11 शाजापुर, सागर, शहडोल, अनूपपुर, और दमोह (जनवरी 2015), टीकमगढ़ (फरवरी 2015), रीवा (मार्च 2015) और उमरिया (अप्रेल 2015)

इस ओर इंगित किये जाने पर, एस.पी., शाजापुर (मई 2015), एस.पी., शहडोल, अनूपपुर (जनवरी 2015), एस.पी., दमोह, सागर, टीकमगढ़ (फरवरी 2015), एस.पी., रीवा (मार्च 2015) एवं एस.पी., उमरिया (अप्रेल 2015) द्वारा अवगत कराया कि संशोधित दरों के निर्देश देर से प्राप्त हुए थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि प्रशमन शुल्क की राशि सरकारी राजपत्र में निर्धारित संशोधित दर से उसकी अधिसूचना की तारीख से वसूल की जानी थी। इससे आगे परिलक्षित हुआ कि इस तरह के आदेशों/अधिसूचनाओं का क्रियान्वयन शाखाओं को तत्काल संचार सुनिश्चित करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप प्रशमन शुल्क की राशि ₹ 65.99 लाख कम वसूली हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

efgyk ,o cky fodkl foHkkx

3-1-13 [kk|kUu dh eY; dh de olyh

lk>k pYgk dk;Øe d vrxr idk gvk Hkkstu ink; dju grq lyXu Lo&lgk;rk legk ls [kk|kUu dh eY; dh de olyh jkf'k ₹ 4-82 djkM

म.प्र.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यू.सी.डी.डी.) द्वारा तीन से छह वर्ष के बच्चों को पोषण आहार की आपूर्ति हेतु जारी निर्देश (अक्टूबर 2009) के अनुसार, परियोजना अधिकारी (पी.ओ.) द्वारा पिछले तीन माहों में हितग्राहियों की औसत उपस्थिति के आधार पर, स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को खाद्यान्न[12] का त्रैमासिक निर्गम आदेश (आर.ओ.) जारी किया जाएगा। आर.ओ. के अनुसार एस.एच.जी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकानों से खाद्यान्न को उठाया जाएगा।

जुलाई 2010 में, विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए कि जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी.पी.ओ.) द्वारा खाद्यान्न के मूल्य[13] की राशि अग्रिम के रूप में मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एम.पी.एस.सी.एस.सी.) को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि एस.एच.जी द्वारा पी.डी.एस. दुकानों से खाद्यान्न को निःशुल्क प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक माह के अन्त में एस.एच.जी. द्वारा पका हुआ नाश्ता एवं भोजन हेतु ₹ 4 प्रति बच्चों की दर से भुगतान हेतु दावा किया जाएगा। एस.एच.जी. द्वारा डी.पी.ओ. को प्रस्तुत देयकों से खाद्यान्न के मूल्य[14] की वसूली की जाएगी। आगे, म.प्र. शासन, डब्ल्यू.सी.डी.डी. द्वारा निर्देश जारी किए गए (फरवरी 2014) कि एस.एच.जी. को पी.डी.एस. दुकानों से खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, मध्यान्ह भोजन योजना की प्रक्रिया के अनुसार अर्थात एस.एच.जी. से खाद्यान्न के मूल्य की वसूली नहीं की जाएगी।

पांच जिला कार्यक्रम अधिकारी[15] एवं पी.ओ., खण्ड फन्दा, जिला भोपाल (मार्च 2015) के कार्यालयों में सम्बन्धित अभिलेखों की जांच एवं आगे एकत्रित जानकारी में पाया गया कि जुलाई 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान डी.पी.ओ./पी.ओ. द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु ₹ 21.92 करोड़ का भुगतान एम.पी.एस.सी.एस.सी. को किया

---

[12] गेहूँ एवं चावल

[13] गेहूँ ₹ 463 प्रति क्विंटल, चावल ₹ 607 प्रति क्विंटल

[14] गेहूँ ₹ 500 प्रति क्विंटल, चावल ₹ 650 प्रति क्विंटल में लीड समितियों के परिवहन प्रभार, समितियों के प्रशासनिक प्रभार तथा उचित मूल्य की दुकान का कमीशन क्रमशः गेंहू ₹ 37 एवं ₹ 43 प्रति क्विंटल सम्मिलित है

[15] बालाघाट (मई 2013 एवं मई 2014), रायसेन (अक्टूबर 2013 एवं मई 2014), छिन्दवाड़ा (फरवरी 2015 एवं मई 2015), पन्ना (फरवरी 2014 एवं जून 2014), उमरिया (जनवरी 2014 एवं दिसम्बर 2014)

गया। इस प्रकार, ₹ 23.62 करोड़ (₹ 21.92 करोड़ + ₹ 1.70 करोड़ अन्य प्रभार मद में) की राशि 6,029 एस.एच.जी. के देयकों से दिसम्बर 2013 तक वसूल की जानी थी। आगे, जांच में हमने देखा कि एस.एच.जी. को मार्च 2014 तक का भुगतान किया जा चुका था। डी.पी.ओ./पी.ओ. द्वारा मार्च 2014 तक मात्र ₹ 18.95 करोड़ वसूल किए गए थे। इस प्रकार डी.पी.ओ./पी.ओ. द्वारा ₹ 4.82 करोड़ कम वसूल किए गए थे। विस्तृत विवरण ifjf'k"V 3-13 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर डी.पी.ओ./पी.ओ.[16] ने बताया कि वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा। आगे, डी.पी.ओ. रायसेन एवं बालाघाट ने सूचित किया (सितम्बर एवं नवम्बर 2014) कि सम्पूर्ण बकाया राशि की वसूली एस.एच.जी. के देयकों से कर ली गई है। इस प्रकार, ₹ 3.56 करोड़ की राशि अभी भी वसूली हेतु शेष थी।

डी.पी.ओ. के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि डी.पी.ओ./पी.ओ. द्वारा खाद्यान्न के मूल्य की वसूली मार्च 2014 तक के देयकों से की जानी चाहिए थी। आगे, संशोधित निर्देशों (फरवरी 2014) के अनुसार एस.एच.जी. को खाद्यान्न निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा तथा एस.एच.जी को मार्च 2014 तक का भुगतान किया जा चुका था, एस.एच.जी से वसूली कठिन होगी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के पश्चात संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवाएं द्वारा खाद्यान्न की राशि वसूली किए जाने एवं वसूली का अनुवीक्षण किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं (जून एवं जुलाई 2015)।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

3-2 vlko/kkuh@iz'kklfud fu;=.k esa foQyrk

सरकार का दायित्व है कि वह जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे। जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास तथा अधोसंरचना एवं लोक सेवा के उन्नयन के क्षेत्र आदि में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्य करती है। तथापि लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए जिनमें समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा दी गई निधियां अप्रयुक्त/अवरुद्ध रहीं और/अथवा विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्रवाई के अभाव के कारण निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुईं। कुछ ऐसे प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है।

vk;q"k foHkkx

3-2-1 vk"kf/k ijh{k.k iz;ksx'kkyk dk xSj lapkyu

'kkldh; vk;qosZfnd egkfo|ky;] Xokfy;j esa Hkkjr ljdkj }kjk foRr iksf"kr vk"kf/k ijh{k.k iz;ksx'kkyk dk xSj lapkyu ds dkj.k ₹ 82-72 yk[k dk fu"Qy O;;A

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा शासकीय औषधालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक केन्द्र प्रवर्तित योजना पुनःस्थापित (नवम्बर 2000) की गई थी। योजना में प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ रूपये तक की एक बार

16 बालाघाट (मई 2013), डी.पी.ओ. रायसेन (अक्टूबर 2013), डी.पी.ओ., छिन्दवाड़ा (फरवरी 2015 एवं मई 2015), डी.पी.ओ., पन्ना (फरवरी 2014 एवं जून 2014), डी.पी.ओ., उमरिया (दिसम्बर 2014), एवं पी.ओ. आई.सी.डी.एस. खण्ड फन्दा जिला भोपाल (फरवरी 2015)

केन्द्रीय सहायता का प्रावधान था जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से तीन वैज्ञानिक अधिकारियों तथा चार सहायक कर्मचारियों से चलाया जाना था। प्रयोगशाला को दो वर्षों में पूर्णतः संचालित होना था तथा प्रतिवर्ष परीक्षण के 500 औषधि नमूनों के लक्ष्य को पूरा करना था।

आयुष[17] (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी) संचालनालय म.प्र. शासन ने शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा (जुलाई 2001)। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने आयुष संचालनालय म.प्र. शासन के प्रस्ताव के आधार पर, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय ग्वालियर में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु एक करोड़[18] रूपये स्वीकृत[19] किए थे। इसके अतिरिक्त, संसदीय स्थायी समिति ने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय ग्वालियर के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त ₹ 35 लाख की अनुशंसा की। भारत सरकार ने पूर्व के अनुदान से खर्च नहीं की गई राशि के रूप में ₹ 19.31 लाख घटाकर ₹ 15.69 लाख स्वीकृत किए थे (सितम्बर 2008)। इस प्रकार, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिये भारत सरकार द्वारा कुल ₹ 1.16 करोड़ जारी किए गए थे।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2014) में यह देखा गया कि भवन के निर्माण पर ₹ 22.44 लाख, 'मशीनरी और उपकरण' की खरीद पर ₹ 54.57 लाख तथा फर्नीचर पर ₹ 3.68 लाख का व्यय किया गया था। भारत सरकार को ₹ 80.69 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया था (जून 2006)। आगे, राशि ₹ 2.03 लाख का व्यय किताबों की खरीद, स्टेशनरी तथा बिजली फिटिंग के लिए दिसम्बर 2008 तक किया गया था। तथापि, सहायता अनुदान की बकाया राशि ₹ 33.28 लाख अप्रयुक्त बची हुई थी और आयुष संचालनालय के बैंक खाते में रखी गई थी। खरीदे गए मशीन और उपकरण संस्थापित नहीं किए गए थे और नौ वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय रखे हुए थे (नवम्बर 2014)।

यह भी पाया गया कि शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय ग्वालियर ने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के लिए पदों का सृजन करने के लिए संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म. प्र. भोपाल को प्रस्ताव भेजे थे (अक्टूबर 2002, मई 2004) और तत्पश्चात संचालक आयुष द्वारा म.प्र. शासन को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के कार्य संचालन के लिए वैज्ञानिक अधिकारियों के दो पद और सहायक स्टाफ के चार पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे (सितम्बर 2003, जून 2005 तथा फरवरी 2008)। म.प्र. शासन द्वारा जनवरी 2009 में वैज्ञानिक अधिकारियों के दो पद तथा सहायक स्टाफ के चार पद स्वीकृत किए गए थे। तथापि यह पद रिक्त पड़े हुए थे और अभी भी भरे जाने थे (अक्टूबर 2014)।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की। यह भी सूचित किया गया कि कर्मचारियों की

---

17 संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का नाम सितम्बर 2008 में संचालनालय आयुष किया गया था।

18 भवनः ₹ 25 लाख; मशीनरी/उपकरणः ₹ 65 लाख; संविदा जनशक्तिः ₹ 10 लाख।

19 मार्च 2002 में भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त ₹ 95 लाख स्वीकृत किए गए थे और बकाया ₹ 5 लाख अक्टूबर 2004 में प्रदाय किए गए थे।

भर्ती प्रक्रियाधीन है इसके पश्चात औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को क्रियाशील बनाया जाएगा।

तथ्य यह हैं कि औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का दस वर्षों बाद भी प्रचालन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पदों की स्वीकृति 2009 में प्राप्त हुई थी परन्तु पद अभी भी भरे जाने थे। अतः औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण पर किया गया व्यय ₹ 82.72 लाख निष्फल साबित हुआ।

mPp f'k{kk foHkkx

3-2-2 dU;k egkfo|ky; d Hkou fuekZ.k ij fu"Qy 0;;

₹ 1-28 djksM+ dh ykxr l s fufeZr dU;k egkfo|ky; Hkou d s mi;ksx u gksu s d s ifj.kkeLo:Ik fu"Qy 0;;A

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली का पैरा 2.031 प्रावधानित करता है कि सार्वजनिक भवन के लिए स्थल का चयन कलेक्टर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, स्थानीय प्रशासनिक निकाय का एक प्रतिनिधि, संबंधित विभाग का वरिष्ठ प्रतिनिधि और उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से मिलकर बनी समिति द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 2.034 के संदर्भ में, भूमि का अधिग्रहण करने तथा लोक निर्माण विभाग को सौंपने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।

शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगौन के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2014) में पाया गया कि सात एकड़ जमीन का भूखण्ड एक निजी व्यक्ति द्वारा 1992 में शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगौन, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगौन के परिसर में संचालित हो रहा था, के भवन निर्माण के लिए दान किया गया था। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा को सूचित किया गया था (जून 1992) कि भूखण्ड शासकीय कन्या महाविद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि यह शहर से करीब दो किलोमीटर दूर बिना पंहुच मार्ग के निर्जन क्षेत्र में स्थित था। कलेक्टर खरगौन ने प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग तथा विधानसभा के स्थानीय सदस्य के साथ स्थल का निरीक्षण किया (अगस्त 1992) और स्थल को शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए अनुशंसित किया (सितम्बर 1992)। मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगौन के भवन निर्माण के लिए ₹ 76.80 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 1996) और आगे ₹ 1.04 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2003)। शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन का निर्माण, लोक निर्माण विभाग संभाग खरगौन द्वारा ₹ 84.20 लाख की लागत से किया गया था और महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा भवन दिसम्बर 2009 में ले लिया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, बिजली कनेक्शन, नलकूप तथा रखरखाव पर ₹ 13.20 लाख[20] का व्यय भी किया गया था। शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य ने पुनः (नवम्बर 2010) आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को नवनिर्मित शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन की अनुपयुक्तता सूचित की थी और बताया था कि महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा नवीन भवन में महाविद्यालय के स्थानांतरण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय ने कलेक्टर खरगौन को सूचित किया (जनवरी

[20] ₹ 9.20 (बिजली कनेक्शन) + ₹ 4.00 (रखरखाव) = ₹ 13.20 लाख ।

2011) कि वर्तमान परिसर (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) केवल 410 छात्रों को समायोजित कर सकता है जो कि 1,195 छात्रों[21] के लिए बहुत छोटा है, भले ही महाविद्यालय दो पालियों में चल रहा था तथा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अनुरोध किया था। तथापि इसके अतिरिक्त, ₹ 14.05 लाख की राशि, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2011–12 के दौरान उपलब्ध कराई गई थी, क्वार्टरों, प्रयोगशाला, मंच और रैम्प के निर्माण पर खर्च की गई थी। नवीन भवन में 2012–13 के दौरान ₹ 16.60 लाख की लागत से ई–लर्निंग रिसोर्स केन्द्र स्थापित किया गया था और उपकरण अर्थात कम्प्यूटर, फोटोकॉपीयर, प्रोजेक्टर इत्यादि संस्थापित किए गए थे जो कि महाविद्यालय के नवीन भवन में अस्थानांतरण के कारण निष्क्रिय पड़े हुए थे।

इस प्रकार, ₹ 128.05 लाख[22] के व्यय के बावजूद, बिना किसी पंहुच मार्ग और परिवहन सुविधा के निर्जन क्षेत्र में स्थित नव निर्मित भवन पांच वर्षों से अप्रयुक्त पड़ा था एवं इसके अतिरिक्त अप्रयुक्त भवन और अन्य सुविधाओं पर निष्फल व्यय, निर्जन क्षेत्र में शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए विभाग की दोषपूर्ण योजना निर्णय ने शासकीय कन्या महाविद्यालय में नामांकित छात्राओं की शिक्षा को प्रतिकूलतः प्रभावित किया है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में सरकार ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की और सूचित किया कि चार दीवारी का कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण हो जाएगा और शासकीय कन्या महाविद्यालय नवीन भवन में जनवरी 2016 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

vkfne tkfr dY;k.k foHkkx

3-2-3 fu;a=.k iz.kkyh ds vHkko ds dkj.k ykxr o`f)

fu;a=.k iz.kkyh dh foQyrk ds dkj.k vkfnoklh Nk=kokl ds fy;s vkoklh; fo|ky; Hkou ds fuekZ.k esa ykxr o`f) ₹ 95-68 yk[k] ftlls Hkou iw.kZ gksus esa vlk/kkj.k foyEc Hkh gqvkA

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) की स्थापना हेतु भारत सरकार ने अग्रिम के रूप में ₹ 1.00 करोड़ स्वीकृत किए (दिसम्बर 2005)। विद्यालय के निर्माण के लिए अनावर्ती व्यय ₹ 2.50 करोड़ से सीमित होगा। मध्यप्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने ई.एम.आर.एस. की स्थापना हेतु इन शर्तो के साथ प्रशासकीय स्वीकृति जारी की (मार्च 2006) कि (अ) भवन निर्माण के लिए मौद्रिक सीमा ₹ 2.50 करोड़ से सीमित होगी (ब) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित भवन के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा (स) निर्माण कार्य की समयावधि 24 माह होगी (द) निर्माण कार्य म.प्र. लोक निर्माण विभाग की नियमावली तथा उसकी तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार किया जाएगा, निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से नियमित रूप से विभाग को अवगत कराया जाएगा, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा के साथ पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा कार्य का मूल्यांकन आयुक्त, आदिवासी विभाग (सी.टी. डी.) द्वारा नियुक्त एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। आगे, निर्माण कार्य की लागत में एक *प्रतिशत* का प्रावधान शामिल किया जाएगा एवं निर्माण एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा पर्यवेक्षण एजेन्सी को भुगतान किया जाएगा।

---

21 अगस्त 2015 की स्थिति के अनुसार, कुल नामांकित छात्रों की संख्या 1,613 थी और महाविद्यालय उसी इमारत में संचालित हो रहा था।

22 ₹ 84.20 लाख + ₹ 13.20 लाख + ₹ 14.05 लाख + ₹ 16.60 लाख = ₹ 128.05 लाख ।

कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, उमरिया (ए.सी.टी.डी.) में ई.एम.आर.एस. के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2013) एवं पुनः एकत्रित की गई जानकारी (दिसम्बर 2014) में पाया गया कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल (एम.पी. एच.बी.) को आयुक्त, आदिवासी विकास ने निर्माण एजेन्सी नियुक्त किया (जून 2006)।

एम.पी.एच.बी. ने ई.एम.आर.एस. के निर्माण के लिये ₹ 2.50 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति जारी की (अगस्त 2006) तथा एम.पी.एच.बी, कटनी संभाग को ई.एम.आर.एस. के निर्माण के लिये नियुक्त किया। एम.पी.एच.बी (कटनी) ने चालू अनुसूची दर (सी.एस. आर.) 1999 पर कार्य आदेश जारी किया (मई 2007)। निर्माण कार्य एक ठेकेदार को दो भागों में संविदा मूल्य ₹ 96.23 लाख एवं ₹ 110.57 लाख पर क्रमशः नौ एवं दस माह की पूर्णता अवधि वर्षाकाल सहित दिया गया। स्वीकृति की शर्तो के अनुसार, सी.टी.डी. द्वारा निर्माण कार्य के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा, पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण हेतु किसी भी एजेन्सी को नियुक्त नहीं किया गया। यह भी देखा गया था कि सी.टी.डी. द्वारा नियुक्त एजेन्सी को दिये जाने वाले एक *प्रतिशत* पर्यवेक्षण प्रभार का प्रावधान भी तकनीकी स्वीकृति में शामिल नहीं किया गया था।

यद्यपि, कलेक्टर, उमरिया ने निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया (अप्रैल 2008) एवं किए गए कार्य को निम्न गुणवत्ता का एवं मानदण्डों के अनुसार नहीं होना पाया। उन्होंने निर्माण कार्य को स्थगित करने हेतु निर्देश दिए एवं विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया। समिति द्वारा प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया (अगस्त 2008) जिसमें कहा गया कि पहले भवन के निर्माण कार्य की कमियों को दूर किया जाना चाहिए तत्पश्चात शेष निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। तदनुसार कलेक्टर ने कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी किए।

इसी बीच निर्माण कार्य 19 माह (अप्रैल 2008 से सितम्बर 2009) तक स्थगित रहा। ए.सी.टी.डी. ने शेष निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ किए जाने हेतु स्वीकृति आदेश एम.पी.एच. बी. कटनी को जारी किया (अक्टूबर 2009)। पहले ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में देरी एवं निर्माण लागत में वृद्धि होने के कारण कार्य पुनः प्रारम्भ करने से इन्कार कर दिया। एम.पी.एच.बी (कटनी) ने अनुबन्ध की धारा 3(ए) के अन्तर्गत ठेका निरस्त (फरवरी 2009) कर दिया। तथापि, ₹ 60.44 लाख का भुगतान ठेकेदार को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए किया गया तथा राशि ₹ 1.43 लाख ठेकेदार से वसूल की गई।

आगे, एम.पी.एच.बी ने शेष निर्माण कार्य, सी.एस.आर. 2009 पर आधारित वर्षाकाल सहित दस माह की पूर्णता अवधि के साथ अन्य ठेकेदार को आवंटित किया (नवम्बर 2009)। एम.पी.एच.बी. द्वारा निर्माण कार्य हेतु धनराशि के सुचारू प्रवाह के लिए नियमित अनुरोध के बावजूद भी धन प्रदाय नही किया गया तथा ई.ई., एम.पी.एच.बी. ने इस तथ्य से उप आयुक्त, एम.पी.एच.बी. रीवा को अवगत कराया कि नियमित रूप से धन की उपलब्धता की कमी के कारण निर्माण कार्य पुनः आठ माह की अवधि के लिये रोक दिया गया था। सी.टी.डी. ने एम.पी.एच.बी. के पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 331.70 लाख के आधार पर अतिरिक्त धनराशि ₹ 96.29 लाख शेष निर्माण कार्य को वास्तविक रूप से अभिनिश्चित किये बिना स्वीकृति दी (अक्टूबर 2012)।

इस प्रकार, एम.पी.एच.बी. को कुल ₹ 346.29[23] लाख का भुगतान किया गया। आगे, एम.पी.एच.बी. से एकत्रित जानकारी में पाया गया (अक्टूबर 2015) कि राशि ₹ 345.68 लाख भवन निर्माण पर व्यय की गई। इस प्रकार, निर्माण में विलम्ब से ₹ 95.68 लाख की लागत वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियन्त्रण इत्यादि हेतु एजेन्सी का नियुक्त न करना था।

---

[23] ₹ 50.00 लाख (नवम्बर 2007), ₹ 50.00 लाख (अक्टूबर 2009), ₹ 75.00 लाख (अप्रैल 2010), ₹ 66.00 लाख (अक्टूबर 2010), ₹ 9.00 लाख (नवम्बर 2010), ₹ 96.29 लाख (अक्टूबर 2012)

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2013), ए.सी.टी.डी. ने बताया कि निम्न गुणवत्ता का कार्य होने के कारण कार्य स्थगित किया गया था। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के पश्चात कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया जिससे लागत पुनरीक्षित हुई जो कि सी.टी.डी. द्वारा स्वीकृत की गई थी। ए.सी.टी.डी. ने यह भी बताया (दिसम्बर 2014) कि भवन दिसम्बर 2014 में पूर्ण हो चुका था, बाउन्ड्रीवाल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी तथा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण हो जाने के पश्चात विद्यालय नए भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.टी.डी. ने भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान की शर्तों की अनदेखी की। इसके अतिरिक्त, यदि सी.टी.डी. द्वारा कार्य की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा, पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एजेन्सी नियुक्त की गयी होती तो कार्य की गुणवत्ता बनाए रखी जा सकती थी तथा कार्य निर्धारित समय अर्थात मार्च 2008 तक पूर्ण किया जा सकता था। सभी स्तरों पर अनुवीक्षण के अभाव में, भवन की पूर्णता में असाधारण देरी हुई जिसके कारण कार्य को अन्य ठेकेदार द्वारा कराया गया था जो कि 2009 सी.एस.आर. के अनुसार बढ़ी हुई दर पर आधारित, स्वीकृत था, परिणामस्वरूप ₹ 95.68 लाख[24] की लागत वृद्धि हुई। भवन निर्धारित तिथि से छह वर्ष पश्चात पूर्ण हुआ तथा इसको आदिवासी विभाग को हस्तान्तरित किया जाना अभी भी शेष है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

3-2-4 osru ,oa HkRrks ij fu"Qy O;;

izf'k{k.k lg mRiknu dsUnz ds vlapkfyr jgus ds dkj.k osru ,oa HkRrks ij fu"Qy O;; ₹ 1-85 djksM+

मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, द्वारा चार शिल्पों बढ़ई, सिलाई, लोहार एवं कारीगर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को रोजागारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र (टी.सी.पी.सी.) की स्थापना (1963–64) भिण्ड में की गई। केन्द्र का संचालन जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण (डी.ओ.टी.डब्ल्यू.) द्वारा किया जा रहा था। टी.सी.पी.सी. के लिये विभिन्न संवर्गो[25] में 17 पद स्वीकृत किए गए थे तथा प्रत्येक शिल्प में 12 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना था।

कार्यालय डी.ओ.टी.डब्ल्यू. भिण्ड के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2014, अप्रैल 2015 एवं आगे एकत्रित जानकारी सितम्बर 2015) में पाया गया कि टी.सी.पी.सी. असंचालित था तथा प्रशिक्षणों का आयोजन वर्ष 2008–09 से नहीं किया गया था। वर्ष 2008–09 से 2015–16 (अगस्त 2015 तक) की अवधि में टी.सी.पी.सी. में 12 कर्मचारी पदस्थ किए गए एवं उनके वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.85 करोड़ व्यय किए गए थे। हमने आगे देखा कि वर्ष 2008–09 से 2015–16 (अगस्त 2015 तक) की अवधि में विभाग द्वारा प्रशिक्षण में उपयोगी कच्चे माल एवं शिष्यवृत्ति के लिए कोई भी आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया तथा डी.ओ.टी.डब्ल्यू. द्वारा टी.सी.पी.सी. को संचालित किए जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह भी पाया गया कि टी.सी.पी.सी. का समस्त अमला डी.ओ.टी.डब्ल्यू. कार्यालय में पूर्व में पदस्थ अमले के अतिरिक्त पदस्थ एवं कार्यरत था। इस प्रकार टी.सी.पी.सी. में पदस्थ अमले के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.85 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

---

24 ₹ 345.68 लाख–₹ 250.00 लाख

25 स्वीकृत पद : प्रबन्धक –1, प्रशिक्षक–4, अर्द्ध कुशल कारीगर–4, लेखापाल–1, सहायक ग्रेड 3–2, भृत्य–5

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर डी.ओ.टी.डब्ल्यू. ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2014) एवं आगे बताया (अप्रैल 2015) कि टी.सी.पी.सी. में पदस्थ अमले को डी.ओ.टी.डब्ल्यू. कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में रिक्त पदों के विरूद्ध पदस्थ किया गया है।

डी.ओ.टी.डब्ल्यू. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय डी.ओ.टी.डब्ल्यू. में कोई भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं था जिसके विरूद्ध टी.सी.पी.सी. के अमले की पदस्थापना की जा सके। जबकि तथ्य यह है कि टी.सी.पी.सी. के अमले को डी.ओ.टी.डब्ल्यू. कार्यालय में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदस्थ किया गया था एवं टी.सी.पी.सी के वर्ष 2008–09 से असंचालित रहने से अमले को भुगतान किए गए वेतन एवं भत्ते निष्फल रहे तथा टी.सी.पी.सी. को प्रारम्भ करने के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी थी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

Xokfy;j ¼lkjHk d- efYyd½
fnukd egky[kkdkj
¼lkekU; ,o lkekftd {ks= ys[kkijh{kk½
e/; izns'k

izfrgLrk{kfjr

ubZ fnYyh ¼'kf'k dkUr 'kek½
fnukd Hkkjr d fu;a=d&egkys[kkijh{kd

ifjf'k"V

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ कंडिका 1.6, पृष्ठ 4)

30 सितम्बर 2015 का बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की वर्षवार स्थिति

स.क्र.	विभाग	वर्ष 2009-10 तक		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		योग	
		नि.प.	कंडिका	नि.प.	कंडिका	नि.प.	कंडिका	नि.प.	कंडिका	नि.प.	कंडिका	नि.प.	कंडिका	नि.प.	कंडिका
	सामान्य क्षेत्र														
1.	गृह	53	110	13	20	12	20	12	15	12	30	71	273	173	468
2.	सामान्य प्रशासन	439	963	60	176	61	225	51	149	62	242	82	373	755	2128
3.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	03	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03	05
4.	राजस्व	13	26	04	05	04	06	03	03	01	04	09	57	34	101
5.	संसदीय कार्य	01	01	02	03	01	01	01	02	0	0	0	0	05	07
6.	जन संपर्क	0	0	0	0	01	01	0	0	0	0	02	05	03	06
7.	जेल	0	0	0	0	09	16	36	75	11	15	20	60	76	166
8.	विधि	88	148	11	25	07	11	0	0	01	02	15	24	122	210
9.	योजना एवं सांख्यिकी	27	80	0	0	09	15	15	61	10	62	20	108	81	326
10.	वित्त	111	167	11	23	07	12	08	14	24	42	38	117	199	375
	योग	**735**	**1500**	**101**	**252**	**111**	**307**	**126**	**319**	**121**	**397**	**257**	**1017**	**1451**	**3792**
	सामाजिक क्षेत्र														
11.	श्रम	43	73	02	08	05	36	12	46	01	04	03	16	66	183
12.	महिला एवं बाल विकास	362	641	56	119	60	178	117	389	92	383	66	352	753	2062
13.	पुनर्वास	10	24	01	03	0	0	0	0	01	01	0	0	12	28
14.	अनुसूचित जाति कल्याण	16	23	14	37	18	46	24	90	18	95	15	122	105	413
15.	अनुसूचित जनजाति कल्याण	167	275	48	95	45	109	76	225	54	264	53	242	443	1210
16.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	46	96	08	18	01	03	0	0	02	03	09	33	66	153
17.	खेल एवं युवा कल्याण	17	33	09	20	01	02	16	54	12	50	05	29	60	188
18.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	85	211	11	43	17	69	20	90	16	74	13	66	162	553
19.	संस्कृति	34	67	06	11	05	14	14	69	01	13	03	08	63	182
20.	सामाजिक न्याय	163	380	21	71	25	112	13	81	04	21	08	48	234	713
21.	अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण	01	01	01	01	01	01	0	0	02	16	1	1	06	21
22.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	222	615	09	35	09	26	09	37	27	114	13	54	289	881
23.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	399	944	51	199	27	107	06	20	42	265	08	62	533	1591
24.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	348	687	26	45	68	115	147	715	145	824	150	1302	884	3688
25.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	170	332	11	32	18	73	18	119	25	147	27	206	269	909
26.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (आर.ई.एस.)	80	144	16	31	13	23	27	114	44	313	34	241	214	866
27.	स्कूल शिक्षा	1938	4509	45	128	40	107	54	282	52	405	130	661	2259	6092
28.	चिकित्सा शिक्षा	87	169	0	0	15	38	16	62	16	57	13	109	147	435
29.	उच्च शिक्षा	442	934	31	128	13	93	26	179	36	233	57	408	605	1975
	योग	**4630**	**10158**	**366**	**1024**	**381**	**1152**	**595**	**2572**	**590**	**3282**	**608**	**3960**	**7170**	**22143**
	महायोग	**5365**	**11658**	**467**	**1276**	**492**	**1459**	**721**	**2891**	**711**	**3679**	**865**	**4977**	**8621**	**25935**

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा संकलित)

ifjf'k"V-2.1

(lUnHkZ dfMdk 2.1.5, i"B 10)

ueuk tkp gsrq p;fur ftyksa ,oa fo|ky;ksa dh lwph

p;fur ftys	Cykd dk uke	l-Ø-	fo|ky; vkbZ-Mh-	p;fur ikFkfed fo|ky; ¼ik-fo-½ ,oa ek/;fed fo|ky; ¼ek-fo-½ dk uke	fo|ky; dk izdkj	
vuwiiqj (1)	vuwiiqj (1)	1	535223	ik-fo- dU;k lqjl;k Vksyk	ik-fo-	
		2	534299	;w-bZ-th-,l- HkjkbZ Vksyk	ik-fo-	
		3	535652	ik-fo- dU;k iMkj	ik-fo-	
		4	534815	eksyb;k Vksyk	ik-fo-	
		5	534484	;w-bZ-th-,l- uhe Vksyk pkikuh	ik-fo-	
		6	535263	ikUMh&pkUMh		ek-fo-
		7	535506	cU/kok Vksyk ;w-bZ-th-,l-		ek-fo-
	iq"ijktx<+ (2)	8	535574	;w-bZ-th-,l- uk;d Vksyk] Hkejkgk	ik-fo-	
		9	534619	ljokgh] ?kbZ;kMkMj	ik-fo-	
		10	535153	cjVksyk	ik-fo-	
		11	535171	feVBh egqvk	ik-fo-	
		12	535159	;w-bZ-th-,l- egkju Vksyk] yeljh 1	ik-fo-	
		13	534786	fctkjh		ek-fo-
		14	534701	/kjenkl		ek-fo-
	tSrgjh (3)	15	534851	[kkyh	ik-fo-	
		16	535805	;w-bZ-th-,l-Mkaxkjh Vksyk] fl?kkjk	ik-fo-	
		17	534387	jD'kk	ik-fo-	
		18	535438	ik-fo- ckyd tSrgjh ,u-ih-	ik-fo-	
		19	534555	;w-bZ-th-,l- irjdh Vksyk] [kkyk<h	ik-fo-	
		20	534342	ek-fo- Quxk		ek-fo-
		21	534090	ek-fo- lnjh		ek-fo-
	dksrek (4)	22	534361	ek-fo- [kkMjh] oSdVuxj		ek-fo-
		23	535354	ik-fo- Hkxrk	ik-fo-	
		24	535694	ik- fo- fiifj;k	ik-fo-	
		25	534517	ik-fo- lejikj	ik-fo-	
		26	534980	;w-bZ-th-,l- iqjku Vksyk] FkkMgk	ik-fo-	
		27	535464	ik-fo- dU;k dkBh	ik-fo-	
		28	535335	ek-fo- cgjkck/k		ek-fo-
		29	534973	ek-fo- cl[kyh		ek-fo-
		30	534981	ek-fo- ckyd ,u-ih- dksrek		ek-fo-
Hkksiky(2)	QUnk 'kgjh(1)	31	495427	iykl h djkM okMZ 66	ik-fo-	
		32	495114	mcfn;k ckcwyh okMZ 06	ik-fo-	
		33	1697983	ikboV enjlk nhu&,&xqy'ku 1100 DokVZlZ okMZ 51	ik-fo-	
		34	495199	fot;uxj okMZ 39	ik-fo-	
		35	1783246	ikboV enjlk U;w mlekfu;k	ik-fo-	
		36	495610	chy[kMk okMZ 29	ik-fo-	
		37	1376811	enjlk U;w lqpjh fulkrijk okMZ 12		ek-fo-
		38	494759	lyb;k		ek-fo-
		39	494538	ikboV enjlk vuoj&my&mye		ek-fo-
	QUnk (2)	40	494760	;w-bZ-th-,l-] ykyq Vijk	ik-fo-	
		41	495400	jkikfM;k	ik-fo-	
		42	495569	bZ-th-,l- pkpM Qkej	ik-fo-	
		43	494724	dU;k fo/kky; Hkkjh	ik-fo-	
		44	496547	dqjkuk	ik-fo-	
		45	496669	?kklhiqjk bV[kMh	ik-fo-	

		46	495928	>kifM;k	ik-fo-	
		47	494892	xjkfM;k	ik-fo-	
		48	495381	dU;k VkeMk	ik-fo-	
		49	495217	eckjdiqj	ik-fo-	
		50	496435	b-th-,l- jlfy;k Hkkuiqj	ik-fo-	
		51	496264	uknuh	ik-fo-	
		52	495186	xky [kMh	ik-fo-	
		53	494882	b-th-,l- eDlhNku	ik-fo-	
		54	494591	ujlyk		ek-fo-
		55	494711	jkrkrky		ek-fo-
		56	496988	uohu Nkouh		ek-fo-
		57	496125	egefn;k dVkjk] felrjkn		ek-fo-
		58	496440	vxfj;k		ek-fo-
		59	1696623	nqikfM;k		ek-fo-
		60	496668	bZV[kMh Nki		ek-fo-
/kkj (3)	/kkj (1)	61	471107	xjMkokn	ik-fo-	
		62	474307	foLFkkfir dslj	ik-fo-	
		63	473778	rktiqj	ik-fo-	
		64	1788972	vxoky fo/kky; okMZ 22	ik-fo-	
		65	474132	lVykbV fo/kky; u;kikjk dkdM	ik-fo-	
		66	474126	lqukj [kMh		ek-fo-
		67	473753	cMNkijk		ek-fo-
	Mgh (2)	68	1380685	b-th-,l- [kkMjkrjk] /kjejk;	ik-fo-	
		69	471592	,u-ih-,l- b-th-,l- vekjkiqjk]xtxkVk	ik-fo-	
		70	473354	jxku	ik-fo-	
		71	471637	,u-ih-,l- b-th-,l- voyhiqjk] dkoMk	ik-fo-	
		72	471658	,u-ih-,l- b-th-,l- MkcU;kiqjk] ekyiqjk	ik-fo-	
		73	474109	मk-fo- uj>yh U;w		ek-fo-
		74	1392610	eDdMokuh		ek-fo-
		75	1389600	ch-,e-,l- vrjlqek		ek-fo-
	d{kh (3)	76	474737	>kjMk	ik-fo-	
		77	472961	,u-ih-,l- b-th-,l- tEcqikj] jkeiqjk	ik-fo-	
		78	474730	,u-ih-,l- b-th-,l- ekyiqjk] muVkfy;k	ik-fo-	
		79	472920	,u-ih-,l- b-th-,l- <kyxj <kY;k	ik-fo-	
		80	474716	tw-ih-,l- beyhiqjk] vkyh	ik-fo-	
		81	475133	fijkU;kokjnh] gkYnh		ek-fo-
		82	473040	,l-,l- cMh		ek-fo-
	cnukoj ¼4½	83	475494	,u-ih-,l- b-th-,l- Hkkjk:.Mh] lknyk	ik-fo-	
		84	471042	frjoh (Mh-ih-b-ih-)	ik-fo-	
		85	471030	tw-ih-,l- NkVkmMokikMk]eqyFkku	ik-fo-	
		86	471103	,u-ih-,l-b-th-,l-xojhekrk]xkykM[kjk	ik-fo-	
		87	471020	,-oh-,- [kkjkMikMk] [kpjknk	ik-fo-	
		88	472567	U;w yhyh[kMh] Nk;ku		ek-fo-
		89	475487	ek-fo. eqxyk		ek-fo-
		90	470846	ek-fo- euklk		ek-fo-
tcyiqj (4)	tcyiqj 'kgjh (1)	91	1802505	jktho xk/kh okMZ ,u-lh-,y-ih- fprjatu okMZ	ik-fo-	
		92	1695956	th-lh-,Q- okMZ fLeFk ?kkekiqj	ik-fo-	
		93	512849	yky cgknqj 'kkL=h okMZ] U;w vkuUn uxj	ik-fo-	
		94	512723	vk-,Q-d- okMZ f'k'kq fodkl [kefj;k	ik-fo-	
		95	512682	vCnqy dyke vktkn okMZ mnw cMh enkj	ik-fo-	
		96	511614	egf"kZ vjfoUn okMZ] cqyckx	ik-fo-	
		97	514325	Mk- tkfdj gqlSu okMZ] xkgyiqj U;w		ek-fo-
		98	511607	ek-fo- x.ks'k xat] pUnz'k[kj okMZ		ek-fo-

		99	511343	cukjlh nkl HkukV okM] gkFkhrky xkjik		ek-fo-
	ikVu xkeh.k (2)	100	514283	vejiqj ¼cEgkjh½	ik-fo-	
		101	511856	flefj;k dUrkjk	ik-fo-	
		102	513048	fjfe>k 'kkl-ikFk- fo/kky;	ik-fo-	
		103	511851	'kkl- lVsykbV fo/kky; djfg;k	ik-fo-	
		104	512308	iqkMh dyk 'kkl- lVsykbV fo/kky; dkgkuh Vksyk	ik-fo-	
		105	512622	egxok lMd] cuokj	ik-fo-	
		106	512308	ikMh jkt?kkV	ik-fo-	
		107	512301	flefj;k lqjh;k	ik-fo-	
		108	511998	cxlokuh lktkikuh	ik-fo-	
		109	512175	dq.Mk	ik-fo-	
		110	511970	dVjk cqy[kMk	ik-fo-	
		111	512289	ygkjh vkPNk	ik-fo-	
		112	513021	Hkokjk	ik-fo-	
		113	512327	dkdj [kMk th-ih-,l- xjkgk	ik-fo-	
		114	513081	gjnvk ekMo ek-'kk-		ek-fo-
		115	513120	fcy[kjok ek/;fed 'kkyk		ek-fo-
		116	513824	dVxh ctfj;k		ek-fo-
		117	511833	flefj;k dUrkjk		ek-fo-
		118	512700	dkVh /keuh		ek-fo-
		119	511832	eguvk [kMk		ek-fo-
		120	511964	fn/kkjk jBjk		ek-fo-
eUnlkj (5)	eUnlkj (1)	121	455128	lVsykbV fo/kky; ygkjh 'k[k Niykuk	ik-fo-	
		122	455598	tXxk[kMh	ik-fo-	
		123	454086	urkoyh	ik-fo-	
		124	453680	gqlyh	ik-fo-	
		125	454757	ekfy;k [kM [kMk	ik-fo-	
		126	454761	/kkfj;k [kMh		ek-fo-
		127	453748	Lkkck[kMk		ek-fo-
	eYgkj x<+ (2)	128	454169	pUnu [kMk] >kjMk	ik-fo-	
		129	455494	mtxfj;k] FkkjkM	ik-fo-	
		130	454572	enjlk 'kkgjktk mye	ik-fo-	
		131	454478	ik-fo- jk;flg fiify;k	ik-fo-	
		132	453457	lVsykbV ckNkMk cLrh] fcYykn	ik-fo-	
		133	454425	th-,e-,l- ukjk;.kx<] MkfM;kehuk		ek-fo-
	Hkkuiqjk (3)	134	453956	ek-fo- jrufiify;k		ek-fo-
		135	454276	[kMikY;k		ek-fo-
		136	455236	;w-bZ-th-,l- Hkhy cLrh Lo.kZdkVMh] dkVMhVkd	ik-fo-	
		137	453049	ik-fo- nhik dk Mjk]vjU;kHkm	ik-fo-	
		138	453488	lVsykbV Hkokuhiqjk]uheBj	ik-fo-	
		139	455407	ik-fo- ixk]xkfoUn[kMh	ik-fo-	
		140	454003	ik-fo- ducyh] vjfu;kpju	ik-fo-	
	xjkB (4)	141	453615	ek-fo- [kj[kMh] gjukonk		ek-fo-
		142	454868	ek-fo- [kjkfM;k] jruiqjk		ek-fo-
		143	453623	ek-fo- /kkoM cqtqxZ		ek-fo-
		144	455147	ik-fo- pUnk iqjk] clxko	ik-fo-	
		145	453274	dU;k ik-fo- ';kex<] uy[kMk	ik-fo-	
		146	453269	ik-fo- grqfu;k	ik-fo-	
		147	453875	dU;k ik- fo- dkVMk cqtqxZ	ik-fo-	
		148	455096	ik-fo- lqeyh 'kdj	ik-fo-	
		149	453283	Nkify;k [kMh		ek-fo-
		150	455156	NkdoMk lkfB;k		ek-fo-

jktx< (6)	jktx< (1)	151	491153	[kjkl	ik-fo-	
		152	491008	;-b-th-, l- Fkk.Mh [kni dk ijk	ik-fo-	
		153	489011	mni vjchijk	ik-fo-	
		154	488741	;-b-th-, l- feVBi [kMh	ik-fo-	
		155	490174	;-b-th-, l- Qy ijk] ulMh	ik-fo-	
		156	491426	pkilyk		ek-fo-
	C;kojk (2)	157	409903	jkex<		ek-fo-
		158	489901	HkkVijk lk/;k	ik-fo-	
		159	490260	;-b-th-, l- eokfy;k d".kx<	ik-fo-	
		160	488627	;-b-th-, l- ikVuij	ik-fo-	
		161	490714	flyiVh Hkkb] C;kojk	ik-fo-	
		162	491112	c[rkoj] iukyh	ik-fo-	
		163	489397	uohu ek- fo- ekMcMyh		ek-fo-
	ujflgx< (3)	164	1785841	dVkfj;k [kMh		ek-fo-
		165	488631	ek-fo- dkyi [kMh		ek-fo-
		166	488719	ik- fo- fctijh	ik-fo-	
		167	489281	ik- fo- ekbi /kjfe;k	ik-fo-	
		168	490643	;-b-th-, l- lkudPNijk	ik-fo-	
		169	489596	;-b-th-, l- djuijk	ik-fo-	
	f[kyphij (4)	170	489260	uohu ik- fo- ydfM;k]cjk;Bijk	ik-fo-	
		171	489686	dU;k ek- fo- ujflgx< enjlk		ek-fo-
		172	489978	ihyi [kMh djokj		ek-fo-
		173	489286	tejh tkgj		ek-fo-
		174	489251	nok [kMh	ik-fo-	
		175	491271	fiiyh cktkj f[kyphij	ik-fo-	
		176	488250	xixk gMk	ik-fo-	
		177	488735	;-b-th-, l- duojth] cnyh]trjijk dyk	ik-fo-	
		178	488381	ukjk;.k xit] jkeifj;k	ik-fo-	
		179	490199	ck-ek- fo- NkihgMk] fNihijk		ek-fo-
		180	488256	jukjk		ek-fo-
lhgkj (7)	lhgkj (1)	181	499240	Qhxt] fcfYdlxt	ik-fo-	
		182	497428	'kk- ik-fo- [kkbi [kMk	ik-fo-	
		183	497222	'kk- ik-fo-ekiyk [kMh	ik-fo-	
		184	1801862	'kk- ik-fo-,p-, l- dLrijck lhgkj	ik-fo-	
		185	499236	'kk- ik-fo-vgenij	ik-fo-	
		186	497402	'kk- ik-fo-Nkijh ckjkekn	ik-fo-	
		187	497859	'kk- ik-fo- ykyk [kMh	ik-fo-	
		188	497645	'kk- ik-fo- lruckMh	ik-fo-	
	vk"Vk (2)	189	497847	'kk- ik-fo- u;k[kMk	ik-fo-	
		190	499534	'kk- ik-fo- jko.k [kMk	ik-fo-	
		191	498528	'kk- ik-fo- <kcyk		ek-fo-
		192	498704	'kk- ek- fo- egivk [kMh] Vkdhij		ek-fo-
		193	498614	'kk- ek- fo- fgukrh		ek-fo-
		194	498733	'kk- ek- fo- ikVu		ek-fo-
		195	497268	'kk- ek- fo- vgenij		ek-fo-
		196	497867	'kk- ik-fo- Nkiu [kni	ik-fo-	
		197	499482	'kk- ik-fo- b-th-, l- [krlijk	ik-fo-	
		198	497064	'kk- ik-fo- iyklh	ik-fo-	
		199	497292	'kk- ik-fo- >kj[kMh	ik-fo-	
		200	498037	'kk- ik-fo- eiMyk pkdh	ik-fo-	
		201	499148	'kk- ik-fo- b-th-, l- dio [kMh	ik-fo-	
		202	498850	'kk- ik-fo- b-th-, l- nhiyk[kMh	ik-fo-	
		203	498846	'kk- ik-fo- b-th-, l- xYyk [kMh	ik-fo-	

		204	497705	'kk- ik-fo- dU;k dkBjh	ik-fo-	
		205	498033	enjlk u:ygnk f=ikfy;k vk"Bk	ik-fo-	
		206	499551	'kk- ek- fo- ckefy;k HkkVh		ek-fo-
		207	497293	'kk- ek- fo- :iVk		ek-fo-
		208	498518	'kk- ek- fo- ppjklh		ek-fo-
		209	498008	'kk- ek- fo- fjNkfM;k		ek-fo-
		210	497829	'kk- ek- fo- ,p-,p-,l- egrokMk		ek-fo-
lh/kh **(8)**	lh/kh **(1)**	211	450059	[ktjh	ik-fo-	
		212	449026	Ykgkjk	ik-fo-	
		213	450283	ekVk	ik-fo-	
		214	449273	ekyokjh	ik-fo-	
		215	449862	chtkfe;k	ik-fo-	
		216	450605	dujth		ek-fo-
		217	451039	?kk/kkouk		ek-fo-
		218	450030	tkxhiij n[ku		ek-fo-
	e>kyh **(2)**	219	450773	Mkxh	ik-fo-	
		220	450766	?kk?kh	ik-fo-	
		221	448802	iijc Vkyk] fVdkjh	ik-fo-	
		222	448776	cfu;ku Vkyk	ik-fo-	
		223	448921	vfj;ku Vkyk] Bkxk	ik-fo-	
		224	449837	/kulj		ek-fo-
		225	449553	eMkjk		ek-fo-
	jkeiij uidhu **(3)**	226	449609	vktkn uxj] Hkhrkjh	ik-fo-	
		227	449388	ik-fo- cjgV di'kkyk Vkyk] dijhdkBkj	ik-fo-	
		228	450939	ik-fo- erlyk eob] ,u-ih- jkeiij okM&1	ik-fo-	
		229	448860	ik-fo- cfy;kj] pUng	ik-fo-	
		230	450805	ik-fo-jkdiyk] lrkgkjh	ik-fo-	
		231	1787635	fogky; pjgV] okM&1 ,u-ih- pjgV		ek-fo-
		232	450198	ek-fo- dVgk Vkyk] dU/kokj		ek-fo-
	dileh **(4)**	233	450184	ik-fo- ik.Mh	ik-fo-	
		234	449188	ik-fo- HkilkMky] dkVk	ik-fo-	
		235	450713	ik-fo- <kydh Vkyk] puxokg	ik-fo-	
		236	448907	ik-fo- fcMkj] vkexok	ik-fo-	
		237	450661	ik-fo- ikVhMky] fprjkyh ekthxok	ik-fo-	
		238	450908	ek-fo- [kjk		ek-fo-
		239	449577	ek-fo- iMokj] tjh		ek-fo-
		240	449183	ek-fo- lktkMky]FkkVhikBkj		ek-fo-
fofn'kk **(9)**	fofn'kk **(1)**	241	493178	;-b-th-,l- [kEHkk [kMh	ik-fo-	
		242	492485	;-b-th-,l- Hkxokuiij	ik-fo-	
		243	493344	xixjokMk	ik-fo-	
		244	492412	cj[kMh cjtxi	ik-fo-	
		245	493479	Ykgkxh&1 okMl 23 fetkiij	ik-fo-	
		246	492774	djiyk	ik-fo-	
		247	493385	'kjiij	ik-fo-	
		248	493222	unuokuk okMl 10 jixkbl	ik-fo-	
		249	492875	;-b-th-,l- cjcVijk ihiy[kMk	ik-fo-	
		250	493793	;-b-th-,l- egvk[kMk Hkrijklh	ik-fo-	
		251	492927	'kk- ek- fo- Mgjh		ek-fo-
		252	492332	ek-fo- vgeniij		ek-fo-
		253	494090	befy;k		ek-fo-
		254	493094	lk;j		ek-fo-
		255	492891	ek-fo- ,e-,y-ch- okMl 11 jixkbl		ek-fo-
	cklknk **(2)**	256	493253	cMh ckxjkn	ik-fo-	

		257	493929	Ckkxph	ik-fo-	
		258	493290	lekjk]R;kMk ipihikjk	ik-fo-	
		259	494103	;-b-th-,l- cMh gfjtu Vijk] egenk	ik-fo-	
		260	493982	dBkjh djknk [knl	ik-fo-	
		261	492611	Mkcj	ik-fo-	
		262	492581	ykykbl dlYgk	ik-fo-	
		263	492679	jkeuxj jhNbl	ik-fo-	
		264	492834	lRrk [kMh tktku	ik-fo-	
		265	492420	eM nojk] vkejh	ik-fo-	
		266	491732	uohu ek- fo- yx/kk		ek-fo-
		267	492394	dU;k ek- fo- cklknk okMl 24 ipek		ek-fo-
		268	493325	'kk- ek- fo- mdY;k ([kjkMk)		ek-fo-
		269	494316	ekgklk		ek-fo-
		270	492725	'kk- ek- fo- eUnk		ek-fo-
Xokfy;j **10**	ejkj 'kgjh **(1)**	271	1788417	enjlk 'kkfgn v'kQkd mYyk [kku okMl d- 27		ek-fo-
		272	412626	'kk- ik-fo- 'kk[kk nkuk vkyh okMl d- 51	ik-fo-	
		273	411849	'kk- ek- fo- thoktkxat okMl d- 33		ek-fo-
		274	412540	'kk- ek- fo- vkckMhijk okMl d- 60		ek-fo-
		275	413056	'kkk- ik- fo- fldUnj dEiw okMl d- 53	ik-fo-	
		276	412539	'kk- ik- fo- igkMh ekrk efnj okMl d- 43	ik-fo-	
		277	412925	'kk-ck- ik- fo- rkjkxat okMl d- 49	ik-fo-	
		278	1788182	enjlk fu;kft;k dkfj;k	ik-fo-	
		279	412944	'kk- ik- fo- ,-ch-jkM d- 1 okgh lkgc dh ijM okMl d- 46	ik-fo-	
	fHkrjokj **(2)**	280	411158	'kk- ck-ik-fo- Hkkjh	ik-fo-	
		281	411992	'kk- ek- fo- fd'kkjx<] fpukj		ek-fo-
		282	412409	b-th-,l- pd flllyk] fpukj	ik-fo-	
		283	411421	'kk- ik-fo- Mkxjij] lk[kuh	ik-fo-	
		284	410791	b-th-,l- ghjk Hkfe;k	ik-fo-	
		285	410675	'kk- dU;k ek- fo- djfg;k		ek-fo-
	Mcjk **(3)**	286	411002	'kk- ek- fo= xrkjh] Nkikjk		ek-fo-
		287	411614	'kk- ik-fo- dEgjk	ik-fo-	
		288	411961	'kk- ek- fo- le/ku		ek-fo-
		289	1785674	ekykuk ey djku enjlk		ek-fo-
		290	410796	b-th-,l- vECkMdj dkykuh	ik-fo-	
		291	411052	'kk- ik- fo- ohj e<kuk	ik-fo-	
		292	411883	'kk- ckyd ik- fo- ldjk] [kMh jk;ey ludjk	ik-fo-	
		293	411472	b-th-,l- ljnkjk dk Mjk] fljlk	ik-fo-	
	?kkVhxko **(4)**	294	411178	b-th-,l- eMh dk ijk] ?kkVhxko] fr?kjk	ik-fo-	
		295	411864	'kk- ckyd ik- fo- iVbl	ik-fo-	
		296	411754	'kk- ik- fo- fr?kjk	ik-fo-	
		297	411337	'kk- ik- fo- djgh	ik-fo-	
		298	412515	'kk- dU;k fo- xkiky dk ijk] lljk		ek-fo-
		299	410398	'kk- dU;k ik- fo- jgV	ik-fo-	
		300	411757	'kk- ek- fo- pir		ek-fo-

uewuk tkp gr p;fur ftyk **(10)**

ik-fo- - **200** xkeh.k**(182)** 'kgjh **(18)**

ek-fo- - **100** xkeh.k**(91)** 'kgjh **(09)**

dy – **300** xkeh.k **273** 'kgj **27**

ifjf'k"V-2.2

(lUnHkZ dafMdk 2.1.8.2, i"B 13)

e/;kUg Hkkstu ;kstuk fuf/k dk e/;kUg Hkkstu ls fHkUu vU; xfrfof/k;ksa ij 0;ioru n'kkZus okyk fooj.k

(₹ yk[k esa)

l- dz-	ftys dk uke	o"kZ	e/;kUg Hkkstu ls fHkUu vU; mn~ns';	jkf'k	2010&15 ds nkSjku okil dh xbZ jkf'k	31 ekpZ 2015 dks 'ks"k jkf'k
1	vuwiiqj	2008-09	एस.जी.एस.वाय. योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु	12.88	12.00	0.88
	vuwiiqj	2010-11	स्व–सहायता समूहों/शिक्षक पालक संघ के लेखे तैयार करने हेतु सनदी लेखाकार की आडिट फीस	7.17	0	7.17
2	Hkksiky	2011-12	एन.आर.ई.जी.एस. लेखे में अंतरित	250.00	250.00	0.00
3	/kkj	2013-14	जनपद पंचायत दही में जनपद पंचायत लेखे में अंतरित निधि	10.57	0	10.57
4	enlkSj	2010-11	डी.आर.डी.ए. प्रशासन मद हेतु	26.00	26.00	0.00
	enlkSj	2012-13	अग्रिम	25.32	25.32	0.00
5	jktx<+	2012-13	जनपद पंचायत व्यावरा द्वारा निधि का जनपद पंचायत लेखे में अंतरण	10.00	0	10.00
6	lh/kh	2009-10	डी.आर.डी.ए. मद में अंतरित निधि	40.00	0	40.00
	lh/kh	2013-14	मध्यान्ह भोजन योजना निधि से प्राप्त ब्याज से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अद्योसंरचना विकास कार्यों पर व्यय	10.30	0	10.30
7	fofn'kk	2014-15	दूध पाउडर प्रदाय के लिये पायलेट प्रोजेक्ट की आपूर्ति	376.00	0	376.00
			;ksx	**768.24**	**313.32**	**454.92**

¼lzksr :ueuk tkap fd, x, ftyksa ls laxzfgr vkadMs½

ifjf'k"V- 2.3

(lUnHkZ dfMdk 2.1.8.3, i"B 14)

Lo&lgk;rk lewg@f'k{kd ikyd la?k }kjk vfHkys[k la/kkfjr u fd;k tkuk@ys[kkijh{kk gsrq iLrqr u fd;k tkus dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

l-Ø-	ftys dk uke	Cykd dh la[;k	fo|ky;ksa dh la[;k	Lo&lgk;rk lewg ¼,l-,p-th-½		f'k{kd ikyd la?k ¼ih-Vh-,-½	
				vfHkys[kksa dk la/kkj.k u fd;k tkuk	ys[kkijh{kk gsrq vfHkys[k iLrqr u fd;k tkuk	vfHkys[kksa dk la/kkj.k u fd;k tkuk	ys[kkijh{kk gsrq vfHkys[k iLrqr u fd;k tkuk
1	vuwiiqj	4	30	22	01	01	-
2	Hkksiky	2	30	19	-	01	01
3	/kkj	4	30	27	-	-	-
4	Xokfy;j	4	30	14	01	-	-
5	tcyiqj	2	30	19	-	-	-
6	eUnlkSj	4	30	23	-	-	-
7	jktx<+	4	30	09	19	-	02
8	lhgksj	2	30	20	-	-	-
9	lh/kh	4	30	19	05	01	-
10	fofn'kk	2	30	26	-	-	--
	;ksx	**32**	**300**	**198**	**26**	**03**	**03**

¼lzksr :uewuk tkp fd, x, ftyksa ls lzxghr vkdMs½

ifjf'k"V- 2.4

(lUnHkZ % dafMdk 2.1.8.4, i"B 14)

fd;kUo;u ,tsfUl;ksa ds [kkrs esa fuf"Ø; vo;f;r 'ks"kksa dk fooj.k i=d

(jkf'k ₹ esa)

l-Ø-	ftys dk uke	l-Ø-	tuin iapk;r@ uxjikfydk dk uke	31 ekpZ 2014 dks jkf'k	o"kZ 2014&15 ds nkSjku olwy dh xbZ jkf'k	o"kZ 2014&15 ds nkSjku tkjh jkf'k	31 ekpZ 2015 dks 'ks"k jkf'k
1	/kkj	**1**	tuin iapk;r /kkj	**29,08,753**	**0**	**0**	**29,08,753**
2	tcyiqj	**2**	tuin iapk;r tcyiqj	**6,72,534**	0	0	**6,72,534**
3	jktx<	**3**	tuin iapk;r ujflagx<	73,83,173	47,85,518	0	25,97,655
		4	tuin iapk;r jktx<	2,38,348	2,38,348	0	0
		5	tuin iapk;r f[kyphiqj	5,02,643	4,96,642	0	6,001
		6	tuin iapk;r C;kojk	51,96,186	51,96,186	0	0
		7	tuin iapk;r lkjaxiqj	23,20,606	19,00,000	0	4,20,606
		8	tuin iapk;r thjkiqj	28,81,990	28,81,990	0	0
			;ksx	**1,85,22,946**	**1,54,98,684**	**0**	**30,24,262**
4	lhgksj	**9**	tuin iapk;r lhgksj	11,98,498	0	0	11,98,498
		10	tuin iapk;r vk"Vk	23,51,606	0	0	23,51,606
		11	tuin iapk;r vk"Vk	2,11,414	0	0	2,11,414
		12	uxjikfydk vk"Vk	54,45,327	0	0	54,45,327
		13	uxj iapk;r tkoj	2,16,541	0	0	2,16,541
			;ksx	**94,23,386**	0	0	**94,23,386**
5	lh/kh	**14**	tuin iapk;r e>kSyh	24,06,416	0	0	24,06,416
		15	tuin iapk;r e>kSyh	1,69,966	0	0	1,69,966
		16	tuin iapk;r e>kSyh	81,604	0	0	81,604
		17	tuin iapk;r e>kSyh	91,842	0	0	91,842
		18	tuin iapk;r e>kSyh	40,81,292	0	0	40,81,292
		19	tuin iapk;r jkeiqj uSdhu	5,50,507	0	0	5,50,507
		20	tuin iapk;r jkeiqj uSdhu	19,61,321	0	0	19,61,321
		21	tuin iapk;r jkeiqj uSdhu	4,640	0	0	4,640
		22	tuin iapk;r jkeiqj uSdhu	39,700	0	0	39,700
			;ksx	**93,87,288**	0	0	**93,87,288**
			egk;ksx	**4,09,14,907**	**1,54,98,684**	0	**2,54,16,233**

¼lzksr :ueuk tkap fd;s x;s ftyksa }kjk izLrqr fd, x, vkadM½

ifjf'k"V- 2.5

(lUnHkZ dafMdk 2.1.8.4, i"B 15)

cSd esa vii;qDr fuf/k;ksa ij vftZr C;kt jkf'k dk n'kkZus okyk i=d

(₹yk[k esa)

ftys dk uke	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	;ksx
vuwiiqj	2013- 2014 rd			192.03	49.93	241.96
Hkksiky	2013- 2014 rd			162.01	15.60	177.61
/kkj	30.32	30.82	28.38	29.99	47.47	166.98
Xokfy;j	2013-2014 rd			186.22	52.92	239.14
tcyiqj	27.42	32.61	22.03	48.69	27.25	158.00
eUnlkSj	10.07	8.80	17.26	33.83	42.71	112.67
jktx<	2013- 2014 rd			131.66	25.33	156.99
lhgksj	2011- 2012rd	12.62	11.12	20.49	17.04	61.27
lh/kh	2011-2012rd	18.94	27.48	41.65	40.09	128.16
fofn'kk	10.30	16.17	18.33	29.56	36.86	111.22
;ksx	**78.11**	**119.96**	**124.60**	**876.13**	**355.20**	**1554.00**

¼lzksr :ueuk tkap fd, x, ftyksa ls lax`fgr vkadM½

ifjf'k"V- 2.6

(lUnHkZ% dafMdk 2.1.8.5, i"B 15)

ftyks ds ikl ifjogu iHkkj dh vi;qDr jkf'k dk n'kkus okyk i=d

(₹ yk[k esa)

l- dz-	ftys dk uke	o"kZ 2013&14 ds nkSjku ikIr jkf'k	0;;	o"kZ 2014&15 ds nkSjku ikIr jkf'k	0;;	31-3-2015 dks 'ks"k jkf'k
1	vuwiiqj	8.19	0	3.35	0	11.54
2	Hkkuiky	11.68	8.28	4.03	0.68	6.75
3	/kkj	8.47	0	8.30	0	16.77
4	Xokfy;j	3.99	0	4.45	0.78	7.66
5	tcyiqj	16.64	3.69	6.39	0	19.34
6	eUnlkSj	5.11	0	9.13	0	14.24
7	jktx<	15.29	2.19	3.66	8.55	8.21
8	lhgksj	12.52	0	4.42	13.38	3.56
9	lh/kh	13.60	0	19.64	0	33.24
10	fofn'kk	15.63	0	6.60	13.08	9.15
	;ksx	**111.12**	**14.16**	**69.97**	**36.47**	**130.46**
	dqy ikIr jkf'k **181.09**			dqy 0;; **50.63**		

¼lzksr :ueuk tkap fd, x, ftyksa }kjk iLrqr vkdMs½

ifjf'k"V- 2.7

(lUnHkZ dafMdk 2.1.9.2, i`"B 17)

6&14 vk;q oxZ ds cPps ftudk ukekadu fo|ky; esa ugha gqvk] dk fooj.k n'kkZus okyk i=d

o"kZ	6&14 vk;q oxZ ds cPpksa dh dqy tula[;k	okLrfod ukekadu	fo|ky; ls ckgj cPpksa dh la[;k
2010-11	vkadMs vuqiyC/k		
2011-12	1,39,32,562	1,38,06,077	1,26,485
2012-13	1,38,71,137	1,37,96,722	74,415
2013-14	1,38,30,919	1,37,67,328	63,591
2014-15	1,35,64,548	1,34,63,314	1,01,234

¼lzksr :jkT; f'k{kk dsUnz ¼,l-,l-,-½ Hkksiky }kjk izLrqr vkadMs½

ifjf'k"V- 2.8

(lUnHkZ% dfMdk 2.1.9.3, i"B 19)

ftyk Lrj ij lsdfyr fo|ky;ksa esa vkSlr okf"kZd mifLFkfr dh iz0fr dk n'kkus okyk fooj.k i=d

l- d-.	ftys dk uke	2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15			
		ikFkfed fo|ky;		ek/;fed fo|ky;		ikFkfed fo|ky;		ek/;fed fo/kky;		ikFkfed fo|ky;		ek/;fed fo|ky;		ikFkfed fo|ky;		ek/;fed fo|ky;		ikFkfed fo|ky;		ek/;fed fo|ky;	
		la[;k	mifLFkfr (ifr'kr)	la[;k	mifLFkfr (ifr'kr)	la[;k	mifLFkfr (ifr'kr)	la[;k	mifLFkfr (ifr'kr)	la[;k	mifLFkfr (ifr'kr)	la[;k	mifLFkfr (ifr'kr)	la[;k	mifLFkfr (ifr'kr)	la[;k	mifLFkfr (ifr'kr)	la[;k	mifLFkfr (ifr'kr)	la[;k	mifLFkfr (ifr'kr)
1	vuwiqj	1187	76	348	76	1187	80	367	79	1187	75	377	73	1187	84	377	85	1191	78	390	71
2	Hkksiky	1157	91	539	70	1164	67	554	68	1164	65	554	66	1164	75	506	76	1129	आंकडे अप्राप्त	509	अप्रदाय आंकडे
3	/kkj	3261	79	708	92	3278	80	790	85	3278	74	818	77	3286	75	835	76	3301	72	848	74
4	Xokfy;j	1537	70	598	80	1551	70	598	80	1589	78	610	77	1589	86	610	80	1589	70	610	70
5	tcyiqj	1704	82	672	82	1702	82	675	82	1710	84	689	79	1707	79	686	75	1702	80	686	75
6	eUnlkSj	1334	88	516	89	1334	85	516	89	1336	86	542	88	1334	80	567	80	1329	80	568	80
7	jktx<	1919	80	691	80	1966	80	700	67	1986	80	715	67	1990	80	729	67	1993	80	746	67
8	lhgksj	1502	71	609	70	1503	71	656	71	1504	72	667	71	1500	73	676	71	1450	82	675	78
9	lh/kh	1746	81	601	79	1771	76	605	70	1762	67	609	65	1762	70	617	65	1712	74	640	64
10	fofn'kk	1957	75	655	69	1968	72	686	72	1968	73	686	60	1973	77	727	70	1976	77	800	73
	;ksx	**17304**		**5937**		**17424**		**6147**		**17484**		**6267**		**17492**		**6330**		**17372**		**6472**	

¼lzksr :ueuk tkap fd, x, ftyksa ls lxfgr vkdM½

ifjf'k"V- 2.9

(lUnHkZ dfMdk 2.1.9.3, i"B 19)

fujh{k.k fnol ds fnu ueuk tkp fd, x, fo|ky;ksa esa vkSlr mifLFkfr dks n'kkZus okyk fooj.k i=d

l-Ø-	ftys dk uke	ueuk tkp fd, x, fo/kky;ksa dh la[;k	Ukkekafdr fo|kfFkZ;ksa dh dqy la[;k	fujh{k.k ds fnu mifLFkr fo|kfFkZ;ksa dh la[;k dk ;ksx	vkSlr izfr'kr
1	vuwiqj	30	2362	1948	82
2	Hkksiky	30	2228	1175	53
3	/kkj	30	1668	1051	63
4	Xokfy;j	30	1694	553	33
5	tcyiqj	30	2446	1462	60
6	eUnlkSj	30	1791	761	42
7	jktx<	30	1602	751	47
8	lhgksj	30	2125	1453	68
9	lh/kh	30	1621	693	43
10	fofn'kk	30	2575	1059	41
	;ksx	**300**	**20112**	**10906**	

¼lzksr : ueuk tkp fd, x, fo|ky;ksa ls laxfgr vkadM+s½

ifjf'k"V- 2.10

(lUnHkZ % dfMdk 2.1.9.5, i"B 20)

mBko ugha fd, x, [kk|kUu vkoaVu dh fooj.k dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

(ek=k ehfVªd Vu esa)

o"kZ	[kk|kUu dk vkoaVu		;ksx	[kk|kUu dk mBko		;ksx	fcuk mBko fd;k x;k		;ksx (izfr'kr)
	izkFkfed fo|ky;	ek/;fed fo|ky;		izkFkfed fo|ky;	ek/;fed fo|ky;		izkFkfed fo|ky;	ek/;fed fo|ky;	
2010-11	166798.01	97852.30	264650.31	143700.13	88537.38	232237.51	23097.88	9314.92	32412.80**(12.25)**
2011-12	156657.26	98288.75	254946.01	128642.85	85657.23	214300.08	28014.41	12631.52	40645.93**(15.94)**
2012-13	138285.87	97423.73	235709.60	119081.93	91009.30	210091.23	19203.94	6414.43	25618.37**(10.87)**
2013-14	127681.17	96492.67	224173.84	103232.04	86452.48	189684.52	24449.13	10040.19	34489.32**(15.38)**
2014-15	104915.31	90708.47	195623.78	99279.30	85674.82	184954.12	5636.01	5033.65	10669.66**(05.45)**
;ksx	**694337.62**	**480765.92**	**1175103.54**	**593936.25**	**437331.21**	**1031267.46**	**100401.37**	**43434.71**	

¼lzksr : jkT; e/;kgu Hkkstu dk;ZØe ifj"kn }kjk iznRr fd, x, vkadMs½

ifjf'k"V- 2.11

(lUnHkZ dafMdk 2.1.9.8, i"B 21)

ueuk tkap fd;s x;s fo|ky;ksa esa iR;sd 'kS{kf.kd fnol dks e/;kUg Hkkstu forfjr ugha fd, tkus dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

l-Ø-	ftys dk uke	fo|ky;ksa dh la[;k	2010&11 esa fnolksa dh la[;k	fo|ky;ksa dh la[;k	2011&12 esa fnolksa dh la[;k	fo|ky;ksa dh la[;k	2012&13 esa fnolksa dh la[;k	fo|ky;ksa dh la[;k	2013&14 esa fnolksa dh la[;k	fo|ky;ksa dh la[;k	2014&15 esa fnolksa dh la[;k	dqy fnol
1	vuwiqj	9	269	10	125	11	214	11	222	4	71	901
2	Hkksiky	0	0	0	0	0	0	0	0	7	96	96
3	/kkj	8	89	9	128	8	82	8	68	3	41	408
4	Xokfy;j	5	282	7	338	7	341	8	317	10	306	1584
5	tcyiqj	5	95	5	82	5	82	5	72	4	76	407
6	eUnlkSj	6	44	5	71	5	36	5	53	8	178	382
7	jktx<	13	267	15	429	15	573	13	300	4	26	1595
8	lhgksj	11	478	12	445	13	295	12	287	3	76	1581
9	lh/kh	5	123	5	102	4	116	4	112	8	106	559
10	fofn'kk	4	40	5	31	6	28	7	99	4	48	246
	;ksx	**66**	**1687**	**73**	**1751**	**74**	**1767**	**73**	**1530**	**55**	**1024**	**7759**

¼lzksr :ueuk tkap fd, x, fo|ky;ksa ls ladfgr vkadMs½

ifjf'k"V- 2.12

(lUnHkZ dafMdk 2.1.9.8, i"B 21)

fujh{k.k dh fnu e/;kUg Hkkstu dk forj.k ugha fd;s tkus okys fo|ky;ksa dk C;kSjk n'kkZus okyk fooj.k i=d

l- d-	ftys dk uke	Cykd dk uke	l[;k	fo|ky; dk uke	fujh{k.k dk fnukad	e/;kUg Hkkstu forj.k ugha djus dk dkj.k
1	Hkksiky	QUnk ('kgjh)	1	निजी मदरसा दीन–ए–गुलशन मा.वि. 1100 क्वार्टर्स	12.3.15	एम.डी.एम. पोर्टल पर दिए गए पते पर नहीं पाया गया।
		QUnk ('kgjh)	2	मदरसा मा. वि. न्यू सेंचुरी वार्ड 12	11.3.15	मदरसे में विद्यार्थी उपस्थित नहीं पाए गए एवं उपस्थिति पंजी अद्यतन नहीं थी।
		QUnk (xzkeh.k)	3	ई.जी.एस. प्रा. वि. चाचेड फार्म	14.3.15	विद्यालय एवं किचिन शेड बन्द पाए गए।
2	jktx<	jktx<	4	प्रा.वि. थाण्डी खुर्द का पुरा	23.3.15	स्व–सहायता समूह द्वारा दिनांक 16.3.15 से भोजन नहीं बनाने के कारण विद्यालय में नामांकित 34 बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया।
		C;kojk	5	मा.वि. मोडबडली	25.3.15	स्व–सहायता समूह द्वारा दिनांक 5.3.15 से भोजन नहीं बनाने के कारण विद्यालय में नामांकित 54 बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया।
		C;kojk	6	प्रा.वि. भाटपुरा,सोंधिया	25.3.15	स्व–सहायता समूह द्वारा विगत एक माह से मध्यान्ह भोजन नहीं बनाने के कारण विद्यालय में नामांकित 10 बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया ।
3	eUnlkSj	Hkkuiqjk	7	मा.वि. कराडिया	17.6.15	स्व–सहायता समूह द्वारा दिसम्बर 2014 से भोजन नहीं बनाने के कारण विद्यालय में नामांकित बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया ।
		eYgkjx<	8	प्रा.वि. उजगारिया	18.6.15	स्व–सहायता समूह द्वारा दिनांक 16.6.15 से 18.6.15 तक भोजन नहीं बनाने के कारण विद्यालय में नामांकित बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया ।
		eYgkjx<	9	प्रा.वि. पिपरिया रायसिंह	18.6.15	स्व–सहायता समूह द्वारा दिनांक 16.6.15 से 18.6.15 तक भोजन नहीं बनाने के कारण विद्यालय में नामांकित बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया ।
4	lh/kh	e>kSyh	10	प्रा.वि. पूरबटोला	18.6.15	स्व–सहायता समूह द्वारा विद्यालय में दर्ज 43 विद्यार्थियों मे से उपस्थित छह बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया।
		dqleh	11	मा.वि. शाजाडोल	18.6.15	स्व–सहायता समूह द्वारा विद्यालय में दर्ज 33 विद्यार्थियों मे से उपस्थित 18 बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया।
		dqleh	12	मा.वि. पाटीडोल	19.6.15	स्व–सहायता समूह द्वारा विद्यालय में दर्ज 47 विद्यार्थियों मे से उपस्थित 28 बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया।
		jkeiqj uSdhu	13	प्रा.वि. पोण्डी	19.6.15	स्व–सहायता समूह द्वारा विद्यालय में दर्ज 68 विद्यार्थियों मे से उपस्थित 38 बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया।
		jkeiqj uSdhu	14	प्रा.वि. भैंसाडोल	18.6.15	स्व–सहायता समूह द्वारा विद्यालय में दर्ज 28 विद्यार्थियों मे से उपस्थित सात बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया।
		jkeiqj uSdhu	15	प्रा.वि. बरहट कुशाटोला	17.6.15	स्व–सहायता समूह द्वारा विद्यालय में दर्ज आठ विद्यार्थियों मे से उपस्थित पांच बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया।
5	fofn'kk	xatcklkSnk	16	प्रा.वि. सेमरत्योन्दा	22.6.15	स्व–सहायता समूह द्वारा विद्यालय में दर्ज 52 विद्यार्थियों मे से उपस्थित 15 बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया।
		xatcklkSnk	17	प्रा.वि. बूढी बागरोद	24.6.15	स्व–सहायता समूह द्वारा विद्यालय में दर्ज 124 विद्यार्थियों मे से उपस्थित 80 बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया।

¼lzksr :ueuk tkap fd, x, fo|ky;ksa ls lzxghr vkdM+s½

ifjf'k"V- 2-13

(lUnHkZ % dafMdk 2.1.9.8, i"B 22)

o"kZ 2013&14 ds nkSjku Hkkxhnkjh ij 'kgj esa fo|ky;ksa }kjk xSj 'kkldh; laLFkkvksa ¼,u-th-vks-½ ls vf/kd Hkkstu dh ekax fd;s tkus dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

l- d-	fo|ky; dk uke	Ukkekafdr fo|kfFkZ;ksa dh la[;k	,u-th-vks- }kjk iznk; fd, x, Hkkstu ¼ehYl½ dh la[;k (ukekafdr la[;k dk 50 izfr'kr)	fo|ky;ksa }kjk ekax dh xbZ Hkkstu ¼ehYl½ dh la[;k	fo|ky;ksa }kjk ekax dh fd, x, Hkkstu ¼ehYl½ dk izfr'kr
1	2	3	4	5	6
1	enjlk ,e-,l- tSc&vy&,gyh	190	95	190	100
2	'kkldh; ik-fo- fot;uxj	271	136	190	70
3	enjlk vYQk	90	45	90	100
4	'kkldh; ckyd fuEu ehjk ik-fo- fo/kku;	260	130	182	70
5	'kkldh; jktho xka/kh ik-fo-	178	89	142	80
6	ik-fo-lkgj flU/kk	54	27	50	93
7	ik-fo- Hkkuiqj	497	249	350	70
8	'kkldh; ek-fo- vjsjk dkykuh	299	150	150	50
9	'kkldh; ek- fo- xefy;k ubZ cLrh	416	208	300	72
10	'kkldh; ik-fo- lejkdyk	389	195	311	80
11	'kkldh; ik-fo-dU;k ljktuh uk;Mw	168	84	134	80
12	'kkldh; ik-fo-[ktqjdyk	200	100	150	75
13	'kkldh; ek-fo-ljnkj iVsy dkWu	632	316	632	100
14	'kkldh; ik-fo-fcy[kMk	66	33	56	85
15	'kkldh; ik-fo-uohu v;k/;k uxj	138	69	95	69
16	'kkldh; ik-fo-ckyd cqj[kMk	215	108	150	70
17	'kkldh; ek-fo-jklhfn;k cqj[kMh	406	203	345	85
18	'kkldh; ek-fo- dU;k rsy lhuxj	468	234	374	80
19	'kkldh; ik-fo-ckxlsofu;k	202	101	161	80
20	'kkldh; ik-fo- cqj[kMh [kqnZ	165	83	132	80
21	'kkldh; ek-fo-,e-,y-ch- dU;k cqj[kMk	791	396	633	80
22	'kkldh; ik-fo- ljnkj iVsy dkWu	670	335	500	75
23	'kkldh; ek-fo- iykl h	105	53	63	60
24	'kkldh; ik-fo-fiiY;k iqM[kku	108	54	80	74

¼lzksr :xj 'kkldh; laLFkk ¼unh QkmUMs'ku&Hkkxhnkjh½ }kjk izLrqr tkudkjh½

ifjf'k"V- 2.14

(lUnHkZ dafMdk 2.1.9.9, i`"B 22)

fujh{k.k ds nkSjku fo|ky;ksa esa LokLF; ijh{k.k ,oa ekbØksU;wfVª;UVl dk forj.k dk fooj.k n'kkZus okyk fooj.k i=d

l- d-	ftys dk uke	Cykd dh la[;k	fo|ky;ksa dh la[;k	ikFkfed fo|ky;	ek/;fed fo/kky;	LokLF; ijh{k.k ugha fd, x, fo|ky;ksa dh la[;k	ekbØksU;wfVª;UV] iwjd vkgkj forfjr ugha fd, x, fo|ky;ksa dh la[;k
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	vuwiiqj	4	30	20	10	15	15
2	Hkksiky	2	30	20	10	20	29
3	/kkj	4	30	20	10	21	16
4	Xokfy;j	4	30	20	10	22	25
5	tcyiqj	2	30	20	10	11	16
6	eUnlkSj	4	30	20	10	23	26
7	jktx<+	4	30	20	10	23	29
8	lhgksj	2	30	20	10	10	8
9	lh/kh	4	30	20	10	23	13
10	fofn'kk	2	30	20	10	19	15
	;ksx	**32**	**300**	**200**	**100**	**187**	**192**

¼lzksr :ueuk tkap fd, x, fo|ky;ksa ls ladfyr vkadM+s½

ifjf'k"V- 2.15

(lUnHkZ dfMdk 2.1.9.10, i"B 23)

ueuk tkp fd;s x;s fo|ky;ksa ds fujh{k.k ds nkSjku LoPNrk ekudksa dk ikyu ugha fd;s tkus dk fooj.k n'kkZus okyk fooj.k i=d

l- d-	ftys dk uke	Cykd dh la[;k	fo|ky;ksa dh la[;k	,sls fo|ky;ksa dh la[;k tgka e/;kUg Hkkstu d{kkvksa esa cuk;k x;k	,sls fo|ky;ksa dh la[;k tgka e/;kUg Hkkstu Lo& lgk;rk lewgksa ds v/;{k@jlksb;k ds ?kj esa cuk;k x;k	,sls fo|ky;ksa dh la[;k tgka e/;kUg Hkkstu vU; LFkku ij cuk;k x;k	,sls fo|ky;ksa dh la[;k tgka [kk|kUu jlksbZ ?kj@fo|ky; esa ugha j[kk x;k	,sls fo|ky;ksa dh la[;k tgka b/ku ds :i esa tykÅ ydMh@xkscj@dks;yk dk mi;kx fd;k x;k	,sls fo|ky;ksa dh la[;k tgka b/ku ds :i esa ,y-ih- th- dk mi;kx fd;k x;k	,sls fo|ky;ksa dh la[;k tgka ,y-ih- th- duD'ku ds gkrs gq, Hkh ydMh dk mi;kx fd;k tk jgk gS	,sls fo|ky;ksa dh la[;k tgka [kk|kUUk lxg.k gsrq ok;q jks/kh crZu miyC/k ugha Fks	,sls fo|ky;ksa dh la[;k tgka e/;kUg Hkkstu ijkslus gsrq i;kZIr crZu miyC/k ugha Fks	,sls fo|ky;ksa dh la[;k tgka ekrkvksa dk jksLVj vi.k vFkok lfØ;r ugha fd;k x;k	,sls fo|ky;ksa dh la[;k tgka rkfy;k@lkcqu miyC/k ugha Fks
1	vuqiiqj	4	30	8	2	4	23	19	9	9	23	15	28	25
2	Hkkuiqky	2	30	2	0	6	14	13	6	0	26	7	26	7
3	/kkj	4	30	0	4	8	29	28	2	3	25	3	21	0
4	Xokfy;j	4	30	2	1	2	20	15	0	2	5	8	23	3
5	tcyiqj	2	30	1	5	3	18	14	6	1	18	6	5	7
6	eUnlkSj	4	30	1	2	6	23	23	7	0	26	12	18	7
7	jktx<	4	30	4	15	4	27	28	1	1	29	11	26	10
8	lhgksj	2	30	3	3	5	23	12	16	2	10	7	5	6
9	lh/kh	4	30	1	0	2	26	30	0	0	6	15	15	11
10	fofn'kk	2	30	4	10	0	27	19	11	1	9	4	16	3
	;kx	**32**	**300**	**26**	**42**	**40**	**230**	**201**	**58**	**19**	**177**	**88**	**183**	**79**

¼lzksr :ueuk tkp fd, x, fo|ky;ksa ls lzxfgr fd, x, vkdMs½

ifjf'k"V- **2.16**

(lUnHkZ% dfMdk 2.1.9.11, i"B 24)

ikFkfed ,oa ek/;fed fo|ky;ksa esa jlksbZ&lg&HkaMkj d{k fuekZ.k dh HkkSfrd izxfr dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

o"kZ	fuekZ.k gsrq Lohd`r jlksbZ ?kjksa dh la[;k	bdkbZ ykxr (₹)	iw.kZ jlksbZ ?kjksa dh la[;k	fuekZ.kk/khu jlksbZ ?kjksa dh la[;k	vizkjEHk fuekZ.k jlksbZ ?kjksa dh la[;k
2006-07 ls 2008-09	95032	60000	36786	20295	37951
2009-10	fujad	60000	22069	28270	7907
2010-11	2067	60000	10186	19588	8470
2011-12	fujad	60000	8360	14220	5478
2012-13	fujad	60000	5342	10194	4162
2013-14	1363	154000	3839	7345	4535
2014-15	2289	154000	98	7662	6409
₹ 154000/- izfr bdkbZ dh nj ls 3652 jlksbZ ?kj Lohd`r fd, x,					
;ksx	**100751**		**86680**	**7662**	**6409**

¼lzksr :jkT; e/;kgu Hkkstu dk;ZØe ifj"kn }kjk iznRr vkdM+s½

परिशिष्ट-2.17
(संदर्भ कंडिका 2.1.10.1, पृष्ठ 25)
स्वीकृत पदों एवं कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	जिले का नाम	टास्क मैनेजर			क्वालिटी मानिटर		
		स्वीकृत पद	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	रिक्त	स्वीकृत पद	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	रिक्त
1	अनूपपुर	1	--	1	2	1	1
2	भोपाल	2	2	--	2	2	--
3	धार	1	1	--	2	--	2
4	ग्वालियर	2	2	--	2	2	--
5	जबलपुर	2	2	--	2	2	--
6	मन्दसौर	1	--	1	2	1	1
7	राजगढ़	1	--	1	2	1	1
8	सीहोर	1	1	--	2	1	1
9	सीधी	1	--	1	2	1	1
10	विदिशा	1	1	--	2	1	1
		13	**9**	**4**	**20**	**12**	**8**

(स्रोत: राज्य मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

ifjf'k"V-2.18

(lUnHkZ dafMdk 2.1.10.2, i"B 26)

ftyk Lrjh; fn'kkn'khZ ,oa vuqJo.k lfefr dh cSBdksa dk fooj.k n'kkZus okyk fooj.k i=d

l- d-	ftys dk uke	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		okfNr cBdksa dh la[;k	okLrfod cBdksa dh la[;k	okfNr cBdksa dh la[;k	okLrfod cBdksa dh la[;k	okfNr cBdksa dh la[;k	okLrfod cBdksa dh la[;k	okfNr cBdksa dh la[;k	okLrfod cBdksa dh la[;k	okfNr cBdksa dh la[;k	okLrfod cBdksa dh la[;k
1	vuwiiqj	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Hkkxyiqj	12	1	12	1	12	1	12	8	12	0
3	/kkj	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8
4	Xokfy;j	12	3	12	4	12	4	12	4	12	4
5	tcyiqj	12	4	12	10	12	12	12	12	12	12
6	eUnlkSj	12	1	12	1	12	9	12	11	12	2
7	jktx<	12	12	12	12	12	11	12	11	12	12
8	lhgksj	12	0	12	12	12	7	12	4	12	2
9	lh/kh	12	12	12	12	12	11	12	1	12	1
10	fofn'kk	12	4	12	4	12	4	12	2	12	2
		120	**61**	**120**	**80**	**120**	**83**	**120**	**77**	**120**	**55**

¼lzksr :ueuk tkap fd, x, ftyksa }kjk iznRr vkadM½

ifjf'k"V- 2.19

(lUnHkZ dfMdk 2.1.10.3, i"B 26)

fo|ky;ksa esa fd, x, fujh{k.kksa dk fooj.k n'kkZus okyk fooj.k i=d

l- d-	ftys dk uke	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		fo|ky;ksa dh la[;k	fd;s x;s fujh{k.kksa dh la[;k	fo|ky;ksa dh la[;k	fd;s x;s fujh{k.kksa dh la[;k	fo|ky;ksa dh la[;k	fd;s x;s fujh{k.kksa dh la[;k	fo|ky;ksa dh la[;k	fd;s x;s fujh{k.kksa dh la[;k	fo|ky;ksa dh la[;k	fd;s x;s fujh{k.kksa dh la[;k
1	vuiiij	1536	1120	1554	1095	1564	65	1564	298	1581	1581
2	Hkkiky	1696	1203	1718	2490	1718	3576	1629	2553	1638	2273
3	/kkj	3969	2556	4068	2154	4096	1067	4121	1145	4149	1380
4	Xokfy;j	2149	2149	2199	2199	2199	2199	2199	2199	2199	2199
5	tcyiij	2376	2376	2377	2377	2399	2399	2393	2393	2388	2388
6	eUnlkj	1850	20	1850	31	1878	24	1901	88	1897	209
7	jktx<	2603	2190	2701	1807	2719	4034	2739	1352	2739	5921
8	lhgkj	2113	1047	2158	1044	2175	1345	2168	1589	2125	1891
9	lh/kh	2347	294	2376	399	2371	482	2379	340	2352	69
10	fofn'kk	2612	623	2654	856	2654	855	2700	1857	2776	1426
	;ksx	**23251**	**13578**	**23655**	**14452**	**23773**	**16046**	**23793**	**13814**	**23844**	**19337**

¼lzksr :ueuk tkap fd, x, ftyk }kjk iLrqr vkdM+s½

ifjf'k"V-2.20

(lanHkZ dafMdk 2.2.4, i`"B 32)

ckjg p;fur ftyksa dh ueuk ijhf{kr bdkb;ksa dh lwph

l- Ø-	bdkbZ dk uke	LFkku
1	जिला एड्स कार्यक्रम नियंत्रण इकाई (डी.ए.पी.सी.यू)	बालाघाट, भोपाल, हरदा तथा इंदौर
2	जिला एड्स नियंत्रण समिति (डी.ए.सी.एस.)	अशोकनगर, बड़वानी, डिंडोरी, झाबुआ, खंडवा, खरगौन, रायसेन तथा सिहोर
3	एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्र (आई.सी.टी.सी.)	*अशोकनगर, बालाघाट–जिला अस्पताल, कटंगी, लालबर्रा तथा वारासिवनी, बड़वानी, भोपाल–बी.एम.एच.आर.सी., हमीदिया अस्पताल तथा जे.पी. अस्पताल, डिंडोरी, हरदा–जिला अस्पताल, खिरकिया तथा टिमरनी, इंदौर–जिला अस्पताल, देपालपुर, हुकुमचंद अस्पताल, मांगीलाल अस्पताल, मानपुर, मह्, एम.जी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, तथा पी.सी. सेठी अस्पताल, झाबुआ, खंडवा, खरगौन–बड़वाह, जिला अस्पताल, महेश्वर तथा सनावद, रायसेन–जिला अस्पताल तथा मंडीदीप, सिहोर–आष्ठा तथा जिला अस्पताल*
4	एंटी रेट्रोवायरल थेरैपी (ए.आर.टी) केंद्र	*बालाघाट, भोपाल, बड़वानी, इंदौर तथा खंडवा*
5	संपर्क ए.आर.टी. केंद्र	*अशोकनगर, डिंडोरी, हरदा, झाबुआ, खरगौन, रायसेन तथा सिहोर*
6	यौन संचारित संक्रमण/प्रजनन पथ संक्रमण (एस.टी.आई. /आर.टी.आई.) क्लीनिक	*अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, भोपाल–हमीदिया अस्पताल, जे.पी. अस्पताल तथा सुल्तानिया अस्पताल, डिंडोरी, हरदा, इंदौर–आसरा (टी.आई.), जिला अस्पताल, हुकूमचंद अस्पताल तथा एमवाय अस्पताल, झाबुआ, खंडवा, खरगौन, रायसेन–सी. एच.सी. मंडीदीप, जिला अस्पताल तथा न्यू प्रताप शिक्षा समिति (टी.आई.) मंडीदीप तथा सिहोर*
7	रक्त बैंक	*बालाघाट, बड़वानी, भोपाल–बी.एम.एच.आर.सी., हमीदिया अस्पताल तथा जे.पी. अस्पताल, डिंडोरी, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगौन, रायसेन तथा सिहोर*
8	लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं (टी.आई. परियोजनाएं)	*बालाघाट–ग्रामीण विकास मंडल (एफ.एस.डब्ल्यू.) तथा ग्रामीण विकास मंडल (एल. डब्ल्यू.एस.), बड़वानी–बदलाव समिति, भोपाल– अविद्या विमुक्ति संस्थान (आई.डी. यू.), सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एवं डेवलपमेंट (एफ.एस.डल्ल्यू.) तथा स्वामी चैतन्य महाप्रभु शिक्षा समिति (एल.डब्ल्यू.एस.), हरदा–आदर्श समाज शिक्षा समिति (एल. डब्ल्यू.एस.), इंदौर–आदित्य इंफॉरमेशन मैनेजमेंट सोसाइटी (एफ.एस.डब्ल्यू.), एडवांस इंफॉरमेशन मैनेजमेंट सोसाइटी (प्रवासी), अनुभूति समाज कल्याण समिति (ट्रक्स), आसरा सामाजिक संस्थान (एफ.एस.डब्ल्यू.), आसरा सामाजिक संस्थान (ट्रक्स), मित्र श्रृंगार समिति (एम.एस.एम.) तथा पर्यावरण संरक्षण एवं समाज कल्याण समिति (एल.डब्ल्यू.एस.), झाबुआ–जीवन ज्योति हेल्थ सोसाइटी (एफ.एस. डब्ल्यू.+एम.एस.एम.), खंडवा–द फिफ्थ डायमेंशन एकेडमी (एफ.एस.डब्ल्यू.+एम.एस. एम.), खरगौन–चंदन वसुंधरा ग्रामोत्थान एवं सहभागी ग्रामीण विकास समिति (एफ.एस.डब्ल्यू.), रायसेन–अविद्या विमुक्ति संस्थान (एफ.एस.डब्ल्यू.+आई.डी.यू.), द्वारका वूमेन एवं चाइल्ड केयर सोसाइटी (एफ.एस.डब्ल्यू.), माता बेटी बाई सेवा समिति (प्रवासी) तथा न्यू प्रताप शिक्षा समिति (ट्रक्स), सिहोर–अविद्या विमुक्ति संस्थान (आई.डी.यू.) तथा स्वामी चैतन्य महाप्रभु शिक्षा समिति (एफ.एस.डब्ल्यू.+एम. एस.एम.)।*

ifjf'k"V-2.21

(lnHkZ dfMdk 2.2.7.1, i"B 37)

lhMh&4 ijh{k.k dh fLFkfr

o"kZ	vko';d lh-Mh-&4 ijh{k.k	okLrfod :i ls fd, x, lh-Mh-&4 ijh{k.k	deh
2010-11	5841	4714	1127
2011-12	7847	6482	1365
2012-13	8516	7678	838
2013-14	9423	8137	1286
2014-15	10873	10065	808
;ksx	**42500**	**37076**	**5424**

(lzksr% uewuk ijhf{kr ,-vkj-Vh- rFkk lhvkbZ ,-vkj-Vh- dsUnz)

ifjf'k"V-2.22

(lnHk% dfMdk 2.2.7.2] i"B 38)

,-vkj-Vh- rFkk fyad ,-vkj-Vh- dsUnzks ij vk-vkbZ- vkS"kf/k] o;Ld ,-vkj-oh- rFkk cky ,-vkj-oh- dh miyC/krk n'kkZus okyk i=d

l- Ø-	,-vkj-Vh- @fyad ,-vkj-Vh- dk uke	vk-vkbZ- vkS"kf/k			o;Ld ,-vkj-oh-			cky ,-vkj-oh-		
		vko';d	miyC/k	deh	vko';d	miyC/k	deh	vko';d	miyC/k	deh
1	ए.आर.टी. इंदौर	24	7	17	12	8	4	10	5	5
2	ए.आर.टी. भोपाल	24	12	12	12	9	3	10	6	4
3	लिंक ए.आर.टी. डिंडोरी	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	12	1	11	10	0	10
4	लिंक ए.आर.टी. खरगौन	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	12	2	10	10	0	10
5	ए.आर.टी. खंडवा	24	14	10	12	5	7	10	6	4
6	लिंक ए.आर.टी. हरदा	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	12	2	10	10	0	10
7	लिंक ए.आर.टी. अशोकनगर	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	12	4	8	10	0	10
8	लिंक ए.आर.टी. झाबुआ	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	12	2	10	10	1	9
9	लिंक ए.आर.टी. सिहोर	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	12	2	10	10	1	9
10	ए.आर.टी. बड़वानी	24	7	17	12	5	7	10	3	7
11	ए.आर.टी. बालाघाट	24	3	21	12	3	9	10	4	6
	;ksx	**120**	**43**	**77**	**132**	**43**	**89**	**110**	**26**	**84**

(lzksr% ueuk ijhf{kr ,-vkj-Vh-@fyad ,-vkj-Vh-)

ifjf'k"V-2.23

(lnHkZ% dfMdk 2.2.7.2, i"B 38)

,-vkj-Vh- dsUnzks ij ekuo lalk/ku dh fLFkfr

l-Ø-	in dk uke	vko';d	dk;Zjr	deh
1.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	16	8	8
2.	चिकित्सा अधिकारी	8	6	2
3.	प्रयोगशाला तकनीशियन	17	14	3
4.	परामर्शदाता	29	21	8
5.	औषधज्ञ	16	11	5
6.	आंकड़े प्रबंधक	21	16	5
7.	स्टॉफ नर्स	16	12	4
8.	देखभाल समन्वयक	16	9	7
	;ksx	**139**	**97**	**42**

(lzksr% e-i-jk-,-fu-l-)

ifjf'k"V-2.24

(lanHkZ% dfMdk 2.2.8.1, i"B 39)

,p-vkj-th- rFkk lsrq vkcknh ds 'kkfey djus ds fy, y{; ,oa miyfC/k dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

o"kZ	,p-vkj-th-						lsrq vkcknh			
	,Q-,l-MCY;w-		,e-,l-,e-		vkbZ-Mh-;w-		Vdj		iqokZlh	
	y{;	izkfIr	y{;	izkfIr	y{;	izkfIr	y{;	izkfIr	y{;	izkfIr
2010-11	27494	22805	10643	10298	5601	6248	42210	40900	45000	31058
2011-12	29359	24022	11093	10382	6928	5682	75000	245692	53000	28836
2012-13	25750	12140	10325	7390	5700	2274	80000	39159	50000	8470
2013-14	28400	23488	8550	7477	7250	5185	85000	72051	82000	16042
2014-15	26250	24349	9300	9027	7250	5965	85000	295739	82000	65596
;ksx	**137253**	**106804**	**49911**	**44574**	**32729**	**25354**	**367210**	**693541**	**312000**	**150002**
deh ¼izfr'kr½	**30449 (22%)**		**5337 (11%)**		**7375 (23%)**		**+326331**		**161998 (52%)**	

(lzksr% e-i-i-jk-,-fu-l-)

ifjf'k"V-2.25

(lanHkZ% dfMdk 2.2.9.1, i"B 41)

pkj p;fur ftyksa esa ,p-vkj-th- ds jQjy dh fLFkfr n'kkZus okys fooj.k i=d

o"kZ	,l-Vh-vkbZ- dk jQjy		vkbZ-lh-Vh-lh- dk jQjy	
	jQj fd, x, ,p-vkj-th- dh la[;k	igqaps ,p-vkj-th- dh la[;k ¼izfr'kr½	jQj fd, x, ,p-vkj-th- dh la[;k	igqaps ,p-vkj-th- dh la[;k ¼izfr'kr½
2013-14	1051	528	4536	2866
2014-15	1944	1212	4751	1948
;ksx	**2995**	**1740**	**9287**	**4814**
	deh	**1255 (42%)**	deh	**4473 (48%)**

(lzksr% ueuk ijh{kr ,y-MCY;w-,l- ,u-th-vks-)

ifjf'k"V-2.26

(lanHkZ% dfMdk 2.2.10.2 , i"B 42)

,l-Vh-vkbZ-@vkj-Vh-vkbZ- izca/ku esa dojst ds y{; ,oa miyfC/k

o"kZ	y{;	miyfC/k	deh
2010-11	100025	127789	0
2011-12	191183	147769	43414
2012-13	217575	216669	906
2013-14	282042	218228	63814
2014-15	283476	279582	3894
;ksx	**1074301**	**990037**	**112028**

(lzksr% e-i-i-jk-,-fu-l-)

ifjf'k"V-2.27

(lanHkZ% dfMdk 2.2.10.4, i"B 44)

izf'k{k.k ds y{; ,oa miyfC/k dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

l-Ø-	in dk uke	y{;	miyfC/k	deh
1.	चिकित्सा अधिकारी	828	442	386
2.	स्टॉफ नर्स/लेडी हेल्थ विजिटर	192	233	0
3.	मेडिको–सोशल वर्कर/परामर्शदाता	320	201	119
4.	प्रयोगशाला तकनीशियन	320	185	135
	;ksx	**1660**	**1061**	**640 (39%)**

(lzksr% e-i-i-jk-,-fu-l-)

ifjf'k"V-2.28

(lnHk% dfMdk 2.2.12] i"B 45)

dMke forj.k d y{; rFkk miyfC/k dk n'kku okyk fooj.k i=d

(vkdMs yk[k e)

fØ;kdyki dk uke	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
सोशल मार्केटिंग के द्वारा वितरित कंडोम की संख्या	295.00	4.61	39.88	8.78	63.24	2.20	39.51	0.62	79.06	2.51
मुफ्त वितरित कंडोम की संख्या		83.16	99.71	88.02	158.09	38.07	98.77	45.06		45.30
dy forfjr	**295.00**	**87.77**	**139.59**	**96.80**	**221.33**	**40.27**	**138.28**	**45.68**	**79.06**	**47.81**
dy miyfC/k	**30%**		**69%**		**18%**		**33%**		**60%**	
,pvkjth rFkk lrr vkcknh d chp dMke forj.k										
एफएसडब्ल्यू	295.00	52.50	66.86	54.82	108.00	27.68	45.88	34.18	58.38	32.28
आईडीयू		2.40	2.49	3.87	3.53	1.43	3.02	2.64	3.80	2.47
एमएसएम		13.60	30.36	18.09	16.56	8.96	9.07	8.14	16.88	10.55
;kx	**295.00**	**68.50**	**99.71**	**76.78**	**128.09**	**38.07**	**57.97**	**44.96**	**79.06**	**45.30**
dy miyfC/k	**23%**		**77%**		**30%**		**77%**		**57%**	
ट्रक्स	miyC/k ugh									
प्रवासी	miyC/k ugh									

[lkr% e-i-jk-,-fu-l-]

ifjf'k"V-2.29

(lnHk% dfMdk 2.2.13.1, i"B 46)

vkb-lh-Vh-lh-@,Q-vkb-lh-Vh-lh- ij lokvk dh miyC/krk dk n'kku okyk fooj.k i=d

LokLF; lfo/kk dk uke	jkT; e dy LokLF; lfo/kkvk dh l[;k	dy LFkkfir rFkk dk;jr vkb-lh-Vh-lh-@ ,Q-vkb-lh-Vh-lh- dh l[;k	deh
चिकित्सा महाविद्यालय	6	11	0
जिला अस्पताल	51	51	0
सिविल अस्पताल	66	36	30
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	334	65	269
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1171	649	522

[lkr% e-i-jk-,-fu-l-]

ifjf'k"V-2.30

(lnHk% dfMdk 2.2.13.2, i"B 46)

vkb:-lh-Vh-lh- e: lkekU; DykbV rFkk xHkorh efgykvk d: ijh{k.k n'kku: okyk i=d

DykbV dh i:dfr	o"k	y{;	miyfC/k	deh ¼ifr'kr½	ik, x, ikftfVo
संवेदनशील जनसंख्या का परीक्षण (सामान्य क्लाइंट)	2010-11	265000	149231	115769 (44%)	4187
	2011-12	300000	288396	11604 (4%)	4714
	2012-13	350000	392405	Nil	4761
	2013-14	400000	378510	21490 (5%)	4676
	2014-15	500000	439375	60625 (12%)	4880
	;kx	**1815000**	**1647917**	**209488((11%)**	**23218**
गर्भवती महिलाओं का परीक्षण	2010-11	215000	142272	72728 (34%)	200
	2011-12	300000	289353	10647 (4%)	258
	2012-13	350000	454193	Nil	323
	2013-14	600000	508247	91753 (15%)	341
	2014-15	650000	628892	21108 (3%)	397
	;kx	**2115000**	**2022957**	**196236 (9%)**	**1519**
	dy ;kx	**3930000**	**3670874**	**259126**	

[lkr% e-i-jk-,-fu-l-]

ifjf'k"V- 2.31
(lanHkZ dafMdk 2.2.13.2] i"B 47)

vkbZ-lh-Vh-lh- esa ,p-vkj-th- rFkk lrr vkcknh dks jQjy ds fy, y{;ksa dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

leg dk uke	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
एच.आर.जी.	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	लक्ष्य	उपलब्धि	क्मी	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी
एफ.एस.डब्ल्यू.	45610	14817	30793	48044	23752	24292	24280	16101	8179	46976	21361	25615	49047	34903	14144
एम.एस.एम.	20596	5705	14891	20764	11546	9218	14780	6512	8268	14954	6651	8303	17177	12647	4530
आई.डी.यू.	12496	2637	9859	11364	5732	5632	4548	3040	1508	10370	5025	5345	11938	8247	3691
योग	78702	23159	55543	80172	41030	39142	43608	25653	17955	72300	33037	39263	78162	55797	22365
lrr vkcknh															
ट्रकर्स	6332	4106	2226	11250	8834	2416	12000	3589	8411	12750	1319	11431	12750	5479	7271
प्रवासी	13500	2142	11358	15900	7467	8433	15000	1911	13089	24600	2838	21762	24600	9101	15499
कुल	**19832**	**6248**	**13584 (70%)**	**27150**	**16301**	**10849 (47%)**	**27000**	**5500**	**21500 (56%)**	**37350**	**4157**	**33193 (66%)**	**37350**	**14580**	**22770 (39%)**

[lzksr% e-iz-jk-,-fu-l-]

ifjf'k"V- 2.32
(lanHkZ dafMdk 2.2.13.2 i"B 47)

vkbZ-lh-Vh-lh- ds fu"iknu dks n'kkZus okyk fooj.k i=d

o"kZ	jDr ijh{k.k		ikfjtfVo ik, x, idj.kksa dh la[;k		fn, x, ijke'kZ	
	uhnkfud lafnX/k	LofPNd ijh{k.k	uhnkfud lafnX/k	LofPNd ijh{k.k	uhnkfud lafnX/k	LofPNd ijh{k.k
2010-11	252065	39438	2835	1552	313837	50031
2011-12	506743	71218	3523	1449	534343	76768
2012-13	758503	93982	3810	1376	779627	99353
2013-14	771554	74881	3804	1236	786809	77484
2014-15	739745	62885	3435	1171	829350	64583
;ksx	**3028610**	**342404**	**17407**	**6784**	**3243966**	**368219**
	3371014		**24191**		**3612185**	
	90 %	**10 %**	**72 %**	**28 %**	**90 %**	**10 %**

[lzksr% e-iz-jk-,-fu-l-]

ifjf'k"V -2.33

(lanHkZ dfMdk 2.2.14, i"B 48)

lkh-ih-Vh-lh-Vh- d vrxr xHkorh efgyk rFkk mud cPpk d dojt dk n'kku okyk fooj.k i=d

o"k	xHkorh efgykvk dk ijh{k.k dju dk y{;	ijh{k.k dh xbZ xHkorh efgykvk dh l[;k	ikftfVo ekrkvk dh l[;k	ikftfVo ekrkvk ls thfor tUe dh l[;k	Ng llrkg e cPpk d ijh{k.k		Ng ekg e cPpk d ijh{k.k		12 ekg e cPpk d ijh{k.k		18 eghu e cPpk d ijh{k.k		dqy ikftfVo f'k'k@cPp dh l[;k
					fd, x, ijh{k.k	ik, x, ikftfVo	fd, x, ijh{k.k	ik, x, ikftfVo	fd, x, ijh{k.k	ik, x, ikftfVo	fd, x, ijh{k.k	ik, x, ikftfVo	
2010-11	375023	142272	200	151	66	3	34	5	37	NA	19	4	12
2011-12	511400	289565	258	217	197	11	66	15	57	NA	49	20	46
2012-13	512897	457140	322	272	235	2	127	13	88	NA	88	15	30
2013-14	473732	470976	333	298	185	19	95	32	64	NA	114	19	70
2014-15	401076	451405	352	280	56	15	19	9	59	NA	78	15	39
Lstal	**2274128**	**1811358**	**1465**	**1218**	**739**	**50**	**341**	**74**	**305**		**348**	**73**	**197**

[lzksr% e-iz-jk-,-fu-l-]

ifjf'k"V-2.34

(lanHkZ% dafMdk 2.2.15, i"B 49)

Vh-ch- ejhtksa ds ,p-vkbZ-oh- ijh{k.k ds y{; ,oa miyfC/k dks n'kkZus okyk fooj.k i=d

o"kZ	y{;	miyfC/k	miyfC/k dk ifr'kr
2010-11	600	502	84%
2011-12	700	734	105%
2012-13	1700	678	40%
2013-14	1000	676	68%
2014-15	983	647	66%

[lzksr% e-iz-jk-,-fu-l-]

ifjf'k"V-2.35

(lanHkZ% dafMdk 2.2.15, i"B 49)

,p-vkbZ-oh-&Vh-ch- lg laØfer ejhtksa ds ifr lR;kiu ¼Økl jsQjy ofjQds'ku½ dks n'kkZus okyk fooj.k i=d

o"kZ	vkbZ-lh-Vh-lh- ds vfHkys[k ds vuqlkj		vkj-,u-Vh-lh-ih- ds vfHkys[k ds vuqlkj	
	vkj-,u-Vh-lh-ih- ls ,p-vkbZ-oh- ijh{k.k ds fy, jsQj fd, x, Vh-ch- ejht	vkj-,u-Vh-lh-ih- dks Vh-ch- ijh{k.k ds fy, Hksts x, ,p-vkbZ-oh- ejht	vkbZ-lh-Vh-lh- ls Vh-ch- ijh{k.k ds fy, jsQj fd, x, ,p-vkbZ-oh- ejht	vkbZ-lh-Vh-lh- dks ,p-vkbZ-oh- ijh{k.k ds fy, Hkstss x, Vh-ch- ejht
2010-11	1982	979	996	3252
2011-12	3014	1300	2171	5259
2012-13	4565	2218	2694	8140
2013-14	5166	2500	2952	10454
2014-15	6036	3285	3780	12363
;ksx	**20763**	**10282**	**12593**	**39468**

[lzksr% uewuk ijhf{kr vkbZ-lh-Vh-lh- rFkk vkj-,u-Vh-lh-ih-]

ifjf'k"V&2-36

¼lnHkZ% dafMdk 2-3-1] i"B 54½

ekpZ 2015 dh fLFkfr esa e/; izns'k esa futh fo'ofo|ky;ksa dh fLFkfr

l- d-	futh fo'ofo|ky; dk uke	izk;kstd fudk; dk uke	jkti= esa vf/klwpuk dh la[;k @fnukad
1	जेपी युनिवर्सिटी, ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, गुना	जयप्रकाश सेवा संस्थान ट्रस्ट, नई दिल्ली	2777–170–21–अ दिनांक 29.04.10
2	एमिटी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली	7692–406–21–अ दिनांक 30.12.10
3	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, रायसेन	आल इण्डिया सोसायटी फार इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल	7692–406–21–अ दिनांक 30.12.10
4	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर	देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल	2774–172–21–अ दिनांक 04.05.11
5	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	समता लोक संस्थान ट्रस्ट, ग्वालियर	2774–172–21–अ दिनांक 04.05.11
6	पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल	सार्वजनिक जनकल्याण पारमार्थिक न्यास, भोपाल	2774–172–21–अ दिनांक 04.05.11
7	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय, भोपाल	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, भोपाल	5137–295–21–अ दिनांक 24.08.11
8	एकेएस विश्वविद्यालय, सतना	एकेएस चेरिटेबल ट्रस्ट, सतना	7669–462–21–अ दिनांक 31.12.11
9	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सागर	7669–462–21–अ दिनांक 31.12.11
10	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, विदिशा	टेक्नो इण्डिया ट्रस्ट, कोलकाता	175.–14–21–अ दिनांक 9.1.13
11	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, भोपाल	जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल	2394–141–21–अ दिनांक 24.4.13
12	श्री सत्य सांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, भोपाल	1028–49–21–अ दिनांक 12.2.14
13	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल	आर.के.डी.एफ. एजुकेशन सोसायटी, भोपाल	172–7–21–अ दिनांक 08.01.15
14	एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय, भोपाल	एच.के. कल्चुरी एजुकेशन ट्रस्ट, भोपाल	172–7–21–अ दिनांक 08.01.15
15	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इन्दौर	श्री वैष्णव विद्यापीठ ट्रस्ट, इन्दौर	172–7–21–अ दिनांक 08.01.15

ifjf'k"V&2-37

¼lnHk% dfMdk 2-3-7-1] i"B 56½

foHkkx }kjk iLrko dk eY;kdu u fd;s tku dk fooj.k

l- Ø-	ik;kth fudk; dk uke	ik;kth fudk; }kjk vkonu dk fnukd	foHkkx }kjk e-i- fu-fo-fo-vk dk vxf"kr vkonu dk fnukd	foHkkx }kjk dkjokbl u fd;s tku dh vof/k
1	जयप्रकाश सेवा संस्थान ट्रस्ट, नई दिल्ली	25.06.08	विभाग द्वारा प्रस्ताव म.प्र.नि.वि.वि.आ को अग्रेषित किया गया एवं म.प्र.नि.वि.वि.आ द्वारा मूल्यांकन किया। तथापि प्रस्ताव म.प्र.नि.वि.वि.आ. को किस दिनांक को अग्रेषित किये गये, यह अभिलेखों में नहीं पाया गया।	
2	सार्वजनिक जनकल्याण पारमार्थिक न्यास, भोपाल	27.12.07	02.02.10	25 माह
3	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सागर	10.01.08	27.01.10	24 माह
4	जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल	30.04.08	27.01.10	21 माह
5	देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल	28.11.07	27.01.10	26 माह
6	समता लोक संस्थान ट्रस्ट, ग्वालियर	01.12.07	28.01.10	26 माह
7	रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली	28.04.08	विभाग द्वारा प्रस्ताव म.प्र.नि.वि.वि.आ को अग्रेषित किया गया एवं म.प्र.नि.वि.वि.आ द्वारा मूल्यांकन किया। तथापि प्रस्ताव म.प्र.नि.वि.वि.आ. को किस दिनांक को अग्रेषित किये गये, यह अभिलेखों में नहीं पाया गया।	

परिशिष्ट-2.38
(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.3 (क), पृष्ठ 57)

राज्य सरकार द्वारा आशय-पत्र जारी करने में लिए गए समय का विवरण

स.क्र.	प्रायोजक निकाय का नाम	राज्य सरकार को आशय-पत्र जारी करने हेतु अनुशंसा की दिनांक	राज्य सरकार द्वारा आशय-पत्र जारी करने का दिनांक	आशय-पत्र जारी करने में लिया गया समय (दिवस में)
1	जयप्रकाश सेवा संस्थान ट्रस्ट, नई दिल्ली	23.01.10	23.01.10	0
2	सार्वजनिक जनकल्याण पारमार्थिक न्यास, भोपाल	23.06.10	31.08.10	69
3	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सागर	20.04.11	14.06.11	55
4	जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल	16.11.10	10.12.10	24
5	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, भोपाल	09.01.13	22.01.13	13
6	आर.के.डी.एफ. एजुकेशन सोसायटी, भोपाल	30.01.14	20.02.14	21
7	देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल	19.02.10	14.05.10	84
8	टेक्नो इण्डिया ट्रस्ट, कोलकाता	29.04.10	18.08.10	111
9	आल इण्डिया सोसायटी फार इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल	19.02.10	27.04.10	67
10	श्री वैष्णव विद्यापीठ ट्रस्ट, इन्दौर	08.07.12	26.12.12	171
11	एकेएस चेरिटेबल ट्रस्ट, सतना	19.02.10	07.05.10	77
12	एच.के. कल्चुरी एजुकेशन ट्रस्ट, भोपाल	20.02.13	21.03.13	29
13	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, भोपाल	21.12.10	14.01.11	24
14	समता लोक संस्थान ट्रस्ट, ग्वालियर	19.02.10	19.04.10	59
15	रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली	19.02.10	09.04.10	49

ifjf'k"V&2-39

¼lanHkZ dafMdk 2-3-7-3 ¼[k½] i"B 58½

'k{kf.kd mn~ns'; gsrq vuqiyC/k Hkwfe dk fooj.k

l-Ø-	futh fo'ofo|ky; dk uke	vko';d Hkwfe 20@10 gsDV;j	futh fo'ofo|ky; ds ikl miyC/k Hkwfe	dysDVj ds ifronu@vfHkys[k vuqlkj 'k{kf.kd mn~ns'; gsrq Hkwfe dk mi;ksx	fVIi.kh
1	श्री सत्य सांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर	20 हैक्टेयर	22.28 हैक्टेयर	3.943 हैक्टेयर	शेष भूमि के भूमि का उपयोग अभिलेखों में नहीं पाया गया
2	एकेएस विश्वविद्यालय, सतना	20 हैक्टेयर	20.285 हैक्टेयर	5.15 हैक्टेयर (12.71 एकड)	भूमि उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं था
3	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इन्दौर	20 हैक्टेयर	20.31 हैक्टेयर	0.00	भूमि उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं था
4	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	20 हैक्टेयर	21.949 हैक्टेयर	0.00	भूमि उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं था
5	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय, भोपाल	20 हैक्टेयर	20.878 हैक्टेयर	0.00	भूमि उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं था
6	एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय, भोपाल	20 हैक्टेयर	20.73 हैक्टेयर	0.00	भूमि उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं था

ifjf'k"V&2-40

¼lnHk½ dfMdk 2-3-7-5] i"B 59½

lcf/kr v/;kns'k ,o ifjfu;e ds idk'ku ds iol ikB;Øe ikjEHk djus okys futh fo'ofo|ky;ksa dk fooj.k

l-Ø-	futh fo'ofo|ky; dk uke	futh fo'ofo|ky;ksa esa l= dk ikjEHk	lcf/kr v/;kns'k ds idk'ku dh fnukad	lcf/kr ifjfu;e ds idk'ku dh fnukad
1	जेपी युनिवर्सिटी, ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, गुना	2010–11	17.02.12	02.03.12
2	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, रायसेन	2011–12	20.01.12	27.01.12
3	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर	2011–12	27.07.12	लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया
4	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	2011–12	10.02.12	
5	पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल	2012–13	21.12.12	
6	एमिटी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	2011–12	05.04.13	
7	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, भोपाल	2013–14	09.08.13	02.08.13

ifjf'k"V&2-41

¼lnHkZ dafMdk 2-3-8-1] i"B 61½

ik;kth fudk;k }kjk ?kksf"kr ikap o"kksZ ds iLrkfor ifjxr 0;; dk fooj.k

¼jkf'k yk[k esa½

l- Ø-	futh fo'ofo|ky; dk uke	vxys ikap o"kksZ ds fy, pj.kc) ifjxr 0;;	ik;kth fudk; }kjk vxys ikap o"kksZ ds fy, fd, tkus okys iLrkfor ifjxr 0;;					;ksx	fVIi.kh
			Hkou	Hkwfe	lk;=	iqLrd ,oa iqLrdky;	vU; LFkkbZ ifjlEifRr;k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	जेपी युनिवर्सिटी, ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, गुना	2010–11	1384		307	43	250	1984	
		2011–12	1423		245	50	200	1918	
		2012–13	1430		386	55	150	2021	
		2013–14	677		445	45	100	1267	
		2014–15	756		238	47	75	1116	
			mi ;ksx					8306	
2	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, रायसेन	प्रथम वर्ष	250	1750	0	0	0	2000	
		द्वितीय वर्ष	163	0	0	0	0	163	
		तृतीय वर्ष	143	0	0	0	0	143	
		चतुर्थ वर्ष	100	0	0	0	0	100	
		पंचम वर्ष	100	0	0	0	0	100	
			mi ;ksx					2506	
3	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर	2008–09	460	0	260	40	85	845	
		2009–10	300	0	170	35	55	560	
		2010–11	220	0	150	35	25	430	
		2011–12	160	0	125	30	10	325	
		2012–13	110	0	70	15	10	205	
			mi ;ksx					2365	

4	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	2010–11	12500	6000	600	0	0	19100	
		2011–12			1200	0	0	1200	
		2012–13			1300	0	0	1300	
		2013–14			1500	0	0	1500	
		2014–15			1500	0	0	1500	
			mi ;kx					24600	
5	पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल	प्रथम वर्ष	505	14	143.5	17	94.3	773.8	
		द्वितीय वर्ष	375	12	212.5	13	100.3	712.8	
		तृतीय वर्ष	189	0	192.5	12	86.9	480.4	
		चतुर्थ वर्ष	8	0	152.5	9.5	79	249	
		पंचम वर्ष	0	0	117	5	63	185	
			mi ;kx					2401	
6	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय, भोपाल	प्रथम वर्ष	5000					5000	
		द्वितीय वर्ष	4000					4000	
		तृतीय वर्ष	2500					2500	
		चतुर्थ वर्ष	2500					2500	
		पंचम वर्ष	2000					2000	
			mi ;kx					16000	
7	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर	2011–12	0	0	0	0	0	0	प्रायोजी निकाय द्वारा परियोजना रिपोर्ट में 2011–12 से 2015–16 तक के लिये प्रस्तावित पूंजीगत व्यय दर्शाये गये हैं, अतः केवल 2014–15 तक की अवधि ली गयी है।
		2012–13	25	0	0	25	15	65	
		2013–14	35	0	0	25	12	72	
		2014–15	30	0	0	25	11	66	
			mi ;kx					203	

8	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, विदिशा	प्रथम वर्ष	45	0	15	30	105	195	
		द्वितीय वर्ष	1160	0	100	125	570	1955	
		तृतीय वर्ष	2432	0	75	70	280	2857	
		चतुर्थ वर्ष	1740	0	300	150	520	2710	
		पंचम वर्ष	1240	0	20	85	460	1805	
			mi ;kx					9522	
9	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, भोपाल	2010–11	0				10	10	
		2011–12	54.43				60	114.43	
		2012–13	199.54				90	289.54	
		2013–14	212.30				90	302.30	
		2014–15	125.42				90	215.42	
			mi ;kx					931-69	
10	श्री सत्य सांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर	2013	4000					4000	प्रायोजी निकाय द्वारा परियोजना रिपोर्ट में 2012–13 से 2016–17 तक के लिये प्रस्तावित पूंजीगत व्यय दर्शाये गये हैं, अतः केवल 2014–15 तक की अवधि ली गयी है।
		2014	6000					6000	
		2015	7000					7000	
			mi ;kx					17000	
11	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल	2013	4000					4000	ऊपर दर्शाये अनुसार (तदैव)
		2014	6000					6000	
		2015	7000					7000	
			mi ;kx					17000	

12	एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय, भोपाल	2013–14	2901.2	0	780.75	0	116	3797.95	प्रायोजी निकाय द्वारा परियोजना रिपोर्ट में 2013–14 से 2017–18 तक के लिये प्रस्तावित पूंजीगत व्यय दर्शाये गये हैं, अतः केवल 2014–15 तक की अवधि ली गयी है।
		2014–15	1813.8	0	237.25	0	83	2134.05	
			mi ;kx					5932	
13	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इन्दौर	प्रथम वर्ष	439.86	0	41	35	25	540.86	
		द्वितीय वर्ष	2106	0	41	25	25	2197	
		तृतीय वर्ष	1404	0	41	20	25	1490	
		चतुर्थ वर्ष	2223	0	41	10	25	2299	
		पंचम वर्ष	1092	0	41	10	25	1168	
			mi ;kx					7694-86	
14	एकेएस विश्वविद्यालय, सतना	प्रथम वर्ष	318.5	0			144	462.5	
		द्वितीय वर्ष	655	0			105	760	
		तृतीय वर्ष							
		चतुर्थ वर्ष	900	0			100	1000	
		पंचम वर्ष							
			mi ;kx					2222-5	
15	एमिटी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	प्रथम वर्ष	1922	660	208		349	3139	
		द्वितीय वर्ष	1748	0	196		278	2222	
		तृतीय वर्ष	1738	0	133		275	2146	
		चतुर्थ वर्ष	839	0	79		138	1056	
		पंचम वर्ष	570	0	85		118	773	
			mi ;kx					9336	
							egk;kx	126020-05	

ifjf'k"V&2-42

¼l nHk% dfMdk 2-3-9-2] i"B 65½

e-i-fu-fo-fo-vk- }kjk foU;kl fuf/k dk cSd esa ,Q-Mh- cukus gsrq foyEc ls tek djus ds dkj.k vuqekfur vk; dh gkfu dk fooj.k

¼jkf'k ₹ esa½

l- Ø-	futh fo'ofo|ky; dk uke	foU;kl fuf/k ¼jkf'k ₹ esa½	e-i-fu-fo-fo-vk- esa cSd MªkIV izkIr gksus dk fnukad	e-i-fu-fo-fo-vk- }kjk ,Q-Mh- cukus dk fnukad	,Q-Mh- cukus esa gq;s foyEc ¼fnol esa½	cSd dk uke	C;kt dh nj ¼%½	C;kt dh l kekU; nj ¼vuqekfur 4% i-o"kZ½	C;kt dh jkf'k esa vUrj ¼%½	,Q-Mh- cukus esa gq;s foyEc ls yxHkx gkfu ¼jkf'k ₹ esa½
1	जेपी यूनिवर्सिटी, ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, गुना	5,00,00,000	02.02.10	25.02.10	23	यूबीआई	7.25	4	3.25	102397
2	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, रायसेन	5,00,00,000	14.05.10	03.06.10	20	यूबीआई	7.50	4	3.50	95890
3	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर	5,00,00,000	24.05.10	12.06.10	19	यूबीआई	7.50	4	3.50	91096
4	पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल	5,00,00,000	04.09.10	27.09.10	23	यूबीआई	7.50	4	3.50	110274
5	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर	5,00,00,000	18.06.11	12.07.11	24	सीबीआई	9.40	4	5.40	177534
6	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, भोपाल	5,00,00,000	20.12.10	21.01.11	32	यूबीआई	9.15	4	5.15	225753
7	श्री सत्य सांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर	5,00,00,000	06.02.13	12.03.13	34	यूबीआई	9.00	4	5.00	232877
8	एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय, भोपाल	5,00,00,000	05.04.13	23.08.13	140	यूबीआई	9.25	4	5.25	1006849
9	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इन्दौर	5,00,00,000	07.01.13	23.01.13	16	यूबीआई	9.00	4	5.00	109589
10	एकेएस विश्वविद्यालय, सतना	5,00,00,000	24.05.10	04.06.10	11	यूबीआई	7.50	4	3.50	52740
									;ksx	2204999

परिशिष्ट-2.43
(संदर्भ कंडिका 4.4.1, पृष्ठ 70)

रा.सा.सा.का. योजनाओं की पात्रता मापदण्ड एवं दर का दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	योजना का नाम	संशोधन पूर्व पात्रता मापदण्ड एवं दर	संशोधित पात्रता मापदण्ड एवं दर
1	इ.गा.रा.वृ.पें.यों	(1) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बी.पी.एल. व्यक्तियों के लिए सहायता राशि दरें ₹ 200 प्रतिमाह 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी थी। आगे, भारत सरकार के आदेश (जून 2011) के अनुसार बी.पी.एल. व्यक्तियों जिनकी आयु 60–79 वर्ष थी, के लिए सहायता दर ₹ 200 प्रतिमाह तथा बी.पी.एल. व्यक्तियों जिनकी आयु 80 या उससे अधिक थी, के लिए सहायता राशि दरें ₹ 500 प्रतिमाह 01 अप्रैल 2011 से प्रभावशील थी।	(1) बी.पी.एल. व्यक्तियों जिनकी आयु 60–79 वर्ष (बी.पी.एल. विधवा एवं गंभीर तथा बहुविकलांग बी.पी.एल. व्यक्तियों को छोडकर) थी, के लिए सहायता दर ₹ 200 प्रतिमाह, जो 01 अक्टूबर 2012 से प्रभावशील थी। बी.पी.एल. व्यक्तियों जिनकी आयु 80 या उससे अधिक थी, के लिए सहायता राशि दरें ₹ 500 प्रतिमाह
		(2) जिन हितग्राहियों की आयु 65 वर्ष से अधिक है, को राज्यांश की अतिरिक्त राशि ₹ 75 प्रतिमाह जून 1996 से दी जानी थी।	(2) आयु 65–79 वर्ष के हितग्राहियों को राज्यांश की अतिरिक्त राशि ₹ 75 प्रतिमाह का लाभ 01 अप्रैल 2013 से दिया जाना था।
2	इ.गा.रा.वि.पें. यों.	बी.पी.एल. विधवायें जिनकी आयु 40–59 वर्ष थी। 01 अप्रैल 2009 से सहायता राशि ₹ 200 प्रतिमाह देय थी।	बी.पी.एल. विधवायें जिनकी आयु 40–79 वर्ष और अधिक थी। 01 अक्टूबर 2012 से सहायता राशि ₹ 300 प्रतिमाह देय थी।
3	इ.गा.रा.नि.पें. यों.	गम्भीर और बहुविकलांग बी.पी.एल. व्यक्तिय जिनकी आयु 18–59 वर्ष है। सहायता राशि ₹ 200 प्रतिमाह 01 अप्रैल 2009 से देय थी।	गम्भीर और बहुविकलांग बी.पी.एल. व्यक्तिय जिनकी आयु 18–79 वर्ष है। सहायता राशि ₹ 300 प्रतिमाह 01 अक्टूबर 2012 से देय थी।
4	रा.प.स.यों.	बी.पी.एल. मुख्य पालनकर्ता (पुरूष या स्त्री) की मृत्यु होने पर जिसकी आयु 18–64 वर्ष हो। वर्ष 1998 से प्रभावशील एकमुश्त सहायता राशि ₹ 10,000 थी।	बी.पी.एल. मुख्य पालनकर्ता (पुरूष या स्त्री) की मृत्यु होने पर उसकी आयु 18–59 वर्ष हो। 18.10.2012 से एकमुश्त सहायता राशि ₹ 20,000 थी।

lkfjf'k"V&2-44

¼lanHkZ dafMdk&2-4-5] i"B 71½

p;fur ftyk] tuin iapk;r rFkk LFkkuh; fudk; dh lwph dks n'kkZus okyk fooj.k i=d

l-d	p;fur ftyk dk uke	p;fur tuin iapk;r dk uke	p;fur uxjh; LFkkuh; fudk;k dk uke
1	भोपाल	(i) फंदा	(i) नगर निगम, भोपाल
		(ii) बैरसिया	(ii) नगर परिषद, वैरसिया
2	छतरपुर	(i) छतरपुर	(i) नगर पालिका, छतरपुर
		(ii) लवकुश नगर	(ii) नगर परिषद, खुजराहो
3	छिंदवाडा	(i) छिदवाड़ा	(i) नगर निगम, छिदवाड़ा
		(ii) बिछुआ	(ii) नगर परिषद, दमुआ
4	डिंडोरी	(i) डिंडोरी	(i) नगर परिषद, शाहपुरा
		(ii) समनापुर	(ii) नगर पालिका, डिंडोरी
5	जबलपुर	(i) जबलपुर	(i) नगर निगम, जबलपुर
		(ii) पनागर	(ii) नगर परिषद, बरेला
6	झाबुआ	(i) रानापुर	(i) नगर परिषद, पेटलाबाद
		(ii) थांदला	(ii) नगर परिषद, थांदला
7	कटनी	(i) बड़वारा	(i) नगर निगम, कटनी
		(ii) बहोरीबंद	(ii) नगर परिषद, विजयराघवगढ़
8	रीवा	(i) रीवा	(i) नगर निगम रीवा
		(ii) त्योंथर	(ii) नगर परिषद, सिमरिया
9	सागर	(i) सागर	(i) नगर निगम, सागर
		(ii) बीना	(ii) नगर परिषद, शाहगढ़
10	शहडोल	(i) ब्योहारी	(i) नगर पालिका, शहडोल
		(ii) गोहपारू	(ii) नगर परिषद, जयसिंह नगर
11	शाजापुर	(i) शाजापुर	(i) नगर पालिका, शाजापुर
		(ii) नलखेड़ा	(ii) नगर परिषद, बडागांव
12	श्योपुर	(i) श्योपुर	(i) नगर पालिका, श्योपुर
		(ii) कराहल	(ii) नगर परिषद, बडोदा
13	शिवपुरी	(i) शिवपुरी	(i) नगर पालिका, शिवपुरी
		(ii) नरवर	(ii) नगर परिषद, पिछोर
14	उज्जैन	(i) उज्जैन	(i) नगर निगम, उज्जैन
		(ii) खाचरोद	(ii) नगर परिषद, माकडोन

Ikfjf'k"V&2-45
¼lnHkZ dfMdk&2-4-7-3] i"B 73½
ftyk Lrj ij vo:} jkf'k;ksa dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

¼₹ yk[k esa½

l- d-	ftyk dk uke	b-x-jk-o-i-;k	b-x-jk-fo-i- ;k	b-x-jk-fu-i- ;k	jk-i-l-;k	Lkk-l i- ;k	;ksx	o"k 2015 dk ekg
1	भोपाल	52.88	5.65	21.96	60.22	22.76	163.47	जून
2	छतरपुर	21.96	-	-	31.57	-	53.53	मई
3	छिंदवाडा	2.22	0.86	0.03	196.64	3.58	203.33	मार्च
4	डिंडोरी	-	-	-	-	-	30.15	जून
5	जबलपुर	10.99	6.87	1.96	34.13	30.44	84.39	मार्च
6	झाबुआ	19.26	12.76	29.07	62.30	78.14	201.53	जून
7	कटनी	29.26	0.43	4.21	4.09	38.06	76.05	अप्रैल
8	रीवा	17.87	2.93	11.03	27.84	24.87	84.54	जुलाई
9	सागर	20.54	6.16	2.13	0.05	7.99	36.87	अप्रैल
10	शहडोल	33.92	37.88	21.00	20.34	12.22	125.36	जून
11	शाजापुर	22.81	-	-	7.30	31.02	61.13	जून
12	श्योपुर	49.51	-	-	-	-	49.51	जून
13	शिवपुरी	116.25	158.28	43.53	5.88	104.98	428.92	मार्च
14	उज्जैन	3.92	2.10	11.34	11.10	7.12	35.58	मार्च
	;ksx						**1634.36**	

tuin Lrj ij (₹ yk[k esa)

l- d-	ftyk dk uke	tuin dk uke	b-x-j-o-i-;k	b-x-j-fo-i- ;k	b-x-j-fu-i- ;k	jk-i-l- ;k	Lkk-l i-;k	;ksx	o"k 2015 dk ekg
1	कटनी	बडवारा (कटनी)	3.86	9.40	2.85	2.04	13.99	32.14	अप्रैल
		बहोरीबंद	17.60	178.57	2.05	-	21.22	219.44	-
2	शिवपुरी	शिवपुरी	0.59	-	-	-	-	0.59	मार्च
3	उज्जैन	जनपद उज्जैन	0.21	0.43	0.59	0.44	1.47	3.14	मार्च
		जनपद खाचरोद	4.00	0.04	4.43	0.23	5.93	14.63	मार्च

4	छिंदवाडा	छिंदवाडा	0.97	1.34	0.72	2.46	5.43	10.92	मार्च
5	जबलपुर	जनपद पंचायत जबलपुर	2.67	-	-	-	34.64	37.31	अप्रैल
6	सागर	जनपद सगर	-	-	0.10	-	8.47	8.57	अप्रैल
		जनपद बीना	30.03	12.11	6.33	2.15	10.74	61.36	अप्रैल
7	शहडोल	जनपद गोहपारू	1.11	1.22	1.25	0.00	2.62	6.20	मई
		जनपद ब्होरीवंद	1.95	8.00	4.19	4.77	5.21	24.12	जून
8	डिंडोरी	जनपद डिंडोरी	-	-	-	-	-	47.83	जून
		जनपद समनापुर	-	-	-	-	-	5.69	जून
9	झाबुआ	जनपद रानापुर	-	-	-	-	-	9.31	जून
		जनपद थांदला	19.01	-	-	2.90	-	21.91	जून
11	शाजापुर	जनपद नलखेडा	3.26	0.02	0.59	0.52	3.88	8.27	जून
12	श्योपुर	जनपद श्योपुर	10.45	-	-	3.77	-	14.22	जून
		जनपद कराहल	14.51	-	-	-	-	14.51	जून
13	रीवा	जनपद रीवा	21.81	4.46	7.08	-	9.04	42.39	जुलाई
		जनपद त्योंथर	2.73	-	1.78	-	4.91	9.42	जुलाई
14	भोपाल	जनपद फंदा	2.50	0.29	2.26	6.81	45.16	57.02	जुलाई
		जनपद बैरसिया	8.26	-	-	4.04	14.05	26.35	जुलाई
	;kx							**675.34**	

uxjh; LFkkuh; fudk; Lrj ij

(₹ yk[k esa)

l- d-	ftyk dk uke	Ukxjh; LFkkuh; fudk;k dk uke	b-x-jk-o-i-;k	b-x-jk-fo-i-;k	b-x-jk-fu-i-;k	jk-i-l-;k	Lkk-l i-;k	;kx	o"kZ 2015 dk ekg
1	कटनी	नगर निगम कटनी	2.48	0.67	0.15	30.92	3.96	38.18	अप्रैल
		नगर परिषद विजयराघवगढ़	1.76	0.45	0.27	3.08	7.16	12.72	अप्रैल
2	शिवपुरी	नगर पालिका शिवपुरी	-	-	-	13.78	75.39	89.17	मार्च

3	उज्जैन	नगर निगम उज्जैन	0.12	0.30	0.30	2.32	0.28	3.32	अप्रैल
		नगर परिषद माकडोन	0.37	0.11	-	-	-	0.48	मार्च
4	सागर	नगर निगम सागर	73.98	9.73	3.75	2.42	23.08	112.96	अप्रैल
		नगर पालिका शाहगढ़	1.17	0.64	0.61	0.82	1.93	5.17	अप्रैल
5	जबलपुर	नगर पालिका बरेला	1.82	-	-	1.20	-	3.02	मार्च
6	छिंदवाडा	नगर पालिका छिंदबाडा	7.63	-	-	1.83	-	9.46	मार्च
		नगर परिषद दमुआ	0.20	0.64	0.47	0.29	-	1.60	मार्च
7	शहडोल	नगर पालिका शहडोल	5.42	3.51	3.60	2.27	2.72	17.52	मई
		नगर परिषद जयसिंहनगर	3.92	2.82	1.93	6.84	6.01	21.52	जून
8	डिंडोरी	नगर पालिका डिंडोरी	-	-	-	-	-	3.89	जून
		नगर परिषद शाहपुरा	-	-	-	-	-	3.83	जून
9	झाबुआ	नगर परिषद थांदला	-	-	-	-	-	0.02	जून
		नगर परिषद पेटलाबाद	9.57	-	-	2.60	0.51	12.68	जून
10	भोपाल	नगर निगम भोपाल	6.86	0.34	0.96	27.30	283.67	319.11	जुलाई
		नगर परिषद बैरसिया	1.36	4.17	3.71	5.58	5.94	20.76	जुलाइ
11	छतरपुर	नगर परिषद खुजराहो	3.43	-	-	0.03	-	3.46	मई
12	शाजापुर	नगर पालिका शाजापुर	0.05	1.16	0.03	1.90	0.03	3.17	जून
		नगर परिषद बडागांव	4.81	0.07	0.98	2.90	-	8.76	मई
13	श्योपुर	नगर परिषद बारोद	4.94	-	-	-	-	4.94	जून
14	रीवा	नगर पालिका निगम, रीवा	7.40	4.93	3.81		1.08	17.22	जून
		नगर परिषद सेमरिया, रीवा	1.44	-	-	-	-	1.44	जुलाई
		;kx						**714.40**	
		egk;kx						**3024.10**	

Ikfjf'k"V&2-46
(I nHk dfMdk 2-4-7-7] i"B 75)
fgrxkfg;k dk foyEc I s i'ku forj.k dk n'kkus okyk fooj.k i=d

I- d	bdkbZ dk uke	n; ekg	Hkxrku ekg	fgrxkfg;k dh I [;k	jkf'k ₹ e	foyEc ekg
1	जनपद पंचायत बहोरीवंद, जिला–कटनी	अप्रैल 2009 सें दिसम्बर 2009	जुलाई 2010 से अक्टूबर 2012	3085	1049550	एक माह से 16 माह
2	जनपद पंचायत बडबारा, जिला–कटनी	अक्टूवर से दिसम्बर 2011	मई–2012	476	190775	05 माह से 7 माह
3	संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय, उज्जैन	अप्रैल 2014 से अक्टूवर 2014	सितम्बर 2014 तथा दिसम्वर 2014	27999	11159875	2 माह से 7 माह
4	उप. संचालक, सामाजिक न्याय, शहडोल	जुलाई 2014 से सितम्वर 2014	नबम्वर 2014 तथा दिसम्वर 2014	13324	3679675	3 माह से 4 माह
5	उप. संचालक, सामाजिक न्याय, डिंडोरी	जून 2013 से दिसम्बर 2013	अगस्त 2013 तथा दिसम्वर 2013	3858	1519300	1 माह से 3 माह
6	जनपद पंचायत समनापुर, डिंडोरी	नबम्वर 2013 से नबम्वर 2014	मई–2013 से मई 2014	0	2115050	2 माह से 4 माह
7	जनपद पंचायत डिंडोरी	जुलाई 2012 से सितम्बर 2013	अक्टूबर 2012 से नबम्बर 2013	81417	44237980	1 माह से 5 माह
8	उप संचालक, सामाजिक न्याय, झाबुआ	जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014	मार्च 2014 तथा जून 2015	12066	7256575	1 माह से 14 माह
9	जिला पंचायत, भोपाल	अक्टूवर 2013 से जनवरी 2014	मार्च 2014	4659	4653025	1 माह से 5 माह
10	नगर परिषद, बैरसिया (भोपाल)	जुलाई 2012 से जुलाई 2013	अगस्त 2013	341	394400	3 माह से 11 माह
11	नगर परिषद, थांदला (झाबुआ)	अप्रैल 2013 से फरवरी 2014	जुलाई 2013 से मार्च 2014	852	945525	3 माह
12	नगर परिषद, पेटलाबाद (झाबुआ)	फरवरी 2012 से सितम्बर 2013	मार्च 2012 से सितम्बर 2013	436	202900	4 माह
		;kx		148513	77404630	1 ekg I s 16 ekg

lkfjf'k"V&2-47

(lnHkZ dafMdk: 2.4.9.1, 2.4.11.1, 2.4.13.1, 2.4.15.1 rFkk 2.5.18.1, i"B 78]80]83]84]87)

jk-lk-l-dk- rFkk l-l-l-i-;k vUrxZr ;kstukvksa vkoaVu dk ik=rk dh v/kjh tkap n'kkus okyk fooj.k i=d

l- d-	ftyk dk uke	tuin dk uke	b-x-jk- o-i-;k	b-x-jk- fo-i-;k	b-x-jk- fu-i-;k	jk-i- l- ;k	Lkk-l| i-;k	LFkkuh; fudk; dk uke	b-x-jk-o- i-;k	b-x-jk- fo-i-;k	b-x- jk-fu- i-;k	jk-i-l- ;k	Lkk-l| i- ;k
1	भोपाल	(i) फंदा	4	2	0	11	0	(i) नगर निगम, भोपाल	49	58	105	4	106
		(ii) बैरसिया	6	2	2	4	1	(ii) नगर परिषद, बैरसिया	0	4	4	0	14
2	छतरपुर	(i) छतरपुर	3	14	0	0	0	(i) नगर पालिका, छतरपुर	3	1	0	1	0
		(ii) लवकुश नगर	0	0	0	0	0	(ii) नगर परिषद, खुजराहो	0	1	0	4	0
3	छिंदवाडा	(i) छिदवाड़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0	(i) नगर निगम, छिदवाड़ा	निरंक	निरंक	निरंक	0	0
		(ii) बिछुआ	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	3	(ii) नगर परिषद, दमुआ	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0
4	डिंडोरी	(i) डिंडोरी	0	0	0	0	182	(i) नगर परिषद, शाहपुरा	6	3	0	0	81
		(ii) समनापुर	12	0	0	2	436	(ii) नगर पालिका, डिंडोरी	0	0	0	0	0
5	सेलपुर	(i) जबलपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0	(i) नगर निगम, जबलपुर	अ.प्र.न.	अ.प्र.न.	अ.प्र.न.	अ.प्र.न.	0
		(ii) पनागर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0	(ii) नगर परिषद, बरेला	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0
6	झाबुआ	(i) रानापुर	0	10	24	0	489	(i) नगर परिषद, पेटलाबाद	5	11	8	4	38
		(ii) थांदला	15	11	36	0	213	(ii) नगर परिषद, थांदला	0	0	0	11	33
7	कटनी	(i) बड़वारा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0	(i) नगर निगम, कटनी	निरंक	निरंक	4	निरंक	121
		(ii) बहोरीबंद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0	(ii) नगर परिषद, विजयराघवगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0
8	रीवा	(i) रीवा	4	0	0	5	7	(i) नगर निगम रीवा	0	16	0	0	0
		(ii) त्योंथर	4	0	0	3	0	(ii) नगर परिषद, सिमरिया	6	6	0	7	1
9	सागर	(i) सागर	निरंक	16	निरंक	निरंक	0	(i) नगर निगम, सागर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	2
		(ii) बीना	1	2	निरंक	निरंक	0	(ii) नगर परिषद, शाहगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	10
10	शहडोल	(i) ब्योहारी	37	32	7	2	13	(i) नगर पालिका, शहडोल	0	6	4	1	0
		(ii) गोहपारू	0	0	2	0	19	(ii) नगर परिषद, जयसिंह नगर	0	0	0	0	0
11	शाजापुर	(i) शाजापुर	0	0	0	0	5	(i) नगर पालिका, शाजापुर	3	0	1	8	0
		(ii) नलखेड़ा	0	11	6	2	0	(ii) नगर परिषद, बडागांव	5	0	0	0	0
12	श्योपुर	(i) श्योपुर	6	14	11	0	0	(i) नगर पालिका, श्योपुर	0	1	0	8	0
		(ii) कराहल	10	12	0	3	7	(ii) नगर परिषद, बड़ोदा	0	0	1	9	10
13	शिवपुरी	(i) शिवपुरी	57	73	46	10	9	(i) नगर पालिका, शिवपुरी	71	63	19	5	36
		(ii) नरवर	निरंक	निरंक	निरंक	4	13	(ii) नगर परिषद, पिछोर	निरंक	1	6	निरंक	0
14	उज्जैन	(i) उज्जैन	निरंक	निरंक	71	निरंक	132	(i) नगर निगम, उज्जैन	8	4	4	निरंक	143
		(ii) खाचरोद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0	(ii) नगर परिषद, माकडोन	निरंक	16	निरंक	निरंक	28
		;ksx	**159**	**199**	**205**	**46**	**1529**		**156**	**191**	**156**	**62**	**623**
		b-xk-jk-o-i-;k-	**159**	+	**156**	=	**315**						
		b-xk-jk-fo-i-;k-	**199**	+	**191**	=	**390**						
		b-xk-jk-fu-i-;k-	**205**	+	**156**	=	**361**						
		jk-i-l-;k-	**46**	+	**62**	=	**108**						
		l-lk-l|-i-;k-	**1529**	+	**623**	=	**2152**						

ifjf'k"V&2-48

¼lUnHkZ dafMdk,¡ 2-4-11-4] 2-4-13-3 ,oa 2-4-15-2] i"B 81]83]85½

fgrxzkfg;ksa dks vof/k vDVwcj 2012 ls ekpZ 2013 rd iaathdj.k dk ,oa jk-i-l-;ks- esa lgk;rk tuojh 2013 ls ekpZ 2013 rd dk de Hkqxrku fooj.k n'kkZus okyk i=d

¼₹ yk[k esa½

l- Ø-	ftys dk uke	b-xk-jk-fo-i-;ks-		b-xk-jk-fu-i-;ks-		jk-i-l-;ks-	
		fgrxzkfg;ksa dh la[;k	jkf'k	fgrxzkfg;ksa dh la[;k	jkf'k	fgrxzkfg;ksa dh la[;k	jkf'k
1	भोपाल	30264	30.26	18940	18.94	2573	257.30
2	छतरपुर	31704	31.70	4386	4.39	170	17.00
3	छिंदवाडा	54625	54.63	36016	36.02	1562	156.20
4	डिंडोरी	41508	41.51	13105	13.10	280	28.00
5	झाबुआ	63583	63.58	23271	23.27	1030	103.00
6	कटनी	59672	59.67	30006	30.00	1233	123.30
7	रीवा	51198	51.20	19950	19.95	388	38.80
8	शहडोल	38782	38.78	24828	24.83	133	13.30
9	शिवपुरी	48155	48.16	10292	10.29	355	35.50
10	उज्जैन	68475	68.48	21307	21.31	1380	138.00
	;ksx	**487966**	**487.97**	**202101**	**202.10**	**9104**	**910.40**

परिशिष्ट-2.49

(संदर्भ कंडिकाएं 2.5.6.1, 2.5.7.1, 2.5.8.1 एवं 2.5.9.1 पृष्ठ 95,101,106,111)

विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं के स्त्रोत से उपार्जित आय, भारत सरकार/अन्य निधियन अधिकरणों से प्राप्त निधियों एवं वेतन एवं अन्य भत्तों सहित प्रशासनिक व्यय का दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	लेखा शीर्ष		मद	उप मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अलेखापरीक्षित आंकड़े)
1.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	स्वयं के स्त्रोत से आय	गैर–योजना	शुल्क	अध्ययनशाला	4.38	1.50	4.01	5.39	4.35
					परीक्षा	31.19	38.47	38.04	41.86	20.79
					संबद्धता	1.19	1.49	0.58	5.54	3.12
					अन्य शुल्क	0.58	0.65	4.49	0.56	0.76
				कुल शुल्क		**37.34**	**42.11**	**47.12**	**53.35**	**29.02**
				भवन, भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों से किराया		0.61	0.60	0.62	0.62	0.49
				प्रकाशन एवं अन्या स्त्रोतों से आय		2.97	9.56	14.38	15.99	15.83
			योग			**40.92**	**52.27**	**62.12**	**69.96**	**45.34**
			ऋण एवं अग्रिम			25.50	94.86	110.66	132.70	163.99
		योग				**66.42**	**147.13**	**172.78**	**202.66**	**209.33**
		अन्य स्त्रोतों से आय	गैर–योजना	संधारण अनुदान		3.22	2.62	2.52	2.21	2.15
			योजना	यूजीसी/गैर–यूजीसी से प्राप्त निधियां		0.37	2.26	5.88	2.88	1.17
			विशेष प्रयोजन योजना			4.28	4.39	5.01	3.53	1.77
		योग				**7.87**	**9.27**	**13.41**	**8.62**	**5.09**
		महा योग				**74.29**	**156.40**	**186.19**	**211.28**	**214.42**
		वेतन एवं अन्य भत्तों सहित प्रशासनिक व्यय				*24.83*	*28.58*	*34.33*	*39.50*	*40.21*
2.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	स्वयं के स्त्रोत से आय	गैर–योजना (राजस्व एवं पूंजीगत)	शुल्क	अध्ययनशाला	2.35	2.24	2.38	2.01	2.16
					परीक्षा	24.08	24.17	32.39	30.95	42.32
					संबद्धता	6.38	5.89	7.34	6.88	9.41
					अन्य शुल्क	5.74	5.55	8.86	6.95	3.65
				कुल शुल्क		**38.55**	**37.85**	**50.97**	**46.79**	**57.54**
				भवन, भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों से किराया		0.05	0.03	0.18	0.79	1.48
				प्रकाशन एवं अन्या स्त्रोतों से आय		1.33	1.76	2.29	2.90	3.41
			निधि (निधि लेखा)			23.00	13.68	19.85	8.93	20.00
			योग			**62.93**	**53.32**	**73.29**	**59.41**	**82.43**
			ऋण			3.04	3.59	3.82	3.74	2.30
		योग				**65.97**	**56.91**	**77.11**	**63.15**	**84.73**
		अन्य स्त्रोतों से आय	गैर–योजना	संधारण अनुदान		4.66	2.47	4.25	6.82	6.95
			योजना (विकास योजनायें)	यूजीसी/गैर–यूजीसी से प्राप्त निधियां		6.77	15.64	7.49	11.64	3.31
		योग				**11.43**	**18.11**	**11.74**	**18.46**	**10.26**
		महा योग				**77.40**	**75.02**	**88.85**	**81.61**	**94.99**
		वेतन एवं अन्य भत्तों सहित प्रशासनिक व्यय				*31.26*	*37.21*	*41.48*	*46.67*	*62.73*

3.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	स्वयं के स्त्रोत से आय	गैर–योजना (सामान्य शीर्ष)	शुल्क	अध्ययनशाला	0.32	0.19	0.30	1.05	0.19
					परीक्षा	39.44	46.43	45.60	58.47	80.22
					संबद्धता	1.91	2.76	3.38	5.09	6.09
					अन्य शुल्क	0.78	0.26	1.99	0.49	0.03
				dqy 'kqYd		**42.45**	**49.64**	**51.27**	**65.10**	**86.53**
				भवन, भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों से किराया		0.13	0.21	0.27	0.22	0.17
				प्रकाशन एवं अन्या स्त्रोतों से आय		10.01	10.07	19.54	16.05	20.26
			;ksx			**52.59**	**59.92**	**71.08**	**81.37**	**106.96**
			ऋण एवं जमा			8.23	8.65	10.29	9.89	11.25
		;ksx				**60.82**	**68.57**	**81.37**	**91.26**	**118.21**
		स्वयं के स्त्रोत से आय	गैर–योजना	संधारण अनुदान		3.90	3.00	3.90	3.90	3.90
			योजना (विकास एवं परियोजनायें)	यूजीसी/गैर–यूजीसी से प्राप्त निधियां		3.39	6.02	7.78	5.49	3.11
		;ksx				**7.29**	**9.02**	**11.68**	**9.39**	**7.01**
		egk ;ksx				**68.11**	**77.59**	**93.05**	**100.65**	**125.22**
		oru ,oa vU; Hkxrkuksa lfgr iz'kklfud O;;				*30.92*	*36.89*	*42.10*	*44.03*	*63.44*[1]
4.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	स्वयं के स्त्रोत से आय	गैर–योजना (सामान्य खाता)	शुल्क	अध्ययनशाला	0.35	0.31	0.34	0.31	0.32
					परीक्षा	16.09	14.97	13.39	16.38	14.71
					संबद्धता	0.74	0.70	1.20	2.44	2.38
					अन्य शुल्क	1.43	2.37	2.64	3.02	1.13
				dqy 'kqYd		**18.61**	**18.35**	**17.57**	**22.15**	**18.54**
				भवन, भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों से किराया		0.39	0.24	0.30	0.30	0.49
				प्रकाशन एवं अन्या स्त्रोतों से आय		0.82	2.27	2.46	1.53	3.43
			;ksx			**19.82**	**20.86**	**20.33**	**23.98**	**22.46**
			ऋण			0.89	1.24	1.70	10.81	8.92
		;ksx				**20.71**	**22.10**	**22.03**	**34.79**	**31.38**
		स्वयं के स्त्रोत से आय	गैर–योजना	संधारण अनुदान		6.86	6.02	6.88	6.88	6.88
			योजना (विकास खाता)	यूजीसी/गैर–यूजीसी से प्राप्त निधियां		4.96	2.38	4.54	5.00	4.12
		;ksx				**11.82**	**8.40**	**11.42**	**11.88**	**11.00**
		egk ;ksx				**32.53**	**30.50**	**33.45**	**46.67**	**42.38**
		oru ,oa vU; Hkxrkuksa lfgr iz'kklfud O;;				27.42	26.89	30.60	37.53	34.71

(L=kr% fo'ofo|ky;ksa ds o"kZ 2010&11 ls 2013&14 ds okf"kZd ys[kk ,oa fo'ofo|ky;ksa }kjk iznk; o"kZ 2014&15 ds vys[kkijhf{kr vkdMs)

[1] आंकड़े पूंजीगत व्यय एवं वर्ष के दौरान पेंशन/उपादान के भुगतान को सम्मिलित करता है।

ifjf'k"V&2.50

(lnHkZ dfMdk;sa 2.5.6.1, 2.5.7.1, 2.5.8.1 ,oa 2.5.9.1, i"B 95,101,106,112)

vof/k 2010&11 ls 2014&15 esa fo'ofo|ky;ksa dh vk; ,oa O;; dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

(₹ djksM+ esa)

ljy dekd	fo'ofo|ky; dk uke	o"kZ	vk;	O;;
1	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	2010-11	74.29	72.77
		2011-12	156.40	165.95
		2012-13	186.19	180.88
		2013-14	211.28	206.72
		2014-15	214.42	250.03
		;ksx	**842.58**	**876.35**
2	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	2010-11	77.40	64.78
		2011-12	75.02	65.92
		2012-13	88.85	67.56
		2013-14	81.61	70.63
		2014-15	94.99	81.32
		;ksx	**417.87**	**350.21**
3	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	2010-11	68.11	49.01
		2011-12	77.59	63.91
		2012-13	93.05	66.02
		2013-14	100.65	76.31
		2014-15	125.22	76.23
		;ksx	**464.62**	**331.48**
4	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	2010-11	32.53	37.09
		2011-12	30.50	34.00
		2012-13	33.45	40.22
		2013-14	46.67	52.21
		2014-15	42.38	53.51
		;ksx	**185.53**	**217.03**

(L=ksr% fo'ofo|ky;ksa ds o"kZ 2010&11 ls 2013&14 ds okf"kZd ys[ks ,oa fo'ofo|ky;ksa }kjk iznk; o"kZ 2014&15 ds vys[kkijhf{kr vkdM+s)

ifjf'k"V&2.51

(lnHkZ dafMdk;sa 2.5.6.1(i), 2.5.7.1(i), 2.5.8.1(i) ,oa 2.5.9.1(i), i"B 96,101,107,112)

fo'ofo|ky; ,oa LofoRrh; ikB;dzeksa dh vuqekfur ,oa okLrfod vk; ,oa O;; esa fHkUurk n'kkZus okyk fooj.k i=d

(₹ djksM+ esa)

l jy dzekad	fo'ofo|ky; dk uke	o"kZ	ctV vuqeku (chbZ)		okLrfod	
			vk;	O;;	vk; (izfr'kr)	O;; (izfr'kr)
1	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	2010-11	114.56	107.35	81.54(-29)	77.35(-28)
		2011-12	110.54	123.93	165.55(50)	171.93(39)
		2012-13	159.60	164.58	192.59(21)	184.00(12)
		2013-14	238.22	243.88	219.05(-8)	218.07(-11)
		2014-15	291.92	299.27	224.24(-23)	255.44(-15)
2	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	2010-11*	214.05	220.40	115.71(-46)	93.48(-58)
		2011-12*	223.52	234.60	118.68(-47)	100.65(-57)
		2012-13*	215.10	268.10	141.70(-34)	102.39(-62)
		2013-14*	236.76	271.28	144.46(-39)	119.39(-56)
		2014-15	265.37	331.10	151.54(-43)	135.74(-59)
3	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	2010-11	85.70	101.85	78.15(-9)	57.02(-44)
		2011-12	79.70	92.92	87.34(10)	74.78 (-20)
		2012-13	98.53	115.21	101.09(3)	75.97(-34)
		2013-14	109.85	126.72	109.87(-)	85.19(-33)
		2014-15	110.43	124.64	135.34(23)	82.69(-34)
4	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	2010-11	47.21	59.58	35.44(-25)	38.87(-35)
		2011-12	50.82	64.00	32.93(-35)	35.91(-44)
		2012-13*	41.30	55.53	36.46(-12)	41.87(-25)
		2013-14*	45.73	58.52	50.39 (10)	54.14(-7)
		2014-15*	70.18	75.25	46.44(-34)	56.74(-25)

* वार्षिक लेखाओं में शामिल आयुक्त द्वारा संधारण अनुदान की कटौती को आय से घटाया गया।

वास्तविक के अन्तर्गत कोष्ठक में आंकडें बजट अनुमान से भिन्नता का प्रतिशत दर्शाते हैं।

(L=kr% ctV vuqeku ,oa ys[kkijhf{kr ,oa vys[kkijhf{kr okf"kZd ys[kk vkadM+s)

परिशिष्ट–2.52

(संदर्भः कंडिका 2.5.6.2(ii), 2.5.7.2(ii), 2.5.8.2(ii) एवं 2.5.9.2(ii), पृष्ठ 97,102,108,113)

अनुदान के उपयोग एवं अव्ययित राशि का दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

सरल क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	निधियन अभिकरण का नाम	विश्वविद्यालय के विभाग का नाम	अनुदान का प्रयोजन	स्वीकृत राशि	उपलब्ध निधियां (जारी अनुदान + पूर्व शेष + ब्याज)	उपयोगित निधियां	अव्ययित धनराशि
1	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	यूजीसी	विश्वविद्यालय के लिये 12वी पंचवर्षीय योजना	सामान्य विकास सहायता	1177.00	471.00	133.00	338.00
2		–तदैव–	–तदैव–	एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिये कोचिंग क्लासेस	--	11.25	--	11.25
3		बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी), जीओआई	न्यूरोसांइन्स विभाग	विभागीय सहायता	--	86.44	78.22	8.22
4		–तदैव–	–तदैव–	बुनियादी अद्योसंरचना सुविधायें	--	20.60	10.50	10.10
5		खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय, जीओआई	सेन्टर फॉर फूड टेक्नोलॉजी	स्पेशलाईज्ड क्वालिटी लैबोरेट्री स्थापना	--	23.90	2.33	21.57
6		यूजीसी	विश्वविद्यालय के लिये 11वी पंचवर्षीय योजना	सामान्य विकास सहायता	782.50	704.00	680.00	24.00
		योग				**1317.19**	**904.05**	**413.14**
7	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	यूजीसी	12वी पंचवर्षीय योजना	सामान्य विकास सहायता	1389.00	556.00	219.00	337.00
8		बायोटेक्नोलॉजी विभाग, (जीओआई)	बायो–टेक्नोलॉजी विभाग	बायोटेक्नोलॉजी टीचिंग प्रोग्राम के लिये फेकल्टी एवं अनावर्ती खर्चे के लिये विभागीय सहायता	-	71.26	60.02	11.24
9		–तदैव–	–तदैव–	बायो–इन्फोर्मेटिक्स में शोध एवं विकास हेतु	-	45.84	39.69	6.15
10		यूजीसी	कम्प्यूटर सांइन्स अध्ययनशाला	विशेष सहायता कार्यक्रम	45.60	35.48	3.39	32.83
11		–तदैव–	शिक्षा अध्ययनशाला	–तदैव–	45.50	34.13	26.34	9.46
12		–तदैव–	इकोनोमिक्स विभाग	–तदैव–	41.00	21.79	20.64	4.31
13		–तदैव–	इलेक्ट्रोनिक्स अध्ययनशाला	इनोवेटिव कार्यक्रम	50.00	40.58	34.05	6.53
14		–तदैव–	स्कूल ऑफ लाईफ लोंग लर्निंग	लाईफ लांग लर्निंग	-	9.00	1.05	7.95
15		–तदैव–	–तदैव–	बी.वोक डिग्री कार्यक्रम	185.00	65.00	1.47	63.53
		योग				**879.08**	**405.65**	**479.00**
16		यूजीसी	विश्वविद्यालय	यूजीसी 12वीं पंचवर्षीय योजना	1421.00	568.00	122.00	446.00
17	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल							
18		बायोटेक्नोलॉजी विभाग, जीओआई	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	विभागीय सहायता (बायो–इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर)	निरंक	54.15	45.88	8.27
		योग				**622.15**	**167.88**	**454.27**

19	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	यूजीसी	विश्वविद्यालय	यूजीसी 12वीं पंचवर्षीय योजना (सामान्य विकास सहायता)	1609.00	643.60	259.11	384.49
20		–तदैव–	–तदैव–	एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक छात्रों के लिये कोचिंग क्लासेस	-	30.00	निरंक	30.00
21		–तदैव–	–तदैव–	इन्टरनल क्वालिटी कन्ट्रोल सैल	-	5.00	2.77	2.23
22		–तदैव–	गणित विभाग	विभागीय सहायता (विशेष सहायता कार्यक्रम)	37.50	7.50	1.54	5.96
23		मानव संसाधन विकास मंत्रालय	विश्वविद्यालय	नेशनल इनिसिएटिव फॉर सेटिंग अप ऑफ डिजाइन इनोवेशन सेन्टर	999.53	31.25	निरंक	31.25
24		यूजीसी	लाईफ लोंग लर्निंग एज्यूकेशन विभाग	लाईफ लोंग लर्निंग एण्ड एक्सटेन्शन	-	11.00	4.73	6.27
		;kx				**728.35**	**268.15**	**460.20**

(L=kr% y[kkijh{kk i{k.k voykdu ,o tkp x; fo'ofo|ky;k l ,df=r tkudkjh)

ifjf'k"V-2.53
(lnHkZ : dfMdk 2.6.5] i"B 119)
p;fur ftyk ,o ukMy lLFkkvk dh lph

l- Ø-	ftys dk uke	ukMyks ds uke	ukMyks ds lkFk lEc) v'kkldh; lLFkkvks dh dqy l[;k	dqy p;fur ukMyks dh l[;k
1	fHkM	शासकीय एम.जे.एस.पी.जी. महाविद्यालय, भिंड	45	
		शासकीय महाविद्यालय, मेहगांव	20	
		शासकीय महर्षि अरविंद महाविद्यालय, गोहद	16	
		शासकीय कन्या महाविद्यालय, भिंड	14	
		शासकीय महाविद्यालय, अटेर	11	
		शासकीय आई.टी.आई. महाविद्यालय, भिंड	11	
	;kx			**06**
2	Hkksiky	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	33	
		शासकीय बी.एच.ई.एल. महाविद्यालय, भोपाल	10	
		एस.वी. पालीटेक्निक महाविद्यालय,	37	
		राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय	80	
		बरकतुल्ला विश्वविद्यालय	35	
		शासकीय शिक्षा महाविद्यालय	31	
	;kx			**06**
3	nokl	शासकीय के.पी. महाविद्यालय, देवास	05	
		शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास	05	
		शासकीय आई.टी.आई. महाविद्यालय, देवास	03	
		शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ	01	
		शासकीय महाविद्यालय, बागली	01	
		शासकीय महाविद्यालय, खातेगांव	03	
	;kx			06
4	/kkj	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धामनोद	06	
		शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुक्षी	02	
		शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गंधवानी	02	
		शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तिरला	03	
		शासकीय महाविद्यालय, धार	06	
		शासकीय कन्या महाविद्यालय, धार	01	
		शासकीय महाविद्यालय, कुक्षी	01	
		शासकीय महाविद्यालय, मनावर	02	
	;kx			08
5	Xokfy;j	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	60	
		गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर	28	
		शासकीय शिक्षण महाविद्यालय, ग्वालियर	35	
		एम.एल.बी. महाविद्यालय, ग्वालियर	12	
		शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर	23	
		माधव राव सिंधिया विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर	09	
		वृंदा सहाय शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, डबरा, ग्वालियर	07	
	;kx			**07**
6	bnkSj	ukMy lLFkk dk p;u ugh fd;k x;k	00	**00**
7	tcyiqj	शासकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर	00	
		शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर	00	
		शासकीय मॉडल विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर	00	
		शासकीय महाकौशल महाविद्यालय, जबलपुर	00	
		शासकीय मां कुंअरबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर	00	
		शासकीय मोहनलाल हरगोविंद दास गृहविज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर	00	
	;kx			**06**
8	>kcqvk	शासकीय बालक महाविद्यालय, झाबुआ	00	
		शासकीय कन्या महाविद्यालय, झाबुआ	00	
		शासकीय महाविद्यालय, थांदला	00	
		शासकीय महाविद्यालय, पेटलावद	00	
		शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झाबुआ	04	
		शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झाबुआ	01	
	;kx			**06**

9	[kjxku	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, खरगोन	00	
		शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय, खरगोन	00	
		शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय, सनावद	00	
		शासकीय महाविद्यालय, मंडलेश्वर	00	
		शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन	00	
		शासकीय महाविद्यालय, बडवाह	00	
	;kx			**06**
10	eMyk	रानी दुर्गावती पी.जी. महाविद्यालय, मंडला	02	
		जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी कन्या महाविद्यालय, मंडला	04	
		शासकीय महाविद्यालय, बहमनी बंजर	00	
		शासकीय महाविद्यालय, नैनपुर	02	
		शासकीय महाविद्यालय, बिछिया	00	
		शासकीय महाविद्यालय, निवास	01	
	;kx			**06**
11	ejuk	शासकीय बालक महाविद्यालय,मुरैना	15	
		शासकीय गर्ल्स एडवांस्ड महाविद्यालय, मुरैना	18	
		शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय, मुरैना	07	
		शासकीय महाविद्यालय, जौरा	05	
		शासकीय नेहरु महाविद्यालय, सबलगढ	09	
		शासकीय महाविद्यालय, पोरसा	12	
	;kx			**06**
12	iUuk	शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पन्ना	04	
		शासकीय महाविद्यालय, देवेन्द्रनगर, पन्ना	02	
		शासकीय महाविद्यालय, मवई	00	
		शासकीय महाविद्यालय, अमनगंज	00	
		शासकीय महाविद्यालय, अजयगढ	01	
		शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय, पवई एंव पन्ना	02	
	;kx			**06**
13	lkxj	शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर	07	
		शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर	13	
		शासकीय कन्या उत्कृष्ट स्वशासी महाविद्यालय, सागर	25	
		शासकीय महाविद्यालय, खुरई	03	
		शासकीय महाविद्यालय, देवरी	02	
		डा. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	00	
	;kx			**06**
14	lhgkj	प्राचार्य शासकीय महिला पालीटेक्निक महाविद्यालय,	10	
		प्राचार्य चन्द्र शेखर आजाद शासकीय पी.जी. महाविद्यालय,	13	
		प्राचार्य शासकीय शहीद भगत सिंह महाविद्यालय,	04	
		अधिष्ठाता शासकीय आर. के. कृषि महाविद्यालय	0	
		शासकीय कन्या महाविद्यालय	04	
		प्राचार्य शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	01	
	;kx			**06**
15	mTtu	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन	05	
		शासकीय आई.टी.आई. महाविद्यालय, उज्जैन	00	
		स्कूल आफ स्टडीज इन इंस्टीटयूट आफ फार्मेसी विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	02	
		पंडित सेाहर लाल नेहरु इंस्टीटयूट आफ बिजनेस मैनेजमेंट विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	03	
		उज्जैन इंजीनियरिंग महाविद्यालय, उज्जैन	06	
		शासकीय कन्या पी. जी. महाविद्यालय, उज्जैन	08	
		शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन	02	
		शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन	05	
		शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन	03	
	;kx			**09**
	egk;kx			**90**

ifjf'k"V-2.54

(lanHkZ : dafMdk 2.6.6, i"B 119)

iksLV efVªd Nk=ofRr ;kstukarxZr vuqlwfpr tkfr ,oa vuqlwfpr tutkfr grq vkoafVr ,oa O;; jkf'k dh fLFkfr

(₹ djksM+ esa)

o"kZ	vuqlwfpr tkfr					vuqlwfpr tutkfr				
	vkoaVu		;ksx	O;;	v0;f;r 'ks"kjkf'k	vkoaVu		;ksx	O;;	v0;f;r 'ks"kjkf'k
	dsUnz	jkT; ¼%½				dsUnz	jkT; ¼%½			
2010-11	67.35	82.90 (55)	150.25	150.25	0.00	19.97	48.81 (70.97)	68.78	68.78	0.00
2011-12	65.00	93.01 (59)	158.01	158.01	0.00	22.00	61.04 (73.51)	83.04	82.83	0.21
2012-13	65.00	214.31 (77)	279.31	279.17	0.14	63.00	97.50 (60.75)	160.50	136.24	24.26
2013-14	105.60	193.60 (72)	299.20	267.59	31.61	58.86	94.21 (61.54)	153.07	151.36	1.71
2014-15	97.46	145.10 (60)	242.56	180.44	62.12	32.34	74.19 (70.00)	106.53	111.76	(-)5.23
;ksx	**400.41**	**728.92**	**1129.33**	**1035.46**	**93.87**	**196.17**	**375.75**	**571.92**	**550.97**	**20.95**

(lzksr: fofu;ksx ys[kk)

ifjf'k"V- 2-55

¼lanHkZ % dafMdk 2-6-6-2] i"B 120½

31 ekpZ dh fLFkfr esa v0;f;r 'k"k jkf'k dk fooj.k lk=d

(₹ yk[k esa)

Ø-	ftys dk uke	31 ekpZ dh fLFkfr esa v0;f;r 'k"k jkf'k														
		2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		vttk	vtk	;ksx	vttk	vtk	;ksx	vttk	vtk	;ksx	vttk	vtk	;ksx	vttk	vtk	;ksx
1	भिंड	0	65.5	65.5	0	20.12	20.12	0	556.9	556.9	0	51.72	51.72	0	415.24	415.24
2	भोपाल	7.33	409.13	416.46	631.05	227.72	858.77	617.52	276.55	894.07	1555.36	3028.79	4584.15	310.52	147.35	457.87
3	देवास	0.05	156.48	156.53	58.27	111.57	169.84	3.09	3.52	6.61	2.27	2.13	4.4	0	0.42	0.42
4	धार	37.34	19.55	56.89	159.73	13.44	173.17	7.46	18.33	25.79	33.88	17.62	51.5	43.13	33.82	76.95
5	ग्वालियर	40.87	292.8	333.67	176.07	103.8	279.87	62.08	712.68	774.76	280.74	1383.65	1664.39	250.49	1236.63	1487.12
6	इंदौर	0	1453.34	1453.34	0	962.75	962.75	0	2902.57	2902.57	0	483.89	483.89	0	161.64	161.64
7	जबलपुर	7.16	319.53	326.69	121.07	57.34	178.41	27.67	0.52	28.19	128.25	277.68	405.93	303.63	142.58	446.21
8	झाबुआ	77.03	4.43	81.46	49.82	3.09	52.91	34.7	0.59	35.29	18.58	0.77	19.35	0.75	0.02	0.77
9	खरगोन	26.1	0	26.1	4.61	0	4.61	4.70	9.9	14.6	148.31	59.26	207.57	99.05	53.83	152.88
10	मंडला	10.17	5.82	15.99	0.95	0.05	1.00	0.05	0.37	0.42	450.89	29.56	480.45	1177.16	29.05	1206.21
11	मुरैना	0	0	0	0	4.23	4.23	0	131.54	131.54	0	695.89	695.89	0	788.19	788.19
12	पन्ना	0.78	28.97	29.75	4.32	11.58	15.90	25.20	49.55	74.75	27.50	120.48	147.98	33.20	133.86	167.06
13	सागर	0.11	198.65	198.76	27.77	222.89	250.66	2.52	2.71	5.23	103.56	245.29	348.85	219.82	728.53	948.35
14	सीहोर	26.66	40.78	67.44	38.94	33.95	72.89	54.22	37.05	91.27	40.06	35.44	75.50	0	0	0
15	उज्जैन	22.54	154.49	177.03	91.51	467.58	559.09	87.74	632.62	720.36	36.26	1220.00	1256.26	192.86	651.06	843.92
	;ksx															**7152.83**

ifjf'k"V -2-56

¼lnHkZ % dafMdk 2-6-7-1 i"B 121½

Xokfy;j ,oa Hkksiky esa ukMyk ds leuqns'ku dh fLFkfr n'kkZus okyk fooj.k i=d

l-Ø-	ftys dk uke	ukMyk d uke ftul lc) lLFkkvk dh l[;k vf/kd g	lLFkkvk dh l[;k	ukMyk d uke ftul lc) lLFkkvk dh l[;k de g	lLFkkvk dh l[;k
1	ग्वालियर	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	60	डा. भगवत सहाय महाविद्यालय, ग्वालियर	2
		गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय	28	श्याम लाल पांडवीय पी. जी. महाविद्यालय ,ग्वालियर	2
		एम. एल. बी. महाविद्यालय	12	शासकीय एल. एन. आई. पी. ई. विश्वविद्यालय, ग्वालियर	निरंक
		बी. एड. महाविद्यालय	35	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	निरंक
		शासकीय विज्ञान महाविद्यालय	10	कला एवं संगीत महाविद्यालय, ग्वालियर	निरंक
		आयुर्वेद महाविद्यालय	23	शासकीय विजयाराजे कन्या पी. जी. महाविद्यालय	निरंक
2	भोपाल	राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय	80	शासकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बेनजीर, भोपाल	1
		एस. वी. पालीटेक्निक	37	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	3
		बरकतुल्ला विश्वविद्यालय	35	एम. ए. एन. आई. टी.	1
		गांधी चिकित्सा महाविद्यालय	33	मोती लाल विज्ञान महाविद्यालय	1
		शासकीय शिक्षा महाविद्यालय	31	पी. जी. महाविद्यालय	1

ifjf'k"V -2.57

(lanHkZ% dafMdk 2.6.7.2]i"B 122)

Nk=ofRr vkonu i= dh vi;kIr tkap dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

l-Ø-	ftyk dk uke	dqy vkonu i=	D;k lLFkk }kjk fu/kkZfjr le;kof/k esa vkonu dh tkap dh xbZ		fo|ky;@egkfo|ky; ifjlj;kx iek.ki=		xqi lhV		vk; iek.ki=		tkfr iek.ki=	
			gka	Ukgha	gka	Ukgha	gka	ugha	gka	ugha	gka	ugha
1	भिंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	भोपाल	48	26	22	05	43	26	22	48	0	47	1
3	देवास	60	21	39	10	50	0	9	51	9	60	0
4	धार	206	130	76	105	101	191	15	160	46	202	4
5	ग्वालियर	144	125	19	76	68	57	87	136	08	135	09
6	इंदौर	271	271	0	115	156	0	7	271	0	271	0
7	जबलपुर	50	44	6	19	31	40	10	47	03	50	0
8	झाबुआ	247	83	164	52	195	187	60	237	10	242	5
9	खरगोन	300	300	0	121	179	282	18	300	0	300	0
10	मंडला	53	53	0	29	24	49	4	50	3	52	1
11	मुरैना	527	30	497	500	27	518	09	506	21	518	09
12	पन्ना	154	154	0	0	154	0	154	115	39	146	8
13	सागर	200	200	0	9	191	0	200	184	16	191	9
14	सीहोर	81	24	57	39	42	0	16	81	0	81	0
15	उज्जैन	259	168	91	93	166	231	28	234	25	254	05
	;ksx	**2600**	**1629**	**971**	**1173**	**1427**	**1581**	**639**	**2420**	**180**	**2549**	**51**

ifjf'k"V -2.58
(lanHkZ % dafMdk 2.6.7.4] i"B 124)
Nk=ofRr dk Hkqxrku esa foyac dh fLFkfr

¼jkf'k ₹ esa½

l- Ø-	ftys dk uke	v- tk- fo|kfFk;ksa dh la[;k	v- tk- fo|kfFk;ksa dks foyac ls Hkqxrku dh xbZ jkf'k	v- t- tk- fo|kfFk;ksa dh la[;k	v- t- tk- fo|kfFk;ksa dks foyac ls Hkqxrku dh xbZ jkf'k
1	fHkaM	13547	117500843	0	0
2	Hkksiky	34510	599170000	4877	118651000
3	nrok l	6609	19485996	3011	9681000
4	/kkj	648	2073519	6166	18478100
5	Xokfy;j	18276	256502449	1174	30313114
6	bankSj	20380	386969000	8261	139280000
7	Tkcyiqj	762	11751891	577	7914686
8	>kcqvk	0	0	0	0
9	[kjxkSu	0	0	0	0
10	eMyk	245	2876452	1597	14871504
11	EkqjSuk	4016	49314026	44	1029941
12	iUuk	802	4890956	135	2287597
13	Lkkxj	662	13015692	171	3364805
14	Lkhgksj	3493	31001713	60	733162
15	mTTkSu	9405	101711000	0	0
	;ksx	**113355**	**1596263537**	**26073**	**346604909**

परिशिष्ट-2.59
(संदर्भः कंडिका 2.6.7.5 पृष्ठ 125)
अभिलेखों का संधारण न किया जाना

क्र.	जिले का नाम	अभिलेखों के नाम			
		सहायक रोकड़ बही	लेजर	चेक पंजी	टिप्पणियाँ
1	भिंड	नहीं	नहीं	हाँ *	* संधारित परंतु नियंत्रण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए।
2	भोपाल	नहीं	हाँ *	हाँ *	* संधारित परंतु नियंत्रण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए।
3	देवास	नहीं	नहीं	हाँ	
4	धार	नहीं	हाँ *	हाँ *	* संधारित परंतु नियंत्रण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए।
5	ग्वालियर	नहीं	हाँ *	नहीं	* संधारित परंतु नियंत्रण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए।
6	इंदौर	नहीं	नहीं	हाँ	
7	जबलपुर	हाँ	नहीं	हाँ	
8	झाबुआ	नहीं	हाँ *	हाँ *	* संधारित परंतु नियंत्रण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए।
9	खरगोन	नहीं	नहीं	हाँ	
10	मंडला	नहीं	नहीं	नहीं	
11	मुरैना	हाँ	नहीं	हाँ	
12	पन्ना	नहीं	नहीं	नहीं	
13	सागर	नहीं	हाँ	नहीं	
14	सीहोर	नहीं	नहीं	हाँ	
15	उज्जैन	नहीं	नहीं	हाँ	

ifjf'k"V&2-60

¼l nHkZ % dfMdk 2-7-1] i"B 129½

vf/kl fpr l okvk dk n'kku okyk fooj.k i=d

foHkkx	l jy Øekd	l ok dk uke
1&ऊर्जा	1	निम्नदाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए मॉग–पत्र प्रदान करना जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है।
	2	मॉग–पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब स्थाई नवीन कनेक्शन प्रदान करना।
	3	जहॉ वर्तमान निम्नदाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहॉ अस्थायी कनेक्शन (10 कि. वा. तक के लिए) प्रदान करने हेतु मॉग–पत्र जारी करना। जहॉ वर्तमान निम्नदाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहॉ राशि जमा करने के उपरान्त अस्थायी कनेक्शन (10 कि. वा. तक के लिए) प्रदान करना।
	4	जहॉ वर्तमान निम्नदाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहॉ उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त भारवृद्धि के प्रकरणो में मॉग–पत्र जारी करना।
	5	जहॉ वर्तमान निम्नदाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहॉ मॉग–पत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किए जाने के उपरान्त निम्नदाब के प्रकरणों में भारवृद्धि करना।
	6	निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जॉच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना/बदलना।
	7	निम्नदाब संयोजन के स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण।

2&श्रम	8	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।
	9	विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।
	10	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायत योजना का लाभ प्रदान करना।
	11	निर्माण श्रमिकों का पंजीयन।
	12	निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना।
	13	दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन।
	14	दुकान संस्थान की स्थापना के पंजीयन का नवीनीकरण।
	15	संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेकेदारो को अनुज्ञप्ति प्रदान करना।
	16	संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेकेदारो को अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का प्रदाय।
	17	संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेकेदारो की अनुज्ञप्ति में संशोधन किया जाना।
	18	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6, 7 सहपठित नियम 6 के अन्तर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति जारी किया जाना।
	19	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6, 7 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/संशोधन किया जाना।
	20	वाणिज्यिक स्थापनाओं/मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व–प्रमाणीकरण योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण।
	21	कारखानों से स्व–प्रमाणीकरण योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण।
3&लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	22	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार।
	23	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के निचले भाग में हैण्डपंप के लाईन असेम्बली व सिलेंडर की गंभीर खराबी का सुधार।
	24	पानी पीने योग्य है या नही संबंधी जॉच कर रिपोर्ट देना।

4–राजस्व	25	राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–छह क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना।
	26	चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय।
	27	चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय।
	28	भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय।
	29	भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय।
	30	वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों में)।
	31	न्जूल भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
	32	शोध्य क्षमता प्रमाण–पत्र।
	33	राजस्व न्यायालय (राजस्व मण्डल को छोडकर) में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश/अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि पक्षकार को प्रदाय करना।
	34	अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू अभिलेखों/राजस्व प्रकरणों/नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना।
	35	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के अन्तर्गत निम्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिए जानें पर आर्थिक सहायता दिया जाना'–
		फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता।
		पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा)हानि के लिए आर्थिक सहायता।
		नष्ट हुए मकानों के लिए आर्थिक अनुदान सहायता।
		कपड़ो, बर्तनों एवं खाद्यान्न की क्षति के लिए आर्थिक अनुदान सहायता।
		लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिए सहायता।
		मृत पशुओं के निवर्तन की व्यवस्था।
		कुम्हार के भट्टे में ईंट तथा खपरे बरबाद होने पर आर्थिक अनुदान सहायता।
		बुनकरों/हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता।

		अग्नि या बाढ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता।
		बाढ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता।
		प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली अन्य सहायत।
		कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता।
		बैलगाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता।
	36	बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्शों में बटांकन/तरमीम के पश्चात नक्शा ए–4 साईज के कागज पर आवेदक को प्रदाय।
	37	भूमि का सीमांकन करना।
	38	अविवादित नामांतरण करना।
	39	अविवादित बटवारा करना।
5&नगरीय प्रशासन एवं विकास	40	जहॉ तकनीकि रूप से साध्य हो वहॉ नवीन नल कनेक्शन के लिए मॉग–पत्र प्रदाय किया जाना।
		मॉग–पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना।
	41	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोडना (नगरीय क्षेत्र)।
	42	नगरीय क्षेत्रो के हैण्डपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार।
	43	पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जॉच कर रिर्पोट देना।
6&सामान्य प्रशासन	44	कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र जारी करना।
	45	कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण–पत्र जारी करना।
	46	जाति प्रमाण–पत्र प्रदाय करना।
	47	राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय।
7&सामाजिक न्याय	48	सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।
	49	इंदिरा गॉंधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।
	50	इंदिरा गॉंधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।
	51	इंदिरा गॉंधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।

	52	राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना।
	53	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रदाय।
8&अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण	54	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के अन्तर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन पत्र का समाधन करना।
9–खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	55	नवीन बी पी एल राशनकार्ड जारी करना।
	56	नवीन ए पी एल राशनकार्ड जारी करना।
	57	डुप्लीकेट बी पी एल राशनकार्ड जारी करना।
	58	डुप्लीकेट ए पी एल राशनकार्ड जारी करना।
	59	सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन प्राप्त नही होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना।
10–वन	60	वन्य प्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान।
	61	वन्य प्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान।
	62	वन्य प्राणियों से पशुहानि राहत राशि का भुगतान।
	63	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान– 1. डिपों में काष्ठ प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान के प्रकरण। 2. पृथक लाट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण।
	64	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना।

11&गृह	65	मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्टमार्टम (पी एम) रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदाय करना।
	66	स्टेशन हाऊस ऑफीसर द्वारा फरियादी को एफ.आई.आर. की प्रति न देने पर वरिष्ठ स्तर से एफ.आई.आर. की प्रति प्रदान किया जाना।
	67	लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण।
	68	लायसेंस अवधि समाप्त होने के पश्चात अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण।
	69	शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना।
12–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	70	राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत ₹ 1.00 लाख के प्रकरण (जिला स्तरीय) का स्वीकृत किया जाना।
		राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत ₹ 1.00 लाख से अधिक और ₹ 2.00 लाख तक के प्रकरण (संभाग स्तर) से स्वीकृत किया जाना।
	71	विकलांगता प्रमाण–पत्र दिया जाना।
	72	दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना।
	73	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण।
	74	आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन।
	75	मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरणों को स्वीकृत किया जाना।
	76	प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोपचर्या संबंधी स्थापनाओं का रजिष्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन।
	77	प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोपचर्या संबंधी स्थापनाओं के रजिष्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन का नवीनीकरण।
13–किसान कल्याण एवं कृषि विकास	78	रासायनिक उर्वरक विक्रय प्रधिकार पत्र एवं कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस जारी करना।
	79	रासायनिक उर्वरक विक्रय प्रधिकार पत्र एवं कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण।

14–महिला एवं बाल विकास	80	लाडली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत स्वीकृति जारी करना।
	81	पंजीकृत हितग्राहियों को आंगनबाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नही होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाय जाना।
15–परिवहन	82	लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस जारी करना।
	83	वाहन फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करना।
	84	वाहन का पंजीयन।
16–पंचायत एवं ग्रामीण विकास	85	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र)।
17–आवास एवं पर्यावरण	86	अंगीकृत विकास योजनाओं में भूमि उपयोग की जानकारी।
	87	अंगीकृत विकास योजनाओं में रोड की प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी।
	88	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मति।
	89	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मति।
	90	प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में निजी भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी।
	91	प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में सम्मिलित भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा विकास करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति/आपत्ति प्रदाय करना।
	92	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त वृहद/मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति।
	93	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त वृहद/मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति।
18–योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	94	जन्म का अप्राप्यता प्रमाण–पत्र।
	95	मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण–पत्र।
	96	जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति।
	97	मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति।
	98	जन्म प्रमाण–पत्र।
	99	मृत्यु प्रमाण–पत्र।

	100	विवाह पंजीयन।
19–वित्त	101	पेंशनर द्वारा निर्धारित पेंशन आवेदन प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करने की स्थिति में पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरण संभागीय पेंशन/जिला पेंशन कार्यालय भेजना।
	102	पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरण में विभाग द्वारा आपत्तियों के निराकरण करने पर पेंशन/परिवार पेंशन भुगतान आदेश जारी करना।
	103	पेंशन/परिवार पेंशन भुगतान आदेश कोषालय अधिकारी को प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान।
20–वाणिज्य, mद्योग और रोजगार	104	गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति।
	105	परियोजना प्रतिवेदन व्यय की प्रतिपूर्ति।
	106	टर्मलोन पर ब्याज अनुदान स्वीकृति एवं वितरण (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों हेतु)।
	107	रोजगार कार्यालय में पंजीयन।
	108	रोजगार कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण।
	109	माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज डवलपमेन्ट एक्ट, 2006 के तहत मेमोरेण्म जमा करने पर अभिस्वीकृति प्रदान करना।
	110	चिन्हित गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करना।
21&उच्च शिक्षा	111	नामांकन/माइग्रेशन प्रमाण–पत्र प्रदाय करना।
	112	प्रोवीजनल उपाधि/डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करना।
	113	अंकसूची सूची/नाम/उपनाम (सरनेम) में सुधार करना।
	114	शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रदान करना।
	115	शोध प्रबंध (Thesis)प्रस्तुति के पश्चात पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना।
22–खाद्य एवं औषधि प्रशासन	116	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 (सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68ए के अन्तर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से प्रतिहस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति जारी करना।
	117	केन्द्रीय अनुज्ञापन अनुमोदन प्रणाली के अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के तहत अनुज्ञप्तियां जारी करना।

	118	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 (सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68 (ए) के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से अनुमोदित एवं प्रतिहस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत अधिकतम 10 उत्पादो के लिए अनुमति जारी करना।
	119	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 (सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68 (ए) के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से अनुमोदित एवं प्रतिहस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत 10 से अधिक उत्पादो के लिए अनुमति जारी करना।
	120	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसो में अधिकतम 10 औषधियों की अनुमति जारी करना।
	121	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसो में 10 से अधिक औषधियों की अनुमति जारी करना।
	122	भारत सरकार से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसो में अधिकतम 10 औषधियों की अनुमति जारी करना।
	123	भारत सरकार से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसो में 10 से अधिक औषधियों की अनुमति जारी करना।
	124	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 59 का उप नियम (1)के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करना।

ifjf'k"V&2-61

¼lnHkZ dfMdk 2-7-5] i"B 131½

y[kkijh{kk grq p;fur lokvk dk n'kku okyk fooj.k i=d

foHkkx	l- Ø-	lokvk dk uke	inkfHkfgr vf/kdkjh	lokvk dk fy, le; lhek	iFke vihy vf/kdkjh	iFke vihy d fujkdj.k d fy, le; lhek	f}rh; vihy ikf/kdkjh
2&श्रम	1	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	xkeh.k {k= विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			'kgjh {k= सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडिकल कालेज अस्पताल	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
	2	विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			'kgjh {k= आयुक्त, नगर निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	15 कार्य दिवस	कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त एवं कलेक्टर
	3	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			'kgjh {k= आयुक्त, नगर निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	30 कार्य दिवस	कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त एवं कलेक्टर

	4	निर्माण श्रमिकों का पंजीयन।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			'kgjh {k= आयुक्त, नगर निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	30 कार्य दिवस	कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त एवं कलेक्टर
	5	निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			'kgjh {k= आयुक्त, नगर निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	30 कार्य दिवस	कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त एवं कलेक्टर
	6	दुकान की स्थापना का पंजीयन।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
	7	दुकान की स्थापना के पंजीयन का नवीनीकरण।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
2&सामान्य प्रशासन	8	कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र जारी करना।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी अपनी अधिकारिता में)	07 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
	9	कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण–पत्र जारी करना।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी अपनी अधिकारिता में)	03 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
	10	जाति प्रमाण–पत्र प्रदाय करना।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
3&सामाजिक न्याय	11	सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

			uxjh; {k= आयुक्त, नगर निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	60 कार्य दिवस	कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त एवं कलेक्टर
	12	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			uxjh; {k= आयुक्त, नगर निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	60 कार्य दिवस	कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त एवं कलेक्टर
	13	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			uxjh; {k= आयुक्त, नगर निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	60 कार्य दिवस	कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त एवं कलेक्टर
	14	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			uxjh; {k= आयुक्त, नगर निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	60 कार्य दिवस	कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त एवं कलेक्टर
	15	राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदाय करना।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			uxjh; {k= आयुक्त, नगर निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	30 कार्य दिवस	कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त एवं कलेक्टर

4&अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण	16	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के अन्तर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन पत्र का समाधान करना।	जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
5–खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	17	नवीन बी.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना।	ftyk e[;ky; dk uxjh; {k= सहायक आपूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			ftyk e[;ky; dk uxjh; {k= dk NkMdj 'k"k uxjh; {k= ,o xkeh.k {k= तहसीलदार	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
	18	नवीन ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना।	ftyk e[;ky; dk uxjh; {k= आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			ftyk e[;ky; dk uxjh; {k= dk NkMdj 'k"k uxjh; {k= आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
	19	डुप्लीकेट बी.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना।	ftyk e[;ky; dk uxjh; {k= सहायक आपूर्ति अधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
			ftyk e[;ky; dk uxjh; {k= dk	15 कार्य	अनुविभागीय	15 कार्य	कलेक्टर

			NkMdj 'k"k uxjh; {k= ,o xkeh.k {k= तहसीलदार	दिवस	अधिकारी (राजस्व)	दिवस	
	20	डुप्लीकेट ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना।	ftyk e[;ky; d uxjh; {k= आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
			ftyk e[;ky; d uxjh; {k= dk NkMdj 'k"k uxjh; {k= आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
			xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
	21	सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन प्राप्त नही होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना।	सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	15 कार्य दिवस	ftyk e[;ky; d uxjh; {k= जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
					ftyk e[;ky; d uxjh; {k= dk NkMdj अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
6–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	22	राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन ₹ 1.00 लाख के प्रकरणो (जिला स्तरीय) का स्वीकृत किया जाना।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	10 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	15 कार्य दिवस	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं
		राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन ₹ 1.00 लाख से अधिक और ₹ 2.00 लाख	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	20 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	15 कार्य दिवस	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं

		तक के प्रकरणो (संभाग स्तर) से स्वीकृत किया जाना।					
	23	विकलांगता प्रमाण–पत्र दिया जाना।	सिविल सर्जन	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
	24	दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना।	ftyk e[;ky; dk uxjh; {k= मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
			ftyk e[;ky; dk uxjh; {k= dk NkMdj विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	07 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
	25	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण।	ftyk e[;ky; dk uxjh; {k= सिविल सर्जन	30 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं
			'k"k {k= विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला टीकाकरण अधिकारी	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
	26	आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन।	सिविल सर्जन	30 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं
7–महिला एवं बाल विकास	27	लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत स्वीकृति जारी करना।	बाल विकास परियोजना अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
	28	पंजीकृत हितग्राहियों को आंगनबाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नही होने पर उसे पात्रतानुसार प्रदाय कराना।	बाल विकास परियोजना अधिकारी	07 कार्य दिवस	जिला महिला बाल विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास	07 कार्य दिवस	कलेक्टर
8–पंचायत एवं	29	गरीबी रेखा के नीचे के	तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब	30 कार्य	अनुविभागीय	30 कार्य	कलेक्टर

ग्रामीण विकास		परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र)।	तहसीलदार (अपनी अपनी अधिकारिता में)	दिवस	अधिकारी (राजस्व)	दिवस	
9–योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	30	जन्म का अप्राप्यता प्रमाण–पत्र।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	07 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	21 कार्य दिवस	कलेक्टर
			uxjh; {k= स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/मुख्य नगरपालिका अधिकारी (नगर पालिका/नगर परिषद)	07 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	21 कार्य दिवस	कलेक्टर
	31	मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण–पत्र।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	07 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	21 कार्य दिवस	कलेक्टर
			uxjh; {k= स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/मुख्य नगरपालिका अधिकारी (नगर पालिका/नगर परिषद)	07 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	21 कार्य दिवस	कलेक्टर
	32	जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
	33	मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
	34	जन्म प्रमाण–पत्र।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			प्रसव सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			uxjh; {k= स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल अस्पताल के प्रभारी	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

			चिकित्सक/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी (नगर पालिका/नगर परिषद)				
	35	मृत्यु प्रमाण–पत्र।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			प्रसव सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			uxjh; {k= स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी (नगर पालिका/नगर परिषद)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
	36	विवाह पंजीयन।	xkeh.k {k= मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
			uxjh; {k= स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/मुख्य नगरपालिका अधिकारी (नगर पालिका/नगर परिषद)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

ifjf'k"V&2-62

¼lanHkZ daf.Mdk 2-7-8-3] i"B 137½

ik:i 3 ,oa 4 esa jftLVj lk/kkfjr u djus okys inkfHkfgr@vihy vf/kdkfj;ksa dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

स.क्र.	पदाभिहित अधिकारी
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया (भोपाल)
2	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहपुर
3	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोटेगांव (नरसिंहपुर)
4	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया (हरदा)
5	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुना
6	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा (ग्वालियर)
7	तहसीलदार, नरसिंहपुर
8	तहसीलदार, गोटेगांव (नरसिंहपुर)
9	तहसीलदार, हरदा
10	तहसीलदार, खिरकिया (हरदा)
11	तहसीलदार, मक्सूदनगढ (गुना)
12	तहसीलदार, बैरसिया (भोपाल)
13	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैरसिया (भोपाल)
14	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुना
15	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, डबरा (ग्वालियर)
16	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना
17	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैरसिया (भोपाल)
18	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर
19	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, हरदा
20	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खिरकिया (हरदा)
21	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गुना
22	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुरार (ग्वालियर)
23	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल
24	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हरदा
25	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना
26	सिविल सर्जन, भोपाल
27	सिविल सर्जन, नरसिंहपुर
28	सिविल सर्जन, हरदा
29	सिविल सर्जन, गुना
30	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, बैरसिया (भोपाल)
31	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, खिरकिया (हरदा)

32	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, डबरा (ग्वालियर)
33	श्रम अधिकारी, नरसिंहपुर
34	श्रम अधिकारी, गुना
35	श्रम अधिकारी, ग्वालियर
36	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना, नरसिंहपुर
37	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना, डबरा (ग्वालियर)
38	सहायक आपूर्ति अधिकारी, भोपाल
39	सहायक आपूर्ति अधिकारी, ग्वालियर
40	सहायक आपूर्ति अधिकारी, हरदा
41	आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर
स.क्र.	अपील अधिकारी
1	जिलाध्यक्ष, हरदा
2	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, नरसिंहपुर
3	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोटेगांव (नरसिंहपुर)

ifjf'k"V&2-63

¼l|nHk½ dfMdk 2-7-8-3] i"B 137½

ukfVl ckM inf'kr u djus okys inkfHkfgr@vihy vf/kdkfj;k dk n'kkus okyk fooj.k i=d

l-Ø-	inkfHkfgr vf/kdkjh
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया (भोपाल)
2	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहपुर
3	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा (ग्वालियर)
4	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लश्कर (शहर) ग्वालियर
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा
6	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना
7	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुरार (ग्वालियर)
8	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डबरा (ग्वालियर)
9	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैरसिया (भोपाल)
10	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, हरदा
11	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खिरकिया (हरदा)
12	तहसीलदार, बैरसिया (भोपाल)
13	तहसीलदार, नरसिंहपुर
14	तहसीलदार, ग्वालियर
15	तहसीलदार, गोटेगांव, नरसिंहपुर
16	तहसीलदार, डबरा (ग्वालियर)
17	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल
18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हरदा
19	सिविल सर्जन, नरसिंहपुर
20	सिविल सर्जन, हरदा
21	सिविल सर्जन, ग्वालियर
22	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, बैरसिया (भोपाल)
23	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, खिरकिया (हरदा)
24	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, डबरा (ग्वालियर)
25	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना, नरसिंहपुर
26	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना (ग्रामीण–1), हरदा
27	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना (नगरीय), हरदा
28	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना (नगरीय–1), ग्वालियर
29	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना, डबरा (ग्वालियर)
30	श्रम अधिकारी, नरसिंहपुर
31	श्रम अधिकारी, हरदा

32	सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, ग्वालियर
33	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, खिरकिया (हरदा)
34	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुना
35	सहायक आपूर्ति अधिकारी, गुना
36	सहायक आपूर्ति अधिकारी, ग्वालियर
37	स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, ग्वालियर
38	स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, भोपाल
	vihy vf/kdkjh@ikf/kdkjh
1	जिला आपूर्ति नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल
2	जिला आपूर्ति अधिकारी, ग्वालियर
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हरदा
5	जिला टीकाकरण अधिकारी, भोपाल
6	जिला टीकाकरण अधिकारी, हरदा
7	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, भोपाल
8	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, नरसिंहपुर
9	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, हरदा
10	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, ग्वालियर
11	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना, हरदा
12	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना, ग्वालियर
13	संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल संभाग, भोपाल
14	संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
15	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया (भोपाल)
16	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा
17	आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
18	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोटेगांव (नरसिंहपुर)

ifjf'k"V&2-64

¼lnHkZ iSjkxzkQ 2-8-8] i"B 146½

fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k d s ikl vi;qDr fuf/k n'kkZus okyk fooj.k i=d

¼₹ yk[k esa½

l- Ø-	fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k dk uke	ftys dk uke	o"kZ	fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k d s ikl 01-04-10 dks miyC/k fuf/k	fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k }kjk vkgfjr fuf/k		fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k }kjk mi;ksx dh xbZ fuf/k	fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k d s ikl 31-03-15 dks vi;qDr fuf/k
					lh-lh-Mh- ;kstuk	,l-lh-,-		
1	बैगा विकास अभिकरण, डिंडोरी	डिंडोरी	2010–15	2,74.65	7,71.26	1,83.85	9,55.76	2,74.00
2	सहरिया विकास अभिकरण, गुना	गुना	2010–15	8,05.65	3,027.25	7,68.93	2,532.76	2,069.07
		अशोकनगर	2010–15	7,24.03	6,51.32	36.75	2,04.10	1,208.00
3	बैगा विकास अभिकरण, शहडोल	शहडोल	2010–15	3,12.36	1,042.93	2,13.16	1,410.99	1,57.46
4	सहरिया विकास अभिकरण, शिवपुरी	शिवपुरी	2010–15	1,285.65	3,969.69	942.59	1,572.49	4,625.44
5	भारिया विकास अभिकरण, तामिया,	छिन्दवाड़ा	2010–15	2,86.31	6,01.58	81.93	7,44.32	2,25.50
6	बैगा विकास अभिकरण, उमरिया	उमरिया	2010–15	3,08.50	1,214.55	2,98.75	1,500.54	3,21.26
	;ksx			3]997-15	11]278-58	2]525-96	8]920-96	8]880-73

¼lzksr½ cSd fooj.k i=d ,oa fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.kksa d s izxfr izfrosnu½

ifjf'k"V&2-65

¼lanHk% iSjkxkQ 2-8-8] i"B 147½

fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k ls ikIr mi;kfxrk iek.k i= n'kku okyk fooj.k i=d

¼₹ yk[k e½

l- Ø-	fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k dk uke	ftys dk uke	o"k	fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k }kjk vkgfjr fuf/k		fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k }kjk dk;kUo;u ,tsUlh dks tkjh fuf/k		fo'k"k fiNMh tutkfr fodl vfHkdj.k }kjk lapkyuky; dks Hkstk x, mi;kfxrk iek.k i=		fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k ls v0;f;r 'k"k dk mi;kfxrk iek.k i= ikIr fd, tku gS	
				lh-lh-Mh- ;kstuk	,l-lh-,-	lh-lh-Mh- ;kstuk	,l-lh-,-	lh-lh-Mh- ;kstuk	,l-lh-,-	lh-lh-Mh- ;kstuk	,l-lh-,-
1	बैगा विकास अभिकरण, डिंडोरी	डिंडोरी	2010–15	771.26	183.85	705.77	166.66	376.8	92.00	394.46	91.85
2	सहरिया विकास अभिकरण, गुना	गुना	2010–15	3,027.25	768.93	2,394.50	615.88	0	352.84	3,027.25	416.09
		अशोकनगर	2010–15	651.32	36.75	176.82	00	00	00	651.32	36.75
3	बैगा विकास अभिकरण, शहडोल	शहडोल	2010–15	1,042.93	213.16	1,014.93	210.72	205.65	107.05	837.28	106.11
4	सहरिया विकास अभिकरण, शिवपुरी	शिवपुरी	2010–15	3,969.69	942.59	2,262.12	650.26	00	0	3,969.69	942.59
5	भारिया विकास अभिकरण, तामिया	छिन्दवाड़ा	2010–15	601.58	81.93	467.38	80.26	285.37	70.23	316.21	11.70
6	बैगा विकास अभिकरण, उमरिया	उमरिया	2010–15	1,214.55	298.75	1,080.58	268.32	311.71	167.79	902.84	130.96
		;kx		11]278-58	2]525-96	8]102-10	1]992-10	1]179-53	789-91	10]099-05	1]736-05

ifjf'k"V&2-66

¼lanHkZ dafMdk 2-8-10-1] i`"B 149½

LokLF; {ks= ds varxZr vk;ksftr fpfdRlk tkap f'kfojksa dk fooj.k n'kkus okyk i=d

¼₹ yk[k esa½

l-Ø-	fo'k"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k dk uke	ftys dk uke	o"kZ	Lohd`r jkf'k	dk;kZUo;u ,tsUlh dks nh xbZ jkf'k	O;;	vk;ksftr fd, tkus okys fpfdRlk tkap f'kfojksa dh la[;k	vk;ksftr fd, x, f'kfojksa dh la[;k	deh
01	बैगा विकास अभिकरण, अनूपपुर	अनूपपुर	2011–12	2.60	2.60	2.60	158	158	0
			2012–13	5.30	5.30	5.30	18	18	0
02	बैगा विकास अभिकरण, बालाघाट	बालाघाट	2011–12	2.54	2.54	2.54	07	07	0
			2012–13	14.40	14.40	14.40	49	49	0
			2014–15	2.80	2.80	0	28	0	28
03	बैगा विकास अभिकरण, डिंडौरी	डिंडोरी	2011–12	2.54	2.54	0.10	08	0	08
			2012–13	21.90	21.90	4.50	74	45	29
			2013–14	2.30	–	–	–	–	–
04	सहरिया विकास अभिकरण, गुना	गुना	2011–12	14.64	14.64	13.92	31	31	0
			2012–13	32.10	32.10	0	111	0	111
			2013–14	8.00	8.00	8.00	80	80	0
		अशोक नगर	2011–12	4.00	–	–	–	–	–
			2012–13	1.50	–	–	–	–	–
05	सहरिया विकास अभिकरण ग्वालियर	ग्वालियर	2011–12	10.55	10.55	10.55	25	25	0
			2012–13	8.50	8.50	0	30	0	30
			2013–14	4.30	4.30	4.30	43	0	43
			2014–15	7.50	7.50	0	75	0	75
		दतिया	2011–12	3.25	3.25	3.25	32	0	32
			2012–13	5.70	5.70	5.70	02	02	0
			2013–14	0.30	0.30	0	06	0	06
06	बैगा विकास अभिकरण, मण्डला	मण्डला	2011–12	2.54	2.54	0	0	0	0
			2012–13	25.13	25.13	25.13	131	131	0
07	बैगा विकास अभिकरण, शहडोल	शहडोल	2011–12	2.54	2.54	2.54	07	07	0
			2012–13	30.40	30.40	30.40	104	104	0
08	सहरिया विकास अभिकरण श्योपुर	श्योपुर	2011–12	10.55	10.55	10.55	24	24	0
			2012–13	19.20	19.20	0	67	0	67
			2013–14	5.20	5.20	0	52	0	52

		भिण्ड	2011–12	1.45	–	–	–	–	–
			2012–13	0.80	–	–	–	–	–
			2013–14	0.10	–	–	–	–	–
		मुरैना	2011–12	1.45	1.45	0	04	0	04
			2012–13	1.50	1.50	1.50	15	13	02
09	सहरिया विकास अभिकरण, शिवपुरी	शिवपुरी	2011–12	14.75	14.75	14.75	31	14	17
			2012–13	28.30	–	–	–	–	–
			2013–14	9.00	9.00	9.00	90	0	90
			2014–15	23.10	–	–	–	–	–
10	भारिया विकास अभिकरण तामिया	छिन्दवाड़ा	2011–12	7.20	7.20	7.20	20	20	0
			2012–13	5.90	5.90	5.90	20	20	0
			2013–14	0.10	0.10	0	01	0	01
			2014–15	0.40	0.40	0	04	0	04
11	बैगा विकास अभिकरण, उमरिया	उमरिया	2011–12	2.54	2.54	2.54	03	0	03
			2012–13	38.00	38.00	38.00	130	40	90
			2013–14	3.70	3.70	3.70	37	0	37
	;kx			388-57	327-02	226-37	1]517	788	729

¼lzksr% fo'ks"k fiNMh tutkfr fodkl vfHkdj.k d: ixfr ifronu½

ifjf'k"V-2-67

¼lnHkZ dafMdk 2-9-9 i"B 157)

nfr;k tLy eå ih-,e-, l-&0gh-,e-, l- dk vfØ;k'khy gkMZos;j n'kkuokyk fooj.k i=d

l0 Ø0	lkexh dk uke	ikfIr dk fnukd	jkf'k (₹ e)
1-	सर्वर 2जी.बी. मेमोरी	25–02–2010	78,710
2-	यू.पी.एस 2के.व्ही.ए	17–02–2010	51,400
3-	यू.पी.एस 700व्ही.ए	08–01–2011	26,082
4-	कम्प्यूटर	08–01–2011	1,00,256
5-	लेन सामग्री	16–03–2010	49,317
		;kx	3]05]765

ifjf'k"V&2-68

¼lnHkZ dafMdk 2-9-9] i"B 158)

tLyk eå ih-,e-, l-&0gh-,e-, l- dk vfØ;k'khy vkj vYi i;Dr gkMZos;j dk n'kkuk okyk fooj.k i=d

l0 Ø0	ftyk dk uke	vfØ;k'khy vkj vYi i;Dr gkMZos;j dh l[;k						
		loj	dEI;Vj	;-ih-,l	fiVj	fQxj fiV	oo dejk	fLop
1	भोपाल	.	04	03	02	01	01	--
2	दतिया	01	05	04	03	..	.	--
3	ग्वालियर	.	03	02	02	01	01	-
4	इन्दौर	..	02	02	01	..	01	--
5	जबलपुर	..	03	02	02	..	..	--
6	नरसिंहपुर	..	03	02	01	..	..	--
7	रीवा	..	03	02	01	..	..	--
8	सागर	.	03	02	01	..	..	--
9	सतना	.	02	02	01	..	..	--
10	सिवनी	..	02	02	01	..	..	--
11	उज्जैन	.	03	03	02	01	01	--

ifjf'k"V&2-69

¼lnHkZ% dfMdk 2-9-9] i"B 158)

ih-,e-,l- ,o 0gh-,e-,l- ifj;kstuk d tyk e gkMZo;j dh de vkifrZ n'kkZuokyk fooj.k i=d

lkexh dk uke	vkifrZ fd, tkus Fks	vkifrZ fd, x,	de vkifrZ fd, x,
सर्वर 6 जी.बी मेमोरी	11	11 (2 जी.बी मेमोरी)	.
क्लाईट	55	55	.
प्रिंटर	33	33	.
यू.पी.एस.	44	44	.
वेव केमरा	44	20	24
स्विच	11	10	1
बी.एम.डी	33	20	13
;kx	231	193	38

ifjf'k"V&2-70

¼lnHkZ% dfMdk 2-9-9] i"B 158½

ih-,e-,l-&0gh-,e-,l- ink; gkMZo;j dh okjUVh vof/k n'kkZus okyk fooj.k i=d

gkMZo;j dk uke	vkifrZ dk fnukad	gkMZo;j dh okjUVh vof/k	gkMZo;j okjUVh dh lekfIr fnukad
कम्प्यूटर सिस्टम	3–1–2011	5 वर्ष	2–1–2016
प्रिंटर	9–3–2010	1 वर्ष	8–3–2011
यू.पी.एस. 2 के.व्ही.ए.	4–2–2010	3 वर्ष	3–2–2013
यू.पी.एस. बैट्री	4–2–.2010	1 वर्ष	3–2–2011
सर्वर	4–2–2010	3 वर्ष	3–2–.2013
यू.पी.एस 700 व्ही.ए	4–2–2010	1 वर्ष	3–2–2011
यू.पी.एस 700 व्ही.ए बैट्री	4–2–2010	1 वर्ष	3–2–2011

ifjf'k"V&2-71

¼lnHkZ% dfMdk 2-9-9] i"B 159½

ih-,e-,l&0gh-,e-,l dk X;kjg ftyksa esa vfdz;k'khy gkMZos;j n'kkus okyk fooj.k i=d

l0 Ø0	ftys dk uke	vfØ;k'khy gkMZos;j dh la[;k						
		loZj	dEI;wVj	;w-ih-,l-	fiazVj	ch-,e-Mh	oscdSejk	vU;
1	भोपाल	–	03	01	03	02	01	–
2	दतिया	01	05	04	03	–	–	–
3	ग्वालियर	01	–	–	–	02	02	–
4	इन्दौर	01	01	03	–	01	–	–
5	जबलपुर	01	04	03	02	02	01	–
6	नरसिंहपुर	–	02	–	01	01	–	–
7	रीवा	–	–	03	01	–	–	–
8	सागर	–	–	04	–	–	–	–
9	सतना	01	–	02	01	–	–	–
10	सिवनी	–	–	02	–	–	–	–
11	उज्जैन	–	–	02	–	–	–	–
	;ksx	05	15	24	11	08	04	

ifjf'k"B&2-72

¼lanHkZ% dafMdk 2-9-10-1 i"B 159½

ih-,e-,l&0gh-,e-,l- ds tyksa esa cfn;ksa ds euuy vkSj lkfVo;j vfHkys[k dk n'kkus okyk fooj.k i=d

ftys dk uke	euvy vfHkys[k ds vuqlkj vken cfn;ksa dh dqy l[;k ¼o"kZ 2010&11 ls 2014&15½	lkfVo;j esa iafo"V fd, x, dqy cfn;ksa dh l[;k ¼o"kZ 2010&11 ls 2014&15½	deh	deh dk izfr'kr
भोपाल	51907	36608	15299	29.47
दतिया	6751	0	6751	100
ग्वालियर	32650	13805	18845	57.72
इन्दौर	29334	8704	20630	70.33
जबलपुर	40754	24978	15776	38.71
नरसिंहपुर	12119	1515	10604	87.50
रीवा	14537	6502	8035	55.27
सागर	18482	5027	13455	72.80
सतना	12233	3417	8816	72.06
सिवनी	6901	4066	2835	41.08
उज्जैन	21296	7841	13455	63.18
;ksx	246964	112463	134501	54-46

ifjf'k"B&2-73

¼ lnHkZ dafMdk 2-9-10-1 i"B 159½

ih-,e-,l-&0gh-,e-,l- d s tyk s e s QkVk vkj vxsyh fpUg n'kkus okyk fooj.k i=d

ftys dk uke	lk¶Vos;j e s 3@2015 rd ifo"V fd, x, cfn;ksa d s vfHkys[k MkVk dh la[;k	lk¶Vos;j e s cfn;k s d s viyksM QksVks dh la[;k	lk¶Vos;j e s cfn;k s d s viyksM ugha fd, x, QksVks dh la[;k	lk¶Vos;j e s cfn;k s d s viyksM ugha fd, x, QksVks dk ifr'kr	lk¶Vos;j e s cfn;k s d s viyksM vaxqyh fpUg dh la[;k	lk¶Vos;j e s cfn;k s d s viyksM ugha fd, x, vaxqyh fpUg dh la[;k	lk¶Vos;j e s cfn;ksa d s viyksM ugha fd, x, vaxqyh fpUg dk ifr'kr
भोपाल	36595	25413	11182	30.55	20726	15869	43.36
दतिया	हार्डवेयर संस्थापित नहीं किया गया	–	–	–	–	–	–
ग्वालियर	0	0	0	0	0	0	0
इन्दौर	0	0	0	0	0	0	0
जबलपुर	0	0	0	0	0	0	0
नरसिंहपुर	981	288	693	70.64	265	716	72.98
रीवा	5764	5140	624	10.82	3778	1986	34.45
सागर	4466	4095	371	8.30	3978	488	10.93
सतना	0	0	0	0	0	0	0
सिवनी	3402	2904	498	14.63	2484	918	26.98
उज्जैन	7841	4161	3680	46.93	2945	4896	62.44
;kx	59049	42001	17048	28-87	34176	24873	42-12

Xokfy;j]bUnkSj]tcyiqj vkSj lruk e sa loj vfØ;k'khy Fk sA

ifjf'k"V&2-74

¼lnHkZ% dfMdk 2-9-10-1 i"B 159½

tyk e: ih-,e-,l-&0gh-,e-,l- e: LokLF; ijh{k.k n'kkZu: okyk fooj.k i=d

ftys dk uke	flLVe lk¶Vos;j ¼2010&11 ls 2014&15½e: ifo"V cPpksa dh vfHkys[k dh la[;k	flLVe lk¶Vos;j dk vuqlkj cPpksa dh la[;k ftudk LokLFk ijh{k.k fd;k x;k	cPpksa dh la[;k ftudk LokLFk ijh{k.k fd;k x;k ij lk¶Vos;j flLVe e: ntZ ugha fd;k x;k	cPpksa dk izfr'kr ftudk LokLFk ijh{k.k fd;k x;k ij lk¶Vos;j flLVe e: ntZ ugha fd;k x;k
भोपाल	36595	2965	33630	91.90
दतिया	हार्डवेयर संस्थापित नहीं किया गया	–	–	–
ग्वालियर	0	0	0	0
इन्दौर	0	0	0	0
जबलपुर	0	0	0	0
नरसिंहपुर	981	559	422	43.02
रीवा	5764	04	5760	99.93
सागर	4466	0	4466	100
सतना	0	0	0	0
सिवनी	3402	3283	119	3.50
उज्जैन	7841	9	7832	99.88
;ksx	59049	6820	52229	88-45

Xokfy;j]bUnkSj]tcyiqj vkSj lruk e: loj vfØ;'khy FkS A

ifjf'k"V-&2-75

¼lanHkZ dafMdk 2-9-10-1 i"B 160½

tsyksa esa ih-,e-,l-&oh-,e-,l- esa iSjksy izfof"V;ka n'kkZus okyk fooj.k i=d

ftys dk uke	cafn;ksa dh la[;k euqvy vfHkys[k ds vuqlkj ftUgsa iSjksy fn;k x;k ¼2010&11 ls 2014&15½	lkW¶Vos;j flLVe ds vuqlkj cafn;ksa dh la[;k ftudks iSjksy fn;k x;k	cafn;ksa dh la[;k ftudks iSjksy fn;k x;k ij lkW¶Vos;j flLVe esa ntZ ugha fd;k x;k	cafn;ksa dk izfr'kr ftudks iSjksy fn;k x;k ijUrq lkW¶Vos;j flLVe esa ntZ ugha fd;k x;k
भोपाल	7011	673	6338	90.40
दतिया	हार्डवेयर संस्थापित नहीं किया गया	–	–	–
ग्वालियर	0	0	0	0
इन्दौर	0	0	0	0
जबलपुर	0	0	0	0
नरसिंहपुर	343	0	343	100
रीवा	1689	05	1684	99.70
सागर	1271	0	1271	100
सतना	0	0	0	0
सिवनी	136	07	129	94.85
उज्जैन	3484	01	3483	99.97
;ksx	13934	686	13248	95-07

Xokfy;j] bUnkSj] tcyiqj vkSj lruk esa loZj vfØ;k'khy FkkA

ifjf'k"V&-2-76

¼lnHkZ dafMdk 2-9-10-1 i"B 160½

tuyk esa ih-,e-, l-&0gh-,e-, l- esa dkV lauokbZ ifofu"V;ksa n'kkZus okyk fooj.k i=d

ftys dk uke	euvy d vuqlkj cfn;ks dh la[;k ftudh dkV lauokbZ gkuh Fkh ¼2010&11 ls 2014&15½	lkWQVos;j fLLVe d vuqlkj cfn;k dh la[;k ftudh lauokbZ gkuh Fkh	cfn;ks dh la[;k ftudh lauokbZ gkuh Fkh ij lkWQVos;j fLLVe esa ntZ ugha fd;k x;k	cfn;ks dk izfr'kr ftudh lauokbZ gkuh Fkh ijUrq lkWQVos;j fLLVe esa ntZ ugha fd;k x;k
भोपाल	100834	3328	97506	96.70
दतिया	हार्डवेयर सस्थापित नहीं किया गया	–	–	–
ग्वालियर	0	0	0	0
इन्दौर	0	0	0	0
जबलपुर	0	0	0	0
नरसिंहपुर	52320	583	51737	98.88
रीवा	27703	526	27177	98.10
सागर	46905	0	46905	100
सतना	0	0	0	0
सिवनी	32290	3030	29260	90.61
उज्जैन	60013	124	59889	99.79
;kx	320065	7591	312474	97-62

Xokfy;j] bUnkSj] tcyiqj vkSj lruk esa lo.kZ vfØ;k'khy FkkA

ifjf'k"V&2-77

¼lanHkZ dafMdk 2-9-10-1 i"B 160½

tyk e ih-,e-,l-&0gh-,e-,l- e ,Q-vkb-vkj- vkj /kkjk ifof"V u fd; tku dk n'kku okyk fooj.k i=d

l0 Ø0	ftys dk uke	fo'yf"kr MkVk dh l[;k	,Q-vkb-vkj]/kkjk vkj ifyl LV'ku ifof"V;k dh l[;k	,Q-vkb-vkj]/kkjk vkj ifyl LV'ku dh l[;k ftudh ifof"V;k ugh dh xb	,Q-vkb-vkj]/kkjk vkj ifyl LV'ku ftudh ifof"V;k ugh dh xb dk ifr'kr
1.	भोपाल	193	184	09	4.66
2.	ग्वालियर	468	93	375	80.12
3.	इन्दौर	182	57	125	68.68
4.	जबलपुर	2167	0	2167	100
5.	नरसिंहपुर	1162	474	688	59.20
6.	रीवा	1290	1175	115	9.89
7.	सागर	996	0	996	100
8.	सतना	411	292	119	28.95
9.	सिवनी	131	119	12	9.16
10.	उज्जैन	534	39	495	92.69
	योग	7534	2433	5101	67-70

परिशिष्ट-2.78
(संदर्भ कंडिका 2.10.8.1, पृष्ठ 172)
विलम्ब से स्वीकृति की स्थिति

(₹ लाख में)

जिले का नाम	वर्ष 2010-11			वर्ष 2011-12			वर्ष 2012-13			वर्ष 2013-14			वर्ष 2014-15		
	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत	विलम्ब की अवधि दिनों में	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत	विलम्ब की अवधि दिनों में	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत	विलम्ब की अवधि दिनों में	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत	विलम्ब की अवधि दिनों में	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत	विलम्ब की अवधि दिनों में
बैतूल	0	0	0	31	56.17	20 से 165	38	52.62	28 से 225	42	52.88	14 से 66	37	77.30	21 से 235
मंडला	0	0	0	29	37.52	26 से 194	36	64.00	25 से 235	27	37.10	31 से 89	18	23.40	28 से 124
डिंडोरी	8	47.08	23 से 160	05	42.85	48 से 57	08	35.84	19 से 95	13	20.14	20 से 74	0	0	0
सीहोर	34	26.05	19 से 103	36	48.65	22 से 227	45	56.40	27 से 272	30	23.03	55 से 251	45	66.07	19 से 225
भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	27.98	16 से 70	90	125.48	16 से 212
छतरपुर	20	74.79	29 से 232	21	80.05	42 से 170	23	60.72	39 से 207	1	2.00	57	6	41.00	65
रतलाम	7	9.71	40 से 189	17	31.96	64 से 382	37	42.69	80 से 218	4	4.20	107 से 255	6	15.00	66 से 142
खरगौन	54	74.12	85 से 215	41	45.98	82 से 361	0			01	2.00	206	0	0	0
योग	**123**	**231.75**		**180**	**343.18**		**187**	**312**		**141**	**169.23**		**202**	**348.25**	

ifjf'k"V&3-1

¼lanHkZ dafMdk 3-1-1] i"B 175½

Tkuojh 2014 ls uoEcj 2014 rd /kkj[kk/kkMh ls fd;s x;s vkgj.k dk n'kkZus okyk i=

¼jkf'k ₹ esa½

l- d-	ekg	f'k{kdksa dh okLrfod la[;k	ns; jkf'k	f'k{kdksa dh dqy la[;k ftudk fy;s jkf'k vkgfjr dh xbZ Fkh	jkf'k dk Hkqxrku	/kks[kk/kMh ls vf/kd fd;k x;k vkgj.k
1	जनवरी 2014	124	1838711	128	1900749	62038
2	फरवरी 2014	124	1607053	128	1675539	68486
3	मार्च 2014	129	1991112	133	2062152	71040
4	अप्रैल 2014	129	1976016	135	2082576	106560
5	मई 2014	128	2022396	134	2128956	106560
6	जून 2014	130	1985668	134	2056708	71040
7	जुलाई 2014	130	2007308	134	2071628	64320
8	अगस्त 2014	130	1979692	134	2044012	64320
9	सितम्बर 2014	130	2015931	134	2080251	64320
10	अक्टूबर 2014	130	2110079	134	2178439	68360
11	नवम्बर 2014	129	2214621	133	2294621	80000
	; kX	1413	21748587	1461	22575631	827044

ifjf'k"V&3-2

(lanHkZ dafMdk 3-1-3] i"B 179)

mPp njksa ij Ø; dh xbZ vkS"kf/k ¼ejksisue batsD'ku 1 xzke½ dk fooj.k

(jkf'k ₹ esa)

i=.k iekf.kr n;d Øekad@fnukad	vkiwfrZdrkZ dk uke	vkiwfrZdrkZ dk n;d dzekad	fnukad	vkS"kf/k dk uke	[kjhnh xbZ vkS"kf/k dh nj	ek=k	iznk; vkS"kf/k dh dqy jkf'k	Lohd`r fufonk nj	fufonk nj dh vuqlkj dqy jkf'k	vUrj	Mh-ih-lh }kjk vuqekfnr fuekZrk@eqd	iznk;r vkS"kf/k dk fuekZrk@eqd
1	2	3	4	5	6	7	8=(6*7)	9	10=(7*9)	11=(8-10)	12	13
909/ 12-3-13	मैसर्स समर्थ इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसएम-0415	14-2-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	6000	2310000	211.9	1271400	1038600	डी.जे. लैब प्रा0लि0	काबरा
910/ 12-3-13	मैसर्स साईं बाबा इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसबी -751	4-2-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	1000	385000	211.9	211900	173100	तदैव	डी.जे. नेम
910/ 12-3-13	मैसर्स साईं बाबा इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसबी -775	19-2-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	1080	415800	211.9	228852	186948	तदैव	काबरा
910/ 12-3-13	मैसर्स साईं बाबा इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसबी -774	20-2-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	440	169400	211.9	93236	76164	तदैव	काबरा
825/ 20-2-13	मैसर्स समर्थ इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसएम -0320	17-1-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	4000	1540000	211.9	847600	692400	तदैव	उपलब्ध नहीं
910/ 12-3-13	मैसर्स साईं बाबा इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसबी -765	16-2-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	1368	526680	211.9	289879.2	236801	तदैव	काबरा
1051/ 26-3-13	मैसर्स समर्थ इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसएम -0407	14-2-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	1000	385000	211.9	211900	173100	तदैव	काबरा
1042/ 28-3-13	मैसर्स साईं बाबा इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसबी -857	9-3-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	192	73920	211.9	40684.8	33235	तदैव	काबरा
1042/ 26-3-13	मैसर्स साईं बाबा इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसबी -856	9-3-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	1920	739200	211.9	406848	332352	तदैव	काबरा
443/ 22-9-14	मैसर्स समर्थ इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसएम -0493	14-3-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	2200	847000	211.9	466180	380820	तदैव	उपलब्ध नहीं
870/ 24-2-14	मैसर्स साईं बाबा इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसबी -935	24-3-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	7000	2695000	211.9	1483300	1211700	तदैव	काबरा
177/ 17-6-13	अमर मेडिकल एवं जन	1018-	28-5-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	10000	3850000	211.9	2119000	1731000	डी.जे. लैब प्रा0लि0	काबरा
257/ 9-7-13	मैसर्स साईं बाबा इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसबी -100	10-6-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	20000	7700000	211.9	4238000	3462000	तदैव	डी.जे. नेम
257/ 9-7-13	मैसर्स साईं बाबा इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर	एसबी -066	28-5-13	मेरोपेनम इंजेक्शन 1 ग्राम	385	10000	3850000	211.9	2119000	1731000	तदैव	काबरा
						;kx	25487000		14027780	11459220		
						oSV @ 5%	1274350		701389	572961		
						egk;kx	26761350		14729169	12032181		

ifjf'k"V&3-3

(lanHkZ dafMdk 3-1-4] i"B 181)

LFkkuh; Ø; dh xbZ vkS"kf/k;ksa dh ykxr dk Vh-,u-,e-,l-lh- nj ls vUrj n'kkZus okyk bdkbZokj fooj.k i=d

(jkf'k ₹ esa)

lay dzekad	bdkbZ dk uke	LFkkuh; Ø; dh vof/k	dqy LFkkuh; Ø; dh nj ij vkS"kf/k dh dqy ykxr	Vh-,u-,e-,l-lh- }kjk iznk; u djus ds dkj.k LFkkuh; Lrj ij Ø; dh xbZ vkS"kf/k;ksa dh dqy ykxr	ykxr esa vUrj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-4)
1	सी.एम.एच.ओ., बड़वानी	07/2012 से 01/2013	4,03,011	7,74,686	3,71,675
2	सी.एम.एच.ओ., डिन्डोरी	10/2013 से 07/2014	3,43,617	9,92,193	6,48,576
3	सी.एम.एच.ओ., गुना	09/2013 से 03/2014	9,65,029	12,01,660	2,36,631
4	सी.एम.एच.ओ., इन्दौर	11/2013 से 10/2014	7,86,860	10,95,680	3,08,820
5	सी.एम.एच.ओ., नीमच	08/2013 से 01/2014	8,64,240	16,09,000	7,44,760
6	सी.एम.एच.ओ., रायसेन	06/2013 से 01/2014	27,75,179	56,89,120	29,13,941
7	सी.एस., बेतूल	05/2013 से 11/2013	2,03,281	6,71,140	4,67,859
8	सी.एस., होशंगाबाद	09/2012 से 11/2012	1,94,720	2,51,290	56,570
9	सी.एस., उज्जैन	04/2012 से 03/2013	26,81,742	40,18,786	13,37,044
10	सी.एस., उमरिया	04/2013 से 12/2013	1,67,381	5,71,715	4,04,334
	;ksx		**93,85,060**	**1,68,75,270**	**74,90,210**

ifjf'k"V&3-4

(lanHkZ% dafMdk 3-1-5] i"B 182)

iaLFr vodk'k lgk;rk ;kstuk varxZr fodkl[k.Mokj iathc) Jfed] mudk Hkqxrku dh ik=rk ,oa vik= fgrxzkfg;ksa dk fd, x, vf/kd Hkqxrku dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

(jkf'k ₹ esa)

ljy d-	fodkl[k.M dk uke	n;d dzekd o fnukd	iek.kd dzekd o fnukd	fgrxzkfg;ksa dh la[;k ftlesa					etnjh dh jkf'k ds cjkcj Hkqxrku ;kX; jkf'k					Hkqxrku dh xbZ dqy jkf'k	vik= fgrxzkfg;ksa dks vfrfjDr Hkqxrku dh jkf'k
				efgyk,a tks Jfed ds :i esa iathc) FkhA	ifr tks Jfed ds :i esa iathc) Fks	nkuks ifr vkSj iRuh tks Jfed ds :i esa iathc) Fks	u gh ifr vkSj u gh iRuh Jfed ds :i esa iathc) Fks	dqy	iathc) Jfed efgykvksa dks 45 fnolksa ds fy;s	iathc) Jfed ifr;ksa dks 15 fnolksa ds fy;s	45 fnolksa dk ekrRo ,oa 15 fnolksa dk firRo vodk'k	Hkqxrku ;kX; ugha	dqy Hkqxrku ;kX; jkf'k		
1	जतारा	1243 19.09.14	136 19.11.14	2	1	----	2	5	13140	2190	-----	----	15330	43800	28470
2	जतारा	1244 19.09.14	137 19.11.14	----	1	----	1	2	00	2190	-----	----	2190	17520	15330
3	जतारा	1246 19.09.14	138 19.11.14	----	6	----	2	8	00	4380	-----	----	4380	70080	65700
4	जतारा	1247 19.09.14	139 19.11.14	----	1	----	---	1	00	2190	-----	----	2190	8760	6570
5	जतारा	1405 14.10.14	143 21.10.14	1	6	----	8	15	6570	13140	-----	----	19710	131400	111690
6	जतारा	1627 18.11.14	214 19.11.14	1	9	----	---	10	6570	19710	-----	---	26280	85380	59100
7	जतारा	1628 18.11.14	215 19.11.14	1	4	----	3	8	6570	8760	-----	----	15330	70080	54750
8	जतारा	1404 14.10.14	222 19.11.14	4	26	----	9	39	26280	56940	-----	----	83220	341640	258420
9	जतारा	1245 19.09.14	223 19.11.14	1	22	----	7	30	6570	48180	-----	----	54750	262800	208050
	;ksx			**10**	**76**	**----**	**32**	**118**	**65700**	**157680**			**223380**	**1031460**	**808080**
10	निवाड़ी	1396 13.10.14	126 16.10.14	----	2	-----	----	2	----	4170	-----	----	4170	16680	12510
11	निवाड़ी	1398 13.10.14	127 16.10.14	----	9	-----	----	9	----	19500	-----	----	19500	78000	58500
12	निवाड़ी	627 23.06.14	143 24.09.14	----	5	-----	----	5	----	10740	-----	----	10740	42960	32220
13	निवाड़ी	626 23.06.14	161 25.09.14	----	4	-----	----	4	----	8550	-----	----	8550	34200	25650
14	निवाड़ी	1395 13.10.14	232 20.11.14	----	6	-----	----	6	----	13140	-----	----	13140	52560	39420
15	निवाड़ी	1397 13.10.14	303 22.11.14	----	1	-----	----	1	----	2190	-----	----	2190	8760	6570
	;ksx			**----**	**27**	**----**	**----**	**27**	**-----**	**58290**	**-----**	**----**	**58290**	**233160**	**174870**

16	पृथ्वीपुर	1614 10.11.14	72 07.01.15	3	77	----	----	80	19710	168630	----	---	188340	700800	512460
17	पृथ्वीपुर	1501 22.10.14	73 07.01.15	----	76	----	----	76	----	166230	----	---	166230	664920	498690
18	पृथ्वीपुर	1963 20.01.15	109 20.01.15	1	111	----	----	112	6570	240990	---	---	247560	972720	725160
19	पृथ्वीपुर	1401 13.10.14	122 13.10.14	4	106	----	----	110	26280	229410	----	---	255690	952680	696990
20	पृथ्वीपुर	1704 26.11.14	125 27.01.15	----	1	----	----	1	----	1500	----	---	1500	6000	4500
21	पृथ्वीपुर	1503 22.10.14	228 19.11.14	----	3	---	---	3	----	7092	----	----	7092	28368	21276
22	पृथ्वीपुर	1502 22.10.14	229 19.11.14	----	24	----	----	24	----	51138	----	----	51138	204552	153414
23	पृथ्वीपुर	1615 10.11.14	230 19.11.14	1	22	----	----	23	6570	48180	----	----	54750	201480	146730
24	पृथ्वीपुर	1616 10.11.14	231 19.11.14	----	3	----	----	3	----	6570	----	----	6570	26280	19710
25	पृथ्वीपुर	385 16.05.14	311 25.08.14	----	4	----	----	4	----	8550	----	----	8550	34200	25650
26	पृथ्वीपुर	384 16.05.14	312 25.08.14	----	30	----	----	30	----	65280	----	----	65280	261120	195840
		;kx		**9**	**457**	**----**	**----**	**466**	**59130**	**993570**	**----**	**---**	**1052700**	**4053120**	**3000420**
27	पलेरा	1632 18.11.14	52 05.01.15	5	70	----	6	81	32850	145780	----	----	178630	675720	497090
28	पलेरा	1634 18.11.14	53 05.01.15	---	2	----	2	4	00	4380	----	----	4380	35040	30660
29	पलेरा	1218 12.09.14	92 17.09.14	6	160	----	18	184	39420	345570	----	----	384990	1590840	1205850
30	पलेरा	1204 11.09.14	108 09.01.15	9	85	----	16	110	59130	185100	----	----	244230	956880	712650
31	पलेरा	1232 17.09.14	109 09.10.14	1	13	----	2	16	6570	28470	----	----	35040	140160	105120
32	पलेरा	1203 11.09.14	135 24.09.14	----	11	----	2	13	00	23880	----	----	23880	113040	89160
33	पलेरा	1219 12.09.14	140 24.09.14	1	18	----	----	19	6570	38580	----	----	45150	163080	117930
34	पलेरा	1633 18.11.14	227 19.11.14	2	21	----	7	30	13140	43690	----	----	56830	249840	193010
		;kx		**24**	**380**	**----**	**53**	**457**	**157680**	**815450**	**----**	**---**	**973130**	**3924600**	**2951470**
35	बड़ागॉव	1205 11.09.14	91 17.09.14	1	61	---	----	62	6570	132120	----	----	138690	537240	398550
36	बड़ागॉव	1207 11.09.14	111 13.10.14	1	16	----	----	17	6570	34620	----	----	41190	147240	106050
37	बड़ागॉव	1206 11.09.14	112 13.10.14	----	2	----	----	2	----	3960	---	---	3960	15840	11880
38	बड़ागॉव	1376 09.10.14	113 13.10.14	----	29	----	----	29	----	62670	----	----	62670	250680	188010
39	बड़ागॉव	1377 09.10.14	114 13.10.14	----	5	----	----	5	----	10740	----	----	10740	42960	32220
40	बड़ागॉव	1375 09.10.14	115 13.10.14	----	77	----	1	78	----	166740	----	----	166740	675720	508980
41	बड़ागॉव	1379 09.10.14	140 16.10.14	----	10	----	----	10	----	21900	----	----	21900	87600	65700
42	बड़ागॉव	1383 09.10.14	141 16.10.14	----	8	----	----	8	----	16890	----	----	16890	67560	50670
43	बड़ागॉव	1382 09.10.14	142 16.10.14	----	1	----	----	1	----	2190	----	----	2190	8760	6570
44	बड़ागॉव	1458 20.10.14	216 19.11.14	----	1	----	----	1	----	2190	-----	----	2190	8760	6570

45	बड़ागॉव	1380 09.10.14	217 19.11.14	1	21	----	----	22	6570	44175	----	----	50745	185460	134715
46	बड़ागॉव	1457 20.10.14	217 21.10.14	----	18	----	1	19	----	39420	----	---	39420	166440	127020
47	बड़ागॉव	1378 09.10.14	218 19.11.14	----	18	----	----	18	----	37260	----	----	37260	149040	111780
48	बड़ागॉव	1381 09.10.14	219 19.11.14	----	9	----	1	10	----	19290	----	----	19290	85920	66630
49	बड़ागॉव	1631 18.11.14	220 19.11.14	----	1	----	----	1	----	2190	----	----	2190	8760	6570
50	बड़ागॉव	1456 20.10.14	221 19.11.14	----	42	----	----	42	----	90720	----	----	90720	362880	272160
51	बड़ागॉव	1629 18.11.14	224 19.11.14	----	30	----	0	30	----	63465	----	----	63465	253860	190395
52	बड़ागॉव	1630 18.11.14	225 19.11.14	----	16	----	----	16	----	34830	----	----	34830	139320	104490
;kx				**3**	**365**	**----**	**3**	**371**	**19710**	**785370**	**----**	**---**	**805080**	**3194040**	**2388960**
53	बल्देवगढ़	1444 20.10.14	54 05.01.15	----	16	----	----	16	----	35040	----	----	35040	140160	105120
54	बल्देवगढ़	1444 20.10.14	57 06.01.15	----	68	----	----	68	----	148920	----	----	148920	595680	446760
55	बल्देवगढ़	1986 23.01.15	62 04.02.15	----	13	----	----	13	----	28470	----	----	28470	113880	85410
56	बल्देवगढ़	1985 23.01.15	63 04.02.15	----	2	----	----	2	----	4380	----	----	4380	17520	13140
57	बल्देवगढ़	1984 23.01.15	64 04.02.15	----	1	----	----	1	----	2190	----	----	2190	8760	6570
58	बल्देवगढ़	1733 27.11.14	88 09.12.14	----	1	----	----	1	----	2190	----	----	2190	8760	6570
59	बल्देवगढ़	1445 20.10.14	231 22.10.14	----	22	----	----	22	----	48180	----	----	48180	192720	144540
60	बल्देवगढ़	1446 20.10.14	232 22.10.14	----	3	----	----	3	----	6570	----	----	6570	26280	19710
;kx				**----**	**126**	**----**	**----**	**126**	**----**	**275940**	**----**	**---**	**275940**	**1103760**	**827820**
egk;kx				**46**	**1431**	**----**	**88**	**1565**	**302220**	**3086300**	**----**	**---**	**3388520**	**13540140**	**10151620**

ifjf'k"V&3-5

(lanHkZ dafMdk 3-1-6] i"B 182)

lh-,l- ,oa lh-,e-,p-vks- }kjk de LVkEi 'kqYd ,oa iathdj.k 'kqYd u yxk;s tkus dk n'kkus okyk fooj.k i=d

(jkf'k ₹ esa)

lajy dzekad	bdkbZ dk uke	iaathd;e@ vkQlsV ewY;	yxk;s tkus okyk LVkEi 'kqYd¼,l-Mh-½ (@8%) – (@7.5%) – (@5%) iaathd;e jkf'k dk	yxus okyk iath;u 'kqYd ¼vkj-,Q½ @ 75% LVkEi 'kqYd dk	yxus okyk dqy ,l-Mh+ vkj-,Q- (4+5)	yxk;k x;k okLrfod LVkEi 'kqYd	yxk;k x;k okLrfod iath;u 'kqYd	de yxus okys ,l-Mh-@vkj-,Q- (6-(7+8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, विदिशा	2316000	182515	136886	319401	10600	720	308081
2	कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, छतरपुर	2189000	167100	125326	292426	1500	0	290926
3	कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, धार	5427500	429200	321825	751025	2600	0	748425
4	कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, पन्ना	5202405	360488	270366	630854	2720	0	628134
5	सी.एम.एच.ओ. राजगढ़, के अन्तर्गत सिविल, अस्पताल जीरापुर	13559000	1084720	813540	1898260	2800	0	1895460
6	कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, अलीराजपुर	5186001	259300	194475	453775	6000	0	447775
7	सी.एम.एच.ओ. उज्जैन, के अन्तर्गत सिविल, अस्पताल महीदपुर	6474250	512055	384041	896096	2100	0	893996
	;ksx	**40354156**	**2995378**	**2246459**	**5241837**	**28320**	**720**	**5212797**

ifjf'k"V&3-6

(lnHkZ dfMdk 3-1-7] i"B 184)

dk;kZ dh l[;k ,oa dedkj dY;k.k midj dk fy;s dVkSrh dh xbZ jkf'k dk n'kkus okyk fooj.k i=d

l- Ø-	bdkbZ dk uke	o"kZ	fuekZ.k dk;ksZ dh l[;k	Lohd`r jkf'k (₹ yk[k esa)	dY;k.k midj olwyk x;k fdUrq jkT; cksMZ dks Hkstk ugha x;k (₹ yk[k esa)
1	जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, उज्जैन	2007-08	247	1051.26	10.45
		2008-09	333	1275.79	12.88
		2009-10	229	612.13	6.36
		2010-11	460	1407.14	14.34
		2011-12	121	297.06	2.96
		2012-13	145	612.23	6.40
		;ksx	**1535**	**5255.61**	**53.39**
2	जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, बुरहानपुर	2011-12	322	716.75	7.17
		2012-13	112	234.53	2.34
		2013-14	14	9.94	0.10
		;ksx	**448**	**961.22**	**9.61**
3	जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, इन्दौर	2012-13	527	1110.81	11.11
		2013-14	10	7.10	0.07
		;ksx	**537**	**1117.91**	**11.18**
4	जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, झाबुआ	2012-13	1460	1374.46	13.74
		;ksx	**1460**	**1374.45**	**13.74**
		egk;ksx	**3980**	**8709.20**	**87.92**

ifjf'k"V&3-7

(lanHkZ% dfMdk 3-1-8] i"B 185)

jkf'k ₹ 52-29 yk[k dk vf/kd 0;; n'kkZus okyk fooj.k i=d

(jkf'k ₹ esa)

vof/k	xzsM	ek=k ,e-Vh- esa	,e-ih-,y-;w-,u- dh VSDl lfgr izfr ,e-Vh- nj	Mh-th-,l-,.M Mh- dh VSDl lfgr izfr ,e-Vh-nj	njksa esa vUrj	vf/kd Hkqxrku dh jkf'k
1	2	3	4	5	6	7
31/01/11 से 12/02/11	पी.पी.सी.	180	3693.60	2265.00	1428.60	257148
21/06/11 से 22/06/11	पी.पी.सी.	40	3693.60	2394.00	1299.60	51984
02/07/11 से 25/07/11	पी.पी.सी.	120	3693.60	2615.15	1078.45	129414
11/07/11	पी.पी.सी.	20	3705.00	2615.15	1089.85	21797
20/05/12 से 21/05/12	पी.पी.सी.	40	3705.00	2891.55	813.45	32538
23/10/12 से 31/01/13	पी.पी.सी.	87.70	3705.00	2978.30	726.70	63732
10/02/11	पी.पी.सी.	18.10	3990.00	2265.00	1725.00	31223
09/04/11 से 02/06/11	पी.पी.सी.	58.44	3990.00	2394.00	1596.00	93275
07/07/11 से 25/08/11	पी.पी.सी.	25	3990.00	2615.15	1374.85	34371
02/04/12	पी.पी.सी.	100	3990.00	2838.55	1151.45	115145
19/06/12	पी.पी.सी.	40	3990.00	2891.55	1098.45	43938
12/11/12	पी.पी.सी.	40	3990.00	2978.30	1011.70	40468
26/05/12 से 30/09/12	पी.पी.सी.	958.85	4343.40	2891.55	1451.85	1392106
03/10/12 से 16/02/13	पी.पी.सी.	1102.30	4343.40	2978.30	1365.10	1504749
20/11/12 से 17/02/13	पी.पी.सी.	896	4560.00	2978.30	1581.70	1417203
	;ksx	**3726.39**				**52,29,091**

ifjf'k"V&3-8

(lnHkZ% dafMdk 3-1-9] i"B 186)

tu 2014 rd fofHkUu dk;kZs ds vi;qDr iMs /kujkf'k ,oa fd, O;; dk fooj.k n'kkZus okyk fooj.k i=d

¼jkf'k ₹ esa½

l-Ø-	;kstuk dk uke	ekpZ 2013 rd 'ks"k	2013&14 dh nkSjku izkIr /kujkf'k	2013&14 dh nkSjku fd;k x;k O;;	2013&14 dh vUr rd 'ks"k	04@14 ls 06@2014 dh nkSjku izkIr /kujkf'k	04@14 ls 06@2014 dh nkSjku fd;k x;k O;;	twu 2014 rd vfUre O;;
1	एकीकृत ग्रामीण रोजगार योजना	-3118783	----	----	-3118783	----	----	-3118783
2	यूनिसेफ आइटम	-419670	----	----	-419670	----	----	-419670
3	11वां वित्त आयोग	-1370657	----	----	-1370657	----	----	-1370657
4	म.प्र. निधि	-1004875	1540000	1297768	-762643	----	305509	-1068152
5	राज्य सभा	412096	6946000	8413480	-1055384	----	----	-1055384
6	फूड आइटम	-10721	----	----	-10721	----	----	-10721
7	पुलिस विभाग	-32404	----	----	-32404	----	----	-32404
8	खादी ग्रामाद्योग	-503782	----	4795	-508577	----	----	-508577
9	सिंहस्थ	-865384	----	----	-865384	----	----	-865384
10	राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना	-4513329	----	----	-4513329	----	----	-4513329
11	एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. (जिला स्तर)	-50334622	----	----	-50334622	----	----	-50334622
12	एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. (विकासखण्ड स्तर)	-1695492	----	----	-1695492	----	----	-1695492
13	एन.ए.सी. आइटम (टॉयलेट वर्क)	0	----	3960	-3960	----	----	-3960
14	एम.पी. एन.आर.ई.जी.एस.	-12358981	----	----	-12358981	----	----	-12358981
15	रोगी कल्याण समिति मुख्य अस्पताल, खरगौन	-458452	----	24684	-483136	----	----	-483136
16	राज्य शिक्षा केन्द्र	-714170	----	1778380	-2492550	----	----	-2492550
17	विकासखण्ड स्तर	-67980	----	----	-67980	----	----	-67980
18	एन.टी.पी.सी., टॉयलेट	-89610	1011400	1127286	-205496	----	----	-205496
19	13वां वित्त आयोग	1178000	----	2428095	-1250095	----	330878	-1580973
	;ksx	**-75968816**	**94,97,400**	**1,50,78,448**	**-8,15,49,864**	fujad	**6,36,387**	**-8,21,86,251**

ifjf'k"V&3-9

(lanHkZ dafMdk 3-1-10] i"B 187)

gSMiEiksa ds j[kj[kko ij 'kklu }kjk fu/kkZfjr lhek ls vf/kd fd, x, O;; dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

o"kZ ¼vof/k½	pkyw fLFkfr esa dqy gSMiEiksa dh la[;k	ejEer fd, x, gSMiEiksa dh la[;k	lkexzh ij O;; (₹yk[k esa)	etnwjh ij O;; (₹yk[k esa)	ih-vks-,y- ij O;; (₹yk[k esa)	dqy O;; (₹yk[k esa)	'kklu }kjk fu/kkZfjr lhek (₹ esa)	ifr gSMiEi fd;k x;k O;; (₹ esa)	dkye ¼7½ ds vuqlkj vuqeR; O;;	lhek ls vf/kd O;; (₹yk[k esa)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10=3*8)**	**(11=7-10)**
2013-14 (22.01.2014 तक)	15036	11985	107.46	54.35	03.79	165.60	500	1381.72	59.93	105.67
2013-14 (23.01.2014 से 31.03.2014)	15036	3738	26.95	34.97	0.70	62.62	1600	1675	59.81	2.81
;ksx		**15723**	**134.41**	**89.32**	**04.49**	**228.22**			**119.74**	**108.48**

ifjf'k"V&3-10

¼lnHkZ% dafMdk 3-1-11] i"B 188½

20@25 okV ok;jysl lsV dh [kjhn ds fy, lh-ih-lh- dk vkfpR; n'kkus okyk i=d

l-Ø-	ckyh yxkus okys dh vfre fLFkfr	ekMy dekd	n'kkbZ xbZ nj	Rkduhdh lfefr dk eY;kdu	fufonk dk Lohdkj dju@fufonk dk Lohdkj ugh dju d fy, lh-ih-lh- dk vkfpR;
1.	प्रथम सबसे कम (ब)	आईकॉम जापान आईसी–एफ5023टी (बिना डीटीएमएफ कीपैड माइक)	8342	अर्ह	1–फर्म का कोई स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। 2–व्हिप एंटीना जो कि अनिवार्य हिस्सा था, का निविदा में उल्लेख नहीं किया। 3–अन्य राज्य के पुलिस विभाग/सशस्त्र बलों को आपूर्ति/बिक्री का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। 4–मॉडल विभाग में पहले इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके निष्पादन की रिपोर्ट किसी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त नहीं हुई थी।
2.	द्वितीय सबसे कम	रेक्सोन ताईवान आरएम 03 एन	9030	अर्ह	1–फर्म का कोई स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। 2–अन्य राज्य के पुलिस विभाग/सशस्त्र बलों को आपूर्ति/बिक्री का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया । 3– मॉडल विभाग में पहले इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके निष्पादन की रिपोर्ट किसी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त नहीं हुई थी।
3	तृतीय सबसे कम	आईकॉम जापान आईसी–एफ 50231 (डीटीएमएफ कीपैड माइक के साथ)	सीपीसी कार्यवृत्त के अनुसार	अर्ह	1.फर्म का कोई स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। 2.व्हीप एंटीना, जो कि अनिवार्य हिस्सा था, का निविदा में उल्लेख नहीं किया। 3–अन्य राज्य के पुलिस विभाग/सशस्त्र बलों को आपूर्ति/बिक्री का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया । 4–मॉडल विभाग में पहले इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके निष्पादन की रिपोर्ट किसी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त नहीं हुई थी।
4	चतुर्थ सबसे कम	केनबुड सिंगापुर टीके 7160	9219	अर्ह	विभाग, सेट की तकनीकी उपयुक्तता के बारे में आश्वस्त नहीं था।
5	पंचम सबसे कम	रेक्सोन ताईवान आरएम 03 एन	9256	अर्ह	अन्य राज्य के पुलिस विभाग/सशस्त्र बलों को आपूर्ति/बिक्री का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया ।
6	NBk ¼v½ lcls de	ekVksjksyk ehd th,e 338	10122	vgZrk VhbZ&QsZ dk VhbZlh ds le{k ueuk lsV iLrqr djus ls NwV nh xbZA	lsV dk foHkkx esa bLrseky fd;k tk jgk g] blds fu"iknu ,oa fcdzh ds mijkar lsok vPNh gSA

ifjf'k"V&3-11

¼lanHkZ% dafMdk 3-1-11] i`"B 188½

2@5 okV ok;jysl lsV dh [kjhn ds fy, lhihlh dk vkfpR; n'kkZus okyk i=d

l-Ø-	ckyh yxkus okyks dh vfre fLFkfr	ekMy dekd	nj	fufonk dk Lohdkj djus@fufonk dk Lohdkj ugha djus ds fy, lhihlh dk vkfpR;
1.	iFke lcls de ¼Mh½	एचवायटी टीसी 270	5096	1–फर्म का कोई स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। 2–सेट चीन निर्मित थे और समिति उसकी विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त नहीं थी।
2.	द्वितीय सबसे कम	एचवायटी टीसी 580	5980	1–फर्म का कोई स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। 2–सेट चीन निर्मित थे और समिति उसकी विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त नहीं थी।
3	तृतीय सबसे कम	रेक्सोन 328 एसके, ताईवान	7822.50	1–फर्म का कोई स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। 2–अन्य राज्य के पुलिस विभाग/सशस्त्र बलों के लिए आपूर्ति/बिक्री का प्रमाण–पत्र, निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। 3–मॉडल विभाग में पहले इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके निष्पादन की रिपोर्ट किसी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त नहीं हुई थी।
4	चतुर्थ सबसे कम	1–एचवायटी टीसी 780 व्ही	8305.50	1–फर्म का कोई स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। 2–सेट चीन निर्मित थे और समिति उसकी विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त नहीं थी। 3–अन्य राज्य के पुलिस विभाग/सशस्त्र बलों के लिए आपूर्ति/बिक्री का प्रमाण–पत्र, निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। 4–मॉडल विभाग में पहले इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके निष्पादन की रिपोर्ट किसी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त नहीं हुई थी।
5	पंचम सबसे कम	एचवायटी टीसी 780	8438	1–फर्म का कोई स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। 2–सेट चीन निर्मित थे और समिति उसकी विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त नहीं थी।
6	छठा सबसे कम	आई कॉम आईसीएफ 3023 टी	8657	1–फर्म का कोई स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। 2–अन्य राज्य के पुलिस विभाग/सशस्त्र बलों के लिए आपूर्ति/बिक्री का प्रमाण–पत्र, निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। 3–मॉडल विभाग में पहले इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके निष्पादन की रिपोर्ट किसी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त नहीं हुई थी।
7	सातवां सबसे कम	रेक्सोन 328 के (2000 एमएएच बैटरी के साथ)	8994.96	1–अन्य राज्य के पुलिस विभाग/सशस्त्र बलों के लिए आपूर्ति/बिक्री का प्रमाण–पत्र, निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। 2–मॉडल विभाग में पहले इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके निष्पादन की रिपोर्ट किसी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त नहीं हुई थी।
8	vkBok lcls de ¼ls½	Vhd&2170 dsucM	9324	lsV dk foHkkx esa bLrseky fd;k tk jgk g] blds fu"iknu ,oa fcdh ds mijkUr lsok vPNh gA
9	नौवां सबसे कम	रेक्सोन 328 के (3000 एमएएच बैटरी के साथ)	10400	उल्लेख नहीं
10	दसवां सबसे कम	जीपी 338 1400 एमएएच बैटरी के साथ	11808.30	उल्लेख नहीं
11	ग्यारहवां सबसे कम	जीपी 338 1400 एमएएच बैटरी के साथ	12104.40	उल्लेख नहीं

ifjf'k"V&3-12

¼lanHkZ% dafMdk 3-1-12] i"B 189½

ekpZ 2012 esa jkT; i= vf/klwpuk tkjh gksus ds mijkar iwoZ la'kksf/kr njksa dk mi;ksx djus ls i;'keu 'kqYd dh de olwy jkf'k dk n'kkus okyk fooj.k

¼jkf'k ₹ esa½

l-Ø-	ftys dk uke	izdj.kksa dh la[;k	i;'keu 'kqYd dh Okwly dh tkus okyh jkf'k	i;'keu 'kqYd dh Okwly dh xbZ jkf'k	i;'keu 'kqYd dh de olwy dh xbZ jkf'k
1	2	3	4	5	¼4&5½ 6
1.	उमरिया	2701	14,13,140	2,58,175	11,54,965
2.	अनूपपुर	201	1,48,700	55,570	93,130
3.	शहडोल	232	2,48,500	1,06,610	1,41,890
4.	शाजापुर	958	5,36,000	1,64,430	3,71,570
5.	रीवा	4027	17,70,476	4,11,208	13,59,268
6.	दमोह	1881	8,57,120	1,67,400	6,89,720
7.	सागर	7128	23,26,890	5,30,600	17,96,290
8.	टीकमगढ	3000	12,41,240	2,49,300	9,91,940
	;ksx	20128	85]42]066	19]43]293	65]98]773

ifjf'k"V&3-13

(lanHkZ: df.Mdk 3-1-13, i`"B 191)

tqykbZ 2010 ls fnlEcj 2013 dh vof/k ds nkSjku fuxfer [kk|kUu ,oa Lo&lgk;rk lewgksa ls olwy dh tkus okyh jkf'k dk n'kkZus okyk fooj.k i=d

(jkf'k djksM+ :- esa)

l- Ø-	ftys@[k.M dk uke ¼,l-,p-th- dh la[;k½	,e-ih-,l-lh-,l-lh- }kjk Mh-ih-vks- dks tkjh [kk|kUu dh ek=k		,e-ih-,l-lh-,l-lh- dks Hkqxrku dh tkus okyh jkf'k			Mh-ih-vks- }kjk ,e-ih-,l-lh-,l-lh-dks Hkqxrku dh xbZ jkf'k	,l-,p-th- ls olwy dh tkus okyh jkf'k			,l-,p-th- ls okLrfod olwy dh xbZ jkf'k	,l-,p-th- ls de olwy jkf'k ¼11&12½
		xsgwa ¼fDoVy esa½	pkoy ¼fDoVy esa½	xsgwa nj ₹ 463 izfr fDoVy	pkoy nj ₹ 607 izfr fDoVy	;ksx		xsgwa nj ₹ 500 izfr fDoVy	pkoy nj ₹ 650 izfr fDoVy	;ksx		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बालाघाट* (1197)	81074.18	28375.51	3.75	1.72	5.47	5.30	4.05	1.84	5.89	4.70	1.19
2	रायसेन* (1403)	61271.30	22451.30	2.84	1.36	4.20	4.31	3.06	1.46	4.52	4.45	0.07
3	छिन्दवाड़ा (1794)	114097.00	41824.60	5.28	2.54	7.82	7.68	5.70	2.72	8.42	6.15	2.27
4	पन्ना (1003)	46720.30	14642.30	2.16	0.89	3.05	3.02	2.33	0.95	3.28	2.50	0.78
5	उमरिया (510)	18218.22	6443.69	0.84	0.39	1.23	1.27	0.91	0.42	1.33	0.92	0.41
6	फन्दा (122)	4672.40	1689.90	0.22	0.10	0.32	0.34	0.23	0.10	0.33	0.23	0.10
	;ksx	326053-40	115427-30	15-09	7-00	22-09	21-92	16-28	7-49	23-77	18-95	4-82

* ckyk?kkV ,oa jk;lsu esa lEiw.kZ cdk;k jkf'k olwy dh tk pqdh gSA